भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन सं0 - 3

विषय–सूची

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		ix
अध्याय – I		
प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के संबंध में	**1.1**	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की विवरणी	**1.2**	1-2
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	**1.3**	2-3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	**1.4**	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	**1.5**	4-9
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	**1.6**	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का अभाव	**1.7**	10-11
अध्याय – II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
जल संसाधन विभाग		
बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन	**2.1**	12-40
पथ निर्माण विभाग		
बिहार के वृहद् जिला पथ	**2.2**	41-63
अध्याय –III		
वृहत कंडिकाएँ		
मानव संसाधन विकास विभाग		
पटना विश्वविद्यालय का कार्यकलाप	**3.1**	65-77
पर्यावरण एवं वन विभाग		
क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	**3.2**	78-88
उद्योग विभाग		
बिहार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन	**3.3**	89-105

वर्णन	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
अध्याय–IV		
सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा		
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	**4**	107-123
अध्याय–V		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों की अवमानना	**5.1**	125
ग्रामीण कार्य विभाग		
कोषागार में पंजीकरण शुल्क का अप्रेषण एवं ब्याज की हानि	**5.1.1**	125-127
ग्रामीण विकास विभाग		
संदेहास्पद / कपटपूर्ण भुगतान	**5.1.2**	127-129
स्वास्थ्य विभाग		
कपटपूर्ण भुगतान	**5.1.3**	129-130
एन्टी हेम्योफिलिक फेक्टर–VIII औषधि का अविवेकपूर्ण क्रय	**5.1.4**	130-132
समाज कल्याण विभाग		
अविवेकपूर्ण एवं जोखिम भरा निवेश	**5.1.5**	132-134
औचित्य लेखापरीक्षा / आधिक्य / निरर्थक / अलाभकारी व्यय	**5.2**	134-135
ग्रामीण कार्य विभाग		
निरर्थक व्यय	**5.2.1**	136
निष्फल व्यय	**5.2.2**	137-139
नौ अयोग्य संवेदकों को 71 संविदाओं की अनियमित प्रदत्तता	**5.2.3**	140
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
एक अयोग्य संवेदक को संविदाओं की प्रदत्तता	**5.2.4**	140-142
एक अयोग्य ऐजेन्सी को अनियमित कार्यावंटन	**5.2.5**	142-144
स्वास्थ्य विभाग		
दवाओं एवं उपकरणों की अनियमित खरीद पर आधिक्य भुगतान	**5.2.6**	145-146

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
पथ निर्माण विभाग			
संवेदकों को अदेय सहायता		**5.2.7**	146-148
जल संसाधन विभाग			
अलाभकारी व्यय		**5.2.8**	148-149
अनियमित / परिहार्य / असमायोजित व्यय		**5.3**	149
समाज कल्याण विभाग			
परिहार्य व्यय		**5.3.1**	149-151
ग्रामीण कार्य विभाग			
निजी संवेदकों को उपकरण / अग्रिम जुटान के लिए अनियमित भुगतान		**5.3.2**	151-152
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
असमायोजित अग्रिम		**5.3.3**	152-153
कार्यकारी एजेन्सी को अदेय सहायता		**5.3.4**	154-155
ग्रामीण विकास विभाग			
विभागीय कार्यों के लिए अनियमित भुगतान		**5.3.5**	156-157
स्वास्थ्य विभाग			
आठ जिलों में बिना गुणवत्ता परीक्षण के दवाओं का वितरण		**5.3.6**	157-158
मशीनों एवं उपकरणों का अनुपयोग		**5.3.7**	158-159
जल संसाधन विभाग			
राज्य सरकार को परिहार्य हानि		**5.3.8**	159-161
निरीक्षण / संचालन में विफलता		**5.4**	161
स्वास्थ्य विभाग			
राशि की अविवेकपूर्ण निकासी		**5.4.1**	161-163
निष्क्रिय उपकरण		**5.4.2**	163-165
परिशिष्ट			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं के वर्ष–वार विघटन दर्शाती विवरणी	**1.7.1**	167-168
1.2	कृत–कार्रवाई टिप्पणियों के असमर्पण संबंधी विभागवार ब्यौरे	**1.7.2**	169

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
1.3	लोक लेखा समिति को अनुशंसा पर की गयी कृत–कार्रवाई टिप्पणियों की वस्तुस्थिति	**1.7.3**	170
2.1.1	बाढ़ शमन के रूप में बाढ़ प्रक्षेत्र के लिए नदी का अंतःजुड़ाव दर्शाती विवरणी	**2.1.6.1**	171
2.1.2	वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर आवंटित निधि को दर्शाने वाली विवरणी	**2.1.7.1**	172-173
2.1.3	निविदा प्रदान करने में शर्त्तों के उल्लंघन को दर्शाने वाली विवरणी	**2.1.8.1**	174-175
2.1.4	बाढ़ कैलेण्डर का अनुपालन नहीं किए जाने को दर्शाने वाली विवरणी	**2.1.8.2**	176-179
2.1.5	अपूर्ण / बंद / स्थगित जमींदारी बाँधों पर अलाभकारी व्यय को दर्शाती विवरणी	**2.1.9.1**	180
2.1.6	जमींदारी बाँधों का क्रियान्वयन दर्शाती विवरीणी	**2.1.9.2**	181-183
2.2.1	वृहद् जिला पथ का आवंटन एवं व्यय विवरणी (नमूना जाँचित 12 प्रमण्डल)	**2.2.7**	184
2.2.2	यातायात गणना नहीं की गई की दर्शाती विवरणी	**2.2.8.1**	185
2.2.3	यातायात जनगणना मात्र 3 दिन किए जाने को दर्शाती विवरणी	**2.2.8.1**	186
2.2.4	कैलफोर्निया वियरिंग रेसियो नहीं किए जाने को दर्शाती विवरणी	**2.2.8.1**	187
2.2.5	बहिष्कृत संवेदकों को कार्य आवंटन	**2.2.8.2**	188
2.2.6	एकल निविदा के मामले जिसमें एक स्तर उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी	**2.2.8.2**	189
2.2.7	प्रपत्र एम0 एवं एन0 एवं परिवहन चालान प्राप्त नहीं किए जाने का दर्शाते विवरणी	**2.2.8.3**	190-192
2.2.8	निर्धारित मापदंडो के अनुरूप कार्य नहीं करना	**2.2.8.3**	193-194
2.2.9	प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय को दर्शाती विवरणी	**2.2.8.3**	195
2.2.10	संवेदकों द्वारा गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला स्थापित नहीं किए जाने का दर्शाती विवरणी	**2.2.10**	196-198
2.2.11	प्रमण्डल स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा की गई गुणवत्ता जाँच की संख्या से संबंधित विवरणी	**2.2.10**	199
3.1.1	विकास कोष खाते में ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती विवरणी	**3.1.3.1**	200
3.1.2	ब्याज के रूप में राजस्व की क्षति से संबंधित विवरणी	**3.1.3.1**	201
3.1.3	बाहरी ऐजेन्सी के विरुद्ध असमायोजित अग्रिम से संबंधित विवरणी	**3.1.3.4**	202-203

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
3.1.4	राशि के उपयोगिता से संबंधित ब्योरा	**3.1.3.5**	204
3.1.5	अपूर्ण कार्य पर अलाभदायक व्यय को दर्शाती विवरणी	**3.1.3.5**	205
3.1.6	11वीं सामान्य विकास अनुदान के तहत किताब एवं उपस्कर के क्रय से संबंधित उपयोगिता को दर्शाती विवरणी	**3.1.3.5**	206
3.1.7	विलयित योजना के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान ₹ 56.95 के विरुद्व अवधि 2007–10 में व्यय को दर्शाती विवरणी	**3.1.3.5**	207
3.1.8	किताब एवं उपस्कर अनुदान से विचलन से संबंधित ब्योरा को दर्शाती विवरणी	**3.1.3.5**	208-209
3.1.9	घटनाक्रम दर्शाने वाली विवरणी	**3.1.4.1**	210
3.1.10	ढुलाई पर अनियमित भुगतान को दर्शाती विवरणी	**3.1.4.2**	211
3.1.11	रॉयल्टी दर्शाने वाली विवरणी	**3.1.4.2**	212
3.1.12	श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने से संबंधित विवरणी	**3.1.4.2**	213
3.1.13	मई 2012 तक सैदपुर छात्रावास पर बकाया विद्युत को दर्शाती विवरणी	**3.1.5.1**	214
3.2.1	कैम्पा का संगठनात्मक संरचना	**3.2.2**	215
3.2.2	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन को र्शाती विवरणी	**3.2.4.1**	216
3.2.3	प्रमण्डलों द्वारा बची राशि का कैम्पा निधि में जमा राशि की विवरणी	**3.2.5**	217
3.2.4	वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में स्टेट कैम्पा द्वारा प्रमंडलवार निधि का निर्धारण एवं वितरण	**3.2.5**	218
3.2.5	एन.पी.ए. / सी.ए. / पी.सी.ए. की कम वसूली	**3.2.6**	219
3.2.6	स्टेट कैम्पा से बाहर रखी गयी निधि	**3.2.6.1**	220
3.2.7	वन भूमि का गैर–वन हेतु उपयोग की वर्ष वार विवरणी	**3.2.7**	221
3.3.1	उद्योग विभाग का संगठनात्मक संरचना	**3.3.2**	222
3.3.2	लीज प्रीमियम पुनरीक्षण नहीं होने के कारण और लीज प्रीमियम दर का देरी से दर पुनरीक्षण के कारण हानि को दर्शाती विवरणी	**3.3.4.1**	223
3.3.3	पहले आओ पहले पाओ निति की अवहेलना का विवरण	**3.3.6.3**	224-230
3.3.4	गैर औद्योगिक कार्य हेतु भूमि का आबंटन को दर्शाती विवरणी	**3.3.6.4**	231-233
3.3.5	मानदंड से अधिक भूमि का आबंटन	**3.3.6.4**	234-236
3.3.6	अनुमान से अधिक भूमि का आबंटन	**3.3.6.4**	237
3.3.7	गैर प्लासिटक एवं रसायन उघोग के आबंटित भूमि	**3.3.6.4**	238-239
3.3.8	निजी तकनीकी संस्थान की सूचि	**3.3.6.4**	240-242

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
3.3.9	हस्तांतरण मामलों की सूची	**3.3.6.4**	243
3.3.10	हस्तांतरण मामलों की सूची	**3.3.8.1**	244-259
3.3.11	रिर्जव प्राईस के कम निर्धारन के कारण हानि	**3.3.8.4**	260
4.1	15–सूत्री कार्यक्रम	**4.1**	261
4.2	विस्तृत विनियोग लेखे के व्यय एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों को दर्शाती विवरणी	**4.7.6**	262
4.3	अल्पसंख्यकों के लिए क्रियान्वित योजनाओं की सूची दर्शाती विवरणी	**4.8**	263
4.4	बहुक्षेत्रीय विकास निधि के हरण को दर्शाती विवरणी	**4.8.1.1**	264
4.5	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निधि निगम की अनुपयोगित निधि	**4.7.7**	265
4.6	आँगनबाड़ी की स्थिति	**4.8.1.1**	266
5.1	मास्टर रॉल पर फर्जी एवं संदेहास्पद भुगतानों को दर्शाती विवरणी	**5.1.2A**	267-269
5.2	अभिकरणों, जिनका पता नहीं लग सका, की सूची दर्शाती विवरणी	**5.1.2**	270
5.3	वैसे अभिकरणों की सूची, जिसने स्वयं द्वारा आपूर्ति किए जाने से इंकार किया, दर्शाती विवरणी	**5.1.2**	271
5.4	डब्लू डी सी एवं यू.टी.आई. को प्रेशित राशियों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.1.5**	272
5.5	संवेदकों द्वारा समर्पित तकनीकी बीड के साथ संलग्नित अभिलेखों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.2.3**	273-275
5.6	कार्य की भौतिक प्रगति दर्शाती विवरणी	**5.2.3**	276-277
5.7	सात प्रमंडलों में विभिन्न संवेदकों को प्रदान किये गए कार्यो का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.2.3**	278-279
5.8	नमूना जाँचित कार्यसमूह का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.2.4**	280
5.9	दवाओं के स्थानिक क्रम पर किए गए अधिक भुगतानों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.2.6**	281-284
5.10	मोबिलाईजेशन / उपकरण अग्रिम की विवरणी	**5.3.2**	285-286
5.11	स्वजलधारा योजनातहत् पंचायती राज संस्थानों को प्रदत्त असमायोजित अग्रिमों की विवरणी	**5.3.3**	287
5.12	संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्वा.अभि.) के तहत् पंचायती राज संस्थानों / प्र.वि.पदा. को प्रदत्त असमायोजित अग्रिमों को दर्शाती विवरणी	**5.3.3**	288
5.13	अभिकरणों को प्रदत्त मोबिलाईजेशन अग्रिमों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.3.4**	289

वर्णन		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
5.14	अस्पतालों द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे मशीनों / उपकरणों की विवरणी	**5.3.7**	290
5.15	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी	**5.4.1**	291
5.16	राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रदत्त निधियों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.4.1**	292
5.17	बिहार चिकित्स्कीय सेवाएँ एवं अंतः संरचना निगम की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी	**5.4.1**	293
5.18	एस.एन.सी.यू. के लिए क्रय किए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी	**5.4.2**	294
5.19	नमूना जाँचित जिलों में क्रमित उपकरणों को दर्शाती विवरणी	**5.4.2**	295

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I में लेखापरीक्षेति के विवरण, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं को समाहित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्याकर्षणों को भी इस अध्याय में शामिल किया गया है।

3. अध्याय II बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन तथा बिहार के वृहत् जिला पथ के निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III पटना विश्वविद्यालय के कार्यकलाप, राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण तथा बिहार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन पर तीन दीर्घ कंडिकाओं को शामिल करता है। अध्याय IV में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समेकित लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। अध्याय V में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि के अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

4. 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जाँच से प्रकाश में आये मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षणों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्त्ती वर्षों में पाए तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2011–12 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।

अध्याय I
प्रस्तावना

अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के इस प्रतिवेदन में चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित मामले हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखा परीक्षित इकाईयों के व्यय से संबंधित लेन–देनों के परीक्षण को संदर्भित करता है, जिससे लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन के मुद्दों के अलावा, योजना/गतिविधि/विभाग के लक्ष्यों को मितव्ययिता और कुशलता से प्राप्त किये जाने को भी जाँच करती है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से राज्य विधानमंडल को अवगत कराना है। भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अंकेक्षण मानकों के अनुसार प्रतिवेदन का वस्तुपरक स्तर लेन–देन की प्रकृति, परिमाण एवं विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वह कार्यपालिका को उन्नत वित्तीय प्रबंधन और बेहतर शासन की दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम करे।

यह अध्याय योजना के मामलों एवं लेखापरीक्षा के दायरे को स्पष्ट करने के अलावा चयनित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं कमियों का सार, लेन–देन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों एवं पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय– II में चयनित कार्यक्रमों, गतिविधियों/विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय–III में चयनित सरकारी विभागों/गतिविधियों/कार्यक्रमों पर दीर्घ कंडिकाएँ शामिल हैं। अध्याय–IV में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समेकित लेखापरीक्षा शामिल है जबकि अध्याय–V सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाई

राज्य में सचिवालय स्तर पर 44 विभाग हैं जो प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा शीर्षित एवं मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में विशेष सचिवों/अपर सचिवों/निदेशकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित 9166 स्थानीय निकाय एवं 14 स्वायत्तशासी निकाय हैं, जिनका भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान एवं उसके पूर्व के दो वर्षों में सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक विवरणी **सारणी 1** में नीचे दी गई है :

सारणी 1 : चालू वर्ष के राजकोषीय लेन–देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2010-11	2011-12	संवितरण	2010-11	2011-12		
खंड–अ : राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	**44532.32**	**51320.17**	राजस्व व्यय	**38215.92**	**34012.66**	**12486.83**	**46499.49**
कर–राजस्व	9869.85	12612.10	सामान्य सेवाएँ	15286.97	17569.44	160.28	17729.72
करेतर–राजस्व	985.53	889.86	सामाजिक सेवाएँ	15089.42	9523.52	9205.26	18728.78
कर / शुल्क का अंश	23978.38	27935.23	आर्थिक सेवाएँ	7836.28	6916.53	3121.29	10037.82
भारत सरकार द्वारा अनुदान	9698.56	9882.98	सहायता अनुदान एवं योगदान	3.25	3.17	-	3.17
खंड–ब : पूंजीगत							
अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूंजीगत व्यय	9195.94	39.59	8812.42	8852.01
ऋणों एवं पेशगियों की वसूली	11.86	22.51	संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ	1102.63	220.72	1685.36	1906.08
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6032.42	6627.96	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2190.03	-	-	2922.46
अंतर्राज्यीय बंदोबस्ती प्राप्तियाँ	0.00	75.41	अंतर्राज्यीय बंदोबस्ती भुगतान	0.00	-	-	1.39
आकस्मिक निधि	1150.00	800.00	आकस्मिक निधि	1150.00	-	-	800.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	17321.25	22302.61	लोक लेखा संवितरण	16749.02	-	-	21393.22
आरंभिक रोकड़ शेष	2291.13	2735.44	अंतः रोकड़ शेष	2735.44	-	-	1509.45
कुल	**71338.98**	**83884.10**	कुल	**71338.98**			**83884.10**

1.3 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा उद्धृत है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13[1] के तहत नि.म.ले.प. बिहार सरकार के विभागों के व्यय का लेखापरीक्षण करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 19(3)[2] एवं 20(1)[3] के तहत 10 स्वायत्तशासी निकायों, जिनका नि.म.ले.प. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं,

1 *(i) राज्य के संचित निधि से संबंधित सभी लेन–देन (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन एवं (iii) सभी व्यावसायिक, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनापत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।*

2 *राज्यपाल के अनुरोध पर, जहाँ राज्यपाल की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वैसे निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करना जिसे विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से स्थापित किया गया हो।*

3 *धारा 19 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहाँ कि किसी निकाय या प्राधिकार के लेखाओं का लेखापरीक्षण नि.म.ले.प. को नहीं सौंपा गया हो वहाँ वह, यदि ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो, ऐसे निकाय या प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेंगे जो नि.म.ले.प. तथा सरकार के बीच तय हो।*

लेखापरीक्षा करते हैं। इसके अलावा समान अधिनियम की धारा 14[4] के तहत नि.म.ले.प. सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित अन्य स्वायत्तशासी निकायों का भी लेखापरीक्षा करते हैं। विभिन्न लेखापरीक्षणों के सिद्धांत एवं तरीके, वर्ष 2007 में नि.म.ले.प. द्वारा जारी किए गए लेखा एवं लेखापरीक्षा के विनियमनों एवं लेखापरीक्षा मानकों में विहित हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के आकलन के साथ शुरू होती है। यह जोखिम विश्लेषण किए गए व्यय, गतिविधियों की जटिलता एवं पेचीदगी, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन और हितधारकों के मामलों पर आधारित है। इस अभ्यास में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता और विस्तार को निर्धारित किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा के पूर्णता के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्ष समाहित निरीक्षण प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षित कार्यालय प्रमुखों को एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्चाधिकारियों को जारी की जाती है। उनसे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उत्तर हेतु अनुरोध किया जाता है। प्राप्त उत्तर के आधार पर, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो समाप्त करने अथवा अनुपालनार्थ अग्रेतर कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संशोधित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान 152 इकाईयों की लेन–देन लेखापरीक्षा एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाएँ, तीन दीर्घ कंडिकाएँ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समेकित लेखापरीक्षा के संचालन के लिए, 1488[5] पार्टी–दिवसों का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा योजना में उन इकाईयों/संस्थाओं को शामिल किया गया जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति संवेदनशील थे।

[4] *राज्य की संचित निधि से ऋण अथवा अनुदानों से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी निकाय/प्राधिकार के समस्त प्राप्तियों एवं व्यय एवं (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकार के समस्त प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखापरीक्षा जहाँ वैसे निकाय अथवा प्राधिकार को राज्य की संचित निधि से प्रदत्त अनुदान अथवा ऋण किसी वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम न हो।*

[5] *सामान्य प्रक्षेत्र 3 इकाईयाँ (24 पार्टी दिवस), सामाजिक प्रक्षेत्र–I 23 इकाईयाँ (208 पार्टी दिवस), सामाजिक प्रक्षेत्र – II 22 इकाईयाँ, (218 पार्टी दिवस) एवं आर्थिक प्रक्षेत्र 104 इकाईयाँ (1038 पार्टी दिवस)*

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अलावा चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार अनुपालन लेखापरीक्षा के क्रम में सरकार के विभागों/संगठनों में पाई गई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया है।

1.5.1 विभागों/कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्तमान प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन और बिहार के वृहत जिला पथ शामिल है। अनुवर्ती कंडिकाओं में इन लेखापरीक्षाओं के मुख्याकर्षण वर्णित हैः

1.5.1.1 बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन

बिहार, भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है जिसमें बिहार का 73 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र (अर्थात कुल 94.16 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 68.80 लाख हेक्टेयर) प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में है। हाँलांकि यह पाया गया कि विभाग का वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, जोकि निधियों के अल्प उपयोग (11 से 44 प्रतिशत) के कारण बाधित था। योजना आबंटन में वृद्धि के बावजूद विभाग ने दीर्घकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जबकि अल्प–कालीन उपायों में संविदा की अनियमित प्रदत्तता, बाढ़ कैलेण्डर का अनुपालन नहीं किया जाना, निष्क्रिय, आधिक्य एवं निष्फल व्यय आदि कमियाँ शामिल थी। आवश्यक मानव–बल की भी कमी थी एवं विभाग 1535 किमी के तटबंध के निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 614.7 किमी ही निर्माण कर सका।

1.5.1.2 बिहार के वृहत् जिला पथ

वृहत् जिला पथ (वृ.जि.प.) आधारभूत संरचना के युग्मक हैं जो कि उत्पादन क्षेत्र एवं शहरों के अंदर के बाजार से लोगों के आसान आवागमन प्रदान करते हैं तथा बड़े शहरों, गांवों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय एवं राजकीय पथों से जोड़ने का काम करते हैं। वृहत् जिला पथों की निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना का अभाव, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन एवं मानव बल तैनाती तथा न्यून कार्यक्रम क्रियान्वयन के मामलों को उजागर किया।

1.5.2 कार्यक्रमों/गतिविधियों पर दीर्घ कंडिकाएँ

वर्तमान प्रतिवेदन में तीन दीर्घ कंडिकाएँ यथा पटना विश्वविद्यालय का कार्यकलाप, राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण तथा बिहार में औद्योगिक उद्देश्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन शामिल है। अनुवर्ती कंडिकाओं में इन लेखापरीक्षाओं के मुख्याकर्षण वर्णित हैः

1.5.2.1 पटना विश्वविद्यालय का कार्यकलाप

पटना विश्वविद्यालय (प.वि.), बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, की स्थापना वर्ष 1917 में, राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हुई थी। वर्त्तमान में इसमें 31 स्नातकोत्तर विभाग (पी.जी.), चार संस्थान[6] तथा छः संबद्ध इकाईयाँ[7] थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दस अंगीभूत महाविद्यालय थे। स्नातकोत्तर

[6] *पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, संगीत संस्थान, मनोविज्ञानी अनुसंधान एवं सेवा संस्थान एवं लोक प्रशासन संस्थान।*

[7] *केन्द्रीय औषधालय, कम्प्यूटर केन्द्र, अतिथिशाला, प.वि.केन्द्रीय पुस्तकालय, प.वि.प्रेस एवं कार्य विभाग।*

विभागों, महाविद्यालयों तथा संस्थानों में छात्रों की मौजूदा संख्या 18 हजार से ज्यादा थी। शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 1004 के विरूद्ध 448 शिक्षक कार्यरत थे। वर्त्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित मानक 1:10 से 1:30 के विरूद्ध, 1:42 था। पटना विश्वविद्यालय का कार्यकलाप वर्तमान वित्तीय कुव्यवस्था से प्रभावित था जैसा कि विश्वविद्यालय निधि के असंधारण, वार्षिक लेखे के तैयार नहीं किए जाने, रोकड़पंजियों के असंधारण, वि.वि.अनु.आ. निधियों के अल्प–उपयोग/व्यपगत होने एवं आंतरिक नियंत्रण के अभाव से परिलक्षित था। निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का अभाव था एवं संवेदकों को अदेय लाभ प्रदान किया गया था। इसके अलावा, प्रशासन की ओर से वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप परिहार्य दायित्त्व का बोझ बढ़ा।

1.5.2.2 राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)

जुलाई 2009 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जनवरी 2010 में बिहार में राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन किया गया। कैम्पा के उद्देश्य थे; (क) प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा प्रबंधन (ख) सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं बाहर वन्य प्राणियों एवं उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन (ग) क्षतिपूरक वनरोपण (घ) कृषि वानकी, पर्यावरण सेवाएँ जैसे चारागाह, पर्यटन वन्य जीव सुरक्षा एवं जीवन रक्षण का प्रोत्साहन (च) शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। योजना का पहलू त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वा.का.यो. नहीं बनाए गए या देर से बनाए गए एवं तदर्थ कैम्पा द्वारा वार्षिक कार्य योजना को सुनिश्चित किए बिना राशि विमुक्त की गयी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त प्रस्तावों की वस्तुस्थिति पर निगरानी रखी जा सके। पुनः अव्यवहृत क्ष.पू. राशि कैम्पा में जमा नहीं किये जाने के कारण राज्य पर्यावरण कार्यक्रमों में राशि के उपयोग से वंचित रह गया। कैम्पा निधियों से कृषि वानिकी तथा शोध कार्य नहीं किये गये। कैम्पा द्वारा राज्य में किए जा रहे कार्यों के संगामी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया। इस प्रकार कैम्पा द्वारा प्राकृतिक वनों के संवर्द्धन, संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

1.5.2.3 बिहार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन

वर्ष 2003 में पुनर्गठन के उपरांत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अस्तित्व में आया जो भूमि की योजना, अधिग्रहण, विकास, रखरखाव एवं आबंटन के लिए जिम्मेवार था। बिहार में औद्योगिक उद्दश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन के लेखा परीक्षा मूल्यांकन ने उजागर किया कि राज्य सरकार ने अधिग्रहण के लिए दीर्घकालीन योजना तथा भूमि आवंटन के लिए कोई पारदर्शी नीति निर्मित नहीं किया था जबकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के लागू किए जाने के पश्चात औद्योगिक भूमि की मांग बढ़ी थी। यद्यपि, औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार ने सार्थक पहल के साथ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 घोषित किया तथापि राज्य में भूमि अधिग्रहण तथा औद्योगिक संरचना के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना नहीं थी। विभाग के साथ–साथ प्राधिकार स्तर पर भूमि अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। अधिग्रहित भूमि का उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा रहा था तथा उद्यमियों के पक्ष में अनियमित रूप से भूमियों को अधिसूचना से मुक्त किया गया था। गैर–औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूमि का आबंटन किया गया था, आबंटन में आबंटन मानकों का पालन नहीं किया गया था, भूमि का अनियमित हस्तानांतरण किया गया था

तथा अभिकरणों के पक्ष में भूमि के अभिलेखों में छेड़–छाड़ किया गया। भूमि दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया और बियाडा निधि का उचित प्रबंधन नहीं किया गया।

1.5.3 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विविध विकासात्मक योजनाओं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं स्थिति में सुधार से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग की समेकित लेखापरीक्षा ने विभाग की योजना, वित्तीय प्रबन्धन एवं कार्यक्रम प्रबन्धन में कमियों को प्रकट किया। विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी थी। जिला स्तर पर बिना अंतःसंरचना के विभाग की तदर्थ व्यवस्था के कारण अल्पसंख्यकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित हुई। विभाग ने अपनी स्थापना के बीस वर्ष उपरांत भी निदेशालय का गठन नहीं किया था और उसके पास स्वीकृत कार्यबल की पूर्ण क्षमता भी नहीं थी। विभाग ने वित्तीय प्रबंधन का अभाव था क्योंकि विभाग अपनी आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत का ही वितरण/उपयोग कर सका था। विभाग के अप्रभावी कार्यशीलन के कारण अल्पसंख्यकों की प्रत्येक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित नहीं हुई अथवा अंशतः कार्यान्वित हुई थी।

1.5.4 अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कमियों को, जिसने विभागों एवं संस्थानों के कार्यकलापों को प्रभावित किया था, मुख्याकर्षित करता है। इन्हें विस्तृत रूप से निम्न कोटियों में विभक्त किया जा सकता है:

- नियमों की अवमानना
- औचित्य लेखापरीक्षा/ आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय
- अनियमित, परिहार्य/गैरयुक्तिसंगत व्यय
- निरीक्षण/शासकीय विफलता

1.5.4.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमिताओं, दुर्विनियोजनों एवं जालसाजियों को बाधित करता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में नियमों और विनियमों की अवमानना पर ₹ 275.76 करोड़ के दृष्टांत शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

रोकड़ प्रबंधन से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने एवं अधिकारियों द्वारा अपने नियत कर्त्तव्यों के पालन में विफलता के कारण ग्रामीण कार्य विभाग को गुम बैंक ड्राफ्ट (₹ 0.89 करोड़) को प्रेषित नहीं करने एवं ब्याज की हानि (₹ 2.93 करोड़) के रूप में कुल ₹ 3.82 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 5.1.1)

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संहिता प्रावधानों का पालन नहीं करने एवं निगरानी विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण 12 विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में उपस्थिति नामावली पर ₹ 0.21 लाख का कपटपूर्ण भुगतान एवं ₹ 19.56 लाख का संदेहास्पद भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त जाली बीजकों पर ₹ 2.01 करोड़ का संदिग्ध भुगतान था।

(कंडिका 5.1.2)

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर एक ही मद की आपूर्ति के लिए दो बार विपत्र को पारित करने के परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को ₹ 4.78 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

(कंडिका 5.1.3)

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत औषधि क्रय में निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण एन्टी हेम्योफिलिक फेक्टर–VIII (ए.एच.एफ– VIII) दवा को उच्च दर पर क्रय करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97.20 लाख हानि।

(कंडिका 5.1.4)

समाज कल्याण विभाग में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत ₹ 268.71 करोड़ का म्युचुअल फंड में निवेश अविवेकपूर्ण रूप से बिना समुचित अनुश्रवण प्रणाली के बाजार के जोखिम पर किया गया था।

(कंडिका 5.1.5)

1.5.4.2 औचित्य लेखापरीक्षा/आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय

लेखापरीक्षा ने ₹ 1249.30 करोड़ के अनौचित्य एवं आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय के दृष्टांतों को उजागर किया, जिन्हें नीचे मुख्याकर्षित किया गया है:

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत अभिकरण द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ दिए जाने एवं विभाग द्वारा संविदा निरस्त नहीं किए जाने के कारण अपूर्ण पथ कार्यों पर ₹ 96.83 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

(कंडिका 5.2.1)

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत समुचित सर्वेक्षण के अभाव में एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पथ से आर–पार गुजरती नदियों पर पुल के निर्माण कार्य को शामिल नहीं किए जाने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनजुड़े बसावटों को संयोजकता प्रदान करने के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पथ निर्माण पर ₹ 1.18 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

(कंडिका 5.2.2)

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत अयोग्य संवेदकों को ₹ 853.45 करोड़ का काम अनियमित रूप से प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक रहा एवं पूर्णता की निर्धारित तिथियों से दो से 22 माह व्यतीत होने के बावजूद ₹ 119.77 करोड़ के व्यय के उपरांत भी एक भी पथ पूर्णरूपेण पूरा नहीं किया जा सका।

(कंडिका 5.2.3)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एक अयोग्य संवेदक को ₹ 232.79 करोड़ की संविदाएँ अनियमित रूप से प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप योजनांतर्गत परिकल्पित ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(कंडिका 5.2.4)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत निविदा अभिलेखों के पारदर्शी निरतारण में विभाग की असफलता के फलस्वरूप एक अयोग्य संयुक्त उद्यम (जे.वी.) अभिकरण को ₹ 157.59 करोड़ की संविदा अनियमित रूप से प्रदान की गयी।

(कंडिका 5.2.5)

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन में दवाओं एवं उपकरणों के अनियमित क्रय के फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.2.6)

पथ निर्माण विभाग द्वारा एक कार्य के पुनरीक्षित प्राकल्लन में मिट्टी के खनन स्थल की पुष्टि के बिना ही अतिरिक्त उठाव दूरी की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त अंतर भुगतान और संवेदक को अदेय सहायता प्रदान की गई।

(कंडिका 5.2.7)

जल संसाधन विभाग में कार्यारम्भ पूर्व भूमि अधिग्रहण किए बिना तथा बीच में ही बंद करने के फलस्वरूप अपूर्ण कार्यों पर ₹ 80.66 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ, इसके अलावा लक्षित लाभार्थियों को योजना में परिकल्पित वांछित लाभ नहीं मिला।

(कंडिका 5.2.8)

1.5.4.3 अनियमित/परिहार्य/गैर–युक्तिसंगत व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो। यह प्रभावी अनुश्रवण का अभाव दर्शाता है जो नियमों/विनियमनों के अनुपालन के प्रति जानबूझकर विचलन किए जाने को बढ़ावा दे सकता है जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य/अनौचित्यपूर्ण व्यय होते हैं। ₹ 172.53 करोड़ की ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत के अप्रभावी अनुश्रवण एवं निरूत्साही रवैया के कारण आंगनबाड़ी–केन्द्रों के भवन के विलम्बित निर्माण पर ₹ 30.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 5.3.1)

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों और एकरारनामा के सामान्य शर्तो के उल्लंघन करने के कारण ₹ 31.91 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम तथा ₹ 35.42 करोड़ के यांत्रिक अग्रिम का भुगतान निजी संवेदकों को किया गया।

(कंडिका 5.3.2)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत स्वजल धारा योजना एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित ₹ 8.20 करोड़ की राशि का ग्राम पंचायतों में असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ा रहना एवं संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने में अनिक्षा दिखाने, शासकीय धन की संभावित दुर्विनियोजन को इंगित करता था तथा साथ ही साथ उक्त योजनाओं के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके थे।

(कंडिका 5.3.3)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एकरारनामा एवं लोक निर्माण संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के विरूद्ध कार्यकारी एजेंसी को स्वीकृति के पाँच से आठ महीनों बाद ₹ 33.18 करोड़ का मोबलाईजेशन अग्रिम दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दिये गए अग्रिम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ एवं कार्यकारी एजेन्सी को अदेय सहायता प्राप्त हुई।

(कंडिका 5.3.4)

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संहिता के प्रावधानों तथा विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 75.95 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.3.5)

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (एस.एच.एस.) की दवा–दर–अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं होने के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता के कारण बिना गुणवत्ता परीक्षण के ₹ 25.07 करोड़ की दवाओं की खरीद एवं मरीजों के बीच उनका वितरण किया गया।

(कंडिका 5.3.6)

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ₹ 4.41 करोड़ के मशीनों/उपकरणों का उपयोग मरीजों के हितों के लिए नहीं किये गये थे तथा आवश्यक रासायनों/अभिकर्मकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय थे।

(कंडिका 5.3.7)

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य शुरू करने के पूर्व भौतिक मॉडल परीक्षण, समुचित अध्ययन एवं सर्वेक्षण किये बगैर कार्य आरम्भ करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹ 2.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई थी।

(कंडिका 5.3.8)

1.5.4.4 निरीक्षण/शासन में विफलता

जन समुदाय के जीवन को उन्नत करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, अंतःसंरचनात्मक विकास एवं उन्नयन आदि क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। हाँलांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समुदाय के लाभ के लिए सरकारी संपत्ति के सृजन के लिए सरकार द्वारा विमुक्त की गई कुल ₹ 922.23 करोड़ की राशि विभिन्न स्तरों पर अनिर्णय, प्रशासकीय निरीक्षण तथा एकताबद्ध कार्रवाई के अभाव में छः वर्षों तक अव्यवहृत/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक साबित हुई, जैसा नीचे वर्णित हैं:

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बिना समुचित योजना एवं क्रियान्वयन की व्यवस्था के ₹ 921.32 करोड़ की अविवेकपूर्ण निकासी की गई जो लक्षित उद्देश्य के विरूद्ध क्रियान्वयन एजेन्सियों के बैंक खाते में पड़ी थी।

(कंडिका 5.4.1)

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिलों में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों (वि.नव.शि.दे.इ.) का राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा योजना, समन्वय एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण अधिष्ठापित नहीं किया जा सका था एवं उनके इकाई हेतु क्रय किये गए ₹ 90.57 लाख के उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने से लक्षित आबादी वि.नव.शि.दे.ई. सुविधा से वंचित रही।

(कंडिका 5.4.2)

1.6 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 10 इकाईयों में ₹ 146.83 लाख[8] की वसूली की गयी।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का अभाव

1.7.1. लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अपर्याप्त अनुक्रिया

प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) (लेखापरीक्षा), बिहार विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सरकारी विभागों में लेन–देनों का आवधिक निरीक्षण एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रधान एवं उनके उच्चाधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित आपत्तियों का अनुपालन, करना त्रुटियों की तत्परता से सुधार करना और लेखापरीक्षा विभाग को अपना अनुपालन प्रतिवेदित करना है।

तथापि, वर्ष 2005–06 से 2011–12 के अवधि के दौरान 36 विभागों से संबंधित जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि 5300 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित 29830 कण्डिकाएँ अक्टूबर 2012 के अंत तक लंबित थी जैसा कि **तालिका सं. 1** में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या – 1

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कण्डिकाएँ

वर्ष के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कण्डिकाएँ								
	2005-06	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**कुल**
निरीक्षण प्रतिवेदन	696	810	766	980	1005	847	196	**5300**
कण्डिकाएँ	3870	4938	4204	5551	5609	4368	1290	**29830**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का वर्षवार तथा विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में उल्लिखित है।

ऐसी वृहत संख्याओं में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं का लंबित पड़े रहना सरकारी विभागों का लेखापरीक्षा अवलोकनों के प्रति अनुक्रियाशीलता का अभाव दर्शाता है।

1.7.2 व्याख्यात्मक (कृत–कार्रवाई) टिप्पणियों का असमर्पण

वित्त विभाग, बिहार सरकार की अनुदेश पुस्तिका (1998) यह प्रावधानित करती है कि संबंधित विभागों के सचिव लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर अपनी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ विधान सभा सचिवालय को समर्पित करेगें। इन टिप्पणियों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा किए बगैर लेखापरीक्षा में पूर्णतः जाँचोपरान्त एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण के दो माह के अन्दर समर्पित की जानी है। उनके द्वारा

[8] *₹ 17.06 लाख (प. नि. वि., पूर्णिया) + ₹ 25.72 लाख (प. नि. वि., बेतिया) + ₹ 22.00 लाख (प. नि. वि., नवादा) + ₹ 9.19 लाख (प. नि. वि., छपरा) + ₹ 0.09 लाख (वित्त विभाग, पटना) + ₹ 0.35 लाख (प्र. वि. पदा., त्रिवेणीगंज) + ₹ 1.00 लाख (प्र. वि. पदा., बसंतपुर) + ₹ 71.05 लाख (प्र. वि. पदा., छातापुर) + ₹ 0.22 लाख (आई टी आई, सीतामढ़ी) + ₹ 0.15 लाख (प्रा. स्वा. के., ग्वालपारा, मधेपुरा)*

उसमें यह भी इंगित किया जाना है कि किन परिस्थितियों एवं कारणों से ऐसी अनियमितताएँ घटित हुई और विहित मानकों से विचलन हुए तथा हानियों की प्रतिपूर्ति एवं ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गयी।

आगे लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिनियम (नवम्बर 2007) का अधिनियम 213 प्रावधानित करता था कि संघ, राज्य एवं संघ शासित राज्यों, जिसमें विधान सभा कार्यशील थे और जहाँ विधायी समितियाँ कार्यरत थीं अथवा जहाँ सरकार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा ''की गई कृत–कार्रवाई'' (ए.टी.एन.) की जाँच करवाना चाहे, वहाँ संबद्ध विभाग के सरकार के सचिवों को स्वव्याख्यायित कृत–कार्रवाई की प्रारूप टिप्पणी, दो प्रतियों में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को जाँचने हेतु संबंधित संचिकाओं एवं अभिलेखों के साथ, जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रतिपादित की गयी थी, अच्छी तरह से संदर्भित एवं संयुक्त कर भेजनी चाहिए थी। इसे उस समय सीमा के भीतर, जो लोक लेखा समिति द्वारा स्वव्याख्यापित कार्रवाई टिप्पणी को समर्पित करने हेतु विहित की गयी हो, संपादित किया जाना था।

यह देखा गया कि अक्टूबर 2012 तक 16 विभागों ने 2002–2011 के वर्षों से संबंधित पाँच समीक्षाओं एवं 39 कंडिकाओं के प्रति कृत–कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) समर्पित नहीं किया था ***(परिशिष्ट–1.2)***।

1.7.3. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमनों के विनियमन सं. 212 एवं 213 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के निपटारे को प्रावधानित करते हैं। विभागों को लोक लेखा समिति द्वारा उनके प्रतिवेदनों में किए गए अनुशंसाओं की तिथि से दो माह के भीतर लोक लेखा समिति को कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना था।

बिहार सरकार के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर लंबित कृत–कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) की समीक्षा से प्रकट हुआ कि नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान 408 कंडिकाओं के संबंध में, जिनमें 30 विभाग शामिल थे, लोक लेखा समिति प्रतिवेदनों से संबंधित कृत–कार्रवाई टिप्पणियाँ अक्टूबर 2012 तक लंबित पड़ी थी ***(परिशिष्ट–1.3)***।

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय–II

निष्पादन लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

2.1 *बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन*

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है जिसमें बिहार का 73 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र लगातार बाढ़ के चपेट में है। अधिकांश नदियाँ उत्तर बिहार में नेपाल के हिमालय क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश करती हैं ओर नेपाल के प्रवाह क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण नदी द्वारा वृहत् गाद लाए जाने के कारण नदी तल के स्तर में वृद्धि हो जाती है और परिणामतः बिहार में निरंतर बाढ़ का कारण बनती है जिससे कि लागों का जीवन, मवेशी एवं परिसंपत्तियाँ प्रभावित होती है।

(कंडिका 2.1.1)

योजना

बिहार गंगा नदी के बेसिन में अवस्थित है। गंगा बेसिन के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजनाएँ तैयार करने तथा महत्त्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजनाओं, खासकर केन्द्रीय सहायता के द्वारा क्रियान्वित होने वाली, के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) का गठन किया (अप्रैल 1972)। हालांकि, जल संसाधन विभाग (विभाग) ने दीर्घ कालीन योजना के तहत न तो फ्लड प्लेन जोनिंग बिल (एफपीजेडबी) विनियमित किया था और न ही क्षेत्र स्तरों पर बाढ़ पूर्व–सूचना केन्द्र ही स्थापित किया था, जबकि असंरचनात्मक उपायों के तहत् गंगा बाढ़ नियंत्रण केन्द्र (जीएफसीसी) ने इसे अनुशंसित (2004) किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा संरचनात्मक उपायों के रूप में डैमों के निर्माण के लिए न तो डीपीआर ही तैयार किए गए थे और न ही नदियों के अंतः जुड़ाव का कार्य या अवरोधन कुण्ड का सृजन ही किया गया था, जैसा कि गंगा बाढ़ नियंत्रण केन्द्र ने बिहार के लिए व्यापक योजना में वर्ष 1986 से 2005 के दौरान परिकल्पित किया था।

(कंडिका 2.1.6.1)

वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्य राज्य योजना, नाबार्ड, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा नेपाल भाग में कोशी नदी के लिए केन्द्रीय योजनागत योजना (पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त) के तहत उपलब्ध निधि के माध्यम से किया था। हाँलांकि वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग योजनाओं को विलंबित स्वीकृति/अस्वीकृति, भू–अधिग्रहण में विलंब, स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यवधान तथा कोषागारों द्वारा विपत्र पारित नहीं किए जाने के कारण उपलब्ध निधि का 11 से 44 प्रतिशत तक उपयोग करने में विफल रहा। प्रत्येक वर्ष विभाग वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण करता था तथा वित्त विभाग को कुल ₹ 1098.18 करोड़ अभ्यर्पित किया था। साथ ही, वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 47.47 करोड़ के 30 आबंटन प्रमंडलों को निर्गत किया था।

(कंडिका 2.1.7)

बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने कटाव निरोधक कार्य (क.नि.), विद्यमान तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नये तटबंधों का निर्माण तथा जमींदारी बाँधों का पुर्नस्थापन इत्यादि कार्यों जैसी लघु कालीन उपायें मात्र क्रियान्वित किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रत्येक बाढ़ मौसम के दौरान बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का क्रियान्वयन भी किया था। हालांकि बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि विभाग का निविदा प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था, जैसा कि नमूना जाँचित 16 प्रमंडलों में निविदाओं का सीमित प्रकाशन, अपात्र संवेदकों को कार्य का आबंटन, किसी खास संवेदक का पक्ष लिए जाने के कारण सरकार को हानि तथा बागमती विस्तार योजना के कार्यान्वयन में प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं उठाये जाने के कारण ₹ 103 करोड़ की हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, बाढ़ कैलेण्डर का अनुपालन नहीं किया जाना (44 प्रतिशत), एकरारनामा करने में विलंब तथा संहित प्रावधानों के उल्लंधन में बाढ़ अवधि के दौरान कार्यों को कराये जाने के अलावे निरर्थक व्यय (नमूना जाँचित चार प्रमंडलों में ₹ 68.50 करोड़), अधिक भुगतान (नमूना जाँचित दो प्रमंडलों में ₹ 6.25 करोड़) तथा अलाभकारी व्यय (₹ 20.21 करोड़) जैसी अन्य त्रुटियाँ भी थीं। जबकि अलाभकारी व्यय मुख्यतः तकनीकी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को नहीं मानने तथा कटाव निरोधक कार्यों का विलंवित/अपूर्ण क्रियान्वयन के कारण तथा अधिक व्यय उच्चतर दर पर भुगतान किए जाने के कारण हुआ था। नमूना जाँचित दो प्रमंडलों में जमींदारी व्यय को अधूरे छोड़ दिए जाने, बंद/स्थगित किए जाने के परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय हुए थे। साथ ही, विभाग 1535 कि.मी. तटबंध के लक्ष्य, जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि (2007–12) में परिकल्पित था, के विरूद्ध मात्र 61.47 कि.मी. तटबंध में वृद्धि कर पाया था। ***(कंडिका 2.1.8.2 एवं 2.1.9)***

मानव बल प्रबंधन

चूँकि नमूना जाँचित 16 प्रमंडलों में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पद में क्रमशः 27 एवं 39 प्रतिशत की रिक्ति थी जबकि बाँध खलासी एवं वर्क सरकार के पद में क्रमशः 84 एवं 81 प्रतिशत की रिक्तियाँ थी, अतः विभाग में न्यूनतम आवश्यक कर्मियों की कमी थी। ***(कंडिका 2.1.10)***

निष्कर्ष

वर्ष 2008 के बाद योजना उपबंध में वृद्धि के बावजूद विभाग ने दीर्घ कालीन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया, राज्य में फ्लड प्लेन जोनिंग बिल विनियमन को अनदेखा किया गया था तथा पूर्णतः लघु कालीन उपायों पर आश्रित था। वित्तीय प्रबंधन अप्रभावकारी था तथा योजनाओं की विलंबित/अस्वीकृति, भू–अधिग्रहण में विलंब एवं वर्ष 2007–12 के दौरान कोषागारों द्वारा विपत्र पारित नहीं किए जाने के कारण उपलब्ध निधि के कम उपयोग (11 से 44 प्रतिशत) से बाधित था जबकि लघु कालीन उपायों का कार्यान्वयन भी निविदाओं का अनियमित सौंपा जाना, बाढ़ कैलेण्डरों का अनुपालन नहीं किया जाना, निरर्थक व्यय, अधिक भुगतान, सरकार को हानि इत्यादि जैसी त्रुटियों से भी भरे हुए थे। विभाग में न्यूनतम आवश्यक कर्मियों की कमी भी बाढ नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन को प्रभावित किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ग्यारहवीं योजना अवधि में निर्धारित 1535 कि.मी. तटबंध के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 61.47 कि.मी. ही निर्मित कर सका था। साथ हीं, वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य को बाढ़ के कारण अत्यधिक हानि उठानी पड़ी जबकि इसी अवधि के दौरान बाढ़ सहायता पर वृहत राशि व्यय की गई थी। इस प्रकार, अप्रभावी लघु कालीन उपायों पर विभाग का आश्रित रहना राज्य में निरंतर बाढ़ के साथ–साथ इससे हुई तबाही का समाधान मुहैया नहीं करा सका।

(कंडिका 2.1.13)

अनुशंसाएँ

संरचनात्मक एवं असंरचनात्मक उपायों के कार्यान्वयन का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण करते हुए विभाग को राज्य के लिए एक युक्तिसंगत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तैयार एवं लागू करना चाहिए। पर्याप्त फ्लड कुशन के प्रावधान के साथ जलाशय तथा प्राकृतिक अवरोधन कुण्ड जैसी दीर्घ कालीन टिकाऊ उपायों के साथ–साथ तटबंध जैसी लघु कालीन उपायों के एक समुचित मेल से संरचनात्मक उपाय होनी चाहिए। फ्लड प्लेन जोनिंग बिल का अध्यादेशन, बाढ़ पूर्व–सूचना एवं सचेतन पद्धति लागू करने, आपदा की तैयारी तथा योजनाओं पर अनुक्रियाशीलन इत्यादि असंरचनात्मक उपयों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। प्रभावी अनुश्रवण के साथ–साथ अविलंब आदर्शतम स्तर तक न्यूनतम आवश्यक कर्मियों की तैनाती करते हुए योजनाओं का ससमय समापन को दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

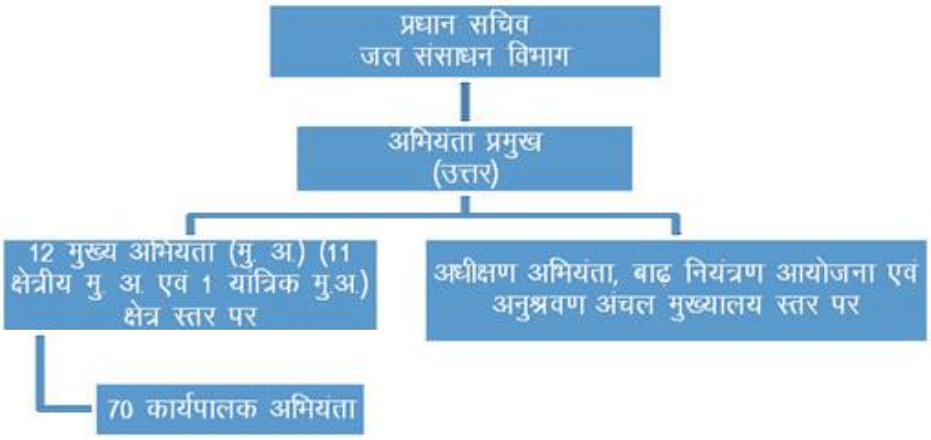
(कंडिका 2.1.14)

2.1.1 प्रस्तावना

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है जिसमें बिहार का 73 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र (अर्थात कुल 94.16 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 68.80 लाख हेक्टेयर) प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में है। हाँलांकि, भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.50 प्रतिशत बिहार में पड़ता है। बिहार में बाढ़ एक निरंतर आपदा है जिसमें न केवल जान–माल वरन् संपत्तियाँ एवं मवेशी की भी क्षति होती है। अधिकांश नदियाँ[1] उत्तर बिहार में नेपाल के हिमालय क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश करती है और नेपाल के प्रवाह क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण नदी द्वारा वृहत् गाद लाए जाने के कारण नदी तल के स्तर में वृद्धि हो जाती है और परिणामतः बिहार में निरंतर बाढ़ का कारण बनती है।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित जल संसाधन विभाग का संगठनात्मक स्वरूप निम्नानुसार है :



राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (ज सं. वि.) के प्रधान सचिव, राज्य में किये जाने वाले बाढ़ आपदा को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन हेतु समग्र रूप से जिम्मेवार हैं। उन्हें अभियंता प्रमुख (उत्तर), बाढ़ नियंत्रण आयोजना एवं अनुश्रवण अंचल (बा. नि. नि. अ. अ.) के द्वारा सचिवालय स्तर पर तथा 12 मुख्य

[1] *बागमती, गंडक, घाघरा, कमला बलान, कोशी इत्यादि।*

अभियंताओं (11 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं एक यांत्रिक मुख्य अभियंता), 31 अधीक्षण अभियंता तथा 70 कार्यपालक अभियंताओं द्वारा क्षेत्र स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी अनुशंसा प्रदान करने हेतु तीन समितियाँ[2] तथा प्रत्येक वर्ष की जाने वाली कार्यों के निस्तार हेतु तकनीकी एवं वित्तीय महत्ता के संदर्भ में सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना समिक्षा समिति विभाग में कार्यरत है।

2.1.3 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों का आकलन करना था, कि क्या :

- निरंतर बाढ़ के जोखिम का सामना करने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक दीर्घकालीन योजना, मध्य कालीन एवं लघु कालीन वार्षिक योजना बनाई है तथा योजनाएँ प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन की गई थी ;
- उपलब्ध कराई गई निधि/बजटीय सहायता आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त थी तथा प्रभावकारी एवं दक्षता पूर्ण ढंग से इसका उपयोग किया गया था;
- बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव से संबंधित परियोजनाएँ/योजनाओं का प्रतिपादन प्रभावकारी एवं आवश्यकता आधारित तथा मितव्ययी एवं दक्ष था ;
- बिहार में बाढ़ से बचाव एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त मानव बल उपलब्ध थे ;
- बाढ़ नियंत्रण उपायों का प्रभाव जान माल की क्षति को कम करने में प्रभावी था; तथा
- अनुश्रवण एवं नियंत्रण पद्धति पर्याप्त एवं प्रभावकारी थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को मापदंड के रूप में व्यवहृत किया गया:

- राज्य सरकार के बाढ़ प्रबंधन नियमावली, 2003;
- भारत सरकार द्वारा निर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (बा.प्र.का.) का दिशानिर्देश;
- बिहार लोक कार्य लेखा संहिता (बि.लो.का.ले.स.) तथा बिहार लोक कार्य विभाग संहिता (बि.लो.का.वि.सं.);
- बजट आकलन; तथा
- निधि के निर्गमन एवं कार्यों के आबंटन से संबंधित नियम एवं शर्त्ते।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

अभियंता प्रमुख (उत्तर) तथा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं अनुश्रवण अंचल का सचिवालय स्तर पर तथा तीन मु.अ.[3] (12 में से), छः अधी.अभि.[4] (31 में से), 16

2 *गंडक नदी पर बाढ़ नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करने के लिए गंडक उच्च स्तरीय समिति (ग.उ.स्त.स.), कोशी नदी के लिए कोशी उच्च स्तरीय समिति (को.उ.स्त.स.) तथा अन्य नदियों के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (रा.त.स.स.)।*

3 *भागलपुर, बीरपुर एवं मुजफ्फरपुर*

4 *बैरज अंचल, वीरपुर, सिंचाई अंचल, भागलपुर, शीर्ष कार्य अंचल, सीतामढ़ी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज तथा महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार*

प्रमंडलीय कार्यालय[5] (70 में से) के साथ–साथ इन प्रमंडलों के अधीनस्थ अवर प्रमंडलों का वर्ष 2007–12 से संबंधित अभिलेखों का नमूना जाँच अप्रील से अगस्त 2012 तथा पुनः अक्टूबर 2012 में किया गया। नमूना जाँचित प्रमंडलों का चयन रैंडम सैंपलिंग के लिए प्रोबेबलिटी प्रोपोशनेट टू साइज विथ रिपलेसमेंट विधि को अपनाकर की गयी थी। लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली में अभिलेखों की जाँच, प्रश्नावलियों का निर्गमन, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत आपत्तियों के संदर्भ में विभाग के उत्तर इत्यादि शामिल थे। लेखापरीक्षा का उद्देश्य, इसकी कार्यप्रणाली, क्षेत्र, विस्तार को वर्णन करने एवं विभागीय विचारों को शामिल करने के उद्देश्य से अप्रैल 2012 में विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक अंतरगमन सम्मेलन आयोजित किया गया। 1 फरवरी 2013 को जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सरकार के विचार/उनके उत्तर प्राप्त किए गए तथा समुचित जगहों पर इन्हें समाविष्ट किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 योजना



[5] *बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल – 1, झंझारपुर, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ढकराहा – गोपालगंज, चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल, जल पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया, जल पथ प्रमंडल, जहानाबाद, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, कुनौली, पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल – 2, आरा तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल – 2, खगड़िया।*

चूँकि बिहार से बहने वाली नदियाँ अंततः गंगा नदी के साथ मिल जाती है अतः बिहार गंगा बेसिन में पड़ता है। गंगा बेसिन के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजनाएँ तैयार करने तथा महत्त्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजनाओं, खासकर केन्द्रीय सहायता के द्वारा क्रियान्वित होने वाली, के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए भारत सरकार (भा.स.) ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) का गठन किया (अप्रैल 1972)। जीएफसीसी की व्यापक योजनाओं तथा अनुशंसाओं की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि दो प्रकार के बाढ़ नियंत्रण उपाय, यथा दीर्घ एवं लघु कालीन उपायें प्रत्येक नदी में किए जाने के लिए अनुशंसित की गई थीं।

2.1.6.1 दीर्घ कालीन उपाय

जीएफसीसी की अनुशंसा के अनुरूप विभाग द्वारा दीर्घ कालीन उपायों के तौर पर असंरचनात्मक एवं संरचनात्मक दीर्घ कालीन उपाय किए जाने थे। असंरचनात्मक एवं संरचनात्मक उपायों के तहत जीएफसीसी की अनुशंसायें तथा विभाग द्वारा की गई कारवाई उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

- *असंरचनात्मक उपाय*

फ्लड प्लेन जोनिंग बिल को अध्यादेशित करने में विभाग विफल रहा

असंरचनात्मक संरचनाओं के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था की सहायता से विकासात्मक क्रियाकलाप को नियंत्रित करने के लिए जीएफसीसी ने सभी नदियों हेतु फ्लड प्लेन जोनिंग बिल[6] (एफपीजेडबी) को विनियमित करने के लिए अनुशंसित (2004) किया था। आगे, अनाच्छादित क्षेत्रों में बाढ़–पूर्वसूचना इकाई की स्थापना करना सरकार से अपेक्षित था तथा नेपाल भू–भाग में भी बाढ़–पूर्वसूचना स्थल को खोले जाने की संभावना तलाशना था जिससे कि आने वाले बाढ़ का मुकाबला करने में अपेक्षित उपायों के लिए वृहत् समय बचा रह पाये।

संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि विभाग ने किसी भी नदी प्रणाली में एफपीजेडबी को अध्यादेशित नहीं किया था (अगस्त 2012)। आगे नमूना जाँच किए गए सभी 16 प्रमंडलों में ज्ञात हुआ कि क्षेत्र स्तर पर बाढ़–पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे (नवंबर 2012)। विभाग ने बिल अध्यादेशित नहीं करने को न्यायसंगत बताया (नवंबर 2012) और कहा कि राज्य के विकास में यह व्यवधान उत्पन्न करने वाला और अव्यवहारिक था। उत्तर जीएफसीसी के अनुशंसाओं के समर्थन में नहीं था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडलों[7] में कटाव निरोधक कार्यो के साथ–साथ नये बाँधों के निर्माण तथा उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य एफपीजेडबी के अध्यादेशित नहीं होने के कारण बाधित हुआ। अतः, एफपीजेडबी के अध्यादेशित नहीं किए जाने के कारण विकासात्मक कार्यकलाप वास्तव में बाधित हुआ और एफपीजेडबी अध्यादेशित नहीं किए जाने के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण सही नहीं था।

- *संरचनात्मक उपाय*

राज्य में बाढ़ की भयावहता के रोक–थाम हेतु संरचनात्मक उपायों के तहत् दीर्घ कालीन योजना के रूप में जीएफसीसी ने नदियों के आर–पार फ्लड कुशन के साथ डैमों का निर्माण, नदियों का आपसी जोड़ तथा डिटेंशन बेसिन इत्यादि के निर्माण हेतु अनुशंसा की थी।

6 *लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आबादी का बसना/महत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के सृजन को अनुत्साहित करने के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग अधिनियम को लागू करना*

7 *बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं 1, झंझारपुर, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा–गोपालगंज, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार, चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी*

डैम का निर्माण

डैम का निर्माण नहीं हुआ यद्यपि जीएफसीसी ने इसे वर्ष 1986 से ही अनुशंसित किया था

नदियों में गाद के जमावट को कम करने तथा जल प्रवाह नियंत्रित करने हेतु जीएफसीसी ने अपने व्यापक योजना में निम्नलिखित फ्लड कुशन के साथ डैम के निर्माण हेतु अनुशंसा किया था :

(i) कोशी की सहायक नदियों के साथ–साथ बराह क्षेत्र में एक डैम (1986),
(ii) बागमती नदी पर नेपाल के नूनथोर में पर्याप्त फ्लड कुशन के साथ एक जलाशय (1991),
(iii) गंडक नदी पर नेपाल में तीन डैम (2004) तथा
(iv) कमला बलान नदी पर नेपाल के शीशापानी में एक बहुद्देशीय जलाशय (2005)

हाँलांकि, विभाग ने उक्त प्रस्तावित डैमों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तक तैयार नहीं किया था। उत्तर में विभाग ने बताया (नवंबर 2012) कि उच्च डैम नेपाल भूभाग में निर्मित किए जाने हैं और इसे प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है। हांलाकि यह भी बताया गया कि बागमती, कमला बलान एवं कोशी नदियों पर प्रस्तावित डैम की संभावना पर अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त परियोजना कार्यालय, विराटनगर (नेपाल) में वर्ष 2004 में स्थापित की गई तथा बराह क्षेत्र पर बाँध का डीपीआर फरवरी 2013 तक निर्मित होना अनुमानित था। उत्तर अपर्याप्त था क्योंकि बाढ़ की भयावहता रोकने के लिए दीर्घकालीन योजना अभी भी पूरा नहीं हो पाया।

नदियों का परस्पर जुड़ाव

नदियों के परस्पर जुड़ाव हेतु डीपीआर नहीं तैयार किया गया था

जीएफसीसी के व्यापक योजना में नदियों के परस्पर जुड़ाव भी परिकल्पित थे। इसके अतिरिक्त, जल आधिक्यता वाली नदियों के जल को कम जल वाले नदियों में स्थानान्तरित करने के लिए नदियों के पारस्परिक जुड़ाव हेतु राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना में इस राज्य से संबंधित संपर्क नहरों के लिए 15 परस्पर जुड़ाव योजनाओं को डीपीआर निर्माण हेतु चिह्नित किया गया था (मई 2006)। इन 15 योजनाओं में से चार[8] बाढ़ क्षेत्र के लिए बाढ़ रोकथाम योजनाओं के रूप में विशिष्ट तौर पर चिह्नित की गई थीं। इन योजनाओं के लिए डीपीआर का निर्माण कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्लूडीए) को मई 2006 में सौंपा गया था ***(परिशिष्ट–2.1.1)***। इन चार अंतः–जुड़ाव योजनाओं में से तीन योजनाओं[9] के लिए डीपीआर का कार्य दिसम्बर 2012 तक पूरा किया जाना था। हाँलांकि, विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2012) कि तीन अंतः जुड़ाव योजनाओं का निर्माण कार्य जारी था एवं दिसम्बर 2013 तक समाप्त किया जाना संभावित है तथा शेष एक अंतः–जुड़ाव योजना के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी पी आर) एनडब्लूडीए द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) को समर्पित की गई है। आगे ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 तक न तो कोई आबंटन और न ही बजट प्रावधान तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त, बूढ़ी गंडक–नून–वाया–गंगा नदी लिंक के लिए वर्ष 2011–12 में किए गए ₹ 83.25 करोड़ के बजट प्रावधान, अवधि के दौरान अव्ययित रहने के कारण, अभ्यर्पित कर दिए गए (अगस्त 2011 : ₹ 80 करोड़ तथा मार्च 2012 : ₹ 3.25 करोड़)।

उत्तर में विभाग ने बताया (नवंबर 2012) कि एनडब्लूडीए, जो कि भारत सरकार की सोच है, को नदियों के अंतः–जुड़ाव के लिए डीपीआर बनाने के लिए अधिदेशित था।

[8] *कोहरा–चंद्रावत लिंक (बूढ़ी गंडक–गंडक), बूढ़ी गंडक–नून–वाया गंगा लिंक, कोशी–गंगा लिंक तथा बेलवाधार के माध्यम से बागमती–बूढ़ी गंडक लिंक।*

[9] *कोहरा–चंद्रावत लिंक (बूढ़ी गंडक–गंडक), बूढ़ी गंडक–नून–वाया गंगा लिंक, कोशी–गंगा लिंक।*

अतः डीपीआर का निर्माण नहीं किया जाना भारत सरकार की विफलता थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2010–11 तक इस कार्य के लिए बजट प्रावधान तक नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार द्वारा डीपीआर के निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई सकल राशि विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर दी गई।

अवरोधन कुण्ड

विभाग द्वारा अवरोधन कुण्ड के निर्माण हेतु न तो क्षेत्र चिह्नित किए गए न ही किसी प्रमंडल को राशि विमुक्त की गई

अवरोधन कुण्ड का निर्माण सामान्यतः प्राकृतिक दवाब/दलदल एवं झीलों का उपयोग करते हुए किया जाता है जिसमें संग्रहित जल की विमुक्ति को विनियमित करने के लिए बाँधों के घेरे का निर्माण तथा उपयुक्त उपाय करते हुए उनके जल अवरोधन एवं संग्रहण क्षमता में सुधार करना होता है। जीएफसीसी ने अपनी अनुशंसाओं में मुख्य गंगा नदी व्यवस्था में प्रमुख बाढ़ अवरोधन कुण्ड के रूप में मोकामा टाल के प्राकृतिक अवरोधन कुण्ड के उपयोग हेतु सलाह दिया था। तदनुरूप, विभाग को संग्रहित बाढ़ के पानी को अवरोधन कुण्ड के निर्माण हेतु अन्य नदियों में भी उपयुक्त स्थल का चयन करना था जो कि बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता।

यह उपाय भी विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था चूँकि न तो उन्होंने इसके लिए कोई स्थल का चयन किया था और न ही वर्ष 2007–12 के दौरान किसी भी प्रमंडल को अवरोधन कुण्ड के निर्माण हेतु राशि विमुक्त किया था। विभाग ने संसुचित किया (अगस्त 2012) कि अवरोधन कुण्ड के निर्माण से संबंधित डीपीआर मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन था और दिसम्बर 2012 तक तैयार होगा। हांलाकि, सरकार से इस संबंध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई (फरवरी 2013)।

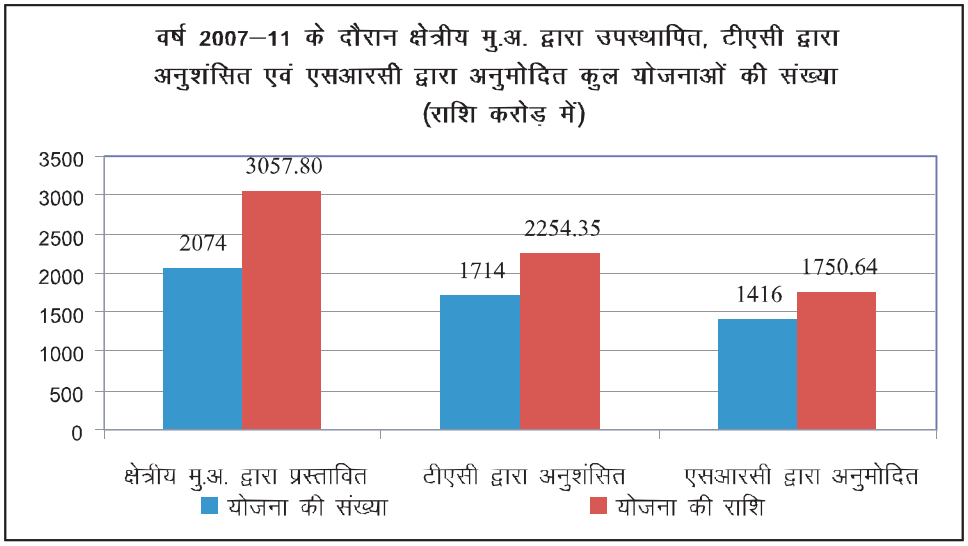
2.1.6.2 लघु कालीन उपाय

लघु कालीन उपाय के तहत जीएफसीसी ने तटबंध रहित नदियों के भाग में नए तटबंधों का निर्माण तथा तटबंधों को क्षरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के कटाव निरोधक कार्य[10] करते हुए विद्यमान तटबंधों को सुरक्षित रखने की अनुशंसा की थी। बाढ़ प्रबंधन नियमावली, 2003 के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के बाढ़ की स्थिति के आधार पर वास्तविक आकलन के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (मुअ.) को कटाव निरोधक कार्यों के लिए योजना तैयार करनी थी तथा इसे तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के समक्ष उनकी अनुशंसाओं के लिए प्रस्तुत किया जाना था। तत्पश्चात, योजना समीक्षा समिति (एसआरसी) टीएसी के द्वारा अनुमोदित योजनाओं में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजनाओं को उपलब्ध निधि के अधीन प्राथमिकता के तहत चयन करती थी। वर्ष 2007 से 2011[11] के बाढ़ पूर्व अवधि (वर्ष 2008 को छोड़कर चूँकि यह विभाग में उपलब्ध नहीं था) के दौरान मु.अ. द्वारा प्रस्तावित, टीएसी द्वारा अनुशंसित तथा अंततः एसआरसी द्वारा अनुमोदित कुल कार्य की विवरणी **आरेख सं. 1** में इंगित है।

10 *तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, स्पर/स्टड/रिभेटमेंट का निर्माण इत्यादि।*

11 *''बाढ़ पूर्व 2007'' का कार्य वर्ष 2007–08 के दौरान कार्यान्वित किए गए इसीप्रकार 2011 का बाढ़ पूर्व कार्य वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वित किए गए।*

आरेख सं. 1



(स्रोतः योजना समीक्षा समिति का प्रतिवेदन)

एसआरसी ने क्षेत्रीय मु. अ. के 32 प्रतिशत बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के प्रस्ताव में कटौती किया

आरेख सं. 1 से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2007–11 के बाढ़ पूर्व अवधि के दौरान (वर्ष 2008 को छोड़कर) क्षेत्रिय मु. अ. ने ₹ 3057.80 करोड़ की कुल 2074 बाढ़ नियंत्रण कार्यों की योजनाएँ टीएसी को समर्पित किया था। जिसमें से टीएसी ने कुल ₹ 2254.35 करोड़ के 1714 कार्य अनुशंसित किया तथा अंततः एसआरसी द्वारा ₹ 1750.64 करोड़ की लागत पर 1416 कार्य अनुमोदित किया गया। क्षेत्रीय मु. अ. के प्रस्तावों के विरूद्ध एसआरसी द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की संख्या में 32 प्रतिशत की कटौती की गई थी जबकि राशि के रूप में यह कटौती 43 प्रतिशत की थी। योजनाओं के कटौती/हटाये जाने का कारण टीएसी या एसआरसी द्वारा नहीं उल्लेखित किया गया था।

उत्तर में विभाग ने बताया (नवंबर 2012) कि खास वित्तीय वर्ष के लिए बजट उपबंध के आधार पर एसआरसी द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बाढ़ प्रबंधन नियमावली, 2003 की कंडिका 4.9.3 के अनुसार योजनाओं की तैयारी स्थल के समुचित जाँच के बाद संबंधित मु. अ., एक अन्य मु. अ. तथा मुख्यालय स्तर के एक अधीक्षण अभियंता को मिलाकर बने हुए कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा पर की जाती है और इस अवधि के दौरान उपलब्ध निधि के विरूद्ध लगातार बचत था। इस प्रकार, एसआरसी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति का निर्णय उचित नहीं था।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्य (शीर्ष 4711) राज्य योजना, नाबार्ड, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) तथा नेपाल भाग में कोशी नदी के लिए केन्द्रीय योजनागत योजना (पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त) के तहत उपलब्ध निधि के माध्यम से किया था।

2.1.7.1 कार्य व्यय (योजना शीर्ष – 4711)

वर्ष 2007–12 के दौरान जल संसाधन विभाग के द्वारा इस शीर्ष के तहत उपलब्ध कराए गए बजट प्रावधान, कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधि, व्यय की गई राशि तथा की गई बचत **तालिका सं. 1** में दर्शाई गई है।

तालिका सं. 1

योजना शीर्ष के तहत बजट प्रावधान, व्यय, अभ्यर्पण तथा व्यपगत राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	बचत		कुल बचत (प्रतिशत)
				अभ्यर्पण	व्यपगत	
2007-08	399.42	232.71	221.97	10.74	166.71	177.45 (44)
2008-09	900.71	613.35	539.18	361.52	0.01	361.53 (40)
2009-10	1124.14	895.15	758.98	365.16	0	365.16 (32)
2010-11	931.51	745.16	705.47	226.04	0	226.04 (24)
2011-12	1271.39	1136.67	1136.67	134.72	0	134.72 (11)
कुल	**4627.17**	**3623.04**	**3362.27**	**1098.18**	**166.72**	**1264.90 (27)**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत)

तालिका सं. 1 से द्रष्टव्य है कि बजट प्रावधान के विरूद्ध विभाग की बचत 11 से 44 प्रतिशत तक थी तथा वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 166.72 करोड़ व्यपगत हो गये। बचत के मुख्य कारण योजनाओं का विलम्ब से/स्वीकृत नहीं किया जाना, भू–अधिग्रहण में विलंब, स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यवधान तथा कोषागारों द्वारा विपत्र को पारित नहीं किया जाना था। आगे, नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में निधि का आबंटन एवं व्यय **तालिका सं. 2** में दिया गया है।

तालिका सं 2

नमूना–जाँचित प्रमंडलों में आबंटन, व्यय तथा बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	बचत		कुल बचत (प्रतिशत)
			अभ्यर्पण	व्यपगत	
2007-08	124.66	114.46	9.91	0.29	10.20 (8)
2008-09	162.27	157.15	5.12	0.00	5.12 (3)
2009-10	489.50	401.57	87.93	0.00	87.93 (18)
2010-11	414.93	366.26	48.67	0.00	48.67 (12)
2011-12	632.87	542.95	87.05	2.87	89.92 (14)
कुल	**1824.23**	**1582.39**	**238.68**	**3.16**	**241.84 (13)**

(स्रोत : नमूना जाँचित जिलों द्वारा प्रस्तुत)

विभाग के साथ–साथ नमूना–जाँचित प्रमंडलों में वित्तीय प्रबंधन में पाई गई त्रुटियों को निम्न कंडिकाओं में विवेचित किया गया है :

- ***वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण तथा त्रुटिपूर्ण अभ्यर्पण प्रतिवेदन***

बिहार बजट पुस्तिका के प्रतिकूल वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन वित्त विभाग को बचतों का अभ्यर्पण किया

बिहार बजट पुस्तिका, नियम 112 यह अनुबंधित करता है कि ''जब किसी इकाई या इकाईयों के लिए निश्चित रूप से अधिक व्यय करने की आवश्यकता पूर्वकल्पित न हो तब जैसे ही किसी बचत का पूर्वानुमान हो तो उसे तत्क्षण एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बगैर सभी पूर्वानुमानित बचतें सरकार को शीघ्रताशीघ्र अभ्यर्पित कर देनी चाहिए। भविष्य की अधिकाई व्यय की संभावना के लिए बचत को नहीं रखा जाना चाहिए।''

विभाग के वर्ष 2007–12 के आबंटन आदेश, अभ्यर्पण प्रतिवेदन की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि उक्त नियमों के प्रतिकूल विभाग ने प्रत्येक वर्ष वित्त विभाग को बचतों का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया था। आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने प्रमंडलों को कुल ₹ 1136.67 करोड़ आबंटित किया था तथा अभ्यर्पण प्रतिवेदन में सभी राशि व्यय के रूप में दर्शाई गई थी। हांलाकि नमूना–जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹ 87 करोड़ अभ्यर्पण एवं ₹ 2.87 करोड़ व्यपगत हुए थे। इस प्रकार, वर्ष 2011–12 से संबंधित विभाग का अभ्यर्पण प्रतिवेदन सही नहीं था तथा ऐसी भ्रामक प्रतिवेदन के लिए छानबीन करने एवं जिम्मेवारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।

उत्तर में विभाग ने अपने कार्यकलापों को सही बताते हुए कहा (फरवरी 2013) कि किसी भी वर्ष का मार्च एक पूर्ण कार्यकारी अवधि होती थी तथा इस महीने के अंतिम दिन तक व्यय करना पड़ा। उत्तर उपरवर्णित बजट पुस्तिका के नियमों के प्रतिकूल है क्योंकि जबतक वर्णित नियमों का पुनरीक्षण नहीं होता तब तक विभाग से बचत के पूर्वानुमान की उम्मीद की जाती है।

- ***राशि का विलंबित आबंटन***

बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान प्रमंडलों को मार्च महीने में आबंटन दिया

बिहार वित्तीय नियमवाली भाग 1 के नियम 472 में विर्निदिष्ट है कि ''प्रत्येक विभाग के प्रधान पर उनके अधीन अनुदान या अनुदानों की राशि के व्यय को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी होगी तथा अपने अधीनस्थ नियंत्री पदाधिकारी और व्ययन पदाधिकारी, यदि कोई हो तो, उनके माध्यम से अपने नियंत्रण का निर्वहन करेंगे''। साथ ही, वित्त विभाग ने सभी विभागीय प्रधानों को दिशा–निर्देश जारी किया था (जनवरी 2007) कि संस्वीकृति एवं आबंटन आदेश जनवरी माह तक सुनिश्चित किया जाये। लेखाओं की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि उपरोक्त नियम एवं आदेश की अवहेलना करते हुए जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 549.10 करोड़ का कुल 388 आबंटन मार्च के महीनें में निर्गत किया जिसमें से ₹ 47.47 करोड़ का 30 आबंटन आदेश वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निर्गत किया गया था ***(परिशिष्ट 2.1.2)***।

उत्तर में विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि इस विभाग की मुख्य कार्यकारी अवधि अक्टूबर से अगले वर्ष जून तक रहती है तथा किसी भी वर्ष का मार्च एक पूर्ण कार्यकारी अवधि होती थी। अतः उपलब्ध निधि का अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने तथा दायित्व सृजन को टालने के लिए आवंटन में विलंब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जब तक संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियमों में बदलाव नहीं किया जाता है, विभाग प्रावधनित वित्तीय नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेवार था। समय से आबंटन आदेश को निर्गत किए जाने तथा न्यायपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से मार्च के महीने में निधि के अभाव की समस्या से निपटा जा सकता था।

2.1.7.2 स्थापना व्यय

बि.लो.का. विभाग के संहिता के प्रतिकूल वर्ष 2007–11 के दौरान कार्य व्यय के विरूद्ध स्थापना व्यय की प्रतिशतता 18 एवं 40 प्रतिशत के बीच थी।

बिहार लोक कार्य विभाग (बि.लो.का.वि) संहिता के नियम 212 जो कि बिहार लोक कार्य लेखा (बि. लो. का. ले.) संहिता के नियम 5 के परिशिष्ट 4 में स्पष्ट किया गया है कि कार्य विभागों के स्थापना पर व्यय उसके कार्य व्यय का 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2007–12 के दौरान स्थापना मद पर किए गए बजट प्रावधान, आबंटन, व्यय तथा बचत (गैर–योजना शीर्ष 2711–01–001–0003) **तालिका सं. 3** के अनुसार थे।

तालिका सं. 3
स्थापना पर बजट प्रावधान, आबंटन, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय	बचत			योजना व्यय के तुलना में स्थापना व्यय की प्रतिशतता[12]
				अभ्यर्पण	व्यपगत	कुल बचत	
2007-08	104.47	95.46	89.83	11.78	2.86	14.64 (14)	40
2008-09	131.82	127.74	121.67	7.25	2.90	10.15 (8)	23
2009-10	180.47	141.90	132.82	47.64	0.01	47.65 (26)	17
2010-11	159.82	139.94	124.78	29.08	5.96	35.04 (22)	18
2011-12	150.62	141.66	133.00	17.55	0.07	17.62 (12)	12
योग	**727.20**	**646.70**	**602.10**	**113.30**	**11.80**	**125.10 (17)**	**18**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत)

उक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि विभाग में बजट प्रावधान के विरूद्ध बचत आठ से 26 प्रतिशत तक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–11 के दौरान विभाग का स्थापना व्यय कार्य व्यय का 18 से 40 प्रतिशत के बीच था जिसके लिए विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था (फरवरी 2013)। हालांकि वर्ष 2011–12 के दौरान स्थापना व्यय निर्धारित मानक के अधीन था।

2.1.8 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने कटाव निरोधक कार्य (क.नि.), विद्यमान तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नये तटबंधों का निर्माण तथा जमींदारी बाँधों[13] का पुर्नस्थापन इत्यादि कार्यों जैसी लघु कालीन उपायें मात्र क्रियान्वित किया था।

नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 1263.13 करोड़ लागत के 3881 एकरारनामों का करार किए गये थे। इनमें से ₹ 812.96 करोड़ लागत के 138 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के कार्यों का जाँच किया गया। उक्त कार्यों के क्रियान्वयन पर लेखापरीक्षा अवलोकन को परवर्ती कंडिकाओं में विमर्श किया गया है :

2.1.8.1 निविदा प्रबंधन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों का क्रियान्वयन खुली स्पर्धात्मक बीड पद्धति के माध्यम से संवेदकों को कार्य में लगाते हुए किया था। कार्यों को मितव्ययी एवं दक्षतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने के लिए योग्य संवेदकों के चयन के संदर्भ में बी.पी.डब्लू.डी. कोड के नियम, स्टैंडर्ड बीडींग डाक्यूमेंट (एसबीडी) के अनुच्छेद तथा सरकार के विभिन्न

12 *योजना व्यय : 2007–08 : ₹ 221.97 करोड़, 2008–09 : ₹ 539.18 करोड़, 2009–10 : ₹ 758.98 करोड़, 2010–11 : ₹ 705.47 करोड़, 2011–12 : ₹ 1136.67 करोड़,*

13 *स्वतंत्रा पूर्व अवधि के दौरान क्षेत्र के तत्कालीन जमींदारों ने नदी के किनारे अवस्थित गाँवों को सुरक्षित करने के लिए तटबंधों का निर्माण किया था।*

परिपत्र लागू थे। सरकार ने विभाग स्तर पर निविदा समितियों का गठन किया था तथा प्रत्येक स्तर पर निविदा स्वीकार करने की सक्षमता निर्धारित की थी। नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों के निविदा कागजातों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि निविदा सौंपे जाने में निर्धारित नियमों एवं अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया था, जिसे परवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

- ***निविदा आमंत्रण सूचना का सीमित प्रकाशन***

प्रतिस्पर्धात्मक बीडिंग के उद्देश्य से व्यापक प्रकाशन नहीं किया गया

बि.लो.का.संहिता के नियम 159 (iv) में विर्निदिष्ट था कि आकस्मिकता में भी निविदा कागजात जमा करने के लिए निविदादाताओं को समाचार पत्र/इंटरनेट में निविदा प्रकाशन होने की तिथि से सामान्यतः 10 दिनों का समय दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कटाव निरोधक कार्यों के छः एकरारनामा[14] में समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के प्रकाशन से मात्र दो से छः दिनों तक का समय निविदा कागजात जमा करने के लिए दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कार्य में मात्र दो से तीन निविदादाता भाग ले पाये थे। इस प्रकार, प्रतिस्पर्धात्मक डाक प्राप्त करने में व्यापक प्रकाशन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी में पुनर्निविदा का मामला था तथा शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर में भी लोक हितार्थ निविदा बिक्रय तिथि से एक सप्ताह पूर्व निविदा का प्रकाशन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त नियमों के अनुसार निविदा कागजात जमा करने के लिए निविदा दाता को आकस्मिकता की स्थिति में भी न्यूनतम दस दिनों का समय दिया जाना था। साथ ही, निविदा कागजात जमा करने के लिए अल्प समय उपलब्ध रहने के परिणामस्वरूप पर्याप्त निविदा दाता के अभाव में विभाग प्रतिस्पर्घात्मक दर प्राप्त करने से वंचित रहा।

- ***अपात्र संवेदकों को कार्य का आबंटन***

निविदा निस्तार में एसबीडी की शर्त्तों का अनुपालन नहीं किया गया और ₹ 498.53 करोड़ के कार्य अपात्र संवेदकों को सौंपी गई जो उन्हें अनुचित पक्षपात को दर्शाता था

निविदा सौंपे जाने के समय एसबीडी की शर्त्तों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित था। एसबीडी की शर्त्तों के तहत तकनीकी बीड में निविदा दाताओं को सफल होने के लिए नौं[15] अनिवार्य अर्हताएँ और चार[16] अन्य अनिवार्य अर्हताएँ सम्मिलित थीं। जो निविदा दाता अनिर्वाय अर्हताओं को पूरा नहीं करते थे, उन्हें स्पष्टीकरण एवं सुधार के लिए मौका नहीं दिया जाना था। यह भी विर्निदिष्ट था कि अगर कोई निविदा दाता ज्वाइंट वेंचर के रुप में है तब प्रतिष्ठान के सभी साझेदारों को तकनीकी बीड के सभी मानदंडों/शर्त्तों को पृथक–पृथक पूरा करना होगा। साथ हीं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) के खंड 1 की कंडिका 47 : निविदादाताओं के अनुदेश (आईटीबी) में विर्निदिष्ट है कि न्यूनतम मानदंड योग्यता के अंतर्गत मात्र वैसे ही निविदा दाता सफल होंगे जिनकी निविदा क्षमता, कुल निविदित राशि से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त उक्त एसबीडी की ''एफ–निविदा अधिनिर्णय'' की कंडिका 28.1 यह भी विनिर्दिष्ट करता था कि किसी भी परिस्थिति में निविदा वैसे निविदा दाता को नहीं सौंपी जाएगी जिनकी निविदा क्षमता मूल्यांकित निविदा मूल्य से कम हो चाहे उनके द्वारा निविदित दर न्यूनतम मूल्यांकित हो।

14 *शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर : एसबीडी सं. 2, 3, 4/2008–09 : एनआईटी प्रकाशन की तिथि : 19.02.2009 तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 21.02.2009, चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी : एसबीडी सं. 3, 4, 5/2011–12 : एनआईटी प्रकाशन की तिथि : 13.04.2011 तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 19.04.2011*

15 *निबंधन, अग्रिम राशि, विक्रय कर सफाया, श्रमिक अनुज्ञप्ति, टर्न ओभर, समान कार्य क्रियान्वयन का अनुभव, मूल यंत्र एवं उपकरण, तकनीकी व्यक्ति तथा संवेदक द्वारा तैयार एक शपथ पत्र।*

16 *मात्रा के संबंध में अनुभव, निविदा क्षमता, निर्माण का कार्यक्रम एवं मुख्तारनामा।*

निविदा सौंपे जाने के समय निम्नलिखित निविदा की शर्त्तों का उल्लंघन अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ :

- तेरह मामलों में ₹ 124.97 करोड़ के कार्य वैसे संवेदकों को सौंपे गये जिनके पास सामान्य कार्य के क्रियान्वयन का अनुभव, आवश्यक मूल संयंत्र एवं उपकरण की उपलब्धता, निविदा क्षमता तथा वित्तीय टर्न ओभर के साथ–साथ अन्य अनिवार्य अर्हता इत्यादि जैसी एक या एक से अधिक अनिवार्य अर्हता नहीं थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1.3*** में इंगित किया गया है।
- दो मामले[17] में ₹ 123.80 करोड़ के कार्य एक बहिष्कृत निजी संवेदक (मेसर्स जे. के. एम. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., नई दिल्ली) को सौंपे गये थे (अगस्त 2009 एवं अप्रैल 2010)।
- एक मामले[18] में ₹ 7.72 करोड़ का कार्य एक वैसे निजी संवेदक (मेसर्स नालंदा ट्यूब वेल बोरिंग वर्क्स (प्रा.) लि., पटना) को सौंपा गया था जिसने अन्य कार्य के विरूद्ध गलत सूचना उपस्थापित किया था तथा जिनका असंतोषजनक कार्य निष्पादन का इतिहास रहा था।
- एक मामले[19] में ₹ 238.59 करोड़ का कार्य एक ज्वांइट वेंचर कंपनी (मेसर्स एन. सी. सी. एल.–बशिष्ठा, हैदराबाद) को सौंपा गया जिसके एक साझेदार के पास निबंधन, श्रमिक अनुज्ञप्ति तथा विक्रय कर सफाया प्रमाण पत्र नहीं था। साथ ही किसी भी साझेदार ने मूल यंत्र एवं उपकरण के स्वामित्व/लीज का प्रमाण संलग्न नहीं किया था।
- एक मामला[20] में ₹ 3.45 करोड़ का कार्य एक वैसे संवेदक को सौंपा गया था (मेसर्स कमलादित्य कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि., बोकारो) जिसने किसी दूसरे कम्पनी का कागजात उपस्थापित किया था।

इस प्रकार, उक्त मामलों से स्पष्ट हुआ कि निविदा के निष्पादन में एसबीडी की शर्त्तों का अनुपालन नहीं किया गया एवं कुल ₹ 498.53 करोड़ का कार्य अपात्र निजी संवेदकों को सौंपा गया।

जवाब में विभाग ने कहा (फरवरी 2013) कि निविदा सौंपे जाने के समय एसबीडी की शर्त्तों का अनुपालन किया गया था। जवाब तथ्य से परे था क्योंकि स्पष्टीकरण के साथ बताए गए उदाहरण भी एसबीडी की शर्त्तों की प्रतिकूलता से ही संबंधित हैं। हालांकि सरकार ने यह माना (फरवरी 2013) कि निविदा कागजातों का मूल्यांकन करते समय संवेदकों द्वारा उपस्थापित विवरणी पर ही विभाग ने विश्वास किया तथा संवेदकों एवं कार्यों से संबंधित सूचना प्रबंधन पद्धति विभाग में विकसित किए जाने की आवश्यकता थी।

17 *पश्चिम तटबंध प्रमंडल, कुनौली–वीरपुर : ₹ 117.35 करोड़ (1 एसबीडी/2009–10), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार : ₹ 6.45 करोड़ (1 एसबीडी/2010–11)*

18 *बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार : ₹ 7.72 करोड़ (4 एसबीडी/2011–12)*

19 *पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल : ₹ 238.59 करोड़ (1 एसबीडी/2009–10)*

20 *बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार : ₹ 3.45 करोड़ (3 एसबीडी/2010–11)*

- ***निजी संवेदकों को अनुचित पक्षपात किए जाने के कारण सरकार को हानि***

विभागीय निविदा समिति के अनुचित/ पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹ 1.11 करोड़ की हानि उठानी पड़ेंगी

जलपथ प्रमंडल, बिहारशरीफ में लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि कोलुआ से जंक्शन प्वांइट तक (मुहाने) पैमार नदी के जमींदारी बाँध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य क्रियान्वित करने के लिए प्रमंडल के का.अ. ने ₹ 6.92 करोड़ का एक अनुबंध (3 एसबीडी/2011–12) क्रियान्वित किया था (जनवरी 2012)। आगे, कार्य से संबंधित संचिका की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि यही कार्य वि.नि. स. के द्वारा लिए गए निर्णय (जून 2008) के आधार पर जे. के. एम. इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., नई दिल्ली को ₹ 5.81 करोड़ पर सौंपा (जून 2008) गया था (6एफ2/3/2008–09)। हालांकि, वि. नि. स. के निर्णय के विरूद्ध एक दूसरे संवेदक द्वारा पटना उच्च न्यायालय के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने निविदा को रद्द कर दिया (मई 2010) तथा कहा कि वि. नि. स. का निर्णय निष्पक्ष नहीं था और झुकाव एक निविदा दाता के पक्ष में था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में का. अ. ने इसी कार्य के लिए एक नई निविदा आमंत्रित की (जुलाई 2011) और एक अभिकरण को ₹ 6.92 करोड़ की लागत पर कार्य सौंपा (जनवरी 2012)। संवीक्षा के क्रम में आगे ज्ञात हुआ कि दर अनुसूची में बदलाव के कारण लागत में ₹ 1.11 करोड़ की वृद्धि हुई थी। अतः यह स्पष्ट था कि वि. नि. स. के अनुचित/पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹ 1.11 करोड़ की हानि होगी।

जवाब में विभाग द्वारा बताया गया (फरवरी 2013) कि न्यायिक प्रक्रिया एवं अनुवर्ती कारवाई में विलंब के कारण संशोधित दर अनुसूचि लागू किया गया, अतः लागत बढ़ गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत की गई बिन्दु एक खास संवेदक को वि. नि. स. द्वारा अनुचित पक्षपात से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप कार्य के पुनः आबंटन में सरकार को हानि हुई।

- ***निविदा सौंपे जाने में एचएससीएल को अनुचित मदद किए जाने के कारण सरकार को हानि***

निविदा आमंत्रित किए बगैर नामांकन के आधार पर एचएससीएल को कार्य सौंपा गया।

जल संसाधन विभाग (ज. सं. वि.) ने बागमती नदी के कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा नये तटबंधों (बाँया एवं दाँया दोनों) का निर्माण कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. (एचएससीएल) को नामांकन के आधार पर सौंपा था (दिसम्बर 2005)। एचएससीएल को निविदा सौंपे जाने से संबंधित अभिलेख/संचिकाओं से निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आएः

- जल संसाधन विभाग ने बागमती नदी के नदी ट्रेनिंग कार्य के लिए 31 मई 2005 को चार लोक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) तथा एचएससीएल को एक नमूना समझौता ज्ञापन की प्रति के साथ एक प्रस्ताव पत्र इस अनुदेश के साथ भेजा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की प्रति प्राप्त कर ली जाए। विभाग के प्रस्ताव के अनुगमन में एनबीसी एवं एचएससीएल, दो अभिकरणों ने अपनी सहमति जून 2005 में उपस्थापित की थी। आगे, एनबीसीसी के सहमति प्रस्ताव को विभाग द्वारा इस आधार पर नहीं माना गया कि इस अभिकरण ने समझौता ज्ञापन का प्रारूप उपस्थापित नहीं किया था तथा विक्रय कर विभाग में इसके विरूद्ध मामला लम्बित था।

- एनबीसीसी ने पूरी परियोजना के संबंध में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा जो डीपीआर तैयार की गई थी उसकी प्रति निर्गत करने हेतु विभाग से आग्रह किया था जिससे कि समझौता ज्ञापन के निष्पादन से पूर्व

सारे कार्यों की विवरणी साधित किया जा सके। एनबीसीसी का आग्रह स्वीकार नहीं किया गया तथा एचएससीएल को समझौता ज्ञापन का प्रारूप निर्गत कर दिया गया एवं विभाग तथा एचएससीएल के बीच दिसम्बर 2005 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर दिया गया।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि एनबीसीसी के विरूद्ध विक्रय कर विभाग में लंबित किसी मामले से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं था, जैसा कि इस अभिकरण के आग्रह को अस्वीकार करने के समय ज. सं. वि. के सचिव द्वारा उल्लेखित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मामले को जब राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जा रहा था (नवंबर 2005) तब विभाग ने यह उल्लेखित नहीं किया था कि एनबीसीसी इस कार्य को करने के लिए तैयार था। विभाग ने आवश्यक कागजात (डीपीआर) रोके रखा जबकि विभाग के पास उपलब्ध था तथा तर्कसंगत कारणों के बगैर कार्य आबंटन में अभिकरण पर विचार नहीं किया। संवीक्षा से यह भी ज्ञात हुआ कि योजना विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना ही नामांकन के आधार पर एच.एस.सी.एल. का चयन किया गया। इस विभाग के सचिव ने भी बिना निविदा आमंत्रित किए एवं चयनित अभिकरण के तकनीकी एवं वित्तीय प्रोफाइल के साथ–साथ उसके पिछले प्रदर्शन प्रोफाइल पर विचार किए बिना ही अभिकरण के चयन पर घोर आपत्ति की थी। उन्होंने यह भी सलाह दिया था कि इस कार्य के लिए अभिकरण का चयन करते समय पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए। हालांकि संचिका योजना विभाग को अग्रेसित नहीं की गई तथा मुख्य सचिव की अनुशंसा पर बागमती नदी के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नामांकन के आधार पर एचएससीएल का चयन कर लिया गया।

अतः यह स्पष्ट था कि एचएससीएल को अनुचित मदद किया गया। ज.सं. वि. के संयुक्त सचिव के द्वारा एचएससीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन अनुबंधित कर लिया गया (दिसम्बर 2005) तथा क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में एचएससीएल को कार्य सौंप दिया गया।

प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं उठाये जाने के कारण ₹ 103 करोड़ की हानि।

समझौता ज्ञापन की संवीक्षा से आगे ज्ञात हुआ कि एक कार्यकारी अभिकरण के रूप में परियोजना का संतोषप्रद क्रियान्वयन तथा ससमय समाप्ति के लिए पर्याप्त तकनीकी एवं सहायक व्यक्तियों की तैनाती के माध्यम से एचएससीएल से सभी कार्य कराये जाने की अपेक्षा थी। हालांकि यह ज्ञात हुआ कि ऐसा वृहत मिट्टी कार्य संपादित करने के लिए एचएससीएल के पास अपेक्षित व्यक्ति, मशीन एवं संयंत्र नहीं थे। जैसा कि सरकार के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन के मात्र चार दिनों के बाद अर्थात 23 दिसम्बर 2005 को अभिकरण ने बागमती विस्तार येजना का समग्र कार्य मेसर्स अवन्तिका–जी एच रेड्डी एंड एसोसिएटस (जेवी) को पट्टे पर दे दिया था। आगे, मुख्य अभियंता (मु.अ.), ज. सं. वि., मुजफ्फरपुर के निविदा निस्तार पंजी की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि दोनों पट्टेदार अभिकरणों ने उसी प्रमंडल, जिसमें कि वे प्राक्कलित दर से 10 प्रतिशत अधिक पर बागमती विस्तार योजना का कार्य कर रहे थे, के अंतर्गत समान प्रकार के कार्य (तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा निर्माण कार्य) करने के लिए प्राक्कलित दर से 15 प्रतिशत कम पर अलग–अलग निविदा कागजात जमा किया था (जून 2010, फरवरी 2011 एवं मई 2012)। उसमें से एक पट्टेदार अभिकरण (जी एच रेड्डी एंड एसोसिएट्स) को तटबंध का निर्माण कार्य (बागमती प्रमंडल सं. 1, सीतामढ़ी का 17 एसबीडी/2010–11) अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम पर सौंपा गया था।

इस प्रकार, यह सुस्पष्ट था कि अगर निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशित किया गया होता तो सरकार को दर प्रतिस्पर्धा का लाभ मिला होता तथा उक्त कार्य प्राक्कलित दर से 10 प्रतिशत अधिक के बदले 15 प्रतिशत कम पर क्रियान्वित हो सकता था। इसके परिणामस्वरूप, बागमती विस्तार योजना के क्रियान्वयन पर वर्ष 2006–07 से सितंबर

2012 के दौरान संबंधित पाँच प्रमंडलों [21] द्वारा एचएससीएल को किये गये ₹ 453.20 करोड़ के कुल भुगतान के विरूद्ध विभाग को ₹ 103 करोड़ की वास्तविक हानि उठानी पड़ी।

जवाब में विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि कार्य एचएससीएल को सौंपा गया था तथा राज्यपाल, जिनमें मंत्रीपरिषद की शक्ति निहित थी, के अनुमोदन के बाद तथा विधि के साथ–साथ वित्त विभाग की स्वीकृति लेने के बाद विहित नियमों के अनुसार अभिकरण के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। विभाग ने पुनः बताया कि कार्य का निविदा नहीं किए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा का दावा सही नहीं है क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी मामले में अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम पर निविदा निस्तार हो। विभाग का उत्तर अस्पष्ट था क्योंकि निविदा आमंत्रण के द्वारा ही संवेदकों को लगाये जाने के लिए विभागीय नियम विहित करते थे। साथ ही, अभिकरण के चयन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये जाने के संबंध में योजना विभाग तथा विकास आयुक्त के प्रस्ताव को नहीं माना गया था। इस प्रकार, विभाग का निर्णय निष्पक्ष नहीं था तथा एचएससीएल के पक्ष में झुकाव था। इसके अतिरिक्त, इस कार्य में लगाये गये कार्यकारी अभिकरण उसी प्रमंडल में समान प्रकार का काम अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम पर कर रहे थे। साथ ही साथ, नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों में यह भी पाया गया था कि अधिकांश कार्य अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत से कम पर संवेदकों को सौंपे गये थे। अतः, यह सुस्पष्ट था कि अगर नि आ. सू. प्रकाशित हुई होती और प्रतिस्पर्धात्मक दर की सुविधा उठाई गई होती तो भुगतान की गई अवधि तक (अक्टूबर 2012) सरकार ₹ 103 करोड़ की हानि से बच सकती थी।

2.1.8.2 बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का क्रियान्वयन

नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा से बाढ़ कैलेण्डर अनुपालित नहीं किया जाना, निरर्थक एवं परिहार्य व्यय तथा अधिक भुगतान जैसी त्रुटियों के दृष्टान्त उद्घटित हुए जिन्हें परवर्ती कंडिकाओं में विमर्शित किया गया है।

- ***बाढ़ कैलेण्डर का अनुपालन नहीं किया जाना***

विभाग द्वारा निर्धारित बाढ़ कैलेण्डर को अनुपालित किए बगैर 44 प्रतिशत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य क्रियान्वित किए गए।

बाढ़ सुरक्षात्मक एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों का ससमय समापन हेतु विभाग प्रति वर्ष बाढ़ कैलेण्डर तैयार करता है। बाढ़ कैलेण्डर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए साढ़े चार महीने का समय परिकल्पित है।

नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में नमूना जाँचित 138 बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि 61 कार्यों में (44 प्रतिशत) बाढ़ कैलेण्डर की समय–सारणी का अनुपालन नहीं किया गया था तथा वर्ष 2008–12 के दौरान कार्यों के एकरारनामा क्रियान्वयन में आठ दिन से लेकर साढ़े चार महीनों से भी अधिक तक का विलंब किया गया था, जो कि ***परिशिष्ट 2.1.4*** में दर्शाया गया है।

परिणामतः, 23 कार्य अपूर्ण रहे तथा 20 कार्य बाढ़ अवधि के दौरान क्रियान्वित किए गए थे जो विभाग के बाढ़ कैलेण्डर के साथ–साथ बि. लो. का. वि. संहिता खण्ड 1 के परिशिष्ट क : राज्य सरकार का निर्णय संख्या 55 (फरवरी 1988) का उल्लंघन था।

जवाब में सरकार ने बाढ़ कैलेण्डर अनुपालन नहीं किए जाने हेतु मुख्यतः न्यायिक मामले, चुनाव तथा ₹ 7.50 करोड़ से अधिक लागत की योंजनाओं का तकनीकी–आर्थिक सहमति पत्र लेने में विलंब को जिम्मेवार बताया (नवंबर 2012)।

[21] *बा. नि. प्र., हथौड़ी : ₹ 80.63 करोड़, बा. नि. प्र., दरभंगा : ₹ 45.09 करोड़, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर : ₹ 197.32 करोड़, बागमती प्रमंडल सं. 1, सीतामढ़ी : ₹ 53.35 करोड़, बागमती प्रमंडल, शिवहर : ₹ 76.81 करोड़।*

सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नमूना जाँचित प्रमंडलीय कार्यालयों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शावे कि कार्य प्रारंभ में विलंब न्यायालय में योजनाओं के निराकरण लंबित रहने तथा चुनाव के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, उल्लेखित 61 कार्यों में से ₹ 7.50 करोड़ से अधिक मूल्य वाले मात्र 15 कार्य (25 प्रतिशत) थे, हालांकि शेष 75 प्रतिशत कार्यों में भी बाढ़ कैलेण्डर अनुपालित नहीं किए गए थे।

- ***निरर्थक व्यय***

पायलट चैनल के निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञ दल की अनुशंसाओं को अनुपालित नहीं किए जाने तथा कटाव निरोधी कार्यों का विलंबित/अपूर्ण क्रियान्वयन के कारण नमूना जाँच किए गए तीन प्रमंडलों में ₹ 68.50 करोड़ का निर्रथक व्यय हुआ।

नियमति रुप से तलमार्जन नहीं कराये जाने के कारण पायलट चैनल पर ₹ 32.15 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

तकनीकी विशेषज्ञ दल[22] ने बराज गेटों को विनियमित करते हुए कोशी के उर्धमुखी धारा (उ. धा.) तथा अधोमुखी धारा (अ. धा.) में पायलट चैनल[23] की संभावना को तलाशने की अनुशंसा किया था (अक्टूबर 2008)। आगे, उन्होंने जलीय नमूना अध्ययन करते हुए उ. धा. तथा अ. धा. का गाद हटाये जाने की संभावना का अध्ययन करने की भी अनुशंसा किया था। हालांकि, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर ने (मार्च 2009) इन अनुशंसाओं को माने बगैर ही कोशी बराज की उर्धमुखी धारा (उ. धा.) तथा अधोमुखी धारा (अ. धा.) में दो पायलट चैनलों के निर्माण के लिए ₹ 13.99 करोड़ का एक अनुबंध (4 एसबीडी/2008–09) किया था। संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि अ. धा. में पायलट चैनल का कार्य ₹ 7.13 करोड़ व्यय करने के बाद जून 2009 में समाप्त हुआ। बाद में, दिसम्बर 2009 में पायलट चैनल में गाद भर गया तथा पुनः इसके जीर्णोद्धार के लिए परवर्ती वर्ष में (मार्च 2010) ₹ 8.14 करोड़ का एक अनुबंध (2 एसबीडी/2009–10) किया गया। संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि इसके जीर्णोद्धार कार्य पर पुनः ₹ 7.33 करोड़ की राशि व्यय की गई तथा चैनल का तलमार्जन[24] नहीं किए जाने के कारण पायलट चैनल में फिर गाद भर गया (सितम्बर 2010)। हालांकि, केन्द्रीय जल एवं उर्जा अनुसंधान केन्द्र (सीडब्लूपीआरएस), पुणे ने जलीय नमूना जाँच कर अनुशंसित किया था (दिसम्बर 2009) कि पायलट चैनल समुचित घण्टाकारमुखी होना चाहिए तथा पायलट चैनल के मुख का सावधिक तलमार्जन किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि प्रथम बार पायलट चैनल का निर्माण मॉडल जाँच किए बगैर ही किया गया था तथा सीडब्लूपीआरएस की अनुशंसाओं के बावजूद नियमित तलमार्जन कार्य सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सरकार के ₹ 14.46 करोड़ के व्यय की राशि निरर्थक हो गई।

अधोलिखित तीन मामलों में पायलट चैनलों में गाद भरने के समान मामले पाए गए क्योंकि नीचे की तालिका के क्रम सं 1 एवं 2 में सावधिक तलमार्जन कार्य नहीं कराये गये थे जबकि क्रम सं 3 में पायलट चैनल ही अपूर्ण छोड़ दिया गया था। यद्यपि, उन पर ₹ 17.69 करोड़ के व्यय किए गए थे। **तालिका सं. 4** में विवरण दिया गया है :

22 *केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, जीएफसीरी, पटना तथा सीडब्लूपीआरएस, पूणे*

23 *नदी का बहाव केन्द्रीयकृत रूप से चालू रखने के उद्देश्य से जल प्रवाह को नालीबद्ध करना।*

24 *चैनल में से गाद, बालू तथा कीचड़ हटाया जाना।*

तालिका सं.4
पायलट चैनल पर निरर्थक व्यय

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं. / पायलट चैनल के कार्य का वर्ष	किये गये व्यय (₹ करोड़ में)	नदी का नाम	अभ्युक्ति
1	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	1एसबीडी/09-10	9.45	कोशी	सावधिक तलमार्जन के अभाव में गाद भर गया
2	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया	3 एसबीडी /08-09	5.27	गंगा	
3	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया	4एसबीडी/09-10	2.97	कोशी	अपूर्ण कार्य के कारण गाद भर गया
		योग	**17.69**		

(स्रोत : नमूना–जाँचित प्रमंडलों का अभिलेख)

तालिका में जैसा दर्शाया गया है कि तलमार्जन कार्य सुनिश्चित किए बगैर दो पायलट चैनलों का निर्माण तथा एक पायलट चैनल को अपूर्ण छोड़ दिए जाने के फलस्वरूप ₹ 17.69 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

जवाब में विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि काफी अधिक वार्षिक तलछट भार तथा तलमार्जन मशीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण नदियों के तट में विभिन्न स्थानों पर गाद का भर जाना प्राकृतिक था। आगे यह भी बताया गया कि परवर्ती वर्षों में उक्त पायलट चैनलों का निर्माण पूर्ववर्ती वर्षों के बाढ़ के दौरान गाद जमाव की परिस्थितियों के आधार पर पृथक संरेखन में किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पायलट चैनल के सावधिक तलमार्जन की व्यवस्था विभाग के द्वारा सुनिश्चित की जानी थी।

पायलट चैनल के निर्माण को अधूरा छोड़ देने के कारण ₹ 2.36 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ साथ ही साथ ₹ 11.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा–गोपालगंज के द्वारा गंडक नदी पर सारण तटबंध के 142.70 कि.मी. और 152.00 कि.मी. के बीच 303 अदद पॉरकोपाइन को बिछाने के साथ पायलट चैनल खोदने के लिए एक एकरारनामा ₹ 6.89 करोड़ पर क्रियान्वित किया गया (15 मई 2011)। इस कार्य की समाप्ति की नियत तिथि 31 मई 2011 थी। प्राक्कलन के अनुसार, पायलट चैनल का निर्माण 4.6 कि.मी. की लम्बाई में तथा 3.5 मी. की गहराई में किया जाना था जिसमें 341295 घन मीटर मिट्टी की खोदाई की जानी आवश्यक थी। प्रमंडलीय अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि उक्त कार्य 20 जुलाई तक किया गया था जिसमें 115755 घन मीटर (34 प्रतिशत) मिट्टी की खोदाई होने के बाद कार्य रोक दिया गया था और पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण पॉरकोपाईन नहीं लगाया गया था तथा ₹ 2.36 करोड़ का भुगतान संवेदक को किया जा चुका था (अगस्त 2011)। संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि बाढ़ कैलेण्डर में निर्धारित तिथि से 135 दिनों के विलंब के बाद संवेदक को कार्य आबंटित किया गया था जिसके परिणास्वरूप कार्य अपूर्ण छूट गये तथा 25 से 2.75 की गहराई तक खुदाई संवेदक द्वारा की जा सकी थी। इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण पायलट चैनल में गाद भर गया तथा प्रमंडल तटबंध के इसी लंबाई में वर्ष 2011 के बाढ़ के दौरान ₹ 4.79 करोड़ का बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने एवं 2012 से पूर्व के बाढ़ हेतु ₹ 6.83 करोड़ (19 एसबीडी/2011–12 : ₹ 3.49 करोड़ एवं 21 एसबीडी/2011–12 : ₹ 3.34 करोड़) मूल्य के कटाव निरोधी कार्य कराने हेतु विवश था।

विभाग ने इसे स्वीकार किया (फरवरी 2013) एवं कहा कि दोषी कर्मियों के विरूद्ध कारवाई की जा चुकी है। अतः पायलट चैनल के निर्माण पर किया गया ₹ 2.36 करोड़

का व्यय निरर्थक हुआ। साथ ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर ₹ 11.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का अपूर्ण क्रियान्वयन तथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों पर किए गए ₹ 29.81 करोड़ का व्यय निरर्थक साबित हुआ।

- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया ने गंगा नदी पर विक्रमशीला सेतु की अधोमुखी धारा पर इस्माईलपुर से बिन्द टोली तक बॉल्डर पिचिंग कार्य के साथ सात स्पर का निर्माण करते हुए 10 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध का निर्माण किया था (सितम्बर 2009)। इस कार्य का एकरारनामा (2 एसबीडी/2008–09) 2 मार्च 2009 को किया गया तथा यह 31 मई 2009 को समाप्त होना था। हालांकि नियत समाप्ति की तिथि तक मात्र 61 प्रतिशत मिट्टी कार्य एवं स्पर पर 27 प्रतिशत बॉल्डर पिचिंग कार्य कराया जा सका था। बचे हुए शेष कार्य[25] को जुलाई 2009 में समाप्त दर्शाया गया था तथा प्रमंडल द्वारा ₹ 27.77 करोड़[26] का भुगतान किया गया था (सितम्बर 2009)। उक्त से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार (21 जनवरी 2009) इस कार्य के प्रारंभ होने में डेढ़ महीने का विलंब किया गया था परिणामस्वरूप क्रियान्वयन की अवधि साढ़े चार महीने से घटकर तीन महीने रह गई। आगे यह भी पाया गया कि बाढ़ अवधि के दौरान कार्य कराये गये थे जो कि विभागीय मानक के अनुसार कटाव निरोधक कार्य के क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त नहीं था। परिणामस्वरूप, 2009 के बाढ़ के दौरान स्पर सं. 2 से 7 का बॉल्डर पिचिंग कार्य क्षतिग्रस्त हो गया तथा प्रमंडल को वर्ष 2010 के बाढ़ में उन्हीं स्थलों पर ₹ 3.05 करोड़ का बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराना पड़ा।

तत्पश्चात, प्रमंडल ने (अप्रैल 2011) इस्माईलपुर से बिन्द टोली तक के क्षतिग्रस्त स्परों के पुनरूत्थान के लिए एक एकरारनामा (1 एसबीडी/2011–12) किया था तथा ₹ 4.90 करोड़ का भुगतान किया (जुलाई 2011)। पुनः पाया गया कि मात्र 38 प्रतिशत बॉल्डर पिचिंग कार्य कराये जा सके थे। इसके परिणामस्वरूप, स्पर सं 6 का डूबना प्रारंभ हो गया था तथा वर्ष 2011 के बाढ़ के दौरान स्परों को बचाने के लिए प्रमंडल को ₹ 6.73 करोड़ का बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराना पड़ा। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया ने कराये गए पूर्ववर्ती कार्यों के क्रम में इस्माईल पुर से बिन्द टोली तक के क्षतिग्रस्त स्परों के पुनरूत्थान के लिए पुनः एकरारनामा (वर्ष 2011–12 का एसबीडी 18, 29, 30, 31) क्रियान्वित किया जो कि ₹ 32.23 करोड़ का था तथा वर्ष 2012 के बाढ़ के पूर्व समाप्त किया जाना था। इस प्रकार, उक्त से यह स्पष्ट था कि विभाग/प्रमंडल ने इन तीन वर्षों में किसी भी वर्ष बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार इन कार्यों को पूर्ण नहीं किया था, परिणामस्वरूप, कटाव निरोधक कार्य पर किए गए ₹ 29.81 करोड़[27] का व्यय निरर्थक हुआ।

जवाब में विभाग ने बताया (फरवरी 2013) कि वर्ष 2011 के कार्यों को एकरारनामा के अनुसार ससमय पूरा नहीं किए जाने के लिए संवेदक का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया गया है। विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट था कि बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका था।

25 *तटबंध का निर्माण : 90 प्रतिशत, स्पर का मिट्टी कार्य : 100 प्रतिशत, स्पर पर बॉल्डर पिचिंग कार्य : 91 प्रतिशत।*

26 *तटबंध का निर्माण : ₹ 10.47 करोड़, स्पर पर मिट्टी कार्य : ₹ 2.17 करोड़, स्पर पर बॉल्डर। पिचिंग कार्य : ₹ 15.13 करोड़ जोड़ 9 प्रतिशत (प्राक्कलित राशि से उपर)।*

27 *निरर्थक व्यय : ₹ 15.13 करोड़ + ₹ 3.05 करोड़ + ₹ 4.90 करोड़ + ₹ 6.73 करोड़ = ₹ 29.81 करोड़।*

कटाव निरोधी अपूर्ण कार्यों पर किया गया ₹ 4.18 करोड़ का व्यय निरर्थक हुआ

- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा–गोपालगंज ने पथराहा–छरकी के 0.3 कि.मी. से 1.80 कि.मी. के बीच कटाव निरोधक कार्य के लिए ₹ सात करोड़ का एकरारनामा (199 एसबीडी/2010–11) क्रियान्वित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य को समाप्त करने की नियत तिथि 31 मई 2011 थी लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया (जून 2011) तथा प्रमंडल द्वारा ₹ 5.68 करोड़ का भुगतान किया गया था (जुलाई 2011)। आगे यह भी उद्घटित हुआ कि अपूर्ण छोड़े गए कार्य की मात्रा शून्य से 58 प्रतिशत[28] तक के बीच थी। बिखरे बॉल्डर को निकालने, जल के अंदर बॉल्डर बिछाने तथा टर्फिंग जैसे कार्य के मद नहीं कराये गये थे तथा मात्र 20 प्रतिशत परकोपाईन बिछाया गया था। इस प्रकार, मिट्टी कार्य एवं बिछाये गये बॉल्डर को परकोपाईन बिछाकर सुरक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, बिछाये गये बॉल्डर कार्य वर्ष 2011 के दौरान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए तथा प्रमंडल को 0.6 कि.मी. से 1.80 कि.मी. के उसी भाग में वर्ष 2012 के बाढ़ से पूर्व कटाव निरोधी कार्य कराना पड़ा (21 एसबीडी/2011–12)। अतः अपूर्ण कटाव निरोधी कार्य के क्रियान्वयन पर ₹ 4.18 करोड़[29] का किया गया व्यय निरर्थक हो गया।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2013) कि नदी के तरफ मात्र मिट्टी कार्य ही कराये गये थे तथा टर्फिंग कार्य नहीं कराया गया था क्योंकि जल–गड्ढा एवं तटबंध से सटे हुए आबादी वाले भाग में घर थे, साथ हीं तटबंध के उपर भी घर था, अतः इन कारणों से तटबंध को हटाना संभव नहीं था। इस प्रकार, विभाग का उत्तर असंगत था क्योंकि पानी के अंदर बॉल्डर बिछाने का कार्य, टर्फिंग एवं परकोपाईन बिछाने के साथ–साथ बिखरे बॉल्डरों को निकालने जैसे कार्य नहीं कराए जाने, जो कराये गये कार्य को क्षति पहुँचाने के कारक थे, के लिए तटबंध से सटे आबादी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता था।

- ***अधिक भुगतान***

तलक्षटी कार्य के लिए उच्चतर दर अनुज्ञेय किए जाने के कारण ₹ 6.25 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ

वर्ष 2011 से पूर्व के बाढ़ के लिए चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा चंपारण तटबंध के 48 कि.मी. पर पायलट चैनल से गाद/रेत/मिट्टी हटाये जाने का तलक्षटीकरण कार्य करवाया गया था (2 एसबीडी/2011–12)। एकरारनामा के अनुसार, ₹ 210 प्रति घन मीटर की दर से 375000 घनमीटर मिट्टी कार्य का तलक्षटीकरण किया जाना था। इस कार्य हेतु एकरारनामा/विभागीय निविदा समिति की कार्रवाही के अनुसार ड्रेजर मशीन से तलक्षटीकरण कार्य कराया जाना था और इसी के अनुरूप दर निकाला गया था।

मापी पंजी (मा. पु. सं. – 5891) की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि संवेदक द्वारा 20 मई 2011 तक राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा 215110 घनमीटर मिट्टी कार्य किया गया एवं प्रमंडल द्वारा ड्रेजर से खुदाई की एकरारित राशि पर (प्रथम चालू विपत्र द्वारा) ₹ 4.51 करोड़ भुगतान किया गया। अनुसूचित दर में राजस्थानी ट्रैक्टर से की गयी मिट्टी कार्य का दर ₹ 75.90 प्रति घनमीटर था। फलस्वरूप प्रमंडल द्वारा ₹ 2.88 करोड़[30] का अधिक भुगतान किया गया। इसी तरह गोपालगंज स्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा द्वारा बाढ़ 2011 के पूर्व सारण तटबंध पर 117.05 कि.मी. से 124.25 कि.मी. के बीच पायलट चैनल की खुदाई ड्रेजर से की जानी थी। फलस्वरूप 415300 घनमीटर की खुदाई हेतु ₹ 202 प्रति घनमीटर की दर से एकरारनामा (3 एसबीडी/2011–12 दिनांक 11 मई

28 *मिट्टी कार्य : 44 प्रतिशत, यांत्रिक विधि से मिट्टी कार्य : 58 प्रतिशत, बिखरे बॉल्डर निकालनाः 0 प्रतिशत, पट्टी में जल के अंदर बॉल्डर पिचिंग कार्य : 0 प्रतिशत, टर्फिंग : 0 प्रतिशत, पॉरकोपाईन : 20 प्रतिशत*

29 *बॉल्डर बिछाने के कार्य पर किया गया भुगतान (199 एसबीडी/2010–11): 11647.73 घनमीटर @ ₹ 4226.90 प्रति घनमीटर घटाव 15 प्रतिशत एकरारित मूल्य*

30 *₹ 210 – ₹ 75.90 = ₹ 134.10 × 215110 घनमीटर = ₹ 2.88 करोड़।*

2011) किया गया। लेखाओं की संवीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि 267497.67 घनमीटर मिट्टी कार्य राजस्थानी ट्रैक्टर से किया गया एवं संवेदक को एकरारित दर पर भुगतान किया गया। इस प्रकार, संवेदक को ₹ 3.37 करोड़[31] का अधिक भुगतान किया गया।

विभाग ने जवाब में (फरवरी 2013) चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के संदर्भ में कहा कि संवेदक द्वारा जल सतह से उपर का एक्सभेटेर द्वारा एवं जल सतह से नीचे का खुदाई कार्य ड्रेजर द्वारा किया गया। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि अनुसूचित दर जिसके आधार पर संवेदक को भुगतान किया गया उसमें दर का निर्धारण ड्रेजर केद्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्य के लिए हुआ था न कि एक्सभेटर के लिए। यद्यपि राजस्थानी ट्रैक्टर से किये गये मिट्टी कार्य का दर ड्रेजर से किये गये मिट्टी कार्य के दर से कम था। जबकि गोपालगंज स्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा के संदर्भ में विभाग ने लेखापरीक्षा मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए सूचित किया कि दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी।

- ***बैंकहो ड्रेजर की क्षमता के आकलन किये बिना उपयोग/तैनात किए जाने के कारण सरकार को क्षति***

प्रचालन हस्तपुस्त के विरूद्ध तैनाती किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.80 करोड़ का ड्रेजर डूब गया

कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर द्वारा कोसी एवं अन्य बेसीन हेतु एक बैकहो ड्रेजर की खरीद की गयी (फरवरी 2010)। तदनुसार, आपूर्तिकर्ता को प्रमंडल द्वारा मई 2012 तक ₹ 1.80 करोड़ का भुगतान किया गया।

इस मशीन के परिचालन एवं रखरखाव हस्तपुस्त की संवीक्षा में प्रकटित हुआ कि खरीदी गई ड्रेजर छिछला पानी में उपयोग के लिए बनायी गयी थी, इसके अतिरिक्त कार्य एवं अन्य उपयोग/कार्यकलाप स्वामी के पूर्ण विवेक एवं जोखिम पर था। आगे फर्म द्वारा आगाह किया जा चुका था कि कोशी के गाद की गुणवत्ता अच्छे किस्म के बालू के समान थी जो ठोस होकर ड्रेजर की लीड स्क्रू एवं वीयरिंग पर जम सकता था जिससे ड्रेजर का परिचालन प्रभावित हो सकता था।

उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि नक्शे एवं विशिष्टि के अनुसार खरीदी गयी ड्रेजर कोशी नदी के लिए उपयुक्त नहीं थी। इससे पुनः इन तथ्यों की पुष्टि होती है कि जब मशीन का उपयोग बाढ़ 2010 के पूर्व की गई तो यह 24 अगस्त 2010 को नदी में डूब गई। पुनः वापस लाकर ड्रेजर का उपयोग किया गया (बाढ़ पूर्व 2011) एवं पुन कोसी नदी में डूब गया (1 जुलाई 2011)। लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मई 2012 तक ड्रेजर अप्राप्त रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि विभाग ने ड्रेजर की क्षमता एवं कोशी नदी में इसके उपयोग का आलकन किये बगैर विभाग के लागत एवं क्षति पर इसका परिचालन किया जिसके कारण सरकार को ₹ 1.80 करोड़ की क्षति हुई।

यह पूछे जाने पर प्रमंडल के का. अभि. ने कहा (मई 2012) कि उच्च अधिकारी के निदेशानुसार लोकहित में उत्पादन करने वाली कम्पनी के निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध ड्रेजर का उपयोग किया गया था। विभाग ने पुनः जवाब (फरवरी 2013) में बताया कि ड्रेजर कोशी नदी एवं हरेक प्रकार के अन्य कार्य/मिट्टी/बालू/जड़/खरपतवार को हटाने के लिए उपयुक्त था। विभाग ने आगे कहा कि बैकहो ड्रेजर 2010–11 एवं 2011–12 में कोशी नदी में सफलतापूर्वक कार्य करने में सफल रहा। विभाग द्वारा दिया गया जवाब सही नहीं था क्योंकि ड्रेजर ने सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया और 2010 एवं 2011 के बाढ़ के दौरान डूब गया। इसके अलावे ड्रेजर की तैनाती उक्त नक्शे एवं विशिष्टि के अनुरूप नहीं थी क्योंकि ड्रेजर का उपयोग इसके परिचालन एवं रख–रखाव हस्तपुस्त के मापदंडों के अनुरूप किया जाना चाहिये था तथा विभाग के गलत निर्णय के कारण यह मशीन डूब गया एवं आज तक (फरवरी 2013) अप्राप्त रहा।

[31] *₹ 202 – ₹ 75.90 = ₹ 126.10 × 267497.67 घनमीटर = ₹ 3.37 करोड़।*

• *निरीक्षण वाहन की अविवेकपूर्ण खरीद*

प्रमंडल द्वारा एफएमपी निधि से कीमती निरीक्षण वाहन का क्रय एवं उच्च अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया

बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा अनुमानित लागत ₹ 65 लाख की राशि से बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम (एफएमपी) की निधि से 10 निरीक्षण वाहन क्रय करने का प्रावधान तथा प्राक्कलन की स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा (मई 2010) दी गई। लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि विभाग के आप्त सचिव द्वारा दूरभाष से दिये गये निर्देश पर प्रमंडल द्वारा (28 मार्च 2012) ₹ 21.45 लाख लागत की एक टोयटा फारचूनर एफ बी 4/4 विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय उपयोग हेतु क्रय की गयी। पुनः जाँच के दौरान यह प्रकटित हुआ कि मार्च 2012 तक प्रमंडल में लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम पूरे कर दिए गए थे। फिर भी वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों में प्रमंडल द्वारा अनुपयोगी/अवांछित वाहन का क्रय करते हुए विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय उपयोग हेतु स्थानान्तरित (जून 2012) किया गया। इस प्रकार बा. प्र. कार्य. की निधि का निरीक्षण वाहन क्रय पर अविवेकपूर्ण क्रय किया गया।

विभाग द्वारा जवाब में सूचित किया गया (नवम्बर 2012) कि बड़े एवं सुविधाजनक वाहन का क्रय गणमान्य/उच्चपदाधिकारियों के बिहार दौरे के दौरान उनके उपयोग/सेवा के लिए किया गया था, साथ ही कार्यहित में यात्रा के दौरान बाढ़ प्रबंधन के कार्य योजना से सम्बन्धी विभागीय अधिकारियों के साथ प्रधान सचिव के विचार–विमर्श को सुलभ बनाने हेतु किया गया था। जबकि सरकार के विशिष्टि/उच्च अधिकारियों हेतु वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था।

• *नये तटबंधों का निर्माण*

निधि की उपलब्धता के बावजूद 2007–12 के दौरान तटबंध के निर्माण में मामूली वृद्धि

जीएफसीसी की व्यापक योजना अनुशंसा की संवीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किया गया कि वर्ष 1991 से 2008 में जीएफसीसी द्वारा बागमती, महानन्दा, बुढ़ी गंडक, कमला बलान और पुनपुन नदी पर अनिवार्य रूप से नये तटबंधों के निर्माण की आवश्यकता को दर्शाया गया था। यद्यपि, आगे यह देखा गया कि जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) में एफएमपी योजनान्तर्गत राज्य के 25.84 लाख हेक्टेयर बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु बागमती, महानंदा एवं चंदन नदियों पर 1535 कि.मी. तटबंधों के निर्माण की सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की थी।

राज्य में बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, तटबंधों के निर्माण के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धि **तालिका सं. 5** में दर्शाया गया है :

तालिका सं. 5
तटबंध, बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र और सुरक्षित क्षेत्र की स्थिति

मद	मार्च 2007 की स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में प्रस्तावित वृद्धि का लक्ष्य	मार्च 2012 की उपलब्धि	मार्च 2012 की स्थिति
तटबंधों की कुल लम्बाई (कि.मी. में)	3430.00	1535.00	61.47	3491.47
बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	68.800	25.84	4.839	63.961

(स्रोत : बाढ़ प्रतिवेदन 2008 और विभाग द्वारा दिये गये आँकड़े)

तालिका सं. 5 से स्पष्ट होगा कि विभाग द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में निर्धारित लक्ष्य 1535 कि.मी. के विरूद्ध केवल 61.47 कि.मी. नये तटबंध का निर्माण किया जा

सका। परिणामतः मार्च 2012 को केवल 4.839 लाख हेक्टेयर बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका एवं 21 लाख हेक्टेयर की कमी रही। इस प्रकार वर्ष 2007–12 की अवधि में राज्य में तटबंधों की कुल लंबाई बढ़ाकर 3491.47 कि.मी. कर दिया गया जो चार प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

जवाब में विभाग द्वारा नये तटबंधों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्ति नहीं किये जाने का कारण भारत सरकार से अनिवार्य तकनीकी–आर्थिक अनुमती एवं निवेश का प्राप्त नहीं होना बताया गया। आगे यह बताया गया कि महानन्दा बाढ़ प्रबंधन, योजना फेज–II में 199.95 कि.मी. तटबंध निर्माण की योजना जीएफसीसी, भारत सरकार के एक निकाय को, अप्रैल 2011 में दी गयी, जिसकी अनुमती भारत सरकार को अभी तक दिया जाना है (नवम्बर 2012)। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 1195.87 कि.मी. तटबंध निर्माण की तकनीकी–आर्थिक अनुमति भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2007 में ही दिया जा चुका था, लेकिन इससे संबंधित अब तक कोई कार्य नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II में 71 कि.मी. तटबंध हेतु भारत सरकार द्वारा सहमति दिया गया (जून 2011), लेकिन विभाग के विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी (एस एल ए ओ) द्वारा जमीन अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण योजना प्रभावित रही, बावजूद कि ₹ 232.60 करोड़ की निधि एस एल ए ओ को मार्च 2012 तक उपलब्ध कराया गया था।

2.1.9 जमींदारी बाँध का क्रियान्वयन

कृषि विकास के लिए जल संसाधन सुविधाओं के सृजन एवं संरक्षण हेतु जमींदारी बाँध[32] की मरम्मति एवं रख–रखाव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ज. सं. वि. को स्थानान्तरित किया गया (फरवरी 2006)। यह परिकल्पित किया गया कि बाढ़ एवं सुखा प्रभावित क्षेत्रों के सहयोग के लिए जमींदारी बाँध के मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य ज. सं. वि. द्वारा किया जाएगा। ज सं. वि. के अभिलेखों के निरीक्षण के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कुल 2628.36 कि.मी. लंबाई वाले 372 जमींदारी बाँध 2007–12 के दौरान चार चरणों[33] में विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे। आगे 16 नमूना जाँचित प्रमंडलों में से केवल छः के द्वारा जमींदारी बाँध का कार्य किया जा रहा था। जाँच में कार्यों को बंद, स्थगन/परित्यक्त करने के कारण निष्फल व्यय कार्यों का अवमानक क्रियान्वयन, संदेहास्पद मापी के कारण अधिक भुगतान तथा अतिरिक्त व्यय के मुद्दे प्रकटित हुए जो आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

2.1.9.1 *अपूर्ण/बंद/स्थगित जमींदारी बाँधों के कार्य पर अलाभकारी व्यय*

दस अपूर्ण जमींदारी बाँध, जो 2008–10 में शुरू किए गए थे, पर ₹ 20.21 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया

जल पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ (आठ कार्य) एवं जहानाबाद (दो कार्य) के एकरारनामा पंजी एवं प्रगति प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि जमींदारी बाँध के 10 कार्यों जो मार्च 2008 से जुलाई 2010 के दौरान शुरू किए गए अगस्त 2012 तक ₹ 20.21 करोड़ व्यय के बावजूद या तो बंद, स्थगित थे, या अपूर्ण रहे (***परिशिष्ट 21.5)***। यह पाया गया कि जमींदारी बाँधों के कार्यों में बाढ़ सुरक्षा एवं सिंचाई कार्य के लिए जल नियंत्रण हेतु मिट्टी कार्य एवं आउटलेट निर्माण करना शामिल था। आगे यह पाया गया कि इन अपूर्ण कार्यों में मिट्टी कार्य की प्रगति 45 से 100 प्रतिशत के बीच रही एवं एक कार्य को छोड़कर इन बाँधों पर आवश्यक संख्या में आउटलेट का निर्माण नहीं किया गया, यद्यपि सिंचाई कार्यों में जल निकासी नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव हेतु यह आवश्यक

[32] *स्वतंत्रा के पूर्व की अवधि में तत्कालीन स्थानीय जमींदारों द्वारा नदी के तटवर्ती गाँवों की सुरक्षा के लिए बाँध निर्मित किया।*

[33] *चरण I : 186 सं., 1183.12 कि.मी., चरण II : 102 सं., 1160.87 कि.मी., चरण III : 70 सं., 263.27 कि.मी. और चरण IV : 14 सं., 74.10 कि.मी.*

था। यद्यपि प्रमंडलीय कार्यालयों द्वारा दोषी संवेदकों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की भी शुरूआत नहीं की गई।

इस प्रकार परिकल्पित उद्देश्य जिसके लिए ₹ 20.21 करोड़ व्यय किया गया , की पूर्ति नहीं हुई और सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

विभाग ने (फरवरी 2013) जवाब में बताया कि दो कार्यों के पूरा न किए जाने के लिए दोषी संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। आगे यह भी बताया गया कि जन विरोध के कारण कुछ आउटलेट का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। विभाग का जवाब यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा लोगों को यह समझाने हेतु कि यह उन्हीं के लाभ का कार्य है, कोई प्रभावकारी कार्य नहीं किया गया है।

2.1.9.2 *अवमानक जमींदारी बाँध का निर्माण*

बिना अनुबद्ध तकनीकी विनिर्देशन का पालन किए ₹ 72.94 करोड़ व्यय करने के परिणामस्वरूप अवमानक कार्य का क्रियान्वयन किया गया

नदी तटबंध के योजना एवं निरूपण के लिए भारतीय मानक निर्देशिका (लेभीस)–(प्रथम पुनरीक्षित–120:2000) में तटबंध निर्माण के लिए निम्न मानदंड है : (i) बाँध के उपर की चौड़ाई 5 मी. होनी चाहिए (ii) बाँध के स्लोप सुरक्षा कार्य हेतु किनारे का स्लोप एवं बाँध के उपर में तटबंध के छोर से 0.6 मी तक घास से आच्छादित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने (दिसम्बर 2008) निर्धारित किया की जमींदारी बाँध का कार्य कराते समय संपीडन का प्रावधान सुनिश्चित किया जना चाहिए।

नमूना जाँचित प्रमंडलों के 43 जमींदारी बाँधों ***(परिशिष्ट 2.1.6)*** के कार्यों की जाँच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक नमूना जाँचित जमींदारी बाँध में शिखर की चौड़ाई सिर्फ 3.66 मीटर ली गई। केवल चार कार्यों[34] में ही स्लोप सुरक्षात्मक कार्य घास से आच्छादित किया गया था। शेष 39 कार्यों में स्लोप सुरक्षात्मक कार्य घास से आच्छादित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त तीस जमींदारी बाँधों में सतहवार संपीडन कार्य नहीं किया गया।

अतः यह स्पष्ट था कि विनिर्दिष्ट मापदण्डों की अवहेलना करते हुए जमींदारी बाँधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों में कटाव से बचाव हेतु घास अच्छादन कर स्लोप की सुरक्षा को सुनिश्चित किए बगैर एवं बगैर संपीडन किए नदी के किनारे मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। फलस्वरूप 2007–12 के दौरान 43 अवमानक जमींदारी बाँधों के पुर्नस्थापन कार्य पर ₹ 72.94 करोड़ व्यय किये गये।

जवाब में विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2013) कि विभाग द्वारा जमींदारी बाँध के निर्माण कार्य पर कोई विशिष्ट मानक तय नहीं किया गया था एवं जमींदारी बाँधों के कार्यों के संबंध में मापदंड बनाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

2.1.9.3 *संदेहास्पद मापी के कारण अधिक भुगतान*

कार्य के आकलन में शामिल नहीं किए गए भाग में हुए मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया

मेसर्स जे. के. एम. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को नालन्दा जिला के अन्तर्गत कुम्हरी नदी के जमींदारी बाँध (दायाँ एवं वाँया) के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य दिया गया (जून 2008)। जाँच में यह पाया गया कि नुआवाँ से जहानाबिघा जिसके दायें जमींदारी बाँध की कुल लम्बाई 34.80 कि.मी. थी, में प्रमंडल द्वारा बाढ़ पूर्व 2007 में 24 .70 कि.मी. से 29.80 कि.मी. के बीच कटाव निरोधक एवं उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया था। अतः इस भाग को दायें जमींदारी बाँध के मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया था। यद्यपि मापी पुस्त की जाँच में यह प्रकटित हुआ कि चौथे चालू लेखा विपत्र तक 24.75 कि.मी. से 29.34 कि. मी. के बीच 144630 धनमीटर मिट्टी कार्य की मात्रा दिखाकर ₹ 54.54 लाख का भुगतान किया गया (मई 2009)।

[34] *कुलटी से गोविंदपुर (100 प्रतिशत), रघौली से संदलहापुर सिंधिया (65 प्रतिशत), पाली (25 प्रतिशत टर्फिंग), गंगा प्रसाद जमींदारी बाँध (8 प्रतिशत)।*

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दाहिने जमींदारी बाँध के प्राक्कलन में 24.75 कि.मी. से 29.34 कि.मी. सम्मिलित नहीं रहने के बावजूद प्रमंडल द्वारा भुगतान किया गया। फलस्वरूप संवेदक को ₹ 54.54 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

जवाब में विभाग द्वारा बताया (फरवरी 2013) गया कि कार्य की अंतिम मापी अभी की जानी है, यदि कोई विसंगतियाँ/त्रुटियाँ पायी गयी तो उसे सुधार/निराकरण कर दिया जाएगा। विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2012) तक कार्य पूर्ण किया जा चुका था। विभाग ने छः महीने बीत जाने के बाद भी फरवरी 2013 तक कोई निर्णय नहीं लिया था।

2.1.10 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग में न्यूनतम आवश्यक कर्मियों की कमी थी

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता संवर्ग विभागीय योजना को बनाने एवं उसके कार्यान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण घटक है क्योंकि क्षेत्र/स्थल पर चल रहे कार्यों के सर्वेक्षण/अन्वेषण से लेकर पर्यवेक्षण तक का दायित्व इन्हीं पर है। नमूना जाँचित 16 प्रमंडलों में सहायक अभियंता (स.अभि.), कनीय अभियंता (क.अ.) के साथ–साथ बाँध खलासी/चौकीदार और वर्क सरकार का समग्र स्वीकृत एवं कार्यरत बल **तालिका सं. 6** में दर्शाया गया है :

तालिका सं. 6
नमूना जाँचित प्रमंडलों में 31 मार्च 2012 को स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ (प्रतिशत)
1.	सहायक अभियंता	89	65	24 (27)
2.	कनीय अभियंता	278	170	108 (39)
3.	बाँध खलासी/चौकीदार	79	13	66(84)
4.	वर्क सरकार	21	04	17(81)

(स्रोत : नमूना जाँचित प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध कराया गया)

तालिका से स्पष्ट था कि स. अभि. एवं क. अभि. में क्रमशः 27 एवं 39 प्रतिशत की रिक्तियाँ थीं। आगे, बाँध खलासी/चौकीदार एवं वर्क सरकार के पद में क्रमशः 84 एवं 81 प्रतिशत की कमी थी। यद्यपि दो प्रमंडलों[35] को छोड़कर अन्य नमूना जाँचित 14 प्रमंडलों में वर्क सरकार का पद स्वीकृत नहीं था। इस प्रकार विभाग में न्यूनतम आवश्यक कर्मियों की कमी थी।

विभाग ने (फरवरी 2013) लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति जताते हुए यह बताया कि विभिन्न संवर्गों में कर्मियों की भारी कमी है और इन रिक्तियों की भरने को आवश्यकता है।

2.1.11 प्रभाव विश्लेषण

दीर्घकालीन योजना के अभाव में बाढ़ सुरक्षा कार्य पर ₹ 3362.27 करोड़ व्यय करने के बावजूद सरकार को बाढ़ सहहाय पर ₹ 1799.15 करोड़ खर्च करना पड़ा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित दीर्घकालीन योजना को क्रियान्वित करने एवं तटबंधों की लंबाई में वृद्धि करने में विभाग असफल रहा। 2007–12 अवधि के दौरान बाढ़ से हुई हानि/नुकसान एवं बाढ़ सहहाय मद में हुए भारी व्यय को **तालिका सं. 7** में दर्शाया गया है।

[35] *शीर्ष कार्य प्रमंडल, बीरपुर एवं पूर्वी तटबंध प्रमंडल, बीरपुर।*

तालिका सं. 7

राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान एवं बाढ़ सहहाय मद में व्यय की स्थिति

वर्ष	प्रभावित जिलों की सं.	प्रभावित व्यक्तियों की सं. (₹ लाख में)	प्रभावित पशुओं की सं. (₹ लाख में)	क्षति हुए फसलों का मूल्य (₹ करोड. में)	क्षतिग्रस्त मकान का मूल्य (₹ करोड़ में)	मृतकों की सं. (सं. में)	बाढ़ सहहाय मद का खर्च (₹ करोड़ में)
2007-08	22	244.42	27.13	768.38	831.45	1287	756.53
2008-09	18	50.93	10.10	167.30	314.93	626	792.83
2009-10	16	22.03	1.35	21.83	5.28	125	152.92
2010-11	9	7.16	3.57	3.12	7.05	32	34.09
2011-12	25	71.43	6.63	102.96	69.07	249	62.78
योग		**395.97**	**48.78**	**1063.59**	**1227.78**	**2319**	**1799.15**

(स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग)

तालिका सं. 7 से स्पष्ट था कि 2007–12 अवधि के दौरान कुल ₹ 2291.37 करोड़ (फसल : ₹ 1063.59 करोड़ एवं मकान : ₹ 1227.78 करोड़) की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 2319 मानव जीवन की क्षति हुई एवं बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 2007–08 में 22 से बढ़कर 2011–12 में 25 हो गयी। जबकि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पर ₹ 3362.27 करोड़ खर्च किये (जैसा कि तालिका सं 1 में दर्शाया गया है) साथ ही साथ राज्य ने 2007–12 के दौरान बाढ़ सहहाय पर ₹ 1799.15 करोड़ खर्च किया।

बाढ़ की विभीषिका से लड़ने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में नदी में गाद के जमाव को कम करने के दृष्टिकोण से फ्लड कुशन के साथ जलाशयों का निर्माण विभाग नहीं कर सका। इस प्रकार डैमों का निर्माण नहीं होने के कारण नदी के तल में लगातार गाद जमा होते गया जिसने नदी के केन्द्रीय बहाव को बाधित किया और विभाग बाढ़ सुरक्षा/कटाव निरोधक कार्य करने के लिए बाध्य हुआ जिसमें 2007–12 के दौरान तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए ₹ 3362.27 करोड़ व्यय करना पड़ा।

2.1.12 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

योजनाओं के समन्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्यालय स्तर पर अभियंता प्रमुख के अधीन चार कार्यपालक अभियंताओं की सहायता से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में अनुश्रवण अंचल जिम्मेवार थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कार्य जीएफसीसी को भी सौंपा गया था।

यद्यपि विभाग के पास अनुश्रवण के लिए स्थापित प्रणाली थी, फिर भी कार्य की विलंब से स्वीकृति, संवेदक को कार्य का अदेय आबंटन, मोडेल जाँच किए बगैर कार्य का क्रियान्वयन, कार्य के क्रियान्वयन में विलंब, परिहार्य व्यय, निष्फल व्यय, अधिक भुगतान, अलाभकारी व्यय, जमींदारी बाँध का कम क्रियान्वयन को टाला नहीं जा सका जो अनुश्रवण नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

विभाग द्वारा बताया गया (फरवरी 2013) कि मुख्यालय से क्षेत्र स्तर तक उपलब्ध मानव संसाधन के साथ संभव सीमा तक अनुश्रवण कार्य किया गया। विभाग ने आगे बताया कि बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली के आ जाने से योजनाओं को बनाने में सहायता मिलेगी। फिर भी विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भारी मानवबल की कमी के साथ बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली की सहायता से अनुश्रवण और मूल्यांकन क्रियाकलापों को कैसे सुधारा जा सकता था।

2.1.13 निष्कर्ष

योजना विनिधान में वर्ष 2008 के बाद वृद्धि के बावजूद विभाग ने राज्य में दीर्घकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया, फ्लड प्लेन जोनिंग बिल को लागू करने में अनदेखी किया और वह पूर्णतया अल्पकालीन उपायों पर निर्भर रहा। विभाग का वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान योजनाओं को विलंब से स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने, भू–अधिग्रहण में विलंब और कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण सरकार 11 से 44 प्रतिशत तक उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं कर सकी। अल्पकालीन उपायों का क्रियान्वयन भी त्रुटिरहित नहीं था जैसे कार्य का अनियमित आबंटन, बाढ़ कैलेण्डर का पालन नहीं किया जाना, निष्फल व्यय, अधिक भुगतान, सरकार को हानि आदि। कार्यरत संवर्ग जैसे सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ–साथ बाँध चौकीदार में स्पष्टतया कमी थी यद्यपि बाढ़ नियंत्रण उपाय के लिए ये आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य 1535 कि.मी. के विरूद्ध विभाग केवल 61.47 कि.मी. तटबंध ही बना सका। आगे वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य को बाढ़ के कारण काफी क्षति सहनी पड़ी, जबकि उस अवधि के दौरान बाढ़ सहाय्य मद में भारी राशि खर्च की गई। फलस्वरूप, विभाग द्वारा अप्रभावी अल्पकालीन उपायों पर निर्भर रहने से निरंतर आने वाली बाढ़ एवं राज्य को बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करने में सफलता नहीं मिली।

2.1.14 अनुशंसाएँ

विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं पर जाँच और विचार कर सकता है :

- बिहार में युक्तिसंगत बाढ़ प्रबंधन उपाय हेतु संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए।
- संरचनात्मक उपायों के तहत दीर्घकालीन उपाय जैसे कि फ्लड कुशन के साथ जलाशय एवं प्राकृतिक डिटेंशन बेसीन एवं अल्पकालीन उपाय में बाँध निर्माण का उपयुक्त सम्मिश्रण होना चाहिए।
- गैर संरचनात्मक उपायों के तहत फ्लड प्लेन जोनींग बिल का लागू किया जाना, बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली विकसित करना, आपदा तैयारी और अनुक्रियात्मक योजना आदि का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- बाढ़ कैलेण्डर में उल्लेखित कार्य अवधि के दौरान ही कार्य के क्रियान्वयन को पूर्ण किया जाना चाहिए।
- वांछित लाभ हेतु उल्लेखित आवधिक ड्रेजींग के साथ पायलट चैनल का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यरत बल यथा स. अभि./क.अभि. इत्यादि को अधिकतम स्तर तक शीघ्र भरा जाना चाहिए।

पथ निर्माण विभाग

2.2 बिहार के वृहद् जिला पथ

कार्यपालक सारांश

परिचय

वृहद् जिला पथ (वृ.जि.प.) आधारभूत संरचना के लिंक हैं जो कि उत्पादन क्षेत्र एवं शहरों के अंदर के बाजार से लोगों के आसान आवागमन तथा दूसरे वृहद् शहरों, गांवों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय एवं राजकीय पथों को जोड़ने का काम करते हैं। वृहद् जिला पथों के निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना से कार्यान्वयन स्तर पर निम्नलिखित कमियां पाई गई।

(कंडिका 2.2.1)

योजना

पथ निर्माण विभाग ने आगे के वर्षो में बढ़ते हुए यातायात भार तथा आबादी के आवश्यकता के अनुरूप योजना नहीं बनाई थी तथा मुख्य रूप से वृहद् जिला पथों पर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडींग क्वालिटी प्रोग्राम (आई.आर.क्यू.पी.) का कार्य कराया गया था। विभाग ने भी निर्मित वृजि.प. के रख–रखाव के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की थी।

(कंडिका 2.2.6)

वित्तीय प्रबंधन

विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान योजना के आवंटित राशि का 92 प्रतिशत उपयोग किया तथा शेष आठ प्रतिशत अभ्यर्पित कर दिया। जबकि 12 जांचित प्रमंडलो में, ₹ 1468.86 करोड़ के आवंटित राशि में से ₹ 1328.47 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 140.25 करोड़ (9.5 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया।

(कंडिका 2.2.7)

योजना का कार्यान्वयन

आई.आर.सी.: 37–2001 के तहत वांछित सात दिनों के यातायात गणना के विरूद्ध सात प्रमंडलों के 39 कार्यो में बिना कोई यातायात गणना के तथा तीन प्रमंडलों के 19 कार्यो में केवल तीन दिनों की यातायात गणना पर वृजि.प. के उन्नयन के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कंडिका 2.2.8)

(अ) ठेका प्रबंधन

विभाग के ठेका प्रबंधन में कमियां थी क्योंकि निविदा कम अवधि प्रकाशन के मामले, अयोग्य संवेदकों को काम दिये जाने के मामले तथा बिना कार्य कार्यक्रम के कार्य आवंटित किये जाने के मामले पाये गये जो कि नमूना जांचित प्रमंडलों में संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया था।

(कंडिका 2.2.8.2)

(ब) कार्यो का क्रियान्वयन

वृहद् जिला पथों के क्रियान्वयन में नमूना जांचित प्रमंडलों में अधूरे कार्य, अधिक भुगतान, बिना तकनिकी स्वीकृति के कार्यान्वयन तथा दण्ड/अग्रिमों आदि का वसूली नहीं किया जाना के मामले जैसी कमियां पाई गई। आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान वृ.जि.प. के क्रियान्वयन में 591 एकरारनामों में से 332 एकरारनामों में विलंब हुआ जिनमें से 16 एकरारनामें विखंडित किये गये तथा 158 कार्य अभी भी प्रगति पर था।

(कंडिका 2.2.8.3)

मानव बल प्रबंधन

सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता के पदों में क्रमशः 26 तथा 47 प्रतिशत रिक्तियाँ थी, जो कि सीधे तौर पर कार्य के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। आगे, उच्च स्तर पर मु.अ./अ.अ. के पदों में भी रिक्तियाँ थी। ये सभी विभाग के मानव बल प्रबंधन की कमियों को दर्शाते हैं।

(कंडिका 2.2.9.1)

निष्कर्ष

यद्यपि पथ निर्माण विभाग के निष्पादन में तुलनात्मक तौर पर दसवें पंचवर्षीय योजना से सुधार हुआ था परन्तु अभी भी बहुत–सी कमियां विद्यमान थी यथा वृ.जि.प. के चयन के लिए कोई सुनिश्चित मापदण्ड तैयार नहीं किया गया था जो बढ़ते यातायात के दबावों को पूरा कर सके। उपलब्ध निधि के उपयोग नहीं करने तथा अभ्यपर्ण के मामले भी मिले। ठेका प्रबंधन में भी कमियाँ थी क्योंकि आयेग्य एवं बहिष्कृत ठेकेदारों को भी कार्य आवंटित किये जा रहे थे। अन्य मामलों में अग्रिम में अनियमितता, मानव–शक्ति प्रबंधन में कमी, गुणवत्ता जांच में कमी के मामले भी प्रकाश में आये।

(कंडिका 2.2.11)

अनुशंसा

किसी भी वृहद् जिला पथ के आलेख तैयार करने से पूर्व विभाग को विश्वसनीय, पारदर्शी चयन मापदंड विकसित करना चाहिए। जबकि उन्नयन योजना तैयार करते समय आवश्यकतानुसार यातायात वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही ही उनका उन्नयन भारतीय रोड कांग्रेस/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित मानकों को प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए जो कि पुरे पारदर्शी और विभागीय संहिता के अनुसार हो। योजना की निगरानी क्षेत्र स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए और गुणवता नियंत्रण आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

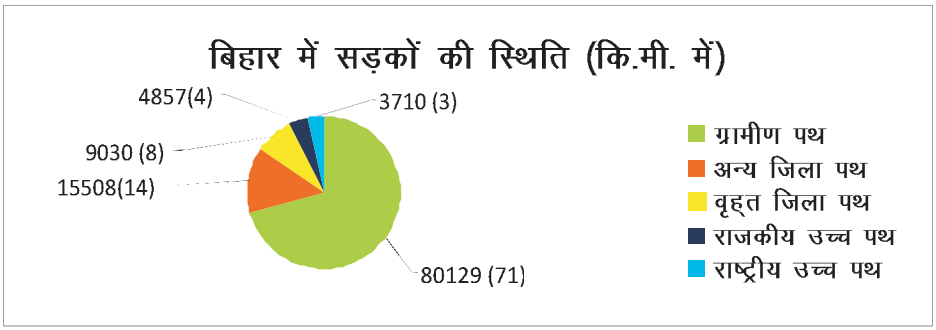
(कंडिका 2.2.12)

2.2.1 परिचय

राज्य के आधारभूत संरचना के विकास के लिए सड़कों का विकास मूलभूत अवयव है। बिना विकसित सड़क के कृषि उत्पाद के औद्योगीकरण एवं विपणन की परिकल्पना नही की जा सकती। भारतीय सड़कों के नेटवर्क में राष्ट्रीय उच्चपथ (एनएच.), राजकीय उच्चपथ (एस.एच.), वृहद् जिला पथ (वृ.जि.प.), अन्य जिला पथ (अ.जि.प.) तथा ग्रामीण पथ शामिल है जो कि विश्व में सबसे बड़ा है तथा देश का 65 प्रतिशत मालवाहन तथा 80 प्रतिशत यात्री आवागमन को ढ़ोता है। वृ.जि.प. आधारभूत संरचना के लिंक हैं जो कि लोगों को जिलो के अंदर उत्पादन क्षेत्र तथा बाजार से आसान आवागमन के लिए और इनको मुख्य शहरों, गांवों, सांस्कृतिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र, पर्यटक लगााव वाले क्षेत्रों से तथा जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्च पथों तथा राजकीय उच्चपथों से जोड़ते हैं। एस.एच. तथा वृ.जि.प., देश के कुल सड़क लंबाई का लगभग 13 प्रतिशत हैं जिसमें सड़क यातायात की 40 प्रतिशत भागीदारी है। बिहार में 31 मार्च 2012 तक कुल सड़क की लंबाई 113233.98 कि.मी. थी जिसमें से वृ.जि.प. की लंबाई 9030.10 कि.मी. (आठ प्रतिशत) थी जबकि अन्य जिला पथों का 15508 किमी. (14 प्रतिशत) था।

बिहार के सभी पथों की स्थिति नीचे आलेख में दी गई है:

आलेख-I

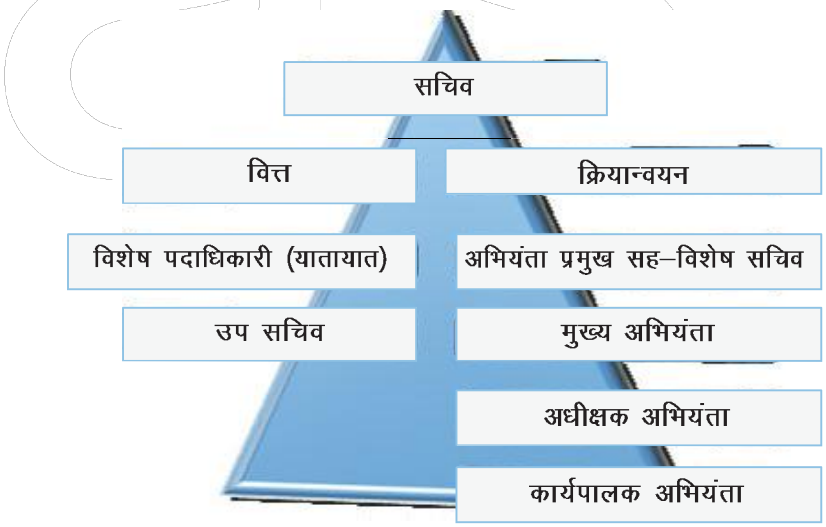


वृ.जि.प. का रख–रखाव तथा उन्नयन का क्षेत्राधिकार राज्य के पथ निर्माण विभाग के पास था।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

सचिव, पथ निर्माण विभाग पूरे विभाग के प्रभारी है जिनको सहयोग प्रदान करने के लिए अभियंता प्रमुख (अ.प्र.) सह विशेष सचिव, आठ मुख्य अभियंता (मुअ.), एक निदेशक (क्रय) तथा एक विशेष पदाधिकारी (यातायात) जो कि बजट तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण करने तथा प्रमंडल में बांटे गये बजट से कार्यो का क्रियान्वयन करवाते हैं। वृ. जि.प. का कार्य 39 प्रमंडलों के माध्यम से किया जाता है जो कि 38 जिलों में स्थित है तथा जिसके प्रमुख कार्यपालक अभियंता होते हैं, जो कि नौ अधीक्षण अभियंता के पर्यवेक्षण में कार्य करते है।

आलेख-II



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य का प्रयोजन यह आकलन करने के लिए था कि:

- जिला के पथों के निर्माण की योजना प्रक्रिया आवश्यकता पर आधारित तथा प्रभावी थी;

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावी तथा प्रभावशाली था;
- वृहद् जिला पथों के कार्यान्वयन के निर्माण कार्यक्रम प्रभावी, प्रभावशाली तथा मितव्ययी थे; तथा
- संगठनात्मक नियंत्रण तथा गुणवत्ता नियंत्रण, जो कि पथों की गुणवत्ता को बताते हैं, स्थान पर थे तथा प्रभावशाली थे।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानक

लेखापरीक्षा मानक के निम्नलिखित श्रोत थेः–

- बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि.ले.) संहिता;
- बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.);
- बिहार लोक निर्माण विभागीय (बि.लो.नि.वि.) संहिता;
- भारतीय पथ कांग्रेस (भा.प.काँ.) के विशिष्टीकरण, पथ परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय (प.प.उ.प.म.);
- विभागीय निदेश, समय–समय पर जारी परिपत्रक एवं
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना।

2.2.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2007–12 की अवधि का वृहद् जिला पथ का निष्पादन लेखापरीक्षा मई से अगस्त 2012 के मध्य किया गया। पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय स्तर के अभिलेखों तथा 39 प्रमंडलों में से 12 प्रमंडलों[1] के अभिलेखों को नमूना जाँच के लिए चयन किया गया। दस प्रमंडलो का चयन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रक्रिया से तथा दो प्रमंडलों का चयन अत्यधिक कार्यो के क्रियान्वयन के आधार पर किया गया। प्रवेश बैठक, सचिव पथ निर्माण विभाग के साथ अप्रैल 2011 में हुआ जिसमें लेखापरीक्षा मानक पर विचार विमर्श किया गया तथा संदर्भित तथ्यों को निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान उपर्युक्त जगहों पर शामिल किया गया। प्रश्नावली तथा ज्ञापन निर्गत किये गये थे तथा उसके जबाव को संदर्भित जगहों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया। उसके बाद, क्षेत्रों के दौरे को पूरा करने के बाद बर्हिगमन बैठक, जनवरी–2013 में सचिव, पथ निर्माण विभाग के साथ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा अवलोकनों को विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। विभाग के जवाब, जनवरी–2013 में प्राप्त हुए जिसे संदर्भित कंडिकाओं में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा के परिणाम

वृ.जि.प. के निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

2.2.6 योजना

पथ निर्माण की योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रारंभ होती है जिसमें आवश्यक विकास विभव, क्षेत्र, सड़क के गुण, निर्माण सामग्री का स्रोत, उपकरण तथा

[1] *(i) औरंगाबाद (ii) बांका (iii) बेतिया (iv) भागलपुर (v) छपरा (vi) दरभंगा (vii) लखीसराय (viii) नवादा (ix) न्यू राजधानी पटना (x) पटना पश्चिम (xi) पूर्णियां तथा (xii) सिवान।*

अन्य, अनुसूचित दर तथा गुण नियंत्रण का प्रावधान शामिल होता है। पेवमेंट के डिजाइन के लिए आई.आर.सी. तथा मौर्थ के दिशानिर्देशों के अनुसार यातायात गणना कराई जाती है तथा सी.वी.आर. जाँच किए जाते हैं। योजना की आवश्यकता रोड के नेटवर्क के विकास, रख–रखाव एवं उन्नयन के लिए भी होती है। उचित पथ रख–रखाव कम दर पर विश्वसनीय यातायात प्रदान करता है तथा पथ अवस्था एवं वाहन परिचालन मूल्य (वा.प.मू.) के बीच में सीधा संबंध होता है।

बिहार में, पथ निर्माण विभाग द्वारा नये वृ.जि.प. के निर्माण के लिए योजना नहीं बनाई गई जो कि आने वाले वर्षो में यातायात की आवश्यकता को दर्शाती है तथा मुख्य रूप से मौजूदा वृ.जि.प. पर आई.आर.क्यू.पी. तथा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाता है। निर्मित वृ.जि.प. के रख–रखाव के लिए विभाग द्वारा अब तक (जनवरी 2013) कोई नीति नहीं बनाई गई थी । राष्ट्रीय आँकड़ों से बिहार के सड़क के आँकड़ों की तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन में यह पाया गया कि बिहार, राष्ट्रीय औसत से आवश्यकतानुसार आबादी के अनुरूप क्षमता को पूरा करने में काफी पीछे था जो कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है:

तालिका संख्या-1
राष्ट्रीय आँकड़ो से तुलनात्मक विवरणी

क्रम सं0	मद	राष्ट्रीय	राजकीय
1	आबादी (लाख में)	12202	1040
2	सड़क लम्बाई प्रति लाख आबादी पर (कि.मी. में)	347.05	108.06
3	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	3287263	98940
4	वृहद् जिला पथ (कि.मी. में)	467763	9030.10

(स्रोतः विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन)

बिहार प्रति लाख आबादी के आधार पर सड़कों की लंबाई में पिछड़ रहा था जबकि नये गाड़ियों के निबंधन में पाँच गुणा वृद्धि हो चुकी थी। जहाँ 2005–06 में 080 लाख गाड़ियां थी वहीं 2011–12 में 353 लाख (जनवरी 2012 तक) गाड़ियां थी।। आगे, वृ.जि.प. का प्रतिशतता, देश के कुल क्षेत्रफल का 14 प्रतिशत था जबकि यह बिहार में केवल नौ प्रतिशत था। फिर भी यह पाया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप योजना वृ.जि.प. के उन्नयन के लिए बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए नहीं बनाया गया।

जवाब में, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को ठुकराया गया और यह बताया गया कि इस प्रकार की आबादी आधारित तुलना त्रुटिपूर्ण है और राज्य के सड़क घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर आधारित था जो कि राष्ट्र के समतुल्य था।

जबाव तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और गाड़ियों को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुरूप योजना नहीं बनाया गया था जबकि यह ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा योजना नहीं बनाने के चलते हुआ।

अन्य कमियाँ जो योजना से संबंधित थी नीचे के कंडिकाओं में विचार–विमर्श किया गया है:

2.2.6.1 वृहद् जिला पथों की पहचान

वृहद् जिला पथों के उन्नयन हेतु पथों का चयन वास्तविक एवं परिभाषित मापदण्ड के आधार पर किया जाना चाहिए था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वृहद् जिला पथों के पहचान के लिए विभाग के पास कोई पारिभाषित मापदण्ड नहीं था।

इस संबंध में पूछने पर अभियंता प्रमुख ने जबाव (दिसम्बर 2012) में कहा कि वृहद् जिला पथो के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के लिए पथों के पहचान हेतु मापदण्ड प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार किसी पथों के वृहद् जिला पथ के अन्तर्गत आने के लिए विभाग के पास किसी तरह का पारदर्शी मापदण्ड नहीं था।

वृ0जि0प0 के पथों की पहचान के लिए विभाग द्वारा कोई माप दण्ड नहीं था

फिर भी विभाग के द्वारा यह कहा गया कि उनके पास इस हेतु विश्वसनीय मापदण्ड था जबकि उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वृहद् जिला पथों के चयन हेतु कोई अनुमोदित मापदण्ड नहीं था। इस प्रकार वास्तविकता यह है कि विभाग के पास वृहद् जिला पथों के पहचान हेतु कोई अनुमोदित मापदण्ड नहीं था।

2.2.6.2 योजना की कमियाँ

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। 10 वर्षो का परसपेक्टिभ प्लान तैयार नहीं किया किया गया था

एक अप्रैल 2007 तक विभाग के पास 8158.07 कि.मी. का वृहद् जिला पथ था जिसमें 6566.06 कि.मी. एकल लेन (80 प्रतिशत) (अर्थात 3.05 मी. से 3.50 मी. चौड़ाई) था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 7714 कि.मी. वृहद् जिला पथों का उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था जिसमें एकल लेन वाले वृहद् जिला पथों के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण के साथ–साथ अन्य वृहद् जिला पथों[2] का मजबुतीकरण शामिल था।

जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वृहद् जिला पथों की लक्षित लम्बाई में से केवल 5420.97 कि.मी. (70 प्रतिशत) पथों का ही उन्नयन किया जा सका। इस प्रकार योजना अवधि में 2293.03 कि.मी. (30 प्रतिशत) कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई।

यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2012 तक विभाग के 9030.10 कि.मी. लम्बी वृहद् जिला पथों में से 4774.47 कि.मी. वृहद् जिला पथों के इन्टरमेडियेट लेन में उन्नयन करना अपेक्षित था।

फरवरी 2009 में परसपेक्टिव प्लान बनाने हेतु लिये गये निर्णय के बावजूद बाद में यह भी देखा गया कि अब तक विभाग द्वारा 10 वर्षो के लिए कोई परसपेक्टिव प्लान नहीं बनाया गया।

विभाग द्वारा जवाब में कहा गया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि योजना एवं संसाधन के क्रियान्वयन के संदर्भ में विभाग की संक्रमण अवधि थी। इसकी वास्तविकता से दृष्टिगोचर है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि दसवीं पंचवर्षीय योजना से नौ गुणा ज्यादा थी। बाद में यह भी सुनिश्चित किया गया कि बचे हुए वृहद् जिला पथों का उन्नयन उपलब्ध निधि के अनुसार एवं आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इस प्रकार विभाग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृहद् जिला पथों का उन्नयन नही कर सका साथ ही 10 वर्षो के लिये परसपेक्टिव प्लान बनाने में भी असफल रहा।

2.2.6.3 प्रस्तावित रणनीति का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के पूर्व वृहद् जिला पथों के उन्नयन के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा 2006 में एक रणनीति तैयार किया गया। जाँच में पाया गया कि विभाग सुझाये गये रणनीतियों का पालन नहीं किया जो निम्नवत् वर्णित हैः–

- राज्य सरकार को एक लचीला स्वायत्शासी निकाय जैसे प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट/मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) के रूप में स्थापित करना अपेक्षित था

[2] *मध्यवर्ती लेन, दोहरी लेन एवं चार लेनों वाली वृ.जि.प.*

जिसे पथ कार्यो के अनुश्रवण एवं निर्माण के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु सलाहकार/विशेषज्ञ को श्रम शुल्क पर रखने का जैसे विशेष अधिकार प्राप्त हो एवं जो त्वरित निर्णय लेने में समर्थ हो। यह पाया गया कि वृहद् जिला पथों के लिये इस प्रकार का निकाय स्थापित नहीं किया गया।

जवाब में विभाग द्वारा (जनवरी 2013) कहा गया कि उक्त लचीला स्वायतशासी निकाय प्रोजेक्ट डेभलापमेन्ट/मैनेजमेन्ट प्राधिकार प्राप्त एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी में वर्णित विशेष अधिकार प्राप्त संस्था के रूप में बिहार राज्य पथ विकास निगम (बिरा.प.वि.नि.) अप्रैल 2009 में स्थापित किया गया। जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं हैं क्योंकि वृहद् जिला पथों की कार्य संबंधित प्रमण्डलों द्वारा किया जाता है न कि बि.रा.प.वि.नि. द्वारा।

रख–रखाव के लिए नीति नहीं बनाई गई

- वर्त्तमान में प्रचलित चार वर्षो के अन्तराल की साईकिल फेज मेन्टेनेन्स के स्थान पर राज्य में सभी पथों के उचित रख–रखाव के लिये विस्तृत नीति तैयार करना प्रस्तावित था ताकि एक बार में सारे पथों का रख–रखाव किया जा सके। इस प्रकार वृहद् जिला पथों के रख–रखाव के लिये इस तरह की नीति विभाग द्वारा अब तक तैयार नही किया जा सका।

जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि पथों के रख–रखाव हेतु उक्त नीति तैयार कर ली गई है एवं सरकार से इसकी अनौपचारिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

- उन्नयन कार्यक्रम हेतु वित्त के लिये राज्य सरकार द्वारा योजना/गैर योजना निधि के निर्धारण से अव्यपगत रोड फंड स्थापित करना एवं पथ कर लागु करना प्रस्तावित था। जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा कोई भी प्रस्ताव का सूत्रपात नहीं किया गया एवं इस तरह की किसी निधि का सृजन नहीं किया गया।

जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि अव्यपगत निधि स्थापित करने के विचार पर निधि के स्रोत के दृष्टि से परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि बिहार जैसे कल्याणकारी राज्य में यांत्रिक ईंधन पर अतिरिक्त कर लागू कर उक्त निधि स्थापित करना उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार की प्रणाली सरकारी निधि के व्यवहारिक लेखांकन पद्धति के अनुकुल भी नहीं कहा जायगा।

इस प्रकार सरकार की योजना रणनीति 2007–12 की अवधि में पूरी तरह अकार्यान्वयित रही।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

विभाग को विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त होती है जैसे– राज्य योजना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड), सेन्ट्रल रोड फंड (सी आर एफ), रोड ऑफ इकोनोमिक इम्पारेटेन्स (ई.आई.), इन्टर स्टेट कनेक्टीभीटी (आइ.एस.सी.), बिहार व्यापार विकास कोष (बि.व्या.वि.को.), शीड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेन्ट (एस.सी. कम्पोनेन्ट) एवं बोर्डर एरिया डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (वी.ए.डी.पी.) के साथ बारहवीं वित्त आयोग से सहाय्य अनुदान। विभाग को आवंटित कुल राशि ₹ 17337.78 करोड़ में से वर्ष 2007–12 की अवधि मे ₹ 7646.17 करोड़ वृहद् जिला पथों को आवंटित किया गया। वर्ष 2007–12 की अवधि में आवंटन एवं व्यय निम्नवत् हैः

तालिका संख्या -2
वृहद् जिला पथो की आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन			व्यय			प्रत्यार्पण (प्रत्यार्पण का प्रतिशत)		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2007-08	945.93	163.82	1109.75	800.23	132.01	932.24	145.70(15)	31.81 (08)	177.51 (16)
2008-09	1481.31	128.58	1609.89	1228.30	104.88	1333.18	253.01(17)	23.70 (18)	276.71 (17)
2009-10	1200.05	273.99	1474.04	1160.43	268.39	1428.82	39.62 (03)	5.60 (02)	45.22 (03)
2010-11	1577.20	210.14	1787.34	1497.41	198.54	1695.95	79.79 (15)	11.60 (5.5)	91.39 (05)
2011-12	1324.21	340.94	1665.15	1306.60	320.93	1627.53	17.61 (1.1)	20.01 (06)	37.62 (02)
कुल	**6528.70**	**1117.47**	**7646.17**	**5992.97**	**1024.75**	**7017.72**	**535.73 (8.2)**	**92.72 (08)**	**628.45 (08)**

(स्रोतः पथ निर्माण विभाग, बिहार)

विभाग ने आवंटन का 92 प्रतिशत व्यय किया

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने अपने योजना आवंटन का 92 प्रतिशत उपयोग किया एवं शेष 8 प्रतिशत प्रत्यार्पण किया। यद्यपि नमूना के तौर पर 12 प्रमण्डलों में पाया गया कि कुल आवंटन ₹ 1468.86 करोड़ में से ₹ 1328.47 करोड़ व्यय किया गया ***(परिशिष्ट–2.2.1)*** एवं ₹ 140.25 करोड़ (9.5 प्रतिशत) प्रत्यार्पण किया गया। पुनः जाँच के दौरान वित्तीय प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

- वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग को प्राप्त कुल आवंटन ₹ 7017.72 करोड़ में से ₹ 389.16 करोड़[3] बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी.आर.पी.एन.एन.ली.) पटना को वृहद् जिला पथ कार्यो के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया एवं लेखा परीक्षा अवधि तक बी.आर.पी.एन.एन.ली. से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए ₹ 72.25 करोड़ की राशि प्रमण्डलों को 2007–12 के दौरान स्थानान्तरित किया गया

- वर्ष 2007–12 के दौरान विभिन्न वर्षो के मार्च माह में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए विभाग ने गैरयोजना मद निधि की राशि ₹ 72.25 करोड़ को प्रमंडलों में स्थानान्तरित कर दिया। विभाग द्वारा निधियों का स्थानान्तरण बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के प्रावधान के प्रतिकूल था।

- इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–06 में आर. ब्लॉक, यारपुर, पटना एवं हड़ताली मोड़ के नजदीक बेलीरोड पर फ्लाई ओभर निर्माण के लिए ₹ 59.00 करोड़ बी.आर.पी.एन.एन.ली. को दिया गया। बी.आर.पी.एन.एन.ली. जनवरी 2013 तक न तो फ्लाई ओभर का निर्माण किया, न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया।

जबाव में विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से लिया जायेगा। इसके साथ ही कहा गया कि बेली रोड पर फ्लाई ओभर की राशि का उपयोग बी.आर.पी.एन.एन.ली. को दी गई राशि योजना मद के अन्तर्गत दूसरे स्वीकृत रेलवे ओभर ब्रीज के निर्माण पर कर दिया गया। इसके लिये किसी प्रकार से निधि उपलब्ध किया जायेगा।

[3] *योजना-₹ 307.67 करोड़ + गैर योजना-₹ 81.49 करोड़ = ₹ 389.16 करोड़*

2.2.7.1 संबंधित शीर्ष में राजस्व का जमा नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता (नियम 414) एवं लेखा संहिता भाग–III 73 (ई.), लोक कार्य जमा नोट–2 के अनुसार कोई भी जमा जिसका वर्गीकरण तुरन्त नहीं किया जा सकता या समायोजन की प्रतीक्षा में लेखागत त्रुटियाँ हो, उसे निपटारा होने तक 'विविध जमा शीर्ष' में रखा जाना चाहिए।

विविध जमा राशि ₹ 36.30 करोड़ को सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया

वर्ष 2007–12 के दौरान नमूना के तौर पर चयनित 12 प्रमंडलों के जाँच में पाया गया कि रायल्टी एवं पेनल्टी के रूप में संवेदक से काटी गई राशि ₹ 36.30 करोड़[4] संबंधित राजस्व शीर्ष (0853, 1054) के स्थान पर विविध जमा (8443 पार्ट V) में रखा गया। महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना ने (मार्च 2009) सचिव पथ निर्माण विभाग को सलाह दिया था कि दण्ड शुल्कों से उत्पन्न राजस्व की राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया जाय।

जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि फार्म 'एम'[5] एवं 'एन'[6] तथा इसका सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की परिस्थिति में उक्त राशि विविध जमा शीर्ष में रखा गया। फिर भी संबंधित प्रमंडलों को निर्देशित किया गया है कि राशि को उपयुक्त शीर्ष में जमा किया जाय।

2.2.8 योजना का क्रियान्वयन

वृहद् जिला पथों पर कार्य करने की प्रक्रिया कम–से–कम सात दिनों के लिए यातायात गणना के साथ शुरू होता है, पथ का रूपांकन एवं निरूपण, केलिफोरनिया वियरिग रेसियो (सी.वी.आर.) के अनुसार मिट्टी के परीक्षण के परिणाम पर आधारित होता हैं। यातायात गणना और पथ का रूपांकन एवं निरूपण के आधार पर बाद में प्राक्कलन तैयार किया जाता है। तदोपरान्त अनुबंध की शर्तो एवं बिहार वित्तीय नियम के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध की जाती है एवं अंतिम रूप दिया जाता है। फिर पथों का कार्य विशिष्टियों के अनुसार होना चाहिए एवं विपत्रों का भुगतान संहिता के प्रावधानों के अनुकुल होना चाहिए।

विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 3277 करोड़ मूल्य के 591 अनुबंधों को कार्यान्वित किया। जिसमें से वृहद् जिला पथों के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 1003.67 करोड़ मूल्य के 172 अनुबंधों की जाँच की गई। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को आगे की कंडिका में वर्णित किया जा रहा है:–

2.2.8.1 सी. वी. आर. टेस्ट एवं यातायात गणना का अप्राप्य होना

इन्डियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.: 37–2001) उपबंध कहता है कि डिजाइन ट्रैफिक का वास्तविक प्राक्कलन प्राप्त करने के लिए वर्तमान या पुर्वानुमानित ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो पथ के नेटवर्क का संभावित परिर्वतन एवं डिजाइन लाइफ और ट्रैफिक के संभावित वृद्धि के लिये उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित

[4] *(i) औरंगाबाद -₹ 1.85 करोड़ (ii) बांका -₹ 0.55 करोड़ (iii) बेतिया -₹ 2.08 करोड़ (iv) भागलपुर -₹ 8.53 करोड़ (v) छपरा - ₹ 2.88 करोड़ (vi) दरभंगा -₹ 2.84 करोड़ (vii) लखीसराय - ₹ 0.63 करोड़ (viii) नवादा -₹ 2.41 करोड़ (ix) न्यू राजधानी पटना -₹ 2.32 करोड़ (x) पटना पश्चिम -₹ 5.82 करोड़ (xi) पूर्णिया -₹ 2.67 करोड़ (xii) सीवान -₹ 3.72 करोड़*

[5] *'एम' – संवेदक द्वारा प्रस्तुत एक शपथ पत्र जिसमें कार्य प्रमण्डलो तक लघु खनिजों का उठाव के सम्बन्ध में विवरण*

[6] *'एन'– खान के पट्टेधारी द्वारा दिया गया शपथ पत्र जिसमें संवेदक को लघु खनिजों की बिक्री का विवरण हो*

हो। किसी भी पथ के लिये प्रारंम्भिक प्रतिदिन औसत यातायात आवागमन का प्राक्कलन कम से कम 24 घंटे और सात दिनों के वर्गीकृत यातायात गणना पर आधारित हो।

यातायात गणना निर्धारित सात दिनों के बजाय सिर्फ तीन दिनों पर की गई

जाँच में पाया गया कि सात प्रमंडलों के 39 कार्यो में बिना यातायत गणना किए वृहद् जिला पथों के उन्नयन के लिये तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई ***(परिशिष्ट–2.2.2)*** एवं तीन प्रमंडलों के 19 कार्यो में केवल तीन दिनों के लिए ट्रैफिक सेन्सस किया गया ***(परिशिष्ट –2.2.3)***। बाद में एक कार्य के संदर्भ[7] में देखा गया कि दूसरे पथ के लिये तैयार किए गये प्राक्कलन हेतु उपयोग में लाये गये सर्वे डाटा को इस कार्य के लिये उपयोग में लाया गया।

जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि आईआर.सी. के मार्गदर्शन के अनुसार सात दिनों का यातायात गणना करना अनवार्य नहीं है फिर भी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले क्षेत्रीय इकाइयों एवं प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के लिये औसत प्रतिदिन गणना, आईआर.सी. के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

जवाब मानने योग्य नहीं है क्योंकि डिजाइन ट्रैफिक का वास्तविक प्राक्कलन प्राप्त करने के लिये वर्तमान ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था (आई.आर.सी. कंडिका–3.3.1.3)।

इसी प्रकार इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.:37–2001) यह भी परिकल्पित करता है कि पथ का रूपांकन सब ग्रेड निर्माण में प्रयोग किए जाने वाली प्रस्तावित सबसे कमजोर मिट्टी अथवा मिट्टी सर्वेक्षणों में किसी पथ भाग में सब ग्रेड स्तर पर अत्यधिक पाई जाने वाली मिट्टी के कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो[8] (सी.बी.आर.) के मान पर आधारित होना चाहिए। नये पथों के लिए पेवमेन्ट की माटाई का सुधार मिट्टी के परिवर्तनों के अनुसार समय–समय पर किया जा सकता है। जाँच के लिए चयनित नौ प्रमंडलों में पाया गया कि 37 पथों का कार्य बिना सी.बी.आर. जाँच किए ही किया गया ***(परिशिष्ट 2.2.4)***।

जवाब में विभाग द्वारा कहा गया कि (जनवरी 2013) किसी रोड के किसी खास हिस्सा के लिए सी.वी.आर. मूल्य की गुणवत्ता की माप भूमि के स्ट्रेन्थ स्थिति पर निर्भर करता है और समय के साथ इसके मूल्य में परिर्वतन नही होता है। यह मिट्टी का स्थायी विशिष्ट है जिसे क्षेत्रीय इकाई पूर्व में किये गये परीक्षण के आधार पर जानते है। जवाब सच्चाई से मेल नहीं खाता है क्योंकि प्रमंडलों के पास पूर्व के किए गये परीक्षण का अभिलेख नहीं था।

इस प्रकार वृहद् जिला पथों के उन्नयन के लिये तैयार किया गया प्राक्कलन अवास्तविक सी.वी.आर. मूल्य एवं अप्राप्य यातायात गणना डाटा पर आधारित था।

2.2.8.2 ठेका प्रबंधन

विभाग ने खुली प्रतिस्पर्धा बोली प्रणाली के माध्यम से ठेकेदारों का चयन वृहद् जिला पथों के निर्माण के लिए किया। इस संदर्भ में बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता (वि.लो.नि.वि.नि.), के प्रावधान स्टैंडर्ड बिडिंग दस्तावेज (स्टैं.बि.द.) के खंड और सरकार के विभिन्न परिपत्र कार्य को मितव्ययिता और कुशलता से क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त ठेकेदारों के चयन हेतु लागू थे। सरकार ने हर स्तर पर निविदा स्वीकृति हेतु सक्षमता निर्धारित किया। नमूना जाँचित प्रमण्डलों में निविदा दस्तावेजों की जाँच में

7 *जाकिहाट दलमालपुर गेरूआ पथ, पूर्णियाँ*

8 *यह एक मिट्टी पिंड में 1.25 / मिनट की मानक सर्कलर पिस्टन से दवाब बनाने के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला पदार्थ पर छेद करने के लिए लगाए गए दवाब का अनुपात है।*

अनुबंध आवंटन में नियमों और खंडो के उल्लंघन का पता चला जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में है।

- **परिमाण विपत्र की बिक्री के लिए अपर्याप्त अवधि प्रदान की गई**

परिमाण विपत्र की बिक्री के लिए कम समय दिया गया

विभाग ने सभी मु.अ./अ.अ./का.अ. को निर्देश दिया (जुलाई 2000) था कि यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रमंडल/अंचल/जिला नियंत्रण कक्ष में बी.ओ.क्यू.[9] बिक्री की तिथि से सात दिनों पूर्व से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इसकी बिक्री के लिए सात दिनों की अवधि दी जाय। इसके अलावा इसकी अनुपलब्धता पर निविदाओं की प्राप्ति के लिए तारीख बढ़ाया जा सकता था।

संवीक्षा में पता चला कि नमूना जाँचित प्रमण्डलो मे बी.ओ.क्यू. की बिक्री के 95 मामलों में एक से पाँच दिनों की अवधि दी गई थी जो कि नीचे तालिका संख्या–3 में दिखाया गया है:

तालिका संख्या-3
बी.ओ.क्यू. की बिक्री में लिए गए अवधि

क्रम सं0	प्रमंडल का नाम	परीक्षण जाँचित पथों की संख्या	पथ कार्यो की संख्या जिसमे बी.ओ.क्यू. की बिक्री के लिए कम समय दिया गया	पथ कार्यो की संख्या जिसमें एकल निविदा थी	एकल निविदा की एकरारनामा की राशि (₹ लाख में)	दिए गए दिवस की संख्या
1	औरंगाबाद	12	4	2	1859.97	3-5
2	बांका	14	1	1	967.62	5
3	बेतिया	17	15	4	2298.57	1
4	भागलपुर	13	8	6	5073.88	1
5	छपरा	12	1	-	-	3
6	दरभंगा	20	13	6	4232.55	1-3
7	न्यू राजधानी	18	14	-	-	3-5
8	पटना पश्चिम	14	4	3	1970.53	4-5
9	पूर्णिया	20	18	7	3188.92	1
10	सीवान	16	8	-	-	1-5
11	नवादा	11	7	4	1029.59	2-5
12	लखिसराय	5	2	2	484.47	2-5
	कुल	**172**	**95**	**35**	**21106.10**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि बी.ओ.क्यू. की बिक्री के लिए नमूना जाँचित पथ कार्यो में बेतिया, भागलपुर और पूर्णिया प्रमण्डलों में क्रमशः 17 में से 15, 13 में से 8 एवं 20 में से 18 में एक दिन की अवधि दी गई थी। यहाँ तक की नूतन राजधानी पटना प्रमण्डल में 18 में से 14 नमूना जाँचित पथ निर्माण कार्यो में 3–5 दिनों की अवधि परिमाण विपत्र की बिक्री के लिए दिया गया था। नमूना जाँचित की 172 सड़क निर्माण कार्यों में से 35 पथ कार्यो में जिसका मूल्य ₹ 211.06 करोड़ का था, एकल निविदा के आधार पर दिया गया था जो प्रतिस्पर्धी बोली की भावना के खिलाफ जाता है। इसके उत्तर में विभाग ने कहा कि अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए परिमाण विपत्र की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बाधक नहीं है, क्योंकि बोली का अर्थशास्त्र, प्रचार और अधिक भागीदारी पर निर्भर रहता है। आगे यह भी कहा गया

[9] *यह एक दस्तावेज है जिसमें निर्माण उद्योग में जो सामग्री भागों और परिश्रम को अलग–अलग उल्लेख किया जाता है और उनकी लागत निविदा में प्रयोग किया जाता है। यह मद वार निर्माण और मरम्मत के अनुबंध के नियम और शर्तो के विस्तृत विवरण को दर्शाता है जिससे कि संवेदक को यह पता चले कि जिसके लिए निविदा दी गई है, उसका मूल्य कितना है।*

कि चूँकि बोली ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापित थी, इसलिए परिमाण विपत्र के कम अवधि के लिए बिक्री की समस्या हटा दिया गया था।

उत्तर, बिहार वित्तीय नियम (131 एच नियम) और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था।

- **अयोग्य संवेदको को कार्य आबंटित**

एस.बी.डी. के खंड 4.8 के प्रावधानों के अनुसार भले ही बोलीदाता योग्यता के मापदंड को पूरा करते हैं, उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, अगर वे योग्यता संबंधी आवश्यकताओं के सबूत में प्रस्तुत संलग्नक में भ्रामक या झूठी अभ्यावेदन दिया हो, और/या खराब प्रदर्शन का रिकार्ड जैसे काम छोड़ देना, ठीक से अनुबंध को पूरा नहीं करना, वित्तीय असफलता एवं विवादित इतिहास, और/या एक ही काम के लिए पिछले बोली में भाग लिया था और अनुचित रूप से उच्च बोली की कीमत उद्धृत किया और नियोक्ता के लिए तर्कसंगत औचित्य नहीं प्रस्तुत कर सका, और जो निविदा में भाग लेने से बहिष्कृत था, आवंटित काम को पूरा, होने तक निविदा में भाग नहीं ले सकता है। बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा के मामलों में अगले उच्चतर प्राधिकारी की मंजूरी ले लिया जाएगा। इसके अलावा विभाग (मार्च 2009) में सभी मु.अ./अ.अ./का.अ. को निर्देश दिया था कि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के स्तर पर वैसे ठेकेदारों को अयोग्य घोषित करें जिन्होंने आवंटन के बाद काम शुरू नहीं किया था, कार्यो के पुरा होने में अनुचित और अत्याधिक देरी के लिए जिम्मेदार था, या जिसका मुक्कदमेबाजी का इतिहास था, या वित्तीय असफलता थी या कार्य में भाग लेने से बहिष्कृत था। इन शर्तो का ठेका देते समय पालन करना आवश्यक था। अभिलेखों की जाँच के क्रम में अनुबंध के आवंटन में अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन के निम्नलिखित मामलें देखे गयेः

अयोग्य एवं बहिष्कृत संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया

- चार नमूना जाँचित प्रमण्डलों में दो बहिष्कृत निजी ठेकेदारों मे0 जे.के.एम. इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मे0 गणेश राम दोकानिया ***(परिशिष्ट–2.2.5)*** को दस कार्य, जिसकी राशि ₹ 121.83 करोड़ थी, आवंटित किया गया।

विभाग ने कहा कि मे0 जे.के.एम. इंफ्रा प्रोजेक्ट के मामले की जाँच की जा रही है और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जबकि मे0 गणेश राम दोकानिया को बहिष्कृत के मामले में बिहार राज्य पुल निगम के एम.डी. के पत्र संख्या 3373 दिनांक 24 नवंबर 2009 द्वारा विमुक्त किया गया था।

मे0 गणेश राम दोकानिया के बहिष्कृत मामले के विमुक्ति के संबंध में दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 24 नवंबर 2009 दिनांकित पत्र द्वारा दो कार्यो[10] में से एक कार्य[11] से मुक्त किया गया था। एजेंसी को बहिष्कृत से फरवरी 2012 में मुक्त किया गया था।

- नई राजधानी पटना के तहत एक कार्य[12] जिसका मूल्य ₹ 5.98 करोड़ था, मेसर्स उमाशंकर एंड कंपनी को दिया गया जिसे तकनीकी बिड में अयोग्य घोषित किया गया था।

विभाग ने आवश्वासन दिया कि विस्तृत रिपोर्ट की प्राप्ति पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

10 *केन्दुआ पथ में बिलसी नदी पर पुल।*

11 *केन्दुआ पथ में बिलसी नदी पर पुल, सौरी हिरना पथ में द्वारा भूषण नदी पर पुल।*

12 *(3 एसबीडी/2009-10)*

अनिबंधित संवेदकों को कार्य का आबंटन

- इसके अलावा, दो निजी ठेकेदारों मेसर्स कृष्णा प्रसाद एण्ड कं.[13] एवं मेसर्स गणेश यादव[14] को दो कार्य, जिसका मूल्य राशि ₹ 14.22 करोड़ था, दिया गया जो विभाग में पंजीकृत नहीं थें जो कि ठेकेदार पंजीकरण नियमावली 2007 के कंडका–9 का उल्लंघन था।

इसके जवाब में विभाग ने बताया कि मेसर्स कृष्णा प्रसाद एण्ड कंपनी को पंजीकरण की समाप्ति के बाद छः महीने की अवधि के भीतर कार्य आवंटन किया गया, इसलिए एजेंसी को कार्य का आवंटन मान्य था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एजेंसी स्वीकार्य छः महीने की अवधि के बाद भी अपंजीकृत था।

- दो प्रमण्डलों के एकल निविदा के तीन मामलों में (₹ 1.41 करोड़) वि.लो.नि.वि. नियमावली के नियम 163 का उल्लंघन कर अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना निविदा निष्पादन किया गया ***(परिशिष्ट–2.2.6)***।

उत्तर में विभाग ने बाह्य सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

- पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद में एक निजी ठेकेदार (मेसर्स आर.के. कन्सट्रक्सन; औरंगाबाद) को सरकारी आदेश (मार्च 2009) का उल्लंघन कर एक कार्य के दर को इन्कार करने के उपरांत उच्च दर पर उसी कार्य को दिया गया, जिसका मूल्य ₹ 0.57 करोड़ था।

इसके जवाब में विभाग ने कहा कि काम उद्धरण आधार पर आमंत्रित किया गया था जिसमें कोई अग्रधन की राशि जमा करने का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए कोई जुर्माना नहीं काटा गया।

इस प्रकार 17 पथ कार्यो में ₹ 144.01 करोड़ राशि के कार्य अयोग्य ठेकेदारों को दिया गया।

- **कार्य कार्यक्रम का अप्रस्तुतीकरण**

बि.लो.का.वि. संहिता में उल्लेखित अनुबंध की विशेष शर्त्त के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ठेकेदार को प्रत्येक मद के निर्माण पद्धति के साथ कार्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए और इसका अनुमोदन प्रभारी अभियंता से कार्य के वास्तविक प्रारंभ होने के पूर्व ले लेना चाहिए।

संवेदकों से कार्य कार्यक्रम नहीं लिए गए थे

उपर कहे गए विशेष शर्त के उल्लंघन में सात प्रमण्डलों के ₹ 291.59 करोड़ की लागत से संबंधित 64 सड़क कार्यों (59 प्रतिशत) को ठेकेदारों द्वारा बिना कार्य कार्यक्रम लिए कराया गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा क्रम में यह भी पाया गया कि तीन प्रमण्डलों[15] के परीक्षण जाँच में सड़क निर्माण कार्य का 84 प्रतिशत कार्य कार्यक्रम प्राप्त किए बिना शुरू किया गया, जिसमें से 33 प्रतिशत काम में देरी की गई।

13 *8 एफ$_2$ /2007-08: ₹ 4.74 करोड़*

14 *2 एस.बी.डी./2006-07: ₹ 9.48 करोड़*

15 *(i) बेतिया (ii) दरभंगा (iii) पूर्णिया*

तालिका संख्या – 4

संवेदको द्वारा कार्य कार्यक्रम नहीं दिया गया

क्रम सं0	प्रमण्डल का नाम	परीक्षण जाँचित पथ कार्यों की संख्या	पथ कार्यों की संख्या जिसका कार्यक्रम नहीं दिया गया	वैसे कार्य जिनका कार्यक्रम नहीं दिया गया कि एकरारनामा की राशि (₹ लाख में)	अभियुक्ति (कार्य में विलम्ब)	माह में देरी की अवधि
1	औरंगाबाद	12	5	2194.19	5	9-14
2	बांका	14	2	1399.39	-	कार्य जारी
3	बेतिया	17	16	7162.74	1	1-4
4	दरभंगा	20	13	6225.82	7	4-38
5	पटना पश्चिम	14	4	1056.42	3	11-32
6	पूर्णिया	20	19	9816.03	8	6-24
7	नवादा	11	5	1304.82	5	8-36
	कुल	**108**	**64**	**29159.41**	**29 मामले**	

उपर से स्पष्ट है कि 29 मामलों में अनुसूचित तिथि से कार्य पूर्ण होने में देरी हुई। यह कमजोर अनुबंध प्रबंध का संकेत करता है और विभाग को भी, कार्य की असंतोषजनक प्रगति के कारण अनुबंध विखण्डन के मामलों में, कमजोर स्तर पर रखता है।

इसके जवाब में विभाग ने कहा कि यह अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि नए कार्य बिना विस्तृत कार्यक्रम को प्राप्त किए शुरू नहीं किया जाएगा और आगे से यह अनुबंध के हिस्से के रूप में होगा।

2.2.8.3 वृहद् जिला पथ कार्यों का कार्यान्वयन

परीक्षण जाँच प्रमण्डलों में वृहद् जिला पथ के कार्य निष्पादन की जाँच में पता चला कि कार्यो का कार्यान्वयन वन भूमि प्राप्ति की स्वीकृति किए बिना, अवैध खनन को प्रोत्साहन, बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्यारंभ और दंड/अग्रिमों की वसूली नहीं किए जाने के मामलों का पता चला जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में है। आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान 591 (राज्य स्तर) अनुबंधों को किया गया जिसमें से 332 कार्यों में चार से 44 माह अवधि की विलम्ब हुई थी जिसमें से 16 एकरारनामा विखण्डित करना पड़ा तथा 158 कार्य अभी भी प्रगति में थे।

परीक्षण जाँच प्रमण्डलों के कार्यों के क्रियान्वयन में पाई गई अन्य कमियाँ अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चित है:

- **वन भूमि के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन लिए बिना कार्य किए जाने के कारण अधूरा पथ कार्य**

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में अनुबंध है कि एक राज्य के किसी भी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग में किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

वनापत्ति प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ करने से कार्य अपूर्ण रहा

संविक्षा में पता चला कि सितम्बर 2010 में लौरिया शिकारपुर ठोरी (41–46 कि.मी.) पथ के गुणवत्ता कार्यक्रम (आई.आर.क्यू.पी.) का कार्य एकरारित राशि ₹ 2.58 करोड़ पर एक वर्ष के निर्धारित समय में पुरा करने के लिए शुरू किया गया। चूँकि पथ बाल्मीकी बाघ परियोजना क्षेत्र में पड़ रहा था, इसलिए राष्ट्रीय वन जीव परिषद, नई दिल्ली से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था। हलांकि कार्य का आरंभ बिना पूर्व अनुमति के शुरू

किया गया और बाद में ₹ 1.15 करोड़ के खर्च के बाद बंद कर दिया गया (मार्च 2011) क्योंकि वन विभाग से वन भूमि को पथ निर्माण हेतु अनापत्ति नहीं ली गई थी।

इसके उत्तर में विभाग ने कहा कि लौरिया शिकारपुर ठोड़ी सड़क की कुल लंबाई 46.8 किलोमीटर थी। इसमें से केवल 39 किलोमीटर सड़क का काम संरक्षित वन क्षेत्र के कारण नहीं कराया जा सका था। हालाँकि, वाहन पुरे पथ पर चल रहें थे। परन्तु तथ्य यह है कि राष्ट्रीय वन परिषद् से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य आरंभ करने के कारण कार्य पर ₹ 1.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी पथ का कार्य अधूरी रह गयी थी।

- **फर्जी बीजक पर अधिक भुगतान**

फर्जी अलकतरा बीजक पर अधिक भुगतान

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केवटी–रैयाम पथ (कि.मी. 0 से 7.5) के आई.आर.क्यू.पी. कार्य में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में दर्ज किए गए 163.768 एम.टी. अलकतरा खपत के विरूद्ध संवेदक द्वारा उपयोग किए गए 162.602 एम.टी. अलकतरा का बीजक समर्पित किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से उन अलकतरा बीजकों की सत्यता की त्रियक जाँच में प्रकट हुआ कि संवेदक द्वारा मात्र 9814 एम.टी. अलकतरा का उठाव किया गया था। अलकतरा बीजकों की सत्यता की मिलान नहीं कराए जाने के परिणामस्वरूप कार्यपालक अभियंता ने 65.62 एम.टी. अलकतरा पर ₹ 22 लाख का अधिक भुगतान किया।

जवाब में विभाग ने कहा कि दोषी संवेदक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया गया।

जवाब पर्याप्त नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा दोषी संवेदक के विरूद्ध ली गई कर्रवाई से अवगत नहीं कराया गया।

- **अलकतरा के मूल्य निष्प्रभावन पर अस्वीकार्य भुगतान**

एस.बी.डी. के अनुबंध 10 सीसी(ए) में प्रावधान है कि मूल्य समायोजन प्रारंभ तिथि से प्रारंभिक उद्देश्य पूर्ण होने की तारीख तक अथवा अभियंता द्वारा स्वीकृत अवधि विस्तार वाले अवधि में किए गए कार्यो पर लागू होगा, परन्तु ठेकेदार के कारणों की वजह से निर्धारित अवधि से आगे किए गए कार्यो पर लागू नहीं होगा। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प (मार्च 2008) में कहा गया कि एफ़[16] एकरारनामा में संवेदक को अलकतरा की लागत में वृद्धि एवं कमी होने पर सवंदक को मूल्य निष्प्रभावन वैसे कार्यो पर देय होगा जो नियत अवधि में अथवा अनुमोदित विस्तारित अवधि में पूर्ण किया गया हो।

मूल्य निष्प्रभावन पर अस्वीकार्य भुगतान

पथ प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत दो पथ कार्यो के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नियत अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने तथा समय वृद्धि स्वीकृत नहीं होने के बावजूद ₹ 38.18 लाख अस्वीकार्य मूल्य निष्प्रभावन दिया गया, जैसा कि तालिका सं0 5 में दिखाया गया है:

[16] *प्रपत्र–2 कार्य का एकरारनामा पत्र*

तालिका संख्या– 5
समय वृद्धि स्वीकृति दिए बिना मूल्य निष्प्रभावन की सूची

(₹ लाख में)

प्रमंडल	पथ का नाम/अनुबंध संख्या	अनुबंध मूल्य	नियत समाप्ति की तिथि	राशि	समाप्ति तिथि
नवादा	पकरीबरावाँ वारसलीगंज पथ के कि.मी. 0 से 12.50 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य 5 एफ2/2007–08	450.33	30.07.2009	28.97	30.6.2011
सुदृढ़ीकरण	अतरी जेठियन तपोवन वनगंगा पथ के कि.मी. 22.70 से 33.30 तक में मजबूतीकरण कार्य 21 एफ2/2006–07	179.71	15.03.2008	9.21	9.4.2008
कुल	**दो पथ कार्यों**	**630.04**		**38.18**	

इस प्रकार, एकरारनामा के उपबंधों का उल्लंघन कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया था। दोषी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किए गए थे।

जवाब में विभाग ने कहा कि अवधि विस्तार की स्वीकृति की प्रत्याशा में संवेदक को मूल्य निष्प्रभावन दिए गए थे एवं अवधि विस्तार नहीं होने की स्थिति में वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि अवधि विस्तार की स्वीकृति की प्रत्याशा में मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान किए जाने का नियम प्रावधानित नहीं था।

- **अग्रिमों में अनियमितताएँ**

ठेका की शर्तो में संवेदकों को अग्रिम प्रावधानित है। इस तरह की अग्रिम में अक्षरणीय सामग्री अग्रिम, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा यंत्र–संयत्र अग्रिम होंगे। अग्रिमों की वसूली की संवीक्षा में निम्न अनियमितताएँ उजागर हुईः

मोबलाइजेशन अग्रिम

एस.बी.डी. के अनुबंध 10 (बी) (II) में प्रावधानित है कि मोबलाइजेशन अग्रिम निविदा राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जा सकती है बशर्ते कार्य आरंभ करने के आदेश के एक माह के अन्दर संवेदक द्वारा लिखित अनुरोध किया जाय। ऐसी स्थिति में अग्रिम संवितरण के पूर्व संवेदक उस अग्रिम की पूरी राशि के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित अनुसूचित सरकारी बैंक का बैंक गारंटी देंगे। तत्पश्चात् ठेके की कुल राशि का 80 प्रतिशत कार्य कार्यन्वयन होने तक पूरी राशि तथा अवशेष राशि पर देय ब्याज की वसूली किया जाना है।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लखीसराय प्रमंडल के अन्तर्गत् खैरा मेहसौनी भाया मानिकपुर पथ का कार्य जुलाई 2008 में विखंडित कर दिया गया तथा संवेदक को दिए गए मोबलाइजेशन अग्रिम ₹ 82.70 लाख की वसूली नहीं की गई।

जवाब में विभाग ने कहा कि राशि की वसूली के लिए निदेश निर्गत कर दिए गए।

यंत्र एवं संयंत्र अग्रिम

एस.बी.डी. के अनुबन्ध 10 (बी) (III) में उल्लेखित है कि संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर यंत्र–संयत्र लाने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से अनुरोध करने पर यंत्र–संयंत्र अग्रिम दिया जा सकता है बशर्ते संबंधित यंत्र–संयंत्र सरकार को बंधक हो, तत्पश्चात् ठेके की कुल राशि का 80 प्रतिशत कार्य कार्यन्वयन होने तक पूरी राशि तथा उस पर देय ब्याज की वसूली किया जाना है।

यंत्र संयंत्र अग्रिम ₹ 2.25 करोड़ की वसूली नहीं की गई

लेखा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्य समाप्ति के बावजूद ₹ 2.25 करोड़ ब्याज सहित यंत्र–संयत्र अग्रिम की वसूली नहीं की गई जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका सं0– 6
यंत्र संयंत्र अग्रिमों की कम अथवा वसूली नहीं किया जाना

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	यंत्र एवं संयंत्र अग्रिम एवं ब्याज की वसूलनीय राशि	अभ्युक्ति
बाँका	पैकेज	01एफ$_2$/2006-07	174.82	कार्य पूर्ण
	पैकेज	01एफ$_2$/2006-07	49.82 (यंत्र–संयंत्र पर ब्याज)	- यथा -
		कुल	**224.64**	

जवाब में विभाग ने कहा कि पथ प्रमंडल बाँका से संबंधित अग्रिमों का समायोजन संवेदक के अंतिम विपत्र से कर लिया जाएगा।

तथ्य से स्पष्ट है कि अनुबंध 10 बी (III) के अन्तर्गत वर्णित यंत्र–संयंत्र की वसूली संवेदक से नहीं की गई थी।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 100 में प्रावधान है कि पारित अभिश्रव के विरूद्ध भुगतान के लिए दिए गए अस्थायी अग्रिम का लेखा यथाशीघ्र समायोजित किया जाना चाहिए।

पाँच वर्षो से अधिक समय से 41 कर्मचारियों के विरूद्ध ₹ 52.58 लाख अग्रिम लंबित

चयनित आठ प्रमंडलों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि कथित प्रावधानों के विपरीत पाँच वर्षो से अधिक समय से 41 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध ₹ 52.58 लाख अस्थायी अग्रिम लंबित थे। यह भी पाया गया कि नियंत्री पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से इन अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए उन वर्षो के दौरान कोई भी कार्रवाई नहीं की। अग्रिमों की विवरणी नीचे तालिका सं0–7 में दिखाया गया है:

तालिका सं0– 7
लंबित अस्थायी अग्रिम

(₹ लाख में)

क्रम सं0	प्रमंडल का नाम	व्यक्तियों की संख्या	लंबित अस्थायी अग्रिमें			कुल
			स्थानांतरित	अवकाश प्राप्त	मृत	
1	औरंगाबाद	3	-	0.08	15.84	15.92
2	भागलपुर	7	2.86	-	0.16	3.02
3	छपरा	7	0.06	-	-	0.06
4	दरभंगा	8	19.83	-	1.00	20.83
5	नवादा	7	0.92			0.92
6	न्यू राजधानी	1	-	-	4.02	4.02
7	पटना पश्चिम	3	-	0.85	0.04	0.89
8	पूर्णिया	5	6.92	-	-	6.92
		41			**कुल**	**52.58**

तालिका से परिलक्षित है कि उस दौरान 35 अधिकारीगण दूसरे प्रमंडलों में स्थानांतरित थे, दो अवकाश प्राप्त एवं चार मृत थे। संबंधित अधिकारियों से अग्रिमों का समायोजन नहीं होने से राशि का दुर्विनियोजन होने की आशंका थी।

जवाब में कहा गया कि वित्त विभाग की सलाह के अनुसार विभागीय निदेश निर्गत कर दिया गया। प्रमंडलों द्वारा वसूली के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

- **क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं**

एस.बी.डी. के अनुबंध 2 में प्रावधान है कि यदि संवेदक अनुबंध 5 की शर्त में वर्णित आवश्यक प्रगति को बनाए रखने अथवा कार्य पूर्ण करने में तथा ठेका की समाप्ति पर अथवा उसके पूर्व अथवा कार्य समाप्ति की विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल होता है तो विधि के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय रहने के बावजूद इसका उल्लंघन किए जाने पर एकरारित क्षतिपूर्ति राशि वह सरकार को भुगतान करेगा।

संवेदकों से ₹ 58.45 लाख क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं किया गया

यह अवलोकन किया गया कि तीन नमूना जाँचित प्रमंडलों (अगस्त 2012) में पाँच पथ कार्यो के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण आरोपित किए गए ₹ 58.45 लाख[17] की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में प्रमंडल विफल रहा।

जवाब में विभाग ने आश्वश्त किया कि अंतिम विपत्र में समायोजन कर लिया जाएगा।

- **प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध खनन को प्रोत्साहन**

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्य संवेदकों को सिर्फ पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी एवं अधिकृत विक्रेताओं से खनिजों का क्रय करना है। कार्य प्रमंडल तब तक संवेदकों का विपत्र प्राप्त नहीं करेगा जबतक कि कार्यो में प्रयुक्त किए गए लघु खनिजों की विवरणी से संबंधित फार्म 'एम' के रूप में शपथपत्र के साथ फार्म 'एन' के रूप में उस शपथ पत्र एवं विवरणी की छायाप्रति नहीं देगा। पूर्ण विवरण सहित शपथपत्र की छायाप्रति को जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी से सत्यापन हेतु भेजा जाना था जिसके अधिकार क्षेत्र में खनिज का क्रय किया गया था। कथित शपथ पत्र के सत्यापन में पूर्ण अथवा आंशिक गलत पाए जाने पर विभाग/प्रमंडल सुनिश्चित होगा कि खनिज अवैध खनन से प्राप्त किया गया तथा जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी कथित शपथ पत्र बनाने वाले के विरूद्ध इन नियमों के तहत् कार्रवाई करेंगे।

फार्म 'एम' एवं 'एन' लिए बगैर ₹ 42.65 करोड़ का अनियमित भुगतान

लेखा संविक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन कर छह प्रमंडलों ने 33 पथ कार्यो में प्रयुक्त किए गए लघु खनिजों का फार्म 'एम' एवं 'एन' एवं परिवहन चालान ***(परिशिष्ट–2.2.7)*** लिए बगैर ₹ 42.65 करोड़ (ढुलाई प्रभार ₹ 16.27 करोड़ सहित) का भुगतान किया था।

तत्पश्चात्, पटना पश्चिम प्रमंडल के कार्य में प्रयुक्त खनिजों का गलत फार्म 'एम' एवं 'एन' संवेदक (मेसर्स सी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.; नई दिल्ली) ने समर्पित किया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता द्वारा पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। इस तरह की कार्रवाई राज्य में अवैध खनन को प्रोत्साहन देगी।

जवाब में विभाग ने कहा कि वर्त्तमान में फार्म 'एम' एवं 'एन' लाने के पश्चात ही भुगतान किया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया कि मे0 सी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., नई दिल्ली के संदर्भ में मामला जाँचाधीन है।

- **विशिष्टी के अनुरूप कार्यों का नहीं होना**

मोर्थ के विनिर्देशों का कार्यो में पालन नहीं किया जाना

मोर्थ विनिर्देशों के सेक्सन 504.5 के अनुसार बिटुमिनस रोड़ी को दूसरे अर्द्ध घने बिटुमिनस कंक्रीट से अथवा इस सतह को बचाने के लिए 48 घंटे के अन्दर वियरिंग

[17] *(i) गंगा पुल पर पहुँच पथ, भागलपुर ₹ 3.83 लाख (ii) भागलपुर अगरपुर कोतवाली पथ भागलपुर ₹ 10.54 लाख (iii) सी.एम.डी.जी. पथ, छपरा ₹ 7.52 लाख (iv) तिलकामांझी चम्पानगर पथ भागलपुर ₹ 33.21 लाख, एवं (v) वारसलीगंज कतरपुर पथ, नवादा ₹ 3.35 लाख।*

कोर्स से ढ़क देना चाहिए। अगर किसी प्रकार की देरी प्रत्याशित हो तो उसे यातायात के लिए खोलने से पहले सील कोट से ढ़का जाना चाहिए, जैसा कि मोर्थ के खण्ड 513 में निर्धारित है। ऐसे मामलों में सीलकोट काम करने के लिए प्रासंगिक माना जाएगा एवं इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि छः प्रमण्डलों के 24 सड़कों, जिनकी लागत ₹ 129.65 करोड़ थी, बी.एम. कार्यो के निष्पादन के बाद छः से 287 दिनों की देरी से एस.डी.बी.सी. किया गया था, तथा सीलकोट भी नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.2.8)***। विलंब के इस मामलों में सुरक्षातत्मक सील काट कार्य भी नहीं कराया गया था क्योंकि मापी पुस्त में इसकी प्रविष्टी नहीं थी। इस प्रकार सम्पादित कार्य विशिष्ट के अनुरूप नहीं था।

इसके जवाब में विभाग ने बताया कि आमतौर पर अगली परत का तत्काल विछाना सुनिश्चित किया गया था, परन्तु स्थल पर अपरिहार्य कारणवश कुछ मामलों में देरी हुई। ऐसे मामलों में टैक कोट का छिड़काव सुनिश्चित किया गया था।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि मोर्थ विनिर्देशों के अनुसार देरी के मामले में सील कोट आवश्यक था।

- **अलकतरा के गैर निपटान के कारण हानि**

बि.लो.नि.वि. संहिता के नियम 276 के अनुसार, कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता के आदेश से वैसे अप्रयुक्त भंडारों का निपटारा कर देना चाहिए, जिनका लेन–देन दो वर्षो से नहीं हुआ हो।

बिटुमिन के गैर निपटान के कारण हानि

लेखा परीक्षा जाँच में तीन प्रमण्डलों[18] में पता चला कि 327.328 मीट्रिक टन बिटुमिन वर्ष 2004–05 से ही अप्रयुक्त थे। हालांकि इसे अप्रचलित घोषित किया गया था, उसके निपटान की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिससे विभाग को ₹ 57.88 लाख[19] का नुकसान हुआ।



(पथ प्रमण्डल, नवादा के भंडार में अलकतरा पड़ा रहना)

जवाब में विभाग ने बताया कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय द्वारा लिया गया है। गुणवता परीक्षण पूरा कर लिया गया है और तदनुसार शीघ्र ही इसकी उपयोगिता सुनिश्चित की जाएगी।

18 *(i) औरंगाबाद (ii) नवादा (iii) सीवान*

19 *पहली अगस्त 2005 से प्रभावी आई.ओ.सी. की दर = ₹ 17683.37/एम.टी. x327.328 एम.टी. = ₹ 57.88 लाख*

- **प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक व्यय**

बि.लो.नि.वि. संहिता के खण्ड 183 के अनुसार यदि स्वीकृत प्राक्कलन से 20 प्रतिशत अधिक व्यय की संभावना प्रतीत हो, चाहे इसका कारण अपर्याप्त दर हो या कोई भी अन्य कारण या जब कोई अधिक उतार–चढ़ाव या विचलन हो तो संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक स्वीकृति का संशोधन नहीं किया गया

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि 17 सड़क निर्माण कार्य पर व्यय ***(परिशिष्ट–2.2.9)*** प्रशासनिक स्वीकृति से 20 से 121 प्रतिशत अधिक था। तीन से 51 महीने की अवधि समाप्त होने के बावजूद (जून, 2012) भी प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित नहीं किया गया था।

इसके जवाब में विभाग ने कहा है कि कार्रवाई जाँच के बाद की जाएगी।

- **कार्यप्रारंभ से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं**

₹ 30.42 करोड़ के सात कार्यों को बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारंभ किया जाना

बि.लो.नि.वि. संहिता के नियम 126 के अनुसार, पेट्टी कार्यो एवं मरम्मती को छोड़कर, हर काम, जिसे किया जाना हो एवं जिसकी लागत अ.अ. की सक्षमता से अधिक न हो, का एक विस्तृत प्राक्कलन सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हेतु तैयार किया जाना चाहिए। यह स्वीकृति प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति कहलाएगी और यह कार्य प्रारम्भ करने से पहले ले ली जानी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि तीन प्रमण्डलों के सात कार्यों जिनकी एकरारित राशि ₹ 30.42 करोड़ थी, इनमें आवश्यक तकनीकी स्वीकृति कार्य प्रारम्भ के पूर्व प्राप्त नहीं की गई थी जिसे की तालिका सं–8 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं0– 8
तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य प्रारंभ

(₹ लाख में)

क्रम सं0	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा सं0	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा/कार्यादेश की तिथि
1.	दरभंगा	आई.आर.क्यू.पी. कार्य पुराने एन.एच. 57 पथ के देलही मोर से इकबिन्दा	49 एस.बी. डी. / 2011-12	447.41	26-03-12/ 03-03-12
2.	दरभंगा	चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण बेनीपुर बिशनपुर रोड 0 से 12.50 किमी वर्ष 2011–12 के लिए	31 एस.बी.डी. / 11-12	1055.13	26-12-11/24-12-11
3.	सीवान	आई.आर.क्यू.पी. कार्य मेरवा–दरौली रोड (0–14 किमी)	एस.बी.डी. 2(S) 2011-12	330.14	21.12.11
4.	सीवान	पी.आर. कार्य न्यू सीवान हसुआ रोड (2–12 किमी)	23एफ 2 2011-12	175.87	21.12.11
5.	सीवान	पी.आर. कार्य सीवान अन्दर रोड (0–16.25 किमी)	1 एस.बी.डी. 2011-12	254.27	21.12.11
6.	सीवान	जीरादेई–नरेन्द्रपुर रोड (0–5 किमी)	7 एफ 2 2011-12	52.94	17.12.11
7.	पटना पश्चिम	सगुना मोड़ जंक्सन (बेली रोड और दानापुर खगौल रोड जंक्सन) का सुधार	38 एस.बी.डी. / 09-10	726.66	13.07.09
		कुल		**3042.42**	

इस प्रकार, संहिता के प्रावधानों का पालन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नही किया गया।

इसके जवाब में विभाग ने स्वीकार किया कि कुछ कार्य अत्यावश्यक होने के कारण, तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारंभ कराया गया था। जिसे बाद में स्वीकृति ले लिया गया था। संहिता के प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जा रहा था।

तथ्य यह था कि आवश्यक संहिता के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.2.9 संगठनात्मक नियंत्रण

जनशक्ति प्रबंधन, निरीक्षण का आयोजन और नियंत्रण पंजियों यानि पथ पंजी का रख रखाव जैसे संगठनात्मक नियंत्रण कमजोर पाये गये, जिसके कारण नीचे वर्णित है:

2.2.9.1 मानव बल प्रबंधन

कनीय अभि. से मु. अभि. के पदों की रिक्तियाँ मानव बल के उचित प्रबंधन न होने की द्योतक थी

विभाग की दक्ष कार्यशीलता आवश्यक मानव बल की उपलब्धता एवं उपलब्ध मानव बल के समुचित प्रबन्धन पर निर्भर करता है। स्वीकृत बल और विभाग के तकनीकी कार्यरत बल की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका सं0– 9
मार्च 2012 तक (तकनीकी कर्मियों) स्वीकृति बल एवं कार्यरत बल

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
1.	मुख्य अभियंता	8	3	5 (62)
2.	अधीक्षण अभियंता	39	36	3(8)
3.	कार्यपालक अभियंता	123	123	0 (0)
4.	सहायक अभियंता	614	452	162(26)
5.	कनीय अभियंता	1067	565	502 (47)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, जो कार्य के समुचित कार्यान्वयन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, के पदों में 26 एवं 47 प्रतिशत तक रिक्तियाँ थी। इसके अलावा शीर्ष स्तर पर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता के पदों में भी रिक्तियाँ थी। यह विभाग में मानव बल प्रबंधन की कमी का सूचक था। कर्मचारियों की कमी से कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

इसके जवाब में विभाग ने कहा कि मुख्य अभियंता पद के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही थी। सहायक अभियंता की सीधी नियुक्ति के लिए बी.पी.एस.सी. द्वारा पद विज्ञापित किया जा चुका था। इसके अलावा कनीय अभियंता की नियुक्ति की प्रक्रिया जल संसाधन विभाग के माध्यम से किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि विभाग तकनीकी पदों में महत्वपूर्ण कमी के साथ कार्य कर रहा था।

2.2.9.2 निरीक्षण

सरकार के आदेशानुसार (जुलाई 2008), अधीक्षण अभियंता को सप्ताह में कम से कम तीन दिन विस्तृत निरीक्षण करना था।

नियमानुरूप निरीक्षण नहीं किया गया

लेखापरीक्षा की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि अधीक्षण अभियंताओं द्वारा प्रमंडलों में अगस्त 2008 से मार्च 2012 तक में वांछित 4512[20] निरीक्षणों में से सिर्फ 715 निरीक्षण (16 प्रतिशत) किए गए थे। तत्पश्चात् किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदनों पर कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का अभिलेख नहीं थे। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंताओं द्वारा कार्यो का पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया गया था।

मामले विभाग को सूचित किए गए (अगस्त 2012) तथापि अबतक कोई भी जवाब प्राप्त नहीं था (फरवरी 2013)।

[20] *188 सप्ताह ×3 दिन ×8 अंचल = 4512 निरीक्षण*

2.2.9.3 मापी पुस्त

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता (नियम 234) में उल्लेखित है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मापीपुस्त में दर्ज की गई मापी का कम से कम 10 प्रतिशत की जाँच एवं मापी प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा मापी पुस्त की जाँच नहीं की गई

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जाँचित आठ प्रमंडलों[21] में प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा 20 अद्दमापी पुस्तों में दर्ज मापी की जाँच नहीं की गई थी। यह संहिता प्रावधानों के अनुपालन की विफलता एवं गलत मापी की आशंका की संभावना को दर्शाता था।

विभाग का कहना था कि इसे सुनिश्चित किया जा रहा था।

2.2.9.4 पथ पंजी का संधारण नहीं

पथ पंजी संधारित नहीं थी

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की परिशिष्ट ए 3 (11) में प्रमंडलों को एक पथ पंजी संधारित करना है जिसमें पथ का विवरण, उस पर संधारित कार्यो का क्रियान्वयन एवं शीर्षवार राशि व्यय किए जाने का विवरण अंकित हो।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि नमूना जाँचित आठ प्रमंडलों[22] में पथ पंजी संधारित नहीं किया गया जबकि एक प्रमंडल[23] में उसे अद्यतन नहीं किया गया था।

जवाब में विभाग ने कहा कि पथ पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जा रहा था।

2.2.10 गुणवत्ता नियंत्रण आश्वासन

पथों के गुणववत्ता के पहलू को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि संवेदकों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु स्थलों पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं था तथा आवश्यक परीक्षण भी नहीं कराया गया था

किसी भी कार्य अथवा उत्पादन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, यह गुणवत्ता में सुधार, निर्माण में एकरूपता तथा सामग्री की अधिक किफायती उपयोग सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं के गाड़ियों के संचालन, परिवहन एवं रख–रखाव लागत जैसे में महत्वपूर्ण बचत करता है। जाँच से विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण आश्वासन में निम्नलिखित कमियाँ प्रकटित हुईं:

- तीन प्रमण्डलों के 44 पथ कार्यो में, जिनका मूल्य ₹ 261.57 करोड़ था, ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कार्य स्थलों पर नहीं की गई थी हालाँकि यह अनुबंध शर्तो के अनुसार आवश्यक था ***(परिशिष्ट 2.2.10)***।

विभाग ने कहा कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट मंडल कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में आम तौर पर नहीं रखा गया था और मंडल कार्यालय में ऐसी रिर्पोटों की अनुपलब्धता ही यह सबूत है कि संवेदकों द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना/परीक्षण की जाँच/आवश्यक परीक्षणों की संख्या के लिए नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग के पास सड़क निर्माण में गुणवत्ता परीक्षण के समर्थन में कोई सबूत नहीं था।

- सड़क और पुल कार्यो के लिए मोर्थ के विनिर्देशों की धारा 903 में निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक गुणवत्ता जाँच की संख्या के संबंध में उल्लेखित है। लेखापरीक्षा में पता चला कि पाँच प्रमण्डलों के 62 सड़क निर्माण कार्यो में विनिर्देशन से कम जाँच कराई गई थी ***(परिशिष्ट 2.2.11)***।

21 *(i) औरंगाबाद (3) (ii) बाकां (2) (iii) बेतिया (1) (iv) दरभंगा (1) (v) लखीसराय (2) (vi) नवादा (3) (vii) पटना पश्चिम (3) (viii) पूर्णिया (5).*

22 *(i) औरंगाबाद (ii) बाकां (iii) बेतिया (iv) भागलपुर (v) छपरा (vi) पटना पश्चिम (vii) नई राजधानी पटना (viii) सीवान।*

23 *पूर्णियाँ।*

विभाग ने कहा कि जहाँ तक कम परीक्षण का संबंध था, निर्धारित परीक्षणों का अन्तराल निर्धारण केवल सलाह था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने मोर्थ के विनिर्देशों के अनुसार कार्य का क्रियान्वयन के दौरान गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया था और स्वयं भी अपने मानकों के अनुरूप गुणवत्ता परीक्षण शुरू नहीं किया था।

- पूर्णियाँ प्रमंडल और दरभंगा अंचल में परीक्षण प्रयोगशाला कार्यात्मक नहीं थे। आठ परीक्षण प्रमण्डलों के जाँच की गुणवत्ता परीक्षण में यह पाया गया कि प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक कर्मियों की संख्या नहीं थी और स्वीकृत 62 पद के लिए सिर्फ 25 कर्मियों का पदस्थापन किया गया था।

विभाग ने कहा कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उन्नयन सुनिश्चित किया जा रहा था।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि विभाग द्वारा पथ कार्य के लिए गुणवत्ता पहलू को आवश्यक महत्व नहीं दिया गया।

2.2.11 निष्कर्ष

हलांकि पथ निर्माण विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से अपने प्रदर्शन में अपेक्षाकृत सुधार किया था, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में कमियाँ थी। विभाग के पास वृहद् जिला पथ के चयन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित किया मापदंड नहीं था। साथ ही यातायात की वृद्धि की चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई योजना भी नहीं थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एकल वृहद् जिला पथ को मध्यवर्ती वृहद् जिला पथ में चौड़ा करने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। इसके अलावा, चयनित वृहद् जिला पथ का उन्नयन आवश्यक यातायात गणना और सी.वी.आर. परीक्षण के बिना किया गया था। ये उपलब्ध निधि के गैर उपयोग के उदाहरण थे। अनुबंध प्रबंधन दोषपूर्ण था क्योंकि कार्य का आवंटन बहिष्कृत और अयोग्य ठेकेदारों को किया गया था। अन्य कमियाँ, जैसे ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान, अग्रिम भुगतान में अनियमितता और अवैध खनन का मौन प्रोत्साहन पाया गया। मानव बल प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त स्तर पर नहीं था। इस प्रकार, विभाग को वृहद् जिला पथों पर यातायात घनत्व के निरंतर वृद्धि को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए था।

2.2.12 अनुशंसाएँ

- विभाग को यातायात में लगातार वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुसार वृहद् जिला पथ के उन्नयन की योजना बनानी चाहिए;
- वृहद् जिला पथों के आलेखों को तैयार करने हेतू विश्वसनीय पारदर्शी उद्देश्य चयन मापदंड अवश्य ही विकसित किया जाना चाहिए;
- ठेकेदारों को कार्यावंटन एक पारदर्शी तरीके से विभागीय संहिता के अनुसार किया जाना चाहिए;
- वृहद् जिला पथ का उन्नयन भारतीय रोड कांग्रेस/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए;
- मानव बल प्रबंधन को मजबूत किया जाना चाहिए; और
- योजना की निगरानी क्षेत्र स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए और कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्याय III
वृहत् कंडिकाएँ

अध्याय III

वृहत् कंडिकाएँ

मानव संसाधन विकास विभाग

3.1 पटना विश्वविद्यालय का कार्यकलाप

3.1.1 परिचय

बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में, राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हुई थी। वर्त्तमान में इसमें 31 स्नातकोत्तर विभाग (पी.जी.), चार संस्थान[1] तथा छः संबद्ध ईकाई[2] थें। पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दस अंगीभूत महाविद्यालय थे। पी.जी. विभागों, महाविद्यालयों तथा संस्थानों में छात्रों की मौजूदा संख्या 18 हजार से ज्यादा थी। शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 1004 के विरूद्ध 448 शिक्षक कार्यरत थे। वर्त्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित मानक 1:10 से 1:30 के विरूद्ध 1:42 था। राज्य के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। कुलपति (वी.सी.) प्रमुख कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण, प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहाकार, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी उप कुल सचिव तथा अन्य व्यक्ति जिन्हें अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जा सकता है, की सहायता से रखते हैं। वर्त्तमान में कुलपति की नियुक्ति का मामला विवाद में हैं।

3.1.2 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2007–12 की अवधि शामिल थी जिसकी लेखा परीक्षा मार्च से जुलाई 2012 के बीच की गई। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति तथा अंतःसंरचना के प्रबंधन की जाँच हेतु लेनदेन लेखापरीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच की गई, यद्यपि लेखापरीक्षा का दायरा विभिन्न अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सीमित था, जैसेः

- विश्वविद्यालय चयन समिति की कार्यवाही पंजी, सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका जैसी महत्वपूर्ण अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित क्षेत्र जाँच नहीं की जा सकी। भर्त्ती प्रक्रिया, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति नीति और सेवा मामलों पर टिप्पणी नहीं की जा सकी और इन मामलों में अधिक भुगतान की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
- विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण, शैक्षणिक गतिविधियाँ, जैसे नामांकन, ड्रॉप आउट अनुपात, छात्रवृति कोष का उपयोग, छात्रों की सफलता का दर, कैम्पस नियोजन तथा अनुसंधान गतिविधियों पर टिप्पणी, नहीं की जा सकी।
- रोकड़ पंजी, नियंत्रण पंजी, जैसे मौलिक अभिलेखों तथा सम्पूर्ण एवं विश्वसनीय लेखा के अभाव में बजट बनाने की प्रकिया एवं उसके नियंत्रण पर कोई टिप्पणी, नहीं की जा सकी।

1 *पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, संगीत संस्थान, मनोविज्ञानी अनुसंधान एवं सेवा संस्थान एवं लोक प्रशासन संस्थान।*

2 *केन्द्रीय अस्पताल, कम्प्यूटर केन्द्र, अतिथिशाला, प.वि.केन्द्रीय पुस्तकालय, प.वि.प्रेस एवं कार्य विभाग।*

उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों को आगे की कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

3.1.3 वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय का वित्त पोषण, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) तथा केन्द्र सरकार के अनुदान से किया जा रहा था। आंतरिक स्रोत जैसे, छात्रों से शुल्क एवं जुर्माना तथा अन्य प्राप्तियों से भी विश्वविद्यालय द्वारा वित्त का प्रबंध किया गया था। वर्षवार आय एवं व्यय की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका–1: पटना विश्वविद्यालय का आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**कुल**
राज्य सरकार से अनुदान (एच.आर.डी.)	53.37	51.78	59.99	60.12	120.78	**346.04**
आंतरित स्रोत से आय	23.05	22.00	19.81	20.22	21.50	**106.58**
कुल आवर्ती प्राप्तियाँ[3]	**76.42**	**73.78**	**79.80**	**80.34**	**142.28**	**452.62**
यू.जी.सी. अनुदान	1.39	3.04	0.94	5.58	1.04	**11.99**
केन्द्र सरकार से अनुदान एवं अन्य	1.15	0.69	0.48	2.68	4.48	**9.48**
कुल योग	**105.51***	**77.51**	**81.22**	**88.60**	**147.80**	**500.64***
व्यय	***2007-08***	***2008-09***	***2009-10***	***2010-11***	***2011-12***	***कुल***
वेतन एवं भत्ते पर व्यय (एच.आर.डी.)	78.01	57.08	52.81	70.82	98.48	**357.20**
अन्य आवर्ती व्यय	16.74	11.47	13.35	15.87	17.31	**74.74**
कुल आवर्ती व्यय[4]	**94.75**	**68.55**	**66.16**	**86.69**	**115.79**	**431.94**
यू.जी.सी. अनुदान से संबंधित व्यय	1.85	1.74	1.75	1.23	0.59	**7.16**
केन्द्र सरकार के अनुदान एवं अन्य से व्यय	1.37	1.68	0.75	2.10	1.67	**7.57**
सकल योग	**97.97**	**71.97**	**68.66**	**90.02**	**118.05**	**446.67**

* **01.04.2007 के ₹ 26.55 करोड़ का आरम्भिक शेष शामिल**

(स्रोतः– पटना विश्वविद्यालय का बजट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र)

ऊपर की तालिका से स्पष्ट था कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान में ₹ 53.37 करोड़ से ₹ 120.78 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि आंतरिक स्रोत से आय 2007–12 के दौरान लगभग स्थिर थी। आंतरिक संसाधनों से आय स्थिर रहने का कारण मुख्यतः दो दशकों से अध्ययन शुल्क एवं छात्रवास शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं किया जाना था।

आंतरिक स्रोत से आय लगभग स्थिर थी

वित्तीय प्रबंधन की अन्य कमियों की चर्चा नीचे की कंडिकाओं में किया गया है:

3.1.3.1 विश्वविद्यालय कोष का संधारण नहीं किया जाना

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 46 के अनुसार पटना विश्वविद्यालय कोष, नाम से, विश्वविद्यालय के लिए कोष की संधारण की जाएगी, जो अधिनियम के तरह विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए निहित होगा। इसमें विश्वविद्यालय को प्राप्त सभी राशियों को जमा किया जाएगा ताकि पटना विश्वविद्यालय के पास कोष उपलब्धता का समेकित डाटाबेस हो।

लेखा परीक्षा (जुलाई 2012) में देखा गया कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के प्रविष्ट की विवरणी के अनुसार विश्वविद्यालय कोष का संधारण नहीं किया गया था एवं

[3] *वैसी प्राप्तियाँ जो पुनरावृत्ति प्रकृत्ति की है, जैसे शुल्क, अनुदान आदि।*

[4] *वैसा व्यय जो पुनरावृति प्रकृति का है, जैसे वेतन, आकस्मिकता आदि।*

बिना किसी केन्द्रीकृत खाता के कई बैंक खातों को संचालित किया गया था। लेखा परीक्षा को प्रस्तुत बैंक खातों में निम्नांकित कमियाँ पाया गया:

15 बैंक खातों के लेनदेन को रोकड़ बही एवं प्राप्ति एवं भुगतान खाता में शामिल नहीं किया गया था

- विश्वविद्यालय द्वारा कुल संचालित बैंक खातों को प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि जाँच के दौरान पाया गया कि 15 बैंक खातों के लेनदेन को न तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में शामिल किया गया एवं नहीं रोकड़ बही में दर्ज किया गया था। इन खातों का शेष ₹ 0.27 लाख से ₹ 122.20 लाख के बीच था।

तालिका–2: बैंक खातों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम सं.	खाता का नाम	खाता संख्या	शेष	दिनांक
1	स्वयं वित्त पोषित/वोकेशनल कोर्स प्राप्ति खाता	20245448965	122.20	01.04.2011
2	स्वयं वित्त पोषित खाता	3045831602	56.61	31.03.2011
3	भवन निर्माण खाता	20245361924	1.20	31.03.2011
4	स्थानांतरण एवं संग्रहण खाता	3043639615	20.81	31.03.2011
5	खाता–1 पटना कॉलेज	237728	9.78	31.03.2011
6	खाता–1 पटना साईस कॉलेज	237736	2.39	31.03.2011
7	खाता–1 वाणिज्य महाविद्यालय	237752	1.33	31.03.2011
8	खाता–1 पटना लॉ कॉलेज	237744	1.09	31.03.2011
9	खाता–1 पटना ट्रेनिंग कॉलेज	237761	0.27	31.03.2011
10	खाता–1 बी.एन.कॉलेज	138464	26.99	03.03.2011
11	खाता–1 आर्ट एवं क्राफ्ट कॉलेज	9537678	0.64	05.04.2011
12	खाता–1 पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज	212363	5.89	03.03.2011
13	खाता–1 मगध महिला कॉलेज	212326	35.45	03.03.2011
14	जी.पी.एफ. खाता	20245395705	9.14	15.06.2012
15	आर.टी.आई. अधिनियम 2005	20245444278	0.29	15.06.2012
	योग		**294.08**	

रोकड़बही एवं अन्य अभिलेख के अभाव में उपरोक्त खातों के लेनदेन की जाँच एवं परिणामित नहीं किया जा सका। उपर्युक्त बैंक खातों में हुए लेन देन खातों को शामिल नहीं किए जाने के कारण प्राप्ति एवं भुगतान सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता था। लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए पटना विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2012) कि विभिन्न शीर्षों से संबंधित खातों को अद्यतन करने की कारवाई की जा रही थी।

बैंक समाशोधन विवरणी कभी तैयार नहीं की गयी थी

- लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 2012) कि रोकड़ बही एवं बैंक खाते की भिन्नता के समाशोधन हेतु विश्वविद्यालय ने कभी भी बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया था। रोकड़ बही को उचित तरीकें से संधारित एवं सन्तुलित नहीं किया गया था। जिसके कारण रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी एवं गलतियों को सुधारा नहीं जा सका। इसके कारण दुर्विनियोजन गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए, पटना विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2012) कि 10 बैंक खातों का वर्ष 2010–11 तक तथा तीन बैंक खातों का 2007–08 तक बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर लिया गया है।

अव्यवहृत निधि का विवेकपूर्ण निवेश नहीं किया गया था

- विश्वविद्यालय के विकास कोष[5] से संबंधित बैंक विवरणी से परिलक्षित था कि वर्ष 2007–12 के दौरान न्यूनतम अव्यवहृत वार्षिक शेष ₹ 2.96 करोड़ एवं ₹ 7.18 करोड़ के बीच था। अगर अव्यवहृत कोष को अल्पकालीन जमा/फलैक्सी फिक्सड डिपाजिट जैसे प्रतिलाभ साधनों में निवेश किया गया होता तो विश्वविद्यालय ₹ 75.19 लाख ब्याज के रूप में अर्जित करता ***(परिशिष्ट 3.1.1)*** आगे, यू.जी.सी. की मार्गदर्शिका के अनुसार अर्जित ब्याज को विश्वविद्यालय के खाते में अतिरिक्त अनुदान माना जाएगा। लेखा परीक्षा के क्रम में (जुलाई 2012) पाया गया कि पटना विश्वविद्यालय के कार्य विभाग द्वारा ₹ 95.50 लाख को इलाहाबाद बैंक के ब्याज रहित खाता (चालू खाता) में रखा गया जिसके परिणास्वरूप विश्वविद्यालय कोष में ब्याज के रूप में ₹ 6.18 लाख की हानि हुई ***(परिशिष्ट 3.1.2)***।

विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2012) कि यह अनिवार्य नहीं हैं कि राशि को फिक्सड डिपाजिट खाता में रखा जाए। यद्यपि स्वतः स्वीप सुविधा के उपयोग के लिए प्रयास किया जा रहा हैं।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के लिए पर्याप्त योजना की आवश्यकता थी ताकि कोष का विवेकपूर्ण निवेश एवं उपयोग हो।

3.1.3.2 विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया जाना

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 34(1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय लेखा के संधारण हेतु नियम बनाया जाना था, पुनः अधिनियम की धारा–45 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन सिडीकेट[6] के निर्देशन में तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा को सम्मिलित किया जाना था। विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा को सिंडीकेट के प्रस्ताव (अगर कोई हो) के साथ राज्य के विधान सभा के अगले सत्र में विचार के लिए उपस्थापित किया जाना था।

वार्षिक लेखा कभी तैयार नहीं किया गया था, एवं लेखा के संधारण हेतु नियम भी नहीं बनाया गया था

अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से ही कभी भी वार्षिक लेखा का निर्माण नहीं किया था। फलस्वरूप, अधिनियम में वार्षिक लेखा के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित सभी प्रावधानों का घोर उल्लंधन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के पास लेखा का कोई स्वीकृत प्रोफार्मा नहीं था। यद्यपि विश्वविद्यालय ने 2007–11 की अवधि के लिए ''प्राप्ति एवं भुगतान खाता'' को तैयार करने तथा उसके ''आंतरिक अंकेक्षण'' का कार्य मेसर्स वरूण एवं कंपनी को सौंपा था।

बजट के जाँच में पाया गया कि दायित्वों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया था जैसे बिजली एवं नगरपालिका कर के लिए, वर्ष 2011–12 के बजट में ₹ 102.65 करोड़ के विरूद्ध ₹ 50.78 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था, जो यह दर्शाता था कि बजट में भी खर्च के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, वार्षिक लेखा के अभाव में आर्थिक गतिविधियाँ जैसे सम्पत्तियों, दायित्वों, विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त एवं भुगतान किए गए ऋण एवं अग्रिम, निवेश आय पर व्यय के संचयी आधिक्य/कमी को निश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखा एवं

5 *विकास निधि– इस निधि का उपयोग, भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, उपस्कर, पुस्तक एवं जर्नल का क्रय, छात्र/कर्मी सुविधाएँ, सहायक विस्तार गतिविधियाँ एवं संगोष्ठी/कार्यशाला आदि के आयोजन हेतु किया जाना है।*

6 *विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद।*

उचित आधारभूत अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण अंकेक्षण का दायरा सीमित हो गया था।

जवाब में विश्वविद्यालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि धारा 34(1) के अनुसार विहित प्रोफार्मा एवं पंजी में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आय एव व्यय लेखा बनाने हेतु नियम बनाने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

3.1.3.3 रोकड़ बही संधारण

प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी को, जो सरकारी राशि को प्राप्त करता है या भुगतान करता है, रोकड़ बही का संधारण करना चाहिए। प्रत्येक महीने के अंत में रोकड़ बही को मिलान बैलेन्स कर बंद करना चाहिए एवं अंतिम शेष को वास्तविक रोकड़ से मिलान करना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

रोकड़ बही का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था

- विश्वविद्यालय के पास रोकड़ बही की संख्या से संबंधित अभिलेख नहीं था। हाँलांकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए 27 रोकड़ बहियों के नमूना जाँच मे पाया गया कि रोकड़ बहियों का न तो योग किया गया था एवं न ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था,
- आरम्भिक शेष एवं अंतिम शेष को सत्यापित नहीं किया गया था,
- प्रत्येक माह के अंत में मासिक भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था।

पटना विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया (अक्टुबर 2012) एवं इसका कारण कर्मचारियों की कमी को बताते हुए कहा की रोकड़ बहियों को अद्यतन करने का प्रयास किया जा रहा है।

3.1.3.4 असमायोजित अस्थायी अग्रिम

अस्थाई अग्रिम हेतु आवश्यक नियंत्रण शर्तें निम्न हैं:

- दिए गए अग्रिम का लेखा जितना जल्द हो सके भेजा जाना चाहिए तथा अव्ययित शेष प्रायोजन/क्रय के पूरा/अंतिम रूप देने के बाद शीघ्र लौटा देना चाहिए।
- अग्रिम दिए जाने का कारण तथा शर्त्त संस्वीकृति आदेशों में पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए।
- बकाया कर्जों तथा अग्रिमों की समीक्षा करते समय अग्रिम के पुनर्भुगतान में हुई अनियमितताओं, शेष की स्वीकृत सूचना और वसूल नहीं की गई तथा संदेहास्पद परिसम्पतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कर्ज लेने वाले के पास पिछले कर्जे में से ही पर्याप्त अप्रयुक्त राशि होने पर उसको एक ही प्रयोजन के लिए और अधिक ऋण स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, तथा यह दिखाने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए कि ऋण का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिनके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं।
- आपूर्तिकर्त्ता एवं ऋण प्राप्त कर्त्ता को दी गई अग्रिम का आवधिक समाशोधन विवरणी उचित लेखा सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाना चाहिए।
- अग्रिम के लिए नियंत्रण पंजी संधारित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि व्यक्तियों/एजेन्सियों के पास लम्बी अवधि से अस्थायी अग्रिम की राशि लंबित थी। उपलब्ध अभिलेखों के नमूना जँच (जून 2012) में पाया गया कि:

अस्थायी अग्रिम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव में लम्बे समय से असमायोजित थे

- उपरोक्त अग्रिमों के समायोजन का अनुश्रवण नहीं किया गया था।
- 80 व्यक्तियों/विभागाध्यक्षों को पूर्व स्वीकृत अग्रिम के समायोजन के बिना नया अग्रिम स्वीकृत किया गया।
- केन्द्रीयकृत अभिलेख एवं नियंत्रण पंजी संधारित नहीं किए जाने के कारण अग्रिम की सही स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।
- मार्च 2012 को ₹ 6.31 करोड़ की अस्थायी अग्रिम (₹ 4.30 करोड़ परीक्षा निधि से तथा ₹ 2.01 करोड़ आकस्मिक निधि से) असमायोजित थी, जो नीचे दी गई है:

तालिका संख्या–3
वर्षवार लंबित अग्रिम

(राशि ₹ में)

वर्ष	आकस्मिक निधि	परीक्षा निधि	योग
आरम्भिक शेष	2071922	18777795	20849717
2007-08	4395412	6854475	11249887
2008-09	-	1674525	1674525
2009-10	-	3230145	3230145
2010-11	-	5156483	5156483
2011-12	13690897	7290698	20981595
सकल योग	**20158231**	**42984121**	**63142352**

- इन अग्रिमों में से, ₹ 2.08 करोड़, जिसे 123 व्यक्तियों को अप्रैल 2007 के पूर्व स्वीकृत किया गया था, अभी तक असमायोजित था (जून 2012) असमायोजित अग्रिम में 58 बाहरी ऐजेन्सियो को सामग्री की आपूर्ति हेतु दिया गया ₹ 69.39 लाख भी शामिल था ***(परिशिष्ट 3.1.3)*** अग्रिम विभिन्न व्यक्तियों के पास एक से पाँच से ज्यादा वर्षो से समायोजन हेतु लंबित था।

यद्यपि, विश्वविद्यालय द्वारा समायोजन विपत्र नहीं समर्पित करने पर अधिकारियो पर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जो, विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारी स्तर पर अनुश्रवण में चूक को दर्शाता था। असमायोजित अस्थायी अग्रिम के समायोजन के अनुश्रवण हेतु आवश्यक तंत्र को नहीं होना, अपर्याप्त एवं निस्प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का सूचक था। उचित अभिलेखों के संधारण के अभाव में लेखा परीक्षा का दायरा सीमित था। लम्बी अवधि से बिना उचित अभिलेखों के अग्रिम का समायोजन/वसूली नहीं होने से, सरकारी राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना थी।

विश्वविद्यालय द्वारा लंबित अस्थायी अग्रिम के समायोजन नहीं किए जाने का कारण कर्मचारियों की कमी बताते हुए कहा गया (अक्टूबर 2012) कि लंबित अस्थायी अग्रिम ₹ 6.31 करोड़ में से ₹ 45.62 लाख का समायोजन किया जा चुका है तथा शेष अग्रिम की राशि का समायोजन प्रक्रियाधीन है। जवाब, विश्वविद्यालय द्वारा लंबित अग्रिम की वसूली में विफलता का सूचक था।

3.1.3.5 यू.जी.सी. राशि का कम उपयोग

योजना के अभाव में, विश्वविद्यालय ₹ 5.71 करोड़ के यु.जी.सी. अनुदान से वंचित हुआ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा ग्यारहवीं योजना (2007–12) में सामान्य विकास अनुदान[7] एवं विलय योजना अनुदान[8] के तहत कुल ₹ 12.13 करोड़ (जुलाई 2009) के अंतिम आवंटन की स्वीकृति प्रदान किया गया एवं जून 2007 से नवम्बर 2010 के दौरान संभावित आवंटन पर अग्रिम योजना अनुदान के रूप में ₹ 6.42 करोड़ विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया था। विमुक्ति आदेश में यह वर्णित था कि अनुदान का अप्रयुक्त भाग व्यपगत माना जाएगा। विवरण ***परिशिष्ट 3.1.4*** एवं निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या –4

राशि के उपयोग से संबंधित विवरण

(₹ लाख में)

योजना	स्वीकृत राशि	किस्तों की संख्या	प्राप्त अनुदान	जून 2012 तक उपयोग में लायी गई राशि। (प्रतिशत)	शेष राशि अप्रयुक्त राशि	व्यपगत राशि
सामान्य विकास अनुदान	756.25	5	393.25	196.10 *(50)*	197.15	363.00
विलय योजना अनुदान	457.00	2	248.50	28.30 *(11)*	220.20	208.50
कुल	**1213.25**	**7**	**641.75**	**224.40 *(35)***	**417.35**	**571.50**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा केवल ₹ 2.24 करोड़ का उपयोग किया गया एवं जून 2012 तक ₹ 4.17 करोड़ अप्रयुक्त था। इस प्रकार विश्वविद्यालय ₹ 5.71 करोड़ के शेष अनुदान से वंचित रहा जो व्यपगत हो गया। तत्पश्चात अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नांकित तथ्य उजागर हुए:

- **अपूर्ण कार्य पर अलाभदायक व्यय**

विश्वविद्यालय अनुदान आयेग द्वारा वर्ष 2005–09 के दौरान सामान्य विकास अनुदान के तहत सात भवनों के निर्माण/पुनरूद्धार हेतु पटना विश्वविद्यालय को ₹ 2.27 करोड़ स्वीकृत एवं ₹ 1.52 करोड़ विमुक्त किया गया था। प्राक्कलन का अनुमोदन भवन समिति द्वारा किया गया था एवं ₹ 2.70 करोड़ के एकरारित मूल्य पर सात संवेदकों को (अगस्त 2008 एवं जुलाई 2009 के बीच) कार्य आवंटित किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्यो को फरवरी 2009 से अप्रैल 2010 की अवधि के दौरान पूर्ण कर देना था।

7 *विकास अनुदान– विकास सहायता का उपयोग विद्यमान आधारभूत संरचना को संचित रखने एवं विश्वविद्यालय की बदलती आवश्यकताओं तथा समाज की जरूरतों को उचित रूप से पूरा करने हेतू शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशासन को आधुनिक करने के साथ–साथ प्रसार तथा क्षेत्रीय वाह्य गतिविधियों के लिए किया जाना था।*

8 *विलय योजना– शिक्षकों/वैज्ञानिक/तकनीकी पदाधिकारियों/प्रशासी कर्मियों, प्रशासन, वित्त एवं परीक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय के सभी प्रशारी पदाधिकारियों जैसेः– प्रति कुलपति/रेक्टर, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, लाइब्रेरियन तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य ग्रुप 'ए' पदाधिकारियों को बाहर हानेवाले अंतराष्ट्रीय कांफ्रेंस/सेमिनार/सिम्पोजिया/कार्यशाला में भाग लेने में सहायता प्रदान करने हेतु।*

विलम्ब से कार्य के निष्पादन के कारण निर्माण/जीर्णोद्धार कार्यों पर किया गया व्यय ₹ 1.51 करोड़ अलाभदायक था

विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2012) से प्रकट हुआ कि ₹ 1.15 करोड़ का कार्य (23 से 78 प्रतिशत तक) निष्पादित किये जाने के उपरान्त संवेदक द्वारा धन की अनुपलब्धता के कारण (सितम्बर 2008 से फरवरी 2011 के दौरान) कार्य बन्द कर दिया गया। प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण यू.जी.सी. द्वारा अगले किस्त की राशि विमुक्त नहीं की गई। यद्यपि यह स्पष्ट था कि अतिरिक्त धन की व्यवस्था विश्वविद्यालय को स्वंय करना था इसके बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा बजट में कार्य पूर्ण करने हेतु राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु यू.जी.सी. से आवश्यक धन राशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया एवं सभी कार्य 15 से 46 महीनों से अधिक अवधि से बंद था जिससे इस पर किया गया ₹ 1.51 करोड़ अलाभदायक रहा ***(परिशिष्ट 3.1.5)***।

जवाब में विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2012) कि मुख्य कार्य को पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष कार्यो को आन्तरिक स्रोतों से पूरा कर लिया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि विभिन्न संवेदकों द्वारा 23 से 78 प्रतिशत तक कार्यो को पूरा किये जाने के पश्चात 15 से 46 माह की लंबी अवधि से शेष कार्य का निष्पादन बंद था एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि बजट में इसके लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया था।

- **स्फीत उपयोगिता प्रमाण पत्र**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका की कंडिका–5 के अनुसार आवंटन के 20 प्रतिशत की पहली किस्त निर्माण को छोड़कर सभी मदों के लिए, जिसके लिए विश्वविद्यालय पात्र है और ग्यारहवें सामान्य योजना विकास के अन्तर्गत उपयुक्त अनुदान आवंटित किया गया है, को विमुक्त किया जा सकता है। अनुदान की दूसरी और परवर्त्ती किस्तें प्रगति रिपोर्ट, व्यय का विवरण/पिछले अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर विमुक्त किया जाएगा।

यू.जी.सी. को ₹ 2.65 करोड़ का बढ़ा हुआ उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित

यह देखा गया कि विकास स्कन्ध, पटना विश्वविद्यालय द्वारा किये गये ₹ 1.55 करोड़ के वास्तविक व्यय के विरूद्ध ₹ 2.65 करोड़ का तथ्यात्मक रूप से गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. को समर्पित किया गया (मार्च 2010) ***(परिशिष्ट–3.1.6 एवं3 .1.7)*** तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. को कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया।

जवाब में विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2010) कि विभागों को अनुदान वितरित करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यू.जी.सी. को भेज दिया गया था ताकि समय पर अनुदान की अगली किस्त की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित विभागों को निधि मात्र स्थानान्तरित किये जाने को निधि का वास्तविक उपयोग नहीं माना जा सकता।

- **अनधिकृत प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता का गलत उपयोग**

यू.जी.सी. की मार्गदर्शिका की कंडिका–4क (v) के अनुसार पुस्तक एवं उपस्कर शीर्ष के तहत पुस्तकों की खरीद, प्रयोगशाला के लिए उपस्कर, विशेष कार्यालय उपस्कर (फर्नीचर, फिक्सचर तथा कम्प्यूटर को छोड़कर) और आधुनिक शिक्षण साधन यथा–मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती थी।

₹ 20.56 लाख का उपयोग अनाधिकृत प्रयोजनों के लिए किया गया

संवीक्षा (जुलाई 2012) से उद्घाटित हुआ कि ₹ 2.24 करोड़ (सामान्य विकास अनुदान के तहत ₹ 3.93 करोड़ प्राप्त अनुदान मे से) पुस्तक/ जर्नल एवं उपस्कर आदि के क्रय हेतु 37 विभागों एवं संबद्ध इकाइयों को उपलब्ध कराया गया था। हाँलांकि यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्नात्तकोत्तर विभागों एवं संबद्ध इकाइयों द्वारा अनुदान के उद्देश्य के विपरीत डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटॉप, एयरकंडीशनर आदि ***(परिशिष्ट–3.1.8)*** की खरीद पर ₹ 20.56 लाख (₹ 1.15 करोड़ में से) व्यय किया गया परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को निर्दिष्ट लाभ से वंचित रहना पड़ा। आगे यह भी देखा गया कि निधि के गलत उपयोग की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु कोई सुधारात्मक कदम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं उठाया गया।

जवाब में विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2012) कि उपस्कर शीर्ष के तहत कम्प्यूटर के क्रय हेतु यू.जी.सी. से दूरभाष पर अनुमोदन लिया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह यू.जी.सी. के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.1.4 आधारभूत संरचना प्रबन्धन

3.1.4.1 परीक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निविदा निष्पादन में गंभीर अनियमितताएँ

विश्वविद्यालय द्वारा नई स्वचालित इण्ड टू इण्ड परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (ई.एम.एस.) को लागू करने के लिए मेसर्स माइण्डलॉजिक्स इनफ्राटेक लिमिटेड, बंगलूरू के साथ एकरारनामा (अप्रैल 2012) किया गया। निविदा प्रक्रिया की संवीक्षा में प्रत्येक स्तर पर गंभीर खामियाँ उद्घाटित हुई जो नीचे वर्णित है:

निविदा के लिए अपर्याप्त समय तथा उच्च टर्नओवर के कारण प्रतिस्पर्धा में कमी आई

- विश्वविद्यालय द्वारा अभिरूचि कि अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित किये बिना ही निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन तिथि से सिर्फ एक सप्ताह का समय देते हुए इण्ड टू इण्ड ई.एम.एस. के क्रियान्वयन हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित की गई थी एवं अधिक टर्नओवर संबंधी शर्त्त निर्धारित की गई (₹ 10 करोड़, जबकि इस प्रणाली का अनुमानित व्यय केवल ₹ 1.08 करोड़ प्रतिवर्ष था)। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में कमी आई जबकि वास्तविकता यह थी कि परीक्षा प्रबंधन प्रणाली पटना विश्वविद्यालय में लागू की जाने वाली एक नयी प्रणाली थी।

ई.एम.एस. के वित्तीय प्रभाव पर विचार नहीं किया गया।

- इस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने के पूर्व नई प्रणाली के वित्तीय प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा इस प्रणाली के कियान्वयन की स्थिति में होने वाले ₹ 6.48 करोड़[9] (लगभग) के अनुमानित व्यय के स्रोत पर विचार नहीं किया गया।
- निविदा दस्तावेजों के उपबंधों में निविदा दाता की बीड क्षमता एवं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी संबंधी उपबंध शामिल नहीं था।
- एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त के अनुसार निविदाकर्त्ता को विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन का तीन वर्षो का अनुभव अवश्य होना चाहिए। जबकि मेसर्स माइण्डलॉजिक्स इन्फ्राटेक लिमिटेड एक नव स्थापित कंपनी थी जिसे 28 जुलाई 2010 को स्थापित किया गया था एवं सफल होने के लिए जिसके पास तीन वर्षों का आवश्यक अनुभव नहीं था। इस प्रकार मेसर्स माइण्डलॉजिक्स इन्फ्राटेक लिमिटेड (निविदाकर्त्ता) द्वारा समर्पित निविदा अस्वीकार किये जाने के योग्य था।

[9] *4000 विद्यार्थी ×₹ 54 प्रति पेपर × 5 पेपर × 6 वर्ष = ₹ 6.48 करोड़।*

विश्वविद्यालय द्वारा जवाब में (अक्टूबर 2012) बताया गया कि वर्तमान सत्र 2012–13 से सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने के तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए ई.ओ.आई. आमंत्रित नहीं किया गया था एवं विश्वविद्यालय के लिए बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करना अनिवार्य नहीं था। तत्पश्चात यह कहा गया कि कम्पनी को परीक्षण के आधार पर कार्य आवंटित किया गया और परीक्षा विभाग के पास इस परीक्षण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध था। आगे यह भी कहा गया कि निविदा दस्तावेज में भी फर्मों को अपने स्वयं के/सहायक/संबद्ध/संघ/कम्पनियों के समूह की ओर से निविदा करने की छुट दी गई थी ताकि अधिक से अधिक कम्पनियाँ निविदा में भाग ले सकें तथा मेसर्स माइण्डलॉजिक्स इन्फ्राटेक लिमिटेड को स्पष्टीकरण के लिए सूचना दी गई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्वयं के विशिष्ट वित्तीय नियम के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करना चाहिए था। तत्पश्चात कंपनी के साथ छः वर्षो का अनुबंध, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये।

निविदा प्रक्रिया में स्पष्टता एवं पारदर्शिता का अभाव था

जवाब, कि प्रारंभिक रूप से परीक्षण आधार पर कार्य दिया गया, के विरूद्ध था। इससे यह स्पष्ट था कि स्वचालित ई.एम.एस. प्रणाली की प्रस्तुति से कार्य आवंटन (एकारारनामा) तक की पूरी प्रक्रिया 14 फरवरी 2012 से 13 अप्रैल 2012 के दौरान, अर्थात केवल दो महीनों में, जो कि कुलपति के फर्म द्वारा प्रायोजित सेमिनार में भाग लेने के बाद था, अपनी आवश्यकता की उचित जाँच किये बिना, लागत लाभ विश्लेषण एवं प्रणाली के गुण एवं दोष पर विचार किये बगैर अनुचित जल्दबाजी में किया गया। अपनायी गई प्रक्रिया में भी स्पष्टता एवं पारदर्शिता का अभाव पाया गया ***(परिशिष्ट–3.1.9)***।

3.1.4.2 निर्माण कार्य

पटना विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 14.11 करोड़ की लागत का 292 निर्माण कार्य किया गया था। संवीक्षा के दौरान ₹ 8.04 करोड़ मूल्य के 22 निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य की नमूना की जाँच की गई जिसमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

- **ढुलाई एवं रायल्टी पर अनियमित भुगतान**

निर्दिष्ट खदान का उल्लेख किए बिना ढुलाई मद में ₹ 45.41 लाख का भुगतान

कैबिनेट निगरानी (तकनीकी जाँच कोषांग), बिहार, पटना के दिनांक 02.02.1984 के पत्र के अनुसार गिट्टी, बालू इत्यादि से संबंधित ढुलाई चार्ज के भुगतान से संबंधित संवेदक के विपत्र में खदान का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2012) के क्रम में पाया गया कि खदान का उल्लेख एकरारनामा में किये बिना कार्य में उपयोग में लाई गई गिट्टी, बालू आदि सामग्रियों के लिए ढुलाई लागत के साथ रॉयल्टी प्रदान किया जा रहा था। नमूना जाँचित 17 कार्यो में पाया गया कि संवेदक को निर्दिष्ट खदान का उल्लेख किए बिना ही ढुलाई आदि पर ₹ 45.41 लाख का भुगतान किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि संवेदक के विपत्र 'एम' एवं 'एन' फार्म से समर्थित नहीं थे जबकि लघु खनिज रियायत नियम, 1972 के तहत यह आवश्यक था। अतः आवश्यक कागजातों को प्रस्तुत किये बगैर ढुलाई ₹ 45 41 लाख का भुगतान अनियमित था ***(परिशिष्ट–3.1.10 एवं 3.1.11)***।

विश्वविद्यालय द्वारा जवाब में बताया गया (अक्टूबर 2012) कि 'एम' एवं 'एन' फार्म जमा नहीं करने की स्थिति में संवेदक के अंतिम विपत्र से रॉयल्टी की कटौती कर ली जाएगी।

- **कार्य पंजियों का संधारण नहीं किया जाना**

कार्य से संबंधित पंजी संधारित नहीं की गई

बिहार लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता[10] के अनुसार विभाग में चल रहे कार्यो पर निगरानी रखने हेतु कार्य सार पंजी, ठेकेदार खाता एवं कार्य पंजी का संधारण किया जाना है। विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच (मई 2012) के दौरान पाया गया कि उपरोक्त अभिलेखों का संधारण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था। कार्य का रिकॉर्ड रखने और काम की गुणवत्ता की जाँच के लिये यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

विश्वविद्यालय द्वारा जवाब में बताया गया (अक्टूबर 2012) कि कार्य सार पंजी संधारित किया गया था तथा ठेकेदार खाता का संधारण किया जाना आवश्यक नहीं था। हाँलांकि जवाब के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **श्रम–उपकर की कटौती नहीं किया जाना**

संवेदक के विपत्र से ₹ 8.01 लाख श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई

पटना विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच (मई 2012) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान विभिन्न अभिकरणों/संवेदकों को ₹ 8.01 करोड़ के 292 कार्य दिया गया था। जाँच के दौरान पाया गया कि उनमें से 190 कार्य के विपत्रों से ₹ 8.01 लाख ***(परिशिष्ट–3.1.12)*** श्रम–उपकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत इसकी कटौती की जानी थी।

जवाब में विश्वविद्यालय ने कहा कि नियम के अनुसार वैसे संवेदक के विपत्र से श्रम उपकर की कटौती किया जाना था जिसके प्राक्कलन में इसका प्रावधान था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि श्रम उपकर की कटौती एक प्रतिशत की दर से सभी निर्माण कार्यों से किया जाना था।

- **अतिरिक्त कार्य पर अनाधिकृत भुगतान**

अतिरिक्त मदों के लिए अनुपूरक एकरारनामा किये बिना ₹ 19.91 लाख का भुगतान किया गया था।

जवाब में विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया गया था। जवाब एकरारनामा किये जाने के प्रावधान के विपरित था।

- **गुणवत्ता नियंत्रण**

अभिलेखों की जाँच (मई 2012) में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने अपने द्वारा निष्पादित कार्यो में गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया था। उपयोग में लाये गये छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी इत्यादि की गुणवत्ता जाँच से संबंधित प्रतिवेदन अभिलेख में नही थें। एकरारनामा में सीमेंट की विशिष्टी का उल्लेख नहीं किया गया था। सामग्रियों की गुणवत्ता नियंत्रण के अभाव में, कार्य मानक के अनुरूप नहीं किये जाने की संभावना थी।

पटना विश्वविद्यालय द्वारा जवाब में कहा गया (अक्टूबर 2012) कि वर्तमान में ईट, गिट्टी आदि की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला नहीं है तथा तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में कार्य विभाग में प्रयोगशाला स्थापित किया जाना संभव नहीं हैं। आगे जवाब में यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में भवन निर्माण सामग्री की जाँच के लिये सम्पर्क किया जाएगा।

[10] *नियम–282/कार्य सार, नियम–309/कार्य पंजी तथा नियम–321/संवेदक लेजर।*

3.1.5 विविध

3.1.5.1 विद्युत संबंध विच्छेद नहीं करने के कारण परिहार्य दायित्व

विद्युत संबंध जारी रखा गया जबकि विश्वविद्यालय द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, इसके कारण ₹ 19.13 करोड़ के परिहार्य दायित्व का सृजन हुआ

विश्वविद्यालय के चार छात्रावासों[11] में यद्यपि छात्रो को सीट आवंटित नहीं किए गए थे, फिर भी विद्युत् संबंध बहुत लंबे समय से जारी रखा गया था। तथापि 2007 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (वि.रा.वि.वो.) के साथ वार्ता के बाद दो छात्रावासों का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया था और शेष संबंधों को अभी तक जारी रखा गया। इस प्रकार दो छात्रावासों के विद्युत संबंध (कनेक्सन) विच्छेद करने का निर्णय लेने में विलंब तथा अन्य छात्रावासो में विद्युत संबंधों को जारी रखने के कारण विद्युत प्रभार पर विश्वविद्यालय को ₹ 18.06 करोड़ के परिहार्य दायित्व का वहन करना पड़ा। यह भी देखा गया कि संबंधित विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल ने विश्वविद्यालय से पाँच अन्य विद्युत् संबंधों, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था, के लिए ₹ 1.07 करोड़ का दावा किया था। फिर भी, विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में जुलाई 2012 तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई परिणामस्वरूप ₹ 19.13 करोड़ के परिहार्य दायित्व का सृजन हुआ ***(परिशिष्ट–3.1.13)***।

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि शेष दो छात्रावासों के विद्युत आपूर्त्ति को विच्छेदित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत बोर्ड ने बिना बकाए के भुगतान के विच्छेद करने से मना कर दिया।

3.1.5.2 छात्रावासों का आवंटन नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि

पटना विश्वविद्यालय के नौ छात्रावासों के अभिलेखो की जाँच में पता चला कि 2007–12 के दौरान 2790 छात्रो ने छात्रावास में रहने के लिए आवेदन दिया था, परन्तु विश्वविद्यालय ने मात्र 2059 छात्रों को सीट आवंटित किया और शेष 731 छात्रों को सीट उपलब्ध रहने के बवजूद वंचित रहना पड़ा। ब्यौरा निम्न तालिका के दिया गया है:–

तलिका संख्या–5

छात्रावासो के सीटों के आवंटन की विवरणी

सत्र	कुल सीट	आवंटन हेतु छात्रो द्वारा दिए गए आवेदन	कुल सीटें आवंटित	विना कारण के आनावंटित एवं खाली पड़ी सीटें (3–4)	छात्रावास का किराया / छात्र प्रति वर्ष	राजस्व की हानि (₹ में 5×6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2007-08	703	515	392	123	2760	339480
2008-09	704	493	371	122	2760	336720
2009-10	726	551	401	150	2760	414000
2010-11	826	560	444	116	2760	320160
2011-12	826	671	451	220	2760	607200
कुल	**3785**	**2790**	**2059**	**731**	**2760**	**2017560**

(स्रोतः पटना विश्वविद्यालय द्वारा दी गई विवरणी)

[11] *छात्रावास संख्या–2, 3, 4 एवं 7.*

छात्रावास आवंटित नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई एवं छात्र उपलब्ध आधार भूत संरचना से वंचित रह गए

इस प्रकार, छात्रावासों में सीटों के आवंटन नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय ₹ 20.18 लाख की आय से वंचित रह गया जबकि शुल्क काफी कम थे और लम्बें समय से सशोंधित नही किए गए थे।

पटना विश्वविद्यालय ने लेखा परीक्षा–टिप्पणी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2012) और बताया कि कमरे छात्रो को आवंटित नहीं किए जा सकते थे क्योंकि उनमें से कुछ पी. जी. छात्रावास के कमरे क्षतिग्रस्त थे और कुछ अनधिकृत छात्रों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। तथापि, विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि अनधिकृत छात्रों से खाली कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इस तरह, विश्वविद्यालय के संसाधन अनुपयुक्त रह गए और उपलब्ध आधार भूत संरचना से छात्र वंचित रह गए।

3.1.5.3 नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाना

नवनियुक्त कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू नहीं किया जाना।

राज्य सरकार कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अनुसार (अगस्त 2005 में अधिसूचित तथा 1 सितम्बर 2005 से प्रभावी) कर्मचारी के मूल वेतन सहित मँहगाई वेतन का 10 प्रतिशत कर्मचारी के मासिक वेतन से कटौती किया जाना था एवं इसके बराबर राशि नियोक्ता/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा अंशदायी पेंशन निधि में दिया जाना था। नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन योजना की शुरूआत नहीं की गयी थी जबकि 92 कर्मचारियों (18 शैक्षणिक कर्मी तथा 74 अशैक्षणिक कर्मी) की नियुक्ति 1 सिंतबर 2005 को या उसके बाद में की गई थी।

पटना विश्वविद्यालय द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2012) कि नई अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने हेतु 10 सितम्बर 2012 को ज्ञापन जारी किया गया था।

3.1.6 निष्कर्ष

यद्यपि लेखा परीक्षा का दायरा अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण/संधारण नहीं किये जाने के कारण सीमित था, प्रस्तुत अभिलेखों से विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन की विफलता उजागर हुई। विश्वविद्यालय ने पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के विधान के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार नहीं किया। विश्वविद्यालय निधि का संधारण नहीं किए जाने, वार्षिक लेखा तैयार नहीं किए जाने, रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जाना, यू.जी.सी. राशि का कम उपयोग/व्यपगत होने तथा आंतरिक नियंत्रण की कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता के दृष्टांत थे। निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव था तथा संवेदक को अदेय लाभ दिया गया था। आगे यह भी देखा गया कि प्रशासन की ओर से ठोस वित्तीय दक्षता का पालन नहीं किये जाने के कारण अनावश्यक दायित्व उठाना पड़ा।

3.1.7 अनुशंसा

- विश्वविद्यालय को वित्तीय अनुशासन का पालन करने के लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के विधान के अनुसार वित्तीय विवरणी एवं वार्षिक लेखा का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए;
- निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- लेखा, रोकड़ पंजी, असमायोजित अग्रिम एवं अन्य नियंत्रण पंजी के संधारण के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए; और
- दायित्व जैसे विद्युत बकाया से बचने के लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार किया जाना चाहिए।

3.2 क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)

3.2.1 परिचय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश पर केन्द्रीय स्तर पर क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्रबन्धन के तदर्थ निकाय का गठन किया गया (मई 2006), जिसका उद्देश्य प्रयोक्ता अभिकर्ताओं से वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग करने पर क्षतिपूरक वनरोपण (क्ष.व.), दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण (द.क्ष.व.), अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण (अ.क्ष.व.), वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (शु.व.मू.) एवं डूब क्षेत्र उपचार (डू.क्षे. उ.) योजना हेतु राशि प्राप्त करनी थी। पुनः तदर्थ कैम्पा से प्राप्त राशि के प्रबन्धन तथा वसूली गई राशि का क्षतिपूरक वनरोपण, वनों के प्राकृतिक संबर्द्धन तथा केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार लगाई गई शर्तों के अनुपालन पर प्रयोग करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2009) के निदेश पर बिहार में राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन किया गया (जनवरी 2010)। कैम्पा के ये उद्देश्य थे; (क) प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन, (ख) सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं बाहर वन्य प्राणियों एवं उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन (ग) क्षतिपूरक वनरोपण (घ) कृषि वानकी, पर्यावरण सेवाएँ जैसे चारागाह, पर्यटन वन्य जीव सुरक्षा एवं जीवन रक्षण का प्रोत्साहन (च) शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

कैम्पा के अर्न्तगत एक शासी पर्षद तथा दो समिति यथा संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासी पर्षद विस्तृत निति निर्धारण तथा समय–समय पर कार्यों की समीक्षा करता है। मुख्य सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) की अध्यक्षता में क्रमशः संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने, लागू करने तथा अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी है। शासी पर्षद, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों की विवरणी ***परिशिष्ट 3.2.1*** में वर्णित है।

3.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2009–12 की अवधि की लेखापरीक्षा फरवरी से जून एवं सितम्बर से नवम्बर 2012 के बीच की गई। राज्य कैम्पा के कार्यालय एवं 22 में से 11[1] वन प्रमण्डल कार्यालयों (व.प्र.का.) के अभिलेखों की संपादन लेखापरीक्षा के माध्यम से कैम्पा की कार्यप्रणाली का आकलन किया गया। इकाईयों का चयन कैम्पा द्वारा दर्शाए गए प्रमण्डलवार विमुक्त राशि एवं व्यय के आधार पर किया गया।

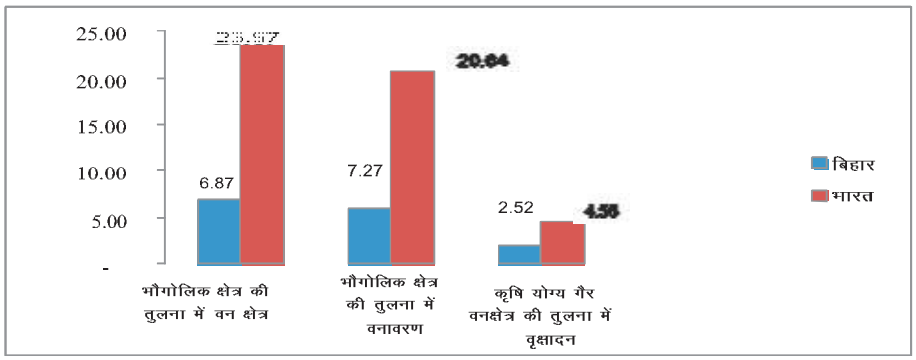
1 *अररिया, औरंगाबाद, बाँका, भोजपुर (आरा), गया, जमुई, कैमूर (भभुआ), नवादा, रोहतास (सासाराम), सहरसा एवं तिरहुत (मुजफ्फरपुर)।*

लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा आपत्तियों का निम्न कंडिकावार उल्लेख किया जा रहा है:

3.2.4 योजना

बिहार सरकार के अभिलेखों के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र (94163 वर्ग किमी)[2] का 6.87 प्रतिशत अर्थात 6473 वर्ग किलोमीटर का अभिलेखित वन क्षेत्र था। देश के अनुपात में तुलनात्मक कुल वनाच्छादन (प्रतिशत में) निम्न आलेख में दर्शाया गया है:



(स्रोतः भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2011)

उपर्युक्त आलेख के अनुसार राष्ट्रीय औसत से राज्य पीछे है। इस परिस्थिति में कैम्पा प्रशासन को राज्य के वर्तमान वनावरण के विकास के लिए योजना बनाने की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

राज्य कैम्पा की मार्गदर्शिका के उपबन्ध 15(2)(ii) के अनुसार राज्य कैम्पा के कार्यकारी समिति द्वारा राज्य में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप को शामिल करते हुए वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) बनाकर संचालन समिति के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दिसम्बर के अंत तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था। संचालन समिति से अनुमोदन के पश्चात नोडल पदाधिकारी, कैम्पा के द्वारा निधियों को विमुक्ति के लिए वा.का.यो. को तदर्थ कैम्पा को भेजा जाना था।

2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कैम्पा के पास राज्य में किए जाने वाले कार्यकलाप के लिए पर्याप्त योजना की कमी थी

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2009–10 के लिए वा.का.यो. नहीं तैयार किया गया था एवं वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के वा.का.यो. को (12 से 15 माह) विलम्ब से बनाया गया। पुनः यह पाया गया कि तदर्थ कैम्पा द्वारा बिना 2009–10 के वा.का.यो. की प्राप्ति की ₹ 7.73 करोड़ विमुक्त किया गया तथा 2010–11 के वा.का.यो. की प्राप्ति के पूर्व ही ₹ 8.67 करोड़ विमुक्त किया गया। सिर्फ वर्ष 2011–12 में वा.का.यो. प्राप्ति के पश्चात ₹ 8.04 करोड़ विमुक्त किया गया था।

तदर्थ कैम्पा ने 2009–11 के दौरान बिना वार्षिक कार्य योजना की प्राप्ति के ही निधि विमुक्त किया

इस प्रकार वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कैम्पा के पास ली जाने वाली योजनाओं को चिह्नित करने हेतु योजना का अभाव था। साथ ही साथ तदर्थ कैम्पा ने बिना वा.का.यो. 2009–11 प्राप्त किए ही कैम्पा को निधि विमुक्त किया।

आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि आधारभूत संरचनाओं के नहीं होने के कारण वर्ष 2009–10 का वा.का.यो. नहीं तैयार किया जा

2 *वन क्षेत्र– कुल अधिसूचित वन भूमि (6473 वर्ग किमी) वन भूमि के रूप में संसूचित है, वनावरण– अत्यन्त सघन वन (231 वर्ग किमी), समान्य सघन (3280 वर्ग किमी) एवं खुला वन– (3334 वर्ग किमी)। राज्य का कुल वनावरण 6845 वर्ग किमी है।*
वृक्षादन– छः वर्ष के दौरान वनों के बाहर वृक्षों (व.बा.वृ.) के आँकड़ों की सूची से वृक्षादन निकाला जाता है। वर्ष 2004–10 में एकत्रित आंकडों के अनुसार राज्य में आकलित वृक्षादन 2369 वर्ग किमी अभिलेखित था जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.52 प्रतिशत है।

सका। जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि नोडल पदाधिकारी का पद मई 2008 में सृजित किया गया था। यद्यपि तदर्थ कैम्पा द्वारा विमुक्त राशि का समूचित उपयोग वा. का.यो. नहीं बनाने/देर से बनाने तथा अधूरे योजना के कारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त कैम्पा द्वारा ऐसी कोई पद्धति नहीं बनायी गयी जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उलंघन की निगरानी की जा सके एवं विभागों/अभिकरणों द्वारा वन भूमि का गैर–वानकी उपयोग किया जा रहा था जो निम्न कंडिका में वर्णित है:

3.2.4.1 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार, किसी राज्य में कोई अन्य कानून लागू होने के बावजूद, कोई राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकार के द्वारा बिना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पूर्व सहमति प्राप्त किये वन भूमि के गैर वानकी उपयोग के लिए प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है।

वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की प्रयोक्ता अभिकरणों को अनुमति दी गई

कैम्पा एवं चार चयनित वन प्रमण्डलों[3] के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पाँच प्रमण्डलों में 397.94 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग के लिए सैद्धान्तिक सहमति (स्टेज I) दी गई थी। पुनः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रोपित शर्तों के अनुसार 397.94 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन हेतु अन्तिम स्वीकृति के लिए पाँच प्रयोक्ता अभिकरणों[4] को शु.व.भू., क्ष.व./द.क्ष. के रूप में ₹ 30.42 करोड़ जमा करना था ***(परिशिष्ट 3.2.2)***। यद्यपि प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा (मार्च 2012) केवल ₹ 6.77 करोड़ (22 प्रतिशत) ही कैम्पा खाता में जमा किया गया, उनके द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्वीकृति के पूर्व ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैर वानकि कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

पुनः कैम्पा के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा 95 मामलों में बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के वन भूमि का उपयोग पथ निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा था।

आपत्ति के अनुपालन में कैम्पा द्वारा बताया गया (मार्च 2012) कि मामलों की चर्चा राज्य परामर्शदातृ समिति की बैठकों में की गई है। राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार को (भा.स.) भी भेज दी गई है।

विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) कि राज्य में विचलन के बहुत से मामलों में पथ के मजबूतीकरण एवं चौड़ी करण का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उलंघन कर बिना पूर्वानुमति के किया गया। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कुछ मामलों में स्वीकृति के पश्चात कैम्पा द्वारा जून 2012 तक कुल ₹ 138.41 करोड़ वसूल किए जाएँगें।

जवाब स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनिवार्य अनुमोदन के पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी को वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति दी गई।

3 *(i) वन प्र.पदा. बाँका, (ii) जमुई, (iii) कैमूर, एवं (iv) नवादा।*

4 *(i) कार्यपालक अभियंता, के.लो.नि.वि. (ii) राष्ट्रीय उच्च पथ, पथ निर्माण विभाग (iii) राज्य उच्च पथ एवं (iv) जल संसाधन विभाग।*

3.2.5 वित्तीय प्रबन्धन

राज्य कैम्पा में उपलब्ध निधियों[5] की विस्तृत विवरणी तालिका–I में दिया जा रहा है।

तालिका संख्या–I

राज्य कैम्पा का उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा में जमा राशि	राज्य कैम्पा को विमुक्त राशि	राज्य कैम्पा में आय श्रोत से प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध निधि
2006-07	42.22	-	-	-
2007-08	00.56	-	-	-
2008-09	45.82	-	-	-
2009-10	22.20	7.73	-	7.73
2010-11	22.80	8.67	12.47	21.14
2011-12	38.73	8.04	3.08	11.12
कुल	**172.33**	**24.44**	**15.55**	**39.99**

(स्रोतः कैम्पा द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधि के अव्यवहृत रह जाने के कारण राज्य द्वारा वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तदर्थ कैम्पा द्वारा वर्ष 2009–12 के दौरान ₹ 24.44 करोड़ सीधे राज्य कैम्पा के खाते में जमा किया गया। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों[6]/वन प्रमण्डलों द्वारा हरित पट्टी/मेडियन वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत ₹ 15.55 करोड़, राज्य कैम्पा के खाता में सीधे जमा किया गया ***(परिशिष्ट 3.2.3)***। यह पाया गया कि वा.का.यो. के आलोक में कैम्पा द्वारा ₹ 20.24[7] करोड़ सम्बन्धित वन प्रमण्डलों को विमुक्त किया गया ***(परिशिष्ट 3.2.4)***। पुनः यह पाया गया कि राज्य कैम्पा के पास ₹ 19.75 करोड़ (उपलब्ध निधियों का 49 प्रतिशत) अव्यहृत थे (मार्च 2012) इसमें से ₹ 10.60 करोड़ सावधि जमा के रूप में रखे गए थे। तदर्थ कैम्पा से प्राप्त निधियों को उपयोग नहीं किए जाने के कारण राज्य अपने वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

आपत्ति के अनुपालन में विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निदेश पर राज्यों के द्वारा जमा राशि का 10 प्रतिशत विमुक्त किया जाना था, परन्तु पूरे देश के लिए अधिकतम ₹ 1000 करोड़ की सीमा इसके साथ निर्धारित की गई थी। इसके आलोक में तदर्थ कैम्पा में कुल जमा का 10 प्रतिशत पाने से राज्य वंचित रह गया।

जवाब संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि राशि व्यय नहीं करने का कारण विभाग ने नहीं बताया तथा यह स्वीकार किया कि सभी अव्यहृत राशि कैम्पा में पड़ी हुई है।

अन्य अनियमितताएँ, जो लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आईं, उन्हें निम्न कंडिकाओं में वर्णित किया जा रहा है।

5 *भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सम्बन्धित राज्य के कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत तदर्थ कैम्पा द्वारा विमुक्त किया जाएगा।*

6 *पूर्णियाँ, अररिया, सहरसा, तिरुहुत, मिथिला (दरभंगा), क्षेत्रीय मु.व.सं. पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नालन्दा, बेगुसराय एवं गया।*

7 *संबंधित वन प्रमण्डलों को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान क्रमशः ₹ 10.70 करोड़ के व.का.यो. के विरूद्ध ₹ 7.21 करोड़ एवं ₹ 14.37 करोड़ के व.का.यो. के विरूद्ध ₹ 13.03 करोड़।*

3.2.5.1 लेखाकरण प्रक्रिया

कैम्पा मार्गदर्शिका की कंडिका 16(3) के अनुसार राज्य कैम्पा लेखा एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को संधारित करेगा एवं महालेखाकार के परामर्श से विहित प्रपत्र में वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा तथा कंडिका 15(2)(VII) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून माह के अन्त तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा। कैम्पा के द्वारा लेखा प्रपत्र के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी, यहाँ तक कि लेखापरीक्षा के द्वारा जून 2012 में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में लेखा तैयार नहीं किया गया। यथोचित लेखा के अभाव में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आय–व्यय के सही होने की जाँच लेखा परीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

3.2.5.2 रोकड़ बहियों का संधारण नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी, जिनके द्वारा सरकारी लेन–देन किया जाता है, को रोकड़ बही का संधारण किया जाना आवश्यक हैं। रोकड़ बही का प्रत्येक माह के अन्त में अवशेष से मिलान कर एवं जाँच कर बन्द किया जाना चाहिए। कैम्पा के संचालन समिति ने भी सभी वन प्रमंडलों में अलग से रोकड़ बही, लेजर आदि के संधारण करने एवं मासिक लेखा 'वन संरक्षक (व. स.)' को समर्पित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

चयनित 11 प्रमंडलों में से पाँच ने रोकड़ बही चार से 12 माह तक संधारित नहीं किया

ग्यारह चयनित वन प्रमंडलों में से पाँच वन प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उन प्रमंडलों में रोकड़ बही चार से 12 माहों[8] तक संधारित नहीं थे। पुनः आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से रोकड़ बही की जाँच नहीं की गई। अतः अनियमित रोकड़ बही के संधारण के कारण दुर्विनियोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा अश्वासन दिया गया (नवंबर 2012) कि रोकड़ बही तथा अन्य अभिलेखों के समुचित संधारण/अद्यतन करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

3.2.5.3 निधियों का उपयोग

ग्यारह चयनित वन प्रमंडलों के अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 8.84 करोड़ विमुक्त किया गया जिसके विरूद्ध उनके द्वारा ₹ 7.84 करोड़ व्यय किये गये। यद्यपि कैम्पा द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान 22 प्रमंडलों को उपलब्ध कराये गये ₹ 13.03 करोड़ का उपयोगिता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार संकलित व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने के कारण निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मामले को प्रकाश में लाये जाने पर विभाग ने बताया (नबंवर 2012) कि वर्ष 2011–12 का व्यय प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि राज्य कैम्पा द्वारा संबंधित प्रमंडलीय वन पदाधिकारियों से मासिक व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमित रूप से मासिक व्यय प्रतिवेदन तैयार किया जाना था।

3.2.5.4 व्यय की संरचना

वर्ष 2010–12 के दौरान राज्य कैम्पा ने अनुमोदित वा.का.यो. के अनुसार ₹ 20.24 करोड़ (₹ 7.21 करोड़ 2010–11 एवं ₹ 13.03 करोड़ 2011–12) कार्य प्रारंभ करने हेतु सभी संबंधित वन प्रमंडलों के प्र.पदा. को विमुक्त किया। यह पाया गया कि व.प्र.पदा.

8 *(i) औरंगाबाद; (अप्रैल 2011 से मार्च 2012), (ii) बाँका; (फरवरी 2011 से जुलाई 2011), (iii) भोजपुर; (अप्रैल 2011 से मार्च 2012), (iv) जमुई; (नवंबर 2011 से फरवरी 2012) तथा (v) सासाराम; (अगस्त 2011 से मार्च 2012)।*

को राशि विमुक्त करने के पूर्व राज्य कैम्पा द्वारा व्यय की संरचना निर्धारित नहीं की गई थी। निम्न तालिका में वा.का.यो. 2010–11 एवं वा.का.यो. 2011–12 तथा व.प्र.प. को विमुक्त की गई राशि के व्यय की संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 2
वर्ष 2010–12 के दौरान व्यय की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यों का नाम	व.का.यो. के अनुसार व.प्र.प. को विमुक्त निधि (2010–11)	प्रतिशत	व.का.यो. के अनुसार व.प्र. प. को विमुक्त निधि (2011–12)	प्रतिशत
1.	क्षतिपूरक वनरोपण	1.09	15.12	3.25	24.95
2	एडेड नेचुरल रीजेनरेशन	2.57	35.64	3.15	24.17
3.	आधुनिक पौधशाला	-	-	-	-
4.	वन पथों का उन्नयन	1.00	13.87	-	-
5.	सुरक्षा के लिए वाहन	0.65	9.02	1.15	8.82
6.	एस.जी.बी.पी., पटना (वन्य जीव)	0.18	2.50	-	-
7.	अन्य के लिए वाहन	0.62	8.60	0.98	7.52
8.	डॉलफिन संरक्षण	-	-	-	-
9.	कृष्ण मृग संरक्षण	0.02	0.28	-	-
10.	नोडल पदाधिकारी स्थापना	0.02	0.28	0.04	0.31
11.	ओभर हेड व्यय	0.03	0.42	0.03	0.23
12.	हरित पट्टी वृक्षारोपण	1.03	14.29	0.81	6.22
13.	रैखिक वनरोपण	-	-	2.03	15.58
14.	कर्मचारियों के लिए भवन	-	-	1.13	8.67
15.	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-	0.02	0.15
16.	नोडल पदाधिकारी के लिए वाहन	-	-	0.10	
17.	नवादा, भी.टी.पी., मुंगेर एवं एस. जी.बी.पी. के लिए कार्ययोजना/प्रबंधन योजना	-	-	-	-
18.	गैर सरकारी संगठन	-	-	-	-
19.	भारत सरकार के विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के लिए	-	-	-	-
20.	गृह रक्षा	-	-	0.19	1.46
21.	प्रशिक्षण	-	-	0.15	1.15
	कुल	**7.21**		**13.03**	

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में ₹ 7.21 करोड़ विमुक्त किए गए थे, जिसमें 65 प्रतिशत निधि को वनरोपण के लिए क्रमांकित किया गया था (क्ष.व., ए.एन. आर; रैखिक एवं हरित पट्टी वनरोपण), 18 प्रतिशत वाहनों के क्रय के लिए एवं 14 प्रतिशत आधारभूत संरचना विकास के लिए (पथ के लिए) था। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 के दौरान कुल विमुक्त निधि (₹ 13.03 करोड़) में से 70 प्रतिशत वनरोपण के लिए (क्ष.व.,ए.एन.आर., रैखिक एवं हरित पट्टी वनरोपण), 16 प्रतिशत वाहनों के क्रय के लिए एवं 8.67 प्रतिशत कर्मचारियों के भवन निर्माण हेतु आवंटित था।

जवाब में नोडल पदाधिकारी ने स्वीकार किया (नवंबर 2012) कि कैम्पा के तहत किए जाने वाले कार्य के विभिन्न मदों के लिए कोई मानक का निर्धारण नहीं किया गया था।

3.2.6 कैम्पा में प्राप्ति

एन.पी.भी./सी.ए./पी. सी.ए. के रूप में ₹ 7.26 करोड़ की कम वसूली हुई

अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2006–12 के दौरान कुल मांग ₹ 168.11 करोड़ के विरूद्ध ₹ 172.33 करोड़ एन.पी.भी./सी.ए./पी. सी.ए. के रूप में जमा किया गया। विस्तृत निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 3
कुल प्रस्तुत माँग एवं वसूली की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	माँग	वसूली की गई राशि	तदर्थ कैम्पा में स्थानान्तरित की गई राशि
2006-07	40.94	42.23	42.23
2007-08	1.48	00.56	00.56
2008-09	51.59	45.82	45.82
2009-10	22.76	22.20	22.20
2010-11	16.05	22.80	22.80
2011-12	35.29	38.73	38.73
कुल	**168.11**	**172.33**	**172.33**

(स्रोतः राज्य कैम्पा)

उपर्युक्त के आधार पर यह पाया गया कि वसूली योग्य एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल की गई राशि में भिन्नता पाई गयी। वर्ष 2006–07, 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त राशि वास्तविक मांग से अधिक थी। पुनः यह पाया गया कि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक वास्तविक मांग ₹ 75.83 करोड़ के विरूद्ध प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा ₹ 68.58 करोड़ मार्च 2012 तक जमा किया गया। इस प्रकार एन.पी.भी./सी.ए./पी.सी.ए. के रूप में ₹ 7.26 करोड़ की कम वसूली की गई ***(परिशिष्ट 3.2.5)***।

जवाब में नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि क्षतिपूरक वनरोपण की राशि सामग्रियों एवं मजदूरी के बढ़ने के कारण प्रत्येक छः माह में बदलती है। पुनः यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा क्ष.व. की राशि मूल मांग के अनुरूप जबकि कुछ मामलों पुनरीक्षित मांग के अनुरूप जमा की जाती है। कैम्पा का जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि वहाँ ऐसी कोई पद्धति नहीं थी ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि क्ष.व. की राशि का सही आकलन हुआ या नहीं। साथ ही साथ कैम्पा द्वारा वसूली का समूचित प्रयास नहीं किया गया।

इस प्रकार कैम्पा द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सियों से दो से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी ₹ 7.26 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

3.2.6.1 प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल की गई राशि को राज्य कैम्पा से बाहर रखा जाना

राज्य कैम्पा की मार्गदर्शिका की कंडिका 10(1)(iii) के अनुसार राज्य कैम्पा के गठन के पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वैसी राशि, जो अब तक व्यय नहीं की गई है एवं उसे तदर्थ कैम्पा में अब तक जमा नहीं किया गया है, को कैम्पा के खाता में जमा किया जाना था।

क्षतिपूरक वनरोपण के अव्यवहृत ₹ 1.51 करोड़ को कैम्पा के बाहर रखा गया था

अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि चार चयनित प्रमंडलों में कुल ₹ 1.93 करोड़ प्राप्त किये गये थे ***(परिशिष्ट 3.2.6)***, उनमें से तीन प्रमंडलों में राशि अव्यवहृत थी तथा डी.एफ.ओ. नवादा द्वारा आंशिक रूप से (₹ 48.85 लाख में से ₹ 42.37 लाख) व्यय किया गया था। इन प्रमंडलों में क्ष.व. के रूप में प्राप्त राशि ₹ 1.51 करोड़ को, कैम्पा की मार्गदर्शिका का उल्लघंन करते हुए, मार्च 2012 तक कैम्पा निधि में जमा नहीं किया गया एवं राशि कोषागारों में रखी गई थी।

आपत्ति के आलोक में संबंधित व.प्र.प. द्वारा सुनिश्चित (मार्च से जून 2012) किया गया कि मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुनः विभाग द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि व.प्र.प., गया से ₹ 90.91 लाख प्राप्त किया गया (जून 2012) था तथा शेष वन प्रमंडलों से अवशेष राशि का स्थानान्तरण कैम्पा निधि में कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार प्रमंडलों की निष्क्रियता के कारण प्राप्त राशि का विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कार्यों में उपयोग होने से राज्य वंचित हो गया।

3.2.6.2 क्षतिपूरक वन रोपण राशि का आकलन/वसूली नहीं किया जाना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (व.एवं प.मं.) भारत सरकार द्वारा वन प्रमंडल नवादा के अंर्तगत पूर्वी केन्द्रीय रेलवे, कोडरमा के पक्ष में कोडरमा–तिलैया बड़ी रेल लाईन (49.515 किमी) के निर्माण हेतु 330.70 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु जून 2011 में सैद्धान्तिक सहमति दी गई थी। व.एवं प.मं. की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के तहत विपथित वन भूमि का एम.पी.भी. एवं अवक्रमित वन भूमि के दुगने भूमि में क्ष.व. के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से राशि वसूल करनी थी।

प्रमंडल द्वारा अवक्रमित वन भूमि के दुगुने क्षेत्र में वनरोपण के लिए प्राकल्लन तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी से क्ष. व. वसूल नहीं की जा सकी

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी से एन.पी.भी. के रूप में ₹ 26.56 करोड़ वसूल किया गया था (अप्रैल 2012)। परन्तु प्रमंडल द्वारा वन भूमि के दुगुने क्षेत्र (661.54 हेक्टेयर) में क्ष.व. के लिए प्राक्कलन तैयार नहीं किये जाने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि की वसूली नहीं की जा सकी (जून 2012)।

इसे प्रकाश में लाए जाने पर व.प्र.प. नवादा द्वारा बताया गया (जून 2012) कि प्राकल्लन तैयार किया जा रहा है एवं राशि की वसूली कर ली जाएगी।

पुनः विभाग द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि व.प्र.प. नवादा द्वारा ₹ 4.10 करोड़ का प्राकल्लन रेलवे प्राधिकरण को भेज दिया गया (अक्टूबर 2012) एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से राशि प्राप्त होने के पश्चात अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।

3.2.7 भूमि प्रबन्धन में अनियमिताएँ

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (यथा संशोधित 1988) के नियम 3.2(vi) एवं वन (संरक्षण) नियम, 2003 (यथा संशोधित 2004) के अनुसार लिंक पथ, लघु जल कार्यों, लघु सिंचाई कार्य, विद्यालय भवन, पारेषण लाईन, दूरभाष एवं ऑप्टिकल फाईबर लाईनों आदि के कार्यों के लिए वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग करने पर वन भूमि के दुगुने क्षेत्र में क्ष.व. करना है। कैम्पा मार्गदर्शिका की कंडिका 12(II) के अनुसार राशि प्राप्ति के पश्चात क्षतिपूरक वन रोपण का कार्य, जिसके लिए राशि प्राप्त हुई है, एक वर्ष के भीतर या योजना की समाप्ति के दो वनरोपण अवधि में, जो उपयुक्त हो, पूरा किया जाए।

कैम्पा के अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि 2006–12 की अवधि में 2286.25 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण गैरवानिकी कार्यों के लिए किया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हस्तांतरित वन भूमि के दुगना अर्थात 4572.50 हेक्टेयर में कैम्पा द्वारा क्ष.व. किया जाना था।

2006–10 के दौरान हस्तांतरित भूमि के विरूद्ध वनरोपण कार्य नहीं किया गया

अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2006–10 के दौरान 1673.43 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण किया गया था परन्तु संम्बधित व.प्र.प. द्वारा कोई वनरोपण कार्य नहीं किया गया। यद्यपि 2010–12 में 612.81 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के आलोक में 32,04,938 पौधों का रोपण बताया गया जबकि पौधों से संबंधित क्षेत्र का उल्लेख कैम्पा द्वारा नहीं बताया गया ***(परिशिष्ट 3.2.7)***।

नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि भूमि का हस्तांतरण हेक्टेयर में किया जाता है परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन रोपण में पौधों की संख्या का उल्लेख रहता है। राज्य कैम्पा का जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि वनरोपण करने वाले क्षेत्र की गणना करने की प्रणाली के अभाव में वनरोपण के क्षेत्र को नहीं बताया गया।

3.2.7.1 आरक्षित वन/अधिसूचित वन की अधिसूचना

वन (संरक्षण) नियम 2003 (यथा संशोधित 2004) की कंडिका 3.4(i) के अनुसार क्ष.व. के लिए चिह्नित गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में स्वामित्व हस्तांन्तरित कर उस भमि को सुरक्षित/अधिसूचित वन की अधिसूचना कर लेनी चाहिए ताकि उक्त भूमि पर वनरोपण का हमेशा संपोषण होता रहे। यह कार्य परियोजना प्रारम्भ होने के पूर्व हो जाना चाहिए।

कैम्पा ने प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त गैर वन भूमि से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया

कैम्पा के लेखापरीक्षा के दौरान वन भूमि के हस्तांतरण के मामले में प्रयोक्ता एजेन्सियों से गैर वन भूमि प्राप्त करने से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि व.प्र.प., गया ने बताया कि जनवरी 2008 में प्रयोक्ता एजेन्सी से 251 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्राप्त हुई है परन्तु उक्त भूमि की अधिसूचित वन भूमि के रूप में अधिसूचना लंबित है।

3.2.7.2 भूमि को सुनिश्चित किये बिना निधियों की विमुक्ति

प्र.व.मु.सं. के साथ जनवरी 2011 की बैठक में निर्णय लिया गया कि एडेड नेचुरल रिजैनेरेशन (ए.न.रि.) योजना के अन्तर्गत वन रोपण के लिए वैसे स्थलों का चयन किया जाना था जिनका क्षेत्र 500 हेक्टेयर या अधिक हो ताकि उसमें प्रत्येक वर्ष 100 हेक्टेयर में पाँच अनुवर्त्ती वर्षों तक वनरोपण किया जा सके।

व.प्र.प., औरंगाबाद ने व.का.यो. 2011–12 के लिए करमडीह, नारायणपुर एवं उमगा में उपलब्ध 300 हेक्टेयर[9] में 150000 पौधों को लगाने हेतु तीन स्थलों का चयन किया। कैम्पा ने इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए व.प्र.प. औरंगाबाद को ₹ 20 लाख विमुक्त किया (दिसम्बर 2011)।

वनभूमि की अनुपलब्धता के कारण वनरोपण कार्य नहीं किया जा सका एवं निधि अव्यवहृत पड़ी रही

अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि नारायणपुर एवं करमडीह में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका जिसके कारण ₹ 9.07 लाख अवशेष रह गया (जून 2012)।

मामले को प्रकाश में लाने पर व.प्र.प., औरंगाबाद ने बताया (जून 2012) कि प्रमंडल से बिना प्राकल्लन मांगे ही निधियों को विमुक्त कर दिया जाता है एवं व.स. गया एवं नोडल पदाधिकारी, बिहार, पटना को भूमि उपलब्ध नहीं होने की सूचना पहले ही भेज दी गई थी।

पुनः विभाग ने जवाब में बताया (नवंबर 2012) कि मामले को संचालन समिति में वर्ष 2012–13 के लिए वा.का.यो. III में नियमित करने हेतु लाया गया था जिसे संचालन समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रकार बिना भूमि की उपलब्धता के ही ए.पी.ओ. अनुमोदन करने के कारण 100000 ए.एन.आर. वनरोपण के अग्रिम कार्य को लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति नहीं किया जा सका साथ ही साथ निधि का उपयोग भी नहीं हो सका।

3.2.8 योजनाओं का क्रियान्वयन

चयनित वन प्रमडंलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि कैम्पा निधि से शोध, कृषि वानिकी का प्रोत्साहन, पर्यावरण सेवाएँ जैसेः–चारागाह, पर्यटन आदि का कार्य नहीं कराया जा रहा है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होने का कारण विभाग द्वारा निधि की कमी बतायी गयी।

9 प्रत्येक स्थान पर 100 हेक्टेयर में 50,000 पौधे।

हाँलांकि कैम्पा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में पायी गई अनियमितताओं को निम्न कंडिकाओं में वर्णित किया जा रहा है:

3.2.8.1 वनरोपण स्थल को बदलना

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के ए.पी.ओ. के अनुसार क्रमशः व.प्र.प., आरा एवं व.प्र.प., औरंगाबाद में क्रमशः सिन्धी–गुंडी पथ एवं औरंगाबाद–अम्बा–हरिहरगंज पथ पर बाँस एवं लौह गैवियन वृक्षारोपण किया जाना था।

सक्षम पदाधिकारी की बिना अनुमति के ही वनरोपण स्थल को बदल दिया गया

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उन दोनों प्रमंडलों में बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति (अध्यक्ष, संचालन समिति) के वनरोपण स्थल को बदलकर ₹ 44.84 लाख का व्यय किया गया था।

आपत्ति के आलोक में व.प्र.प., आरा, भोजपुर ने बताया (मई 2012) कि कार्य को नोडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कराया गया जबकि व.प्र.प., औरंगाबाद ने बताया (जून 2012) कि स्थल विचलन के लिए घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी।

पुनः विभाग ने बताया (नंवबर 2012) कि संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार ए.पी.ओ. में प्रस्तावित वनरोपण कार्य दोनों प्रमंडलों द्वारा नहीं किया जा सका। वनरोपण के स्थल में संचालन समिति की पुर्वानुमति के बिना वनरोपण स्थल में किए गए विचलन राज्य कैम्पा की मार्गदर्शिका का उल्लंघन था।

3.2.8.2 असफल वनरोपण

व.प्र.प., जमुई के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि हरणी अधिसूचित वन के लिए कैम्पा द्वारा ₹ 18.31 लाख (2010–11) एवं ₹ 6.77 लाख (2011–12) में ए.एन. आर. वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम[10] कार्य 2010–11 एवं समापन[11] कार्य 2011–12 के लिए अनुमोदित ए.पी.ओ. 2010–11 एवं 2011–12 के लिए, जो क्रमशः 03 मार्च 2011 एवं 12 अक्टूबर 2011 को अनुमोदित हुआ था, विमुक्त किया गया।

जमुई के अंतर्गत हरनी अधिसूचित वन में 80 प्रतिशत उत्तरजीविता मानक के विरूद्ध केवल 50 प्रतिशत की उत्तरजीविता दर थी

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि डी.एफ.ओ., जमुई द्वारा (जनवरी से मार्च 2011 तथा जुलाई 2011 के दौरान) ₹ 22.93 लाख व्यय के पश्चात भी पौधों की उत्तरजीविता 50 प्रतिशत था जो निर्धारित मानक 80 प्रतिशत से कम था। लेखापरीक्षा के क्रम में पौधों की कम उत्तरजीविता के कारण के रूप में स्थल का गलत चुनाव, वनरोपण कार्यों में हुए विलम्ब तथा त्रुटिपूर्ण ट्रेंच खुदाई प्रकाश में आया।

विभाग द्वारा जवाब में बताया गया (नवंबर 2012) कि व.स., भागलपुर के द्वारा भौतिक निरीक्षण कराने तथा अभिलेखों की जाँच के पश्चात् वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी।

इस प्रकार अवमानक वनरोपण पर किये गये व्यय ₹ 22.93 लाख में से मृत पौधों के रोपण पर आई लागत निर्रथक थी।

3.2.8.3 संदेहात्मक कार्य

कैम्पा द्वारा डी.एफ.ओ. बाँका को ए.पी.ओ. 2010–11 के अनुसार 125 हेक्टेयर वन भूमि (कन्धार पी.एफ.) में कुल 62500 वृक्षारोपण के उद्देश्य से ₹ 31.49 लाख (वर्ष 2010–11 में ₹ 23.67 लाख तथा वर्ष 2011–12 में ₹ 7.82 लाख) विमुक्त किये गये। डी.एफ.ओ., बाँका द्वारा (फरवरी 2011 से मार्च 2011 तक) ₹ 23.67 लाख अग्रिम कार्यों तथा ₹ 5.91 लाख (अप्रैल 2011 से अगस्त 2011 तक) कुल 60345 पौधों के समापन कार्यों

10 *अग्रिम कार्य– वनरोपण हेतु भूमि को तैयार करना।*
11 *समापन कार्य– अग्रिम कार्य पर वन रोपण।*

के विरूद्ध व्यय किये गये। हाँलांकि यह पाया गया कि पीट काऊँट पंजी के अनुसार 60345 पौधों के लिए वनरोपण कार्य किया गया जब कि 62500 पौधों के लिए भुगतान किया गया। अतः वनरोपण किए बिना (2155 की संख्या में) ₹ 1.02[12] लाख का व्यय किया गया।

विभाग ने जवाब में कहा (नवंबर 2012) कि व.स., भागलपुर द्वारा समुचित जाँच के बाद आवश्यक जवाब दिया जाएगा।

3.2.9 अनुश्रवण पद्धति

योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित नहीं किया गया

राज्य कैम्पा की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य कैम्पा के अर्न्तगत कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र व्यवस्था किया जाना था एवं इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का प्रभावी एवं उचित उपयोग किया जाना था। इसके अलावा कैम्पा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली निधि के अधिकतम दो प्रतिशत व्यय करने के लिए अधिकृत था।

जाँच के क्रम में पाया गया कि कैम्पा द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए कोई पद्धति विकसित नहीं की गयी। पुनः यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 में ₹ 22 लाख अनुश्रवण के लिए क्रमांकित किया गया था। जो अव्यवहृत रह गया (मार्च 2012)।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (नवंबर 2012) कि अनुश्रवण पद्धति में कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुश्रवण पद्धति के अभाव के कारण प. एवं व. मंत्रालय के बिना अनुमोदन के वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग किया जा रहा था। कैम्पा निधि के उद्देश्यों यथा वन एवं वृक्ष आवरण, वन्य जीव के संरक्षण एवं प्रबन्धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी।

3.2.10 निष्कर्ष

योजना पक्ष त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वा.का.यो. नहीं बनाए गए या देर से बनाए गए एवं तदर्थ कैम्पा द्वारा बिना वार्षिक कार्य योजना को सुनिश्चित किए राशि विमुक्त किया गया। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण वन भूमि के गैर वाणिकी उपयोग के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताओं की स्थिति पर निगराणी की जा सके। पुनः अव्यवहृत क्ष.पू. राशि कैम्पा में जमा नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण कार्य क्रमों में राज्य राशि के उपयोग से वंचित रह गया। कैम्पा निधियों से कृषि वानिकी तथा शोध कार्य नहीं किये गये। कैम्पा द्वारा राज्य में किए जा रहे कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया। इस प्रकार कैम्पा द्वारा प्राकृतिक वनों के संवर्द्धन, संरक्षण सुरक्षा तथा प्रबन्धन का उद्देश्य अब तक प्राप्त नहीं किया गया।

3.2.11 अनुशंसाएँ

- वा.का.यो. समय पर बनाना तथा अनुमोदन किया जाना चाहिए।
- अव्यवहृत क्ष.व. निधियों को अविलम्ब कैम्पा निधि में जमा किया जाना चाहिए।
- कैम्पा द्वारा एक पद्धति या अभिलेख विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रयोक्ता एजेन्सियों से वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी की जा सके।
- कैम्पा द्वारा राज्य में किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए स्वतन्त्र व्यवस्था विकसित किया जाना चाहिए।

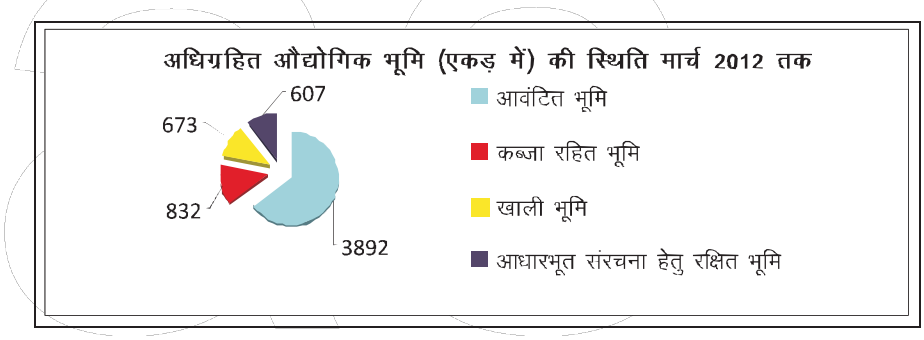
12 *प्रति पौधा व्ययः ₹ 29.58 लाख/62500 पौधे = ₹ 47.32* x *काल्पनिक पौधों की संख्या 2155 = ₹ 1.02 लाख।*

3.3 बिहार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन

3.3.1 प्रस्तावना

उद्योग विभाग, बिहार सरकार (विभाग) राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन एवं गुणात्मक विकास के उद्देश्य हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं आबंटन के लिए जिम्मेवार थी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम,1974 के अंन्तर्गत छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों[1] (1974) की स्थापना की गई। बिहार राज्य के बंटवारे (नवम्बर 2000) के पश्चात् तीन प्राधिकार यथा पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (पियाडा), दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (डियाडा) तथा उत्तर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर (एनबियाडा) बिहार में रह गए। आगे उनका पुनर्गठन (2003) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के रूप में हुआ जो भूमि की योजना, अधिग्रहण, विकास, रखरखाव एवं आबंटन के लिए जिम्मेवार था। तत्पश्चात्, आधारभूत–संरचना विकास प्राधिकार (आ.वि.प्रा.) तथा भूमि बैंक (आ.वि. प्रा. अंतर्गत) की स्थापना (अप्रैल 2006 एवं सितम्बर 2006) औद्योगिक एवं अन्य विकास योजनाओं हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु हुई। बिहार में अधिग्रहित भूमि (31 मार्च 2012 तक) की स्थिति को निम्नवत् चार्ट में देखा जा सकता है:–

चार्ट–I



(स्रोतः बियाडा द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के अनुसार)

जैसा कि चार्ट से स्पष्ट है, अधिग्रहित भूमि का मात्र 65 प्रतिशत आबंटन (मार्च 2012 तक) किया जा सका था तथा शेष काफी समय से अप्रयुक्त, बिना कब्जे के एवं आधारभूत–संरचना हेतु रक्षित थे। आगे कुल अधिग्रहित भूमि 6003.21 एकड़ (मार्च 2012 तक) में से 1447 एकड़ भूमि वर्ष 2003 से 2012 की अवधि में अधिग्रहित हुआ तथा बियाडा ने इसी अवधि में 1464.16 एकड़ भूमि का आबंटन किया।

3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

उद्योग विभाग प्रधान सचिव द्वारा शीर्षस्थ होते हैं जिन्हें एक विशेष सचिव एवं चार निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट 3.3.1*** में उल्लेखित है। बियाडा विभाग का एक ऐसा प्राधिकरण है, जो प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल के दिशा निर्देशों एवं नीतियों द्वारा परिचालित होता है। प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं

1 *(i) आदित्यपुर (ii) बोकारो (iii) दरभंगा (iv) मुजफ्फरपुर (v) पटना तथा (vi) राँची*

तथा निदेशक मंडल के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में अपना कार्य करते है। प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण कार्यकारी निर्देशकों के चार[2] क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया है।

3.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य विधि

वर्ष 2003 से 2012 की अवधि के दौरान औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं आबंटन की लेखापरीक्षा दो चरणों में यथा अगस्त 2011 से अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2012 से जुलाई 2012 के मध्य तक सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा के दौरान, विभागीय मुख्यालय (सचिवालय स्तर) आ.वि.प्रा., बियाडा तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम क्षेत्रों की जाँच की गई तथा प्रश्नावली/आपत्ति ज्ञापन निर्गत किये गये। तत्पश्चात् विभाग के मंतव्यों/जवाबों को समुचित रूप से विचार कर प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा के परिणाम :

विभाग की नीति एवं योजना के क्रियान्वयन, भू–अधिग्रहण, विकास, बियाडा द्वारा आवंटित भूमि एवं वित्तीय प्रभाव में पाई गई कमियों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.3.4 नीति एवं योजना

बिहार के विभाजन (नवम्बर 2000) के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों का 17.9 प्रतिशत भाग, जिसमें सिर्फ सीमित संख्या में बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग शामिल थे, राज्य के साथ रह गए। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार को एक नई, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निति, 2006 को बनाने एवं घोषणा करने में पाँच वर्ष लग गए जो 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ। तथापि, विभाग द्वारा दीर्घकालीन योजना एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मास्टर योजना नहीं बनाए जाने के कारण परिदृष्य में अधिक बदलाव नहीं आए। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु पर्याप्त भूमि एवं आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी।

3.3.4.1 भूमि–दर का पुनर्रीक्षण नहीं किया जाना

बियाडा को भूमि दर के अपुनर्रीक्षण तथा पुनर्रीक्षण अनुदेशों को देर से लागू किए जाने से ₹ 1755.89 करोड़ की कम वसूली हुई

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के भूमि की दरों का निर्धारण एवं उनकी कीमतों की समीक्षा करने हेतु विभाग ने प्राधिकरणों को प्राधिकृत (अगस्त 1975) किया था। इसके अतिरिक्त विभाग ने प्राधिकरणों को निदेशित किया (जुलाई 1982) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में भूमि की कीमत में 10 प्रतिशत जोड़कर दर निर्धारित किया जाय।

अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि विभाग ने वर्ष 1982 से भूमि के दर निर्धारण के अपने अनुदेशों का पुनर्रीक्षण नहीं किया था। बियाडा द्वारा वर्ष 1982 में विभाग द्वारा निर्धारित भूमि का वार्षिक दर सूत्र का अनुसरण, बिना दर समीक्षा किए एवं उन्हें उन क्षेत्रों में वर्ष के आरंभ में प्रचलित बाजार दर के बराबर लाए ही किया जा रहा था। परिणामतः वर्ष 2007 से 2012 के दौरान संदर्भित क्षेत्रों के भूमि का बियाडा दर बाजार दर से काफी कम हो गया। हाँलांकि बियाडा द्वारा वर्ष दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 में पाँच औद्योगिक क्षेत्रों[3] के भूमि दरों की समीक्षा एवं पुनर्रीक्षण किया गया तथा 25 वर्ष के उपरांत दरों को संबंधित क्षेत्रों के सरकारी दरों के बराबर किया गया। तथापि, शेष 45 औद्योगिक क्षेत्रों में मार्च 2012 तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। नमूना जाँचित 11 औद्योगिक क्षेत्रों में, बियाडा ने वर्ष 2007–12 के दौरान 1195.79 एकड़ भूमि का आबंटन अपुनर्रीक्षित दरों पर किया जिसके परिणामस्वरूप

2 *(i) भागलपुर, (ii) दरभंगा, (iii) मुजफ्फरपुर और (iv) पटना*

3 *(i) बिहारशरीफ, (ii) फतुहा, (iii) हाजीपुर, (iv) मुजफ्फरपुर एवं (v) पटना*

₹ 1742 74 करोड़ की कम वसूली हुई। पाँच औद्योगिक क्षेत्रों के स्थानीय निबंधन कार्यालयों के तुलना में देर से पुनर्रीक्षण के कारण बियाडा को ₹ 13.15 करोड़ की हानि हुई ***(परिशिष्ट–3.3.2)***। अतः भूमि दर का अपुनर्रीक्षण तथा दर पुनर्रीक्षण अनुदेशों के देर से अनुपालन किए जाने के कारण बियाडा को ₹ 1755.89 करोड़ की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि औद्योगिक नीति 2003 (औद्यो.नी.) के कंडिका 5.1 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के आधार पर भूमि दर पुनर्रीक्षित किया जाना था।

जबाब तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि औद्यो.नी. 2003 क्रियान्वित नहीं की गयी थी तथा इसे औद्योगिक कम्पेडियम 2011 में शामिल नहीं किया गया था। बियाडा ने वर्ष 2007–08 में पाँच औद्योगिक क्षेत्रों का दर पुनर्रीक्षण इस तर्क के साथ किया था कि भूमि दर के पुनर्रीक्षण नहीं होने से उसे हानि हो रही थी।

3.3.5 भू–अधिग्रहण के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ

3.3.5.1 कब्जा रहित भूमि

अधिग्रहित भूमि का भौतिक स्वामित्व को 11 से 39 वर्ष तक की देरी से लेने से ₹ 312.44 करोड़ (मार्च 2012) की 831.665 एकड़ भूमि पूर्व भू स्वामियों द्वारा खाली नहीं की गयी थी

बियाडा अधिनियम, 1974 की धारा 6 (4) के अन्तर्गत भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की शक्ति प्राधिकरण में निहित है।

समीक्षा से उद्घृत हुआ कि चार औधोगिक क्षेत्रों[4] में ₹ 312.44 करोड़ (मार्च 2012) कीमत के 831.665 एकड़ भूमि के भौतिक स्वामित्व लेने में 11 से 39 वर्षों की देरी होने से पूर्व के भू–स्वामियों द्वारा मार्च 2012 तक भूमि खाली नहीं किया गया था। बियाडा द्वारा वर्ष 2007 तक भूमि के स्वामित्व लेने का कोई प्रयास किये जा रहे थे।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना अतिक्रमण हटाया नहीं जा सकता था। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि बियाडा द्वारा विलंब से वर्ष 2007 के बाद से खाली करने की कार्रवाई आरंभ की गई थी जिसका फलाफल शून्य रहा।

3.3.5.2 ग्रोथ केन्द्रों की भूमि का अधिग्रहण

भारत सरकार ने (भा.स.) ने बिहार के लिए पाँच ग्रोथ केन्द्रों (ग्रो.के.) की स्वीकृति (दिसम्बर 1988), दी थी। ग्रोथ केन्द्रों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण तथा संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना था। ग्रोथ केन्द्रों के परियोजना प्रतिवेदन के दिशा निर्देश (औद्योगिक विकास विभाग, भा.स.) के अनुसार प्रत्येक ग्रोथ केन्द्र की स्थापना लगभग 1000 से 2000 एकड़ भूमि में ₹ 30 करोड़ की कीमत पर की जानी थी। तदनुसार विभाग ने राज्य के पाँच अलग क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ किया।

[4] *(i) बेगुसराय (392.535 एकड़) (ii) डेहरी (81.85 एकड़) (iii) फतुहा (56.15 एकड़) तथा (iv) कुमारबाग (301.13 एकड़)।*

ग्रोथ केन्द्रों की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या–1
ग्रोथ केन्द्रों की स्थिति

क्र. सं.	ग्रोथ केन्द्र का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का वर्ष	अधिग्रहित क्षेत्र	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	कब्जे का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	ग्रोथ केन्द्र कहलगाँव	अक्टूबर 1993	1020.45	34.44	2002 से 2011	आवंटित भूमि पर निर्माण की कार्रवाई आरंभ की गई
2.	ग्रोथ केन्द्र बेगुसराय	फरवरी 1993	392.535	9.14	1998 से 2001	भूमि अतिक्रमित
3	ग्रोथ केन्द्र मुजफ्फरपुर	सितबंर 1996	-	0.13	-	भू–अधिग्रहण नहीं हुआ
4	ग्रोथ केन्द्र छपरा	सितबंर 1996	-	0.03	-	भू–अधिग्रहण नहीं हुआ
5	ग्रोथ केन्द्र दरभंगा	फरवरी 1998	-	0.38		भू–अधिग्रहण नहीं हुआ
		कुल		**44.12**		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

भू–स्वामियों के मुद्दों के हल न होने तथा भू–अधिग्रहण न किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पाँच ग्रोथ केन्द्रों को ₹ 44.12 करोड़ व्यय के उपरान्त भी आरंभ नहीं किया जा सका

ऊपर की तालिका से स्पष्ट था कि विभाग द्वारा ₹ 43.58 करोड़ व्यय के उपरांत मात्र दो ग्रो.कें. के लिए भूमि अधिग्रहित की जा सकी थी तथा शेष तीन ग्रो.कें. के लिए ₹ 0.54 करोड़ के व्यय के बावजूद भी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी। ग्रो.कें. बेगूसराय को अधिग्रहित भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण आरंभ नहीं किया जा सका था। ग्रो.के. कहलगाँव में दिशानिर्देश को उल्लंघन कर 640 एकड़ भूमि छः उद्यमियों को सात[5] भारी उद्योग की स्थापना के लिए आबंटित किया गया था। अतः राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण तथा समन्वित विकास हेतु ग्रो.कें. के स्थापना का उद्देश्य विफल रहा (जूलाई 2012)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि मुजफ्फरपुर, छपरा तथा दरभंगा में जमीन का अधिग्रहण तथा ग्रो.कें. कहलगाँव में आबंटित भूमि पर कार्य किसानों के विरोध के कारण नहीं किया जा सका था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) के अंतर्गत की जाती है जिसके अनुसार धारा–4 में अधिसूचना निर्गत होते ही भूमि सरकार के अधीन हो जाती है। साथ ही विभाग ने उत्तर को साबित करने हेतु किसानों के विरोध का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।

3.3.5.3 मेगा औद्योगिक पार्क हाजीपुर

प्र.नि., आ.भू.सं.प्रा. द्वारा अनाधिकृत रूप से भू–अर्जन कार्य रोकने तथा समाहर्ता से निधि वापस लेने के कारण हाजीपुर में मेगा औद्योगिक पार्क की स्थापना नही हो सकी

हाजीपुर, वैशाली में मेगा औद्योगिक पार्क (मे.औ.पा.) की स्थापना हेतु 1000.90 एकड़ में विभाग द्वारा 60 करोड़ के लागत की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई (जून 2006)। तद्नुसार जिलाधिकारी, वैशाली ने भू–अर्जन की अधिसूचना (अक्टूबर 2006 से फरवरी 2007) निर्गत किया। आ.सं.वि.प्रा. द्वारा जिलाधिकारी, वैशाली को भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 60 करोड़ निर्गत किया गया।

लेखापरीक्षा समीक्षा में उद्घृत हुआ कि प्रबंध निदेशक, आ.सं.वि.प्रा. ने छः माह के अन्दर (जून 2007) ही भू–अर्जन कार्य रोकने तथा निर्गत राशि आ.सं.वि.प्रा. को वापस करने का आदेश निर्गत किया। तद्नुसार, जिलाधिकारी ने अव्ययित राशि ₹ 59.88

5 *(i) आधुनिक पॉवर एवं नेचुरल रिसोर्सेज (ii) एम्बो एक्सपोर्ट लि. (दो आबंटन) (iii) सीमेंट उत्पादन कंपनी (iv) गंगा पॉवर एवं नैचुरल रिसोर्सेज (v) गुलसन पोलियोलस लि. तथा (vi) स्पंद अग्नि पॉवर प्रोजेक्ट्स।*

करोड़ वापस कर दिया। प्रबंध निदेशक, आ.सं.कि.प्रा. द्वारा भू–अर्जन कार्य रोकने का निदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप नहीं था। फलतः भू–अर्जन कार्य असफल हो गया (अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009), जबकि अव्ययित राशि आ.सं.वि.प्रा. के पास अव्यवहृत पड़ी थी। अतः आ. सं. वि. प्रा. के अप्राधिकृत निर्देश से मे.औ.पा. हाजीपुर की स्थापना खतरे में पड़ गई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा इसे स्वीकार किया गया (जनवरी 2013) तथा बताया गया कि मे.औ.पा. के भू–अर्जन को आ.सं.वि.प्रा. द्वारा रोका गया था। तथापि, विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

3.3.5.4 भू–अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब के कारण कीमत में बढ़ोत्तरी

प्र.नि.आ.से.वि.प्रा. के अनाधिकृत निर्णय एवं सरकार के अक्रियाशीलता के कारण भू–अर्जन में विलम्ब एवं ₹ 594.13 करोड़ की कीमत वृद्धि हुई

भू–अर्जन संशोधित अधिनियम, 1984 के अनुसार अधिघोषणा के तिथि से पंचाट घोषणा तिथि तक का भू–अर्जन कार्यक्रम दो वर्षों के भीतर पूर्ण कर लिया जाना था। समय सीमा का पालन नहीं होने से सम्पूर्ण भू–अर्जन प्रक्रिया असफल हो जाती है।

अर्जन संबंधित मामलों के नमूना जाँच में उद्घृत हुआ कि आ.से.वि.प्रा. के पास समुचित निधि (₹ 701.87 करोड़) उपलब्ध होने के बावजूद परियोजनाओं में के निर्धारित सीमा से अधिक देरी हुई फलतः अर्जन प्रक्रिया असफल हो गई एवं भूमि के प्राक्कलित कीमत में ₹ 594.13 करोड़ की वृद्वि हुई जैसा कि नीचे में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या–2
भू–अर्जन के कीमत में वृद्धि

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का वर्ष	अर्जित भूमि (एकड़ में)	प्राकल्लित कीमत (₹ करोड़ में)	पुनरीक्षित प्राकल्लन राशि (₹ करोड़ में)	कीमत में बृद्वि (₹ करोड़ में)	विलंब दिसम्बर 2012 तक	अभियुक्तियाँ
1.	मेगा औद्योगिक पार्क, हाजीपुर	जून 2006	1000	60.00	372.19 / 2008	312.19	4 वर्ष	समाहर्ता के पास निधि के अभाव में अर्जन लंबित है।
2.	ग्रोथ केन्द्र, कहलगाँव (मौजा रमजानीपुर)	अक्टूबर 1993	223.22	15.07	135.71/ 2012	120.64	17 वर्ष	पुनरीक्षित मुआवजा भुगतान लंबित
3.	ग्रोथ केन्द्र बेगुसराय	फरवरी 1993	685.855	18.00	161.00/ 2009	143.00	17 वर्ष	समाहर्ता के पास निधि के अभाव में अर्जन लंबित है।
4.	औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर (तृतीय फेज)	2001 जनवरी	100.00	6.00	24.30	18.30	10 वर्ष	बियाडा के नजरअंदाजी के कारण प्रक्रिया विफल हुयी और अर्जन में बिलंब हुआ।
अर्जित भूमि हेतू आवश्यक कुल राशि				**99.07**	**693.20**	**594.13**		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना पर आधारित)

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2012) विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.5.5 भूमि अधिसूचना का विमुक्तिकरण

विभाग द्वारा तीन मामलों में अनियमित रूप से 52.72 एकड़ अधिग्रहित भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घृत हुआ कि विभाग ने तीन मामलों में अनियमित रूप से 52.72 एकड़ अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था। भू–अर्जन से मुक्ति के मामले निम्नलिखित थे–

(अ) में. लक्ष्मी विनायक वेंचर्स (प्रा0) लिमिटेड

भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के नियम 24 (7) के अनुसार भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत होने के बाद समाहर्ता की पूर्वानुमति के बिना भूमि का क्रय नहीं किया जा सकता है। औद्योगिकी क्षेत्र, हाजीपुर में अर्जन की अधिसूचना 20 मई 2006 को निर्गत की गई थी तथा मेसर्स लक्ष्मी विनायक बेंचर्स (प्रा0) लिमिटेड ने पाँच एकड़ भूमि का क्रय 09 मई 2008 से 20 मई 2008 तक बिना समाहर्ता की पूर्वानुमति के किया था। इसके बावजूद विभाग ने 459 एकड़ भूमि को ऐजेंसी के अनुरोध पर अधिसूचना विमुक्त (जुलाई 2008) कर दिया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत भूमि को अधिसूचना से विमुक्त किया गया था। जबाब तथ्य के अनुरूप नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा अधिसूचना विमुक्ति एक ऐसी इकाई के पक्ष में किया गया था जिसने गैरकानूनी ढंग से भूमि का क्रय किया था।

(ब) बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) के अन्तर्गत आपातकालीन मामलों में, जब भी उपयुक्त सरकार यह निदेशित करे, तब समाहर्ता, अधिसूचना के प्रकाशित होने के 15 दिनों के उपरान्त किसी भी भूमि को लोकहित प्रयोजनार्थ हेतु कब्जे में ले सकता है। तत्पश्चात् वह भूमि सभी ऋणभारिता से मुक्त होकर सरकार के अधीन हो जाती है।

समीक्षा में उद्घृत हुआ कि भूमि का पंचाट घोषणा (मई 2008) होने के उपरान्त बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अनुरोध पर (जुलाई 2009) औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में 27.55 एकड़ भूमि अर्जन से मुक्त (सितम्बर 2011) कर दिया गया ताकि निजी व्यक्ति सीधे किसानों से जमीन खरीद सकें। अतः जो भूमि लोकहित प्रयोजन हेतु अर्जन की गई थी, उसे व्यक्तिगत हित हेतु भू –अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने पुष्टि किया (जनवरी 2013) कि 36.70 एकड़ भूमि को अधिसूचना मुक्त किया गया था। यह कार्रवाई इंगित करती थी कि सरकार अनावश्यक रूप से व्यवसायी समूह से प्रभावित थी तथा व्यवसायियों एवं किसानों के हितों के मध्य संतुलन रखने में विफल रही।

(स) निजी अभियंत्रण महाविद्यालय

एक बार जब भू–अर्जन हो जाता है एवं उचित अधिसूचना पश्चात स्वामित्व प्राप्त कर लिया जाता है तब इसे अधिसूचना से विमुक्त सिर्फ भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के नियम 104 तथा 154 के अन्तर्गत ही किया जा सकता है यानि भूमि को आधिक्य घोषित करके।

ऐसा पाया गया कि बिहटा में मे.औ.पा. की स्थापना हेतु 699.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर उसका स्वामित्व बियाडा को दे दिया गया (अगस्त 2009 से फरवरी 2010) था। समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेने के उपरान्त 11.43 एकड़ भूमि अनियमित रूप से निजी अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने हेतु बिना इसे आधिक्य घोषित किए ही अधिसूचना–विमुक्त कर दी गयी थी (जुलाई 2010)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया (जनवरी 2013) गया कि अधिसूचना विमुक्ति का निर्णय सक्षम स्तर पर लिया गया था।

उत्तर अधिनियम के प्रावधान से विपरित था क्योंकि एक बार भूमि का स्वामित्व ले लेने के पश्चात् उसे नियम 104 या 154 के अन्तर्गत आधिक्य घोषित किए बिना अधिसूचना विमुक्त नहीं किया जा सकता है।

3.3.6 बियाडा के द्वारा विकास एवं आबंटन

बियाडा अधिनियम के अध्याय–III में उपबंध 6 (1) के अन्तर्गत बियाडा औद्योगिक भूमि की योजना, विकास, रखरखाव तथा आबंटन के लिए उत्तरदायी था। औद्योगिक भूमि के विकास तथा आबंटन में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगे की कंडिकाओं में वर्णित है :

3.3.6.1 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाना

वर्ष 2003–12 की अवधि में विभाग द्वारा ₹ 208.36 करोड़ की निधि बियाडा को आधारभूत संरचना विकास हेतु आबंटित किये गये थे लेकिन बियाडा केवल ₹ 97.33 करोड़ ही खर्च कर सका जबकि शेष निधियाँ ₹ 112.61 करोड़ बैंकों में अवरूद्ध पड़ी थी

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि बियाडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों के सुनियोजित विकास के अन्तर्गत सुख–सुविधा यथा सड़क, अस्पताल, स्कूल इत्यादि प्रदान करने हेतु मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया जो बियाडा अधिनियम अध्याय–III के खंड 6(1) के अनुसार अपेक्षित था तथा मेगा औद्योगिक पार्क बिहटा, औद्योगिक क्षेत्र बिहटा, ग्रोथ केन्द्र खगड़िया, कोपाकला एवं विकास केन्द्र कहलगाँव की जमीनें बिना विकास किये आबंटित की गयीं। आगे यह पाया गया कि वर्ष 2003–13 की अवधि में विभाग द्वारा ₹ 208.36 करोड़ की निधि बियाडा को आधारभूत संरचना विकास हेतु आबंटित किये गये थे लेकिन बियाडा केवल ₹ 97.33 करोड़ रूपये ही खर्च कर सका जबकि शेष निधि ₹ 112.61[6] करोड़ बैंकों में अवरूद्ध पड़ी थी। अतः यह स्पष्ट था कि बियाडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का सुनियोजित तरीके से विकास नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास हेतु जमीन कर्णांकित थी जिसे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र में दर्शाया गया था। तदनुसार आधारभूत संरचना विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाईट आदि कराए गये थे। अतः यह कहना सही नहीं था कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था एवं उसके बिना कार्य किये गये थे। अव्यवहृत निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में रखा गया था एवं प्राप्त ब्याज को विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जा रहा था।

जवाब स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि तकनीकी परामर्शी, बियाडा के अभिलेख (अप्रैल 2010) एवं कार्यकारी निदेशक, दरभंगा (अप्रैल 2012) के जवाब यह पुष्टि करते थे कि बियाडा द्वारा आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऐसा कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था।

3.3.6.2 बिना नीलामी जमीन का आबंटन

निदेशक मंडल (बियाडा) ने निर्णय लिया (मई 2007) कि अब आगे से नया अधिग्रहण द्वारा या निरसन द्वारा या आबंटन रहित भूमि का ''पहले आओ पहले पाओ'' नीति के बदले नीलामी के द्वारा किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया था कि जमीन का न्यूनतम मूल्य (आरक्षित मूल्य) सरकार द्वारा तय की गयी कीमत से कम नही होगी। नीलामी का उद्देश्य, जमीन की नीलामी से अच्छी कीमत प्राप्त करना तथा जमीन के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

नीलामी प्रक्रिया द्वारा जमीन आबंटन के निदेशक मंडल के निर्णय को लागू नहीं किया गया

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निदेशक मंडल के निर्णय के बावजूद बियाडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को जमीन आबंटन में ''पहले आओ, पहले पाओ'' नीति का पालन किया जा रहा था, मात्र पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में एक बार छोड़कर। इस प्रकार निदेशक मंडल के निर्देशों का अनुपालन न किया जाना अनियमित था।

6 आरंभिक शेष ₹ 1.58 करोड़ + ₹ 208.36 करोड़–₹ 97.33 करोड़ =₹ 112.61 करोड़

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि मई 2007 में मंडल द्वारा लिये गये निर्णय को दिसंबर 2007 में जारी बियाडा विनियमन की कंडिका के 4.1 K के तहत स्वीकार नहीं किया गया था, जिसमें यह उल्लेखित था कि जमीन आबंटन हेतु निविदा अपेक्षित नहीं है। अतः नीलामी प्रक्रिया लागू नहीं की गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निदेशक मंडल ने अपने 20वीं बैठक (मई 2007) में जमीन आबंटन नीति, नीलामी द्वारा अनुमोदित की थी। पुनः निविदा तथा नीलामी दो भिन्न मुद्दे हैं। निविदा द्वारा जमीन का आबंटन बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) 144 के अंतर्गत निदेशित है जबकि नीलामी बि.वि.नि. 145 के अंतर्गत निर्देशित है। अतः बियाडा विनियमन की कंडिका 4.1 K बि.वि.नि. 144 पर प्रासंगिक है, नियम 145 पर नहीं। इस प्रकार मंडल का निर्णय बि. वि. नि. 145 के अंतर्गत अभी तक प्रभावी था।

3.3.6.3 "पहले आओ, पहले पाओ" नीति के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएँ

मई 2007 में सरकार ने परियोजना रूपरेखा सम्भाव्यता प्रतिवेदन आदि तैयार करने हेतु पाँच तकनीकी परामर्शीयों को अनुमोदन प्रदान किया गया। आवेदन पत्र की शर्तों के अनुसार भूमि आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्याशित/अनुमोदित परामर्शदाता द्वारा तैयार परियोजना रूपरेखा/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) के साथ समर्पित करना अपेक्षित था। 'पहले आओ पहले पाओ' नीति के अंतर्गत स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को प्राप्ति तिथि तथा क्रम संख्या के साथ एक आवेदन पंजी में प्रविष्ट किया जाना था।

अभिलेखों का संवीक्षा करने पर निम्नांकित अनियमितताएँ का उजागर हुयी :

- बियाडा द्वारा आवेदन पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा आवेदनों को साधारण आवक पंजी में अन्य पत्रों के साथ अभिलेखित किया गया था। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के प्रविष्टी हेतु केन्द्रीकृत पंजीयन पद्धती नहीं थी तथा बियाडा के पास प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने की क्रियाविधि नहीं थी।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि आवेदन पंजी का पूर्व में संधारण नहीं किया गया था। हाँलाकि नवंबर 2011 से आवेदन पंजी का संधारण किया जा रहा था।

- वर्ष 2003–12 की अवधि में 3722 आवेदनों की समीक्षा की गयी तथा 2049 मामलों में भूमि आबंटन करने का निर्णय लिया गया था। 2049 मामलों में से 506 मामलों की समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 83 मामलों में (317.69 एकड़ के लिए) प्रत्याशित/अनुमोदित परामर्शदाता द्वारा अनुमोदित परियोजना रूपरेखा /विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था, तथापि उन्हें भूमि का आबंटन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा कि (जनवरी 2013) 81 आवेदनों के संबंध में भूमि आबंटन हेतु अनुमोदित परामर्शी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करने की बाध्यता नहीं थी। जवाब आवेदन प्रपत्र की शर्तों के विपरीत था जिसमें अनुमोदित/प्रत्याशित परामर्शी द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करना अपेक्षित था।

बियाडा में जमीन आबंटन के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' नीति में अत्याधिक अनियमितताएँ थी

- "पहले आओ पहले पाओ" नीति का अनुपालन नहीं किया गया तथा 61 आवेदकों को 'बिना बारी के' आबंटन किया गया ***(परिषिष्ट 3.3.3)***।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि निदेशक मंडल (मार्च 2011) की 37वीं बैठक में भारी निवेश करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देने हेतु आबंटन की तत्कालीन क्रियाविधि को बदल दिया गया था।

जबाव स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि मंडल के निर्णय के पूर्व ही 'बिना बारी के' 54 आबंटन किए जा चुके थे। हॉलाकि जवाब ने इस प्रेक्षण की पुष्टि की कि ' पहले आओ पहले पाओ' नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

- ***पटना क्षेत्र में मनमाना एवं भेदभाव पूर्ण आबंटन***

पटना क्षेत्र में प्राप्त 909 आवेदनों (2006–11 की अवधि में) में से 103 आवेदन परियोजना अनुमति समिति[7] (परि.अनु.समि.) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे जबकि 174 आवेदन, बिना किसी प्राप्ति प्रविष्टि के सीधे परि.अनु.समि. में प्रस्तुत किये गये थे।

यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि यदि लेखापरीक्षा द्वारा इन इकाईयों का विवरण उपलब्ध कराया जाता तो वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जा सकता था।

जबाव स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2011 में ही विवरण उपलब्ध/प्रस्तुत किया जा चुका था जिसकी बियाडा द्वारा विधिवत् समीक्षा तथा पुष्टि की गयी थी।

3.3.6.4 भूमि का अनियमित आबंटन

संवीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

- **गैर–औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि का आबंटन**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एम.एस.एम.ई.डी.) ने औद्योगिक गतिविधियों की एक विस्तृत सूची बनाई थी जिसमें हॉट मिक्स प्लान्ट, गोदाम, कृषि जनित उत्पादन, पुनर्वास कॉलोनी, वर्मी/बायो कम्पोस्ट, सी.आर.पी.एफ कैम्प इत्यादि एस.एस.आई रजिस्ट्रेशन के विचारार्थ शामिल नहीं थे। परिणामतः बियाडा द्वारा इन उद्योगो के लिए उद्यमियों को जमीन का आबंटन नहीं किया जाना था।

46 उद्यमियों को 105.09 एकड़ जमीन का आबंटन गैर–औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया गया

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि गैर–औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 46 उद्यमियों को 105.09 एकड़ जमीन आबंटित की गयी थी ***(परिशिष्ट 3.3.4)***।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्यमियों को औद्योगिक गतिविधियों के कोड के तहत जमीन का आबंटन किया गया था।

जबाब स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2007) में बियाडा द्वारा बताए गए कोड समाविष्ट नहीं थे।

- **निर्धारित मानक से अधिक भूमि आबंटन**

विभाग के पत्र (जून 1993) के अनुसार बियाडा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भवन/आच्छादित क्षेत्र के अधिकतम तीन गुणा तक जमीन आबंटित कर सकता था। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी उद्योग को मानकों से अधिक जमीन की आवश्यकता हो, उस पर भूमि आबंटन समिति[8] द्वारा विचार किया जाना था।

7 *परियोजना समाशोधन समितिः यह परियोजना एवं अन्य व्यय प्रस्तावों का अध्ययन/ विचार करती है।*

8 *भूमि आबंटन समिति बाद में पी.सी.सी. में समाहित हो गयी (2003)।*

पी.सी.सी. अनुशंसा के निर्धारित मानकों से 33.71 एकड़ अधिक भूमि का आबंटन उद्यमियों को किया गया

अभिलेखों की संवीक्षा (2003–12) में प्रकट हुआ कि पी.सी.सी. ने 44 निजी प्रतिष्ठानों को 70.08 एकड़ जमीन के आबंटन की अनुशंसा की जिसमें 32.42 एकड़ जमीन का आबंटन बिना किसी अभिलेखित औचित्य के विभाग द्वारा निर्धारित मानक से अधिक था ***(परिशिष्ट 3.3.5)***। आगे यह पाया गया कि बियाडा ने सात मामलों में पी.सी.सी. की अनुशंसा से 1.29 एकड़ अधिक जमीन का आबंटन किया ***(परिशिष्ट 3 .3.6)***। परिस्थितियाँ जिसके तहत बियाडा ने पी.सी.सी. की अनुशंसा से अधिक जमीन आबंटित की, का अभिलेखों में उल्लेख नहीं था। लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि पत्र संख्या 5325 दिनांक 25 जून 1993 के कंडिका 3 के तहत विशेष परिस्थितियों में अधिक भूमि का आबंटन किया गया था। जवाब स्वीकार योग्य नहीं थी क्योंकि इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख पी.सी.सी. के कार्यवाही में दर्ज नहीं थी।

• विकास केन्द्र गिद्धा

औद्योगिक नीति 1995 की कंडिका 6.5 के अनुसार विकास केन्द्र गिद्धा, प्लास्टिक एवं रसायन उद्योगों के लिए एक समान सुविधा स्थापना को सरल बनाने हेतु कर्णांकित था।

औद्योगिक नीति 1995 के अनुशंसा के अनुसार विकास केन्द्र गिद्धा में प्लास्टिक तथा रसायन उद्योगों के विशेष क्षेत्र का निर्माण करना था। हाँलांकि 50 उद्यमियों को कर्णांकित क्षेत्र में गैर–प्लास्टिक तथा रसायन उद्योगों के लिए 105.81 एकड़ जमीन का आबंटन किया गया था

संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निर्धारित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में 50 उद्यमियों को 105.81 एकड़ जमीन का आबंटन गैर–प्लास्टिक प्लांट तथा रसायन उद्योगों यथा स्टील, फ्रेबिकेशन, एल.पी.जी. बोटलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज तथा मोटल आदि किया गया था ***(परिशिष्ट 3.3.7)*** ।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि बाजार के बदलते मानकों के दृष्टिकोण से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, खाली जमीन की उपलब्धता के कारण तथा साथ ही बियाडा विनियमन 2007 की कंडिका 4.1 K के आलोक में जमीन का आबंटन किया गया था।

जबाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पी.सी.सी. द्वारा लिये गये निर्णय औद्योगिक नीति 1995 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे, जिसमें विशेष क्षेत्र के निर्माण की अनुशंसा की गयी थी जो उत्तरवर्ती औद्योगिक नीति 2006 तक यथावत् था। पुनः जमीन का आबंटन बियाडा विनियमन 2007 के पूर्व भी किया गया था तथा कंडिका 4.1 K केवल नीति के अंतर्गत आबंटन के संबंध में वर्णन करता है।

• निजी तकनीकी संस्थान की स्थापना

राज्य सरकार ने (जनवरी 2006) निजी क्षेत्र के अभियंत्रण महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल महाविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों , विधि महाविद्यालयों (पाँच वर्षीय डिग्री कोर्स) तथा शिक्षक प्रशिक्षिण महाविद्यालय को जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि आवेदन पत्र, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा तथा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा एक चयन समिति[9] द्वारा की जायेगी।

समिति को अनिवार्य रूप से जाँच करना था कि आवेदन संबद्ध विश्वविद्यालय जैसे– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (आई.डी.सी.), अखिल भारतीय प्रबंधन संघ

9 *उच्च स्तरीय चयन समिति विकास आयुक्त द्वारा शीर्षित तथा राज्य सरकार के सचिवों, विज्ञान एवं प्रौद्यौधिकी विभाग, वित्त आयुक्त, उद्योग विकास आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव सदस्य सचिव होगें एवं उच्चतर शिक्षा विभाग को इसका केन्द्रक विभाग बनाया गया था।*

(ए.आई.एम.ए.) बार कांउसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) तथा नेशनल काउसिंल ऑफ टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) द्वारा (जैसा लागू हो) तय मानकों के अनुरूप थे। जमीन का आबंटन बाजार दर[10] पर किया जाना था।

पी.सी.सी. ने अपने सक्षमता से परे 27 निजी तकनीकी संस्थानों को 119.92 एकड़ जमीन आबंटित किया तथा बाजार दर के बदले बियाडा दर से अदेय लाभ पहुँचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 182.49 करोड़ की हानि हुई।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 18 औद्योगिक क्षेत्रों /विकास केन्द्रों में 27 निजी तकनीकी संस्थानों को राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन तथा समिति की संवीक्षा एवं सरकार के उपरोक्त दर्ज मानदंडों का पालन किये बिना 119.92 एकड़ जमीन का आबंटन किया गया था। आगे, बाजार दर के बदले अपुनरीक्षित बियाडा दर पर जमीन का आबंटन किये जाने के परिणामस्वरूप 27 निजी संस्थानों को ₹ 182.49 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.3.8)*** का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि निदेशक मंडल की 24वीं बैठक में कुल औद्योगिक क्षेत्रों का 20 प्रतिशत जमीन विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। बियाडा की जमीन का दर, सरकार के निर्देश पर तय किया गया था और तद्नुसार आबंटन किया गया था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा जैसा बताया गया, वैसी कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं था।

- **निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, हाजीपुर**

निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना थी जिसका लक्ष्य निर्यात उन्मुख इकाईयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना था। तदनुसार राज्य सरकार ने (दिसम्बर 1995) हाजीपुर के ई.पी.आई.पी. की स्थापना का निर्णय लिया। पुनः वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के निदेशानुसार (अप्रैल 1995) केवल उन्हीं इकाई को पार्क में स्थापना के लिए अनुमति दी जानी थी, जिन्होने उत्पादन का कम से कम 33 प्रतिशत निर्यात प्रतिबद्धता का शपथ पत्र दाखिल किया हो।

ई.पी.आई.पी. हाजीपुर के 24 औद्योगिक इकाइयों में से 22 को (5035 एकड़) जमीन का आबंटन निर्यात प्रतिबद्धता का अपेक्षित शपथ पत्र प्राप्त किये बिना किया गया था

जबकि यह पाया गया कि ई.पी.आई.पी. हाजीपुर के 24 औद्योगिक इकाईयों में से 22 को (50.35 एकड़) जमीन का आबंटन निर्यात प्रतिबद्धता का अपेक्षित/शपथ पत्र प्राप्त किये बिना किया गया था ***(परिशिष्ट 3.3.9)***। लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि ई.पी.आई.पी. हाजीपुर में जमीन का आबंटन औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.डी.सी.) के निदेश के आलोक में किया गया था तथा वर्तमान में तीन इकाईयों द्वारा निर्यात किया जा रहा था। जबाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि औ.वि.आ. का निर्देश, औद्योगिक नीति के उपबंध तथा भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुकूल नहीं था।

- **हैण्डलूम, टेक्सटाईल तथा जूट पार्क के लिए जमीन के आबंटन में अदेय लाभ**

भारत सरकार की मार्गदर्शिका[11] के अनुसार, हैण्डलूम, टेक्सटाईल तथा जूट पार्क के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा स्वामित्व एक स्पेशल परपस वेहिकल (एस.पी.वी.) में निहित होना था। एस.पी.वी. कंपनी एक्ट 1956 में निबंधित एक निकाय/कॉरपोरेट हो सकता था जिसमें वित्तीय संस्थान/बैंकों, संगठित खुदरा व्यापारी, प्रसंस्करकों, सेवा प्रदाता, निर्माता उत्पादक, किसान संगठन तथा अन्य अंशधारी हो सकते थे। परियोजना के लिए जमीन का क्रय व्यवस्था एस.पी.वी द्वारा किया जाना था। पुनः एस.पी.वी में सरकार की इक्विटी कुल, शेयरधारिता का 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता था।

10 *जमीन निबंधन अधिनियम के अंतर्गत समाहर्ता द्वारा निर्धारित दर।*

11 *जूट का उपबंध 3.6, टेक्सटाईल का 3.1 तथा हैण्डलूम पार्क को 9.1।*

राज्य सरकार, वित्तीय संस्थान तथा अन्य का एस.पी.वी. में प्रतिनिधित्व नहीं था। परियोजना के लिए जमीन का क्रय व्यवस्था एस.पी.भी. द्वारा किया जाना था जबकि विभाग ने अपने इक्विटी के रूप में तीन कंपनियों को ₹ 13.04 करोड़ के मूल की 219.296 एकड़ जमीन प्रदान की जो एस.पी.भी. के कुल शेयरधारियों के अनुमत्य सीमा के 49 प्रतिशत से कई गुणा अधिक था

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अपने इक्विटी के रूप में तीन कंपनियों[12] को ₹ 13.04 करोड़[13] के मूल्य की 219.296 एकड़ जमीन प्रदान की थी जो एस.पी.वी. के कुल शेयरधारी से कई गुणा अधिक थी। यद्यपि विभाग इस तथ्य से अवगत था कि कंपनी के कुल शेयरधारिता में उसकी इक्विटी भागीदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए थी तथा जमीन का अधिप्राप्ति एस.पी.वी. द्वारा किया जाना था। फिर भी कई मामलों में जमीन आबंटन में सीमाओं का उल्लंघन किया गया। राज्य सरकार, वित्तीय संस्थान एवं अन्य को एस.पी.वी में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लेखापरीक्षा में यह बताए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि हैण्डलूम पार्क के लिए जमीन इक्विटी के रूप में दी गयी थी। जूट पार्क परियोजना में राज्य सरकार 49 प्रतिशत इक्विटीधारी थी अतः जमीन की कीमत बियाडा द्वारा दिया गया था।

जवाब स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि वह भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुकुल नहीं था। साथ ही कंपनी सही रूप से एस.पी.वी. नहीं था।

- **उद्यमी को अदेय लाभ**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार जमीन का आबंटन उसी उद्देश्य हेतु किया जाना था, जिसके लिए वह अधिग्रहित थी। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि मेसर्स होलीकाऊ पिक्चर्स प्रा. लि. (वर्तमान में पी एंड एम मॉल) ने छहः विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल– सह–मल्टीप्लैक्स के लिए जमीन आबंटन हेतु आवेदन (जनवरी 2006) दिया था। तदनुसार बियाडा ने उद्यमी को पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र में मल्टीप्लैक्स के लिए जमीन का आबंटन किया तथा निदेशक मंडल ने आबंटित जमीन के लिए वाणिज्यिक दर आरोपित करने का निर्णय लिया। आबंटन प्रक्रिया की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीः

- इकाई केवल मल्टीप्लैक्स नहीं थी बल्कि मॉल–कम–मल्टीप्लैक्स थी। जबकि मॉल वित्त (वाणिज्यकर) बियाडा के अधिसूचना के अनुसार, मनोरंजन उद्योग में शामिल नहीं था तथा इसे उपसचिव, वित्त विभाग द्वारा निदेशक मंडल की 17 वीं बैठक में सही रूप से प्रस्तुत किया गया था।
- उद्यमी को जमीन का आबंटन अपुनरीक्षित बियाडा दर पर किया गया था जिसके परिणामतः निजी कम्पनी को अदेय लाभ तथा बियाडा को ₹ 2.87 करोड़[14] की हानि हुई।
- बियाडा के विद्यमान नीति के अनुसार, पट्टेदार को जमीन सब लीज करने का अधिकार नहीं था लेकिन चुनिंदा उद्यमियों जैसे मॉल, पट्टेदार को आबंटित जमीन सब लीज करने तथा उप–पट्टेदार द्वारा 10 प्रतिशत फीस तथा विद्यमान सर्किल दर के अनुसार सब लीज जमीन के 5 प्रतिशत कीमत पर सब लीज करने में समर्थ बनाने हेतु लीज अभिलेख में उपबंध 6(सी) जोड़कर, सुगम बनाया गया। विद्यमान नीति से यह विचलन, जमीन के दुरूपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

12 *मेसर्स भागलपुर हैण्डलूम आधारभूत संरचना विकास (बी.एच.आई.डी.) (25 एकड़), मेसर्स पूनारस जूट पार्क, कोलकता (44.296 एकड़) तथा मेसर्स विक्रमषीला टेक्सटाईल पार्क (150 एकड़)*

13 *मेसर्स भागलपुर हैण्डलूम आधारभूत संरचना विकास (बी.एच.आई.डी.) (₹ 1.62 करोड़), मे. पूनारस जूट पार्क, कोलकता (₹ 1.67 करोड़), मे. विक्रमशीला टेक्सटाइल पार्क (₹ 9.75 करोड़) और मे. केवेन्टर फुड पार्क इन्फ्रा लि. (स्वयं द्वारा प्राप्त)।*

14 *आवंटित भूमि = 1.33 एकड़× बाजार दर @ ₹ 2.30 करोड़/एकड़ = ₹ 3.07 करोड़ – ₹ 0.20 करोड़ = ₹ 2.87 करोड़ ।*

- यह भी पाया गया कि बियाडा ने मेसर्स होलीकाऊ पिक्चर्स प्रा. लि. को मल्टीप्लैक्स–सह–मॉल हेतु चार अन्य औद्योगिक क्षेत्रों[15] में जमीन आबंटित किया (मार्च एवं अप्रैल 2006)। आगे बियाडा ने उसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघमी (एम.एस.एम.ई.) हाजीपुर (जनवरी 2011) एवं मुजफ्फरपुर (अप्रैल 2011) में मॉल–सह–मल्टीप्लैक्स से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल के उद्देश्य में परिवर्तन कर दिया था। यद्यपि, एम.एस.एम.ई. के सेवा उद्योगों के उपबन्धों के अनुसार बियाडा का निर्णय मान्य नहीं था जैसा कि अस्पतालों के उपकरणों का मूल्य निर्धारित राशि ₹ पाँच करोड़ से अधिक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि मेसर्स होलीकाऊ पिक्चर्स (प्रा.) लिमिटेड को भूमि का आबंटन आई.डी.सी. के अनुमोदन और सरकार के निर्देश (अगस्त, 2006) पर किया गया था तथा कार्यालय आदेश संख्या 319 दिनांक 08 दिसम्बर 2007 के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति (जुलाई 2006) देते हुए मॉल सह मल्टीप्लेक्स तथा उत्पादन परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इस प्रकार कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी।

जवाब वाणिज्य कर विभाग के अधिसूचना दिनांक 25 दिसम्बर 2005 तथा सरकार का निर्देश (अगस्त, 2006), जिसमें भूमि का आबंटन केवल मल्टीप्लेक्स के लिए था, के विरूद्ध था। अतः औद्योगिक क्षेत्र में मॉल के लिए भूमि का आबंटन नहीं किया जाना था। इस प्रकार भूमि का आबंटन गैर–औद्योगिक उद्येश्यों के लिए अप्राधिकृत रूप से किया गया था।

3.3.6.5 अनुपयोगित आबंटित भूमि

एक वर्ष से 39 वर्षों तक 236 इकाईयों द्वारा अच्छादित 262.73 एकड़ भूमि निर्माणाधीन थी वहीं एक से 11 वर्षों के दौरान 361 इकाईयों द्वारा अच्छादित 847.66 एकड़ भूमि बिना निर्माण के थी। तथापि बियाडा द्वारा न तो आबंटन रद्द किया गया और न ही जमा राशि जब्त की गई

बियाडा (संशोधित) अधिनियम, 1991 के धारा 6 की उप धारा (2) के अनुसार अगर उद्योग स्थापना हेतु किसी मामले में निर्धारित अवधि के अधीन आवश्यक पहल नहीं किया जाता है तब इस अवस्था में प्राधिकार आबंटित भूमि/शेड का आबंटन रद्द करेगा तथा जमा की गई राशि को भी जब्त करेगा। आवेदन शर्तों के अनुसार, आबंटन आदेश की तिथि के छः माह के अन्दर निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए तथा आबंटन आदेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उत्पादन शुरू किया जाना चाहिए।

इकाई विवरणियों की संविक्षा से ज्ञात हुआ कि 262.73 एकड़ भूमि पर आच्छादित 236 इकाईयाँ एक वर्ष से 39 वर्षों के बीच निर्माणाधीन थी जबकि 847.66 एकड़ पर आच्छादित भूमि 381 ईकाईयाँ, एक वर्ष से 11 वर्ष के बीच बिना निर्माण के थीं। तथापि दोषी उद्यमियों के आबंटन को बियाडा द्वारा रद्द करने की कार्यवाही नहीं की गई फलस्वरूप 1110.39 एकड़ भूमि अनुपयोगित रह गयी।

विभाग ने इस संदर्भ में कोई जवाब (जनवरी 2013) नहीं दिया।

3.3.7. निदेशक मंडल का कार्य संचालन

बियाडा अधिनियम, 1974 के अनुसार प्राधिकार (निदेशक मंडल) में एक अध्यक्ष (प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार), एक प्रबंध निदेशक (बियाडा) एवं पाँच अन्य निदेशक[16] जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्राधिकार के बैठकों (2003–12) की कार्यवाही के संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

15 *(i) औरंगाबाद (1.35 एकड़) (ii) हाजीपुर (1.29 एकड़) (iii) मुजफ्फरपुर (2.01 एकड़) एवं (iv) सीतामढ़ी (2.00 एकड़)।*

16 *अतिरिक्त वित्त आयुक्त, उद्योग निदेशक, अध्यक्ष, बी.आई.ए., कार्यकारी निदेशक, आई.ओ.सी. बरौनी रिफाइनरी, मुख्य महाप्रबन्धक, एस.बी.आई., पटना*

निदेशक मंडल के सभी पाँच सदस्य कभी भी एक साथ बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार प्राधिकार द्वारा निर्धारित नीतियाँ बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी और कमियों से मुक्त नहीं थी

- यद्यपि बैठकें के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, 40 बैठकें आठ से 231 दिनों के अन्तराल में सम्पन्न हुयी थीं।
- बैठकों के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति वर्णित नहीं थी और यह पाया गया कि सभी पाँच सदस्य एक साथ कभी भी बैठक में उपस्थित नहीं पाए गए। आगे, 10 बैठकों[17] में केवल दो सदस्य उपस्थित थे जबकि 26वें बैठक में केवल एक सदस्य उपस्थित थे। सदस्यों की अनुपस्थिति के मद्देनजर निदेशक मंडल के 20वीं बैठक (मई 2007) में सदस्यों के प्रतिस्थापन हेतु एक प्रस्ताव लाया गया परन्तु प्रतिस्थापनों को निश्चित कर इसे सरकार के अनुमोदन हेतु अग्रसारित करने के बदले तीन अतिरिक्त सदस्यों को मुख्य आमंत्रित सदस्य के रूप में चुना गया। इस प्रकार, बिना सरकार के अनुमति के 10 बैठकों[18] में तीन आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

इस प्रकार प्राधिकार द्वारा निर्मित नीतियाँ बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी और कमियों से मुक्त नहीं थी।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि निदेशक मंडल के पाँच अतिरिक्त सदस्यों का चयन सरकारी अधिसूचना सं0 2539 दिनांक 19 जून 2003 के आलोक में किया गया तथा प्रत्येक बैठक कोरम पूरा होने पर किया गया।

जवाब तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि आ.वि.प्रा. ने तीन अतिरिक्त सदस्यों को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य मनोनित करने के बदले बी.आई.ए. एवं सी.आई.आई. की सदस्यता को दो साल के अन्तराल पर बदल कर मंडल को पुनर्गठित करने को निर्देश दिया था। मंडल द्वारा लिया गया निर्णय बियाडा अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के विरूद्ध था।

3.3.8 वित्तीय प्रभाव

3.3.8.1 भूमि हस्तान्तरण से हानि

बिहार वित्तीय नियमावली 438 के अनुसार, सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना सरकारी भूमि बेचा या हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। जुलाई 1982 में विभाग सिद्धांतः कुछ निश्चित शर्तों के साथ स्थापित औद्योगिक इकाईयों के हस्तान्तरण पर राजी हुआ। क्रमशः बियाडा ने निर्णय किया (दिसम्बर 1992) कि यदि कार्यरत् इकाई के प्रबन्धन में कोई परिवर्तन होता है तब इसे नया भूमि आबंटन माना जाना चाहिए तथा वर्तमान भूमि का मूल्य वसूला जाना चाहिए। यदि इकाई कार्यरत् नहीं थी तब भूमि नए प्रबन्धन को नए तौर पर आबंटन किया जाना चाहिए।

108 हस्तान्तरण मामलों में बिना निदेशक पर्षद के अनुमोदन के अनुमति दी गई। हस्तान्तरण मामलों में भूमि का वर्तमान मूल्य भारित नहीं किए जाने से ₹ 45.29 करोड़ की हानि हुई

संवीक्षा में यह पाया गया कि बियाडा ने हस्तान्तरण नीति बदलने का निर्णय (नवम्बर 2003) किया तथा भूमि के वर्तमान मूल्य के बदले में आबंटित भूमि के मूल्य का 15 प्रतिशत हस्तानांतरण शुल्क लेने का निर्णय किया। 108 हस्तानांतरण/पुनः बिक्री मामलों के भूमि (64.08 एकड़) के नमूना जाँच में पाया गया (जुलाई 2012) कि बियाडा द्वारा भूमि का हस्तानांतरण भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लिए बिना किया गया जिससे ₹ 45.29 (₹ 49.92–₹ 4.63) करोड़ की हानि हुई। आगे पाया गया कि लेखापरीक्षा में बताने के बाद 108 मामलों में से 65 मामलों को पी.सी.सी. द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति देकर नियमित किया गया ***(परिशिष्ट 3.3.10)***।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि सरकार के निर्णय के आलोक में हस्तान्तरण नीति अपनायी गयी थी। पी.सी.सी. द्वारा 65 मामलों की

17 *1ली, 8वीं, 13वीं, 19वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं और 34वीं बैठक।*

18 *21वीं से 26वीं, 29वीं, 30वीं, 33वीं तथा 34वीं बैठक।*

घटनोत्तर स्वीकृति ली गई। 2004 से पूर्व, भूमि का स्थानांतरण निःशुल्क किया जाता था लेकिन जुलाई 2007 के बाद, अंचल दर का 15 प्रतिशत हस्तानांतरण शुल्क लिया जा रहा था। इस प्रकार कोई वित्तीय हानि नहीं हुई।

जवाब स्वीकार्य नहीं था, चूँकि बिहार वित्तीय नियम 438 के अनुसार हस्तानांतरण मामलों में निदेशक मंडल (सरकार) की पूर्व अनुमति चाहिए थी। हाँलकि 108 मामलों में से किसी मामले में यह प्राप्त नहीं किया गया था। बियाडा अधिनियम के अनुसार, पी. सी.सी. घटनोत्तर स्वीकृति देने हेतु सक्षम नहीं था।

3.3.8.2 आबंटन शर्तों की अवमानना से हानि

आबंटन शर्तों की अवमानना के परिणाम स्वरूप भूमि के भू–स्वामित्व वि.रा.वि.नि. को हस्तानांतरित हुआ जिसमें दोषियों द्वारा निर्मित अशोध्य ऋण को बट्टा खाते में डालने के लिए ₹ 24.53 करोड़ का दावा किया। अतः बियाडा को ₹ 24.53 करोड़ की हानि हुई

आबंटन शर्त के उपबंध 6 के अनुसार इकाईयों का भूमि मूल्य के भुगतान एक साथ अथवा किस्तों में करने हेतु उसे बियाडा के साथ लिखित अनुबंध करना था। अनुबंध में यह भी उल्लेखित होगा कि किस्तों की अदायगी तक भूमि बियाडा के पास बन्धक रहेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2011) कि बियाडा ने आबंटन शर्तों के विपरीत सम्पूर्ण भूमि मूल्य के वसूली के पहले ही उद्यमियों के लीज डीड को विमुक्त किया। आगे देखा गया कि आबंटियों ने लीज होल्ड भूमि को बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.) के पास ऋण लेने के लिए बन्धक रखा और ऋण की राशि भुगतान नहीं करने पर अन्ततः दोषी बने। इस प्रकार बियाडा द्वारा आबंटन शर्तों की अवमानना के कारण भूमि का मालिकाना हक बियाडा से बि.रा.वि.नि. को हस्तानांतरित हुआ। मामले के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2008) के आलोक में समिति ने निर्णय लिया (अगस्त 2009) कि बियाडा बन्धक से मुक्त करने हेतु ब्याज के साथ मूलधन की राशि बि.रा.वि.नि. को भुगतान करेगी। आदेश के आलोक में बि.रा.वि.नि. को ₹ 24.53 करोड़ बियाडा द्वारा भुगतान किया गया तथा 329 भू–खण्डों को वापस खरीदा गया (जुलाई 2010)।

इस प्रकार, अनुश्रवन तथा आबंटन शर्तों की अवमानना के परिणामस्वरूप बियाडा को ₹ 24.53 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि 329 रद्द भूखण्डों के पुनः आबंटन से प्राप्त ₹ 29.18 करोड़ की राशि में से भुगतान किया गया। इस प्रकार कोई हानि नहीं हुई बल्कि ₹ 4.65 करोड़ का लाभ हुआ। जवाब में पुष्टि किया कि बियाडा को ₹ 24.53 करोड़ की कम आमदनी हुई जो उस हद तक हानि थी।

3.3.8.3 ब्याज को कम आरोपित किया जाना

भूमि मूल्य के किस्तों पर परिवर्तनशील ब्याज पर संबंधी कोर कमेटी की अनुशंसा का अनुशरण निदेशक मंडल द्वारा नहीं किया गया। यद्यपि पाँच प्रतिशत का समान ब्याज दर भारित किए जाने के परिणामस्वरूप बियाडा को हानि हुई

औद्योगिक विकास प्राधिकारों (2003–04) के एकीकरण के पूर्व, भूमि मूल्य के किस्तों पर वर्त्तमान ब्याज दर सभी तीनों प्राधिकारों में अलग–अलग था। ब्याज दर में एकरूपता लाने, दरों तथा आबंटन दर में एकरूपता आदि मामलों के निर्धारण के संबंध में अध्ययन हेतु विभाग द्वारा एक कोर कमिटी की स्थापना की गई (सितम्बर 2002)। निदेशक मंडल (नवम्बर 2003) के तृतीय बैठक में कोर कमिटी की सिफारिशों पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त किया जाए। आगे आयुक्त, भूमि सुधार, बिहार सरकार (जनवरी 2007) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्णय किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के मूल उधार दर (मू.उ.द.) में एक प्रतिशत जोड़ कर जो दर आता है उसी दर से किस्तों पर ब्याज दर लगाया जाए। यह दर बदलते मू.उ.द. के अनुरूप परिवर्ती होगा। समय से पूर्व भुगतान पर दो प्रतिशत छूट अनुमान्य था और विलम्ब भुगतान पर दो प्रतिशत दण्ड आरोपित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि निदेशक मंडल ने मई 2007 में आयोजित बैठक में लीज राशि की किस्तों पर पाँच प्रतिशत ब्याज आरोपित करने का निर्णय लिया। तथापि दो प्रतिशत छूट तथा दो प्रतिशत दण्ड स्वरूप ब्याज लागू किया गया। वर्ष 2007–12 की अवधि में आबंटित 1010 मामलों की नमूना जाँच में पाया गया कि इनमें पाँच प्रतिशत का एक समान ब्याज दर आरोपित किया गया जबकि एस.बी.आई. की मू.उ.द. 8.25 से 12.75 प्रतिशत के बीच थी। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि निदेशक मंडल के 19वीं बैठक में निर्णय के आधार पर एक समान पाँच प्रतिशत ब्याज दर भारित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसके समर्थन में कोई औचित्य नहीं दिया गया।

3.3.8.4 आरक्षित मूल्य के कम निर्धारण से हानि

निलामी हुए भू–खण्डों का आरक्षित मूल्य सरकारी दर के बदले बियाडा दर पर निर्धारित किया गया। परिणाम स्वरूप सरकारी दर के अपेक्षा प्रस्तावित दर काफी कम था। बियाडा ने इनका आबंटन काफी कम दर पर किया जिससे ₹ 1.83 करोड़ की हानि हुई

निदेशक मंडल ने निर्णय किया (2007) कि सम्पूर्ण भूखण्डों को निलामी द्वारा आबंटित किया जाए परंतु भूमि का आरक्षित मूल्य सरकारी दर से कम नहीं होना था।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि बियाडा ने पाटलीपुत्रा औ.क्षे. में पाँच भूखण्डों का आबंटन निलामी प्रक्रिया से किया (जून 2007)। तथापि भूखण्डों का आरक्षित मूल्य सरकारी दर के स्थान पर बियाडा दर पर निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप सरकारी दर की अपेक्षा प्रस्तावित दर काफी कम था। बियाडा ने कम दर पर आबंटन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.88 करोड़ की हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 3.3.11*** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि भूमि दर का पुनरीक्षण करने का निर्णय निलामी सूचना के प्रकाशन के समय नहीं लिया गया था। इसलिए दर का पुनरीक्षण नहीं किया गया। अतएव बियाडा को हानि नहीं हुई।

जवाब लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं था चूँकि निदेशक मंडल की 20वीं बैठक, जिसका आयोजन 20 मई 2007 को हुआ, के अनुसार भूमि का न्यूनमत मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से नीचे निर्धारित नहीं किया जाना था।

3.3.8.5 आई.डी.ए. का रिवॉल्विंग फंड का अनुचित प्रबंधन

रिवॉल्विंग फंड के परिचालन के लिए स्थाई दिशानिर्देश पाँच साल की देरी से जारी किया गया। इस प्रकार निधि का उचित और पर्याप्त उपयोग नहीं हो सका

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 1.2 (VIII) के अनुसार औद्यौगिक और विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि बैंक की स्थापना की गई थी। ₹ 1500 करोड़ की अधिसीमा लागत पर भूमि बैंक के अन्दर एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना (सितम्बर 2006) की गई थी। स्थायी दिशानिर्देश में निहित प्रावधानों के अनुसार रिवॉल्विंग फंड का परिचालन किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2012 तक ₹ 1500 करोड़ के अधिसीमा लागत के विरूद्ध कॉरपस/रिवाल्विंग फंड ₹ 1089.91 करोड़ का था। आगे, निधि के संधारण की जाँच में निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया:

- भमि का अधिग्रहण एवं निष्पादन हेतु कॉरपस/रिवाल्विंग निधि के नियंत्रण के लिए स्थाई दिशानिदेश पाँच साल बाद (मार्च 2011) जारी किया गया;
- कॉरपस/रिवाल्विंग निधि को आई.डी.ए. का आधारभूत–संरचना विकास निधि के अन्तगर्त रखा गया था और निदेशों के विरूद्ध, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, गाँधी मैदान, पटना में अलग बचत बैंक खाता अद्यतन तिथि (मार्च 2012) तक नहीं खोला गया था। परिणामतः निधि से अर्जित ₹ 233 करोड़ ब्याज की राशि को रिवॉल्विंग निधि में शामिल नहीं किया गया था;

इस प्रकार मार्गदर्शिका के अभाव में, ₹ 468.75 करोड़ की निधि (31 मार्च 2012 को) तथा ₹ 233 करोड़ का अर्जित ब्याज बैंक में अव्यवहृत पड़े थे।

उपरोक्त तथ्यों का उजागर किए जाने पर विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) कि रिवॉल्विंग फंड की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखी गई थी।

3.3.8.6 बियाडा निधि का अनुचित प्रबन्धन

बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किए जाने के कारण की राशि ₹ 5.31 करोड़ असमाशेधित पड़ी थी

बैंक समाशोधन विवरणी लेखाकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा पास बुक तथा रोकड़ पंजी में दिखाए गए बैंक अवशेष की शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बियाडा द्वारा बैंक समाशोधन विवरणियाँ तैयार नहीं किया जा रहा था और वर्ष 2007–08 की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाई गई सावधि जमा योजना में ₹ 5.31 करोड़ की अन्तर राशि को अब तक समाशोधित नहीं किया गया।

- निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (22वीं बैठकः 31 अगस्त 2007) कि भूमि आबंटन से प्राप्त सभी राशि को सरकार को वापस किया जाना है। तथापि ₹ 218.83 करोड़ की राजस्व प्राप्ति को बैंक (मार्च 2012) में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि एक दल का गठन किया गया था तथा बैंक से समाशोधन करने हेतु एक सनदी लेखाकार की नियुक्ति की गई थी तथा सरकार के निर्देशानुसार भूमि आबंटन से प्राप्त निधि सरकार को वापस की जाएगी।

3.3.9 निष्कर्ष

यद्यपि, औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रयास के साथ औद्योगिक प्रत्साहन नीति 2006 की घोषणा की, तथापि राज्य में भूमि अधिग्रहण तथा औद्योगिक संरचना के विकास हेतु दीर्घकालीन योजना नहीं थी। विभाग के साथ–साथ प्राधिकार स्तर पर भूमि अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। अधिग्रहित भूमि का उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा रहा था तथा उद्यमियों के पक्ष में अनियमित रूप से भूमि को अधिसूचना से मुक्त किया गया था। गैर–औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया था, आबंटन में आबंटन मानकों का पालन नहीं किया गया था, भूमि का अनियमित हस्तानांतरण किया गया तथा अभिकर्ता के पक्ष में भूमि के अभिलेखों में छेड़–छाड़ किया गया। भूमि दरों का पुनरीक्षित नहीं किया गया और बियाडा निधियों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया था।

3.3.10 अनुशंसाएँ

- विभाग को भूमि अधिग्रहण औद्योगिक नीति के अनुसार करना चाहिए और तदनुसार राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए।
- भूमि अभिलेखों के संधारण के साथ–साथ भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदनों का उचित अभिलेखीकरण के लिए कार्यप्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- भूमि आबंटन में पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

अध्याय IV
सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

अध्याय-IV

सरकारी विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

कार्यपालक सारांश

परिचय

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विविध विकासात्मक योजनाओं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं स्थिति में सुधार से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा विभाग ने योजना, वित्तीय प्रबन्धन एवं कार्यक्रम प्रबन्धन में कमियों को प्रकट किया। विभाग की लेखापरीक्षा द्वारा प्रकटित हुआ कि जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तरों पर विभाग के स्वयं के कार्यालय नहीं होने के कारण तथा लाभार्थियों को ससमय साहाय्य राशि वितरित नहीं किए जाने के कारण अव्ययित अवशेष राशियाँ समय के साथ बढ़ती गयी तथा केन्द्रीय सहाय्य राशि से भी वंचित होना पड़ा।

योजना

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु परिप्रेक्ष्य/वार्षिक योजना तैयार नहीं किया था। जिला स्तर पर विभाग के अंतःसंरचना रहित तदर्थ व्यवस्था के कारण कल्याण योजनाएँ प्रभावित हुई।

(कंडिका 4.6)

वित्तीय प्रबंधन

विभाग अपनी आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। उसके बाद यह भी पाया गया कि बचतों से किये गये प्रत्यार्पण (99 प्रतिशत) वित्तीय वर्षों के अंतिम तिथि में किए गए थे। निधियों के अवरूधन, गलत उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समर्पण, निधियों के विलंबित विमुक्ति तथा निधियों के विचलन के मामले भी पाए गए। विभाग के व्यय आँकड़ों एवं विनियोजन लेखे में ₹ 23.81 करोड़ का अन्तर था तथा अन्तर राशि असमाशोधित पड़ी थी।

(कंडिका 4.7)

योजनाओं का क्रियान्वयन

एम.एस.डी.पी. अन्तर्गत, वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग मात्र ₹ 350.86 करोड़ ही व्यय कर सका तथा अवशेष ₹ 121.21 करोड़ मार्च 2012 के अन्त तक अव्यवहृत पड़े थे। इस प्रकार निधियों के अनुपयोगित रहने के कारण एम.एस.डी.पी. के निर्धारित लक्ष्य को पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका और ₹ 112.20 करोड़ की केन्द्रीय साहाय्य राशि से राज्य वंचित हुआ। अन्य योजनाएँ यथा प्री–मैट्रिक/पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं की गई थी। ***(कंडिका 4.8)***

निष्कर्ष

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किसी विशिष्ट योजना का सृजन नहीं किया था। विभाग में वित्तीय प्रबन्धन का अभाव था चूँकि विभाग आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही वितरित/उपयोग कर सका था। विभाग के अप्रभावी कार्यकलाप के कारण, अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक कल्याणकारी योजना अंशतः क्रियान्वित या अक्रियान्वित थी।

(कंडिका 4.9)

अनुशंसाएँ

विभाग को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अपनी कार्ययोजना तैयार एवं शुरूआत करनी चाहिए। विभाग की मानवशक्ति पर्याप्त एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। बजट प्राकल्लनों को तैयार करने में आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए जो वास्तविकता पर आधारित हो जिससे बचतों से बचा जा सके और योजनाओं का, उनकी दिशानिर्देशों के अनुसार, कठोरता से क्रियान्वयन किया जा सके।

(कंडिका 4.10)

4.1 परिचय

विभिन्न संबंन्धित विभागों द्वारा क्रियान्वित अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों[1] के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से वर्ष 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार अस्तित्व में आया। बिहार में, अल्पसंख्यक राज्य की कुल आबादी का 16.71 प्रतिशत हैं तथा अल्पसंख्यकों की कुल आबादी का 99 प्रतिशत मुस्लिम हैं एवं अन्य की आबादी यथा इसाई, बौद्ध, सिख एवं पारसी नाममात्र हैं। विभाग अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण, हज एवं वक्फ से संबंधित कार्यों को सम्पादित करता है तथा निगम/अभिकरणों यथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, 15 सूत्री कार्यक्रम समिति ***(परिशिष्ट 4.1)***, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एवं उर्दू अकादमी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

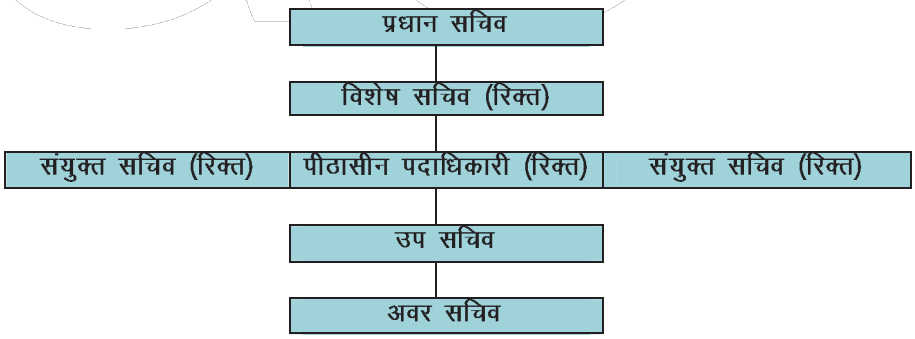
इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान 16 योजनाओं को क्रियान्वित किया। इनमें से 12 राज्य योजना के तहत् थे एवं तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (हिस्सेदारी पर आधारित) और एक केन्द्रीय योजनागत योजना थी।

4.2 संगठनात्मक संरचना

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सांगठनिक संरचना चार्ट में नीचे दी गई है:

चार्ट-I

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संगठनिक संरचना



जैसा कि स्पष्ट है चार उच्च पद रिक्त पड़े थे। तदोपरान्त, विभाग का प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तरों पर कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर विभाग की अल्पसंख्यक कल्याणार्थ योजनाएँ एवं गतिविधियाँ जिला पदाधिकारी (जि. पदा.) द्वारा उप–विकास आयुक्त (उ.वि.आ.), जिला योजना पदाधिकारी (जि.यो.पदा.),

1 *मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध एवं जरथष्ट (पारसी) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(c) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।*

जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.पदा.), जिला अभियन्ता, कार्य प्रमंडल के कार्यकलाप अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी (जि.शि.पदा.) एवं अन्य सभी कार्यकारी अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही थी।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण मूल्यांकन करना था कि :

- कार्य योजना, वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का कार्यान्वयन पर्याप्त एवं प्रभावकारी था; और
- अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी।

4.4 लेखापरीक्षा मानक

अंगीकृत लेखापरीक्षा मानक थे:

- बिहार सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियम, नियम एवं विनियम (बिहार बजट नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, जो अल्पसंख्यक कल्याण की गतिविधियों के लिए लागू हो;
- केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश एवं दिशानिर्देश; तथा
- विभाग का अधिदेश तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दिशानिर्देश।

4.5 लेखापरीक्षा का कार्य–क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा ने वर्ष 2007–12 की अवधि को आच्छादित किया है तथा इसे मई 2012 से जुलाई 2012 एवं अक्टूबर 2012 से नवम्बर 2012 के दौरान विभाग के मुख्यालय एवं सात[2] जिला कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा संपादित किया गया। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बी.एस.एम.एफ.सी.) से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग भी विभाग की गतिविधियों के सर्वांगीण मूल्यांकन हेतु किया गया। लेखापरीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संदर्भित सूचनाओं के परीक्षण, संकलन एवं मूल्यांकन में क्षेत्रीय दौरे तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन से जुड़े उत्तरदायी पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी शामिल थे। इस लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा विभाग का उस पर मन्तव्य प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रधान सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ मार्च 2012 में एक प्रवेश बैठक आयोजित किया गया। जनवरी 2013 में आयोजित बर्हिगमन बैठक में लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रधान सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, अपर सचिव एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप पदाधिकारी के साथ जनवरी 2013 में बर्हिगमन बैठक में विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने में विभाग के जवाबों एवं मन्तव्यों का भी ध्यान रखा गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विभाग के लेखापरीक्षा क्रम में पायी गई कमियों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है:

2 *(i) अररिया (ii) दरभंगा (iii) कटिहार (iv) किशनगंज (v) पूर्णियाँ (vi) सीतामढ़ी और (vii) पश्चिम चम्पारण।*

4.6 योजना

विभाग द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी और विभाग बिना आधारभूत संरचना के कार्य कर रहा था

किसी विभाग की समुचित कार्ययोजना उसकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मुख्य कुँजी है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग को समुचित कार्ययोजना बनाने की आवश्यक थी क्योंकि विभाग का लक्ष्य अल्पसंख्यकों की वस्तुस्थिति का उत्थान करना था। विभाग ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया था। अतः लेखापरीक्षा क्रम में योजना से संबंधित कोई भी अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया। तत्पश्चात, यह पाया गया कि विभाग का अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तरों पर कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं था तथा विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी द्वारा उप–विकास आयुक्त, जिला योजना/कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विद्यालय के प्राचार्यो प्रधानाध्यापकों एवं अन्य कार्यकारी अभिकरणों जो विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं थे के सहयोग से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त विभाग, निदेशालय एवं जिला अल्पसंख्यक कोषांगों का गठन भी नहीं कर सका था। विभाग के पास योजनाओं से प्राप्त लाभ संबंधी सूचनाओं के संकलन करने हेतु न कोई तंत्र था और न हीं कार्यकारी अभिकरणों एवं विभाग के बीच की खाई को पाटने का प्रयास ही किया गया था। इसके अलावा, विभाग के पास कोई अनुश्रवण प्रणाली नहीं थी और विभागीय बेबसाइट भी अद्यतन नहीं था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (जनवरी 2013) ने कहा कि विभाग द्वारा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं अन्य राज्य प्रायोजित योजनाएँ उनसे सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की गयी थी। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विभाग सीमित मानवबल एवं संसाधनों के साथ कार्य कर रहा था तथा सुधारात्मक कार्रवाही की जा रही थी।

4.7 वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग के बजट प्रावधान, व्यय, प्रत्यर्पण एवं बचत के आँकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका संख्या 1

वर्ष 2007–12 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय एवं प्रत्यर्पण/बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन			व्यय			प्रत्यर्पण			बचत/व्यपगत (-)			कुल बचत (प्रत्यर्पण + बचत) एवं प्रतिशतता
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	बचत (-)
2007-08	25.82	3.17	28.99	24.42	2.03	26.45	1.40	1.12	2.52	0	(-)0.02	(-)0.02	(-)2.54 (9)
2008-09	66.23	5.11	71.34	51.20	4.39	55.59	0.70	0.50	1.20	(-)14.33	(-)0.22	(-)14.55	(-)15.75 (22)
2009-10	230.20	4.30	234.50	160.25	3.70	163.95	56.21	0.25	56.46	(-)13.74	(-)0.35	(-)14.09	(-)70.55 (30)
2010-11	461.95	4.39	466.34	297.88	3.50	301.38	164.07	0.53	164.60	0.00	(-)0.36	(-)0.36	(-)164.96 (35)
2011-12	570.00	5.47	575.47	283.65	4.27	287.92	1.53	0.15	1.68	(-)284.82	(-)1.05	(-)285.87	(-)287.55 (50)
Total:-	1354.20	22.44	1376.64	817.40	17.89	835.29	223.91	2.55	226.46	(-)312.89	(-)2.00	(-)314.89	(-)541.35 (39)

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखे एवं विभागीय विवरणी)

वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि विभाग कुल अनुदान का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका था

ऊपर वर्णित तालिका से स्पष्ट है कि विभाग कुल अनुबन्ध ₹ 1376.64 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 835.29 करोड़ (61 प्रतिशत) उपयोग कर सका। इसके अलावे कुल अवशेष निधि में से ₹ 226.46 करोड़ प्रत्यर्पित किए गए थे तथा ₹ 314.89 करोड़ व्यपगत हो गए थे। आगे यह भी पाया गया कि ₹ 225.45 करोड़ (99 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन प्रत्यर्पित किए गए थे। परिणामस्वरूप वित्त विभाग द्वारा प्रत्यर्पित निधियाँ पुनर्विनियोजित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2011–12 में, कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग ₹ 287.55 करोड़ (कुल आबंटन ₹ 575.47 करोड़ का 50 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सका एवं चार राज्य योजनागत योजनाओं यथा वक्फ संपत्ति के कंम्पयूटरीकरण, महाविद्यालयों की छात्रवृति, लोक सेवा आयोग में सफलता हेतु कोचिंग के लिए छात्रवृति एवं अल्पसंख्यकों के श्रमिकों के प्रशिक्षण में एवं आबंटन का शत्–प्रतिशत बचत पाया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा के आंकड़ों को नकारते हुए कहा (दिसम्बर 2012) कि शतप्रतिशत आवंटित राशि व्यय की गयी थी।

जवाब तथ्य संगत नहीं था क्योंकि विभाग ने प्रत्यर्पित/व्यपगत राशियों को शामिल नहीं किया गया था। हाँलांकि बहिर्गमन बैठक (जनवरी 2013) के दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि आंकड़ों का सुधार एवं समाशोधन, जहाँ जैसी आवश्यकता हो, कर लिया जाएगा।

4.7.1 निधियों का विलंब से विमुक्त किया जाना

एम.एस.डी.पी. निधियों को नौ माह तक के विलंब से विमुक्त किए जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) की सशक्त समिति के निर्देशानुसार, राज्य सरकार को प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुमोदित निधियाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को विमुक्त करना था। तथापि, संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि केन्द्रांश का ₹ 255.33 करोड़ और राज्यांश का ₹ 47.61 करोड़ संबंधित जिलों को नौ माह एवं उससे अधिक विलम्ब से विमुक्त किया गया था। वैसे मामलों में विलम्ब की अवधियाँ नीचे तालिका में उल्लेखित है:

तालिका संख्या 2

एक माह की वास्तविक समयसीमा से विलंब विमुक्तियों के मामले

वर्ष	तीन माह तक	छः माह तक	नौ माह एवं उससे अधिक
2008-09	-	-	3
2009-10	7	3	-
2010-11	8	1	-
2011-12	26	1	-
कुल	**41**	**5**	**3**

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि निधियों की विमुक्ति में विलंब योजनाओं के प्रारंभिक वर्षों में था परन्तु बाद में उसमें सुधार कर लिया गया।

तथापि यह पाया गया कि विलंबित विमुक्ति के अधिकांश मामले वर्ष 2011–12 के थे। इस प्रकार, निधि के विलम्बित विमुक्ति से एम.एस.डी.पी. योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4.7.2 गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र

जिला प्रशासन, सीतामढ़ी, बेतिया एवं दरभंगा ने एम.एस.डी.पी. निधियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया

एम.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 15.5 के अनुसार, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा योजना की राशि के व्ययोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र–जमा किया जाना था तथा उपयोगिता प्रमाण

–पत्र एवं अन्य अनिवार्य अभिलेखों की प्राप्ति के उपरान्त अगली किस्तें विमुक्त की जानी थी।

तीन नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि योजना की दूसरी किस्त प्राप्ति हेतु जिला प्रशासन ने विभाग को एम.एस.डी.पी. निधियों (आंगनबाड़ी) की केन्द्रांश राशि का गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया जो नीचे विवरणित है:

- रूपये तीन करोड़ (मार्च 2010) की प्राप्ति के विरूद्ध जिला प्रशासन, सीतामढ़ी ने पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जून 2012) जमा कर दिया जबकि उक्त अवधि की रोकड़ बही ने उजागर किया कि 11 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कुल ₹ 2.85 करोड़[3] ही वितरित किये गये थे। इसके अलावा, प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अभिलेखों की जाँच ने उद्घाटित किया कि मात्र ₹ 93.70 लाख[4] ही व्यय किए गए थे तथा ₹ 1.92 करोड़ की अवशेष राशि उनके संबंधित खाते में पड़ी थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसबंर 2012)।

- जिला प्रशासन, पश्चिम चम्पारण ने विभाग को रूपये छः करोड़ (जून 2011) का उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया जबकि सम्बन्धित रोकड़बही के अनुसार कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 5.69 करोड़[5] ही वितरित किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि पुनः छः करोड़ (अक्टूबर 2011) प्राप्त किया गया था और जिला प्रशासन ने पुनः छः करोड़ (दूसरी किस्त) का उपयोगिता प्रमाणपत्र (जनवरी 2012) जमा कर दिया, जबकि रोकड़बही में ₹ 4.66 करोड़ अवशेष पड़े थे।

प्रत्युत्तर में विभाग ने जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के जवाब को अग्रसारित किया (दिसम्बर 2012) जिसमें यह बताया गया कि प्रथम किस्त की शेष राशि ₹ 0.31 करोड़ को भी ग्रामीण कार्य विभाग (संख्या 2) को प्रयोगशाला के कमरे के निर्माण हेतु दिया गया था हाँलांकि जिला पदाधिकारी ने दूसरी किस्त के रूपये छः करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र को जमा किये जाने से इन्कार किया।

जवाब तथ्यों से विपरीत थे क्योंकि जिला पदाधिकारी ने विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र जनवरी, 2012 में ही जमा कर दिया था।

- उसी प्रकार जिला प्रशासन, दरभंगा ने विभाग को तीन करोड़ के प्रथम किस्त का गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र (जूलाई 2011) प्रस्तुत किया था जबकि जमीन के अभाव में कार्यकारी अभिकरण (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा) द्वारा ₹ 0.39 करोड़ जिला प्रशसन को लौटा (जून 2012) दिया गया था ।

3 *(i) बाजीपट्टी (₹ 20.10 लाख), (ii) भोखराहा (₹ 8.04 लाख), (iii) डुमरॉव (₹ 36.18 लाख), (iv) महराजगंज (₹ 32.16 लाख), (v) नानपुर (₹ 28.14 लाख), (vi) परिहार (₹ 44.22 लाख), (vii) पूपरी (₹ 8.04 लाख), (viii) रीगा (₹ 40.20 लाख), (ix) रून्नीसैदपुर (₹ 40.20 लाख), (x) सोनबरसा (₹ 8.04 लाख) और (xi) सूरसंड (₹ 20.10 लाख) (कुल=₹ 285.42 लाख)*

4 *(i) डुमरॉव (₹ 12.00 लाख) (ii) सूरसंड (₹ 16.78 लाख), (iii) रून्नीसैदपुर (₹ 3.95 लाख), (iv) भोखराहा (₹ 2.80 लाख), (v) रीगा (₹ 17.10 लाख), (vi) नानपुर (₹ 5.34 लाख), (vii) सोनबरसा (₹ 3.96 लाख), (viii) बाजीपट्टी (₹ 6.70 लाख), (ix) पूपरी (₹ 2.85 लाख), (x) परिहार (₹ 9.68 लाख) और (xi) मजोरगंज (₹ 12.54 लाख) (कुल = ₹ 93.70 लाख)*

5 *(i) का.अभि., ग्रा.का.वि.-2, बेतिया (₹ 213.60 लाख) और (ii) रा.ग्रा.रा.का. (₹ 355.50 लाख)*

जवाब में विभाग ने आश्वस्त किया (दिसम्बर 2012) कि यथोचित जॉच की जायेगी क्योंकि ये गंभीर एवं असहय्य मुद्दे थे।

4.7.3 निधि का अवरूधन

निधि के अवरूधन के कारण योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी

बिहार बजट नियमावली के नियम 107 (3) के अनुसार किसी राशि की निकासी कोषागार से तब तक नहीं की जानी चाहिए जबतक कि उसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न हो। मांग की प्रत्याशा में या कार्य के कार्यान्वयन हेतु, जिसकी पूर्णता में अत्यधिक समय लगने की संभावना हो अथवा विनियोजन या व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषागार से अग्रिम की निकासी अनुमत्य नहीं है।

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 1.28 करोड़ (मार्च 2001 में ₹ 0.30 करोड़, मार्च 2008 में ₹ 0.616 करोड़ एवं मार्च 2009 में ₹ 0.366 करोड़) आहरित किया और बैंक के बचत खाते में जमा किया। बाद में मिट्टी परीक्षणों पर ₹ 0.82 लाख (सितम्बर 2001) के व्ययोपरान्त उन्होंने ₹ 1.27 करोड (अप्रैल 2010) जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को हस्तान्तरित कर दिया। राशि अबतक जिला प्रशासन के खाते में अनुपयोगित पड़ी थी।

जवाब में विभाग ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि आहरित निधियों से मात्र ₹ 0.82 लाख व्यय किये गये थे तथा आश्वस्त किया कि जिला स्तर के साथ–साथ कार्यकारी अभिकरण के स्तर पर निधि के अवरूधन के कारणों की जाँच की जायेगी तथा राशियाँ व्यय की जाएँगी अथवा वापस मांग ली जायेगी।

अतः, वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए निधि आहरित की गयी और निधियों के अवरूधन के कारण योजना उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हुई थी।

4.7.4 निधि का विचलन

एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान के स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्नित प्रावधानों एवं निदेशों में यह वर्णित था कि ''अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान के किसी भाग को किसी दूसरे अन्य गतिविधियों में विचलन नहीं करेंगे''। बहु–क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत किसी निधि का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचलन किया जाना अनुमत्य नहीं था। दो नमूना जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने एम0एस0डी0पी0 निधियों के विचलन के मामलों को उद्घाटित किया जो नीचे वर्णित है:

प्रावधान के विपरीत ऑगनबाड़ी मद के निधि का इन्दिरा आवास योजना एवं प्रयोगशाला भवन में विचलन किया गया था।

- दरभंगा जिला में, चार करोड़ आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु उपलब्ध निधि को इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई) में विचलन किया गया था।
- जिला प्रशासन पश्चिम चम्पारण (बेतीया) ने ₹ 1.09 करोड़ और ₹ 0.66 करोड़ क्रमशः तीन कमरों के प्रयोगशाला भवन और दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण वास्ते विचलित किया था। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माणार्थ प्राप्त आबंटन की निधि को विचलित किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि उस योजना मद, जिसके लिए विचलन किया गया था, में निधि प्राप्ति के उपरान्त उसे समायोजित कर लिया जाएगा।

4.7.5 व्यय नियंत्रण पंजी का असंधारण

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 472 यह विहित करता है कि प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अनुदान अथवा अनुदानों से किये जाने वाले व्यय के

नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी होगा और नियंत्रण पदाधिकारियों के माध्यम से नियंत्रित करेगा। आगे, नियम यह भी विहित करता है कि विभागाध्यक्ष को लेखे के प्रत्येक लघुशीर्ष अथवा उप शीर्ष हेतु निर्धारित प्रपत्र में नियंत्रण पंजी को संधारित करना चाहिये।

विभाग ने आबंटनों के विरूद्ध व्यय पर नियंत्रण हेतु व्यय नियंत्रण पंजी संधारित नहीं किया था

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकटित किया कि विभाग द्वारा वैसी कोई व्यय नियंत्रण पंजी संधारित नहीं की गयी थी। आबंटन, व्यय, अवशेष एवं निधियों के विनियोजन अभिलेखित और सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं थे। व्यय नियंत्रण पंजी के नहीं होने के कारण अररिया जिला को आबंटित ₹ 11.52 करोड़ के निधि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग ने आबंटन अवशेष ₹ 10.42 करोड़ के विरूद्ध ₹ 11.52 करोड का आबंटन जारी कर दिया था। परिणामस्वरूप, व्यय नियंत्रण तंत्र के प्रति विभागीय अनुपालन अपर्याप्त था।

जवाब में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया तथा आश्वस्त किया कि भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजी संधारित की जायेगी।

4.7.6 व्यय का समाशोधन नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii)के अनुसार, विभागीय प्रमुख को अपने विभाग से संबंधित प्राप्ति तथा व्यय के आँकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में संधारित ऑकड़ों से मासिक समाशोधन करवाना चाहिये। अगर मासिक समाशोधन संभव न हो तो नियंत्री पदाधिकारी को इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के अंत में महालेखाकार कार्यालय में एक सहायक की प्रतिनियुक्ति करनी है।

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि वर्ष 2007–12के दौरान विनियोजन लेखे में ₹ 811.48 करोड़ व्यय दर्शाए गये थे जबकि विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार मात्र ₹ 835. 29 करोड़ ही व्यय दर्शाए गये थे। अतः ₹ 23.81 करोड़ की अन्तर राशि असमाशोधित पड़ी थी ***(परिशिष्ट 4.2)***, हाँलांकि, विभाग द्वारा वर्ष 2007–12 के दौरान गैर–योजना शीर्ष से किये गये व्यय के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

बर्हिगमन बैठक (जनवरी 2013) के दौरान प्रधान सचिव ने अपने पदाधिकारियों को आँकड़ों को समाशोधित किये जाने हेतु निदेशित किया।

4.7.7 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय नियम का कार्य

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय नियम लिमिटेड (बी0एस0एम0एफ0सी0), पटना की स्थापना वर्ष 1984 में ₹ 10.00 करोड की प्रस्तावित हिस्सा पूँजी के साथ की गयी थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए वित/ऋण प्रदान करना था। आगे, बिहार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम लिमिटेड (एन0एम0डी0एफ0सी0), नई दिल्ली की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु निगम को वर्ष 1977 में इसका सरणी अभिकरण नियुक्त किया गया था।

बी0एस0एम0एफ0सी0 ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया था और विभागीय उद्देश्यों की प्राप्ति में पीछे था

एन0एम0डी0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अंतिम लाभुकों को निधियाँ प्रदान की जानी थी जबकि एन0एम0डी0एफ0सी0, राज्य सरणीयन अभिकरण (एस0सी0ए0) से साढ़े तीन प्रतिशत प्रभारित करता एवं ससमय ऋण चुकता करने पर आधा प्रतिशत की छूट भी देता। निधियाँ संवितरण की तिथि से तीन माह के अंदर उपयोगित कर ली जानी थी एवं असफलता की स्थिति में तीन माह बाद राज्य सरणीयन अभिकरण से छः प्रतिशत ब्याज प्रभारित किया जाना था एवं छः महीना बाद अनुपयोगित निधियाँ वापस माँग ली जानी थी।

तथापि, यह पाया गया कि न तो कर्ज नियम समय सीमा के अन्दर संवितरित किये गये थे (अद्यतन शेष स्थिति ₹ 4.71 करोड़ जैसा कि ***परिशिष्ट 4.3*** में विवरणित) और न ही दंडात्मक ब्याज ही प्रभारित किया गया था तथा अवितरित राशि भी निर्दिष्ट समयावधि समाप्ति के उपरांत एन0एम0डी0एफ0सी0 नई दिल्ली को वापस नहीं की गयी थी ।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया कि वर्ष 2011–12 में एन0एम0डी0एफ0सी0 से प्राप्त ₹ 4.38 करोड की निधि के विरूद्ध मात्र ₹ 9.90 लाख ही शिक्षा ऋण मद में विमुक्त किया गया था। जवाब अपूर्ण था क्योंकि विभाग पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों के संदर्भ में मौन थी।

आगे, अंतिम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा प्राप्त/उपयोगित निधियों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने पाँच योजनाओं की निधियों को निगम में जमा किया था जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका संख्या–3
बी.एस.एम.एफ.सी. द्वारा निधि की प्राप्ति एवं उपयोगिता

(₹ *करोड़ में*)

योजना का नाम	प्राप्त निधि (वर्ष 2009–12)	संवितरित/उपयोगित निधि (वर्ष 2009–12)	अवशेष (31.3.12 को)
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम (केन्द्रीय)	44.29	19.55	24.74
तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति (केन्द्रीय)	9.46	7.75	1.71
राज्य छात्रवृत्ति (राज्य)	2.00	2.00	शून्य
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना (राज्य)	1.00	0.00	1.00
कोचिंग योजना राज्य	1.65	0.98	0.67
कुल	**58.40**	**30.28**	**28.12**

(स्त्रोतः बी0एस0एम0एफ0सी0 पटना द्वारा प्रस्तुत विवरणी)

जैसा कि तालिका से परिलक्षित है, निगम प्राप्त निधियों का मात्र 52 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी। यह भी पाया गया कि निगम ने अपने निधि से ₹ 46.94 करोड़ (72 प्रतिशत) को अल्पावधि जमा में एवं शेष ₹ 18.16 करोड़ (28 प्रतिशत) को बचत खातों में रखा था। (मार्च 2012) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गई :

- निगम के लेखे वर्ष 2008–09 से ही लम्बित थे और 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम का तैयार किया गया तुलन–पत्र एवं लाभ–हानि लेखे, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (c) के अनुसार लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करते थे। इस प्रकार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्पष्ट स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वी0एस0एम0एफ0सी0 के प्रबंध निदेशक (प्र0नि0) ने बताया (दिसम्बर 2012) कि निगम का वर्ष 2008–09 का आन्तरिक लेखा तैयार कर लिया गया था तथा शीघ्र ही जमा कर दिया जाएगा।

- अग्रिमों की वसूली में विलंब किये जा रहे थे तथा लाभुकों से निष्क्रिय परिसंपत्ति के ऋणों (एन0पी0ए0) को भी निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

जवाब में प्र0नि0 ने कहा कि निगम ने ऋण पर ₹ 2.23 करोड़ का ब्याज सुनिश्चित कर लिया था और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण मद में ₹ 1.31 करोड़ का प्रावधान किया

गया था। जवाब अपूर्ण था क्योंकि अग्रिमों की वसूली एवं निष्क्रिय परिसंपत्तियों के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया गया था ।

- बी0एस0एम0एफ0सी0, पटना ने वर्ष 2008–10 के दौरान मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत ₹ तीन करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। (₹ दो करोड 2008–09 में एवं ₹ एक करोड 2009–10 में) जो संबंधित अल्पसंख्यकों में हुनर को विकसित करने एवं स्वरोजगार प्राप्त किए जाने हेतु निमित्त था। निगम योजना की शुरूआत नहीं कर सका और कुल राशि अद्यतन तिथि तक अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 2012) ।

जवाब में प्र0नि0 ने इसका कारण सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाना बताया और आश्वस्त किया कि इसे चालू वर्ष में क्रियान्वित किया जाएगा ।

इस प्रकार निगम के वित्तीय नियंत्रण में कमी थी और विभाग के प्रधान सचिव का निगम, के निदेशक मंडल में सम्मिलित रहने के बावजूद निगम, विभाग के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में पिछड़ा हुआ था।

4.8 योजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने एक केन्द्रीय योजनागत योजना (अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति), तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) यथा बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम0एस0डी0पी0), प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और बारह राज्य योजनायें ***(परिशिष्ट 4.4)*** कार्यान्वित किया था। समेकित लेखा–परीक्षा के दौरान तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ एवं तीन राज्य योजनागत योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है:

4.8.1 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1124.80 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। प्राप्त अनुदान में से ₹ 909.31 करोड़ प्राप्त वर्ष 2010–12 के दौरान किये गए थे और विभाग मात्र ₹ 483.38 करोड़ की व्यय कर सका था। कार्य की धीमी प्रगति, जमीन की अनुपलब्धता एवं कार्य के अक्रियान्वयन के कारण ₹ 425.93 करोड की शेष राशि अनुपयोगित पड़ी थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का निधि–प्रवाह नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 4

केन्द्रीय प्रायोजित योजना (₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान			व्यय			कुल बचत प्रतिशत
	केन्द्रीय	राज्य	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (0)
2008-09	32.19	0.00	32.19	22.89	0.00	22.89	9.30 (29)
2009-10	169.95	13.35	183.30	103.72	13.35	117.07	66.23 (36)
2010-11	309.65	73.66	383.31	154.74	73.66	228.40	154.91(40)
2011-12	460.00	66.00	526.00	203.83	51.15	254.98	271.02(52)
कुल	**971.79**	**153.01**	**1124.80**	**485.18**	**138.16**	**623.34**	**501.46 (45)**

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखा एवं विभागीय विवरणी)

आगे, योजनाओं में किए गए व्यय का विश्लेषण नीचे चर्चित है:

4.8.1.1 बहुउद्देशीय विकास योजना

विभाग एम.एस.डी.पी. निधियों का उपयोग नहीं कर सका और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के दौरान, बहुक्षेत्रीय विकास योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक बाहुल्यता जिलों में उनके आर्थिक–सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के मानकों को सुदृढ़ कर जीवन को उन्नत बनाना एवं असमानताओं को कम किया जाना था। चिह्नित "विकास की कमियों" को एक जिला विशिष्ट योजना, जिससे विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्का आवास, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति की बेहतर अंतः संरचना प्रदान किया जा सके एवं आय सृजन गतिविधियाँ आरंभ करने हेतु लाभुक अनुकूल योजनाओं के माध्यम से दूर किया जाना था। जीवनस्तर में सुधार एवं आय सृजक गतिविधियाँ तथा विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु आवश्यक पूर्णतः संवेदनशील अतःसंरचना युग्मताएँ यथा जोड़ने वाली सड़कें, आधारभूत स्वास्थ्य अंतःसंरचना, समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) केन्द्रों, हुनर विकास और विपणन सुविधाएँ भी कार्य योजना में शामिल किए जाने हेतु योग्य थी। जनगणना 2001 में अल्पसंख्यकों की आबादी और पिछड़ापन के मानकों के आधार पर देश में एम.एस.डी. पी. के क्रियान्वयन हेतु बिहार के सात जिलों[6] को चिह्नित किया गया। एम.एस.डी.पी. के अन्तर्गत विभाग ने वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 483.59 करोड़ राज्यांश की कुल विमुक्त राशि में से ₹ 472.07 करोड़ आहरित किया था। उसके बाद ₹ 88.67 करोड़ (प्रतिशत) वित्तीय वर्षों के अन्तिम माह में विमुक्त किया गया था। हाँलांकि यह अवलोकित किया गया कि विभाग मात्र ₹ 350.86 करोड़ ही व्यय कर सका और अवशेष निधि ₹ 121.21 करोड़ मार्च 2012 तक अनुपयोगित पड़ी थी। इस प्रकार निधियों के उपयोगित नहीं होने के कारण, एम.एस.डी.पी. हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए गए और राज्य ₹ 112.20 करोड़ की केन्द्रीय साहाय्य राशि से भी वंचित हो गया ***(परिशिष्ट–4.5)***।

बहिर्गमन बैठक में, प्रधान सचिव ने कहा (जनवरी 2013) कि शेष केन्द्रीय साहाय्य राशि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त कर ली जायगी।

इस प्रकार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम.एस.डी.पी. हेतु लक्षित केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त नहीं की जा सकी।

इसके अलावा सातों जिलों में एम.एस.डी.पी. के विभिन्न संघटकों के क्रियान्वयन की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकटित किया :

- **आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण**

राष्ट्रीय औसत की सीमा तक पूर्णतः टीकाकृत बच्चों की प्रतिशतता की कमी को पूरा करने हेतु अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय, नई दिल्ली ने वर्ष 2007–12 के दौरान आँगबाड़ी केन्द्रों की 4835 इकायों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी थी तथा राज्य सरकार को ₹ 118.11 करोड़ विमुक्त किया था। तदुपरान्त, 3124 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण लागत में वृद्वि के कारण राज्य सरकार ने विशेष साहाय्य राशि के रूप में ₹ 49.14 करोड़[7] को विमुक्त किया। बाद में, ₹ 11.52 करोड़ की राज्य विशेष सहाय्य राशि अररिया जिला प्रशासन द्वारा आहरित नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार द्वारा इंकार के साथ टिप्पणी की गई कि "किसी अन्य कोषगार से अधिक निकासी कर लिये जाने के कारण आवंटित निधि कम्प्यूटर में अपलोडेड नहीं की जा सकी"।

6 *अररिया, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं पं. चंपारण।*

7 *(i) अररिया (694 इकाइयाँ @ ₹ 1.66 = ₹ 1152.04 लाख), (ii) किशनगंज (594 इकाइयाँ @ ₹ 1.02 = ₹ 605.88 लाख),(iii) पूर्णियाँ (1021 इकाइयाँ @ ₹ 1.66=₹ 1694.86 लाख), (iv) सीतामढ़ी (300 इकाइयाँ @ ₹ 2.02=₹ 606.00 लाख) और (v) दरभंगा (515 इकाइयाँ @ ₹ 1.66 =₹ 854.90 लाख)*

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 4835 इकाईयों में से जिला प्रशासनों ने अपेक्षित राशि का 50 प्रतिशत मात्र की प्राप्ति (प्रथम किस्त एवं अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता) के कारण मात्र 1467 इकाईयों का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इनमें से 527 इकाईयाँ (प्रारम्भ किये गये गये इकाईयों का 36 प्रतिशत) पूर्ण की गयी थी और शेष 940 इकाईयाँ लेखापरीक्षा तिथि तक (जून 2012) अपूर्ण पड़ी थी। तदुपरान्त, भूमि की अनुपलब्धता के कारण 1343 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था एवं शेष 2025 आँगनबाड़ी केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत भी नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 4.6)***। हाँलांकि यह अवलोकित किया गया कि कुल उपलब्ध निधि (₹ 155.73 करोड़) में से, जिला प्रशासनों ने मात्र ₹ 89.66 करोड़ (58 प्रतिशत) कार्यकारी अभिकरणों[8] को स्थानांतरित किया और शेष ₹ 66.07 करोड़ (42 प्रतिशत) जिला प्रशासनों के पास अनुपयोगित पड़ा था। आगे, यह पाया गया कि ₹ 57.91 करोड़ (₹ 89.66 करोड़ का 65 प्रतिशत) कार्यकारी अभिकरणों के पास अनुपयोगित पड़ा था। इस प्रकार मात्र ₹ 31.75 करोड़ (उपलब्ध निधि ₹ 155.73 करोड़ का 20 प्रतिशत) लेखा परीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक मात्र उपयोगित किया गया था।

प्रत्युत्तर में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि बिहार में भूमि की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या थी।

अतः राज्य में एम.एस.डी.पी. के इस संघटको का क्रियान्वयन अप्रभावी रहा।

- **इंदिरा आवास योजना का निर्माण**

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को उँचा उठाने हेतु पक्का मकान मुहैया करने हेतु इंदिरा आवास योजना, स्वीकृत योजनाओं में से एक है।

विभाग उपलब्ध निधियों का 20 प्रतिशत मात्र ही उपयोग कर सका और लक्षित 1467 केन्द्रों के विरूद्ध मात्र 527 (11 प्रतिशत) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि छः जिलों[9] को ₹ 127.03 करोड़ विमुक्त किया गया था जिसमें से पाँच जिलों के 67 प्रखण्डों[10] को ₹ 126.17 करोड़ वितरित किया गया था और ₹ 0.86 करोड़ तीन जिलों में प्रखण्डों को अवितारित पड़े थे। तदुपरान्त, वितरित निधियों में से ₹ 51.34 करोड़ (41 प्रतिशत) पाँच जिलों के 49 प्रखण्डों[11] में अनुपयोगित पड़े थे (मार्च 2012)। योजना के लिए प्रखण्डों के चयन में अल्पसंख्यक बाहुल्यता प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि दरभंगा जिले के किरतपुर एवं अलीनगर प्रखण्ड, जो अल्पसंख्यक बाहुल्यता प्रतिशत में क्रमशः 31 एवं 29 प्रतिशत थे, को चयनित नहीं किया गया था। जबकि उसी जिला के अल्पसंख्यक बाहुल्य (10 प्रतिशत) वाले बहेड़ी प्रखण्ड को चयनित किया गया था। उसी प्रकार, पश्चिम चम्पारण के 24 प्रतिशत अल्पसंख्यक बाहुल्यता वाले भितहा प्रखण्ड को 105 इंदिरा आवास योजना इकाईयों के लिए ₹ 0.94 करोड़ प्रदान किया गया जबकि इसी

8 *(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (iii) कार्य प्रमंडलों आदि।*

9 *(i) दरभंगा -₹ 399.88 लाख,(ii) कटिहार -₹ 3882.38 लाख,(iii) किशनगंज -₹ 1739.85 लाख,(iv) पूर्णियाँ -₹ 24.75 लाख,(v) सीतामढ़ी -₹ 3280.90 लाख और (vi) प. चम्पारण - ₹ 3374.995 लाख*

10 *सीतामढ़ी के 17 प्रखंड को ₹ 3219.70 लाख, किशनगंज के सात प्रखंड को ₹ 1739.85 लाख, दरभंगा के 13 प्रखंड को ₹ 399.88 लाख, कटिहार के 16 प्रखंड को ₹ 3882.15 लाख और प. चम्पारण के 14 प्रखंड को ₹ 3375.00 लाख।*

11 *(i) पं. चंपारण (10 प्रखंड -₹ 930.10 लाख), (ii) दरभंगा (तीन प्रखंड - ₹ 91.63 लाख), (iii) कटिहार (16 प्रखंड -₹ 1370.00 लाख), (iv) किशनगंज (पाँच प्रखंड - ₹ 569.69 लाख), (v) सीतामढ़ी (15 प्रखंड -₹ 2172.42 लाख) और जिला स्तर पर ₹ 0.86 करोड़ (कटिहार- ₹ 0.23 लाख, पूर्णियाँ-24.75 लाख और सीतामढ़ी -61.20 लाख)*

जिले के 16.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक बहुल्यता वाले योगापटी प्रखण्ड को 205 इकाईयों हेतु ₹ 1.85 करोड़ किया गया था।

बहिर्गमन बैठक के दौरान, प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया (जनवरी 2013) कि संबंधित जिलों से प्राप्ति के उपरान्त जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा।

इस प्रकार एम.एस.डी.पी. के इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन अपने अभीष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

- **अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं का छात्रावास निर्माण**

चूँकि अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली ने 19 अल्पसंख्यक छात्रों एवं 33 अल्पसंख्यक छात्राओं के छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी और तदनुसार राज्य सरकार ने राज्यांशों सहित जिलों को वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 33.92 करोड़ विमुक्त किया था।

सीतामढ़ी एवं कटिहार जिलों के अभिलेखों की संमीक्षा से प्रकटित हुआ कि छात्रावास हेतु सकल ₹ 14.68 करोड़[12] 12 की आबंटित राशि अनुपयोगित पड़ी थी (मार्च 2012)। विभाग, अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण के अनुश्रवण में विफल रहा और योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया।

प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कार्यालयों का गठन किया जाएगा।

- **अयोग्य विद्यालयों को निधियाँ आबंटित**

विभाग अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं के छात्रावास निर्माण के अनुश्रवण में विफल रहा

एम.एस.डी.पी. दिशानिर्देशानुसार अल्पसंख्यक बहुलता वाले गाँवों/प्रखण्डों/टोलों पर केन्द्रित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि विद्यालयों को ₹ 0.81 लाख (₹ 0.33 लाख टेराफिल्टर हेतु तथा ₹ 0.48 लाख डेस्क/बेंच हेतु) प्रदान किये गये थे। तदुपरान्त, 154 विद्यालयों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि कुल ₹ 0.23 करोड़ वैसे 28 विद्यालयों को प्रदान किये गये थे जहाँ एक भी अल्पसंख्यक छात्र नहीं पढ़ते थे। इस प्रकार,योजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

प्रत्युत्तर में विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अररिया जिला अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में से एक था। योजना का चयन एवं स्वीकृति जिला स्तर से प्रारम्भ होकर अंतिम रूप से एम.एस.डी.पी. की सशक्त समिति द्वारा स्वीकृत होती थी।

जवाब युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि विद्यालयों का चयन जिला स्तर पर किया गया था न कि सशक्त समिति द्वारा।

4.8.1.2 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

वैसे 28 विद्यालयों को निधियाँ आवंटित की गयी थी जहाँ एक भी अल्पसंख्यक बालक नहीं पढ़ता था

विभाग द्वारा प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की शुरूआत अप्रैल 2008 में की गई थी। योजना का उद्देश्य अल्संख्यक समुदाय के अभिभावकों को विद्यालय आने योग्य बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनपर आने वाले वित्तीय भार को कम करना और बच्चों की स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उनके प्रयासों में सहयोग देना था। विभाग इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शिक्षा वक्फ बोर्ड, पटना के माध्यम से कर रही थी।

योजना संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकटित हुए:

12 *सीतामढ़ी (₹ 13.48 करोड़) और कटिहार (₹ 1.20 करोड़)*

- कुल प्राप्त ₹ 96.75 करोड़ में से शिया वक्फ बोर्ड पटना ने ₹ 38.71 करोड़ (40 प्रतिशत) रोके रखा तथा मात्र ₹ 58.04 करोड़ राज्य के 38 जिलों के मध्य विमुक्त किया ।
- यदपि बोर्ड ने चार नमूना जाँचित जिलों में ₹ 17.14 करोड़ वितरित दर्शाया था, संबंधित जिलों ने मात्र ₹ 16.65 करोड़ के प्राप्ति की पुष्टि की। निधियों में कुल ₹ 0.49 करोड़[13] का अन्तर अबतक समाशोधित नहीं किया गया था। पृच्छा करने पर विभाग एवं संबंधित जिले द्वारा अन्तर राशि के पीछे के वास्तविक कारण को नहीं बताया जा सका।
- शिया वक्फ बोर्ड ने प्री मैट्रिक छात्रवृति से संबंधित ₹ 0.71 करोड़ का प्रशासनिक व्यय किया था जबकि प्रशासनिक व्यय के लिए केवल ₹ 0.41 करोड़ ही प्राप्त हुआ था। अतः ₹ 0.30 करोड़ अधिक व्यय किया गया था।

जबाब में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 0.71 करोड़ में से मात्र ₹ 0.31 करोड़ प्रशासनिक व्यय निधि से, व्यय किया गया था तथा शेष ₹ 0.40 करोड़ प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना संबंधित अवशेष निधि पर अर्जित ब्याज से व्यय किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि को उसी विशिष्ट मद में व्यय करना चाहिये जिसके लिये निधि आवंटित थी।

शिया वक्फ बोर्ड ने कुल प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत अवरूद्व रखा। परिणामतः 16517 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हुए

- शिक्षा वक्फ बोर्ड ने ₹ 19.93 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा (अक्टूबर 2010) जबकि उस तिथि तक कुल व्यय मात्र ₹ 17.25 करोड़ ही था। पुनः ₹ 26.04 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया (फरवरी–2011) जबकि उस तिथि तक कुल व्यय मात्र ₹ 23.21 करोड़ ही था। बहिर्गमन बैठक के दौरान यह बताया गया कि जाँचोपरान्त जवाब भेज दिया जायेगा।
- बोर्ड ने जिलों से ₹ 2.45 करोड़ की वापसी प्राप्त की थी (मार्च 2012 से अक्टूबर 2012) और इसे रोकड़बही में लेखापित नहीं किया गया था।

बहिर्गमन बैठक में कहा गया कि जाँचोपरान्त जवाब भेज दिया जाएगा।

- प्री–मैट्रिक छात्रवृति की समीक्षा एवं अनुश्रवण के अभाव में, 16517 विद्यार्थी[14] छात्रवृति से वंचित हुए थे।

बहिर्गमन बैठक के दौरान यह कहा गया कि समय एवं मानव बल संसाधनों की कमी के कारण उचित अनुश्रवण एवं संवीक्षा नहीं की जा सकी।

इस प्रकार विभाग चयनित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण करने संबंधी निदेश देने में विफल रहा।

4.8.1.3 पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

विभाग द्वारा पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नवम्बर 2007 में प्रारम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य गरीब मेधावी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर एवं उनके उच्च शिक्षा नामांकन दर एवं रोजगारपरायणता से में वृद्धि लाना था। बिहार

13 (i) अररिया -₹ 8.39 लाख, (ii) दरभंगा -₹ 1.62 लाख, (iii) कटिहार -₹ 1.45 लाख और (iv) पूर्णियाँ-₹ 37.54 लाख।

14 शिया वक्फ बोर्ड में 10948 विद्यार्थी और जिला स्तर पर 5569 विद्यार्थी।

राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बी.एस.एम.एफ.सी.), पटना इस योजना का कार्यकारी अभिकरण था। योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए:

- इस योजनान्तर्गत विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 23.82 करोड़ का व्यय दर्शाया था जबकि बी.एस.एम.एफ.सी., पटना ने इस वर्ष के दौरान विभाग द्वारा ₹ 22.27 करोड़ के प्राप्ति की पुष्टि की थी। लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक अन्तर राशि ₹ 1.55 करोड़ असमाशोधित पड़ी थी।

 विभाग ने स्वीकार किया तथा बताया कि ₹ 1.55 करोड़ को अब अप्रैल 2012 के लेखे में शामिल कर लिया गया है।
 जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्मिलित कर ली जानी चाहिये थी।

विभाग आवंटित निधि का मात्र 66 प्रतिशत ही उपयोग कर सका

- वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान प्राप्त राशि ₹ 54.44 करोड़ (1,36,667 लाभाथियों हेतु लक्षित) में से बी.एस.एम.एफ.सी., पटना ने ₹ 35.83 करोड़ (92093 लाभार्थी) वितरित किया तथा ₹ 18.61 करोड़ (34 प्रतिशत) अनुपयोगित पड़ा रहा।

जवाब में, बी.एस.एम.एफ.सी. ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया।

- लाभार्थियों एवं प्राधिकारियों के बीच अधिसंख्य स्तरों जैसे विभाग, बी.एस.एम. एफ.सी., डी.डब्लू.ओ., प्राचार्य आदि के अस्तित्वों के कारण छः जिलों में कुल प्राप्त राशि ₹ 3.77 करोड़[15] के विरूद्ध ₹ 3.03 करोड़[16] व्यय हुआ था तथा ₹ 0.74 करोड़ अवशेष पड़ा था।

 इस प्रकार विभाग केन्द्र प्रायोजित योजना की कर्णांकित निधियों का उपयोग नहीं कर सका और अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

4.8.2 राज्य योजनागत योजनाएँ

वर्ष 2007–12 के दौरान, विभाग ने 12 राज्य योजनागत योजनाएँ कार्यान्वित की थी जिसमें कुल प्राप्त आबंटन ₹ 175.66 करोड़ में से ₹ 163.54 करोड़ व्यय किए गए थे।

नमूना जाँचित सात जिलों में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के जाँच के दौरान निम्नांकित कमियाँ पायी गयी:

4.8.2.1 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (एम.एम.एम.पी.पी.वाई.) एक राज्य छात्रवृत्ति योजना है जो मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2007–08 में आरंभ की गई थी। योजना के अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि:

विभाग आबंटन के विरूद्ध पाँच जिलों को निर्गत एवं उनके द्वारा प्राप्त ₹ 1.54 करोड़ की अंतर राशि का समाशोधन नहीं कर सका

- पाँच नमूना जाँचित जिलों ने इस योजना के तहत ₹ 7.27 करोड़[17] के प्राप्ति को स्वीकार किया था जो विभाग के कुल ₹ 8.81 करोड़[18] के आबंटन के

15 *(i) अररिया -₹ 71.05 लाख, (ii) कटिहार -₹ 70.57 लाख,(iii) किशनगंज -₹ 65.11 लाख,(iv) पूर्णियाँ-₹ 97.03 लाख(v) सीतामढ़ी -₹ 25.87 लाख और (vi) प. चंपारण -₹ 47.38 लाख*

16 *(i) अररिया -₹ 9.39 लाख,(ii) कटिहार -₹ 64.00 लाख, (iii) किशनगंज -₹ 62.12 लाख, (iv) पूर्णियाँ -₹ 96.86 लाख, (v) सीतामढ़ी -₹ 25.03 लाख और (vi) प. चंपारण -₹ 45.68 लाख*

17 *(i) अररिया - ₹ 0.77 करोड़, (ii) कटिहार -₹ 1.89 करोड़,(iii) किशनगंज -₹ 1.83 करोड़,(iv) पूर्णियाँ -₹ 1.01 करोड़ और (v) पं. चंपारण-₹ 1.77 करोड़*

विरूद्ध था। तथापि, ₹ 1.54 करोड़ का अन्तर लेखा–परीक्षा तिथि (जुलाई 2012) तक समाशोधित नहीं किया गया था।

- रूपये 2.46 करोड़[19] चार जिलों के रोकड़ पंजी में लेखापित नहीं किए गए थे।
- विभाग को क्रियान्वयी अभिकरणों द्वारा लाथार्थियों के हस्ताक्षरायुक्त ₹ 6.19 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- पाँच जिलों में ₹ 0.13 करोड़[20] के चेकों/रोकड़ों का वितरण नहीं किया गया था और उसे तिजोरी में रखा गया था।
- रुपये दो लाख के व्यय (जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज) को बिना वास्तविक भुगतान के ही लेखा में शामिल कर लिया गया था।

इस संबंध में विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था तथापि, जिला कल्याण पदाधिकारी किशनगंज ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि संबंधित लाथार्थियों को क्रौस चेक हस्तगत करा दिया जाएगा।

4.8.2.2 हज भवन एवं ओडोटोरियम/स्मारक का निर्माण

विभाग एवं कार्यकारी एजेन्सी, भवन निर्माण विभाग, बिहार के अभिलेखों तथा उपलब्ध करायी गये विवरणी की संचिका से प्रकटित हुआ कि दोनों विभागों के लेखों में वृहत् अन्तर था। जहाँ विभाग के लेखे ₹ 12.90 करोड़ का व्यय प्रदर्शित करे रहे थे, वहीं क्रियान्वयी अभिकरण द्वारा मात्र ₹ 8.31 करोड़ की प्राप्ति ही स्वीकार की गई थी।

जवाब में, विभाग ने सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2012) कि अन्तर राशि भवन निर्माण विभाग के संबंधित शीर्ष "8782" में पड़ी थी। इस प्रकार, लेखे में वास्तविक व्यय के बिना ही व्यय अंकित किया गया था।

4.8.2.3 अल्पसंख्यक छात्रावास के निधियों का अवरूधन

विभाग ने राज्य योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2007–10 के दौरान चार जिलों[21] को ₹ 4.30 करोड़ विमुक्त किया था।

संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण राशि लेखा परीक्षा तिथि (जूलाई 2012) तक अनुपयोगित पड़ी थी। तदुपरान्त, विभाग द्वारा विमुक्त ₹ 3.50 करोड़ के विरूद्ध सीतामढ़ी एवं दरभंगा जिलों ने अपने रोकड़बहियों में ₹ 2.66 करोड़ के पावती की सम्पुष्टि की थी। अन्तर राशि ₹ 0.84 करोड़ का लेखापरीक्षा तिथि (जूलाई 2012) तक समाशोधन नहीं किया गया था।

इस संदर्भ में विभाग द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया था।

4.9 निष्कर्ष

विभाग ने अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाया था। जिला स्तर पर बिना अंतःसंरचना के विभाग की तदर्थ व्यवस्था के कारण अल्पसंख्यकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित हुई। विभाग ने अपनी स्थापना के बीस वर्ष के

18 *(i) अररिया-₹ 1.26 करोड़, (ii) कटिहार-₹ 2.21 करोड़, (iii) किशनगंज-₹ 1.92 करोड़, (iv) पूर्णियाँ -₹ 1.34 करोड़ और (v) पं. चंपारण-₹ 2.08 करोड़*

19 *(i) अररिया -₹ 0.48 करोड़, (ii) दरभंगा-₹ 1.21 करोड़, (iii) सीतामढ़ी-₹ 0.41 करोड़ और (iv) प. चंपारण-₹ 0.37 करोड़*

20 *(i) अररिया-₹ 0.70 लाख,(ii) दरभंगा-₹ 0.40 लाख (iii) पूर्णियाँ-₹ 3.20 लाख (iv) सीतामढ़ी-₹ 0.40 लाख और (v) प. चंपारण-₹ 8.10 लाख*

21 *(i) अररिया-₹ 104.98 लाख, (ii) दरभंगा-₹ 98.10 लाख, (iii) सीतामढ़ी-₹ 127.38 लाख और (iv) प. चंपारण-₹ 100.00 लाख*

उपरांत भी निदेशालय का गठन नहीं किया था और उसके पास स्वीकृत कार्यबल की पूर्ण क्षमता भी नहीं थी। विभाग के वित्तीय प्रबंधन का अभाव था क्योंकि विभाग अपनी आबंटित निधियों का मात्र 61 प्रतिशत ही उपयोग कर सका था। विभाग के अप्रभावी कार्यशीलन के कारण अलपसंख्यकों की प्रत्येक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित नहीं हुयी अथवा अंशतः कार्यान्वित हुयी थी।

4.10 अनुशंसाएँ

- विभाग को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये अपनी योजना तैयार एवं शुरूआत करनी चाहिये।
- मानव बल की पदस्थापना युक्तिसंगत होनी चाहिये।
- बचतों की परिहार्यता के लिये बजट आकलनों को वास्तविकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

अध्याय V
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय – V

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

5.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमितताओं को बाधित कर सरकार को प्रतिफल हानि से बचाता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों और विनियमों की अवमानना पर, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्नानुसार हैः

सामाजिक प्रक्षेत्र

ग्रामीण कार्य विभाग

5.1.1 कोषागार में पंजीकरण शुल्क का अप्रेषण एवं ब्याज की हानि

रोकड़ प्रबंधन से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने एवं अधिकारियों द्वारा अपने नियत कर्त्तव्यों के पालन में विफलता के कारण विभाग को गुम बैंक ड्राफ्ट (₹ 0.89 करोड़) को प्रेषित नहीं करने एवं ब्याज की हानि (₹ 2.93 करोड़) के रूप में कुल ₹ 3.82 करोड़ की हानि हुई।

बिहार संवेदक पंजीकरण नियम 2007 के अनुसार इसकी प्रभावी तिथि (मई 2007) से एक वर्ष के भीतर सभी संवेदकों को विभाग के साथ पंजीकृत होना था। पंजीकरण शुल्क के रूप में ग्रेड– I संवेदक को ₹ दो लाख, ग्रेड– II को ₹ एक लाख एवं ग्रेड– III को ₹ 0.25 लाख की दर से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना था।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 के अनुसार सरकार की तरफ से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक को राशि के लेन–देन होते ही उसे दर्ज करने हेतु रोकड़–पंजी का संधारण करना चाहिए जबकि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को रोकड़ पंजी की प्रत्येक प्रविष्टी को सत्यापित करते हुए रोकड़ पंजी के कुल योग की जाँच करने के साथ–साथ प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन करते हुए इससे संबंधित एक प्रमाण दर्ज करना अपेक्षित था। बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 37 के अनुसार सरकार की तरफ से संग्रहित राजस्व प्राप्ति को तुरंत कोषागार में प्रेषित किया जाना था एवं बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 71 के अनुसार दाता को फार्म संख्या–3 (शिड्यूल XLV – फार्म सं. 114) में प्राप्ति निर्गत करना था। बिहार कोषागार संहिता के नियम 487 के अनुसार प्रेषण के प्रभारी अधिकारी के लिए एक पुस्तिका (टी.सी.फार्म 63), जिसमें वह कोषागार में किए गए सभी प्रेषण को दर्ज करने का संधारण अनिवार्य था।

अभियंता प्रमुख (अ.प्र.), ग्रा. का. विभाग के अभिलेखों की नमूना–जाँच (सितंबर 2011) की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को न

तो रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया नही सभी बैंक ड्राफ्टों को कोषागार में जमा किया गया। कार्यालय ने संवेदक को मनी रसीद भी निर्गत नहीं किया एवं कोषागार प्रेषण पुस्तिका (टी.सी.फार्म 63) भी संधारित नहीं किया गया। कार्यालय ने ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। कार्यालय ने ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया जिससे यह पता चले कि पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त सभी बैंक ड्राफ्टों को कोषागार में जमा किया गया या नहीं। अतः उपरोक्त संहिता प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई। कार्यालय ने केवल पंजीकरण पंजी एवं ट्रेजरी चालान की प्रति उपलब्ध कराई जिसकी जाँच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- ग्रामीण कार्य विभाग के साथ दिसम्बर 2007 से जुलाई 2011 के बीच कुल 7555 संवेदक (ग्रेड I –629, ग्रेड II –2147 एवं ग्रेड III –4779) पंजीकृत हुए एवं पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 43.65 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए। इसमें से केवल ₹ 30.09 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट ही कोषागार में जमा किए गए जो यह बताता है कि ₹ 13.56 करोड़ का कम प्रेषण हुआ।
- बैंक ड्राफ्टों को जमा नहीं किए जाने के कारण उनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई।
- यह भी ज्ञात हुआ कि 2008–09 के दौरान कोषागार में कोई राशि जमा नहीं की गई। हाँलांकि विभाग ने श्रेणीवार एवं माहवार निबंधित संवेदकों की संख्या संधारित नहीं की एवं उनसे वर्ष 2008–09 में निबंधित शुल्क का संग्रहण नहीं किया गया।

बाद में, लेखापरीक्षा की पहल पर विभाग ने 05 सितम्बर 2011 तक निर्गत ₹ 13.35 करोड़ के 2673 अप्रेषित बैंक ड्राफ्टों की एक सूची प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2011), यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा 31 जुलाई 2011 तक प्राप्त ड्राफ्ट के आधार पर ₹ 13.56 करोड़ (₹ 43.65 करोड़ – ₹ 30.09 करोड़) के अंतर की गणना की गई। 01 अगस्त 2011 से 05 सितंबर 2011 की अवधि से संबंधित ₹ 0.68 करोड़ के कुल 176 बैंक ड्राफ्ट थे जबकि लेखापरीक्षा की आपत्ति इन तिथियों से पहले निर्गत बैंक ड्राफ्ट से संबंधित थी। अतः उपरोक्त अवधि से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट का मूल्य केवल ₹ 12.67 करोड़ (₹ 13.55 करोड़ – ₹ 0.68 करोड़) था। परिणामस्वरूप ₹ 0.89 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट अभी भी गुम था। कोषागार में बैंक के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किए जाने के कारण ₹ 2.93 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। यह पूछे जाने पर संयुक्त सचिव, ग्रा. का. विभाग, बिहार सरकार ने जवाब में कहा (सितम्बर 2012) कि बि.को. संहिता के नियम 87 या नियमावली के नियम 37 में हुए संशोधन या अप्रासंगिक होने के कारण इस मामले में लागू नहीं होते थे। उन्होंने यह भी कहा कि संवेदक के पंजीकरण शुल्क को बि.को. संहिता के नियम 101 के साथ पठित नियम 104 एवं 105 के अनुसार जमा करना था, जिसका संवेदक के द्वारा पालन नहीं किया गया था। इस तरह संहिता प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक ड्राफ्टों को ससमय जमा नहीं किए जाने का अर्थोपाय पेशगियों पर प्रतिकूल असर पड़ा तथापि लेखापरीक्षा द्वारा आकलित किसी ब्याज की हानि नहीं हुई।

संयुक्त सचिव ग्रा.का.वि. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बि.को. संहिता के नियम 101, 104 एवं 105 कोषागार में सीधे जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति या गैर सरकारी व्यक्ति पर लागू होते थे। ग्रा. का. विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या– 8123 दिनांक 19 दिसम्बर 2007) द्वारा बिहार संवेदक पंजीकरण नियम 2007 के अनुसार संबंधित संवेदक को अन्य आवश्यक कागजातों के साथ अवर सचिव, ग्रा. कार्य विभाग के पक्ष में पटना में भुगतेय निर्धारित राशि के बैंक ड्राफ्ट को जमा करना था। अगर ऐसा होता तो संबंधित संवेदकों से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किया जाता, जिसे

बाद में, खुद उसी ने लेखापरीक्षा को 2673 अप्रेषित बैंक ड्राफ्टों की एक सूची उपलब्ध कराई। अतः संयुक्त सचिव का जवाब सही नहीं था एवं संहिता का नियम 86 एवं नियमावली का नियम 37 इस मामले में काफी प्रासंगिक था। पुनः संयुक्त सचिव का यह जवाब कि बैंक ड्राफ्टों को ससमय जमा नहीं करने से बिना किसी ब्याज की हानि के अर्थोपाय पेशगियाँ प्रभावित हुई– विरोधाभाषी थी एवं मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास था क्योंकि सरकारी खाते में राजस्व को जमा नही करने/जमा करने में यथेष्ट विलंब के कारण अंततः सरकार को राजस्व की क्षति/ब्याज की हानि होती थी। ऐसी चूक से बचने के लिए जिसके कारण ब्याज की हानि होती है, सरकार के लिए व्यवस्था को ठीक करना आवश्यक होगा ताकि इस तरह से प्राप्त राजस्व का लाभकारी उपयोग हो। इस प्रकार, रोकड़ प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं करने एवं अधिकारियों द्वारा अपने नियत कर्त्तव्यों के पालन में विफलता के कारण विभाग को गुम बैंक ड्राफ्ट (₹ 0.89 करोड़) को प्रेषित नहीं करने एवं ब्याज की हानि (₹ 2.93 करोड़) के रूप में कूल 3.82 करोड़ की हानि हुई।

ग्रामीण विकास विभाग

5.1.2 संदेहास्पद/कपटपूर्ण भुगतान

संहिता प्रावधानों का पालन नहीं करने एवं निगरानी विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण 12 विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में उपस्थिति नामावली पर ₹ 0.21 लाख का कपटपूर्ण भुगतान एवं ₹ 19.56 लाख का संदेहास्पद भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त जाली बीजकों पर ₹ 2.01करोड़ का संदिग्ध भुगतान था।

अ. उपस्थिति नामावली पर संदेहास्पद भुगतान

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता (लेखा संहिता) के नियम 227 के साथ पठित निगरानी विभाग, बिहार सरकार के उप पैरा 12 का आदेश (दिसबंर 1983) यह अनुबंधित करता है कि किसी विभागीय कार्य में मजदूरों के नाम, पिता/पति का नाम गाँव का नाम एवं पूरा पता से समाविष्ट उपस्थिति नामावली (नामावली) प्रपत्र 21 (टी.सी. फार्म–49) में तैयार किया जाना था एवं कार्य करने वाले मजदूरों की हाजिरी के साथ संबंधित मजदूर द्वारा किए गए कार्य को रोजाना दर्ज किया जाना था। मापी नहीं किए जाने वाले कार्य के लिए इस तरह की एक टिप्पणी दर्ज की जानी चाहिए।

हमने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.), पटना के अधीन 2011–12 के दौरान विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों की अनुशंसा पर क्रियान्वित 12 विभागीय कार्यों[1] से संबंधित ₹ 19.77 लाख के 67 नामावली की जाँच किया (जून 2012) जिससे निम्नलिखित ज्ञात हुआः

- नामावली को विहित प्रपत्र में तैयार नहीं किया गया था। मजदूरों के गाँव के पता जैसे विवरण नामावली में नहीं थे। हाजरी लेने वाले अधिकारी का आधाक्षर भी किसी भी नामावली में नहीं था। किसी भी मामलें में मजदूर प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया।
- पाँच मामलों में मजदूरों के एक ही समूह को एक ही अवधि में विभिन्न स्थलों पर एक साथ कार्य करते हुए दिखाया गया था जिसमें ₹ 0.21 लाख का भुगतान हुआ था।

1 *पी.सी.सी. पथ का निर्माण, ब्रीक सोलिंग, मिट्टी भराई, चापाकल का अधिष्ठापन इत्यादि।*

- यहाँ तक कि मजदूरों को राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी कार्यरत दर्शाया गया था जिसमें ₹ 0.23 लाख का भुगतान शामिल था।
- कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों की हाजिरी की जाँच करने हेतु काई निरीक्षण नहीं किया गया।
- नामावली में अभिश्रव संख्या एवं भुगतान आदेश दर्ज नहीं किया गया था।

इस प्रकार पर्यवेक्षण के अभाव एवं संहिता प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 0.21 लाख का फर्जी भुगतान एवं ₹ 19.56 लाख का संदेहास्तद भुगतान नामावली पर हुआ था ***(परिशिष्ट 5.1)***।

ब. फर्जी बीजकों पर कपटपूर्ण भुगतान

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता (लेखा संहिता) के नियम 230 में यह प्रावधान है कि दैनिक मजदूरों द्वारा किए कार्य को छोड़कर, सभी कार्य एवं सभी आपूर्तियों का भुगतान मापी पुस्त में दर्ज मापी के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखा संहता के नियम 118 के अनुसार आपूर्त्ति प्राप्त होते ही सभी सामग्रियों की जाँच, गिनती एवं मापी जो उपयुक्त हो, की जानी चाहिए। उसे मापी पुस्त में भी दर्ज किया जाना चाहिए, जैसे कि उपरोक्त संहिता के नियम 230 एवं 231 में विहित है। मंत्रीमंडल निगरानी विभाग के आदेश (1994) में स्पष्टतः निहित है कि विभागीय कार्य से संबंधित सभी सामग्रियों के आपूर्ति निविदा आमंत्रित कर/दर सूची प्राप्त कर की जानी चाहिए।

हमने डी.आर.डी.ए., पटना के अधीन 2007–08 से 2011–12 के दौरान विधानसभा सदस्यों/विधानपरिषद सदस्यों की अनुशंसा पर क्रियान्वित की गई 41 योजनाओं से संबंधित 193 बीजक की जाँच किया (मई 2012) एवं पाया कि ₹ 2.01 करोड़ की सामग्रियों का क्रय बिना कोई निविदा को आमंत्रित किए/दर सूची प्राप्त किए ही किया गया। जाँच से यह भी ज्ञात हुआ कि आपूर्ति की गई सामग्रियों की न तो गिनती/मापी की गई न हीं उन्हें मापी पुस्त एवं भंडार लेखे या स्थल लेखे में दर्ज किया गया। एजेंसी का पंजीयन संख्या एवं भैट संख्या भी बीजक पर मुद्रित नहीं था। बीजक में भैट, आयकर एवं रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी। आपूर्तिकर्ता से गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

आपूर्ति की गई सामग्रियों एवं उसके लिए किए गए भुगतान की प्रामणिकता को सुनिश्चित करने हेतु 14 एजेंसियों/फर्मों को पत्र लिख गया। इनमें से 12 पत्र डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि एजेंसियों/फर्मों का पता नहीं चल सका, लौटा दिया गया। इन 12 एजेंसियों/फर्मों के, जिनका पता नहीं चल सका, कुल भुगतान ₹ 1.75 करोड़ से संबंधित 174 अभिश्रव थे ***(परिशिष्ट 5.2)***। इसके अलावे दो फर्म, जिनके नाम हिन्दुस्तान पाइप, एक्सीबीसन रोड, पटना एवं न्यू पटना सानिटरी स्टोर्स, एक्जीबीसन रोड, पटना थे तथा जिन्हें ₹ 0.26 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.3)*** का भुगतान दर्शाया गया था, ने कहा कि उनके द्वारा कोई आपूर्ति नहीं की गई तथा न ही उन्होंने कोई भुगतान प्राप्त किया है। अपने वक्तव्य के समर्थन में उन्होंने अपना मूल विपत्र–फार्म प्रस्तुत किया जो विभाग द्वारा प्रस्तुत विपत्र–फार्म से पूर्णतः भिन्न था। इस प्रकार जाली बीजकों पर ₹ 2.01 करोड़ का संदेहास्पद भुगतान किया गया था।

जवाब में निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., पटना ने कहा (सितबंर 2012) कि संदेहास्पद कार्य के मामले की जाँच कराई जाएगी। फर्म की प्रामणिकता से संबंधित एक लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में निदेशक ने कहा कि कथित फर्मों का अस्तित्व नहीं था एवं उचित कार्रवाई हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को पत्र लिखा जा रहा था।

इस प्रकार लेखा संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने एवं निगरानी विभागों के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 0.21 लाख के कपटपूर्ण भुगतान एवं उपस्थिति नामावली पर ₹ 19.56 लाख के संदेहास्पद भुगतान के अलावा फर्जी बीजकों पर ₹ 2.01 करोड़ का संदिग्ध भुगतान हुआ था।

इस प्रकार विभाग को आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन के समय संहित प्रावधान के समुचित अनुपालन हेतु एक प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र हो। इस मामले की जाँच एवं सुधारात्मक उपाय करने हेतु एक विभागीय जाँच समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मामले सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2012); उनके जवाब अभी भी अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

स्वास्थ्य विभाग

5.1.3 कपटपूर्ण भुगतान

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर एक ही मद की आपूर्ति के लिए दो बार विपत्र को पारित करने के परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को ₹ 4.78 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.श.चि. सह मु.चि.पदा.), पूर्णियाँ के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2012) से ज्ञात हुआ कि एक एजेंसी[2] को छः उपकरणों की आपूर्ति का आदेश दिया गया (मार्च 2009)। इसमें ₹ 3.38 लाख मूल्य के तीन उपकरण[3] शामिल थे। एजेंसी ने उपकरण की आपूर्ति किया एवं कार्यालय में भुगतान के लिए एक ही तिथि वाले (12 मार्च 2009) तीन भिन्न विपत्रों (₹ 23962, ₹ 243734 एवं ₹ 88400 के) को समर्पित किया। अ.श.चि. सह मु.चि.पदा. ने दो भिन्न विपत्रों[4] के माध्यम से राशि की निकासी करते हुए ₹ 3.56 लाख मूल्य के (चार प्रतिशत भैट सहित) अभिश्रव को पारित किया (मार्च 2009)।

यह भी देखा गया कि तीन उपकरणों के उसी आपूर्ति आदेश के विरूद्ध एजेंसी ने उसी नाम के उपकरण, मात्रा एवं तिथि (12 मार्च 2009) वाले पुनः दूसरा विपत्र समर्पित किया। इन मदों को भी भंडार पंजी के उसी पन्ने पर अंकित दर्शाया गया जिसपर पूर्व में अंकित किया गया था, जबकि भंडार पंजी में वास्तव में कोई ऐसी/अलग से अंकित नहीं किया गया था। इस विपत्र के विरूद्ध राशि की निकासी कर (विपत्र संख्या 53/2009–10 से) उस एजेंसी को ₹ 3.85 लाख (12.5 प्रतिशत भैट सहित) की राशि का भुगतान किया गया।

जाँच से यह भी ज्ञात हुआ कि उसी एजेंसी को ₹ 0.89 लाख मूल्य के रैबीज रोधी टीका[5] के लिए दूसरा आपूर्ति आदेश निर्गत (नवंबर 2010) किया गया एवं एजेंसी ने

2 *हाइटेक हेल्थकेयर, लहेरियासराय, दरभंगा*

3

क्रम सं.	*उपकरण का नाम*	*दर (₹ में)*	*मात्रा*
(i)	*ड्रेसिंग ड्रम*	*प्रति 850*	*100*
(ii)	*सीमलेस ज्वायंटलेस ड्रेसिंग ड्रम*	*प्रति 2520*	*100*
(iii)	*स्टीविंग निडल*	*प्रति छः 18*	*300*

4 *विपत्र संख्याः 52/2009–10 (जून 2009) एवं 53/2009–10 (जून 2009)।*

5 *कुल 500 रैबीजरोधी टीका – ₹ 178 प्रति यूनिट (₹ 178/यूनिट × 500)*

उसकी आपूर्ति उसी महीने में कर दिया। ऐसा देखा गया कि संवेदक ने उसी आपूर्ति आदेश के विरूद्ध प्रत्येक ₹ 0.93 लाख (भैट सहित) के दो विपत्र (6 नवंबर 2010 का) समर्पित किया जिसे अ.श.चि.–सह–मु.चि.पदा. दो भिन्न अवसरों पर (दिसबंर 2010 एवं जून 2011) दो भिन्न विपत्रों[6] के माध्यम से निकासी कर पारित किया गया। परिणामस्वरूप उसी एजेंसी को ₹ 0.93 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। इस प्रकार अ.श.चि.–सह–मु.चि.पदा. द्वारा ₹ 4.78 लाख[7] की कपटपूर्ण निकासी की गई एवं एजेंसी को भुगतान किया गया।

यह बताए जाने पर अ.श.चि. सह मु.चि.पदा. ने कहा (अप्रैल 2012) कि एजेंसी से कथित राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जाली विपत्रों पर भुगतान को पारित करने के लिए अ.श.चि. सह मु.चि.पदा. स्वयं जिम्मेवार थे जो, एजेंसी द्वारा की गई आपूर्ति के विरूद्ध भंडार–प्रविष्टि की जाँच करने में विफल रहे। पुनः अ.श.चि. सह मु.चि.पदा. की एजेंसी सहित दोषी अधिकारियों के साथ संलिप्तता की संभावना से ईन्कार नहीं किया जा सकता था एवं स्वयं विभाग द्वारा इसके समग्र जाँच के आवश्यकता थी।

उपरोक्त तथ्यों से यह पता चला कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण यथा व्यय नियंत्रण एवं अनुश्रवण अपर्याप्त एवं अप्रभावी थे।

मामले सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2012); उनके जवाब अभी भी अप्राप्त थे (फरवरी 2013)।

5.1.4 एन्टी हेम्योफिलिक फेक्टर–VIII औषधि का अविवेकपूर्ण क्रय

औषधि क्रय में निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं करने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण एन्टी हेम्योफिलिक फेक्टर–VIII (ए.एच.एफ– VIII) दवा को उच्च दर पर क्रय करने के परिणामस्वरूप सरकार को हानि : ₹ 97.20 लाख

बिहार सरकार ने (अगस्त 2002) मशीन/उपकरण/उपस्कर/औषधि एवं रसायन आदि के क्रय के लिए नीति–निर्धारित किया था, जिसके अनुसार कुछ प्रावधान निम्नवत् हैं:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अलग–अलग निविदा निकाला जाएगा एवं किए गए निविदा का दर उसी वित्तीय वर्ष हेतु ही मान्य रहेगा।
- सामग्रियों के क्रय के लिए निविदा के माध्यम से प्राप्त दर का मूल्यांकन बाजार दर से तुलना करने के लिए वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व ही कर लेना चाहिए।
- निविदा अभिलेख जमा करने की अवधि न्यूनतम तीन सप्ताह होनी चाहिए।

अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पी.एम.सी.एच.) कार्यालय की दवा एवं सर्जिकल मदों के क्रय से संबंधित संचिका/अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009–10 में एन्टी हेम्योफिलिक फेक्टर–ए.एच.एफ.–VIII[8] औषधि के क्रय हेतु दो बार निविदा निकाली गई थी। दोनों निविदाओं का तथ्य तालिका 1 में निम्नवत् हैं:

6 *विपत्र संख्याः 102/2010–11 (दिसबंर 2010) एवं 53/2011–12 (जून 2011)।*

7 *कुल अधिक राशिः ₹ 92560 (रैबीजरोधी टीका) + ₹ 385200 (तीन उपकरण) = ₹ 477760*

8 *एक औषधि।*

तालिका 1

क्रम सं.	विवरण	निविदा सं– 9705 (2009–10)	निविदा सं. 1017 (2009–10)
1	एन.आई.टी. की विज्ञप्ति तिथि	3.3.2009 एवं 4.3.2009	4.3.2010
2	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	16.4.2009	19.3.2010
3	निविदा जमा करने की अवधि	तीन सप्ताह	सात दिन
4	वित्तीय–निविदा खोलने की अवधि	2.12.2009	29.3.2010
5	ए.एच.एफ– VIII के क्रय हेतु घोषित किए गए एल–I निविदा दाता का नाम	मे. वैष्णवी एसोशियेट्स, मेहता कॉलोनी, संदलपुर रोड, कुम्हरार, पटना–6	
6	एल–I निविदा दाता द्वारा दिया गया अंकित मूल्य	₹ 2500 प्रति भायल	₹3850 प्रति भायल

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दूसरी निविदा में निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध निविदा जमा करने की अवधि मात्र सात दिन दिया गया था तथा में वैष्णवी एसोशिएट्स, पटना अलग–अलग दरों यथा ₹ 2500 एवं ₹ 3850 प्रति भायल के साथ एल–I निविदा दाता था। अधीक्षक, पी.एम.सी.एच. ने ए.एच.एफ– VIII के क्रय हेतु प्रथम निविदा के न्यूनतम दर ₹ 2500 प्रति भायल पर कोई भी क्रयादेश एल–I निविदा दाता को जारी नहीं किया। जबकि अधीक्षक ने उसी एजेंसी को ए.एच.एफ– VIII की 7200 भायल (जून 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच) ₹ 3850 प्रति भायल की उच्च दर पर आपूर्ति करने हेतु क्रयादेश जारी किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा सभी ए.एच.एफ– VIII को जुलाई 2010 एवं मार्च 2011 के बीच आपूर्ति कर दिया गया एवं ₹ 2.77 करोड़ का भुगतान (मार्च 2011) प्राप्त किया।

अतएव, निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया एवं उच्च दर पर उसी आपूर्तिकर्ता को क्रयादेश दिया गया जबकि उक्त आपूर्तिकर्ता ने प्रथम निविदा में क्रय दर यथा ₹ 2500 प्रति भायल का प्रस्ताव दिया था, परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97.20 लाख[9] की हानि उठानी पड़ी थी।

अधीक्षक ने अपने जवाब में बताया (दिसबंर 2012) कि विभागाध्यक्ष मेडिसिन के अनुशंसा पर रिलायन्स फार्मासिटीकल्स का ए.एच.एफ–VIII मोनो क्लोनल[10] नहीं था एवं स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार के पश्चात् निदेश प्राप्त होने पर ए.एच.एफ–VIII का दुबारा (पुनः) निविदा किया गया। इस प्रकार उक्त दवा को दुसरी निविदा के आधार पर ₹ 3850 प्रति भायल की दर पर क्रय किया गया।

अधीक्षक का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधीक्षक ने विभाग को (दवा क्रय हेतु निर्देश के लिए) भेजे पत्र (दिसबंर 2009) में उल्लेख किया था कि ए.एच.एफ–VIII मोनो क्लोनल के साथ एवं बिना मोने क्लोनल कोई भिन्नता नहीं थी एवं पीएम.सी.एच. में उक्त औषधि का उपयोग पहले से किया जा रहा था एवं रोगियों पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ा था। पुनः विभाग से दवा क्रय हेतु दुबारा निविदा के निर्देश से संबंधित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि विभाग ने प्रथम निविदा को एकल निविदा के आधार पर पुनः निविदा के माध्यम से क्रय का निर्देश जारी किया था जो वस्तुतः सही नहीं था। पुनः पाया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने उक्त औषधि

[9] (₹ 3850 – 2500) = ₹ 1350.00 × 7200 भायल = ₹ 97.20 लाख

[10] दवा का एक विशेष मानक

(₹ 2678.40 प्रति भायल पर) का उसी निर्माता यथा रिलायन्स लाईफ साईन्स प्रा.लि. से मार्च 2012 में दर निर्धारित कर करार किया था।

इस प्रकार औषधि क्रय में निर्धारित मापदण्डों के अनुपालन नहीं करने एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ए.एच.एफ– VIII दवा को उच्चतर दर पर क्रय करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97.20 लाख की हानि उठानी पड़ी थी।

मामले का सरकार का संदर्भित किया गया (अगस्त 2012); उनके जवाब अभी भी अप्राप्त थे (फरवरी 2013)।

समाज कल्याण विभाग

5.1.5 अविवेकपूर्ण एवं जोखिम भरा निवेश

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत ₹ 268.71 करोड़ का म्युचुअल फंड में निवेश अविवेकपूर्ण रूप से बिना समुचित अनुश्रवण प्रणाली के बाजार के जोखिम पर किया गया था।

राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की नाबालिग कन्याओं के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.), बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (मु.क.सु.यो.) स्वीकृत (जुलाई 2008) की गई थी। उक्त योजना के अंतर्गत ₹ 2000 का निवेश, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया–चाइल्ड केयर (यू.टी.आई.–सी.सी.पी.) म्युचुअल फंड[11] में नवजात कन्या के नाम पर किया जाना था, जिसकी परिपक्वता राशि उस कन्या को 18 वर्ष की उम्र के होने पर भुगतेय थी। मुक.सु. योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि का निवेश 'यू.टी.आई. लिक्विड कैश प्लान ग्रोथ ऑप्शन (यू.टी.आई.–एल.सी.पी.)' में महिला विकास निगम (म.वि.नि.) के द्वारा अपने नाम पर किया जाना था। पुनः संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (बा.वि.प.अ.) के द्वारा अग्रसारित लाभार्थी के आवेदन के प्राप्ति की पश्चात यू.टी.आई.–एल.सी.पी. में निवेशित राशि में से समुचित राशि का स्थानांतरण यु.टी.आई–सी.सी.पी.[12] में योग्य[13] लाभार्थी के नाम पर किया जाना था। इस हेतु म.वि.नि. आवेदक के रूप में तथा नाबालिग कन्या लाभार्थी के रूप में थी।

जून 2012 में स.क.वि. के अंतर्गत म.वि.नि. से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री की सहमति से स.क.वि., म.वि.नि. एवं यू.टी.आई. के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पुनः उक्त सहमति ज्ञापन में न्यूनतम सुरक्षित राशि, जो कि लाभार्थी को परिपक्वता के समय देय हो, के संबंध में कोई गारंटी नही सुनिश्चित की गई न ही उक्त ज्ञापन में लाभार्थी अथवा सरकार के हितों की सुरक्षा हेतु कोई उपबंध शामिल किया गया। उक्त योजनान्तर्गत म्युचुअल फंड में निवेशित राशि का प्रतिफल बाजार पर आधारित था जबकि योजना के शुरूआत से ही 15 से 18 वर्ष के लिए राशि की निवेश किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 2008–12 की अवधि में कुल ₹ 300.41 करोड़ का आवंटन महिला विकास निगम को किया गया था जिसमें से जुलाई 2012 तक कुल ₹ 294.40 करोड़ का स्थानांतरण

11 *म्यूचुअल फन्ड में अधिसंख्य निवेशकों का बचत एक समान आर्थिक लक्ष्य को ध्यान में रख कर निवेश किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि को पूंजी बाजार यथा शेयर, डीबेन्चर एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ एवं पूंजीगत वृद्धी की राशि को इसके शेयर –धारको को उसी अनुपातिक रूप से निर्गत किया जाता है।*

12 *यू.टी.आई.–सी.सी.पी. में राशि के आवंटन में न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि डेब्ट फण्ड एवं अधिकतम 40 प्रतिशत इक्यूटी में निवेश किया जाता है।*

13 *22.11.2007 के बाद लाभार्थी की उम्र 0 से 3 वर्ष की होनी चाहिए ।*

यु.टी.आई. को किया जा चुका था। पुनः यु.टी.आई. ने ₹ 268.71 करोड़ के मुल्य का 13,43,547 बांड उक्त योजना के अंतर्गत 1531013 आवेदन के विरूद्ध निर्गत किया था। जबकि आवंटित राशि (₹ 300.41 करोड़) का दो प्रतिशत ₹ 6.01 करोड़ योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में म.वि.नि. द्वारा व्यय किया गया।

वर्ष 2008–12 के दौरान यू.टी.आई.–सी.सी.पी. में निवेशित राशि ₹ 268.71 करोड़ का वर्तमान मूल्य (मई 2012) ₹ 292.41 करोड़ था। यदि इस राशि को किसी अन्य दीर्घकालिक योजना में निवेशित किया गया होता, जिसका दर 7.5 से 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच एवं जिसका सुनिश्चित प्रतिफल होता तो उक्त निवेशित राशि का वर्तमान मूल्य (मई 2012) कम से कम ₹ 299.09 करोड़ रहता ***(परिशिष्ट 5.4)***।

म्युचुअल फंड प्रबंधक के चयन हेतु सरकार द्वारा सरकारी या निजी क्षेत्र से कोई बीड आमंत्रित नहीं किया गया।

विभाग ने अपने जवाब में बताया (दिसम्बर 2012) कि इस योजना का संचालन, विस्तृत विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के उपरांत किया गया था तथा अभी तक का प्रतिफल भी उत्साहवर्धक था। इसकी वृद्धि 31 मई 2012 एवं 30 सितम्बर 2012 को क्रमशः 8.82 प्रतिशत एवं 17.64 प्रतिशत थी जो योजना अन्तर्गत निवेशित निधि के वृद्धि का स्पष्ट परिचायक था।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजनान्तर्गत निवेश के कम से कम सुनिश्चित प्रतिफल की गारंटी/आश्वासन नहीं था एवं इसकी पुष्टि यु.टी.आइ. के कंट्री हेड रिटेल के द्वारा भी किया (अक्टुबर 2012) गया था। उनके द्वारा यह माना गया था कि बढ़ते हुए ब्याज के दर का विपरीत असर 2008–12 की अवधि में इक्वीटी बाजार पर पड़ा था। इस जवाब से ये स्पष्ट था कि निवेशित राशि के प्रतिफल का पोस्ट ऑफिस के प्रतिफल की तुलना में और नीचे जाने की संभावना थी। यदि पोस्ट ऑफिस के फिक्सड डिपोजिट प्रतिफल का दर 7.5 प्रतिशत ही माना जाय तो निवेशित राशि के ब्याज सहित मूल्य 18 वर्षों के उपरांत लगभग ₹ 1256.44 करोड़ होता। जबकि यू.टी.आई. में निवेशित राशि का परिपक्वता मूल्य अनिश्चित था। इस प्रकार सरकार अथवा लाभार्थी के हितों का ख्याल रखते हुए परिपक्वता के समय कम–से–कम सुनिश्चित राशि के भुगतान को सहमति ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि लम्बी अवधि के निवेश के उपरांत भी समाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत मूलभूत सुरक्षा आश्वासन के साथ समझौता किया गया।

थोड़ी देर के लिए यह भी मान लिया जाय कि उक्त निवेश से लाभ होता तो भी अनिश्चित प्रतिफल वाले योजना में कर भुगतान करनेवालों का ₹ 268.71 करोड़ का निवेश ऐसी योजना के लिए असफल होता। मु.क.सु.यो. के लाभार्थियों को निवेशित राशि के अवमूल्यन की हालत में किसी प्रकार की राहत का प्रावधान नहीं था। लाभार्थी पूर्णतः बाजार के जोखिम पर निर्भर थे क्योंकि इस योजनान्तर्गत निवेश पर कम–से कम सुनिश्चित प्रतिफल की गारंटी नहीं थी। अतः इस प्रकार की योजनाओं के लिए राशि का निवेश लंबी अवधि वाली निश्चित प्रतिफल वाले योजनाओं में किया जाना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता बजाए इसके कि अनिश्चित बाजार से अधिक प्रतिफल की उम्मीद की जाए।

5.2 औचित्य लेखापरीक्षा/आधिक्य/निरर्थक/अलाभकारी व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य के सिद्धान्तों एवं सक्षमता से निर्देशित होता है। व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे व्यय करने में उन सभी समान सतर्कताओं को लागू करेंगे जो कि एक सामान्य व्यक्ति स्वयं के धन के संबध में पहल करता है एवं प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेशों एवं सख्त मितव्ययिता को लागू करेंगे। लेखापरीक्षा ने औचित्य, अतिरिक्त एवं निरर्थक व्यय के मामलों को

उजागर किया है जिनमें से कुछ निम्न वर्णित हैः

सामाजिक प्रक्षेत्र

ग्रामीण कार्य विभाग

5.2.1 निरर्थक व्यय

अभिकरण द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ दिए जाने एवं विभाग द्वारा संविदा निरस्त नहीं किए जाने के कारण अपूर्ण पथ कार्यों पर ₹ 96.83 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

कार्य के प्रभारी पदाधिकारियों के अनुसरण एवं अनुपालन हेतु बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता (बि.लो.का.वि.सं.) में सन्निहित जारी किए गए विभागीय आदेशानुसार व्यय के अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति एवं सुगम यातायात परिचालन प्रदान करने हेतु प्रथमतया सीमित दूरी में समस्त मदों के साथ पथ निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए और फिर अगली दूरी का कार्यारंभ किया जाना चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ. सू.) ने भी विभागीय संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना विहित था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.) औरंगाबाद के तत्वाधानांतर्गत रफीगंज प्रखंड में तेनारी मोड़ से लत्ता (8.2 किमी.) पथ के उन्नयन कार्य के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसंबर 2011) ने उजागर किया कि उक्त कार्य एक अभिकरण को ₹ 1.50 करोड़ की अनुबंधित राशि पर सितंबर 2006 तक छः माह में पूर्ण किए जाने हेतु प्रदान (मार्च 2006) किया गया था। जून 2008 में कार्य स्थगित किए जाने तक अभिकरण को कुल ₹ 96.83 लाख का भुगतान किया गया था।

संवीक्षा ने आगे उजागर किया कि जहाँ मार्च 2006 तक अभिकरण ने पथ के पूर्ण विस्तार में ग्रेड I, II एवं III मेटल (डब्लू.बी.एम.) के बिछाने को शामिल करते हुए ग्रेन्यूलर सब–बेस (जी.एस.बी.) एवं बेस कोर्स (वाटर बाउंड मैकडम) का कार्य क्रियान्वित कर दिया था, वही उसने बिल्ट अप स्प्रे ग्राउंटिंग (बी.यू.एस.जी.) की 30750 घन मी. की अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध डब्लू.बी.एम. के ऊपर बी.यू.एस.जी. का मात्र 17625 घन मी. (57 प्रतिशत) कार्य ही क्रियान्वित किया था। इसमें से, डब्लू.बी.एम. क्रियान्वयन तिथि के क्रमशः सात एवं बारह महीने विलंब से नवंबर 2006 में 9750 घन मी. एवं मार्च 2007 में 7875 घन मी. क्रियान्वित किए गए थे। उस समय तक नीचे का बेस कोर्स का काफी ह्रास हो चुका था तथा यातायात के प्रभावन से क्षतिग्रस्त भी हो चुका था। इसके अलावा पथ के किसी भी विस्तार में बी.यू.एस.जी. के ऊपर से भी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। का.अभि. द्वारा विभिन्न स्मारों के बावजूद जब अभिकरण द्वारा कार्यारंभ अथवा कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तब अभिकरण को प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद अंतिम मापी करने हेतु गठित (24 अक्टूबर 2011) एक दल द्वारा निरीक्षण (10 नवंबर 2011) कराया गया जिसका विवरण नीचे **तालिका सं. 2** में दिया गया हैः

तालिका संख्या 2

क्रम सं.	किमी	पथ पर्पटी की मोटाई			निरीक्षण प्रतिवेदन में अभ्युक्तियाँ
		अनुबंध के अनुसार (मिमी. में)	माप–पुस्तक के अनुसार (मिमी. में)	अंतिम मापी के अनुसार (मिमी. में)	
1.	0-1.40	300	250	शून्य	बी.यू.एस.जी. नहीं पाया गया एवं पथ की खराब स्थिति के कारण मापी नहीं ली जा सकी।
2.	3.30	300	300	112	बी.यू.एस.जी.–50 मि.मी. एवं डब्लू.बी.एम.–62 मि.मी.
3.	4.00	300	300	170	ग्रेड II + ग्रेड III + बी.यू.एस.जी.
4.	4.80	300	300	180	बी.यू.एस.जी.–50 मि.मी.; ग्रेड II + ग्रेड III.–130 मि.मी.
5.	6	300	300	99	बी.यू.एस.जी.–37 मि.मी.; डब्लू.बी.एम.–62 मि.मी.
6.	7	300	300	99	बी.यू.एस.जी.–37 मि.मी.; डब्लू.बी.एम.–62 मि.मी.
7.	7 से 8.20 किमी. के बीच	300	250	0	किमी 7 से 8.20 के बीच कोई कार्य नहीं पाया गया
8.					बी.यू.एस.जी. कार्य बदतर स्थिति में था

अंतिम मापी प्रतिवेदन से विद्यमान पथ की बदतर स्थिति स्वतः स्पष्ट थी जो इस हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि कुछ विस्तारों पर मापी लेना भी संभव नहीं था। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि अंतिम मापी के अनुसार विद्यमान पथ की पर्पटी की मोटाई 99 मि.मी. से 180 मि.मी. के मध्य थी जबकि भुगतान, 300 मि.मी. (ग्रेड–I : 100 मि.मी.; ग्रेड–II: 75 मि.मी.; ग्रेड–III: 75 मि.मी.एवं बी.यू.एस. जी. : 50 मि.मी.) पर्पटी मोटाई के लिए किए गए थे।

जवाब में का.अभि. ने कहा (दिसंबर 2011) कि कथित अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी सूचना लेखापरीक्षा को भी दी जाएगी। हालांकि, प्रधान सचिव के मौखिक आदेश पर कार्य को बंद (अगस्त 2012) किया गया था और चूँकि रफीगंज प्रखंड ग्रा. का.वि., कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को स्थानांतरित कर दिया गया था, उसके प्रमंडलीय पदाधिकारी का पथ का प्राकल्लन तैयार करने एवं निविदा प्रक्रियाएँ आरंभ करने हेतु अनुदेशित किया गया था।

इस प्रकार, जहाँ विभाग के पास चूककर्त्ता अभिकरण को दंडात्मक कार्रवाई किए बैगेर, लगभग छः वर्ष तक निभाने अथवा संविदा निरस्त नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था, प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा संहिता प्रावधानों/विभागीय आदेशों के अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संपूर्ण मद सहित पथ के सीमित विस्तार में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके साथ–साथ सरकार के निरूत्साहपूर्ण रवैया एवं अकर्णमण्यता के परिणामस्वरूप छोड़े गए पथ कार्य पर ₹ 96.83 लाख का निरर्थक व्यय हुआ तथा वांछित लाभार्थियों को योजनांतर्गत परिकल्पित अनुगमनीय पथ की प्रदत्तता से भी वंचित रखा गया। यहाँ तक कि संविदा का, निरस्तीकरण के बजाए, विखंडन भी औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि इसने चूककर्ता अभिकरण को उसकी जवाबदेही से मुक्त कर दिया जिसके परिणामस्वरूप छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करने में सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था; उनके जवाब अभी तक अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

5.2.2 निष्फल व्यय

समुचित सर्वेक्षण के अभाव में एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पथ से आर–पार गुजरती नदियों पर पुल के निर्माण कार्य को शामिल नहीं किए जाने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अनजुड़े बसावटों को संयोजकता प्रदान करने के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा पथ निर्माण पर ₹ 1.18 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) का लक्ष्य ग्रामीण अनजुड़े बसावटों के सामाजिक–उत्थान विकास हेतु सर्व–मौसमी उपयुक्त पथ प्रदान कर संयोजकता प्रदान करना था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), ग्रामीण कार्य प्रमंडल (ग्रा.का.प्र.), औरंगाबाद के अंतर्गत प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत रफीगंज से बलिगाँव पथ के निर्माण की परियोजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसबंर 2011) ने प्रकटित किया कि उक्त कार्य एक अभिकरण को ₹ 1.47 करोड़ पर बारह माह में फरवरी 2010 तक पूर्ण करने हेतु आबंटित (फरवरी 2009) किया गया। जून 2012 तक अभिकरण को ₹ 1.18 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं अवर प्रमंडलीय पदाधिकारी एवं का.अभि. के निरीक्षण प्रतिवेदनों (जून 2010) ने प्रकटित किया कि रफीगंज से बलिगाँव तक की पथ–रूपरेखा विभिन्न चैनेजों पर दो नदियों द्वारा विभक्त थी। हालांकि इस तथ्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.एल.एफ.एस.) द्वारा निर्मित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.परि.प्र.) में उल्लेख नहीं किया गया था।

आई.एल.एफ.एस. वह एजेंसी थी जिसे प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत ग्रामीण पथ उन्नयन कार्यक्रम के लिए वि.परि.प्र., निविदा अभिलेखों एवं निविदा के मूल्यांकन हेतु परामर्शी सेवा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

प्रमंडल भी प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत् लिए जाने वाले प्रस्तावित पथ–आरेखन से पूर्व–अवगत नहीं था तथा विभाग के मुख्य अभियंता–4 (मुख्यालय) ने एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा तैयार किए गए प्राकल्लन को प्रमंडल द्वारा समुचित सर्वेक्षण द्वारा प्राकल्लन की सत्यता की जाँच करवाए बगैर तकनीकि स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2008) कर दिया।

प्रमंडल द्वारा कार्यारंभ पूर्व समुचित सर्वेक्षण किए जाने में विफलता इस तथ्य से अधिक विश्वसनीय और समर्थित होती थी कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इंगित करता कि इन पुलों के निर्माण हेतु कोई पृथक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभाग को अग्रसारित था।

यहाँ तक कि निर्मित पथ भी नदी के आर–पार आवश्यक पुलों के अभाव में प्रमं.ग्रा.स.यो. के तहत परिकल्पित ग्रामिण बसावटों को संयोजकता प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता था। यह तथ्य, जो कि का.अभि. द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया था, उनके उत्तरों (दिसंबर 2011 एवं जुलाई 2012) से आगे संपुष्ट हुआ कि इसमें, प्रत्येक लगभग ₹ चार करोड़ की लागत के, दो पुलों की आवश्यकता थी, जिसका प्रस्ताव विभाग के पास लंबित था।

इस प्रकार प्रमंडल द्वारा कार्य के समुचित सर्वेक्षण के अभाव में, पुलों के निर्माण कार्य को शामिल नहीं करने एवं प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत परिकल्पित ग्रामीण बसावटों को संयोजकता प्रदान करने के उद्देश्य में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे (जुलाई 2012); उनके उत्तर अप्राप्त थे।

5.2.3 नौ अयोग्य संवेदकों को 71 संविदाओं की अनियमित प्रदत्तता

अयोग्य संवेदकों को ₹ 853.45 करोड़ का काम अनियमित रूप से प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक रहा एवं पूर्णता की निर्धारित तिथियों से दो से 22 माह व्यतीत होने के बावजूद ₹ 119.77 करोड़ के व्यय के उपरांत भी एक भी पथ पूर्णरूपेण पूरा नहीं किया जा सका।

बीड अभिलेखों में उल्लेखित खंड 2: बीडरों को अनुदेश (आई.टी.बी.) के तहत् उपबंध 4 के अनुसार एक बीडर को पैकेज संविदा से संबंधित दो–बीड निविदा प्रक्रिया में सफल होने के लिए पृथक संविदाओं की संपूर्ण योग्यता मापदंडों की प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त कार्यानुभव एवं संसाधनों का प्रदर्शन करना था (उपबंध 4.4 स)। तदनुसार, बीडरों को अपने बीडों में अन्य तथ्यों के अलावा मुख्य निर्माण उपकरणों[14] (उपबंध 4.2ड) के साथ–साथ संविदा के विरूद्ध नियोजन किये जाने वाले व्यक्तियों एवं लेबर–लाईसेंस आदि (उपबंध 4.2 ई) का ब्यौरा भी देना था। ₹ 10 करोड़ से अधिक की संविदाओं के लिए, बीडर का विगत पाँच वर्षों में से किसी एक वर्ष में बीड में दी गयी राशि के बराबर या उससे अधिक का कार्य संपादित होना चाहिए था। संयुक्त कार्यशीलता (ज्वाइंट वेंचर) के मामले में संविदा अभिलेख सभी सहभागियों द्वारा हस्ताक्षरित होना था (उपबंध 4.3 ब) न्यूनतम योग्यता मापदंडों की पूर्ति करने वाला बीडर तभी सफल घोषित हो सकता था जब उसकी बीड क्षमता समस्त संविदाओं के कुल बीड राशि के बराबर अथवा अधिक हो। हालांकि खंड 2: बीडरों को अनुदेश (आई.टी.बी.) के उपबंध 25.1 के अनुसार तकनीकी बीडों के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान तकनीकी बीड कमिटी[15] (टी.बी.सी.) को यह तय करना था कि प्रत्येक बीड आई.टी.बी. के उपबंध 3 एवं 4 के अनुसार योग्य आर्हता को पूरा करते थे एवं आवश्यकता के प्रति वास्तविक रूप से अनुकूल थे।

हमने ग्रामीण कार्य विभाग के सात[16] नमूना जाँचित प्रमंडलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा संचालित किया (दिसबंर 2011 से मई 2012) जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत् 71 पैकजों में 430 पथ निर्माण कार्यों (1504.233 किमी लंबाई) से संबंधित थे एवं ₹ 853.45 करोड़ की लागत पर नौ[17] संवेदकों को प्रदान किए गए थे।

इसने निम्नलिखित कमियाँ उजागर कियाः

14 *(i) स्टेटिक/वाईब्रेटरी रॉलर, (ii) फ्रंड एंड लोडर, (iii) लेवलर युक्त ट्रैक्टर, (iv) रोटावेटर युक्त ट्रैक्टर, (v) मिनी एच.एम.पी./मिक्स ऑल, (vi) कंक्रीट वाईब्रेटर, (vii) कंक्रीट मिक्सचर, (viii) टिपर/ट्रैक्टर, (ix) टार बॉयलर, (x) वेहिकल माऊंटेउ मेकेनिकल स्प्रे (xi) स्प्रिंक्लर युक्त वाटर टैंकर।*

15 *₹ 3.50 करोड़ से अधिक निविदाओं के लिए अभियंता–प्रमुख, उनके तकनीकी सलाहाकार, संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना पदाधिकारी से निर्मित तकनीकी बीड समिति एवं ₹ 70 लाख से ₹ 3.50 करोड़ की निविदाओं के लिए मुख्य अभियंता द्वारा शीर्षित समिति, उनके सचिव एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता बीडों का निर्णय करेंगे।*

16 *छपरा, बेनीपट्टी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा एवं सीतामढ़ी।*

17 *(i) मे. जे.एस.आर. कंस्ट्रक्शंस प्रा.लि., हैदराबाद (ii) मे. बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद (iii) मे. एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद (iv) मे. असावली इंन्फ्रा पॉवर, नई दिल्ली (v) मे. सिंह कंस्ट्रक्शंस, मुजफ्फरपुर (vi) मे. आर्यन कंक्रीट, मोकामा (vii) मे. शुभम कंस्ट्रक्शंस, मुजफ्फरपुर (viii) मे. शिवा स्वाथी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद एवं (ix) मे. सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पंजाब*

अयोग्य संवेदकों को संविदाओं की प्रदत्तता

(अ) चार प्रमंडलों[18] के छः संवेदकों[19] ने मात्र कुछ यंत्र एवं संयत्रों ***(परिशिष्ट 5.5)*** के स्वामित्व के अभिलोखों को अनुलग्नित किया था एवं एक प्रमंडल के समस्त पैकेज में तकनीकी बीड के साथ समान अभिलेखों के सेट को संलग्नित किया था। यहाँ तक कि दो विभिन्न प्रमंडलों (रोसड़ा एवं समस्तीपुर) के बीडों के विरूद्ध, दो संवेदकों[20] ने दोनों स्थानों पर मशीन एवं उपकरणों/लैब उपकरणों के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का समान सेट जमा किया।

छः प्रमंडलों[21] के पाँच संवेदकों[22] को संविदाएँ प्रदान की गयी हालांकि उन्होंने तकनीकी बीड के साथ यंत्र–संयत्रों के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों को नहीं जमा किया था।

(ब) तीन प्रमंडलों के तीन संवेदकों की बीड क्षमताएँ कार्यों के बीड परिमाण से कम थीं ***(परिशिष्ट 5.5)***।

(स) चार प्रमंडलों में आठ संवेदकों का वैयक्तिक वित्तीय टर्नओवर समस्त पैकेजों के कुल बीड राशि से कम था ***(परिशिष्ट 5.5)***।

(द) पाँच प्रमंडलों में असैनिक निर्माण कार्य में सात संवेदकों का मुख्य संवेदक के रूप में कार्यानुभव आवश्यकता से कम था ***(परिशिष्ट 5.5)***। यहाँ तक कि संवेदक एस.पी. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद, जिसे तीन[23] प्रमंडलों में कार्य आबंटित किया गया था, ने भी बीड अभिलेखों के साथ अनुभव प्रमाण–पत्र का ब्यौरा जमा नहीं किया था।

(च) एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद ने लेबर–लाईसेंस नहीं जमा किया था हालांकि तीन प्रमंडलों में उसे 142 पथ निर्माण कार्य (516.586 किमी) सौंपे गए थे। यहाँ तक कि अन्य संवेदकों द्वारा जमा किए गए लेबर लाईसेंसों के अनुसार भी लेबरों की संख्या सभी पथों पर एक साथ व एक समय में कार्य पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं थी। उदाहरणार्थ एक संवेदक मे. संवेदक मे. जे.एस.आर. कंन्शट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद, जिसे मात्र 40 लेबर का लेबर–लाईसेंस प्राप्त था, को दो[24] प्रमंडलों में 90 पथों का निर्माण कार्य एक साथ नियत तिथि पूर्ण करने हेतु सौंपा गया था जो कि कतई संभव नहीं था।

(छ) एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद के संविदा अभिलेख उनके संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

इस प्रकार या तो मशीन/उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया था, और/या अगर संलग्नित था, तो वे एक समय में बहुसंख्य पथ कार्यों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार उनके बीड अभिलेख तकनीकी बीडों के मूल्यांकन के समय असफल घोषित कर दिए जाने चाहिए थे। हाँलांकि इस तथ्य पर कार्यपालक अभियंता (का.अभि.)/अधीक्षण अभियंता (अधी.अभि.)/मुख्य अभियंता (मु.अभि.)

18 *मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा एवं बेनीपट्टी।*

19 *मे. जे.एस.आर. कंस्ट्रक्शंस प्रा.लि., हैदराबाद; बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद; सिंह कंस्ट्रक्शंस, मुजफ्फरपुर; मे. आर्यन कंक्रीट, मोकामा; शुभम कंस्ट्रक्शंस, मुजफ्फरपुर; सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पंजाब।*

20 *बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद एवं मे. आर्यन कंक्रीट, मोकामा।*

21 *छपरा, रोसड़ा, समस्तीपुर, भागलपुर, बेनीपट्टी और सीतामढ़ी।*

22 *मे. जे.एस.आर. कंस्ट्रक्सन प्रा.लि., हैदराबाद; बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद; एस.पी. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद; अरावली इंन्फ्रा पॉवर, नई दिल्ली एवं शिवा स्वाथी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद।*

23 *भागलपुर, रोसड़ा एवं समस्तीपुर।*

24 *मुजफ्फरपुरः 71, छपराः 19।*

/तकनीकी बीड कमिटि[25] (टी.बी.सी.) द्वारा विचार नहीं किया गया था जबकि, वैसे संवेदकों को, जिन्हें आई.टी.बी. के उपबंध 44 (स) के अनुसार पृथक संविदाओं की सफल योग्यता आर्हताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं था, जबकि वैसे संवेदकों को, जिन्हें टी.बी.सी. के उपबंध 4.4(स) के अनुसार पृथक संविदाओं की सफल योग्यता आर्हताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं था, टी.बी.सी. द्वारा संविदाएँ प्रदान की गयी।

कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब

संविक्षा ने आगे उजागर किया कि अनुबंधों के अनुसार 430 पथों की कार्यारंभ तिथियाँ अक्टूबर 2009 से मई 2011 के मध्य विस्तारित थी जबकि 414 पथों की कार्यपूर्णता की तिथियाँ अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2011 तक विस्तारित थी। बेनीबट्टी प्रमंडल 15 पथों एवं रोसड़ा कार्य प्रमंडल में एक पथ की निर्धारित कार्यपूर्णता तिथियाँ क्रमशः जून 2012 एवं मई 2012 थीं। यह पाया गया 430 पथों में से 194 पथों के निर्माण कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक आरंभ नहीं किए गए थे। तदंतर, निर्माण कार्यारंभ 236 पथों में से 122 पथों के पथ कार्य बीच में ही बंद कर दिए गए थे। इस प्रकार मात्र 114 पथों पर निर्माण कार्य प्रगति पर थे। यह पाया गया कि संबंधित कार्यों के तत्संबंधी कार्यादेश तिथियों से यानि कार्यारंभ की निर्धारित तिथियों से कार्यारंभ में तीन से 24 माह का विलंब था। 71 पेकेजों एवं सात प्रमंडलों के अंदर कुल 1504.233 किमी लंबाई के पथ निर्माण कार्य (430 पथ) के विरूद्ध 464.415 किमी, 150.913 किमी एवं 66.246 किमी में क्रमशः सब बेस, बेस एवं सतही कार्य पूरे किए गए थे ***(परिशिष्ट 5.6)*** जिनपर कुल ₹ 119.77 करोड़ व्यय किए गए थे जो कि कुल कार्यों की प्रदत्त राशि का 14 प्रतिशत थी। इस प्रकार कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथियों से 2 से 22 माह के व्ययतीत होने के बाद भी सतह स्तर तक चार प्रतिशत कार्य ही कार्यान्वित किए जा सके थे परंतु लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2011 से मई 2012 तक) एक भी पथ सकल रूपेण पूर्ण नहीं किए जा सके थे।

यह पृच्छा किए जाने पर लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सभी का.अभि. अपने जवाबों (दिसंबर 2011 से मई 2012) में एकमत थे कि सभी बीडों का मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर अभियंता प्रमुख द्वारा शीर्षित टी.बी.सी.. द्वारा किया गया था एवं उससे संबंधित समस्त निर्णय भी समान स्तर पर ही लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संबंधित का.अभि. संवेदकों के तकनीकी बीडों को खोलने एवं तकनीकी मूल्यांकन विवरणी तैयार किए जाने के लिए उत्तरदायी थे जिनमें संवेदकों की बीड क्षमताओं अथवा उपकरण ब्यौरे संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएँ या तो उजागर नहीं किए गए थे या उनका समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया था।

इस प्रकार ₹ 853.45 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.7)*** की कार्यों को अयोग्य संवेदकों को सौंपे जाने के परिणामस्वरूप उन सात प्रमंडलों में प्र.मं.ग्रा.स.यो. का कार्यक्रम क्रियान्वयन निराशाजनक रहा एवं कार्यपूर्णता तिथियों से 2 से 22 माह बीत जाने के बाद भी ₹ 119.77 करोड़ के व्यय के बावजूद भी एक भी पथ पूरी तरह पूर्ण नहीं किया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अगस्त 2012); उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं थे (फरवरी 2013)।

25 *(अ) ₹ 70 लाख से ₹ 350 लाख की संविदाओं के लिए मु.अभि. द्वारा शीर्षित टी.बी.सी.. जिसमें मु.अभि. के तकनीकी सचित (तक.सचि.) और संबंधित अधी.अभि. भी शामिल हो।*
(ब) ₹ 350 लाख से अधिक संविदाओं के लिए अभि प्रमुख द्वारा शीर्षित, एवं उनके तकनीकी सचिव, संबंधित मुअभि., संबंधित अधी. अभि. एवं संबंधित परियोजना पदा से निर्मित टी.बी.सी. ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.2.4 एक अयोग्य संवेदक को संविदाओं की प्रदत्तता

एक अयोग्य संवेदक को ₹ 232.79 करोड़ की संविदाएँ अनियमित रूप से प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप योजनांतर्गत परिकल्पित ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेय जल मुहैया कराने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बीडिंग (रा.प्र.बी.) की सूचना का उपबंध 10 यह विहित करता है कि संवेदक को बीड जमा करने के पूर्व जलापूर्ति याजनाओं से संबंधित कार्यों का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए एवं उसके द्वारा प्राक्कलित राशि से 50 प्रतिशत से अधिक की जल–शुद्धिकरण सुविधाओं सहित जलापूर्ति योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया हो। आगे, विभाग द्वारा जारी किये गये बीडरों को अनुदेश (बी.को.अनु.) के उपबंध 4.5 अ(ब) के अनुसार, किसी भी बीडर को संविदा की प्रदत्ता में सफल होने हेतु उसके द्वारा विगत पाँच वर्षो में संविदा की प्राक्कलित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत राशि का समान कार्य, मुख्य अथवा नामित उप–संवेदक के रूप में, संतोषप्रद रूप से पूर्ण किया गया था। बी.को.अनु. के उपबंध 4.6 ने आगे यह भी विहित किया था कि बीडरों के आर्हता मानदण्डों के अनुपालन के निर्धारण में उप–संवेदकों के अनुभवों एवं संसाधनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.), पटना के कार्यालय में अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2011) में यह पाया गया कि बिहार में विभिन्न आर्सेनिक, फ्लोराईड, लौह एवं सूखा प्रभावित जिलों में टर्न–की आधार पर सोलर पंपिंग सेट एवं प्रदूषकों के उचित संशोधन–संयंत्रों से युक्त मिनी जल आपूर्ति योजनाओं (मि. ज.आ.यो.) के रूपांकन, निर्माण एवं अधिष्ठापन के लिए मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा. अभि.वि., पटना द्वारा रा.प्र.बी. के माध्यम से छः समूहों में निविदाएँ आमंत्रित (जनवरी 2010) की गयी। चार समूहों (समूह I, II, III एवं IV) के कुल ₹278.68 करोड़ लागत के कार्य पुंज लॉयड लि. (पु.लॉ.लि.), जो कि न्यूनतम 'सोल टेंडरर' था, को ₹ 232.79 करोड़ के कुल अनुबंधित लागत पर प्रदान किया गया जैसा ***परिशिष्ट 5.8*** में दर्शाया गया है। समस्त कार्य अप्रैल 2010 में आरंभ तथा मार्च 2011 में समाप्त किए जाने थे।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

- तकनीकी बीड मूल्यांकन कमिटि (तक.बी.मू.कमि.) के बैठक की कार्य–विवरणी से यह पाया गया कि मे.पुं.लॉ.लि. को उसके अनुसंगी (सबसीड्यरी) कंपनी मे. सेमबावांग इंजिनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (एस.ई.सी.पी.एल.), सिंगापुर जिसने कथित तौर पर ₹ 2056 करोड़ का जलापूर्ति कार्य कार्यान्वित किया था, के अनुभव के आधार के विरूद्ध तकनीकी बीड में अनियमित रूप से सफल घोषित किया गया था, हाँलाकि अभिकरण द्वारा जमा किए गए बीड अभिलेखों के अनुसार किसी भी कंपनी के पास जल–परिशोधन संयंत्र से संबंधित आवश्यक अनुभव नहीं था।

- हाँलांकि एक्वाटिक ट्रीटमेंट सोल्यूशन (आई) प्रा. लि. (ए.टी.एस.पी.एल.), जो मे. पुं.लॉ.लि. को जल–परिशोधन के क्षेत्र में तकनीकी मदद प्रदान करने हेतु सहयोग कर रहे थे, का विभाग द्वारा पृथक समूहों के लिए तैयार की गयी तुलनात्मक विवरणी में कोई जिक्र नहीं था, फिर भी इस तथ्य का निविदा निष्पादन में तक.बी.मू.कमि. द्वारा जिक्र एवं संज्ञान लिया गया। सिवाय ए.टी.एस. पी.एल. द्वारा मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि. को प्रेषित एकपक्षीय पत्र (जनवरी 2010) कि वह मे.पुं.लॉ.लि. के साथ जल–परिशोधन संयंत्र के क्षेत्र में

सहयोग एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था, के अलावा मे. पुं. लां. लि. के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स) द्वारा एटी.एस.पी.एल. द्वारा जल–परिशोधन संयंत्र के कार्यान्वयन संबंधी बोर्ड प्रस्तावना पारित नहीं किया गया था और न ही ए.ओ.एस.पी.एल. के अनुसंगी अभिलेख यथा आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन (ए.ओ.ए.), मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन (एम.ओ.ए) आदि तकनीकी बीड के साथ संलग्नित नहीं थे।

- कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाईट से एटी.एस.पी.एल. संबंधित डाऊनलोड किए गए (3 मई 2012) तथ्यों के ब्यौरे ने प्रकटित किया कि ए.टी.एस.पी.एल. का पेड–अप कैपिटल मात्र ₹ एक लाख था। कंपनी की वास्तविक स्थिति (ई–फाइलिंग के लिए) निष्क्रिय दर्शायी गयी थी।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट था कि रा.प्रति.बी./बी.को.अनु. में विहित जल–परिशोधन क्षेत्र में 'सोल टेंडरिंग कंपनी' (मे.पुं.लॉ.लि.) का मुख्य संवेदक के रूप में आवश्यक योग्यता आर्हता का मूल्यांकन किए बगैर एक संवेदक को कार्य सौंप दिए जाने के परिणामस्वरूप विभाग सरकारी हितों की रक्षा करने में विफल रहा। विभाग ने संयोजित कंपनी (ए.टी.एस.पी.एल.), जिसका पेड–अप कैपिटल ₹ एक लाख था, की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेना आवश्यक नहीं समझा जबकि उस कंपनी को जल–परिशोधन संयंत्र के अधिष्ठापन एवं रखरखाव संबंधी ₹ 78 करोड़ का कार्य कार्यान्वित करना था।

आगे, मे.पुं.लॉ.लि. को आबंटित चार कार्य समूहों के कार्यान्वयन से संबंधित 17 नमूना जाँचित लो.स्वा.प्रमंडलों[26] के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2011 से जून 2012) ने प्रकटित किया कि नमूना–जाँचित प्रमंडलों में मि.ज.आ.यो. के 453 अनुबंधों के विरूद्ध मई 2012 तक ₹ 9.75 करोड़ का व्यय के बावजूद अभिकरण द्वारा मात्र 57 मि.ज.अ.या. पूरी की जा सकी जबकि 336 योजनाओं के कार्य प्रगति पर थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि निर्धारित कार्यपूर्णता तिथि से 14 माह के व्ययतीत होने के बाद भी अभिकरण द्वारा मात्र 13 प्रतिशत कार्य ही कार्यान्वित किए जा सके थे।

नमूना जाँचित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं ने लेखापरीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि अभिकरण द्वारा कार्यों का कार्यान्वयन अत्यंत धीमा या नगण्य था।

प्रधान सचिव (प्र.स.), लो.स्वा.अभि.वि. ने प्रत्युत्तर में कहा (नवम्बर 2012) कि जल–परिशोधन सुविधाओं के साथ जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित एस.ई.सी.पी.एल. के कार्यानुभव के साथ–साथ मे.पुं.लॉ.लि. की वित्तीय एवं तकनीकी सक्षमताएँ बीड के लिए आवश्यक आर्हताओं को संतुष्ट करते थे। तकनीकी प्रस्तावों के तुलनात्मक विवरणी में मे.ए.टी.एस.पी.एल. के अनुभवों को शामिल नहीं किया गया था और न ही तक.बी.मू. कमि. द्वारा मे.पु.लॉ.लि. की आर्हता आवश्यकता की पूर्ति हेतु उस पर विचार ही किया गया था। साथ–साथ, चार अनुबंधों के तहत् 850 मि.ज.आ. योजनाओं के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर 2012 तक 307 मि.ज.आ. योजनाएँ प्रगति पर थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था चूँकि तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मे.पुं.लॉ.लि. अथवा एस.ई.सी.पी.एल. के पास जलापूर्ति योजनाओं का ही आवश्यक अनुभव था। उनके पास जल–परिशोधन संयंत्र, उसके अधिष्ठापन अथवा परिचालन और संधारण से संबंधित आवश्यक अनुभव नहीं था। इसके लिए 'सोल टेंडरर' ने इस महत्वपूर्ण कमी को छिपाने के लिए .टी.एस.पी.एल. द्वारा मु.अभि. (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि., बिहार सरकार को लिखे गये एक पक्षीय पत्र की छायाप्रति संलग्न किया था। साथ–साथ,

[26] *लो.स्वा.प्रमंडल–पटना (पश्चिमी), हाजीपुर (वैशाली), गया, बेगुसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना (पूर्वी), सासाराम, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, भागलपुर (पूर्वी), भागलपुर (पश्चिमी), कटिहार, छपरा, सिवान, आरा, बक्सर।*

प्रधान सचिव, लोक स्वा.अभि.वि. के कथनों के विपरीत तक.बी.मू.कमि. ने इस तथ्य का पूर्णरूपेण संज्ञान लिया था और तकनीकी बीडों पर निर्णय लेने के दौरान अपने बैठक (3 मार्च 2010) कार्यवाही के कार्यवृत्त में विधिवत जिक्र भी किया था। इसके अलावा प्रधान सचिव द्वारा कथित 850 मि.ज.आ.या. के कुल भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध डेढ़ साल बीतने के उपरांत भी मात्र 261 मि.ज.आ. योजनाओं (31 प्रतिशत) का पूर्ण होना संवेदक की अदक्षता परिलक्षित करता था।

इस प्रकार, एक अयोग्य संवेदक को, जिसके पास जल परिशोधन सुविधाओं के क्षेत्र में आवश्यक अनुभव नहीं था, विभाग द्वारा संविदा के अनियमित प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप मि.ज.आ.यो. के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ तथा योजना में परिकल्पित ग्रामीण आबादी को अप्रदूषित पेयजल मुहैय्या कराने का लक्ष्य अप्राप्त था।

5.2.5 एक अयोग्य ऐजेन्सी को अनियमित कार्यावंटन

निविदा अभिलेखों के पारदर्शी निस्तारण में विभाग की असफलता के फलस्वरूप एक अयोग्य संयुक्त उद्यम (जे.वी.) अभिकरण को ₹ 157.59 करोड़ की संविदा अनियमित रूप से प्रदान की गयी।

जल में विद्यमान अत्यधिक लोह को हटाने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) ने जनवरी 2010 में केन्द्र प्रायोजित योजनांतर्गत केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के साथ राज्य के नौ जिलों[27] में ट्रन–की आधार पर क्रियान्वयन हेतु 500 लघु जलापूर्ति इकाईयों के रूपांकन संरचना तथा उसके अधिष्ठापन के लिए ₹ 175.44 करोड़ के परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। जिसमें लौह को हटाने हेतु उचित परिशोधन संयत्रों के अधिष्ठापन के साथ सोलर पम्प सेट का प्रावधान था। मुख्य अभियंता, लो.स्वा.अभि.वि. पटना द्वारा जनवरी 2010 में इस कार्य हेतु ₹ 174.93 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। 8 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली में कुल प्राप्त नौ बीडों में से छः बीडों को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति (त.बी.मू.स.) द्वारा वित्तीय बीड खोलने के लिए तकनीकी रूप से योग्य (3 मार्च 2010) घोषित किया गया जिसमें न्यूनतम बीडर मे. प्रतिभा मेम्ब्रेन को विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) की अनुशंसा पर ₹ 157.59 करोड़ पर कार्य आवंटित (अप्रैल 2010) किया गया, जिसे 18 महीने में सितम्बर 2011 तक पूरा करना था।

स्टैन्डर्ड बीड डॉक्यूमेन्ट (एस.बी.डी.) के खंड 1 'अ' बीडरों को अनुदेश (आई.टी.बी.) के उपबंध 4.5 अ के अनुसार संविदा आवंटन के योग्य वहीं होंगे, जिनके नाम पर विगत पाँच वर्षों में (क) जिस कार्य के लिए बीड आमंत्रित किया गया था उसकी प्राक्कलित राशि का किसी एक वर्ष में 50 प्रतिशत के बराबर के न्यूनतम वित्तीय राशि का संरचना कार्य किया गया हो, और (ख) मुख्य संवेदक अथवा मनोनीत उप–संवेदक के रूप में कम से कम समान तरह के कार्य में संविदा के प्राक्कलित मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य तक का कार्य संतोषप्रद ढ़ग से पूरा किया हो। इसके अलावा, उपबंध 7.2 के अनुसार निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं थे।

हाँलांकि अभियंता प्रमुख, लो.स्वा.अभि.वि., पटना के कार्यालय में उक्त कार्य से सम्बन्धित बीड अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2011) तथा उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों की जाँच में प्रकटित हुआ कि परिशोधन संयत्र का लागत अनुपात पूर्ण कार्य की इकाई लागत का लगभग एक–तिहाई (34 प्रतिशत) था। हाँलांकि यह भी पाया गया कि मे. प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर (जे.वी.) को लौह निष्कासन हेतु प्राक्कलित राशि से न्यूनतम 50

27 *अररियाः 44 इकाईयाँ, बेगुसरायः 70 इकाईयाँ, कटिहारः 30 इकाईयाँ, खगड़ियाः 18 इकाईयाँ, किशनगंजः 60 इकाईयाँ, मधेपुराः 50 इकाईयाँ, पूर्णियाँः 83 इकाईयाँ, सहरसाः 60 इकाईयाँ और सुपौलः 85 इकाईयाँ।*

प्रतिशत तक की राशि सोलर पंप सेटों सहित उचित परिशोधन संयंत्रों के अधिष्ठापन एवं परिचालन का पर्याप्त अनुभव नहीं था। तकनीकी बीड कागजातों की तुलनात्मक विवरणी में भी मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज (लीड पार्टनर) की वित्तीय समर्थता एवं अनुभव के मूल्यांकन में मेसर्स मेम्ब्रेन फिल्टर (इंडिया) लि. (संयुक्त उद्यमी पार्टनर) के साथ सिर्फ संयुक्त उद्यम होने का जिक्र मात्र था। निविदा मूल्यांकन समिति या विभाग द्वारा बाद में अलग से कोई मूल्यांकन किया हुआ नहीं पाया गया। इस प्रकार वित्तीय बीड खोलने के लिए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड अभिलेखों का सफल घोषित किया जाना स्वयं में अनियमित था। तत्पश्चात इस आधार पर कि मेसर्स प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर्स जे.वी. द्वारा उद्धृत दरें न्यूनतम थी, विभाग ने उपरोक्त जे.वी. अभिकरण पक्ष में कार्यादेश/सहमति पत्र निर्गत (1 अप्रैल 2010) किया।
आगे संवीक्षा ने यह भी प्रकटित किया कि:

- कार्य का निविदा अभिलेख मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि. को मुख्य अभियंता (शहरी), लो.स्वा.अभि.वि. बिहार, पटना द्वारा अकेले निविदाकार[28] (सोल टेंडरर) के रूप में प्रारम्भिक रूप से 22 जनवरी 2010 में जारी किया गया था।

- संयुक्त उद्यम (जे.वी.) के लिए मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि. और मेसर्स मेम्ब्रेन फिल्टर (इंडिया) प्रा. लि. के बीच एक 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग' (एम.ओ.यू.) (29 जनवरी 2010) निविदा कागजातों की बिक्री बन्द (28 जनवरी 2010) होने के बाद एकरारित किया गया।

- हाँलांकि आई.टी.बी. के उपबंध 7.2 के अनुसार निविदा कागजात हस्तांरणीय नहीं थे, इसके बावजूद निविदा कागजात मेसर्स प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर्स जे.वी. के नाम से (2 फरवरी 2010) प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार निविदा कागजात जिस फर्म ने क्रय किया था एवं जिस फर्म के द्वारा जमा किया गया, उसके अन्तर की पहचान में विभाग असफल रहा। बोली पूर्व सम्मेलन (Pre-bid conference) में भी बोलीकर्ता सामान्यतः आवश्यक स्पष्टीकरण लेने में असफल रहा। इस प्रकार अकेले निविदाकार के रूप में निविदा कागजात का क्रय कर संयुक्त उद्यम के नाम से निविदा को प्रस्तुत करना अनियमित था एवं इसे रद्ध किया जाना था।

- विभाग ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली में संयुक्त उद्यम के अनुबंध एवं शर्तों का कोई उल्लेख नहीं किया और यह भी नहीं बताया कि संयुक्त उद्यम के मामले में निविदा खोलने के बाद इसका मूल्यांकन एवं जाँच कैसे किया जाएगा।

- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के बाद विभाग ने संयुक्त उद्यम/साझेदारी के मामले में निर्देश (1 अप्रैल 2010) जारी किया जिसमें अन्य बातों के अलावा यह सम्मिलित था कि लीड पार्टनर एवं दूसरे पार्टनरों के बीच कम से कम क्रमशः 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की योग्यता आर्हता होनी थी और द्वितीयतः, विभाग से निबन्धित व्यक्ति/फर्म ही सिर्फ परिणाम विपत्र क्रय करने के बाद निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। लेकिन बोलीदाताओं के अनुदेश के उपबंध 10 के अनुसार एडेन्डम के माध्यम से निविदा कागजात में संशोधन अथवा इसे जोड़े बिना ही नए निविदा कागजातों की जाँच कर उसी दिन यानी 1 अप्रैल 2010 को संयुक्त उद्यम को कार्यादेश निर्गत किया गया।

28 *अकेले निविदाकार का अर्थ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी ऐजेन्सी की स्वयं या अकेले की भागीदारिता।*

इस प्रकार एक अयोग्य अभिकरण को अनियमित कार्यावंटन किया गया जिसने अभिकरण द्वारा मन्थर गति से कार्य का क्रियान्वयन को उजागर किया क्योंकि कार्य का 25 प्रतिशत (कुल 500 में 128) भाग कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2011) के 14 महीने बाद (नवम्बर 2012) भी अपूर्ण था।

प्रधान सचिव (प्र.स.), लो.स्वा.अभि.वि. ने जवाब में कहा (नवम्बर 2012) कि एस.बी.डी. में संयुक्त उद्यम के सम्बन्ध में कोई विस्तृत मापदण्ड/दिशा निर्देश नहीं था। एस.बी.डी. के उपबंध 44 में संयुक्त उद्यम के निमित्त प्रावधान के अनुसार मेसर्स प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर जे.वी. की निविदा स्वीकार की गई एवं तदनुरूप फर्म के न्यूनतम निविदाकार होने के कारण कार्य आवंटित किया गया। उसने यह भी कहा कि संयुक्त उद्यम दस्तावेज (जे.वी. के लिए एम.ओ.यू. के एडंडम के अनुसार) मे. प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर (जे.वी.) के मुख्य भागीदार (मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि.) और द्वितीय भागीदार (मे. मेम्ब्रेन फिल्टर इंडिया प्रा. लि.) क्रमशः 51 एवं 49 प्रतिशत योग्यता आर्हता पूरा करते हैं, जैसा कि पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) के परिपत्र संख्या 8131 दिनांक 24 जुलाई 2012 में संयुक्त उद्यम संबंधी मापदण्ड एवं दिशानिर्देश विहित है। आगे, फर्म को आवंटित कुल 500 लघु जलापूर्ति योजनाओं में 372 लघु जलापूर्ति योजना पूर्ण हो चुकी थी जबकि 35 योजनाओं पर कार्य प्रगति में था।

विभाग का यह कथन कि अभिकरण ने कुल 500 लघु जलापूर्ति योजनाओं में से 372 को पूरा कर लिया है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2013 तक एक भी पूर्ण इकाई को एजेन्सी द्वारा विभाग को नहीं सौंपा गया। हाँलांकि जवाब में प्र.स. ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि संयुक्त उद्यम के बारे में किसी दिशा निर्देश के अभाव के कारण संविदा का आवंटन करते समय संयुक्त उद्यम के इस विशेष मामले का मूल्यांकन नहीं किया गया। परंतु कैसे एक संयुक्त उद्यम को जल परिशोधन संयंत्र के अधिष्ठापन एवं परिचालन क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से पाँच वर्षों के पर्याप्त अनुभव की कमी के बावजूद कार्यावंटन किए जाने के औचित्य स्पष्टीकरण देने में जवाब विफल रहा। जवाब में यह भी नहीं बताया गया कि विभाग ने जे.वी. के लिए जो नियम एवं शर्तें विहित की थी एवं अपने अधिकारियों को इसके अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया था, ने जे.वी. फर्म को समान तिथि में यानी 1 अप्रैल 2010 को ही, आई.टी.बी. के उपबंध 10 में एक एडेन्डम के माध्यम से संशोधित अथवा वित्तीय बीडों की आरंभ से जाँच किए बिना ही कार्यादेश निर्गत कर दिया। प्र.स. द्वारा पथ निर्माण विभाग के जुलाई 2010 के दिशा निर्देश परिपत्र को निर्दिष्ट करना एवं उनका यह कथन कि जे.वी. इसके प्रावधान के अनुरूप था एक असंगत अनुचित और संविदा निष्पादन तथा अप्रैल 2010 में जे.वी. फर्म को कार्यादेश निर्गत करने तथा निविदा कागजातों की जाँच में कृत और क्रियाकलापों में विभाग की चूक को ढकने का प्रयास था। यहाँ तक कि उनका कथन मई 2010 के जे.वी. के एक एडेंडम पर आधारित था जिसके एकरारनामे को अप्रैल 2010 में निष्पादित किया गया था। इसके अलावे एक फर्म (अकेला निविदाकार) द्वारा निविदा अभिलेख के क्रय किए जाने और अन्य (जे.वी.) द्वारा समान अभिलेख को, आई. टी.बी. के उपबंध 7.2 के उल्लंघन में जो निविदा अभिलेखों का हस्तांतरण निषिद्ध करता था, जमा किए जाने की कार्रवाई की पहचान करने में विभाग की विफलता के प्रति प्रधान सचिव द्वारा कोई औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया के पारदर्शी निस्तारण में विभाग की विफलता के कारण ₹ 157.59 करोड़ की एक संविदा को एक अयोग्य संयुक्त उद्यम एजेन्सी को अनियमित रूप से प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य विभाग

5.2.6 दवाओं एवं उपकरणों की अनियमित खरीद पर आधिक्य भुगतान

राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन से दवाओं एवं उपकरणों में अनियमित क्रय के फलस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का आधिक्य भुगतान।

राज्य भर में सभी दवाओं एवं उपकरणों (छोटे सर्जिकल मदों) की दर एवं गुणवत्ता में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार (रा.स्वा.स.बि.) को पूरे राज्य के दवा तथा उपकरणों के क्रय हेतु 'राज्य क्रय समिति' के रूप में नामित (अप्रैल 2007) किया गया। इसके बाद, रा.स्वा.स.बि. ने राज्य के सभी जिलों में दवाओं/सर्जिकल मदों की आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ इस हेतु एकरारनामा किया (फरवरी 2007 से अगस्त 2011) और इसकी सूची को सभी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीक्षकों तथा जिला स्वास्थ्य समितियों के सभी असैनिक शल्य चिकित्सकों–सह–सदस्य सचिवों को वितरित किया। जैसा कि एकरारनामें में विशेष रूप से वर्णित किया गया था कि संबंधित जिलों के संबंधित अधिकारियों को सीधे पटना में कम्पनी के गौदाम–सह–भंडार को आदेशित करना था एवं सामान के वितरण पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना था।

छ:[29] असैनिक शल्य चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों (अ.श.चि.–सह–मु. चि.पदा.) एवं एक अस्पताल के अधीक्षक (लेडी एल्गिन अस्पताल, गया) के वर्ष 2008–09 से 2011–12 से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच (नवबंर 2011 से जून 2012) से ज्ञात हुआ कि 79 मामलों में ₹ 2.28 करोड़ के दवाओं एवं उपकरणों जो रा. स्वा.स.बि. के अनुबंधित सूची में शामिल था को जिला क्रय समिति की सिफारिश पर रा. स्वा.स.बि. के अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर क्रय किया गया था। अगर इन दवाओं एवं उपकरणों को रा.स्वा.स.बि. की अनुमोदित दरों पर खरीदा जाता तब उनकी लागत केवल ₹ 95.93 लाख होती। इस प्रकार दवाओं एवं उपकरणों के स्थानीय क्रय में निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन से ₹ 1.33 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 5.9)***।

इसे इंगित (दिसम्बर 2011 से जून 2012) करने पर, अ.श.चि.–सह–मु.चि.पदा., कैमुर (भभुआ) ने लेखापरीक्षा टिपपणियों को स्वीकार करते हुए बताया कि इसे भविष्य के दिशा–निर्देश हेतु अंकित कर लिया गया। अं.श.चि.–सह–मु.चि.पदा., मधुबनी (मई 2012) एवं वैशाली (जून 2012) ने इसे 'तत्काल माँग' और 'दवाओं की आवश्यकता' को क्रय का कारण बताया। अं.श.चि.–सह–मु.चि.पदा., भागलपुर, समस्तीपुर और गया तथा अधीक्षक, लेडी ऐल्गिन अस्पताल, गया ने उत्तर में रा.स्वा.स.बि. द्वारा जारी पत्र (अप्रैल 2007) को स्थानीय क्रय का कारण बताया।

अं.श.चि.–सह–मु.चि.पदा. एवं अधीक्षक (अ.श.चि.–सह–मु.चि.पदा., कैमुर को छोड़कर) का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 'तत्काल माँग' के विरूद्ध स्थानीय क्रय सिर्फ स्थानीय क्रय को न्यायसंगत कहने के लिए अनुचित था। इसके अलावा भागलपुर, समस्तीपुर एवं गया के अं.श.चि.–सह–मु.चि.पदा. तथा अधीक्षक लेडी ऐल्गिन अस्पताल, गया द्वारा प्रेषित उत्तर, जो रा.स्वा.स.बि. द्वारा जारी पत्र (अप्रैल 2007) का उद्धरण दिया जिसमें स्पष्ट निर्देशित था कि रा.स्वा.स.बि. द्वारा अनुबंधित नहीं किए गए दवाओं हेतु, दवाओं के दर अनुबंध के लिए निविदा निकाली जा सकती थी, भ्रामक था, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए आपत्ति उन मदों पर था जो रा.स्वा.स.बि. के अनुबंधित सूची में

[29] अ. श. चि.–सह–मु. चि. प., भागलपुर, गया, कैमूर, मधुबनी, समस्तीपुर एवं वैशाली

शामिल था। इस तरह दवा एवं उपकरणों के 79 मामले, रा.स्वा.स.बि. द्वारा अनुबंधित सूची शामिल होने के बावजूद क्रय किया जाना नियमों का घोर उल्लंघन था।

इस प्रकार अनाधिकृत एजेन्सियों से दवाओं और उपकरणों की अनियमित क्रय से न केवल ₹ 1.33 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ बल्कि उन निजी आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित (जुलाई 2012) किए गए; उनका उत्तर अब तक (फरवरी 2013) अप्राप्त था।

आर्थिक प्रक्षेत्र

पथ निर्माण विभाग

5.2.7 संवेदकों को अदेय सहायता

विभाग द्वारा एक कार्य के पुनरीक्षित प्राकल्लन में बिना मिट्टी के खनन स्थल की पुष्टि के ही अतिरिक्त उठाव दूरी की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ के अतिरिक्त अंतर भुगतान और अदेय सहायता संवेदक को करना पड़ा।

अनुबंध के विशेष शर्तों के प्रावधान 5 एवं 6 के तहत्, निविदाकार, निविदा के जमा करने के पूर्व, दूसरों की तरह अपने आप को पूरी तरह से परिणाम विपत्र के विशिष्टियों के अनुरूप जिसमें अनुमोदित दूरी एवं स्थल की अवस्था इत्यादि शामिल हो, साथ ही कार्य के पूर्ण होने के संबंध में कार्य के गुण एवं उसके हद के उत्तरदायित्व के बारे में पूर्ण जानकारी तथा इसकी संपुष्टि कर लेगें। इसी तरह के किसी भी आधार का कोई दावा ने तो लागत के लिए न ही समय विस्तार के लिए विचार किया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) राष्ट्रीय उच्च पथ (रा.उ.प.), पूर्वी प्रमंडल, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2012) से ज्ञात हुआ कि रा.उ.प. 30 में 178.60 से 188.50 किमी (लंबाईः 9.9 किमी) के चार लेन का कार्य एक संवेदक को ₹ 41.30 करोड़ में सौंपा गया (सितम्बर 2009), जिसे सितंबर 2011 तक यानी 24 माह में पूर्ण करना था। तटबंध के निर्माण के लिए कार्य में शामिल मिट्टी कार्य हेतु आठ किमी का अनुमानित औसत दूरी ₹ 212 प्रति घन मीटर (घ.मी.) के दर से उसके खुदाई स्थल से प्रदान की गई थी। बाद में, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), रा.उ.प. स्कन्ध, प.नि.वि., बिहार, पटना ने विभाग के निर्णय जो इस जारी समझौते को जहाँ तक हुआ, वही बन्द करने का था, अधीक्षण अभियंता रा.उ.प. अंचल, पटना को संप्रेषित (फरवरी 2011) किया। उस समय (फरवरी 2011) तक संवेदक ने ₹ 3.79 करोड़ का कार्य कार्यान्वित किया था।

अभिलेखों की जाँच (मई 2012) से यह ज्ञात हुआ कि मुअ.,रा.उ.प., बिहार ने पुनरीक्षित/संशोधित प्राकल्लन में उठाव की दूरी बिना किसी 'क्षेत्र योजना' के समय पूर्व बंद चार लेन कार्य को 178.6 से 188.5 किमी में स्वीकृत किया यद्यपि मंत्रीमंडल (सतर्कता) तकनीकी परीक्षा कोषांग के पत्र सं. 452 दिनांक 2 मार्च 1984 के कंडिका सं. 4.3.10 के अनुसार यह आवश्यक था तथा इस तरह से सड़क तटबंध के निर्माण के लिए मिट्टी की उठाव की दूरी 17 किमी एवं 24 किमी अनियमित रूप से स्वीकृत की गई। यह ₹ 6.32 करोड़ के कुल भुगतान मार्च 2012 तक के विरूद्ध ₹ 1.19 करोड़ के अधिक अंतर भुगतान में परिणत हुआ जिसे **तालिका 3** में नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका 3

(राशि ₹ में)

मिट्टी कार्य के लिए दूरी	मिट्टी कार्य की मात्रा		पुनरीक्षित प्राक्कलन की दर	एकरारनामा दर	कुल भुगतान की राशि	एकरारनामा के अनुसार देय राशि	अधिक भुगतान
	पुनरीक्षित प्राक्कलन (घन मी. में)	किया गया कार्य (घन मी. में)			(3X4)	(3X5)	(6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17 किमी	55473.78	55473.78 (34%)	255.67	212	14182981	11760441	2422540
24 किमी	109144.00	108981.309 (66%)	298.83	212	32566884	23104037	9462847
कुल	**164617.78**	**164455.089**			**46749865**	**34864478**	**11885387**

यह पाया गया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे समय में यानी सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 तक संवेदक द्वारा किसानों/आपूर्तिकर्ताओं का भूमि विवरण अथवा मिट्टी की मात्रा जो उठाई गई थी, का प्रतिवेदन नहीं दिए जाने की सूचना दी जा रही थी। वे मिट्टी कार्य के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित 'क्षेत्र योजना' को प्रदान करने में भी विफल रहे। इस प्रकार, कार्य में वास्तव में लगाई गई मिट्टी की मात्रा बिना पिट के माप/पुष्टि किए बगैर संवेदक को भुगतान किया गया। यहाँ तक कि का.अ. ने लेखापरीक्षा के उत्तर (मई 2012) में बताया कि मिट्टी कार्य से संबंधित यात्रा पंजी (trip register) को प्राप्त किया जाएगा तथा तदनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। का.अ. का उत्तर लेखापरीक्षा के दावों का समर्थन किया कि कार्य में लगाई गई मिट्टी की मात्रा मिट्टी के उठाव स्थल की पुष्टी किए बिना भुगतान किया गया। का.अ. ने बाद में लेखापरीक्षा को संवेदक द्वारा कंपनी की ओर से जानीपुर, शेरपुर, गौरीचक तथा माधोपुर के आपूर्तिकर्ताओं/किसानों से किया गया मिट्टी आपूर्ति के एकरारनामे का अभिलेख उपलब्ध (मई 2012) कराया।

सचिव, प.नि.वि. ने अपने जवाब (अक्टूबर 2012) में संवेदक के पत्र का हवाला देते हुए संवेदक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच एकरारनामा में गोपालपुर, गौरीचक, जानीपुर तथा शेरपुर जो क्रमशः सम्पतचक, गौरीचक एवं मनेर अंचल से संबंधित थे, मिट्टी प्राप्त करने की पुष्टी की। उन्होंने आगे कहा कि डी.पी.आर. में बेऊर क्षेत्र से मिट्टी के ढुलाई हेतु दूरी एवं स्थान डी.पी.आर. तैयार करने के समय में मौजूद हालात के आधार पर किया गया था। लेकिन तेजी से विकास के कारण कार्य क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मिट्टी इन स्थानों पर उपलब्ध नहीं था। इसलिए विस्तृत स्थल निरीक्षण के बाद, मिट्टी के लिए दूसरा निकटतम उपयुक्त स्थल जो 17 किमी एवं 24 किमी के दायरे में था, स्वेच्छा से अनुमोदित एवं भुगतान किया गया।

सचिव का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा दूरी का पुनरीक्षण अनुबंध के विशेष शर्तों के प्रावधान 5 एवं 6 का उल्लंघन तथा अपने–आप अनियमित था। दूसरा, तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त दूरी–उठाव के लिए 'क्षेत्र–योजना' मु.अभि. द्वारा सुनिश्चित/सौंपा नहीं गया था, यद्यपि इस संबंध में में मंत्रीमंडल (सतर्कता), तकनीकी जाँच कोषांग के निर्देशानुसार यह आवश्यक था। इस तरह मनमाने ढ़ग से बिना किसी कारण को उल्लेखित/सिफारिश किए बगैर 24 किमी की दूरी की अनुमति दी गई तथा फलस्वरूप भुगतान किया गया। इसके अलावा, गौपालपुर तथा गौरीचक के भूखंड संख्या को सम्पतचक अंचल कार्यालय एवं शेरपुर के भूखंड संख्या को मनेर अंचल कार्यालय में पुष्टि के लिए भेजने पर दोनों अंचल कार्यालयों (क्रमशः जनवरी 2013 और अगस्त 2012) ने इसके विपरीत को प्रमाणित किया।

इस प्रकार, विभाग ने मिट्टी के उठाव स्थल के प्रमाणिकता की पुष्टि किए बिना अनियमित रूप से अत्यधिक उठाव–दूरी स्वीकृत किया जिसके कारण संवेदक को अदेय सहायता तथा ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त अंतर भुगतान किया गया।

जल संसाधन विभाग

5.2.8 अलाभकारी व्यय

कार्यारम्भ पूर्व भूमि अधिग्रहण किए बिना तथा बीच में ही बंद करने के फलस्वरूप अपूर्ण कार्यों पर ₹ 80.66 लाख के अलाभकारी व्यय में परिणत हुआ, इसके अलावा लक्षित लाभार्थियों को योजना में वर्णित वांछित लाभ नहीं मिला।

बिहार लोक निर्माण कार्य लेखा (बि.लो.नि.का.ले.) संहिता के मंत्रीमंडल सचिवालय तथा समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के कंडिका 7.5 के अनुसार, तकनीकी स्वीकृति मिलने तथा कार्य पर निधि के आवंटन के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। जिन मामलों में भूमि अधिग्रहण, कार्य के क्रियान्वयन के लिए अतिआवश्यक हों, इसे कार्य के निविदा प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए।

दरभंगा शहर सुरक्षा योजना में वर्णित तटबंध (पूर्वी भाग) को उठाने तथा मजबूत (उ.म.) करने एवं विशेष मरम्मत तथा दिवार को बनाए रखने हेतु अनुरक्षण के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.), समस्तीपुर ने ₹ 14.01 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। योजना में बिहार सैन्य पुलिस (बि.सै.पु.) कैम्प (0.0 मी.) से भिरूआ टोला सड़क (5825 मी.) तक का तटबंध का उ./म. कार्य ₹ 1.90 करोड़ के अनुमानित लागत पर शामिल था। कार्य, एक ऐजेन्सी को ₹ 1.65 करोड़ जो परिमाण विपत्र से 15 प्रतिशत नीचे था, प्रदान किया गया (अक्टूबर 2008) जिसे अप्रैल 2009 तक पूर्ण करना था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल (बा.नि.प्र.), दरभंगा के उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2012) से ज्ञात हुआ कि तटबंध के उ./म. कार्य चेनेज 0.00 मी. से 5825 मी. के विरूद्ध ऐजेन्सी ने आंशिक रूप से मिट्टी कार्य (75 प्रतिशत) तथा फाइन ड्रेसिंग एवं टर्फिंग कार्य (26 प्रतिशत) चेनेज 0.00 मी. से 1635 मी. और 3120 मी. से 5505 मी. में किया जिसके लिए ऐजेन्सी को छठे एवं अंतिम विपत्र के माध्यम से ₹ 80.66 लाख का भुगतान मार्च 2011 तक किया गया।

आगे यह भी पाया गया कि ऐजेन्सी ने चेनेज 1635 मी. से 3120 मी. तथा 5505 मी. से 5825 मी. में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया। हलांकि यह देखा गया कि प्राकल्लन में न तो भूमि अधिग्रहण हेतु निधि का प्रावधान था एवं न हीं कार्य क्रियान्वयन के पूर्व इसका अधिग्रहण किया गया। कार्य क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण के सार्वजनिक विरोध के चलते पटना उच्च न्यायालय (मार्च 2009) में मुकदमा किया गया। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने मार्च 2010 में मामले के निष्पादन के फैसले में बताया कि प्रमंडल को निविदा प्रक्रिया के पूर्व भूखंडों की पहचान आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए करना चाहिए तथा वैद्य अधिग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का निर्देश दिया। बाद में, का.अभि., बा.नि.प्र., दरभंगा ने अधीक्षण अभियंता, बा.नि. अंचल, दरभंगा को भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य को रोकने के बारे में सूचित (दिसम्बर 2010) किया। इस प्रकार, कार्य के क्रियान्वयन के पहले उचित योजना तथा भूमि अधिग्रहण के बैगेर अधूरे कार्य पर ₹ 80.66 लाख का व्यय अलाभकारी हुआ।

इसे इंगित (मई 2012) किए जाने पर, का.अभि., बा.नि.प्र., दरभंगा ने बताया कि हलांकि प्राकल्लन में भूमि अधिग्रहण हेतु निधि का कोई प्रावधान नहीं था, भूमि मालिकों के साथ इसके निपटारा की प्रत्याशा में काम शुरू किया गया था। इसके अलावा, सरकार के विशेष सचिव, ज.स.वि. ने बताया (नवंबर 2012) कि कार्यक्रम के अनुसार कार्य का क्रियान्वयन किया गया। हलांकि कार्य के शेष हिस्सों का क्रियान्वयन भूमि अधिग्रहण के पूर्ण हाने तक बंद कर दिया गया। आगे यह भी बताया गया कि 1635 मी. से 3120 मी. के पहुँच में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रा.मं.ग्रा.स.यो.) के तहत एक सड़क का निर्माण कराया गया। सड़क का उपरी सतह जो कि उच्चतम बाढ़ स्तर के बराबर था, एक तटबन्ध के रूप में बाढ़ सुरक्षा मापदण्ड के रूप में काम कर रहा था। हलांकि 5505 मी. से 5825 मी. में स्थानीय जनता के विरोध के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए किया गया व्यय उपयोगी था।

विशेष सचिव का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह केवल एक तथ्य था कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित प्र.मं.ग्रा.स.यो. सड़क 1635 मी. से 3120 मी. के पहुँच में तटबंध के उद्देश्य से कार्य करेगा, विभाग के बिना भूमि अधिग्रहण किए कार्य को पूर्ण करने की अक्षमता को छुपाने का प्रयास था। इसके अलावा उन्हीं कारणों से कार्य के क्रियान्वयन में 5505 मी. से 5825 मी. के बीच 300 मी. के पूर्ण अंतराल में कार्य का नहीं होना योजना में उल्लेखित शहर की रक्षा करने का उद्देश्य पराजित हुआ तथा किया गया व्यय अलाभकारी हुआ।

इस प्रकार, प्रमंडल द्वार भूमि अधिग्रहण किए बिना कार्य को प्रारम्भ करना बि.लो.नि.ले. सं. में वर्णित मंत्रीमंडल सचिव तथा समन्वय विभाग के संकल्प का घोर उल्लंघन था जिसके कारण ₹ 80.66 लाख का अलाभकारी व्यय के अलावे योजना में परिकल्पित वांछित उद्देश्य की अनुपलब्धि हुई।

5.3 अनियमित / परिहार्य / असमायोजित व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो चूँकि यह कार्यपालक द्वारा प्रभावी अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। यह, इसके विपरीत, परिहार्य / अनौचित्यपूर्ण व्यय को प्रेरित करता है। ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

सामाजिक प्रक्षेत्र

समाज कल्याण विभाग

5.3.1 परिहार्य व्यय

विभाग के अप्रभावी अनुश्रवण एवं निरूत्साही रवैया के कारण आंगनबाड़ी–केन्द्रों के भवन के विलम्बित निर्माण पर ₹ 30.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि फेज– XII के अंतर्गत 420 गोदाम सह परियोजना कार्यालयों के भवनों एवं 22285 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु कुल परिव्यय ₹ 466.70 करोड़ के विरूद्ध ₹ 396.70 करोड़ का ऋण स्वीकृत (जनवरी 2007) किया था। राज्य सरकार द्वारा ₹ 70 करोड़ (15 प्रतिशत) का अंशदान दिया जाना था।

इस योजना के अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण (दो लाख प्रति ईकाई के दर से) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रांगण में किया जाना था एवं गोदाम सह परियोजना

कार्यालय भवनों का निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहाँ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो, अथवा प्रखंड परिसर में किया जाना परिकल्पित था। जिले में आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि का निर्धारण/चयन जिला समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जानी थी। पूरी परियोजना का अनुश्रवण विभाग को स्वयं करना था एवं इसे मार्च 2008 तक पूरा कर लिया जाना था।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत निदेशालय, समेकित बाल विकास परियोजना के अभिलेखों के नमूना जाँच (अप्रैल 2012) में पाया गया कि विभाग ने मार्च 2008 एवं सितम्बर 2010 में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं गोदाम–सह–परियोजना कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 150.09[30] करोड़ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि.शि.प.प.) एवं भवन निर्माण विभाग को निर्गत किया गया था।

पुनः जाँच में पाया गया कि लक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण से संबंधित भूमि को जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा चिन्हित नहीं किये जाने अथवा विलम्बित चयन तथा दरों के पुनर्निर्धारण के कारण निर्धारित लक्ष्य को घटाकर 3319 (बि.शि.प.प. : 724 एवं भवन निर्माण विभागः 2595) किया गया था तथा गोदाम–सह–परियोजना कार्यालय भवनों के निर्माण की योजना स्थगित (फरवरी 2010) कर दी गई थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का दर बि.शि.प.प. प्रति ईकाई ₹ 4.02 लाख (फरवरी 2010) एवं भवन निर्माण विभाग के लिए क्रमशः ₹ 4.66 लाख पुनर्रीक्षित किया गया (मार्च 2010) था। इस अवधि के दौरान कार्य समाप्ति की तिथि मार्च 2013 पुनर्निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि पुनर्निर्धारित आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य 3319 (बि.शि.प.प.: 724; भ.नि.वि.: 2595) के विरूद्ध फरवरी 2012 तक मात्र 1274 केन्द्रों (बि.शि.प.प.: 514; भ.नि.वि.: 760) का निर्माण कुल व्यय ₹ 56.07[31] करोड़ के उपरांत किया जा सका था।

अपने जवाब (सितम्बर 2012) में सचिव द्वारा उक्त योजना में हुए विलम्ब का मुख्य कारण संबंधित/आवश्यक भूमि की अनुपलब्धता/कमी बतायी गयी तथा यह भी कहा गया कि संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा जैसे ही आवश्यक भूमि चिह्नित किया गया, उस पर आगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूरा किया गया। सचिव का जवाब संतोषप्रद एवं मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की कमी नहीं थी। खासकर उन जिलों में (यथा समस्तीपुर) जहाँ प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में भूमि उपलब्ध नहीं थी, वहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा लिए गये निर्णयों एवं संबंधित जिलाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्णयों के अनुसार मध्य विद्यालयों में उपलब्ध भूमि का उपयोग उक्त केंद्रों के निर्माण हेतु किया जाना था। तथापि इसका अनुपालन न तो जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया गया था न ही विभाग द्वारा स्वयं अनुश्रवण ही किया गया था।

इस प्रकार भूमि की उपलब्धता के बावजूद जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब, संबंधित जिला समाहर्त्ताओं द्वारा समुचित पहल में विफल रहने तथा विभाग द्वारा समस्त परियोजना के ससमय निष्पादन की सुनिश्चितता हेतु

30 *भवन निर्माण विभाग (मार्च 2008)–* ₹ *21.00 करोड़*
भवन निर्माण विभाग (सितम्बर 2010)– ₹ *99.95 करोड़*
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मार्च 2008)– ₹ *29.14 करोड़*
कुल ₹ 150.09 करोड़

31 *बि.शि.प.प.–@ ₹ 4.02 लाख प्रति इकाई की दर से 514 आंगनबाड़ी केन्द्र = ₹ 2066.28 लाख*
भ.नि.वि.:–@ ₹ 4.66 लाख प्रति इकाई की दर से 760 आंगनबाड़ी केन्द्र = ₹ 3541.16 लाख
कुल = ₹ 5607.44 लाख = ₹ 56.07 करोड़

अनुश्रवण के अभाव के कारण मूल प्राक्कलित राशि ₹ 25.48[32] करोड़ के विरूद्ध ₹ 56.07 की बढ़ी हुई लागत पर मात्र 1274 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जा सका था, जिसके कारण ₹ 30.59 करोड़ परिहार्य व्यय हुआ एवं उस हद तक सरकार को हानि हुयी। यहाँ तक कि शेष 2045 इकाईयों (3319–1274) के निर्माण पर भी वर्तमान दर के आधार पर ₹ 53.05 करोड़[33] का परिहार्य अधिकाई व्यय की संभावना होता।

ग्रामीण कार्य विभाग

5.3.2 *निजी संवेदकों को उपकरण/अग्रिम जुटान के लिए अनियमित भुगतान*

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों और एकरारनामा के सामान्य शर्तों के उल्लंघन करने के कारण ₹ 31.91 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम तथा ₹ 35.42 करोड़ के यांत्रिक अग्रिम का भुगतान निजी संवेदकों को किया गया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार, ओ.म. दिनांक 8 जून 2006 अन्य बातों के साथ कहता है कि मोबलाईजेशन/उपकरण के लिए अग्रिम भुगतान चरणों में और आवश्यक उपकरण आदि के कार्य की प्रगति के आधार पर संवेदकों को जारी किया जायेगा। आगे तकनीकी संविदा हेतु संविदा की सामान्य शर्तों के उपबंध 45 (खंड 4) के अनुसार उपकरण मूल्य का 90 प्रतिशत उपकरण अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है, बशर्ते कि एजेन्सी/संवेदक द्वारा नए उपकरणों को स्थल पर लाया गया हो। लेकिन संवेदक को चालान तथा दूसरे कागजात अभियंता के समक्ष उपस्थित कर प्रमाणित करना होगा कि अग्रिम भुगतान उसी उद्देश्य क तहत, प्रयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के निष्पादन से संबंधित छः प्रमण्डलों[34] के अभिलेखों के जाँच से स्पष्ट हुआ कि 1299.71 कि.मी. (393 सड़कों) के पथ निर्माण का कार्य नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2010 के बीच में ₹ 697.58 करोड़ के अनुबंध पर कार्य आठ संवेदकों[35] को दिया गया एवं कार्यों के संपादन का नियत समय जनवरी 2011 और जून 2012 के बीच था। अभिलेखों के लेखा परीक्षा जाँच से पता चला कि सी.वी.सी के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में मोबाईलेजेशन अग्रिम के लिये ₹ 31.91 करोड़, आठ संवेदकों को जून 2010 से जून 2011 के बीच एक मुश्त बिना कार्य प्रगति को ध्यान में रखें भुगतान किया गया। जबकि समय पर कार्य पूरा होने की नियत तारीख के दो से 12 महीनें के बाद भी केवल 312 कि.मी. सब–बेस (24 प्रतिशत), 90 कि.मी. बेस (7 प्रतिशत) और 31 कि.मी. के सतह (दो प्रतिशत) का कार्य ही पूरा हो पाये थे।

इस प्रकार, कार्य कि प्रगति को ध्यान में लिये, बिना ₹ 31.91 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.10)*** कि मोबाईलेजशन अग्रिम भुगतान अनियमित एवं संवेदकों को अदेय लाभ भी था।

32 *पूर्ण योजनाओं की संख्या (बि.ष.प.प. 514 + भ.नि.:760 = 1274) व्यय जो प्रति इकाई दो लाख प्रति ईकाई के दर से किया जाना थाः 1274 × 0.02 = ₹ 25.48 करोड़।*

33 बि. शि. प. प. – ₹ (4.02 – 2.00) लाख की दर पर 210 आं. आ. के. = ₹ 424.20 लाख
भा. नि. वि. – ₹ (4.66 – 2.00) लाख की दर पर 1835 आं. बा. के. = ₹ 4881.10 लाख
कुल : ₹ 5305.30 लाख या ₹ 53.05 करोड़

34 *ग्रा.का.वि. बेनीपट्टी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रोसरा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।*

35 *बी.एस.एस. प्रोजेक्टस प्रा.लि., हैदराबाद, एस.पी.आर इन्फ्रास्ट्रक्चयर इंडिया लि., हैदराबाद, अरावली इन्फ्रा पावर, नई दिल्ली, शिवा स्वाति कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., हैदराबाद, सिंह कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, पंजाब, मे. जे.एस.आर. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., हैदराबाद, शुभम् कन्स्ट्रक्सन, मुजफ्फरपुर, सिंह कन्स्ट्रक्सन, मुजफ्फरपुर।*

इसके अलावे, उपकरण हेतु ₹ 35.42 करोड़ की अग्रिम राशि दिसम्बर 2010 से जुलाई 2011 के बीच सात ठेकेदारों को जारी किये गये ***परिशिष्ट 5.10***। हमने पाया कि खंड 45 के सामान्य शर्त्तों के अनुसार कोई भी संवेदक चालान और अन्य दूसरे कागजात जो उपकरण की लागत को दर्शाता हो, नहीं जमा किया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि नई उपकरण स्थल पर लाया गया। यह भी पाया गया कि कार्य की समाप्ति तिथि के बाद सीतामढ़ी और बेनीपट्टी के दो संवेदकों[36] को उपकरण अग्रिम के लिए ₹ 8.10 करोड़ दिये गये। दूसरे चार प्रमण्डलों में उपकरण अग्रिम के लिये ₹ 25.82 करोड़ चार संवेदकों को कार्य समाप्ति से तीन से आठ माह पहले प्रदान किये गये।

इस प्रकार, अग्रिम भुगतान निर्माण अवधि के अन्त में, या निर्धारित समय के बाद और उपकरण के लागत के समर्थन बिना किसी चालान और अभिलेख के अग्रिम भुगतान अनावश्यक रूप से निजी संवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाया। जवाब में कार्यपालक अभियंता ने बताया (अप्रैल–मई 2012) मोबिलाईजेशन अग्रिम उपकरण के लिये लेखा परीक्षा की दिशा–निर्देश का भविष्य में पालन किया जायेगा।

इस प्रकार, सी.वी.सी की दिशा–निर्देशों और एकरारनामा के सामान्य शर्तो का उल्लंघन के कारण मोबिलाईजेशन अग्रिम का ₹ 31.91 और मशीनरी अग्रिम का ₹ 35.42 करोड़ निजी संवेदकों को प्रदान किया गया।

बिहार सरकार को यह अनुशंसा की जाती है कि सी.वी.सी. के दिशा–निर्देश और एकरारनामा के सामान्य शर्त को पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करनी चाहिये, ताकि क्रियान्वयन प्रमंडल/विभाग संवेदकों को किसी प्रकार के भुगतान/अग्रिम प्रदान करने के पहले सरकार के हितों की रक्षा कर सके।

मामलें को सरकार के पास भेजा गया (जुलाई 2012), उनका जवाब अभी तक अप्राप्त हैं (फरवरी 2013)।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.3.3 असमायोजित अग्रिम

स्वजल धारा योजना एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित ₹ 8.20 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों में असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ा रहना एवं संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने में अनिक्षा दिखाने, शासकीय धन की संभावित दुर्विनियोजन को इंगित करता था साथ ही साथ उक्त योजनाओं के लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके थे।

ग्रामीण पेयजल प्रक्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार (भा.सं.) द्वारा वर्ष 2002 में स्वजल धारा योजना शुरू किया गया। इसका उद्देश्य माँग के प्रति उत्तरदायी रणनीति को अपनाना और तत्पश्चात पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों के साथ संसाधन का सृजन करने जल आपूर्ति योजनाओं की योजना, क्रियान्वयन, प्रयोग, संधारण एवं उसे विस्थापित करने हेतु उन्हें सुसज्जित करने हेतु समुदाय आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को संस्थागत किया जाना था। प्रत्येक ग्राम पंचायत (जी. पी.) के लिए एक ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति रहनी थी। इन समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजनाओं को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्लू.एस.एम.)/जिला पंचायत (जि.पं.)/जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी.डब्लू. एस.सी.) को सौंपनी थी और उनके अनुमोदन के बाद राशि उन्हें उपलब्ध करानी थी। प्रथम किस्त से किए गए कार्य का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ डी.डब्लू.एस.

सी. को प्रस्तुत की जानी थी तत्पश्चात दूसरी किस्त की राशि उपलबध करानी थी। वित मंत्रालय, भारत सरकार (अगस्त 2006) ने कोई भी दूसरी राशि उपलब्ध कराने पर रोक लगा दिया था जब तक की सभी बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाए।

छः लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों[37] में स्वजलधारा से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2002 से 2012 ***(परिशिष्ट 5.11)*** के दौरान 742 भी.डब्लू.एस.सी.[38] को ₹ 8.61 करोड़ अग्रिम दिया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद और यहाँ तक कि जिला जल एवं स्वच्छता समिति, वैशाली, जो उप–विकास आयुक्त द्वारा शासित है, के एफ. आई.आर. दर्ज करने की चेतावनी का भी कोई असर नहीं पड़ा तथा फरवरी 2012 तक भी.डब्लू.एस.सी. के पास ₹ 7.12 करोड. के की शेष राशि असमायोजित अग्रिम के रूप में पड़ी रही। दोषी भी.डब्लू.एस.सी. पर न एफ.आई.आर. दर्ज किया गया और न ही उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की गयी। सभी कार्यपालक अभियंताओं ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया हाँलांकि वसूली की संभावना कम थी ।

गाँव, जहाँ प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा थी, को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी. एस.सी.) के तहत निर्मल ग्राम के रूप में घोषित किया जाता था। बाजार एवं समुदायिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण, ठोस एवं अवशिष्ट प्रबंधन, पहले से बने स्वच्छता सुविधाओं के रख–रखाव आदि के लिए ऐसे निर्मल ग्राम को पुरस्कार प्रदान किया जाता था।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर एवं बेगुसराय के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹ 1.08 करोड़ और ₹ 0.08 करोड़ सात प्रखण्डों के 21 ग्राम पंचायतों और एक प्रखण्ड प्रमुख एवं दो ग्राम पंचायतों को दिया गया। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ अग्रिम के विरूद्ध निष्पादित कार्य का विवरण संबंधित जे.ई./ए.ई. के द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु दिसम्बर 2011 तक हाजीपुर के दो पंचायतों द्वारा केवल ₹ आठ लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था ***(परिशिष्ट 5.12)***।

इसके अलावा संयुक्त सचिव, पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निदेर्शों के अनुसार प्रथम किस्त जारी करने से पहले निर्मल ग्राम की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना था। प्रथम किस्त के समुचित उपयोग के बाद दूसरा जारी करना था। यद्यपि डी.डब्लू.एस.सी., वैशाली द्वारा प्रथम किस्त जारी करने से पहले कोई भी ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया।

इस प्रकार, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने में उदासीनता के कारण पंचायत प्रतिनिधियों के पास लम्बित कुल अग्रिम ₹ 8.20[39] करोड़ का समायोजन नहीं हो सका। यह सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना के अलावे स्वजल धारा योजना एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं किये जाने को प्रकट करता है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2012) इसके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2013)।

37 *भागलपुर (पूर्व), गया, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया*

38 *हाजीपुर (352), गया (2), मुजफ्फरपुर (1), पूर्णिया (377), भागलपुर (पूर्व) (7) और कटिहार (3)*

39 *₹ 7.12 करोड़+₹ 1.08 करोड़ = ₹ 8.20 करोड़*

5.3.4 कार्यकारी एजेन्सी को अदेय सहायता

एकरारनामा एवं लोक निर्माण संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के विरूद्ध कार्यकारी एजेंसी को स्वीकृति के पाँच से आठ महीनों बाद ₹ 33.18 करोड़ का मोबलाईजेशन अग्रिम दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दिये गए अग्रिम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ एवं कार्यकारी एजेन्सी को अदेय सहायता प्राप्त हुई।

बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता के नियम 207 के अनुसार केवल संविदा की शर्तों के अनुरूप ही संवेदकों को अग्रिम, जिसमें मोबलाईजेशन अग्रिम भी शामिल है, दिये जाने का प्रावधान है । इन अग्रिमों को इनपर अर्जित ब्याज सहित संविदा में उल्लेखित दर के आधार पर संबंधित संवेदक से वसूल किया जाना था।

अभियंता प्रमुख (अ.प्र.) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के अभिलेखों की जाँच में (जुलाई 2011) यह पाया गया कि उक्त योजना के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा लौह अयस्क हेतु जल संशोधन संयंत्र के साथ विभिन्न लघु जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित छः समूहों का कार्य तीन निजी एजेंसियों को अप्रैल 2010 में सौंपा गया जिसके कार्य समाप्ति की तिथि मार्च 2011 एवं सितम्बर 2011 थी। छः विभिन्न प्रमण्डलों को छः समूहों में से प्रत्येक का उपर्युक्त तीन एजेंसियों के साथ संविदा के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया था ***(परिशिष्ट 5.13)***। इन एजेंसियों के साथ क्रियान्वित संविदा से स्टैंडर्ड बिडिंग डक्यूमेंट के क्लॉज 10 बी. को निरस्त कर दिया गया जिसमें 'संवेदकों को अग्रिम', (मोबलाईजेशन अग्रिम सहित) का उल्लेख था। पुनः यह पाया गया कि एकारनामा क्रियान्वित होने के पश्चात संविदा के प्रावधानों के विरूद्ध उक्त एजेंसियों ने मोबलाईजेशन अग्रिम हेतु आग्रह किया था। अभियंता प्रमुख द्वारा अत्यधिक गर्मी एवं सूखाड़ जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभावित लाभार्थियों को जल्द–से–जल्द गहरे नलकूप के माध्यम से स्वच्छ पेयजन उपलब्ध कराने के आधार पर मोबलाईजेशन अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अनियमित रूप से अनुशंसा (अप्रैल 2010) की गयी थी।

मोबलाईजेशन अग्रिम का मुख्य उद्देश्य संवेदक द्वारा अपने संसाधनों को गतिशील करते हुए कार्य का ससमय प्रारंभ एवं निष्पादन करना था। तथापि अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि मोबलाईजेशन अग्रिम का अ.प्र. द्वारा अनुशंसित एवं प्रधान सचिव तथा मंत्री द्वारा अप्रैल 2010 में स्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त अग्रिम का प्रथम किस्त ₹ 30.52[40] करोड़ संबंधित एजेंसियों को पॉच से आठ महीने के विलम्ब से वितरित किया गया था।

उपर्युक्त ल.ज.आ. योजनाओं के कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित 17[41] लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2011 से जून 2012) में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न समूहों के 1481[42] योजनाओं, जिनको मार्च से सितम्बर 2011 की अवधि में पूर्ण होना था, के विरूद्ध केवल 150[43] लघु जल आपूर्ति योजनाओं का कार्य जून 2012 तक ₹ 55.85 करोड़ व्यय के उपरान्त पूर्ण किया गया था। इस

40 *पूंज लॉयड* - ₹ *11.64* करोड़ , प्रतिभा मेंमबरेंस - ₹ *7.88* करोड़, और एस.पी.एम.एल. - ₹ *11* करोड़

41 पी.एच. प्रमण्डलों – पटना पश्चिम, हाजीपुर, गया बेगुसराय, पूर्णिया, मुजफ्फर, पटना पूर्व, सासाराम, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, भागलपुर पूव्र, भागलपुर पश्चिम, कटिहार, छपरा, सिवान, आरा, बक्सर

42 पुंज लॉयड– सांख्या–453, मेसार्स मेम्बरेंस फिल्टर जे0वी0–सांख्या 243, मेसार्स एस.पी.एम.एल. –संख्या 785

43 पुंज लॉयड–संख्या – 57, मेसर्स प्रतिाा मेम्बरेन्स फिल्टर जे.वी.–संख्या 74, मेसर्स एस.पी. एम.एल.–संख्या – 19

प्रकार निर्धारित तिथि (मार्च 2011 एवं सितंबर 2011) से 10 से 16 माह के विलम्ब के उपरान्त भी जुलाई 2012 तक केवल 10 प्रतिशत कार्यों को सम्पन्न किया गया था।

लेखापरीक्षा के क्रम में पुनः यह पाया गया कि नमूना जाँचित प्रमण्डलों द्वारा एजेंसियों को दिये गये ₹ 13.79 करोड़ के मोबलाईजेशन अग्रिम के विरूद्ध जून 2012 तक ₹ 3.46[44] करोड़ मात्र की संबंधित एजेंसियों से वसूली की गयी थी। पुनः उक्त मोबलाईजेशन अग्रिम पर अर्जित ₹ 2.67 करोड़ के ब्याज के विरूद्ध छः प्रमण्डलों[45] द्वारा केवल ₹ 23.64 लाख की वसूली की गयी थी जबकि 11 प्रमण्डलों द्वारा एकरारित कार्य का 10 प्रतिशत पूरा नहीं होने के कारण वसूली हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। पुनः आठ नमूना जाँचित प्रमण्डलों द्वारा मार्च से अक्टूबर 2011 की अवधि में कार्यकारी एजेंसियों को 2.66[46] करोड़ के मोबलाइजेशन अग्रिम के द्वितीय किस्त का भुगतान, बिना मोबलाईजेशन अग्रिम के प्रथम किस्त के उपयोग को सुनिश्चित किये ही दिया गया था।

उपर्युक्त संदर्भ में संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अपने जवाब में बताया गया (नवम्बर 2011 से जून 2012) कि अभियंता प्रमुख (शहरी) के आदेशानुसार एजेंसियों को मोबलाईजेशन अग्रिम दिया गया था एवं उसकी वसूली उनके द्वारा समर्पित चलंत लेखा विपत्रों से की जाएगी। प्रधान सचिव, लो.स्वा.अभि. विभाग द्वारा अपने जवाब (नवम्बर 2012) में यह स्वीकार किया गया कि उक्त कार्य हेतु किये गये निविदा अभिलेखों में क्लॉज 10 बी (II) अनुमान्य नहीं था। तथापि मोबलाईजेशन अग्रिमों की स्वीकृति उक्त संवेदकों द्वारा समान मूल्य के बैंक गारंटी के विरूद्ध दिया गया जो स्टैंडर्ड बिड डक्यूमेंट में उल्लेखित मोबलाईजेशन अग्रिम के प्रावधानों के अनुसार था।

विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यकारी एजेंसियों को मोबलाइजेशन अग्रिम की स्वीकृति अनियमित एवं संविदा के प्रावधान के विरूद्ध थी जिसके क्लॉज 10 बी को संविदित पक्ष के साथ आपसी सहमति के आधार पर निरस्त किया गया था। उक्त मोबलाईजेशन अग्रिमों का वितरण संबंधित एजेंसियों को संविदा देने के पाँच से आठ महिनों बाद किया गया था, जो उक्त अग्रिम के मूल उद्देश्य के विपरीत था। इसके साथ–साथ कार्य कारी एजेन्सियों को मोबलाईजेशन अग्रिम के प्रथम किस्त का उपयोग अथवा उसकी वसूली को सुनिश्चित किये बगैर अग्रिम की द्वितीय किस्त निर्गत करने के परिणाम स्वरूप ₹ 33.18 करोड़ संबंधित एजेंसियों के पास जमा थे एवं उनको अदेय वित्तीय सहायता दी गई थी।

44 पुँज लॉयड–₹ 84.58 लाख, प्रतिभा मेम्बरेंस–₹ 2.21 करोड़ और एस.पी.एम.एल.–₹ 40.06 लाख

45 पी.एच.प्रमंडल बेगुराराय, भागलपुर (पूर्व), बिहारशरीफ, बक्सार, गया और सासाराम

46 *एस.पी.एम.एल.– ₹ 1.62 करोड़ पी.एच.प्रमंडल, पटना पूर्वः ₹ 15.39 लाख; औरंगाबादः ₹ 33 लाख; बिहारशरीफः ₹ 24.20 लाख; भागलपुर (पूर्व): ₹ 29.33 लाख; भागलपुर (पश्चिम): ₹ 29.33 लाख और आराः ₹ 30.80 लाख, प्रतिभा मेम्बरेंस–₹ 1.04 करोड़ (पी.एच. प्रमण्डल किषनगंज), ₹ 56.73 लाख और कटिहारः ₹ 47.28 लाख)।*

ग्रामीण विकास विभाग

5.3.5 विभागीय कार्यों के लिए अनियमित भुगतान

संहिता के प्रावधानों तथा विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 75.95 लाख का अनियमित भुगतान।

बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि. लेखा) संहिता के नियम 226 के साथ–साथ सतर्कता विभाग के अनुदेशों (1994) के अनुसार माल की आपूर्ति को निविदाएँ/कोटेशन के आमंत्रण के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए तथा विभागीय कार्यों के संदर्भ में मजदूरों को भुगतान मस्टर रौल के द्वारा की जानी चाहिए। बिहार वित्तीय नियम (बि.वि.नि.) का नियम 257 तथा बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि. लेखा) का नियम 244 दर्शाता हे कि "माप पुस्तिका को एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह सभी मात्राओं के लेखा का आधार होती है चाहे वह कार्य दैनिक मजदूरों द्वारा किया जाए, या मूल्य द्वारा या संविदा द्वारा या प्राप्त हुए माल द्वारा, जिसे गिना या मापा जा सके। कार्य का विवरण स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसे आसानी से पहचाना या जाँचा जा सके। पुनः बि.लो.नि. लेखा संहिता के अनुलग्नक 'अ' में राज्य सरकार के निर्णय सं. 22 के अनुसार हस्त रसीद पर भुगतान केवल आपातकालीन कार्यों जैसे बाढ़, तटबंध की गश्ती इत्यादि में किया जा सकता है।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पटना के द्वारा विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के अनुशंसाओं पर विभागीय तौर पर 2007–12 के दौरान संचालित की जा रही 42 योजनाओं से संबंधित 210 हस्त रसीदों के परीक्षण में पाया गया कि ₹ 75.95 लाख विभागीय हस्त रसीद के द्वारा खर्च की गयी जिसमें ₹ 42.71 लाख लेबर मेट को ₹ 3.94 लाख माल की ढुलाई पर, ₹ 14.30 लाख मंच निर्माण के लिए, ₹ 0.98 लाख माल की खरीद पर, ₹ 5.29 लाख नेमप्लेट के निर्माण पर तथा ₹ 8.74 लाख ट्यूबवेल के ड्रीलींग पर खर्च किया गया था।

इसके अलावा निम्नलिखित अनियमितताएँ भी पाई गयीं:

- कार्य की प्रकृति और कार्यकारी अवधि, आकलन का स्वीकृति आदेश और लगे हुए श्रमिकों की संख्या के विवरण के साथ मस्टर रौल पर मजदूरों को अदायगी की जानी चाहिए। उक्त जानकारी के अभाव में निष्पादित कार्य और उसके लिए की गई भुगतान की प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना के तहत विभागीय तौर पर निष्पादित कार्य को न तो माप पुस्तिका में दर्ज किया गया और न ही किसी हस्त रसीद पर संदर्भित पृष्ठ संख्या को दर्ज किया गया।
- सामग्री की आपूर्ति निविदा/कोटेशन आमंत्रित किए बिना किया गया।
- एक ही व्यक्ति को सभी कार्यों जैसे श्रम कार्य (जैसे ट्यूबवेल का छिद्रण), मंच का निर्माण (सामग्रियों की लागत सहित), नेम प्लेट के निर्माण और सामग्रियों की ढुलाई के लिए विभिन्न हस्त रसीदों पर भुगतान किया गया।

इस प्रकार संहिता प्रावधानों और विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 75.95 लाख का हस्त रसीद पर अनियमित भुगतान किया गया।

इस प्रकार संहिता के प्रावधानों तथा विभागीय आदेशों के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करना विभाग के लिए बहुत प्रासंगिक होगा। विभाग को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विभागीय कार्यों के लिए सभी सामग्रियाँ निविदा/कोटेशन

को आमंत्रित कर खरीदी जानी चाहिए और सभी भुगतानों को ठीक से भरे हुए मस्टर रौल पर किया जाना चाहिए।

इस मामले को सरकार को भेजा गया था (जुलाई 2012), उनका जवाब अभी तक (फरवरी 2013) प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन, पटना ने लेखा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (फरवरी 2013)।

स्वास्थ्य विभाग

5.3.6 आठ जिलों में बिना गुणवत्ता परीक्षण के दवाओं का वितरण

राज्य स्वास्थ्य समिति (एस.एच.एस.) की दवा–दर–अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं होने के साथ साथ आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता के कारण बिना गुणवत्ता परीक्षण ₹ 25.07 करोड़ की दवाओं की खरीद एवं मरीजों के बीच उनका वितरण।

दवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (एस.एच.एस.) बिहार के दवा–दर अनुबंध के नियम एवं शर्तों के खंड 8.01 के अनुसार, आपूर्तिकर्ता कंपनी को प्रत्येक बैच की आपूर्ति के लिए दवा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। खंड 8.10 के अनुसार प्रत्येक बैच के दवा नमूनों की जाँच संबंधित औषधि निरीक्षक (औ.नि.) के द्वारा की जानी थी। इसी प्रकार जिलों में भंडार के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी को दवाओं के नमूने उपलबध कराने थे। सभी दवाओं के लिए बैच के अनुसार नमूने औ.नि. के द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और 1945 के नियम की धारा 52 (4) के अनुसार एकत्र किया जाना था। इसके अलावा खंड 8.04 के अनुसार यदि कोई उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण में विफल होता है तो असफल बैच को आपूर्तिकर्ता को अपने खर्चे पर वापस लेना था।

आठ जिलों में 12 स्वास्थ्य ऑफिसों[47] के अभिलेखों के नमूना जाँच परीक्षण (फरवरी से जून 2012) में पाया गया कि ₹ 25.07[48] करोड़ की दवाएँ/औषधि 2009–10 से 2011–12 के अवधि के दौरान 77 स्वास्थ्य संस्थाओं/आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गयी।। जबकि किसी भी आपूर्ति कर्ताओं द्वारा दवाओं की आपूर्ति के साथ दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन (गु.प.प्र.) प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबकि वैसे दवाइयों जिनके साथ गु.प.प्र. संलग्न नहीं था की प्राप्ति/स्वीकृति अपने–आप में अनियमित थी एवं संबंधित अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और 1945 के नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सौंपी गई जिम्मदारियों को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

अधिकांश दवाओं का नमुना औ.नि. के द्वारा नहीं लिया गया। यहाँ तक कि कुछ नमुनों का गु.प.प्र. जो औ.नि. द्वारा एकत्र किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया। असैनिक

47 *अ.स.–सह–मु.चि.प. कैमुर (मई 2012), जि.स्वा.स. कैमुर (जून 2012), अस.–सह–मु.चि.प. नालन्दा (फरवरी 2012), जि.स्वा.स. समस्तीपुर (जून 2012), लेडी एल्गीन महिला अस्पताल (अप्रैल 2012), अ.स.–सह–मु.चि.प. शेखपुरा (जून 2012), अ.स.–सह–मु.चि.प., सिवान (जुलाई 2012), अस.–सह–मु.चि.प. पटना (मई 2012), जि.स्वा.स. वैशाली (अप्रैल 2012), जि.स्वा.स. गया (मार्च 2012), अ.स.–सह–मु.चि.प. गया (मार्च 2012)।*

48 *अ.स.–सह–मु.चि.प. कैमुर– ₹ 5.10 करोड़, जि.स्वा.स. कैमुर–₹ 0.45 करोड़, अ.स.–सह–मु.चि.प. नालंदा–₹ 0.84 करोड़, जि.रवा.स. समस्तीपुर– ₹ 1.47 करोड़, अ.रा.–सह मु.चि.प. समस्तीपुर–₹ 5.61 करोड़, लडी एल्गीन महिला अस्पताल गया– ₹ 0.48 करोड़, अस.–सह–मु.चि.प. शेखपुरा–₹ 0.68 करोड़, अस.–सह–मु.चि.प. सिवान– ₹ 0.85 करोड़, डी.एच.एस., गया– ₹ 0.87 करोड़, अ.स. –सह–मु.चि.प. पटना– ₹ 5.21 करोड़, जि.स्वा.स. वैशाली–₹ 1.58 करोड़, अ.स.–सह–मु.चि. पदा. गया– ₹ 1.93 करोड़*

शल्य सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अ.श.–सह–मु.चि.अ.), छपरा और सिवान से संबंधित दवाओं के अभिलेखों और औषधि निरीक्षक के रिपोर्ट की आगे की जाँच (मई 2012 और फरवरी 2012) से ज्ञात हुआ कि ₹ 5.89[49] लाख और ₹ 5.70[50] लाख की दवाईयाँ[51] अवमानक था। इसके बावजूद अ.श.–सह–मु.चि.अ. न तो आपूर्तिकर्ताओं से त्रु. प.प्र. प्राप्त किया और न हीं आपूर्ति को संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को वापस किया।

इससे यह दृष्टिगत होता है, कि सभी संबंधित असैनिक–शल्य–चिकित्सक अपने जवाब में एकमत थे कि या तो गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन आपूर्तिकर्ताओं या दवा परीक्षण प्रतिवेदन औ.नि. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। असैनिक शल्य चिकित्सक, नालंदा और शेखपुरा ने आगे बताया (फरवरी 2012 और जुलाई 2012) की इस अवधि के दौरान औ. नि. को तैनाती नहीं होने की वजह से दवाओं और औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण नहीं हो पाया। अ.श.–सह–मु.चि.अ. छपरा ने कहा कि (जुन 2012) संबंधित संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही कि जा रही थी जबकि अ.श.–सह–मु.चि.अ. सिवान ने कहा कि (फरवरी 2012) प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसके अनुसार लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा। जवाब मान्य नहीं थें क्योंकि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिना गु.प्र.प. के इस तरह की स्वीकृति अनियमित थी और जिन मरीजों को इसे दिया जा रहा था उनके जीवन को जोखिम में डालना था।

अतः एस.एच.एस. की दवा–दर–अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपान नहीं होने के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण–तंत्र की विफलता के कारण बिना गुणवत्ता परीक्षण के ₹ 25.07 करोड़ की दवाओं की खरीद और मरीजों के बीच उनका वितरण किया गया।

मामले को सरकार के पास भेजा गया था (अगस्त 2012), जिसका जवाब अभी तक अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

5.3.7 मशीनों एवं उपकरणों का अनुपयोग

₹ 4.41 करोड़ के मशीनों/उपकरणों का उपयोग मरीजों के हितों के लिए नहीं किये गये थे तथा आवश्यक रासायनों/अभिकर्मकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय थे।

सरकारी स्वीकृत्यादेशों (मार्च 2009) के अनुसार, मशीनों एवं उपकरणों के अनुपयोगित रहने पर संदर्भित इकाई के प्रधान/विभागाध्यक्ष को पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

तीन सरकारी चिकित्सकीय महाविद्यालयों एवं अस्पतालों[52] द्वारा क्रयित मशीनों एवं उपकरणों की उपयोगिता संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 4.41 करोड़ मूल्य के मशीनों/उपकरणों को रोगियों के सेवार्थ उपयोग में नहीं लाया गया था एवं आवश्यक रासायनों/अभिकर्मकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें निष्क्रिय रखा गया था। विवरण निम्नवत् हैं:

49 *अलका रॉल्ड बैंडेज, संख्या–1999 (₹ 1.77 लाख)*
अलका बैंडेज थान, संख्या–900 (₹ 2.42, लाख),
ए.एस.वी.एस., संख्या–1000 (₹ 1.70 लाख)

50 *टट्रासाइकलिन, संख्या–380000 (₹ 3.65 लाख),*
जेन्टामाइसीन, संख्या–2000 (₹ 0.71 लाख),
ए.एस.वी.एस., संख्या –1320 (₹ 1.34 लाख) है।

51 *₹ 25.07 करोड़ में इन दवाओं को शामिल नहीं किया गया*

52 अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना एवं श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

- पी.एम.सी.एच. के दो विभागों (नेफ्रोलॉजी एवं क्लिनिकल पैथोलॉजी) में ₹ 3.94 करोड़ मूल्य के नौ प्रकार की 16 मशीनें आवश्यक रासायनों/अभिकर्मकों की अनुपलब्धता के कारण उपयोग में नहीं लाई जा रही थी ***(परिशिष्ट 5.14)***।

जवाब में, अधीक्षक, पी.एम.सी.एच., पटना द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया (मई 2012) कि वर्ष 2010–11 में रसायन एवं अभिकर्मक के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) का निविदित राशि से अधिक होने के कारण क्रय नहीं किया गया एवं वर्ष 2011–12 में रसायन एवं अभिकर्मक के क्रय हेतु विलंबित आदेश दिए गए थे। आगे उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में सभी मशीनें एवं उपकरण कार्यशील अवस्था में थे। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि मशीनों का लॉग–बुक प्रदर्शित कर रहा था कि जून 2012 तक वे अव्यवहृत थे।

- इसी प्रकार, श्रीकृष्ण चिकित्सकीय महाविद्यालय अस्पताल (एस.के.एम.सी.एच.), मुजफ्फरपुर में ₹ 14.11 लाख की सूक्ष्मदर्शी मशीन एवं ₹ 5.62 लाख का इंडोस्कॉपी कैमरा अक्टूबर 2009 से वरीय/विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण अव्यवहृत था। जवाब में अधीक्षक ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

- अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सकीय महाविद्यालय (ए.एन.एम.सी.एच.), गया में ₹ 28.08 लाख का पूर्णतः स्वचालित ऑटो एनेलाईजर मशीन, किट्स/रसायनों एवं साफ करने वाले अभिकर्मकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण निष्क्रिय पड़े थे। जवाब में प्राचार्य (जनवरी 2012) ने बताया कि अधीक्षक द्वारा जुलाई, 2010 एवं सितम्बर 2012 में क्रय हेतु आपूर्तिकर्ता को आदेश दिया गया था लेकिन आपूर्तिकर्ता ने जनवरी 2013 तक आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि चिकित्सकीय महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में उपलब्ध ₹ 4.41 करोड़ की मशीनों एवं उपकरणों का प्रभावी उपयोग मरीजों को अभीष्ठ लाभ प्रदान किए जाने पर नहीं किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2012); उनके जवाब प्राप्त नहीं हुए।

आर्थिक प्रक्षेत्र

जल संसाधन विभाग

5.3.8 सरकार को परिहार्य हानि

कार्य शुरू करने के पूर्व भौतिक मॉडल परीक्षण, समुचित अध्ययन एवं सर्वेक्षण किये बगैर कार्य आरम्भ करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹ 2.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई थी।

मंत्री परिषद समन्वय विभाग (गोपनीय शाखा) के संकल्प संख्या 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 के अनुसार कार्य से संबंधित प्राक्कलन बनाने के पूर्व समुचित स्थल निरीक्षण एवं सर्वे का कार्य समुचित आवश्यक था।

जल पथ प्रमण्डल उदेरास्थान, जहानाबाद के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2011) में पाया गया कि फलगु सब बेसिन में उर्वर भूमि के उपलब्ध होने के बावजूद गंभीर जल संकट से निपटने हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा उदेरास्थान में फलगु नदी पर एक बराज एवं आनुषागिंक कार्य स्वीकृत (जनवरी 2007) किया गया था। इस बराज के निर्माण हेतु जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा एक एजेन्सी[53] से ₹ 66.09

[53] *मसर्स विजेता कंसट्रक्शन, राँची*

करोड़ के मूल्य का एकरारनामा किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि 30 माह यानि 30 सितम्बर 2009 तक थी।

पुनः जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य के प्रारम्भिक सर्वे हेतु नियुक्त परामर्शी[54] एजेन्सी के अनुशंसित प्रतिवेदन (अक्टूबर 2006) के आधार पर बराज निर्माण का कार्य पुराने वेयर के 500 मीटर उर्ध्वप्रवाह पर शुरू किया गया था। ये भी पाया गया कि इसका अनुशंसित प्रतिवेदन भौतिक आदर्श प रीक्षण[55] किए बिना समर्पित किया गया, जो संबंधित परियोजना के सफल संचालन हेतु निर्णय लेने में गैर अभियंत्रणकर्मियों के लिए मुख्य अवयव होता। बाद में ये भी पाया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा बराज के निर्माण स्थल के चुनाव पर संदेह व्यक्त करने के कारण संदेह निवारण हेतु विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति (अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में तीन मुख्य अभियंताओं को सम्मिलित करके) गठित (नवम्बर 2007), की गई थी।

उक्त समिति ने बराज निर्माण के मूल स्थल (500 मीटर उर्ध्वप्रवाह) का अनुमोदन इस सुझाव (दिसम्बर 2007) के साथ दिया कि कार्य शुरू करने के पूर्व भौतिक आदर्श परीक्षण कर लिया जाए। बाद में कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल, जहानाबाद के आग्रह (जून 2008) एवं अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग के पत्र (जनवरी 2009) के आधार पर केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र पुणे द्वारा ₹ 44.06 लाख की लागत से एक हाइड्रोलिक आदर्श अध्ययन किया गया जिसके द्वारा बराज निर्माण का कार्य उदेरास्थान से ''200 मीटर उर्ध्वप्रवाह'' पर करने की अनुशंसा की गई थी। इस बदले हुए स्थल का चयन का कारण यह था कि उस स्थल पर जल का प्रवाह समान एवं अनुमान्य सीमा तक था। फलतः केन्द्रीय जल एवं उर्जा अनुसंधान (के.ज. एवं उ.अनु.) केन्द्र की अनुशंसा के आधार पर संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग ने मुख्य अभियन्ता गया को निर्देश (दिसम्बर 2009) दिया कि रूपांकन संगठन से आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करके संबंधित एजेन्सी को कार्यादेश, निर्गत किया जाए।

पुनः यह पाया गया कि मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ने अपने पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रतिवेदन (जुलाई 2010) में कार्य के पुराने स्थल को छोड़ देने एवं उस कार्य पर किय गए व्यय का अपलेखन करने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार आवश्यक भौतिक आदर्श परीक्षण किये बगैर पुराने स्थल पर कार्य के निष्पादन पर ₹ 2.99 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस विषय को इंगित (नवम्बर 2011) करने पर कार्यपालक अभियंता ज.प.प्र. जहानाबाद, द्वारा बताया गया कि स्थल का परिवर्तन, विभाग द्वारा के.जे. एवं उ.अ. केन्द्र पुणे द्वारा किये गए भौतिक आदर्श परीक्षण की अनुशंसा के आधार पर किया गया था।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि बिना भौतिक आदर्श परीक्षण, समुचित अध्ययन एवं सर्वे किए ही कार्य को आरम्भ के अविवेक पूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹ 2.99[56] करोड़ की परिहार्य क्षति हुई।

54 *नैनो कन्सल्टेन्ट, राँची*

55 *भौतिक आदर्श परीक्षण – संरचना के सही संचालन को सुनिश्चित करने एवं उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु रूपांकन के स्तर पर प्रयोग होने वाला एक सामान्य शब्द। यह गैर अभियंत्रण निर्णय लेने वाले कर्मियों को एक ''उपयुक्त निरूपन'' के चयन के पहले प्रवाह क्षेत्र के मानचित्र की कल्पना करने में मदद देता है।*

56 *मिट्टी एवं पक्कीकरण कार्य– ₹ 2.63 करोड़*
निर्माण एवं अन्य विविध कार्य– ₹ 0.36 करोड़
योग– ₹ 2.99 करोड़

मामला सरकार को (जुलाई 2012) भेजा गया था, परन्तु जवाब अप्राप्त था (फरवरी 2013)।

5.4 निरीक्षण/संचालन में विफलता

जनसेवा एवं अंतः संरचना में सुधार तथा विकास, स्वास्थ एवं शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए जन समुदाय के जीवन को उन्नत करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हॉलांकि लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि समुदाय के लाभ के लिए सरकारी सम्पति के सृजन के लिए जो निधि सरकार द्वारा विमुक्त की गई वह निधि विभिन्न स्तरों पर अनिर्णय, प्रशासकीय निरीक्षण तथा एकताबद्ध कार्रवाई के अभाव में अव्यवहृत/अवरूद्ध रही तथा/या निष्फल/अनुत्पादक साबित हुई। कुछ मामले नीचे वर्णित किए गए है:

सामाजिक प्रक्षेत्र

स्वास्थ्य विभाग

5.4.1 राशि की अविवेकपूर्ण निकासी

ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बिना समुचित योजना एवं क्रियान्वयन की व्यवस्था के ₹ 921.32 करोड़ की अविवेकपूर्ण निकासी की गई जो लक्षीत उद्देश्य के विरूद्ध क्रियान्वयन एजेन्सियों के बैंक खाते में पड़ी थी।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं (संरचनात्मक एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाओं सहित) को भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरूप करने हेतु बिहार सरकार ने अपने संकल्प (6 दसम्बर 2006) के तहत 1544 अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र 7765 स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण का तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 बिस्तर वाले सामुदाईक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नये निर्माणों के अतिरिक्त पुराने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों को भी विभिन्न फेजों में निर्माण करने का निर्णय लिया लिया गया। नये निर्माणों के लिए राशि की उपलब्धता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से की जानी थी एवं पुराने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (आरआई.डी.एफ.) नाबार्ड प्रायोजित ग्रामीण संरचना विकाश कोष योजना से की जानी थी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त योजना के क्रियान्यन के लिए भवन निर्माण विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति को चिन्हित किया गया था। बाद की अवधि में दो राजकीय निगमों[57] यथा बिहार स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम (बि.स्वा.प.वि.नि.)/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.भ.नि.नि.) एवं बिहार स्वास्थ्य सेवायें एवं आधारभूत निगम का भी चयन कार्यकारी ऐजेन्सियों के रूप में विभागीय संकल्प के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो के क्रियान्यन हेतु किया गया था।

57 *बिहार सरकार ने बिहार स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम को सृजित किया (जनवरी 2008) जिसने मार्च 2008 से कार्य करना शुरू किया एवं जिसे मुख्यतः स्वास्थ्य परियोजना के अरौनिक निर्माण का कार्य सौंपा गया। बिहार के सभी विभागों के अरौनिक निर्माण के वृद्धित कार्यक्षेत्र के साथ इस निगम को मई 2010 में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम (बि.रा.भ.नि.नि.) में परिवर्तित कर दिया गया। इस दौरान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य अंतःसरचानात्मक इकाईयों के निर्माण तथा दवा, मशीनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु एक अन्य निगम बिहार राज्य चिकित्सकीय सेवाएँ एवं अंतः संरचना निगम का सृजन किया गया।*

स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वा. समिति बिहार, उपरोक्त निगमों तथा सिविल सर्जन कार्यालय, पटना में उपलब्ध संबंधित अभिलेखों की जाँच (मई से जून 2012) में निम्न लिखित तथ्य पाये गये थे।

विभाग द्वारा 2006–08 की अवधि में ₹ 509.96[58] करोड़ का अग्रिम सिविल सर्जन पटना को इस निर्देश के साथ दिया गया था कि उनका स्थानांतरण कार्य के क्रियान्व्यन हेतु भवन निर्माण विभाग/बिहार स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम (बि.स्वा.प.वि.नि.) को कर दिया जाए। बि.स्वा.प.वि.नि. को उक्त राशि अगस्त/सितम्बर 2008 में उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अलावा बि.स्वा.प.वि.नि. को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा भी 2008–09 में ₹ 31.00 लाख अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु दिया गया था। इस प्रकार निगम के पास कुल ₹ 510.27 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.15)*** की राशि संग्रहित निधि के रूप में थी। तथापि उसके द्वारा निधि रहते हुए भी कार्यो के क्रियान्व्यन हेतु पहल नहीं की गई थी। तत्पश्चात भवन निर्माण विभाग के निर्देशानुसार बि.स्वा.प.वि.नि. द्वारा ₹ 112.78[59] करोड़ फरवरी 2009 में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को हस्तांरित किया गया था। वृहत्तर उद्देश्यों को शामिल करते हुए उक्त निगम का पुनः मई 2010 में नामकरण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.भ.नि.नि.लि.) किया गया था। बि.रा.भ.नि.नि.लि. द्वारा बीच की अवधि में केवल ₹ 13.68 करोड़ व्यय किया गया एवं शेष ₹ 383.83 की निधि (उपर वर्णित राज्य स्वास्थ्य समिति को स्थानांतरित ₹ 112.78 करोड़ को घटाकर) निगम के बैंक खाते में अव्यवहृत रूप से पड़ा हुआ था। बाद में वित्त विभाग के निर्देशानुसार 31 मार्च 2012 को निगम के द्वारा ₹ 100 करोड़ राजकीय खाते में वापस किया गया जबकि शेष राशि बि.स्वा.प.वि.नि./बि. रा.भ.नि.नि.लि. के पास अव्यवहृत पड़ी रही।

निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा उपर्युक्त स्थिति का कारण, तत्कालिक सचिव, भवन निर्माण विभाग का मई 2009 में स्थांतरण एवं निगम के प्रबंध निदेशक सह मुख्य महाप्रबंधक की जून 2009 में सेवा निवृति को बताया, मुचस महाप्रबंधक (उत्तर) तथा महाप्रबंधक (दक्षिण) की नियुक्ति सितम्बर 2011 में की गयी थी तथा मध्यवर्ती अवधि (जुलाई 2009 से सितम्बर 2011) में ₹ एक लाख से ज्यादा राशि स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी कोई नहीं था।

पुनः विभाग द्वारा 2006–07 से 2009–10 की अवधि में राज्य स्वास्थ्य समिति को ₹ 348.70[60] करोड़ (बि.स्वा.प.वि.निगम द्वारा फरवरी 2009 में स्थानांतरित किये गये ₹ 112.78 करोड़ सहित) नये निर्माण तथा पुराने केन्द्रों के उत्क्रमण हेतु उपलब्ध कराया गया था। राज्य स्वास्थ्य समिति/भवन निर्माण विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मार्च 2012 तक केवल ₹ 25.91 करोड़ का व्यय किया गया था एवं शेष ₹ 322. 79 करोड़ रा.स्वा.स./भ.नि.नि. के बैंक खातों में अनुपयोगी रूप में पड़े हुए थे ***(परिशिष्ट 5.16)***। इस प्रकार राज्य स्वास्थ्य समिति के पास ₹ 322.79 करोड़ की बड़ी मात्रा में अनुपयोगी राशि पहले से हीं थी। इसके बावजूद, विभाग ने वर्ष 2011–12 में

58 *वर्ष 2007–08 के दौरान नाबार्ड प्रायोजित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान 65 सा.स्वा.के. हेतु ₹ 88.79 करोड़, 38 सा.स्वा.के. हेतु ₹ 51.91 करोड़, 98 सा.स्वा.के. हेतु ₹ 199.20 करोड़, 1985 नए स्वा.उप.के. हेतु ₹ 120.09 करोड़, 526 पुराने स्वा.उप.के. हेतु ₹ 49.97 करोड़ = कुल ₹ 509.96 करोड़ ।*

59 *इस तथ्य की वर्ष 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय–I, पृ.–6 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निष्पादन लेखा परीक्षा के अंतर्गत टिप्पणी की जा चुकी है तथा इस कंडिका में वर्ष 2011–12 तक उनके अनुपयोगित पड़े रहने के कारण शामिल किया गया है।*

60 *नाबार्ड प्रायोजित आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत वर्ष 2008–09 के दौरान 62 सा.स्वा. केन्द्रों हेतु ₹ 118.00 करोड़, फरवरी 2009 में बी.एस.बी.सी.सी.एल द्वारा हस्तांतरित ₹ 112.78 करोड़, वर्ष 2009–10 के दौरान 10 अति.प्रा.स्वा.के. हेतु ₹ 29.30 करोड़ एवं वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान 1014 पुराने स्वा.उप.के. हेतु ₹ 88.62 करोड़।*

स्वा.उप.के./अति.प्रा.स्वा.के. के निर्माण हेतु रा.स्वा.समिति को ₹ 100 करोड़ प्रदान किया (जनवरी 2012) जबकि व्यय की रफ्तार के मद्देनजर मार्च 2012 तक उनके उपयोगिता किए जाने की संभावना क्षीण थी। राज्य स्वास्थ्य समिति, द्वारा निधियों के उपयोग का विवरण एवं बैंकों में इतनी बड़ी मात्रा में राशि के अवरूद्ध रखने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया था।

इस बीच विभाग ने मई 2010 में एक अन्य कम्पनी (बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं अंतः संरचना निगम लिमिटेड) की स्थापना की एवं उसे समान प्रकृति के कार्यो हेतु वर्ष 2010–12 मे ₹ 175.12[61] करोड़ की राशि प्रदान की ***(परिशिष्ट 5.17)***। प्रदत्त सम्पूर्ण राशि बैंक खातों में मार्च 2012 तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

इस प्रकार, बिना समुचित योजना एवं क्रियान्व्यन व्यवस्था के ₹ 921.32 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.17)*** की अविवेकपूर्ण निकासी किए जाने के कारण अभीष्ट उद्देश्यों हेतु निर्दिष्ट निधियाँ ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएँ प्रदान किए जाने के बदले क्रियान्वयी अभिकरणों के बैंक खातों में घूमती रहीं जो इस तथ्य से भी जाहिर था कि वर्ष 2006–12 की अवधि में मात्र ₹ 39.59 करोड़ की अल्प राशि व्यय की गई थी जिसमें बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा व्ययित ₹ 13.68 करोड़ (जिनका व्यय 186 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण तथा सात निर्माणाधीन नये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर) एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा व्ययित ₹ 25.91 करोड़ की राशि पूर्ण निर्मित (375 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा 44 निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर) शामिल थी। उपर्युक्त परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता कमजोर थी तथा ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य आधारभूत संरचनाओं के पर्याप्त निर्माण में विफल रही थी।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे (जुलाई 2012); उनको उत्तर अप्राप्त था (फरवरी 2013)।

5.4.2 निष्क्रिय उपकरण

राज्य स्वास्थ्य समिति, जिलों में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों (वि. नव.शि.दे.इ.) को द्वारा योजना, समन्वय एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण चिह्नित अधिष्ठापित नहीं किया जा सका था एवं उनके हेतु क्रय किये गए ₹ 90.57 लाख के उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने से लक्षित आबादी वि.नव.शि. दे.ई. सुविधा से वंचित रही।

परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृत एवं विशेष नवजात शिशु ईकाई हेतु उपकरण क्रय ***(परिशिष्ट 5.18)*** की निविदा प्रक्रिया की पूर्णता के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पाँच निजी अभिकर्त्ताओं से एकरारनामा (सितम्बर 2009) किया गया था। उपकरणों का क्रय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) की राशि से किया जाना था।

एकरारनामा के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति (जि.स्वा.समि.) द्वारा सम्बन्धित अभिकर्त्ताओं को आवश्यक उपकरणों के आपूर्ति हेतु आदेश दिया जाना था एवं अभिकर्त्ताओं द्वारा उक्त उपकरणों को निर्धारित अस्पतालों में आपूर्ति कर दी जानी थी। तत्पश्चात संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को अपूर्तिकर्त्ता को किये जाने वाले भुगतान का 70 प्रतिशत विमुक्त करना था एवं शेष 30 प्रतिशत राशि उपकरणों के सफल

[61] *नाबार्ड प्रायोजित आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत् वर्ष 2010–12 के दौरान 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु ₹ 131.34 करोड़, वर्ष 2011–12 के दौरान 100 अति.प्रा.स्वा.केन्द्रों हेतु ₹ 23.85 करोड़ एवं 128 पुराने स्वा.उप.केन्द्रों हेतु ₹ 19.93 करोड़।*

अधिष्ठापन एवं अस्पताल प्रभारी द्वारा इस संबंध में दिये गए प्रमाण पत्र के आधार पर विमुक्त की जानी थी। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता को अग्रिम दिए जाने का प्रावधान नहीं था। विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई का अधिष्ठापन इस उद्देश्य हेतु रा.स्वा.स. द्वारा निर्मित अलग भवन में किया जाना था।

पुनः मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2010 को नवजात शिशु वर्ष घोषित किये जाने के पश्चात रा. स्व.स. ने समग्र नवजात गतिविधियाँ तेज कर दी एवं सभी जिलाधिकारियों–सह–अध्यक्ष, सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को, वर्ष 2010 के अन्त तक कम से कम 23 जिलों में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों को परिचालित करने का निर्देश दिया। वि.नव. शि.दे.ई. की प्रति इकाई लागत ₹ 23.77 लाख थी।

सात[62] जिला स्वास्थ्य समितियों के संबंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा (मार्च से जुलाई 2012) में पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ताओं को उक्त ईकाई के स्थापना हेतु ₹ 1.09 करोड़ का ***(परिशिष्ट 5 .19)*** आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2009 से अगस्त 2011) निर्दिष्ट अस्पतालों में बिना आवश्यक भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त कार्रवाई किए बिना हीं दे दिया था। उपर्युक्त आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध आपूर्तिकर्त्ताओं ने उपकरणों की आपूर्ति (दिसम्बर 2009 से अगस्त 2011) की एवं समान अवधि में ₹ 90.57 लाख ***(परिशिष्ट 5.19)*** का उन्हें भुगतान कर दिया गया था। पुनः यह पाया गया कि उक्त जिलों में आपूर्ति किये गए उपकरण एक से दो वर्षो की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्य भी पाये गयेः

- यद्यपि दो जिलों[63] में वि.नव.शि.दे.ई. भवनों का निर्माण (मई 2012) पूर्ण किया जा चुका था परन्तु उपकरणों की या तो स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही थी, अथवा उन्हें क्रियाशील नहीं किया गया था।
- चार जिलों[64] में वि.नव.शि.दे.ई. भवन निर्माणाधीन थे एवं क्रय किये गये उपकरण जिला स्वास्थ्य समितियों के भण्डार में निष्क्रिय पड़े हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि समस्तीपुर एवं गया जिलों में क्रमशः 84 एवं 100 प्रतिशत भुगतान एकरारनामा की शर्तों के घोर उल्लंघन में किया जा चुका था।
- किशनगंज में वि.नव.शि.दे.ई. आंशिक रूप से अधिष्ठापित की जा चुकी थी एवं आपूर्तिकर्त्ता को 87 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका था।

उपर्युक्त तथ्यों को लेखापरीक्षा द्वारा उठाये जाने पर सभी जिला स्वास्थ्य समितियों के सदस्य सचिव सह सिविल सर्जन द्वारा यह बताया गया (मार्च से जुलाई 2012) कि उपकरणों का क्रय राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार किया गया था, भवन निर्माण कार्य प्रगति पर थे एवं उनके पूर्ण होने के पश्चात उपकरणों की अधिष्ठापना कर दी जायेगी।

62 *समस्तीपुर, नालन्दा, भभुआ, छपड़ा, गया, किशनगंज एवं शेखपुरा।*

63 *भभुआ एवं नालन्दा।*

64 *छपड़ा, गया, समस्तीपुर एवं शेखपुरा।*

उपर्युक्त जवाब स्वयं में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति थी कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समुचित समन्वय, अनुश्रवण एवं कार्य योजना का अभाव था। इस प्रकार जिलो में वि. नव.शि.दे.ई. की स्थापना का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका था। इसके अलावा ₹ 90.57 लाख के क्रय किए गए उपकरण अपने निर्धारित उद्देश्यों के तहत लोगों को वि.नव.शि.दे.ई. सुविधा प्रदान करने के बजाय निष्क्रिय एवं अनुपयोगित पड़े हुए थे।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में ये आवश्यक होगा कि राज्य स्वास्थ्य समिति भवन निर्माण का लंबित कार्य पूर्ण करे एवं उक्त इकाई हेतु क्रय किए गए उपकरणों का अधिष्ठापन सुनिश्चित करे जिससे कि चिह्नित जिलों में लक्षित आबादी को वि.नव.शि.दे.ई. सुविधाएँ प्रदान किया जा सके।

राज्य सरकार को मामला संदर्भित (जुलाई 2010) किया गया था; उनका जवाब अप्राप्त था (फरवरी 2013)।

(पी.के. सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

पटना
दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक :

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ : कंडिका – 1.7.1; पृष्ठ – 10)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के वर्षवार विघटन दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ
1.	ग्रामीण विकास	173	1354	168	1516	106	860	177	1521	214	1515	146	895	17	121	1001	7782
2.	कल्याण	32	152	33	170	35	112	85	295	32	155	37	157	31	127	285	1168
3.	वित्त	15	16	5	17	10	39	14	44	2	6	8	17	0	0	54	139
4.	शहरी विकास	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	4	0	0	2	11
5.	श्रम नियोजन	0	0	0	0	10	22	0	0	3	10	3	6	1	2	17	40
6.	योजना एवं सांख्यिकी	0	0	1	5	0	0	12	33	0	0	1	4	0	0	14	42
7.	सूचना एवं प्रसार	2	8	3	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23
8.	पंचायती राज	0	0	1	6	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	13	41
9.	स्वास्थ्य	83	233	44	125	68	273	60	237	120	353	168	663	15	78	558	1962
10.	गृह	48	278	48	159	73	134	62	101	43	144	51	175	2	11	327	1002
11.	शिक्षा	61	404	83	488	107	853	70	402	66	600	51	323	12	86	450	3156
12.	कृषि	10	17	22	59	22	103	28	113	44	193	50	157	18	107	194	749
13.	उद्योग	3	10	11	49	10	45	2	13	0	0	5	23	2	14	33	154
14.	विधि	8	24	11	22	5	21	11	31	4	9	3	10	0	0	42	117
15.	पशुपालन	13	30	31	73	9	25	14	38	28	84	18	60	2	5	115	315
16.	सहकारिता	5	12	16	45	13	31	9	27	4	14	1	3	0	0	48	132
17.	मत्स्य पालन	0	0	0	0	7	21	4	4	5	20	6	16	1	4	23	65
18.	पर्यटन	0	0	0	0	1	4	1	6	0	0	1	6	0	0	3	16
19.	डी.आर.डी.ए., राज्य स्वायत्त निकाय	17	179	9	92	15	164	22	189	22	166	20	194	9	90	114	1074
20.	पथ निर्माण	23	90	40	242	21	119	56	310	44	263	28	176	8	67	220	1267

क्रम सं.	विभाग का नाम	2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ	नि प्र	कंडिकाएँ
21.	भवन निर्माण	28	163	37	257	31	169	48	363	43	258	33	219	9	49	229	1478
22.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	10	68	35	180	19	63	53	312	45	239	32	210	7	61	201	1133
23.	जल संसाधन	36	192	58	478	48	280	104	535	97	545	45	223	19	130	407	2383
24.	ग्रामीण कार्य	27	125	39	197	37	260	40	297	67	378	43	293	17	154	270	1704
25.	राष्ट्रीय उच्च पथ	15	50	14	58	21	101	20	136	19	105	17	111	1	8	107	569
26.	वन	19	30	16	102	11	65	22	159	17	70	12	74	7	49	104	549
27.	लघु सिंचाई एवं नलकूप	13	100	25	128	23	100	23	140	39	233	29	193	14	101	166	995
28.	केबिनेट सचिवालय	2	16	1	2	4	14	1	4	2	9	3	14	1	10	14	69
29.	निर्वाचन	8	59	17	165	6	39	8	35	12	58	8	26	0	0	59	382
30.	संसदीय कार्य	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30
31.	सामान्य प्रशासन	40	241	32	221	28	200	33	200	32	179	20	96	2	14	187	1151
32.	निगरानी	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
33.	आपदा प्रबंधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	7
34.	कला, युवा और संस्कृति	1	2	2	9	1	3	0	0	0	0	3	6	1	2	8	22
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4	17	4	18	11	40	1	6	1	3	1	1	0	0	22	85
36.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	2	11
	कुल	**696**	**3870**	**810**	**4938**	**766**	**4204**	**980**	**5551**	**1005**	**5609**	**847**	**4368**	**196**	**1290**	**5300**	**29830**

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ : कंडिका – 1.7.2; पृष्ठ – 11)

कृत–कार्रवाई टिप्पणियों के असमर्पण संबंधी विभागवार ब्यौरे

क्रम सं.	विभाग का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
		समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका	समीक्षा	कंडिका
1.	स्वास्थ्य	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	मानव संसाधन	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
3.	ग्रामीण विकास	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.	कृषि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5.	उद्याग	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	जल संसाधन	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5
7.	लघु सिचाई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8.	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
9.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
10.	राजस्व एवं भू सुधार	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	कल्याण	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
12.	वन	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
13.	शहरी विकास	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14.	विधान मंडल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15.	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
16.	पंचायती राज	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1	**5**	**0**	**0**	**2**	**6**	**1**	**2**	**0**	**6**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**16**	**5**	**39**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ : कंडिका – 1.7.3; पृष्ठ – 11)

लोक लेखा समिति को अनुशंसा पर की गयी कृत–कार्रवाई टिप्पणियों की वस्तुस्थिति

क्रम सं.	विभाग के नाम	पी·ए·सी· प्रतिवेदन सं·	ऐसी कंडिकाओं की संख्या जिनका ए टी एन विभाग के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
1.	ग्रामीण विकास विभाग	326*, 357, 446	32
2.	ग्रामीण कार्य विभाग	414, 473	14
3.	पथ निर्माण विभाग	347, 369, 370, 430, 471, 481	43
4.	श्रम एवं नियोजन विभाग	388, 475	02
5.	विज्ञान एवं प्राद्योगिकी	396	03
6.	शहरी विकास विभाग	406, 447	08
7.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	348, 426, 453	12
8.	वित्त विभाग	386, 461	05
9.	स्वास्थ्य विभाग	335, 399, 464, 477, 479	58
10.	पंचायती राज विभाग	451	02
11.	ऊर्जा विभाग	349	02
12.	पर्यावरण विभाग	384	01
13.	गृह विभाग	334, 397, 419, 480	15
14.	कृषि विभाग	346, 421, 422, 469	16
15.	सहकारिता विभाग	351, 428, 465	07
16.	मानव संसाधन विकास विभाग	358, 359, 379, 389, 390, 394 395, 411, 417, 420, 455, 456, 457, 470	73
17.	पशुपालन विभाग	415, 445, 484	19
18.	सहाय्य एवं पुनर्वास	398, 400	09
19.	जल संसाधन विभाग	323, 367, 368, 374, 377, 378, 474	17
20.	लघु सिंचाई विभाग	352, 416, 450	16
21.	कल्याण विभाग	387	06
22.	योजना एवं विकास विभाग	466	02
23.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	454, 463, 467, 472	06
24.	कार्मिक विभाग	459	01
25.	मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	460	01
26.	खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	391, 448	04
27.	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	392	06
28.	उद्योग विभाग	438, 488	12
29.	भवन निर्माण विभाग	429, 485	12
30.	नागरिक उड्डयन विभाग	425	04
कुल			**408**

* *326– 08.11.2000 (08.11.2000 को बिहार विधान पटल पर रखे गये)*

परिशिष्ट–2.1.1
(संदर्भः कंडिका 2.1.6.1; पृष्ठ 19)

बाढ़ शमन के रूप में बाढ़ प्रक्षेत्र के लिए नदी का अंतःजुड़ाव दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	योजना का नाम	चैनल या लिंक की कुल लंबाई	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	उद्देश्य	लाभान्वित जिले	योजना का प्रकार	पूर्ण करने की नियत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोहरा–चन्द्रावती लिंक 80 क्यूसेक जल स्थानान्तरित (बूढ़ी गंडक–गंडक) पक्की नहर – 17 कि.मी., लालबेगी नदी – 9 कि.मी.	26 कि. मी.	168.86	बाढ़ शमन करना	पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण	नदियों का अंतः जुड़ाव	दिसम्बर 2012 तक डीपीआर को तैयार किया जाना निर्धारित था।
2	बेलवाधार होते हुए बागमती–बूढ़ी गंडक (500 क्यूमेक जल स्थानान्तरित करने के लिए) पक्की नहर – 1 कि. मी. बेलवाधार – 59 कि.मी.	60 कि. मी.	125.96	बाढ़ शमन करना	शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर	नदियों का अंतः जुड़ाव	दिसम्बर 2013 तक डीपीआर को तैयार किया जाना निर्धारित था।
3	बूढ़ी गंडक–नून बाया गगा लिंक (300 क्यूमेक जल स्थानान्तरित करने के लिए) पक्की नहर – (23+3) 26 कि.मी. नून नदी – 23 कि.मी. वाया नदी – 22 कि.मी.	71 कि. मी.	407.33	बाढ़ शमन करना	समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया	नदियों का अंतः जुड़ाव	भारत सरकार द्वारा परिणामी ढाँचा कागजात (आरएफडी) के तहत सम्मिलित 1 फरवरी 2012 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करना था तथा डीपीआर का निर्माण दिसम्बर 2012 तक किया जाना था।
4	कोसी गंगा लिंक (बागमती) पक्की नहर –1 कि.मी. मुसराधार – 3.5 कि.मी. कसरैया नदी – 4.5 कि.मी.	10 कि. मी.	88.93	बाढ़ शमन करना	खगड़िया और भागलपुर	नदियों का अंतः जुड़ाव	दिसम्बर 2012 तक डीपीआर को तैयार किया जाना निर्धारित था।

परिशिष्ट–2.1.2
(संदर्भः कंडिका 2.1.7.1; पृष्ठ 23)

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर आवंटित निधि को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं.	वर्ष	पत्र सं.	आवंटन की तिथि	विपत्र कोड	प्रमंडल का नाम	प्रमंडल का स्थान	आवंटन की राशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम
1	2007-08	1067	31-03-2008	102	बा.नि.प्र.	रोसड़ा	50.00	वर्ष 2008 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
2	2007-08	1067	31-03-2008	102	चंपारण प्रमंडल	मोतीहारी	274.00	भू–अधिग्रहण का भुगतान
	योग						**324.00**	
3	2008-09	1067	30-03-2009	113	बा.नि.प्र.	दरभंगा	125.00	जमींदारी बाँध का पुर्नरूद्धार
4	2008-09	1067	30-03-2009	113	जलपथ प्रमंडल	एकंगरसराय	903.52	जमींदारी बाँध का पुर्नरूद्धार
5	2008-09	1067	30-03-2009	113	जलपथ प्रमंडल	बिहारशरीफ	375.20	जमींदारी बाँध का पुर्नरूद्धार
6	2008-09	1067	30-03-2009	113	जलपथ प्रमंडल	जहानाबाद	50.00	जमींदारी बाँध का पुर्नरूद्धार
7	2008-09	1067	30-03-2009	113	सारण प्रमंडल	छपरा	44.25	जमींदारी बाँध का पुर्नरूद्धार
8	2008-09	1083	30-03-2009	111	सारण प्रमंडल	छपरा	80.00	मगरपाल छड़की और सारण तटबंध के 20.151 से 35.20 कि.मी. का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (₹ 40 लाख) एवं माही नदी के दायें तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (₹ 40 लाख)
9	2008-09	1084	30-03-2009	108	बा.नि.प्र.	नौगछिया	397.00	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
10	2008-09	1084	30-03-2009	108	चम्पारण प्रमंडल	मोतिहारी	35.00	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
11	2008-09	1084	30-03-2009	108	जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल	सहरसा	2.05	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
12	2008-09	1084	30-03-2009	108	बा.नि.प्र.–2	आरा	24.86	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
13	2008-09	1084	30-03-2009	108	सारण प्रमंडल	छपरा	39.00	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
14	2008-09	1084	30-03-2009	108	बा.नि.प्र.	उकराहा, गोपालगंज	50.00	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
15	2008-09	1085	30-03-2009	102	सिंचाई प्रमंडल–2	जमुई	8.64	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
16	2008-09	1085	30-03-2009	102	सिंचाई प्रमंडल	भागलपुर	20.46	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य

क्रम सं.	वर्ष	पत्र सं.	आवंटन की तिथि	विपत्र कोड	प्रमंडल का नाम	प्रमंडल का स्थान	आवंटन की राशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम
17	2008-09	1085	30-03-2009	102	बागमती प्रमंडल	रून्नीसैदपुर	20.62	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
18	2008-09	1085	30-03-2009	102	बा.नि.प्र.	कटिहार	28.77	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
19	2008-09	1085	30-03-2009	102	बा.नि.प्र.	मोकामा, बख्तियारपुर	46.71	वर्ष 2009 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
	योग						**2251.08**	
20	2009-10	1099	31-03-2010	111	गंगा सोन बा.नि. प्र.	दीघा	128.93	पटना मुख्य नहर पर भुसौला से पाटलीपुत्र स्टेशन के बीच सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
21	2009-10	1100	31-03-2010	105	पुनपुन बा.नि.प्र.	अनिसाबाद	399.98	बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क योजना
	कुल						**528.91**	
22	2010-11	777	31-03-2011	108	बा.नि.प्र.	खगड़िया	1138.00	महानंदा तटबंध के बायें एवं दायें तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
23	2010-11	777	31-03-2011	108	बा.नि.प्र.–2	खगड़िया	2.49	गंगा पर कटाव निरोधक कार्य
24	2010-11	777	31-03-2011	108	जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल	मुजफ्फरपुर	250.00	नून नदी तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
25	2010-11	778	31-03-2011	108	बा.नि.प्र.–2	खगड़िया	102.72	खगड़िया शहर बचाव कार्य (पार्ट तीन)
26	2010-11	783	31-03-2011	102	पूर्वी तटबंध प्रमंडल	वीरपुर	44.74	वर्ष 2010 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
27	2010-11	783	31-03-2011	102	पश्चिमी तटबंध प्रमंडल	निर्मली	78.31	वर्ष 2010 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
28	2010-11	783	31-03-2011	102	सिंचाई प्रमंडल	बौंसी	9.53	वर्ष 2010 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
29	2010-11	783	31-03-2011	102	बा.नि.प्र.	बेगूसराय	3.14	वर्ष 2010 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
	योग						**1628.93**	
30	2011-12	823	31-03-2012	101	बा.नि.प्र.–2	झंझारपुर	13.92	वर्ष 2011 के बाढ़ पूर्व कटाव निरोध कार्य
	योग						**13.92**	
	महा योग						**4746.84**	

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भः कंडिका 2.1.8.1; पृष्ठ 26)

निविदा प्रदान करने में शर्त्तों के उल्लंघन को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम / एकरारनामा सं.	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	संवेदक का नाम जिन्हें कार्य सौंपा गया	संवेदक द्वारा एसबीडी / एनआईटी में विर्निदिष्ट शर्त्तों का नहीं पूरा किया जाना	अभ्युक्ति
1	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर 2एसबीडी/ 2009-10	8.14	श्रीराम इंटरप्राइज`ेज, भागलपुर	पायलट चैनल के निर्माण का अनुभव एवं बीड सक्षमता	अधिकतम मूल्य के कार्य जो का. अ. स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, के बदले में सभी मामलों में सी. ए. द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम वार्षिक टर्न ओभर आवर्त को दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त 'एन' का मान सदैव एक वर्ष ही माना गया था। जबकि यह एक वर्ष से कम भी था। संवेदक का बीड सक्षमता आँकने का तरीका संवेदकों द्वारा उपस्थापित विवरणी एवं अनुलग्नक ही थे। विभाग ने किसी संवेदक के चालू कार्यों को जाँचने के लिए एमआईएस पद्धति विकसित नहीं किया था। इसप्रकार, विभागीय निविदा समिति द्वारा किसी खास संवेदक के बीड सक्षमता को समुचित रूप से नहीं आँका गया था और संवेदकों को अपने बीड सक्षमता को बढ़ा कर दर्शाने का पर्याप्त सुविधा दे दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप संवेदक अपने वर्तमान दायित्वों के
2	बा. नि. प्र. 1, झंझारपुर 20 एसबीडी 21 एसबीडी 2011-12	2.54+ 2.27= 4.81	हरि कंस्ट्रक्शन एवं एसोसिएटस प्राईवेट लिमिटेड, बेगूसराय	एक कार्य के लिए 17 अदद मूल संयंत्र	
3	बा.नि.प्र., नौगछिया 29 एसबीडी 2011-12	2.11	श्रीराम इंटरप्राइजेज, भागलपुर	30 अदद मूल संयंत्र एवं पाँच अदद बुनियादी व्यक्ति	
4	चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी 1एसबीडी / 2011-12	2.40	श्री ब्रजेश कुमार, पश्चिमी चंपारण	बीड सक्षमता	
5	बा.नि.प्र. ठकराहा, गोपालगंज 65एसबीडी / 2009-10	2.48	सोना इंजिकोन प्रा . लि.	बीड सक्षमता	
6	बा.नि.प्र., नौगछिया 3,4 & 5 एसबीडी /2009-10	2.52 + 6.06 + 3.99 = 12.57	श्रीराम इंटरप्राइजेज, भागलपुर	बीड सक्षमता और 29 राजस्थानी ट्रैक्टर	
7	चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी 2 एसबीडी / 2011-12	7.87	डी.टी.एम. कंस्ट्रक्शन (इंडिया लि .), कलकत्ता	बीड सक्षमता	
8	बा.नि.प्र. ठकराहा, गोपालगंज 199एसबीडी / 2010-11	8.23	बीएन इंटरप्राइजेज, गोपालगंज	बीड सक्षमता	
9	बा.नि.प्र., कटिहार 1 एसबीडी / 2009-10	2.59	अरिहंत कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., बीरपुर	राजस्थानी ट्रैक्टर (मशीन एवं संयंत्र) एवं किसी एक वर्ष में न्यूनतम संपादित कार्य (जीटीएफ–1440 $मी^2$, बीए वायर 10. 45 एमटी, एनसी–5620 अदद)	
10	चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी 130एफ2/2008-09	2.17	राजा शाह कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., बेतिया	निबंधन, कटाव निरोधी कार्य का अनुभव तथा बीड सक्षमता	

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा सं.	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	संवेदक का नाम जिन्हें कार्य सौंपा गया	संवेदक द्वारा एसबीडी/ एनआईटी में विर्निदिष्ट शर्त्तों का नहीं पूरा किया जाना	अभ्युक्ति
11	बा.नि.प्र., नौगछिया 3 एसबीडी /2008-09	67.03	एचएससीएल, पटना	किसी एक वर्ष में न्युनतम संपादित कार्य (मिट्टी कार्य : 3.50 लाख घन मीटर) बीड सक्षमता तथा मशीन एवं उपकरण के रूप में राजस्थानी ट्रैक्टर (160 अदद)	संबंध में गलत विवरणी तैयार करने हेतु स्वच्छंद थे।
12	बा.नि.प्र.2, आरा 2एसबीडी /2011-12	1.83	कामेश्वर प्रसाद सिंह	बीड सक्षमता	
13	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा 1एसबीडी /2011-12	2.74	मेसर्स प्रभाकर एवं कंपनी, मुंगेर	बीड सक्षमता	
	कुल	**124.97**			

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ : कंडिका 2.1.8.2; पृष्ठ 29)

बाढ़ कैलेण्डर का अनुपालन नहीं किए जाने को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष 2008–12 के दौरान बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार योजनाओं के प्रारंभ एवं समाप्त होने की तिथि

विषय	तिथि			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रारंभ की तिथि	21.01.2009	16.01.2010	16.01.2011	01.01.2012
समाप्ति की तिथि	कोशी– 15 अप्रील अन्य नदी– 30 अप्रील गंगा – 31 मई	31.05.2010	31.05.2011	15.05.2012

(स्रोत : विभाग का बाढ़ कैलेण्डर)

बाढ़ कैलेण्डर में निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति में विलंब

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं./ वर्ष	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	समाप्ति की नियत तिथि	क्रियान्वयन के लिए आवंटित अवधि	बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार प्रारंभ में विलंब	अभ्युक्ति
1.	बा.नि.प्र.–2, आरा	1एसबीडी/ 2010-11	2.29	24.1.11	31.5.11	4 महिना 7 दिन	8 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (15.6.11)
2.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	89एफ2/ 2010-11	0.05	4.2.11	31.5.11	3 महिना 25 दिन	19 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (16.6.11)
3.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	3एसबीडी / 2010-11	4.09	05.02.11	31.5.11	3 महिना 23 दिन	20 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (25.6.11)
4.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	2 एसबीडी / 2010-11	4.32	5.2.11	31.5.11	3 महिना 23 दिन	20 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (25.6.11)
5.	बा.नि.प्र.–2, आरा	1एसबीडी / 2011-12	2.46	27.1.12	15.5.12	3 महिना 20 दिन	26 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (20.5.12)
6.	बा.नि.प्र.–2, आरा	2एसबीडी / 2011-12	2.01	27.1.12	15.5.12	3 महिना 20 दिन	26 दिन	पूर्ण
7.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	3एसबीडी / 2011-12	2.55	30.1.12	15.5.12	2 महिना 16 दिन	29 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (16.6.12)
8.	बा.नि.प्र.–2, आरा	3एसबीडी / 2011-12	4.39	30.1.12	15.5.12	3 महिना 16 दिन	29 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (14.6.12)
9.	पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, टेकारी	1एफ2/ 2008-09	0.44	19.02.09	30.04.09	2 महिना 10 दिन	1 महिना	विलंबित क्रियान्वयन (29.6.2009)
10.	बा.नि.प्र.–2, आरा	2एसबीडी / 2010-11	3.76	17.2.11	31.5.11	3 महिना 12 दिन	1 महिना	पूर्ण
11.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल,	3एसबीडी / 2011-12	8.40	3.2.12	15.5.12	3 महिना	1 महिना	अपूर्ण कार्य (28 % क्रियान्वित)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं./ वर्ष	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	समाप्ति की नियत तिथि	क्रियान्वयन के लिए आवंटित अवधि	बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार प्रारंभ में विलंब	अभ्युक्ति
	वीरपुर							
12.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	2एसबीडी / 2011-12	2.17	3.2.12	15.5.12	2 महिना 11 दिन	1 महिना	अपूर्ण कार्य
13.	बा.नि.प्र., कटिहार	3एसबीडी / 2010-11	3.46	21.02.11	31.03.11	3 महिना 10 दिन	1 महिना 5 दिन	अपूर्ण कार्य
14.	बा.नि.प्र., नौगछिया	3एसबीडी / 2008-09	5.00	2.3.09	31.5.10	3 महिना	1 महिना 9 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन
15.	बा.नि.प्र., नौगछिया	2एसबीडी / 2008-09	37.87	2.3.09	31.5.09	3 महिना	1 महिना 9 दिन	अपूर्ण कार्य
16.	बा.नि.प्र.–2, आरा	5एफ2/ 2008-09	2.01	4.3.09	31.05.09	2 महिना 28 दिन	1 महिना 14 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (7.7.09)
17.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	4एसबीडी / 2011-12	11.44	15.2.12	15.5.12	3 महिना	1 महिना 15 दिन	31.5.12 तक अपूर्ण
18.	बा.नि.प्र., ठकराहा, गोपालगंज	21एसबीडी / 2011-12	3.34	15.2.12	15.5.12	3 महिना	1 महिना 15 दिन	जून 2012 तक अपूर्ण
19.	बा.नि.प्र., नौगछिया	4एसबीडी / 2009-10	6.07	4.3.10	31.5.10	2 महिना 28 दिन	1 महिना 17 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (31.5.11)
20.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	04/25एफ2/ 2009-10	1.14	3.3.10	31.5.10	2 महिना 29 दिन	1 महिना 18 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (31.3.11)
21.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	2एसबीडी / 2009-10	8.14	2.3.10	31.5.10	3 महिना	1 महिना 18 दिन	पूर्ण
22.	बा.नि.प्र.–2, आरा	6एफ2/ 2008-09	1.02	9.3.09	31.5.09	2 महिना 23 दिन	1 महिना 19 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (25.6.09)
23.	चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी	130एफ2/ 2008-09	2.17	12.3.09	31.5.09	2 महिना 19 दिन	1 महिना 19 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (18.6.09)
24.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	12एफ2/ 2008-09	0.82	13.3.09	15.4.09	1 महिना 4 दिन	1 महिना 20 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (30.6.09)
25.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	42एफ2/ 2009-10	0.26	9.3.10	31.5.10	2 महिना 23 दिन	1 महिना 21 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (10.6.10)
26.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	43एफ2 2009-10	0.37	9.3.10	31.5.10	2 महिना 23 दिन	1 महिना 21 दिन	पूर्ण
27.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	14 एफ2/ 2008-09	2.07	16.3.09	14.4.09	1 महिना	1 महिना 23 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (27.5.09)
28.	बा.नि.प्र.–1, झंझारपुर	48एराबीडी / 2010-11	9.43	25.2.11	31.3.12	1 महिना 6 दिन	1 महिना 24 दिन	अपूर्ण कार्य
29.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल,	16एफ 2/ 2008-09	2.69	17.3.09	15.4.09	1 महिना	1 महिना 24 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (30.6.09

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं./ वर्ष	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	समाप्ति की नियत तिथि	क्रियान्वयन के लिए आवंटित अवधि	बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार प्रारंभ में विलंब	अभ्युक्ति
	वीरपुर							
30.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	04/34एफ 2/ 2009-10	0.71	9.3.10	31.5.10	2 महिना 23 दिन	1 महिना 24 दिन	पूर्ण
31.	बा.नि.प्र.–2, आरा	1एसबीडी / 2009-10	2.99	11.3.10	31.5.10	2 महिना 21 दिन	1 महिना 26 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (29.6.10)
32.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	2एसबीडी / 2008-09	24.79	18.3.09	31.5.09	2 महिना 14 दिन	1 महिना 26 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन
33.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	3एसबीडी / 2008-09	14.43	18.3.09	31.5.09	2 महिना 14 दिन	1 महिना 26 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन
34.	बा.नि.प्र.–2, आरा	9एफ 2/ 2009-10	2.16	12.3.10	31.5.10	2 महिना 20 दिन	1 महिना 27 दिन	बिलंबित क्रियान्वयन (15.6.10)
35.	बा.नि.प्र.–2, आरा	10एफ 2 2009-10	1.18	12.3.10	31.5.10	2 महिना 20 दिन	1 महिना 27 दिन	पूर्ण
36.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	17एफ 2/ 2008-09	0.72	19.3.09	15.4.09	28 दिन	2 महिना	बिलंबित क्रियान्वयन (31.05.09)
37.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	4एसबीडी / 2008-09	13.99	21.3.09	15.4.09	1 महिना 26 दिन	2 महिना	बिलंबित क्रियान्वयन
38.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	1एसबीडी / 2010-11	5.32	15.3.11	31.5.11	2 महिना 15 दिन	2 महिना	बिलंबित क्रियान्वयन (26.7.11)
39.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	6एसबीडी / 2010-11	2.32	17.3.11	31.5.11	2 महिना 15 दिन	2 महिना	बिलंबित क्रियान्वयन (23.8.11)
40.	बा.नि.प्र.–2, खगड़िया	5एसबीडी / 2011-12	4.29	02.03.12	15.5.12	2 महिना 15 दिन	2 महिना	बिलंबित क्रियान्वयन (26.5.12)
41.	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर	5एसबीडी / 2011-12	4.57	2.3.12	15.5.12	2 महिना 13 दिन	2 महिना	अपूर्ण कार्य (28 % क्रियान्वित)
42.	बा.नि.प्र., ठकराहा, गोपालगंज	199एसबीडी / 2010-11	7.00	23.3.11	31.5.11	2 महिना 9 दिन	2 महिना सात दिन	अपूर्ण कार्य
43.	बा.नि.प्र., नौगछिया	29एसबीडी / 2011-12	2.11	15.3.12	15.5.12	2 महिना	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
44.	बा.नि.प्र., नौगछिया	18एसबीडी / 2011-12	5.97	15.3.12	15.5.12	2 महिना	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
45.	बा.नि.प्र., नौगछिया	30एसबीडी / 2011-12	13.59	15.3.12	15.5.12	2 महिना	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
46.	बा.नि.प्र., नौगछिया	31एसबीडी / 2011-12	10.56	15.3.12	15.5.12	2 महिना	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
47.	बा.नि.प्र.–1, झंझारपुर	19एसबीडी / 2011-12	2.58	15.3.12	31.3.12	16 दिन	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
48.	बा.नि.प्र.–1, झंझारपुर	20एसबीडी / 2011-12	2.54	15.3.12	31.3.12	16 दिन	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं./ वर्ष	एकरारित राशि (₹ करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	समाप्ति की नियत तिथि	क्रियान्वयन के लिए आवंटित अवधि	बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार प्रारंभ में विलंब	अभ्युक्ति
49.	बा.नि.प्र.–1, झंझारपुर	21 एसबीडी / 2011-12	2.27	15.3.12	31.3.12	16 दिन	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
50.	बा.नि.प्र.–1, झंझारपुर	22एसबीडी / 2011-12	2.18	15.3.12	31.3.12	16 दिन	2 महिना 15 दिन	अपूर्ण कार्य
51.	बा. नि. प्र., कटिहार	4एसबीडी / 2011-12	7.72	28.3.12	15.5.12	1 महिना 18 दिन	2 महिना 28 दिन	अपूर्ण कार्य
52.	बा.नि.प्र.–2, आरा	2एफ2/ 2009-10	0.87	15.4.09	31.5.09	1 महिना 16 दिन	2 महिना 29 दिन	विलंबित क्रियान्वयन (30.6.09)
53.	चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी	1एसबीडी / 2011-12	2.04	13.4.11	31.5.11	1 महिना 19 दिन	3 महिना	विलंबित क्रियान्वयन (10.7.11)
54.	बा.नि.प्र., ठकराहा, गोपालगंज	1एसबीडी / 2011-12	25.17	14.04.11	31.5.11	1 महिना 15 दिन	3 महिना	विलंबित क्रियान्वयन (11.7.12 को पूर्ण)
55.	चंपारण प्रमंडल, मोतिहारी	2एसबीडी / 2011-12	7.88	18.4.11	31.05.11	1 महिना 14 दिन	3 महिना	विलंबित क्रियान्वयन (30.6.11)
56.	बा. नि. प्र., नौगछिया	1एसबीडी / 2011-12	13.34	25.4.11	31.5.11	1 महिना	3 महिना 9 दिन	अपूर्ण कार्य
57.	बा. नि. प्र., ठकराहा, गोपालगंज	4एसबीडी / 2011-12	6.89	15.05.11	31.5.11	15 दिन	साढ़े 4 महिना	20.7.11 तक अपूर्ण कार्य
58.	बा. नि. प्र., ठकराहा, गोपालगंज	3एसबीडी / 2011-12	8.39	15.05.11	31.5.11	15 दिन	साढ़े 4 महिना	अपूर्ण कार्य
59.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	1एफ2/ 2011-12	1.67	18.5.11	5.6.11	18 दिन	4 महिना	विलंबित क्रियान्वयन (30.7.11)
60.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	3एफ 2/ 2011-12	0.55	13.6.11	5.7.11	23 दिन	4 महिना 27 दिन	अपूर्ण कार्य
61.	शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर	2एफ 2/ 2011-12	0.54	14.6.11	30.6.11	15 दिन	4 महिना 28 दिन	अपूर्ण कार्य

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ : कंडिका 2.1.9.1; पृष्ठ 36)

अपूर्ण/बंद/स्थगित जमींदारी बाँधों पर अलाभकारी व्यय को दर्शाती विवरणी

जलपथ प्रमंडल, बिहारशरीफ

क्रम सं.	जमींदारी बाँधों का नाम एवं एकरारनामा सं.	कार्यारंभ की तिथि	मिट्टी कार्य की मात्रा (घनमीटर में)		आउटलेट की संख्या (संख्या में)		किए गए वास्तविक व्यय (₹ लाख में)
			किया जाना था	वस्तुतः किया गया (प्रतिशत)	निर्मित किया जाना	वस्तुतः निर्मित (प्रतिशत)	
1	भथियार 25एफ2/2007-08	13.3.08	129050	74970 (58)	3	3 (100)	33.79
2	कुम्भरी 5एफ 2/2008-09	17.6.08	1350790	1252740 (92)	40	30 (75)	586.08
3	जीरायन 4एफ 2/2008-09	17.6.08	1497450	1497450 (100)	40	29 (72)	712.63
4	बेनार मोर 23एफ 2/2008-09	13.1.09	653580	613223 (94)	11	0 (0)	291.04
5	मरसुआ 24एफ 2/2008-09	30.6.09	113488	61281 (54)	2	0 (0)	26.90
6	चंदौरा–सलेमपुर 4एफ 2/2010-11	20.4.10	197715	150000 (76)	6	3 (50)	128.85
7	दौसुत 12एफ 2/2010-11	13.7.10	153500	147831 (96)	5	0 (0)	138.49
8	मीर नगर 11एफ 2/2010-11	12.6.10	160746	73036 (45)	5	0 (0)	64.02
	योग						**1981.80**
	जल पथ प्रमंडल, जहानाबाद						
9	9एफ 2/08-09	14.2.09	56889	42700 (75)			25.05
10	14एफ 2/08-09	14.2.09	45444	24636 (54)			14.45
	योग						**39.50**
	कुल योग						**2021.30**

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भः कंडिका 2.1.9.2; पृष्ठ 37)

जमींदारी बाँधों का क्रियान्वयन दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जमींदारी बाँध का नाम	एकरारनाम सं./ वर्ष	एकरारित राशि	किया गया व्यय	तटबंध की उपरी चौड़ाई	संपीडन	टर्फिंग
जलपथ प्रमंडल, बिहारशरीफ							
1	कुम्भरी नदी के दोनों किनारे	5एफ2/ 2008-09	762.63	584.94	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
2	कुल्टी से गोबिन्दपुर	4एफ 2/ 2008-09	853.03	748.90	3.66	नहीं किया गया	किया गया
3	बेनार चिल्का से बड़ी मलावा	23एफ 2/ 2008-09	311.25	290.99	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
4	भथियार जमींदारी बाँध	25एफ 2/2007-08	65.16	33.49	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
5	मरसुआ गाँव	24एफ 2/ 2008-09	52.80	31.28	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
6	पैठाने गाँव	6एफ 2/ 2010-11	134.22	107.82	3.66	किया गया	नहीं किया गया
7	मीरनगर–कबीरचक	11एफ 2/ 2010-11	145.37	62.19	3.66	किया गया	नहीं किया गया
8	मोबारकपुर–नचवार	15एफ 2/ 2010-11	126.49	126.18	3.66	किया गया	नहीं किया गया
9	डैली गाँव	10एसबीडी/ 2010-11	193.07	179.74	3.66	किया गया	नहीं किया गया
10	दौसुत	12एफ 2/ 2010-11	139.42	131.42	3.66	किया गया	नहीं किया गया
11	चंदौरा सलेमपुर	4एफ 2/ 2010-11	177.46	130.52	3.66	किया गया	नहीं किया गया
12	डीहरा (चेरोन)	9एफ 2/ 2010-11	82.97	79.60	3.60	किया गया	नहीं किया गया
13	कीचनी पनलवा	14एफ 2/ 2010-11	109.20	93.30	3.66	किया गया	नहीं किया गया
14	रायपुर–कटौना से कुल्टे जीयर	2एफ 2/ 2009-10	531.20	411.74	3.66	किया गया	नहीं किया गया
15	एनएच 31 से जनसारी	1एफ 2/ 2009-10	827.29	661.30	3.66	किया गया	नहीं किया गया
	योग			**3673.41**			
बाढ़ नियत्रण प्रमंडल सं. 1, झंझारपुर							
16	उरैन बनकट्टा रो बटौना	67/ 2007-08	135.88	114.81	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
17	करहरा से बीरदीपुर	65/2007-08	123.71	109.23	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
18	जगवान से हीरोपट्टी	59/2007-08	57.07	56.29	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
19	पाली से नजरा	56/2007-08	64.82	68.30	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया

क्रम सं.	जमींदारी बाँध का नाम	एकरारनाम सं./ वर्ष	एकरारित राशि	किया गया व्यय	तटबंध की उपरी चौड़ाई	संपीडन	टर्फिंग
20	बसैठा से अग्रोपट्टी	61/2007-08	113.02	102.41	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
21	रघौली से संदलहपुर और सिंधिया	58/2007-08	105.15	103.63	3.66	नहीं किया गया	किया गया (65 प्रतिशत)
22	हीरोपट्टी से रघौली	57/2007-08	84.86	75.30	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
23	मेघवान से जगवान	68/2007-08	73.86	72.62	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
24	बीजलपुर से सिंघिया	49/2009-10	47.85	44.39	3.66	किया गया	नहीं किया गया
25	सिंघिया	77/2009-10	172.27	146.93	3.66	किया गया	नहीं किया गया
26	भटौरा से बीजलपुर	4/2010-11	90.05	81.52	3.66	किया गया	नहीं किया गया
27	पाली	47/2010-11	456.65	352.72	3.66	नहीं किया गया	किया गया (25प्रतिशत)
	योग			**1328.15**			
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नौगछिया							
28	गंगा प्रसाद जमींदारी बाँध	1एफ 2/2008-09	338.23	295.98	3.66	नहीं किया गया	किया गया (8 प्रतिशत)
	योग			**295.98**			
जलपथ प्रमंडल, जहानाबाद							
29	सुल्तानपुर गाँव चैनल 47 से चैनल 112	10एफ 2/2007-08	22.18	14.74	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
30	यमुना नदी पर फतेहपुर गाँव	31एफ 2/2007-08	13.44	10.67	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
31	मोरहर नदी पर मोर बाँध	22एफ 2/2007-08	31.52	38.44	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
32	घाना बीधा से पीतमपुरा	8एफ 2/2007-08	36.17	33.90	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
33	बंधुगंज से समरकंड मोर	16एफ 2/2007-08	12.80	11.93	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
34	ओकारी से चेनहरिया	28एफ 2/2007-08	6.04	3.67	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
35	रातु बीगहा से हरिदासपुर	14एफ 2/2007-08	20.94	20.92	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
36	सुरदासपुर से मोदनगंज	13एफ 2/2007-08	4.69	2.93	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
37	परवान से रातु बिगहा	10एफ 2/2008-09	10.45	10.81	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
38	अंजनी ग्राम के पास	21एफ 2/2008-09	32.83	27.31	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
39	कुंडला गाँव के पास	1एफ 2/2009-10	16.24	16.11	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
40	गोपालपुर से उचिता	9एफ 2/2008-09	31.71	25.05	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
41	चकडोहरा	2एफ	13.42	13.18	3.66	नहीं किया	नहीं किया

क्रम सं.	जमींदारी बाँध का नाम	एकरारनाम सं./ वर्ष	एकरारित राशि	किया गया व्यय	तटबंध की उपरी चौड़ाई	संपीडन	टर्फिंग
		2/2008-09				गया	गया
42	जलवार नदी पर जमींदारी बाँध	2एसबीडी / 2008-09	937.68	981.31	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
43	मुस्तफापुर से सुनचरी और बेले चोरनीया	22एसबीडी / 2008-09	849.20	785.47	3.66	नहीं किया गया	नहीं किया गया
	योग			**1996.44**			
	कुल योग			**7293.98**			

परिशिष्ट–2.2.1

(संदर्भः कंडिका 2.2.7; पृष्ठ 48)

वृहद् जिला पथ का आवंटन एवं व्यय विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन			व्यय			प्रत्यार्पण			व्ययगत		
	5054	**3054**	**कुल**	**5054**	**3054**	**कुल**	**5054**	**3054**	**कुल**	**5054**	**3054**	**कुल**
2007-08	23402.76	5543.21	28945.97	21931.20	4694.84	26626.04	1471.55	848.05	2319.60	0.01	0.32	**0.33**
2008-09	31278.04	4269.98	35548.02	25354.25	2858.71	28212.96	5923.42	1411.27	7334.69	0.37	0.00	**0.37**
2009-10	29588.66	6704.52	36293.18	29158.31	6046.83	35205.14	430.35	657.68	1088.03	0.00	0.01	**0.01**
2010-11	19319.48	6456.70	25776.18	17808.33	6203.15	24011.48	1511.15	241.47	1752.62	0.00	12.08	**12.08**
2011-12	12350.82	7971.82	20322.64	12108.65	6682.94	18791.59	242.15	1288.34	1530.49	0.02	0.54	**0.56**
कुल योग	**115939.76**	**30946.23**	**146885.99**	**106360.74**	**26486.47**	**132847.21**	**9578.62**	**4446.81**	**14025.43**	**0.40**	**12.95**	**13.35**

परिशिष्ट–2.2.2

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1; पृष्ठ 50)

यातायात गणना नहीं की गई को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डलों के नाम	नमूना जाँचित पथ कार्यों की संख्या	पथ कार्यों की संख्या जिसमें यातायात गणना नहीं की गई
1	बाँका	14	3
2	बेतिया	17	11
3	भागलपुर	13	2
4	छपरा	12	6
5	दरभंगा	20	7
6	पटना पश्चिमी	14	1
7	पूर्णियाँ	20	9
		110 मामला	**39**

परिशिष्ट–2.2.3

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1; पृष्ठ 50)

यातायात गणना मात्र 3 दिन किए जाने को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डलों के नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या
1	दरभंगा	कमतौल भरवारा के कि0मी0 0 से 12.5 में सुधार	52 एसबीडी/06–07
2		जतमलपुर हायाघाट हथैड़ी पथ के कि0मी0 1 से 8 में सुधार	49 एफ 2/06–07
3		झंझारपुर बहेड़ा पथ में कि0मी0 0 से 22 में सुधार	2 एफ 2/06–07
4		हिरणी सिंधिया पथ कि0मी0 11.0 से 13.2 में सुधार	53 एफ 2/06–07
5		बिशुनपुर अतरबेल पथ कि0मी0 0 से 14.495 में सुधार	51 एसबीडी/06–07
6		जले अतरबेल पथ कि0मी0 0से 26.2 में सुधार	1 एफ 2/06–07
7		सकरी बहेड़ा पथ कि0मी0 0 से 15.75 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	29 एसबीडी/07–08
8	नवादा	वारसलीगंज कतरपुर पथ में कि0मी0 0 से 11.60 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	22 एफ 2/06–07
9		पकड़ीवरावाँ वारसलीगंज पथ में कि0मी0 0 से 12.50 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	5 एफ 2/07–08
10		अतरी जेलियन तपोवन बाणगंगा पथ में कि0मी0 22.70 से 33.30 का मजबूतीकरण	21 एफ 2/06–07
11		अतरी जेलियन तपोवन बाणगंगा पथ में कि0मी0 22.70 से 33.30 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	12 एसबीडी/10–11
12		कौआकोल शेरवोदेउरा पथ में कि0मी0 0 से 2.80 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	1 एफ 2/09–10
13		हिसुआ खनवा पथ में कि0मी0 0 से 3 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	20 एफ 2/06–07
14		हिसुआ खनवा पथ में कि0मी0 4 से 11.20 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	1 एफ 2/06–07
15		वरसलीगंज खरार पथ में कि0मी0 0 से 11.10 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	8 एफ 2/07–08
16		वरसलीगंज बरबीघा पथ में कि0मी0 4 से 8 और 11 से 24 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	1 एफ 2/07–08
17		एन0एच0 31 नवादा बाजार भाग में कि0मी0 0 से 6.20 का मजबूतीकरण कार्य	7 एसबीडी/10–11
18		एन0एच0 31 रजौली बाजार भाग में कि0मी0 0 से 4.20 का मजबूतीकरण कार्य	11 एसबीडी/10–11
19	पटना पश्चिमी	दानापुर ऊसरी शिवाला पथ कि0मी0 1 से 6.35 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	5 एफ 2/06–07
कुल	**तीन प्रमण्डलें**	**19** मामलें	

परिशिष्ट–2.2.4

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1; पृष्ठ 50)

कैलफोर्निया वियरिंग रेसियो नहीं किए जाने को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	नमूना जाँचित पथ कार्यों की संख्या	पथ कार्यों की संख्या जिसमें सी0बी0आर0 नहीं किया गया
1	बाँका	14	2
2	बेतिया	17	10
3	भागलपुर	13	*2*
4	छपरा	12	6
5	दरभंगा	20	5
6	पटना पश्चिमी	11	1
7	पूर्णियाँ	14	1
8	बाँका	20	9
9	सिवान	16	1
		137 मामला	**37**

परिशिष्ट–2.2.5

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.2; पृष्ठ 52)

बहिष्कृत संवेदकों को कार्य आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	संवेदक का नाम	एकरारनामा सं0 / तिथि	एकरारित मूल्य	अभियुक्ति
1	जमुई	मे0 जे0के0एम0 इन्फ्रा0 प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0	8 एसबीडी/10-11 24.08.2010	14.07	विभाग / प्रमंडल के पत्रांक 765 दि0 04.06.2009 के द्वारा 04.06.2009 से 31.12.2010 तक की अवधि में वंचित एवं पत्रांक 1895 दि0 31.12.10 तथा प0नि0वि0 के पत्रांक 2267 दि0 12.05.11 के द्वारा मुक्त
2			10 एसबीडी/10-11 03.09.2010	16.75	
3			7 एसबीडी/10-11 11.08.2010	30.59	
4	भागलपुर	–वही–	1 एसबीडी/09-10 08.07.2009	13.99	–वही–
5	बाँका	मे0 गणेश राम दोकानियाँ	30 एसबीडी/10-11 23.02.2011	5.48	बि0रा0पु0नि0नि0 के पत्रांक 2514 दि0 26.08.09 के द्वारा वंचित एवं पत्रांक 693 दि0 28.02.12 के द्वारा मुक्त
6			16 एसबीडी/11-12 03.02.2012	4.31	
7			29 एसबीडी/10-11 23.02.11	2.85	
8			1 एसबीडी/11-12 06.06.2011	8.79	
9			8 एसबीडी/10-11 09.09.2010 3(पी)/2011-12 17.10.2011	14.45	
10	दरभंगा		31 एसबीडी /2011-12	10.55	
			कुल	**121.83**	

परिशिष्ट–2.2.6

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.2; पृष्ठ 53)

एकल निविदा के मामले जिसमें एक स्तर उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गए को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य
पटना पश्चिमी	खगौल स्थित बी0एम0पी0 16 के मुख्य द्वार से खगौल लख पुल पथ का सुधार	37 एफ 2/08-09	0.41
पूर्णियाँ	एकौना मोहम्मदिया बसुदहा दुबौली पथ का सावधिक नवीकरण	27 एफ 2/07-08	0.53
	एन0एच0 31 के शहरी भाग पथ के कि0मी0 406वीं में आई0आर0क्यू0पी0	29 एफ 2/08-09`	0.47
		कुल	**1.41**

परिशिष्ट–2.2.7

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ 58)

प्रपत्र एम0 एवं एन0 एवं परिवहन चालान प्राप्त नहीं किए जाने का दर्शाते विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य	मदों में भुगतान राशि जिसमें लघु खनिज प्रयुक्त हुए	ढुलाई पर भुगतान राशि
1	बेतिया	रामनगर मेघवल पथ में कि0मी0 0 से 4.00 का मजबूतीकरण	2 एफ2/07-08	93.39	36.80	11.46
2		रामनगर मेघवल पथ में कि0मी0 5वीं से 12.5 आई0आर0क्यू0पी0 कार्य का मजबूतीकरण	11 एफ2/ 07-08	236.61	280.87	131.64
3		छोटकी पट्टी कपरधी का पथ के 2वीं कि0मी0 आई0आर0क्यू0पी0	6 एफ2/ 10-11	21.73	21.58	7.31
4		लौरिया रामनगर पथ में कि0मी0 0 से 19.60 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	1 एसबीडी/ 06-07	1021.12 तथा 685.94 (पूरक एकरारनामा)	624.29	306.26
5		टिकूलिया जयंतिया गिधा पथ के कि0मी0 1ली में आई0आर0क्यू0पी0	4 एफ2/ 10-11	7.05	5.94	5.62
6	छपरा	छपरा छपराघाट के कि0मी0 1,2 एवं 3 (पी) में आई0आर0क्यू0पी0	15एफ2/07-08	97.10	19.89	11.91
7		अशोक नगर सगडउी के कि0मी0 1 एवं 2 (पी) में आई0आर0क्यू0पी0	19एफ2/07-08	28.81	10.34	3.77
8		पुचरी हरकपुर पथ के कि0मी0 1, 2 एवं 3 (पी) में आई0आर0क्यू0पी0	25एफ2/07-08	92.09	84.47	38.31
9		बनवार चौक से पहलेजा घाट पथ के कि0मी0 1 से 3 पी0आर0	4एफ2/08-09	39.29	36.28	6.73
10		छपरा सोनपुर पथ के कि0मी0 51 से 55 (पी) में आई0आर0क्यू0पी0	8एफ2/08-09	180.73	178.35	50.23
11		छपरा छपराघाट में कि0मी0 1, 2 एवं 3 (पी) का शेष कार्य	9 एफ2/08-09	94.16	79.43	27.97
12	लखीसराय	सूर्य गढ़ा खैरा से मेहसौनी पथ (कि0मी0 8–12.50) भाग–II	2 एसबीडी 2009-10	254.81	148.49	48.68
13	नई राजधानी	डा0 श्री कृष्ण सिंह पथ (टेलर पथ) पटेल गोलम्बर से बेली रोड में ड्रेन फूटपाथ पेभिंग ब्लॉक का निर्माण	2 एसबीडी 2009-10	219.33	4.08	2.00
14		सर्कूलर रोड (बेली रोड से टेलर रोड भाया बी0पी0 मंडल मूर्ति) का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण फूटपाथ एवं ड्रेन सहित	3 एसबीडी 2009-10	597.94	59.11	29.20
15	पटना पश्चिम	दानापुर ऊसरी शिवाला पथ में कि0मी0 1 से 6.35 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	5 एफ2/06-07	182.67	159.33	55.68

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य	मदों में भुगतान राशि जिसमें लघु खनिज प्रयुक्त हुए	ढुलाई पर भुगतान राशि
16		मसोढ़ी पितमास पथ कि0मी0 10.50 से 20.50 का सुधार	12एफ2/06-07	449.81	253.23	90.46
17		खगौल स्थित बी0एम0पी0 16 के मुख्य द्वार से खगौल लॅक पुल पथ (कि0मी0 0.395) का सुधार	37एफ2/ 08-09	41.02	18.54	7.83
18	पूर्णियाँ	पूर्णिया श्रीनगर पथ में 6 से 13 का आई0आर0क्यू0पी0	2 एसबीडी /09-10	310.96	150.75	32.51
19		रौटा मालोपाड़ा पथ में कि0मी0 1 से 11 का आई0आर0क्यू0पी0	5 एसबीडी /09-10	797.73	334.12	130.23
20		डाकबंगला सार्किट हाउस पथ का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	9 एफ2/08-09	187.26	131.30	28.33
21		जोकिघाट दलमालपुर गेरूआ पथ कि0मी0 6,7,8,9,10 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	52एसबीडी /07-08	730.82	226.35	91.49
22		ई0एम0बी0डी0 पथ में कि0मी0 9 से 18 का आई0आर0क्यू0पी0	54एफ2/07-08	148.81	13.98	8.57
23		कृत्यानंद नगर चंपानगर पथ में कि0मी0 4 से 11 का आई0आर0क्यू0पी0	55एफ2/07-08	120.32	113.31	34.05
24		वैसी अभौर पथ में कि0मी0 3,4,5,6,7 (पी), 13(पी) और 14(पी) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	14एफ2/06-07	179.42	85.20	45.23
25		चाँदपुर पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से बेलगाछी वैसी बॉर्डर एन एच 31 भाया रौनिया कन्हरिया पथ बेलगाछी छोर से कि0मी0 1 से 10.20 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	33एफ2/06-07	493.99	227.06	133.18
26		वैसी अभौर पथ में कि0मी0 1,2,7(पी)8,9,10,11,12(पी),14(पी)का (संयुक्त उद्यम)	38एफ2/06-07	319.58	143.11	73.86
27		एन0एच0 31 बाजार भाग कि0मी0 404(पी), 405, 407 से 411(पी) और 14(पी) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	बी0आर0/नई /एम0डी0आर /15/06–07	3877.63	169.33	45.31
28		पी0के0एस0ए0ए0 पथ के कि0मी0 11, 12 एवं 13(पी) में आई0आर0क्यू0पी0	40एफ2/08-09	54.40	45.48	7.86
29		पूर्णिया कदवा सोनाली आजमनगर अबदयपुर पथ में कि0मी0 9,10,14 से 18 (पी) का आई0आर0क्यू0पी0	28 एसबीडी /08-09	230.95	182.64	26.51
30		एन0एच0 31 (बाजार भाग) पथ के कि0मी0 406 (पी) में आई0आर0क्यू0पी0	29एफ2/08-09	46.79	39.24	8.94

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य	मदों में भुगतान राशि जिसमें लघु खनिज प्रयुक्त हुए	ढुलाई पर भुगतान राशि
31		कृत्यानंद नगर चंपानगर पथ के कि0मी0 1,2,3,12,13 (650 मी0) 14–19 में एस0आर0	47एफ2/06-07	161.32	147.41	52.77
32		पूर्णिया श्रीनगर पथ में 2(पी), 3,4,5 एवं 18(पी) में एस0आर0	18एफ2/06-07	67.12	23.16	7.08
33		जोकिहाट दालमालपुर गेरूआ कि0मी0 1 से 5 में चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	3 एसबीडी/ 09-10	325.35	211.72	65.61
कुल	**6 प्रमण्डले**	**33 मामला**			**4265.18**	**1626.59**

परिशिष्ट–2.2.8

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ 59)

निर्धारित मापदंडो के अनुरूप कार्य नहीं करने को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य (₹ लाख में)	बी.एम. की तिथि	सेमी डेन्स बिटुमिनस कोर्स की तिथि	विलम्ब दिनों में
1.	औरंगाबाद	सिन्हा कॉलेज मोड़ से रफीगंज औरगाबाद का आर./एस.	8 एसबीडी /10-11	462.21	7.3.11	30.3.11	23
2.		पीरू बनतारा पथ औरंगाबाद का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	6 एफ2/06-07	668.69	24.6.08	4.7.08	10
					26.6.08	4.7.08	8
					27.6.08	4.7.08	7
3.	बेतिया	बौसी देवीपुर रंगललही पथ में आई.आर.क्यू.पी. कार्य	1 एसबीडी /09-10	471.31	30.03.10	29.06.10	89
4.		बेतिया रेवाघाट मैनाटाड़ पथ में कि0मी0 5th, 7th, 8th, 9th (P), 10th, 12th to, 15th, 16th (P), 17th (P), 22 nd (P),23rd (p),25th, 26th (P), 27th (P), 30th, 38th (p), 39th (P).	1 एसबीडी / 08-09	970.84	15.05.09	08.07.09	52
5.		बेतिया रेवाघाट मैनाटाड़ पथ में कि0मी0 3, 4,6, 9(P),19(p),20, 21,26(p), 27(p), 28, 29, 31 (P), 32 (P), 36 (P), 37(p)	2 एसबीडी /08-09	855.70	30.12.09	05.06.10	124
6.		लौरिया रामनगर पथ में कि0मी0 0 से 19.60 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	1 एसबीडी / 06-07	1021.12 एवं 685.94 (पू. एकयर.)	17.02.08	05.03.08	15
7.	भागलपुर	शाहकुण्ड असरगंज पथ में कि0मी0 0 से 6.5	10 (पी) एसबीडी /10-11	638.03	09.06.12	28.06.12	17
8.	दरभंगा	सकडी बेहड़ा पथ में कि0मी0 0 से 15.75 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	29 एसबीडी /07-08	1363.87	09.05.09 15.06.09 22.03.10 28.03.10 10.04.10	शून्य	एस.डी.बी.सी. नहीं किया गया और कार्य 01.12.10 को विखंडित
9.	नवादा	वरसलीगंज कतरपुर पथ में कि0मी0 0 से 11.60 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	22 एफ2/06-07	447.09	18.03.09 28.03.09 20.04.09 12.05.09	20.04.09 15.05.09 28.05.09 08.06.09	33 48 38 27
10.		पकड़ीवरावाँ वारसलीगंज पथ में कि0मी0 0 से 12.50 का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण	5 एफ2/07-08	450.33	08.12.09 28.12.09 19.03.10	24.04.10 15.05.10 26.05.10	137 138 68

11.		अतरी जेठियन तपोवन वाणगंगा पथ में कि0मी0 22.70 से 33.30 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	12 एसबीडी /10-11	393.00	26.09.11 27.09.11 28.09.11 30.09.11	25.10.11 07.12.11 07.12.11 09.12.11	30 71 70 70
12.		वरसलीगंज खरार पथ में कि0मी0 0 से 11.10 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	8 एफ2/07-08	473.58	16.01.10 24.02.10 06.03.10 17.03.10 06.06.10	26.03.10 24.04.10 12.05.10 06.06.10 20.03.11	69 59 67 81 287
13.		वरसलीगंज बरबीघा पथ में कि0मी0 4 से 8 एवं 11 से 24 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	1एफ2/ 07-08	645.43	08.06.09 19.06.09 25.06.09 16.01.10	27.06.09 16.01.10 24.02.10 18.06.10	19 211 244 153
14.		एन.एच. 31 नवादा बाजार भाग में कि0मी0 0 से 6.20 का मजबूतीकरण कार्य	7 एसबीडी / 10-11	286.93	13.03.11 27.03.11	14.04.11 13.05.1	32 47
15.		एन.एच. 31 रजौली बाजार भाग में कि0मी0 0 से 4.20 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	11 एसबीडी / 10-11	252.76	19.05.11 10.08.11	29.05.11 16.08.11	10 6
16.		के.सी. पथ में कि0मी0 4 से 11 का आई.आर.क्यू.पी.	55 एफ2/07-08	120.32	08.11.08	28.12.08	48
17.		पूर्णिया श्रीनगर पथ में कि0मी0 6 से 13 का आई. आर.क्यू.पी.	2 एसबीडी /09-10	310.96	18.08.09	29.09.09	40
18.		रकता मालोपाड़ा पथ में कि0मी0 1 से 11 का आई. आर.क्यू.पी.	5 एसबीडी /09-10	797.73	29.04.10	26.05.10	25
19.		बेलगाछी पी.डब्ल्यू.डी. पथ मच्छरहट्टा बाजार भाया नितेन्द्रपुर से पक्की सड़क (सेक्शन काली मंदिर से गरिया भाया रमणी मोड़) का आई.आर.क्यू.पी.	15 एसबीडी /09-10	783.85	19.03.11	05.05.11	45
20.	पूर्णियाँ	डाक बंगला सर्किट हाउस पथ का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	9 एफ2/08-09	187.26	30.06.09	02.11.09	123
21.		पी.के.एस.ए.ए.पथ में कि0मी0 11, 12 एवं 13 (पी) का आई.आर.क्यू.पी.	40 एफ2/08-09	54.40	11.06.09	19.07.09	36
22.		पूर्णिया कदवा सोनाली आजमनगर अबदपुर पथ में कि0मी0 9, 10, 14 से 18 (पी) का आई.आर.क्यू.पी.	28 एसबीडी /08-09	230.95	01.08.09	30.11.09	119
23.		पूर्णिया श्रीनगर पथ 2(पी), 3, 4, 5 एवं 18 (पी) का एस.आर	18 एफ2/06-07	67.12	28.01.07	25.03.07	54
24.		जोकिहाट दलमालपुर गेरूआ में कि0मी0 1 से 5 चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	3 एसबीडी / 09-10	325.35	05.01.10	12.03.10	64
कुल	**6 प्रमण्डले**	**24 मामला**		**12964.77**			

परिशिष्ट–2.2.9

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ 60)

प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	पथ का नाम	ए.ए. (₹ लाख़ में)	एकरारित मूल्य (₹ लाख़ में)	अद्यतन भुगतान (₹ लाख़ में)	ए.ए. से भुगतान वृद्धि का प्रतिशत
1.	बाँका	रान हौला–धोरैया पथ (कि0मी0 0 से 11.80)	940.28	1,076.14	1,220.90	30
2.	भागलपुर	भागलपुर वैकल्पिक बाईपास के 7पी एवं 8पी (रेलवे अंडर पास) एवं भागलपुर वैकल्पिक बाईपास	434.84	594.06	548.71	26
3.	बिहारशरीफ	इस्लामपुर केवली राजगीर गिरियक पार्वतीपुर पथ (कि0मी0 48पी, 49, 50पी)	67.36	66.59	81.3	21
4.	बिहारशरीफ	मखदमू कुण्ड पथ	25.36	28.3	30.82	22
5.	डिहरी–ऑन–सोन	जी.टी. रोड से गगौली पथ (कि0मी0 4पी.–8पी.)	74.81	79.59	92.5	24
6.	कटिहार	कोढ़ा सेमापुर पथ (कि0मी0 1 से 4)	96.95	102.99	120.14	24
7.	कटिहार	बेलौरी बाजार शिवगंज सोनैली बाजार पथ में (कि0मी0 19पी. से 33पी.)	458.25	566.23	601.15	31
8.	कटिहार	लिंक रोड से पूर्णिया कटिहार पथ एव के.पी. आर.ए. पथ (कि0मी0 1 एवं 2)	52.94	78.22	76.6	45
9.	खगड़िया	खगड़िया सोन मनखी घाट लिंक रोड (कि0मी0 0 से 3पी.)	93.07	100.26	113.92	22
10.	खगड़िया	खगड़िया अलौली पथ (कि0मी0 1पी.– 4, 16, 17, 18)	115.11	144.38	143.55	25
11.	लखीसराय	किउल स्टेशन पहूँच पथ (कि0मी0 0 से 2)	108.58	123	130.74	20
12.	मुंगेर	खड़गपुर तारापुर पथ (कि0मी0 0 से 12.30)	859.07	1,077.20	1,066.78	24
13.	नई राजधानी	भुतनाथ पथ (कि0मी0 0 से 0.80)	134.42	146.54	297	121
14.	समस्तीपुर	सारायरंजन ककरघाटी पथ (कि0मी0 0 से 1.59)	25.81	29.85	32.75	27
15.	समस्तीपुर	विद्यापति ककरघाटी पथ (कि0मी0 0 से 3)	52.69	61.56	68.03	29
16.	सुपौल	सुपौल बिना पथ (कि0मी0 0 से 6पी.)	109.22	112.45	131.87	21
17.	सुपौल	प्रतापगंज से छातापुर पथ का शेष कार्य (कि0मी0 4 से 13)	470.5	876.65	870	85

परिशिष्ट–2.2.10

(संदर्भः कंडिका 2.2.10; पृष्ठ 62)

संवेदकों द्वारा गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला स्थापित नहीं किए जाने का दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	संवेदक का नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य (₹ लाख में)
1	बेतिया	मे0 आर.पी.राय इस्टेट प्रा0 लि0.	सरिसवा बाजार लालगढ़ पथ में कि0मी0 0 से 12.20 का चौ./म.	2 एसबीडी/ 06-07	521.57
2			डी.एम.ए. पथ कि0मी0 0 से 12.8 का चौ./म.	3 एसबीडी/ 06-07	623.99 एवं 211.65 (पू. एकरा.)
3			नरकटियागंज रामनगर पथ में कि0मी0 0 से 14.50 का चौ./म.	4 एसबीडी/ 06-07	527.13
4			लौरिया रामनगर पथ में कि0मी0 0 से 19.60 का चौ./म.	1 एसबीडी/ 06-07	1021.12 एवं 685.94 (पू. एकरा.)
5		मे0 नारायणी निर्माण	छोटकी पट्टी कपड़धी का पथ में कि0मी0 1, 3 से 9 (पी.) एवं 11 का मजबूतीकरण कार्य	3 एसबीडी/ 08-09	365.73
6			रामनगर मेघवल पथ के कि0मी0 4 का मजबूतीकरण	2 एफ2/07-08	93.39
7			रामनगर मेघवल पथ के कि0मी0 से 5 125 में आई.आर.क्यू.पी. कार्य	11 एफ2/ 07-08	236.61
8		राजा कन्साट्रक्सन प्रा0 लि0.	बौसी देवीपुर रंगललही पथ में आई.आर.क्यू.पी	1एसबीडी/09-10	471.31
9		अभिषेक कुमार रॉय	लौरिया नन्दनगढ़ पथ में कि0मी0 1 और 2 का आई.आर.क्यू.पी.	3 एफ2/ 07-08	57.13
10		अली अकबर अँसारी	टिकूलिया जंयतीया गिद्या पथ के कि0मी0 2, 3, 4 एवं 8पी. का आई.आर.क्यू.पी. कार्य 2007–08 हेतु	4 एफ2/ 07-08	52.27
11		मे0 चाणक्या टेक्नोस प्रा0 लि0	लौरिया रामनगर पथ के कि0मी0 0 से 20 में पी. आर. कार्य	1 एसबीडी/ 11-12	333.28
12		न्यू भारत कन्सट्रक्सन कम्पनी	छोटकी पट्टी कपड़धी का पथ में कि0मी0 2 में आई.आर.क्यू.पी.	6 एफ2/ 10-11	21.73
13		रविन्द्र कुमार तिवारी	लौरिया लहरिया चनपटिया पथ में कि0मी0 0 से 5 का आई.आर.क्यू.पी.	3 एफ2/ 09-10	106.30
14		रणविजय कुमार सिंह	टिकूलिया जयंतिया गिधा पथ के कि0मी0 1 का आई.आर.क्यू.पी.	4 एफ2/ 10-11	20.68
15	दरभंगा	मे0 ब्रजेन्द्र कुमार	औसी रयियाम कि0मी0 0 से 4.8 का सुधार	27 एफ2/ 06-07	144.44
16		मे0 हाईवे एण्ड हायडल प्राजेक्ट प्रा0 लि0	कमतौल भरवारा 0 से 12.5 का सुधार	52 एसबीडी/ 06-07	1114.22
17			बिशनपुर अतरवेल कि0मी0 0 से 14.945 का सुधार	51 एसबीडी/ 06-07	1212.05
18			जाले अतरवेल कि0मी0 0 से 26.2 का सुधार	1 एफ2/ 06-07	2213.43
19		मे0 राघव शिवकॉन	जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ कि0मी0 1 से 8 का सुधार	49 एफ2/ 06-07	187.60
20			मथौर गरौल चक्का अलीनगर पथ कि0मी0 0 से 9 का पी.आर.	22 एफ2/ 08-09	171.65
21			तारासराय मुरिया रयियाम पथ कि0मी0 0 से 22	26 एफ2/ 08-	143.57

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	संवेदक का नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य (₹ लाख़ में)
			का सुधार	09	
22		मे0 योगेन्द्र राय	झंझारपुर बहेड़ा पथ में कि0मी0 0 से 22 का सुधार	2 एफ2/ 06-07	1188.97
23		मे0 राघव कन्सट्रक्सन	हिरणी सिंधिया पथ कि0मी0 11.0 से 13.2 का सुधार	53 एफ2/ 06-07	266.27
24		एस.एस. कन्सट्रक्सन	सकरी बहेड़ा पथ कि0मी0 0 से 15.75 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	29 एसबीडी/ 07-08	1363.87
25		सतीश ठाकुर	शिवधारा मोहम्मदपुर पथ में कि0मी0 1 एवं 2 में आई.आर.क्यू.पी.	16 एफ2/ 08-09	98.90
26			बस स्टैण्ड दरभंगा सिंह दरवाजा हसन चौक पथ में आई.आर.क्यू.पी.	1 एफ2/ 2009-10	88.54
27		मे0 विद्यार्थी कन्सट्रक्सन	ठेंगा महिनामघाट पथ में कि0मी0 0 से 20.6 में आई.आर.क्यू.पी. कार्य	25 एसबीडी/ 08-09	865.37
28		सी.के. कन्सट्रक्सन	अशोक पेपर मिल पथ कि0मी0 0 से 4.15 का आई.आर.क्यू.पी.	13 एफ2/ 10-11	85.65
29		संजय प्रसाद सिंह	तारासराय मुरिया रयियाम पथ कि0मी0 7 से 12 .8 का आई .आर.क्यू.पी.	11 एफ2/ 10-11	139.30
30		जे. के. एम. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0	सकड़ी बहेड़ा पथ में कि0मी0 0 से 15.75 का शेष कार्य	1 एसबीडी/ 11-12	961.68
31		ओम त्रिदेव कन्सट्रक्सन	अरैला कनौजरघाट भाया मोरो पथ में आई.आर. क्यू.पी. कार्य	45 एसबीडी/ 2011-12	632.13
32		इलेक्ट्रा कन्सट्रक्सन	एन.एच. 57 दिल्ली मोड़ (चौधरी चरण सिंह चौक) के पुराने पथ एलाइमेंट से एक बिन्दा भाया बाघमोड़ एवं बेलामोड़ में आई.आर.क्यू.पी. कार्य	49 एसबीडी/ 2011-12	447.40
33		गणेश राम दोकानिया	बेनीपुर बिशुनपुर पथ में कि0मी0 0 से 12.5 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	31 एसबीडी/11-12	1055.13
34	पश्चिम पटना	सुरेन्द्र नारायण सिंह	दानापुर उसरी शिवाला पथ में कि0मी0 1 से 6.35 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	5 एफ2/06-07	182.67
35		मे0 कुमार कन्साट्रक्सन	मसोढ़ी पितमारा नौबतपुर पथ में कि0मी0 10.50 से 20.50 का सुधार	12 एफ2/06-07	449.81
36		मदर इण्डिया कन्सट्रक्सन प्रा0 लि0	दुल्हिन बाजार रानी तालाब पाली किंजर पथ में कि0मी0 0 से 9.14 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	38 एफ2/06-07	382.92
37			बिहटा लाभ पथ कि0मी0 0 से 8.10 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	36 एसबीडी/08-09	899.41
38		आशिष रंजन	खगौल स्थित बी.एम.पी. 16 के मुख्य द्वार से खगौल लक पुल का सुधार (कि0मी0 0.395)	37 एफ2/08-09	41.02
39		सी.के. इन्फ्रा	बेली गेट रोड कि0मी0 0 से 4 जगदेव पथ मोड़ से सगुना मोड़ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का शेष कार्य	92 एसबीडी/08-09	1609.97
40		अपटेक बिल्डर प्रा0 लि0	पली उलाड़ मसोढ़ी पथ में कि0मी0 0 से 11.50 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	23 एसबीडी/09-10	1720.30
41		सांई इंजिकॉन एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा0 लि0	बाँकिपुर दानापुर पथ (सांत माइकल्स स्कूल से दानापुर कैन्ट) में कि0मी0 06 से .097 का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण	7 एसबीडी/ 09-10	1030.10
42		वाई.एफ.सी.	आशियाना दीघा पथ से बी.डी. पथ भाया पोल्शन डेयरी का सुधार	72 एसबीडी/10-11	439.46
43			गोला रोड (बेली रोड से दानापुर गोला में	68 एसबीडी/10-11	1230.28

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	संवेदक का नाम	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित मूल्य (₹ लाख में)
			लम्बाई 5.40) का सुधार		
44		अर्जुन इंजिकॉन	खगौल जमालउद्दीनचक पथ में कि0मी0 0 से 3.064 का सुधार	69 एसबीडी/11-12	441.29
कुल	**3 प्रमण्डले**		**44 मामलें**		**26157.23**

परिशिष्ट–2.2.11

(संदर्भः कंडिका 2.2.10 पृष्ठ 62)

प्रमण्डल स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा की गई गुणवत्ता जाँच की संख्या से संबंधित विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल के नाम	नमूना जाँचित पथ कार्यो की संख्या	पथ कार्यो की संख्या जिसमें नहीं या कम गुणवत्ता जाँच निष्पादित हुए	एकरारित मूल्य (₹ लाख़ में)	निष्पादित गुणवत्ता जाँच की संख्या			
					जी.एस.बी./ जी– I/ जी– II	डब्ल्यू.बी.एम./ डब्ल्यू.बी.एम./एस.एम. जी– II एवं III	बी.एम.	एस.डी.बी.सी.
1	बेतिया	17	15	7070.07	2	2	2	0
2	छपरा	12	11	5428.22	16	32	46	36
3	दरभंगा	20	13	5463.46	32	105	64	39
4	पश्चिमी पटना	14	5	4350.83	24	28	0	0
5	पूर्णिया	20	18	9802.37	2	78	0	0
	कुल	**83**	**62**	**32114.95**	**76**	**245**	**112**	**75**

परिशिष्ट–3.1.1

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.1, पृष्ठ 68)

विकाश कोष खाते में ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

माह	न्यूनतम वार्षिक शेष	एफडी पर ब्याज की दर प्रतिशत	एक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक शेष पर ब्याज	बचत खाते से ब्याज
2007-08	29951911.62	8.25%	2471033	1412319
2008-09	34627386.62	8.75%	3029896	1361480
2009-10	39828956.22	8.10%	3226145	1551271
2010-11	29588815.22	6.00%	1775329	1651750
2011-12	71883006.22	8.25%	5930348	2936494
			16432751	**8913314**
			ब्याज की हानि	**7519437**

परिशिष्ट–3.1.2

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.1, पृष्ठ 68)

ब्याज के रूप में राजस्व की क्षति से संबंधित विवरणी

(₹ राशि में)

दिनांक	शेष राशि	आहरित	शेष	दिनों की संख्या	ब्याज की दर 8 प्रतिशत
31-03-2008	9550000.00	0.00	9550000.00		
14-08-2008	9550000.00	659903.00	8890097.00	136	115936.61
28-08-2008	8890097.00	500000.00	8390097.00	14	11263.42
17-10-2008	8390097.00	590098.00	7799999.00	50	37397.26
27-12-2008	7799999.00	500000.00	7299999.00	71	49699.99
27-02-2009	7299999.00	465710.00	6834289.00	62	40631.25
30-03-2009	6834289.00	296803.00	6537486.00	31	19433.35
01-06-2009	6537486.00	848775.00	5688711.00	63	34366.05
22-07-2009	5688711.00	106814.00	5581897.00	51	27297.77
22-07-2009	5581897.00	178776.00	5403121.00	0	0.00
29-10-2009	5403121.00	667173.00	4735948.00	99	44959.07
15-12-2009	4735948.00	392063.00	4343885.00	47	19577.24
04-05-2010	4343885.00	557307.00	3786578.00	140	50833.51
17-05-2010	3786578.00	505359.00	3281219.00	13	4090.29
15-09-2010	3281219.00	384593.00	2896626.00	121	33608.80
13-09-2011	2896626.00	499056.00	2397570.00	363	83455.14
31-03-2012	2397570.00	0.00	2397570.00	200	45980.79
कुल योग					**618530.53**

परिशिष्ट–3.1.3

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.4, पृष्ठ 70)

बाहरी ऐजेन्सी के विरुद्ध असमायोजित अग्रिम से संबंधित विवरणी

(₹ राशि में)

क्रम सं0	ऐजेन्सी का नाम	4/07के पूर्व स्वीकृत अग्रिम	कुल लंबित अग्रिम	क्रम सं0	ऐजेन्सी का नाम	4/07के पूर्व स्वीकृत अग्रिम	कुल लंबित अग्रिम
1.	मे0 हिन्दुस्तान पेपर	702151	910614	23.	प्राचार्य डी.ए.भी. पब्लिक स्कूल, पटना	25,000	25000
2.	मे0 भारत कॉमर्शियल ऐजेन्सी	0	207000	24.	प्राचार्य, अरविंद महिला कॉलेज	8,750	8750
3.	मे0 जेरॉक्स वर्ल्ड सर्विस	0	10405	25.	प्राचार्य, बी.एन. कॉलेजियट, पटना	12,500	12500
4.	मे0 आदित्य विजन	0	105516	26.	प्राचार्य, आर.बी. विद्यालय, पटना	10,000	10000
5.	मे0 मिलन स्टेशनरस	11562	228344	27.	प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज	0	45000
6.	मे0 कृश्णा कंस्लटेन्सी	3000	3000	28.	मे0 इशान कम्पयूटर	0	30,000
7.	मे0 एलाइड ट्रेडिंग ऐजेन्सी	13135	13135	29.	संजय कुमार, टेलिफोन आपरेटर	0	4,720
8.	मे0 गोयनका इन्टरप्राइजेज	20146	20146	30.	न्यू कोहली, स्पोर्टस	0	34,200
9.	मे0 गेस्टेनर इंडिया लिमिटेड	13317	13317	31.	मे0 न्यू कोहली, स्पोर्टस	0	14,400
10.	मे0 मार्गो इलेक्ट्रॉनिक्स	1368	1368	32.	बिहार हिन्दु ग्रन्थ अकादमी	0	40,000
11.	मे0 माइक्रो कंप्यूटर	167781	167781	33.	मे0 भारत कॉमर्शियल ऐजेन्सी	11,499	18,58,541
12.	मे0 मिलन स्टोर, पटना	48863	48863	34.	सुशील कुमार, टेलिफोन आपरेटर	14,535	22,805
13.	मे0 पटना बैटरी सेन्टर	4050	4050	35.	मे0 मिलन स्टेशनरी	0	14,57,761
14.	श्री शिव प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर	10000	10000	36.	मे0 डाटा कॉम सर्विस	0	59,560
15.	मे0 पटना साइकल स्टोर	6338	6338	37.	ए ओ, बीएसएनएल	0	4,192
16.	प्राचार्य राम मोहन राय सेमिनरी	12,500	12500	38.	एल कुमार एण्ड एसोसियट (सी.ए.)	0	5,000
17.	प्राचार्य पटना कॉलेजियट	12,500	12500	39.	मे0 जैदका मोटरस	0	6,97,216
18.	प्रावार्य सरकारी उच्च विद्यालय, पटना	14,500	14500	40.	एन आइ सी एल	0	27,585
19.	प्राचार्य जीडी पाटलिपुत्रा इन्टर स्कुल, पटना	12,500	12500	41.	मे0 स्मार्ट सर्विस (आई. ओ.सी.)	0	13,635
20.	प्रावार्य गर्वन्मेंट गर्ल्स हाई स्कूल, पटना	12,500	12500	42.	मे0 आलोक टेल	0	2,053
21.	प्रावार्य ए . एन. कॉलेज, पटना	35,000	35000	43.	मे0 मुजिब आटोमोबाइल	0	1,875
22.	प्रावार्य सरकारी उच्च विद्यालय, पटना	21,250	21250	44.	मे0 मिलन स्टोर्स, पटना	0	2,89,661

45.	मे0 अनिल आटो सर्विस	0	9,743	52.	शिव प्रसाद, संवेदक	0	1,407
46.	मे0 मल्होत्रा ब्रदर्स	0	3,940	53.	मे0 गोयनका इन्टप्राइजेज	0	1,71,179
47.	मे0 सी.आर. इन्टरप्राइजेज	0	6,388	54.	मे0 मोर्या लोक, पियुन एनआईसी	0	1.08,305
48.	मे0 एलाइट ट्रेडिंग ऐजेन्सी	0	9,667	55.	मे0 प्रोम्पट प्रिन्टर	0	40,000
49.	मे0 बिजय भंडारी	0	3,132	56.	मे0 बुलैट बैटरी	0	4,100
50.	मे0 बिनय इलेक्ट्रिकल	0	4,520	57.	पटना टेलिकॉम सर्विस	0	4,695
51.	मे0 स्वराज हिन्द मेंकर्स	0	24,000	58.	सिंघल ब्रदर्स	0	12,500
कुल योग						**12,04,745**	**69,38,657**

परिशिष्ट–3.1.4

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.5, पृष्ठ 71)

राशि के उपयोगिता से संबंधित ब्योरा

(₹ लाख में)

योजना	वर्ष	स्वीकृत राशि	किस्तों की संख्या	प्राप्त अनुदान	वास्तविक व्यय
सामान्य विकास अनुदान	2007-08	756.25	2	60.50	42.51
	2008-09		2	181.50	46.11
	2009-10		-	-	55.63
	2010-11		1	151.25	24.53
	2011-12		-	-	16.07
	2012-13		-	-	11.25
विलयित योजना	2007-08	457.00	1	56.95	0.12
	2008-09		-	-	1.73
	2009-10		-	-	8.87
	2010-11		1	191.55	14.01
	2011-12		-	-	3.57
कुल योग		**1213.25**	**7**	**641.75**	**224.40**

(स्रोतः यूजीसी का स्वीकृति पत्र तथा पटना विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र)

परिशिष्ट–3.1.5
(संदर्भः कंडिका 3.1.3.5, पृष्ठ 72)
अपूर्ण कार्य पर अलाभदायक व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

क्रम सं0	कार्य का नाम			स्वीकृत योजना एवं विमुक्त अनुदान		स्वीकृत राशि	निविदा सूचना		एकरारनामा			कार्य प्रारम्भ की तिथि (कार्य समाप्ति की तिथि)	कार्य बंद होने की तिथि	किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान	निष्पादित कार्य (प्रति–शत में)	अभ्युक्ति
		प्राक्कलित राशि	निष्पादित कार्य	ऐजेन्सी (अनुदान विमुक्त)	स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि	एन आई टी एवं तिथि	परिमाण विपत्र	निविदा एकरारनामा सं0	एकरारित राशि	ऐजेन्सी का नाम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ह्वीलर सीनेट हॉल, पी.यू. में वातानुकुलन का कार्य	1997438	सभी कार्य	यू.जी.सी. (2005-06)	1997438	1000000	01/08 दिनांक 14.2.08	2000000	17/08-09	2229425	मे0 वी.प्रसाद एण्ड कं0	07.08.08 (06.02.09)	28.04.09	1559293	70	निधि अनुपलब्धता के कारण कार्य अपूर्ण
2	कृष्णा घाट में महिला छात्रावास के प्रथम तल के उपर द्वितीय तल का निर्माण कार्य	2309654	असैनिक कार्य	यू.जी.सी. (2005-06)	2500000	1250000	02/08 दिनांक 27.2.08	2309654	18/08-09	2563716	श्री अशोक कुमार सिन्हा	17.07.08 (16.03.09)	09.09.08	1250000	59	तथैव
3	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, सैदपुर, पी. यू. पटना में हॉस्टल एवं अतिथि गृह का निर्माण कार्य	5810197	असैनिक कार्य	यू.जी.सी. (2008-09)	7500000	7000000	14/U दिनांक 19 .12.08	8772691	63/08-09	9474506	मे0 बैद्यनाथ कंस्ट्र0 श्री प्रदीप कुमार सिंह	03.02.09 (02.02.10)	13.05.10	7380495	78	तथैव
4	पी.जी. विभाग, लॉ कॉलेज के पुस्तकालय सह सेमिनार हॉल में भवन निर्माण का कार्य	1368000	सभी कार्य	यू.जी.सी. (2005-06)	1000000	500000	03/8 दिनांक 15.5.08	1556981	65/08-09	1782743	श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह	10.02.09 (09.06.09)	29.06.09	475579	27	तथैव
5	अकादमिक भवन, पटना कॉलेज के छत पर लैंग्वेज ब्लाक का निर्माण कार्य	4741000	सभी कार्य	यू.जी.सी. (2005-06)	5000000	3000000	03/8 दिनांक 15.5.08	5802860	66/08-09	6151032	मे0 इपिटोम कंस्ट्र0 प्रा0लि0	19.02.09 (18.11.09)	07.02.11	2984073	49	तथैव
6	माइक्रोबियल बायोडायभरसिटी भवन, साईन्स कॉलेज, पी.यू. पटना में भवन निर्माण का कार्य	1681000	असैनिक कार्य	यू.जी.सी. (2005-06)	1681000	900000	02/8 दिनांक 27.2.08	2050000	32/09-10	2050000	श्री विधिन बिहारी पाण्डेय	22.07.09 (21.04.10)	09.07.10	776656	38	तथैव
7	साईन्स कॉलेज, पी.यू. पटना में खेलकूद भवन का निर्माण कार्य	2567500	असैनिक कार्य	यू.जी.सी. (2006-07)	3000000	1500000	02/08 दिनांक 27.2.08	2700000	08/09-10	2700000	मे0 उमाशंकर मिश्रा	02.05.09 (01.11.09)	06.03.10	626188	23	ऐजेन्सी के कारण
					22678438	15150000		25192186		26951422				15052284		

(स्रोतः भवन समिति का कार्यवाही पंजी, एकरारनामा, मापी पुस्त एवं प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट–3.1.6

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.5, पृष्ठ 72)

ग्यारहवीं सामान्य विकास अनुदान के तहत किताब एवं उपस्कर के क्रय से संबंधित उपयोगिता को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

विभाग का नाम	मार्च 2010 तक प्रदत्त कुल राशि	मार्च 2010 तक उपयोग की गई कुल राशि
अंग्रेजी	350000	150000
हिन्दी	250000	150000
संस्कृत	200000	150000
मैथिली	100000	50000
बंगला	125000	74998
उर्दु	250000	249995
अरबी	175000	50000
फारसी	200000	200000
दर्शनशास्त्र	150000	150000
पी एम आई आर	450000	450000
अर्थशास्त्र	625000	200000
ग्रामीण अध्ययन	300000	300000
इतिहास	450000	299998
राजनिति विज्ञान	150000	150000
समाजशास्त्र	250000	0
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व	250000	86761
भूगोल	1200000	699829
गृह विज्ञान	700000	400000
भौतिकी	1200000	800000
मनोविज्ञान	1100000	949237
रसायन विज्ञान	800000	400000
वनस्पति विज्ञान	1400000	935781
जैविक रसायनशास्त्र	1300000	433460
प्राणीषास्त्र	1975000	1600000
भूगर्भ विज्ञान	1775000	650000
गणित	400000	300000
सांख्यिकी	400000	100000
व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य	300000	199968
शिक्षा	300000	291028
विधि	400000	200000
लोक प्रशासन संस्थान	50000	50000
मनोविज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान	250000	250000
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान	350000	100000
केन्द्रीय चिकित्सालय	1800000	1400000
पटना विष्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय	800000	400000
पटना विष्वविद्यालय संगणन केन्द्र	625000	598923
कार्य विभाग	950000	955129
कुल	**223,50,000**	**144,25,107**

(स्त्रोतः विकास शाखा, पटना विश्वविद्यालय)

परिशिष्ट–3.1.7

(संदर्भः कंडिका 3.1.3.5, पृष्ठ 72)

विलयित योजना के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान ₹ 56.95 लाख के विरुद्ध अवधि 2007–10 में व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

वर्ष	तिथि	प्रयोजन	राशि
2007-08	17.3.08	नेत्रहीन विकलांग शिक्षक	12,000
2008-09	31.3.09	यात्रा अनुदान (वनस्पति विज्ञान विभाग)	63194
	25.4.08	संगोष्ठी (पी एम आई आर)	50000
	13.2.09	संगोष्ठी (बंगला विभाग)	10000
	18.12.08	आई ए टी ई सम्मेलन	50000
2009-10	27.4.09	नेत्रहीन विकलांग शिक्षक	18000
	13.4.09	यात्रा अनुदान (वनस्पति विज्ञान विभाग)	25000
	27.7.09	यात्रा अनुदान (भूगोल विभाग)	35000
	27.7.09	तथैव	35000
	28.10.09	संगोष्ठी (पी एम आई आर)	125000
	3.11.09	तथैव	95000
	6.2.10	संगोष्ठी (बंगला विभाग)	30000
	13.3.10	संगोष्ठी (फारसी विभाग)	10000
	20.3.10	संगोष्ठी (अर्थशास्त्र विभाग)	15000
	31.3.10	महिलाओं के लिए सुविधा (जिमनैजियम)	499200
		मार्च 2010 तक कुल व्यय	**10,72,394**
		सकल योग *(परिशिष्ट 3.1.6 एवं 3.1.7)*	**1,54,97,501**

(स्त्रोतः विकास शाखा, पटना विश्वविद्यालय)

परिशिष्ट–3.1.8
(संदर्भः कंडिका 3.1.3.5, पृष्ठ 73)

किताब एवं उपस्कर अनुदान से विचलन से संबंधित ब्योरा को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

विभाग का नाम	मद का नाम	संख्या	राशि	चेक संख्या	तिथि	किताब एवं उपस्कर हेतु प्रदत्त राशि
शिक्षा	लैपटॉप	1	26990	20983	15.03.08	300000
	वाटर कूलर	1	15000	20986	15.03.08	
	कंपयूटर यूपीएस के साथ	3	82500	354196	08.01.10	
गृह विज्ञान	लैपटॉप	1	34300	1202	03.02.09	700000
	यूपीएस एवं प्रिंटर के साथ डेस्कटॉप	1	38900	78935	29.03.08	
	सैमसंग फॉ/एम,टीवी,एसी एण्ड कूलर	1	46900	78940	30.03.08	
भूगर्भ विज्ञान	लैपटॉप	1	49990	22279	30.03.09	1775000
	डेस्कटॉप	1	33217	22279	30.03.09	
	जलशोधक	1	7490	22282	30.03.09	
	यूपीएस	1	6500	416602	08.09.10	
	विंडो एसी	2	33500	279878	02.01.10	
	डेस्कटॉप कंपयूटर यूपीएस के साथ	1	43600	416628	31.03.11	
	डेस्कटॉप कंपयूटर	1	36500	416657	24.03.12	
रसायन शास्त्र	डेस्कटॉप, लैपटॉप एवं प्रिंटर	1	90810	386007	14.03.08	800000
	लैपटॉप	1	43401	364776	06.04.10	
गणित	डेस्कटॉप	3	115190	3586	14.03.08	400000
	कंप्यूटर टेबल	3	7050	3589	14.03.08	
केन्द्रीय औषधालय	एसी	1	41690	205214	02.09.09	1800000
	कंप्यूटर	4	170656	205237	17.12.09	
	मोनिटर एवं माउस	1	5350	205249	18.03.10	
	प्रिंटर के साथ टेबल	1	1265	392701	23.03.10	
	जलशोधक सह वाटरकूलर	1	28380	368197	08.06.09	
	प्रिंटर के साथ कंप्यूटर	4	145200	392737	15.11.10	

	यूपीएस	4	6800	392732	25.10.10	
जैव विज्ञान	लैपटॉप	2	105000	29564	14.10.09	1300000
वनस्पति विज्ञान	डेस्कटॉप,एंटीवायरस,यूपीएस के साथ कंप्यूटर	1	42780	417001	28.10.10	1400000
	स्पीलिट एसी	2	56700	315643	10.01.09	
पीयू संगणक केन्द्र	स्पीलिट एसी	6	138133	374342	09.11.09	625000
	स्टेबलाइजर	8	41955	374342	09.11.09	
	वैट		22511	374343	09.11.09	
भौतिकी विज्ञान	एचसीएल कंप्यूटर के साथ एंटीवायरस	3	103216	291268	28.03.08	1200000
	डेल कंप्यूटर	5	172729	386350	31.03.09	
भूगोल	एचपी डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ टीएफटी मोनिटर	5	224796	338441	15.03.08	1200000
	यूपीएस	6				
	स्कैनर	1				
	डेस्कटॉप कंप्यूटर	1	37500	424014	30.03.11	
कुल योग			**2056499**			**11500000**

(स्त्रोतः संबंधित पीजी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र)

परिशिष्ट–3.1.9

(संदर्भः कंडिका 3.1.4.1, पृष्ठ 74)

घटनाक्रम दर्शाने वाली विवरणी

दिनांक	घटना
05.01.2012	कुलपति को माइंडोलोजिक्स इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा महाबलीपूरम, तमिलनाडु में 3–4 फरवरी 2012 को संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
3-4 फरवरी 2012	माइंडोलोजिक्स इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा रेडिसन रिसोर्ट, महाबलीपूरम, तमिलनाडु में श्नॉलेज कॉन्क्लेव आफ इन्टेलेक्टसश विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कुलपति ने भाग लिया।
13.02.2012	नये वित्तीय सलाहकार एवं वित पदाधिकारी की नियुक्ति एवं योगदान
14.02.2012	परीक्षा प्रबंधन प्रणाली का प्रस्तुतीकरण
23.02.2012	निविदा दस्तावेज का मसौदा उपस्थापित
24.02.2012	मसौदा निविदा दस्तावेज की स्वीकृति
24.02.2012	निविदा प्रकाशन के लिए विज्ञापन ऐजेन्सी को पत्र
28.02.2012	अखबार में निविदा प्रकाशित
05.03.2012 (03:30 पूर्वाहन)	प्राप्त निविदा को निविदा समिति द्वारा खोला गया
05.03.2012 (04:00 पूर्वाहन)	निविदा उप समिति की बैठक
06.03.2012 (03:00 पूर्वाहन)	आईटी कोर ग्रुप की बैठक
16.03.2012	खरीद–बिक्री समिति द्वारा निरीक्षण समिति का गठन
21.03.2012	निरीक्षण समिति द्वारा बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर का दौरा
22.03.2012	निरीक्षण समिति द्वारा विश्वेश्वरैया तकनीकि विश्वविद्यालय, बेलगाम का दौरा
24.03.2012	निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत
27.03.2012	वित्त समिति द्वारा अनुमोदित
27.03.2012	वाणिज्यिक बोली खोला गया
29.03.2012	पटना विश्वविद्यालय के सिंडीकेट द्वारा अनुमोदन
30.03.2012	समझौता तथा कार्यान्वयन समिति का गठन
11.04.2012 एवं 12.04.2012	समझौता तथा कार्यान्वयन समिति की बैठक
12.04.2012	एकरारनामा मसौदे पर कानूनी मामलों की समिति का प्रतिवेदन
13.04.2012	माइंडोलोजिक्स इन्फ्राटेक लिमिटेड के साथ एकरारनामा

परिशिष्ट–3.1.10
(संदर्भः कंडिका 3.1.4.2, पृष्ठ 74)
ढुलाई पर अनियमित भुगतान को दर्शाती विवरणी

(₹ राशि में)

क्र. सं.	एकरार –नामा संख्या	विवरणी	सामग्री			योग (3+4+5)	एकरारनामा उच्च(+)/निम्न(-)		योग (6+8)
			बालू	स्थानीय बालू	गिट्टी		दर	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18/08-09	कृष्णा घाट में महिला छात्रावास के प्रथम तल के उपर द्वितीय तल का निर्माण कार्य	44091.00		55144.00	99235.00	(+)11	10915.85	110150.85
2	55/08-09	हथुआ छात्रावास, पीयू, पटना के प्रथम तल पर मरम्मति एवं रिरुफिंग कार्य	84304.91	132961.35		217266.26	(+)8	16294.97	233561.23
3	63/08-09	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, सैदपुर, पी यू पटना में हॉस्टल एवं अतिथि गृह का निर्माण कार्य	138874.00	91078.00	769381.00	999333.00	(+)8	79946.64	1079279.64
4	65/08-09	पीयू में पुस्तकालय सह सेमिनार हॉल में भवन निर्माण का कार्य	6997.00		17078.00	24075.00	(+)14.50	3490.88	27565.88
5	66/08-09	अकादमिक भवन,पटना कॉलेज के छत पर लैग्पेज ब्लाक का निर्माण कार्य		17494.00	98861.00	116355.00	(+)6	6981.30	123336.30
6	8/09-10	साईन्स कॉलेज,पीयू पटना में खेलकूद भवन का निर्माण कार्य	2520.00		5044.00	7564.00	बी.ओ.क्यू.	0.00	7564.00
7	26/09-10	प्रशासनिक भवन, संगणन केन्द्र, पीयू पटना के द्वितीय तल पर भवन का निर्माण	25495.00		75839.00	101334.00	(-)1.10	1114.67	100219.33
8	32/09-10	माइक्रोबियल बायोडायभरसिटी भवन,साईन्स कॉलेज,पीयू पटना में भवन निर्माण का कार्य		8755.00	31062.00	39817.00	बी.ओ.क्यू.	0.00	39817.00
9	95/09-10	लॉ कॉलेज, पीयू पटना के पुस्तकालय सह सेमिनार हॉल मे भवन निर्माण का कार्य	172834.00	111112.00	751841.00	1035787.00	(-)3	31073.61	1004713.39
10	07/10-11	सैदपुर कैम्पस के छात्रावास संख्या 01,05,06एवं मेन नाइन में आर सी सी रिकास्ट स्लैब के साथ खुला नाला का निर्माण	21007.00	7568.00	33189.00	61764.00	बी.ओ.क्यू.	0.00	61764.00
11	34/10-11	कार्य विभाग का नवीनीकरण कार्य	3251.00			3251.00	(-)12.50	406.38	2844.63
12	6/10-11	मगध महिला कॉलेज में विज्ञान भवन का नवीनीकरण	87872.37	265.77	96997.50	185135.64	बी.ओ.क्यू.	0.00	185135.64
13	3/10-11	मगध महिला कॉलेज में मुख्य भवन का नवीनीकरण	29205.00			29205.00	बी.ओ.क्यू.	0.00	29205.00
14	5/10-11	मगध महिला कॉलेज में पीजी भवन का निर्माण कार्य	76632.00	178924.48	233366.67	488923.15	(+)6	29335.39	518258.54
15	1/09-10	मगध महिला कॉलेज में महिला छात्रावास का निर्माण	104127.00	239245.44	327231.90	670604.34	बी.ओ.क्यू.	0.00	670604.34
16	11/08-09	विज्ञान महाविद्यालय में न्यूटन छात्रावास का नवीनीकरण	4195.61		3038.65	7234.26	(+)5	361.71	7595.97
17	14/08-09	विज्ञान महाविद्यालय में न्यूटन छात्रावास कप बोर्ड का नवीनीकरण	3525.70		3063.21	6588.91	बी.ओ.क्यू.	0.00	6588.91
	योग		804931.59	787404.04	2501136.93	4093472.56		179921.40	4208204.64

(स्रोतः एकरारनामा, मापी पुस्त एवं प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.1.11

(संदर्भः कंडिका 3.1.4.2; पृष्ठ 74)

रॉयल्टी दर्शाने वाली विवरणी

(₹ राशि में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारित राशि	सम्पादित कार्य की राशि	प्रपत्र एम एवं एन जमा नहीं करने के कारण राजस्व की हानि
1	2	3	4	5	6
1	कृश्णा घाट में महिला छात्रावास के प्रथम तल के उपर द्वितीय तल का निर्माण कार्य	18/08-09	25,63,716	15,02,546	11,059
2	हथुआ छात्रावास, पीयू, पटना के प्रथम तल पर मरम्मति एवं रिरुफिंग कार्य	55/08-09	41,49,715	37.50.048	20,701
3	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज, सैदपुर, पी यू पटना में हॉस्टल एवं अतिथि गृह का निर्माण कार्य	63/08-09	94,74,506	73,80,495	58,750
4	पीयू में पुस्तकालय सह सेमिनार हॉल में भवन निर्माण का कार्य	65/08-09	17,82,743	4,75,579	2,517
5	अकादमिक भवन,पटना कॉलेज के छत पर लैग्वेज ब्लाक का निर्माण कार्य	66/08-09	61,51,032	29,84,073	20,622
6	साईन्स कॉलेज,पीयू पटना में खेलकूद भवन का निर्माण कार्य	8/2009-10	27,00,000	6,26,188	3,397
7	प्रशासनिक भवन, संगणन केन्द्र, पीयू पटना के द्वितीय तल पर भवन का निर्माण	26/09-10	27,65,244	11,10,591	5,445
8	माइक्रोबियल बायोडायभरसिटी भवन,साईन्स कॉलेज,पीयू पटना में भवन निर्माण का कार्य	32/2009-10	20,50,000	7,76,656	6,985
9	लॉ कॉलेज, पीयू पटना के पुस्तकालय सह सेमिनार हॉल में भवन निर्माण का कार्य	95/09-10	1,31,86,272	95,31,239	74,151
10	सैदपुर कैम्पस के छात्रावास संख्या 01,05,06एवं मेन नाइन में आर सी सी रिकास्ट स्लैब के साथ खुला नाला का निर्माण	34/10-11	4,20,000	1,64,700	203
11	कार्य विभाग का नवीनीकरण कार्य	6/10-11	38,00,000	39.94.678	11,933
12	मगध महिला कॉलेज में विज्ञान भवन का नवीनीकरण	3/10-11	15,50,000	15,70,405	1,827
13	मगध महिला कॉलेज में मुख्य भवन का नवीनीकरण	5/10-11	85,69,216	41,61,004	45,167
14	मगध महिला कॉलेज में पीजी भवन का निर्माण कार्य	1/09-10	91,49,635	59,74,806	62,353
15	मगध महिला कॉलेज में महिला छात्रावास का निर्माण	11/08-09	7,49,878	8,51,530	850
16	विज्ञान महाविद्यालय में न्यूटन छात्रावास का नवीनीकरण	14/08-09	2,72,605	2,97,680	774
17	विज्ञान महाविद्यालय में न्यूटन छात्रावास के क्रएबोर्ड का नवीनीकरण	07/10-11	16,66,400	5,45,400	6,057
योग					**3,32,791**

(सोतः एकरारनामा, मापी पुस्त एवं प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.1.12

(संदर्भः कंडिका 3.1.4.2; पृष्ठ 75)

श्रम उपकर की कटौती नहीं किए जाने से संबंधित विवरणी

(₹ राशि में)

वर्ष	निष्पादन हेतु लिए गए कार्य की संख्या	एकरारित राशि	सम्पादित कार्य की राशि	श्रम उपकर की कटौती नहीं
2007-08	38	79,09,130	89,28,253	89,282
2008-09	46	71,36,076	61,48,335	61,483
2009-10	70	1,56,79,836	1,20,50,457	1,20,504
2010-11	13	24,09,175	13,99,472	13,995
2011-12	1	50,000	48,986	490
लेखा परीक्षा द्वारा जाँच किए कार्य				
2008-09	8	2,73,73,620	1,88,01,244	1,88,012
2009-10	7	3,20,28,151	1,89,60,480	1,89,605
2010-11	7	2,10,46,492	1,38,17,336	1,38,174
योग	**190**	**11,36,32,480**	**8,01,54,563**	**8,01,545**

(स्रोतः कार्य का प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.1.13
(संदर्भः कंडिका 3.1.5.1; पेज 76)

मई 2012 तक सैदपुर छात्रावास पर बकाया विद्युत को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	छात्रावास संख्या	खाता संख्या	श्रेणी	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	अभियुक्ति
1	छात्रावास संख्या 02	48269	एच टी	7.91	
2	छात्रावास संख्या 04	48251	एच टी	3.72	
3	छात्रावास संख्या 03	45518	एनडीएस ।।	3.97	दिनांक 16.07.2007 को विद्युत विच्छेदित
4	छात्रावास संख्या 07	186969	एनडीएस ।।	2.46	दिनांक 16.07.2007 को विद्युत विच्छेदित
		कुल		**18.06**	

(स्रोतः बीएसइबी द्वारा प्रदत्त विपत्र एवं सूचना)

संचित विद्युत बकाया				
क.स.	मीटर का स्थान	खाता संख्या	05/12 को बकाया विद्युत (₹ करोड़ में)	अभियुक्ति
1	सीनेट हॉल	13594	0.16	मीटर नहीं पाया गया
2	गेदाम, पी.यू. कैम्पस	16234	0.76	रेलवे को आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए स्थल दिया गया एवं रेलवे द्वारा स्वंय मीटर स्थापित किया
3	मवेशी गृ ह, पी. जी. विभाग, साईन्स कॉलेज	25123	0.10	मीटर नहीं पाया गया
4	कृष्ण कुमार कुवँर	15975	0.04	स्टॉफ क्वार्टर सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा आवास के रुप में प्रयोग
5	सीनेट हॉल	15976	0.01	मीटर नहीं पाया गया
	योग		**1.07**	

परिशिष्ट–3.2.1
(संदर्भः कंडिका–3.2.2; पृष्ठ 78)
राज्य कैम्पा का संगठनात्मक संरचना

शाषी पर्षद		संचालन समिति		कार्यकारी समिति	
मुख्यमंत्री	अध्यक्ष	मुख्य सचिव	अध्यक्ष	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष
वन मंत्री	सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य	मुख्य वन्य जीवन प्रतिपालक	सदस्य
वित्त मंत्री	सदस्य	प्रधान सचिव (वन)	सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (योजना/स्कीम)	सदस्य
योजना मंत्री	सदस्य	प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य	प्रधान मुख्य बन संरक्षक कार्यालय में वित्त नियंत्रक/वित्त सलाहकार	सदस्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वित्त नियंत्रक/ वित्त सलाहकार
मुख्य सचिव	सदस्य	प्रधान सचिव (योजना)	सदस्य		सदस्य
प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	सदस्य	नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव
प्रधान सचिव (योजना)	सदस्य	नोडल अधिकारी	सदस्य		
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य		
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	सदस्य	राज्य सरकार के द्वारा दो वर्षो के लिए नामित गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिष्ठित प्रतिनिधि जो पुनः नामांकन के भी पात्र होंगे	सदस्य		
सचिव (वन)	सदस्य सचिव	मुख्य वन संरक्षक (योजना/स्कीम)	सदस्य सचिव		

परिशिष्ट–3.2.2

(संदर्भः कंडिका–3.2.4.1; पृष्ठ 80)

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कुल विपथित भूमि (हेक्टेयर में)	मामलों की संख्या	एन.पी.भी. की माँग राशि	सी.ए./पी.सी.ए की माँग राशि	कुल माँगी गयी राशि	एन.पी.भी. की जमा राशि	सी.ए./पी.सी.ए की जमा राशि	कुल जमा	बाकी राशि
बाँका	पथ निर्माण विभाग, बाँका	104.32	10	656.17	32.83	689.00	653.12	शून्य	653.12	35.88
बाँका	पथ निर्माण विभाग, बाँका	101.65	01	शून्य	404.66	404.66	शून्य	24.27	24.27	380.39
जमुई	पथ निर्माण विभाग एवं के.लो.नि. विभाग	100.99	15	627.09	861.98	1489.07	शून्य	शून्य	शून्य	1489.07
कैमूर	के.लो.नि. विभाग	22.60	01	शून्य	31.60	31.60	शून्य	शून्य	शून्य	31.60
नवादा	राज्य उच्चपथ	67.93	01	425.24	शून्य	425.24	शून्य	शून्य	शून्य	425.24
सारण	राष्ट्रीय उच्च पथ	0.45	01	2.61	शून्य	2.61	शून्य	शून्य	शून्य	2.61
	कुल	**397.94**	**29**	**1711.11**	**1331.07**	**3042.18**	**653.12**	**24.27**	**677.39**	**2364.79**

परिशिष्ट–3.2.3

(संदर्भः कंडिका–3.2.5; पृष्ठ 81)

प्रमण्डलों द्वारा बची राशि का राज्य कैम्पा निधि में जमा राशि की विवरणी

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	सम्बन्धित एजेंसी (अभिकरण) का नाम	राशि वापसी की तिथि	वापस की गयी राशि (₹ में)
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ	एन.एच.ए.आई.- 57* अन्य **	08.10.2010	12440840.00
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, अररिया	एन.एच.ए.आई. - 57	10.11.2010	46209510.00
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा	एन.एच.ए.आई.-57	15.12.2010	15361134.00
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला (दरभंगा)	एन.एच.ए.आई.-57	02.02.2011	3740632.00
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, तिरहुत (मुजफ्फरपुर)	एन.एच.ए.आई.-57	03.02.2011	14373555.00
6	आर.सी.सी.एफ., पटना	एन.एच.-2	10.02.2011	12030800.00
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा	अन्य	31.03.2011	2417913.00
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बेगूसराय	अन्य	19.04.2011	379400.00
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया	अन्य	15.02.2011	475879.00
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया	अन्य अन्य	22.02.2011 20.03.2012	51600.00 2120514.00
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर	एन.एच.-2	31.03.2011	18101082.00
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रोहतास	एन.एच.-2	21.04.2011	7636536.00
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद	एन.एच.-2	21.04.2011	20201148.00
कुल				**155540543.00**

(स्रोतः राज्य कैम्पा द्वारा समर्पित सूचना के आधार पर)

***एन.एच.ए.आई.– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण**

****अन्य– रेलवे, पावर ग्रीड, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, इत्यादि।**

परिशिष्ट–3.2.4
(संदर्भः कंडिका–3.2.5; पृष्ठ 81)
वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में राज्य कैम्पा द्वारा प्रमंडलवार निधि का निर्धारण एवं वितरण

(₹ लाख में)

क्रम सं0	वन प्रमंडलों का नाम	ए.पी.ओ. निर्धारण (2010–11)	वितरित निधि (2010–11)	ए.पी.ओ. निर्धारण (2011–12)	निधि वितरित (2011–12)	कुल निर्धारण (2010–11) एवं (2011–12)	कुल निधि वितरित
1.	पटना	6.40	5.00	22.83	3.42	29.23	8.42
2	बाँका	132.69	80.08	195.39	148.83	328.09	228.91
3.	जमुई	42.66	32.16	131.63	117.39	174.29	149.55
4.	कैमूर	55.02	38.27	90.53	89.63	145.55	127.90
5.	सारण	शून्य	शून्य	28.90	19.23	28.90	19.23
6.	मिथिला	16.48	13.15	22.50	16.41	38.98	29.56
7.	नवादा	40.10	24.35	43.97	49.09	84.05	73.44
8.	गया	90.58	69.07	34.72	34.64	125.30	103.71
9.	रोहतास	98.02	46.74	124.65	101.37	222.67	148.11
10	मुंगेर	49.30	27.30	33.23	42.83	82.53	70.13
11	औरंगाबाद	57.85	47.35	73.16	43.88	131.00	91.23
12.	बेगूसराय	06.40	5.00	57.89	50.59	64.29	55.59
13.	मुजफ्फरपुर	82.00	49.00	53.36	43.92	135.36	92.92
14.	सहरसा	25.23	26.76	52.65	45.90	77.88	72.66
15.	अररिया	22.44	23.52	71.12	72.13	93.57	95.65
16.	पूर्णियाँ	69.35	36.94	30.62	24.39	99.97	61.33
17.	बेतिया	33.00	शून्य	36.50	शून्य	69.50	शून्य
18.	मोतिहारी	33.00	शून्य	06.50	0.65	39.50	0.65
19.	गोपालगंज	शून्य	शून्य	06.50	0.50	06.50	0.50
20.	नालन्दा	89.81	40.55	01.19	2.38	91.00	42.93
21.	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना	18.25	18.25	09.60	शून्य	27.85	18.25
22.	भोजपुर	55.50	6.32	172.66	165.14	228.17	171.46
23.	बेतिया -I	16.50	शून्य	शून्य	16.30	16.50	16.30
24.	बेतिया -II	27.00	शून्य	शून्य	34.94	27.00	34.94
25.	कार्य योजना प्रमंडल, पटना	शून्य	शून्य	06.50	6.60	06.50	6.60
26.	नोडल ऑफिसर कैम्पा स्थापन एवं वाहनों का क्रय, होम गार्ड एवं प्रषिक्षण	205.62	131.29	127.34	173.04	332.69	304.33
	कुल	**1070.63**	**721.12**	**1437.04**	**1303.21**	**2507.67**	**2024.33**

स्रोतः 2010–11 की वितरीत आकड़े वार्षिक लेखों से ली गयी है और 2011–12 के आँकड़े राज्य कम्पा द्वारा प्रस्तुत किया गया

परिशिष्ट–3.2.5

(संदर्भः कंडिका–3.2.6; पृष्ठ 84)

एन.पी.ए./सी.ए./पी.सी.ए. की कम वसूली

(₹ करोड़ में)

वर्ष भूमि	हस्तांतरित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर) में	माँगी गयी राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली में कमी
2006-07	663.55	40.94	42.23	-
2007-08	15.20	1.49	0.56	0.93
2008-09	656.29	51.59	45.82	5.77
2009-10	338.40	22.76	22.19	0.56
2010-11	210.50	16.05	22.80	-
2011-12	402.31	35.29	38.73	-
कुल	**2286.25**	**168.11**	**172.33**	**7.26**

परिशिष्ट–3.2.6
(संदर्भः कंडिका–3.2.6.1; पृष्ठ 84)
राज्य कैम्पा से बाहर रखी गयी निधि

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	परियोजना का नाम	प्राप्ति की माह	प्राप्ति की गयी राशि	उपयोग की गयी राशि	अवशेष राशि
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया	(मौजा पहाड़पुर खनन पट्टा) राजगृह–हिसुआ, तिलैया रेलवे लाईन गया एयरपोर्ट	12/2003 5/2005 9/2004	15.10 90.79 00.12	शून्य शून्य शून्य	15.10 90.79 00.12
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बाँका	बिलाशी जलाषय	3/2000	24.26		24.26
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सासाराम	महादेवा जलाषय मे0 पी.पी.सी.एल. अमझोर	3/1998 12/98 9/2000	04.70 01.10 08.40	शून्य शून्य शून्य	04.70 01.10 08.40
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नवादा	फुलवरिया जलाषय	3/2007	48.85	42.37	06.48
कुल			**193.32**	**42.37**	**150.95**

परिशिष्ट–3.2.7

(संदर्भः कंडिका–3.2.7; पृष्ठ 85)

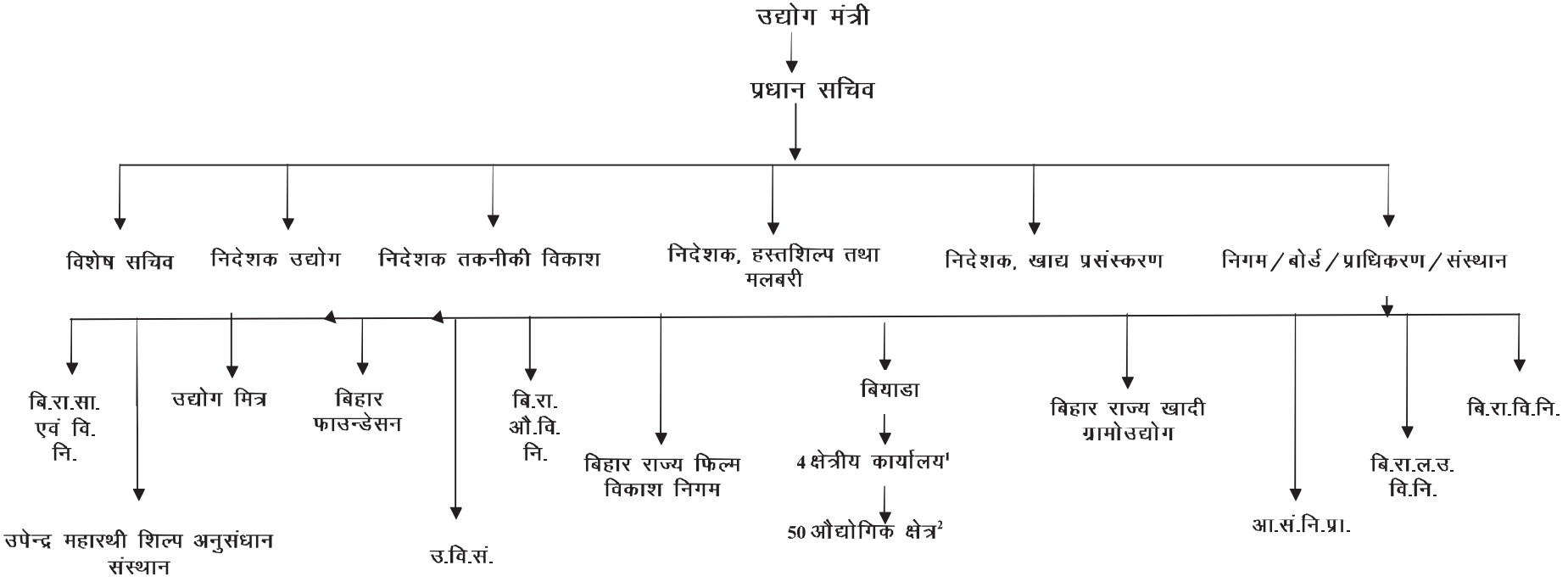
वन भूमि का गैर–वन हेतु उपयोग की वर्ष वार विवरणी

वर्ष	वन भूमि क्षेत्र का गैर वन उपयोग (हेक्टेयर में)	वन रोपण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
2006-07	663.5497	-
2007-08	15.204	-
2008-09	656.2863	-
2009-10	338.394	-
2010-11	210.5027	1303858(पौधों की संख्या)
2011-12	402.3121	1901080(पौधों की संख्या)
कुल	**2286.2488**	**3204938**

परिशिष्ट 3.3.1

(संदर्भः कंडिका 3.3.2; पृष्ठ 89)

उद्योग विभाग का संगठनात्मक संरचना



[1] *भागलपुर,दरभंगा, मुजफ्फरपुर, एवं पटना*

[2] *औरंगबाद (औ0क्षे0 एवं ग्रोथ के0), बरारी, बरौनी, बारून, बेला, बेगूसराय, बेतिया, बिहार शरीफ, बिहीया, बिहटा, मोदिया आंगी, बिक्रमगंज, बक्सार, डेहरी, धरमपुर, दोनार, ई0पी0आई0पी0, हाजीपुर, फतुहा, फारबिसगंज, गया, गिद्धा, हाजीपुर, जहानाबाद जमालपुर, झंझारपुर, कटिहार, कहलगांव, खगडिया, खगड़ा कोपाकला, कुमारबाग, लखीसराय, मे0औ0पा0 बिहटा, मरंगा, मुंगेर, मुरलीगंज, मुजफ्फपुर, नवादा, पाटलीपुत्र, पुर्णिया, पडौल, रामनगर, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सीताकुंज, सीतामढ़ी, सिवान, उदाकिशुनगंज*

परिशिष्ट -3.3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3.4.1;पृष्ठ 91)

(1) लीज प्रीमियम पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हानि

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र	भूमि आवंटन 2007–12(एकड़ में)	निर्धारित राशि	देय राशि	कम निर्धारण (करोड़ में)
1	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	28.73	21.19	55.24	34.05
2	ग्रोथ केन्द्र औरंगवाद	107.57	25.00	1269.03	1244.03
3	औ0 क्षे0 औरंगाबाद	1.71	0.26	19.20	18.94
4	गया	16.14	1.41	3.00	1.59
5	मरंगा	108.40	4.53	64.64	60.11
6	बेला (दरभंगा)	1.39	0.12	2.38	2.26
7	दोनार	23.16	0.90	13.94	13.04
8	कहलगाँव	735.00	51.96	327.62	275.66
9	बिहिया	57.76	3.47	56.86	53.39
10	खगरिया	98.30	5.73	40.30	34.57
11	वटारी	17.63	0.98	6.08	5.10
कुल		**1195.79**	**115.55**	**1858.29**	**1742.74**

(2) लीज प्रीमियम दर का देरी से दर पुनरीक्षण के कारण हानि

क्र0 सं.	औद्योगिक क्षेत्र	भूमि आवंटन 202–12 (एकड़ में)	निर्धारित राशि (₹ करोड़ में)	देय राषि (₹ करोड़ में)	कम निर्धारण (करोड़ में)
1	पटलीपुत्र	2.05	0.23	3.32	3.09
2	हाजीपुर	2.00	0.61	2.27	1.66
3	फतुहा	6.42	0.43	2.22	1.79
4	बिहारशरीफ	0.85	0.05	0.97	0.92
5	मुजफ्फरपुर	22.73	2.27	7.96	5.69
कुल		**34.05**	**3.59**	**16.74**	**13.15**

परिशिष्ट -3.3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.3; पृष्ठ 97)

पहले आओ पहले पाओ निति की अवहेलना का विवरण

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
1	पाटलिपुत्र	मे0 मलहोत्रा पोलीपलास्ट	02.04.07	03.04.07	25.04.07	14240	के.के. पोल्स एवं कस्ट्रक्सन्स	05.05.06	25.05.06	प्रतीक्षा सूची
2	पाटलिपुत्र	मे0 श्री दूर्गा आटोमाबाईल	16.06.07	07.08.07	31.07.07	7000	मे0 जागरण प्रकाशन	09.05.07	15.05.07	आस्थगित
3	पाटलिपुत्र	मे0 घरती इन्टरप्राईजेज	19.11.07	20.11.07	20.11.07	1000	मे0 श्रेश इन्टरप्राईजेज	8.8.06	4748/14.08.06	आवेदन प्रोसेस नहीं हुआ
4	पाटलिपुत्र	मे0 टोंकार फूड प्रोडक्ट	19.11.07	20.11.07	20.11.07	3796	आर0के0 प्लास्ट	12.12.06	3893/19.12.06	आवेदन प्रोसेस नहीं हुआ
5	पाटलिपुत्र	मे0 शिवम इन्टरप्राईजेज	19.11.07	20.11.07	20.11.07	3000	कुमार आटोमोबाईल सर्विस	5.5.06	4570/05.05.06	आवेदन प्रोसेस नहीं हुआ
6	पाटलिपुत्र	मे0 युगेश्वर मार्बल प्रोसेसिंग कम्पनी	19.11.07	20.11.07	20.11.07	1600	नवरतन फूड प्रोडक्टस	24.07,06	29.08.06	प्रतीक्षा सूची
7	पाटलिपुत्र	मे0 विजय फुड प्रोडक्ट	19.11.07	20.11.07	20.11.07	10000	नोर्थडेम इन्टीट्युट ऑफ मेडिया	31.07.06	29.08.06	प्रतीक्षा सूची
8	पाटलिपुत्र	मे0 राकेश इन्टरप्राईजेज	19.11.07	20.11.07	20.11.07	6000	मे0 डायमंड फीड्स	09.08.06	29.08.06	प्रतीक्षा सूची
9	पाटलिपुत्र	मे0 पुनीत ग्राफिक्स	19.11.07	20.11.07	20.11.07	6000	मे0 आम्रपाली आटो सर्विस स्टेशन	14.08.06	07.10.06	प्रतीक्षा सूची

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
10	पाटलिपुत्र	मे0 प्रसाद डेयरी प्रोडक्ट	19.11.07	20.11.07	20.11.07	500	मे0 आम लेबोरेटरी	26.08.06	07.10.06	प्रतीक्षा सूची
11	पाटलिपुत्र	मे0 डिटरजेंट एवं केमिकल	19.11.07	20.11.07	20.11.07	5000	मे0 उषा पोलीमर्स	02.11.06	05.12.06	प्रतीक्षा सूची
12	पाटलिपुत्र	मे0 एपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजायन सेन्टर	सीधा उपस्थापित	1.7.08	1.7.08	12000	मे0 यंगमैन क्रिशचन एशोसियेशन	5.2.08	1676/15.02.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
13	पाटलिपुत्र	मे0 इंस्टीट्युट ऑफ चार्टड एकाउंटेट ऑफ इंडिया	21.10.09	29.10.09	31.10.09	14225	मे0 निखिल इंजिकॉन वर्क्स	5.4.08	4504/10.07.08 & 4376/07.06.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
14	पाटलिपुत्र	मे0 नवविहार मिडिया प्रा0 लि0	07.04.11	13.04.11	16.04.11	20000	मे0 सरस्वती एग्रेटिक प्रा0लि0	30.06.10	4025/24.09.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	पाटलिपुत्र						मे0 निलिमा कुटीर उधोग	03.01.11	9721/05.01.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	पाटलिपुत्र						मे0 स्टारलाईट फूड तथा बेवरेज	03.01.11	4743/07.01.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	पाटलिपुत्र						मे0 श्री कृष्णा पोली पैक	28.01.11	4908/31.01.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
15	बक्सर	मे0 सरस्वती मिनी राईस मिल	07.05.10	14.05.10	03.07.10	5000	मे0 शिवशक्ति मिनि राइस मिल	06.04.09	232/07.04.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
16	बक्सर	मे0 लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज	सीधा उपस्थापित	14.06.10		7500	मे0 विन्ध्यवासिनी राईस एवं दाल मिल	14.07.08	4576/23.07.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
17	बक्सर	मे0 आनंद इन्टरप्राईजेज	04.06.10	14.06.10	03.07.10	7500	मे0 भवानी शंकर इन्डस्ट्रीज	10.03.08	11.03.08	आस्थगित

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
							मे0 चन्दा ऑयल मिल	10.03.08	11.03.08	आस्थगित
18	औ0क्षे0 हाजीपुर	मे0 हाईटेक धरमकाटा	सीधा उपस्थापित	29.12.09	02.01.10	2000	मे0 त्रिमूति इन्टरप्राइजेज	14.05.07	00878/15.05.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
19	हाजीपुर	मे0 अल्ट्रा होम कस्ट्रक्शन प्रा0 लि0	28.12.07	01.01.08	01.01.08	87120	मे0 आर0के0 वेवरेजेज इन्डस्ट्रीज	10.12.07	1510/11.12.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
20	औ0क्षे0 हाजीपुर	मे0 देवलोक एग्रो एण्ड बेबरेजज प्रा0 लि0	28.07.10	13.08.10	13.08.10	15500	मे0 न्यू इन्डिया फूड प्रा0 लि0	19.04.10	14.06.10	आस्थगित
21	फतुहा	मे0 राधिका स्वीट्स मिल्क प्रोडक्टस	05.11.07	06.11.07	06.11.07	21000	मे0 नवीन मोर्टस	04.06.07	4025/05.06.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
22	फतुहा	मे0 राज लक्ष्मी उघोग	15.10.07	16.10.07	16.10.07	58000	मे0 महिन्द्रा सर्विस सेन्टर	02.11.06	15.05.07	स्थगित
23	फतुहा	मे0 आर0के0 अम्युजमेंट एण्ड इनफलैटेबल लि0	15.05.07	16.10.07	16.10.07	30000	मे0 परम शान्ति स्टील प्रा0 लि0	11.11.06	15.05.07	स्थगित
24	फतुहा	मे0 वैशाली ट्रेनिग लि0	02.11.07	06.11.07	06.11.07	30000	मे0 गणपति जूट उघोग	20.02.07	15.05.07	स्थगित
25	फतुहा	मे0 मॉ दूर्गा वायर इन्डस्ट्रीज	19.11.07	20.11.07	20.11.07	11000	मे0 नालन्दा रेडिमेड गारमेन्ट्स	13.03.07	15.05.07	स्थगित
26	फतुहा	मे0 बंशी एयर गैसेज प्रा0 लि0	17.12.07	18.12.07	18.12.07	56400	मे0 गंगोत्री आयरण एण्ड स्टील लि0	13.03.07	15.05.07	स्थगित
27	फतुहा	मे0 मॉ विन्ध्यवासिनी पाईप इन्ड्रस्टीज	27.10.09	11.02 10	19.02.10	11000	मे0 स्टील इंडिया	07.04.08	4375/07.06.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
28	फतुहा	मे0 के0डी0 क्रियेटिव प्रोडक्टस	17.03.10	14.06.10	29.06.10	15000	मे0 शिवम इनोवेशन	03.03.09	93/05.03.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन /दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि/एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
		प्रा0 लि0								
29	फतुहा	मे0 जय कृष्ण	09.09.10	07.12.10	07.12.10	44000	मे0 अनुपम एग्रो हबैलस	31.07.10	13.08.10	आरथगित
30	फतुहा	मे0 अपर्णा इन्डस्ट्रीयल इस्टेट	02.12.10	07.12.10	10.12.10	802496	मे0 पुष्पा वेवेरेज	29.11.10	4334/03.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	फतुहा						मे0 रेकांन फार्मास्युटिकल	30.11.10	4331/02.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	फतुहा						मे0 मैक्स सासेज (प्रा0) लि0	30.11.10	4329/02.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	फतुहा						मे0 रामेश्वर सिंर पोली इन्उरट्रीज	01.12.10	4324/02.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	फतुहा						मे0 सुगन्ध एग्रो प्रा0 लि0	02.12.10	4340/03.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	फतुहा						मे0 सुगन्ध गारमेन्टंस	02.12.10	4341/03.12.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
31	गया	मे0 कविता इन्टरप्राइजेज	सीधा उपस्थित	15.01.08	15.01.08	2000	मे0 अल्ट्राहोम कस्ट्रक्सन्स प्रा0 लि0	03.11.07	1052/03.11.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
32	गया	मे0 माया फूड तथा डींक प्रा0लि0	09.06.10	14.06.10	30.06.10	9500	मे0 राज इन्टरप्राईजेज	25.06.09	4037/01.07.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
33	औ0 क्षे0 औरंगाबाद	मे0 तिरूपति बालाजी इन्डस्ट्रीज	15.05.09	29.10.09	05.11.09	13133	मे0 हरिओम राईस मिल	06.11.08	16.01.09	आरथगित

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
34	ग्रोथ केन्द औरंगाबाद	मे उमा फाउड्री वर्क्स	02.09.11	16.03.11	31.03.11	10000	मे0 मगध इ0ट्रे0 सेन्टर	25.10.10	07.12.10	आस्थगित
35	गो0के0 औरंगाबाद	मे0 मां मुंडेश्वरी एग्रो मिल्स प्रा0 लि0	02.07.11	16.03.11	17.03.11	65340	मे0 मानस इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिग सेन्टर	26.10.10	07.12.10	आस्थगित
36	औ0क्षे0 औरंगाबाद	मे0 पवनशुत एग्रो राईस मिल	19.07.11	26.08.11	19.09.11	39000	मे0 सतविचार सप्लाईस प्रा0 लि0	10.01.11	16.03.11	आस्थगित
37	औ0क्षे0 औरंगाबाद	मे0 देवश्री करट्रक्शन	सीधा उपस्थापित	20.11.07	18.12.07	10000	मे0 शर्मा प्लास्टिक	22.02.07	1082/08.03.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
38	औ0क्षे0 औरंगाबाद	मे0 तिरूपति वालाजी इन्डस्ट्रीज	15.05.09	29.10.09	05.11.09	13133	मे0 गिरीश राज ठाकुर	04.05.09	299/08.05.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
39	औ0क्षे0 औरंगाबाद	मे0 एक्री फूडस	23.12.09	29.12.09	02.01.10	4800	मे0 अमित कुमार पाण्डेय	14.05.09	330/20.05.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
40	औ0क्षे0 औरंगाबाद	मे0 हरिहर भवान वी0 एड कॉलेज	21.02.11	16.3.11	17.03.11	27000	मे0 एम0 पी0 फ्लावर मिल	24.01.11	4867/27.01.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
41	नवादा	मे0 मॉडर्न इन्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सीधा उपस्थापित	29.10.09	24.11.09	45000	मे0 श्री हनुमान जी राईस मिल्स	11.02.09	40/12.02.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
42	नवादा	मे0 सत्यम इन्टरप्राईजेज	06.02.10	29.04.10	12.05.10	1000	मे0 सिदधी विनायक इन्डस्ट्रीज	25.05.09	73/27.02.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
43	नवादा	मे अर्पण उद्योग	19.06.10	13.08.10	13.08.10	3000	मे0 कन्हैया जी स्टील फर्निचर	25.03.09	199/25.03.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
44	नवादा	मे0 आदर्श इंडस्ट्रीज	19.06.10	13.08.10	13.08.10	5000	मे0 गुलशल इन्डस्ट्रीज	09.04.09	259/16.04.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
45	नवादा	मे0 सरिता सुमन एण्ड कम्पनी	04.11.10	07.12.10	07.12.10	3000	मे0 तारा फार्मा	10.06.09	384/12.06.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
46	नवादा	मे0 लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज	26.07.10	07.12.10	07.12.10	5000	मे0 रिंकू कुमारी	25.06.09	432/30.06.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
47	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 ए0पी0एस0 प्लास्टिक	सीधा उपस्थापित	16.01.09	24.02.09	10000	मे0 बिमल फूड प्रा0 लि0	01.07.08	4509/10.07.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
48	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 बिहार कॉलेज ऑफ एडूकेशन	सीधा उपस्थापित	29.10.09	30.10.09	65340	मे0 राय एग्रो फूड	06.03.09	108/13.03.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
49	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 सरस्वती एग्रोटिक प्रा0 लि0	15.10.09	29.10.09	30.10.09	65340	मे0 रेकॉन फूड इन्डस्ट्रीज	05.05.09	298/08.05.09	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
50	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 हमारा इन्डस्ट्रीज	सीधा उपस्थापित	29.12.09	02.01.10	20000	मे0 एग्रो फीड इन्डस्ट्रीज	29.10.09	1157/14.01.10	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
51	गिद्धा	मे0 संगीता राईस मिल्स	12.07.10	13.08.10	13.08.10	5000	मे0 नन्द फ्लावर मिल	27.10 09	14.06.10	आस्थगित
52	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 नीलम हर्वस	11.04.11	13.04.11	15.04.11	15000	मे0 रवि इन्टरप्राईजेज	14.02.11	4184/17.02.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
53	ग्रो0के0 गिद्धा	मे0 मैक्सी पेंटस	14.03.11	13.04.11	14.04.11	5000	मे0 P-1 सिस्टम प्रा0 लि0	09.03.11	4391/15.03.11	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
54	मे0औ0पा0 बिहटा	मे0 मदर्स सोशाइटी फॉर एडूकेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट	30.11.10	07.12.10	07.12.10	458687	मे0 जागरण इन्टीट्युट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड मास कम्युनिकेशन	08.03.10	30.04.10	आस्थगित
55	बिहटा	मे0 तपस्या इन्फ्राटेक	12.06.10	14.06.10	18.06.10	119790	मे0 मोनिका इन्ड0 प्रा0 लि0	30.06.08	01.07.08	आस्थगित

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	लाभान्वित इकाई का नाम	आवेदन प्राप्ति की तिथि	पी0सी0की तिथि	आवंटन / दिनांक	क्षेत्र (वर्ग फीट)	वंचित का नाम	प्राप्ति की तिथि	पी0सी0सी0 की तिथि / एम आर सं0 तथा तिथि	अभियुक्ति
	बिहटा						मे0 जीवक हर्ट हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च	15.07.08	4628/07.08.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	बिहटा						मे0 एस्सार स्टील प्रा0 लि0	20.08.08	4682/28.08.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
	बिहटा						मे0 गुलमोहर फैशन	04.09.08	08.09.08	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई
56	डेहरी	मे0 राज फ्लावर मिल	18.12.07	18.12.07	18.12.07	3250	मे0 राही इन्डस्ट्रीज	21.07.06	03.11.06	स्थगित
57	डेहरी	मे0 श्री वावा इन्डस्ट्रीज	16.04.10	14.06.10	29.06.10	2000	मे0 राही इन्डस्ट्रीज	21.07.06	19.05.09	स्थगित
58	ई0पी0आई0पी हाजीपुर	मे0 वन टच मेडिकल प्रा0 लि0	11.04.07	02.05.07	02.05.07	36943	मे0 बिहारीजी फ्लावर मिल्स प्रा0 लि0	21.09.06	29.08.06	स्थगित
59	ई0पी0आई0पी हाजीपुर	मे0 आस्था बेवरेज प्रा0 लि0	17.08.09	28.08.09	01.09.09	15000	मे0 वेसलाइन पेट्रोलियम लि0	28.05.08	01.07.08	स्थगित
60	ई0पी0आई0पी हाजीपुर	मे0 टाईगर वेयरहाउस कोल्ड चेन प्रा0 लि0	24.11.10	07.12.10	14.01.11	217800	मे0 सोना विस्कुट	03.08.10	13.08.10	स्थगित
61	बिक्रमगंज	मे0 देवदीप राईस मिल	25.02.08	26.02.08	26.02.08	5000	मे0 ओम राइस मिल	14.02.07	06.02.07	आवेदन पर कार्रवाई नही हुई

परिशिष्ट 3.3.4

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4; पृष्ठ 97)

गैर औद्योगिक कार्य हेतु भूमि का आवंटन को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	औधोगिक क्षे ग्रोथ सेंटर	इकाई	आवंटन की तिथि	प्लाट सं0	क्षेत्रफल (वर्गफीट में) वर्ग फीट में)	उत्पाद	31.3.12 की स्थिति
1	औ0क्षे0 औरंगावाद	मे0 श्री देव कन्सट्रक्शन	6173/ 18.12.07	एन0 एस0 –1,2 (पी)	20000	हॉट मिक्स प्लांट	कार्यरत
2	ओ0क्षे0 औरंगावाद	मे0 अनु0 जाति हास्टल		फेज–3	174240	छात्रावास	निर्माण कार्य पूर्ण
3	औ0क्षे0 औरंगावाद	सी0आर0पी0एफ0		फेज–1	871200	सी0आर0पी0एफ0 कैम्प	निर्माण आरंभ नही
4	औ0क्षे0 बरौनी	बी0एस0पी0सी		21, 22	21780	कार्यालय	कार्यरत
5	औ0क्षे0 बरौनी	पर्यावरण कार्यालय		23, 24	43560	कार्यालय	कार्यरत
6	औ0क्षे0 बरौनी	मे0 बिहार कार्वन प्रोडक्ट	03.05.81	58 (पी)	21780	जैविक खाद	कार्यरत
7	औ0क्षे0 बरौनी	स्वातिक ब ायो केमिकल		119 (पी)	10890	जैविक खाद	कार्यरत
8	एम0आइ0पी0 बिहारशरीफ	मे0 ममता मार्बल	07.01.10(T)	जे–1	4000	पत्थर तराशना	कार्यरत
9	एम0आइ0पी0 बिहटा	राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय	3426/19.7.10		1089000	एस0डी0आर0एफ0कैम्प	कार्य नही
10	औ0क्षे0 विहटा	समाज कल्याण विभाग	31.05.2010		130680	निपसीड प्रधान कार्यालय	कार्य नही
11	औ0क्षे0 हाजीपुर	जे0के0 मार्वल	04.11.94	बी–43,44	13390	मूर्ति	कार्यरत
12	औ0क्षे0 हाजीपुर	भारतीय खाद्य निगम		बी–73,74	21780	भंडारण	कार्यरत
13	मरंगा	मे0 शकुन्तला वर्मी कम्पोस्ट	12.2.08	17 (पी)	21780	वर्मी कम्पोस्ट	नोटिस मिला
14	मरंगा	मे0 दर्शिता एग्रो इन्ड	4.12.07	24 (पी)	10890	वर्मी कम्पोस्ट	कार्यरत
15	मरंगा	माँ तारा एग्रो इन्डस्ट्री	26.2.08	73 (पी)	10890	वर्मी कम्पोस्ट	नोटिस मिला
16	मरंगा	माँ वैष्णों देवी ट्रैक्टर एवं ऑटोमोवाईल्स	7.12.10	20 (पी)	21780	ट्रैक्टर का शो रूम –सह– भंडारण	निर्माणधीन
17	पूर्णिया सिटी	माँ तारा जैविक उधोग	12.2.08	1 (पी)	10000	औरगेनिक कम्पोस्ट	निर्माणधीन
18	फारबिसगंज	बगमती कन्सट्रक्सन	4.9.07	1 से 3	174240	हॉट मिक्स प्लांट	कार्यरत
19	समस्तीपुर	आनन्द एग्रो इन्डस्ट्रीज	18.12.07	59 (पी)	4356	कम्पोस्ट	कार्यरत

20	रामरतीपुर	कपिलराज एग्रो इन्डस्ट्रीज	30.12.98	61(P)	10890	जैविक खाद	कार्यरत
21	बेतिया	बिहार राज्य जल विकास निगम			152460	ऑफिस गोदाम	कार्यरत
22	बेतिया	भारतीय खाध निगम			196020	गेदाम	कार्यरत
23	बेतिया	माँ दूर्गा स्टोन क्रसिंग वर्क्स	25.5.92		32670	स्टोन क्रसर	कार्यरत
24	बेतिया	बिन्ध्यवासिनी इन्टरप्राइजेज	29.3.97	B-19	21780	स्टोन क्रसर	बन्द
25	बेतिया	बेतिया स्टोन क्रसर	12.11.97	F-8	32670	स्टोन क्रसर	निर्माणधीन
26	बेतिया	भगवती स्टोन क्रसर	16.9.06		32670	स्टोन क्रसर	बन्द
27	बेतिया	भारतीय एग्रो प्रोडक्ट	3.10.07/ 6.11.07	A-1	65340	कृषि उत्पादन	निर्माणधीन कार्य प्रारंभ नही
28	बेतिया	भारतीय एग्रो प्रोडक्ट	15.10.08	NS-6	130680		निर्माणधीन कार्य प्रारंभ नही
29	मुजफ्फरपुर	तिरूपति केमिको	31.3.86	B-26,27	43560	खाद	कार्यरत
30	मुजफ्फरपुर	किसान ब्रदर्स	20.10.94	C-1	10018	और्गेनिक खाद	कार्यरत
31	मुजफ्फरपुर	शिव एग्रो टेक	27.12.05	A-48(P)	10890	वर्मी कम्पोस्ट	बन्द
32	मुजफ्फरपुर	हरिजन पुर्नवास कॉलनी			217800	पुर्नवास कॉलनी	कार्यरत
33	मुजफ्फरपुर	मिथिला प्रोपर्टी एवं प्रकाशन	4.7.79		182081	भरीतय खाद्य निगम गोदाम	कार्यरत
34	मुजफ्फरपुर	मे0 वेयरहाउसिंग कारपोरेशन		खूला भूमि	261360	वेयर हाउसिंग	कार्यरत
35	रामनगर	अम्बिका बायोमेन्यूर	16.10.07	NS-9	21780	जैविक खाद	निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं
36	सीतामढ़ी	सिंह इन्डस्ट्रीज	11.3.08	e-1(P)	5400	वर्मी कम्पोस्ट	कार्यरत
37	सीतामढ़ी	किसान ब्रदर्स	16.9.06	C-42	10890	वर्मी कम्पोस्ट	कार्यरत
38	सीतामढ़ी	मनीष ब्रदर्स	29.1.08	D-51(P)	2700	वर्मी कम्पोस्ट	निमार्णधीन

39	सीतामढ़ी	राजलक्ष्मी वर्मी कम्पोस्ट	11.3.08	NS-14	4325	वर्मी कम्पोस्ट	निमार्णधीन
40	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी स्टोन क्रसर	26.3.01		6900	स्टोन क्रसर	कार्यरत
41	सीतामढ़ी	जनकी स्टोन वर्क्स	20.7.94	c-10,30	10890	स्टोन क्रसर	कार्यरत
42	सीतामढ़ी	महावीर स्टोन क्रसर	12.7.2000	C-11,12	32670	स्टोन क्रसर	कार्यरत
43	सीतामढ़ी	बिहार स्टोन क्रसर	24.4.06	C-9,10,30	32670	स्टोन क्रसर	कार्यरत
44	सीतामढ़ी	महारानी स्टोन क्रसर	07.10.97	C-31,32	32670	स्टोन क्रसर	बन्द
45	सीतामढ़ी	अंजनी स्टोन क्रसर	8.4.89	C-55,57	326701	स्टोन क्रसर	बन्द
46	सीतामढ़ी	बिहार राज्य भंडार निगम	15.9.89	C-2to8	13060	भंडारन	कार्यरत
					4577781		
					105.09 एकड़		

परिशिष्ट -3.3.5

(संदर्भः कंडिका **3.3.6.4;** *पृष्ठ 98)*

मानदंड से अधिक भूमि का आवंटन

क्र0 सं0	औधोगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर	इकाई	पी0सी0सी की तिथि	आवंटन आदेश की तिथि	भूमि आवंटित (वर्गफीट में)	शेड क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनुमान्य आवंटन	अतिरिक्त आवंटन
1	बरौनी	बरौनी गैस प्रा0लि0	20.11.07	4649/ 20.11.07	43560	5000	15000	28560
2	बरौनी	मे0 महालक्ष्मी प्लास्टिक		2901/18.12. 07	47057	6000	18000	29057
3	बरौनी	किसान ट्रैक्टर	15.1.08	138/ 15.1.08	257875	38000	114000	143875
4	बरौनी	पवन टाइल्स इन्डस्ट्रीज		636/26.6.10	21780	3000	9000	12780
5	बरौनी	किशोर इन्जी0 वर्क्स		626/ 26.6.10	5227	500	1500	3727
6	विहियाँ	संपूण पशु आहार	24.5.11	3245/ 17.6.11	43560	12800	38400	5160
7	विहियाँ	साकलदीप कोल्ड स्टोरेज	24.5.11	3264/ 18.6.11	87120	24788	74364	12756
8	विहियाँ	बिहार मिल्क प्रोडक्ट	26.8.11	5087/15.09. 11 / 6593/25.11. 11	186420	33150	99450	86970
9	बक्सार	एस0के0एस0 कन्ट्री कम्पलेक्स प्रा0लि0	21.8.07	3354/ 21.8.07	67069	14000	42000	25069
10	बक्सर	दुर्गावती स्टील इन्डस्ट्रीज	CP	2930/ 7.6.11	33000	3066	9198	23802
11	ई0पी0आई0पी0	मे0 वन टच मेडिकल प्रोडक्ट	2.5.07	949/ 2.5/07	36943	10260	30780	6163
12	ई0पी0आई0पी0	आर0के0 एग्रो	16.10.07	4468/16.10. 07	36927	6100	18300	18627
13	फतूहा	मे0 टेलिकॉम वेस्ट (प्रा0) लि0	17.10.06	2173/28.11. 06	77000	24300	72900	4100
14	गिधा	साधन इन्डस्ट्रीज	17.1.00/ 29.1.08	206/ 11.3.2000 1237/ 12.2.08	66600	2630	7890	58710
15	गिधा	ईडिया आफसेट प्रिंटर्स	28.2.04	931/ 1.7.04	5000	1150	3450	1550
16	गिधा	रवि एण्ड परमार एग्रो मिल प्रा0लि0	3.7.07	2333/ 3.7.07	87500	23760	71280	16220
17	गिधा	भोजपुर ओनियन स्टोरेज	4.12.07	5744/ 4.12.07	20000	6200	18600	1400
18	गिधा	मित्तल बिक्स इन्डस्ट्री	1.7.08	3561/ 1.7.08	65000	19592	58776	6224
19	लक्खीसराय	श्री राम इन्डस्ट्रीज	14.10.08	1559/14.10. 08	5000	1500	4500	500
20	कहलगाँव	मे0 अम्बों एग्रो एस्सफोर्ड	29.4.10	327/15.5.10	217800	29000	87000	130800
21	कहलगाँव	मे0 अम्बों एग्रो	29.4.10	328/15.5.10	435600	101200	303600	132000

क्र0 सं0	औधोगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर	इकाई	पी0सी0सी की तिथि	आवंटन आदेश की तिथि	भूमि आवंटित (वर्गफीट में)	शेड क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनुमान्य आवंटन	अतिरिक्त आवंटन
		एस्सफोर्ड						
22	मरंगा	रिद्धी श्री इन्डस्ट्रीज	1.1.08	1.1.08	43560	7000	21000	22560
23	मरंगा	कोशी ऑटो एण्ड फर्म इक्विपमेंट	25.3.08	668/ 26.3.08	43560	6000	18000	25560
24	मरंगा	कालू कोल्ड स्टोरेज (प्रा0) लि0	28.8.09	513/ 2.9.09	70000	5700	17100	52900
25	मरंगा	सूर्या हैचरी (प्रा0) लि0		732/26.9.11	43560	14100	42300	9260
26	मरंगा			618/30.5.12	8000			
27	मरंगा	मे0 रचना उघोग	CP	288/27.5.11	87120	4900	14700	72420
28	मरंगा	स्काई लार्क फीडस (प्रा0) लि0		726/26.09.11	87120	15250	45450	41370
29	पूर्णिया सिटी	जिंदल स्मौल इन्डस्ट्री	CP	125/ 11.3.11	30173	4715	14145	16028
30	बेतिया	भारतीय एग्रो पोल्स		1148/15.10.08	130630	12000	36000	94630
31	बेतिया	गोयल इन्डस्ट्रीज		2792/ 4.11.09	21780	2750	8250	13530
32	बेतिया	चन्दन मेटलवेयर		1543/5.10.10	5445	550	1650	3795
33	मुजफ्फरपुर	उषा पोलीपलास्ट	10.10.06	1047/ 4.12.06	43560	5250	15750	27810
34	मुजफ्फरपुर	वैशाली इन्टरप्राइजेज	2.5.07	442/2.5.07	43560	9425	28275	15285
35	मुजफ्फरपुर	शक्ति श्री फीडस (प्रा0) लि0	19.9.06	1051/ 4.12.06	87120	20000	60000	27120
36	मुजफ्फरपुर	मारूती आयरन एण्ड स्टील प्रा0 लि0	CP	919/17.6.10	43560	2750	8250	35310
37	मुजफ्फरपुर	यशराज इन्डस्ट्रीज	CP	938/26.6.10	43560	1200	3600	39960
38	मुजफ्फरपुर	वेन्केज इंडिया	3.12.10	1779/ 3.12.10	65340	13200	39600	25740
39	सीतामढ़ी	प्रसाद फ्लावर मिल		347/ 7.4.06	43560	4750	14250	29310
40	सीतामढ़ी	एस0एस0राईस एण्ड फ्लावर मिल	CP	509/ 23.3.11	32670	7000	21000	11670
41	सीतामढ़ी	महालक्ष्मी उघोग	28.3.06	335/ 7.4.06	10890	3000	9000	1890
42	पंडौल	गणपति फूड्स	29.10.09	790/ 2.11.09	43560	12500	37500	6060
43	समस्तीपुर	मे0 छिन्नमस्तिका	5.6.07	673/ 5.6.07	87120	20350	61050	26070

क्र0 सं0	औधोगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर	इकाई	पी0सी0सी की तिथि	आवंटन आदेश की तिथि	भूमि आवंटित (वर्गफीट में)	शेड क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनुमान्य आवंटन	अतिरिक्त आवंटन
		इन्टरप्राइजेज						
44	समस्तीपुर	मे0 भगवान वीर हनुमान कोल्ड स्टोरेज	6.11.07	2566/ 6.11.07	91120	8400	25200	65920
					3052606 या 70.08 एकड़		**1640058**	**1412248 या 32.42 एकड़**

परिशिष्ट -3.3.6

(संदर्भः कंडिका –3.3.6.4 पृष्ठ 98)

अनुमान से अधिक भूमि का आवंटन

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षे0 का नाम	इकाई का नाम	पी0सी0सी0 की तिथि	पी0सी0सी0 द्वारा अनुमोदित क्षे0 (वर्गफीट में)	वास्तविक आवंटन (वर्गफीट में)	अतिरिक्त आवंटन(वर्गफीट में)
1	मुजफ्फरपुर	ओम इन्टरप्राइजेज	4.9.07	1500	3000	1500
2	समस्तीपुर	साकेत इन्डस्ट्रीज	16.10.07	10000	10890	890
3	बिहार शरीफ	शान्ता सर्विसेज	12.2.08	1000	3000	2000
4	बरौनी	कृष्णा हाइड्रोकार्वन	18.12.07	60766	76448+ 5227	20909
5	फतुहा	नेशनल प्लास्टिक इन्ड0 लि0	7.12.10	42660	43560	900
6	गीधा	आलोक हर्ष राइस मिल	7.12.10	21780	43560	21780
7	गीधा	मे0 ओरचिड प्रोफाइल्स (प्रा0) लि0	7.12.10	8000	16000	8000
						55979 वर्गफीट
						1.29 एकड़

परिशिष्ट -3.3.7
(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4;पृष्ठ 98)

गैर प्लासिटक एवं रसायन उघोग के आवंटित भूमि

क्र0सं0	इकाई का नाम	आवंटन हस्तांरण तिथि	योजना उत्पाद	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	धनवन्ति क्लॉथ इन्डस्ट्रीज	23-08-1996	हैण्डलूम कपड़े	10000
2	हाईटेक इलेक्ट्रोड प्रा0लि0	19-03-1997	वेल्डिग इलेक्ट्रोड	30000
3	विशाल स्टील फेबिकेटर	11-07-1998	स्टील फेब्रिकेशन	5000
4	मॉ जगदम्बा एल0पी0जी0 वाटलिंग प्लांट	11-05-1999	एल0पी0जी0 वोटलिंग प्लांट	108900
5	शंकर सुमन कोल्ड स्टोरेज	09-02-2002 02-02-2007	कोल्ड स्टोरजे	108900
6	लैण्डमार्क आउटडोर मिडिया सर्विस	02-11-2006	प्रिटिंग प्रेस	43560
7	रवि एण्ड परमार एग्रो मिल प्रा0 लि0	02-07-2007	फ्लावर मिल	87500
8	मारूति नंदन फुड्स प्रोडक्ट	07-08-2007 04-09-2007	रौलर फ्लावर मिल, सूजी, मैदा, आटा	87120
9	सुशीला कोल्ड स्टोरेज	20-11-2007 26-02-2008	शीत गृह	68460
10	भोजपुर ओनियन स्टोरेज	04-12-2007	प्याज भंडारण	20000
11	इसरतबानो गारमेन्ट	18-12-2007	तैयार पोशाक	20000
12	एक्टिव फुडस	09-05-2006	फुड प्रोसेसार	15000
13	आस्था फुडस	09-05-2008	आटा चोकर	27200
14	आस्था इन्टरनेशनल मोटिल	01-07-2008	मोटल	5000
15	जे0के0 फलॉर इन्डस्ट्रीज	01-07-2008	फ्लावर मिल	10,000
16	संसवरना फुड प्रा0 लि0	01-07-2008	मिनी फ्लावर मिल	43,560
17	मित्तल विक्स इन्डस्ट्रीज	01-07-2008	फ्लाई एश ब्रिक्स	65000
18	निखिल इंजीकान वर्क्स	16-10-2008	चावल, बेसन, मैदा, दाल	21780
19	शुभ श्री इन्टर प्राईजेज इंडिया प्रा0 लि0	16-10-2008	विस्कुट	30000
20	विश्वास राईस मिल	16-10-2008	चावल मिल	5000
21	जय बजरंग फलोर मिल	16-10-2008	चावल मिल	21,780
22	सरस्वती एग्रोटेक प्रा0 लि0	30-10-2009	कैटल फीड	65340
23	बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन	30-10-2009	बी0एड0 कॉलेज	65340
24	नव भारती ट्रस्ट	10-11-2009	10+2 स्कूल	87120
25	वैशाली इन्टरप्राईजेज एण्ड कोल्ड प्रा0 लि0	04-11-2009	कोल्ड स्टोरेज	87120
26	हमारा इन्डस्ट्रीज	02-01-2010	एडीवल तेल एंव ग्लूकोज	20000
27	आईस वर्ग विभरेज	20-02-2010	पैकेज डिंकिग वाटर	5000
28	आदित्य फूड प्रोडक्ट	10-05-2010	खाद्य सामाग्री	15000
29	प्रिमियम फूड प्रोडक्ट	10-05-2010	साल्टेड स्नेक्स, नमकीन, भूजिया, मिक्सचर	3000
30	रूबी राहुल राईस मिल प्रा0 लि0	21-06-2010	चावल	35000
31	संगीता राइस मिल	13-08-2010	चावल मिल	5000
32	मे0 श्रीष्टी फीड इन्डस्ट्री	13-08-2010	कैटल फीड	10000
33	बिन्धया स्टील प्रा0 लि0	13-08-2010	केल ब्रिकेट आयरन	87120

34	आलोक हर्ष राइस मिल प्रा0 लि0	08-12-2010 15-04-2011	चावल मिल	43560
35	वेन्केज इंडिया लि0	07-12-2010	हैचरी	43560
36	सुनासी फुड एण्ड बेबरीज लि0	09-02-2011	फ्रुट जूस	21780
37	मे0 गुरूकुल	17-03-2011	शिक्षण संस्थान	73250
38	नीलम हर्बस न्यूट्रिसंस	15-04-2011	हर्बल एक्सट्रैक्ट	15000
39	आडेन्ट पालीमर्स प्रा0 लि0	07-08-2007	वोमेन सैक	42000
40	प्रीभेल कॉसमस (इंडिया)	13-08-2010 27-04-2011	भवन निर्माण	10000
41	अनन्या एग्रोटिक प्रो0 लि0	06-07-1998	राईस मिलिंग	65340
42	इंडिया आफसेट पिंटर एवं पब्लिसर	01-07-2004	आफसेट प्रिंटिंग	5000
43	काला कोक एंव केमिकल्स	30-11-1996	हार्डकोक प्लांट	108900
44	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0	31-03-1998	एल0पी0जी0 वाटलिंग प्लांट	1500642
45	ट्राइडेन्ट फाउण्डेशन	06-07-2009	शिक्षण संस्थान	217800
46	निभि इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0	28-08-2009	एसवेस्टस सिमेंट कोरोगेटेड एवं प्लान सीट	653400
47	आर्ची बेबरीज प्रा0 लि0	01-09-2009	विवरेज स्ट्राग/हल्का	217800
48	एसिड कॉमन फेसिलिटि सेंटर	24.6.99	दरी डिजाइन एवं फिनिसिंग	43560
49	विष्णु विशाल पेपर मिल प्रा0 लि0	10-05-1996	पेपर मिल एवं कैप्टीव पावर पलांट	174240
50	सिंह कोल्ड स्टोरेज	14.6.08	कोल्ड स्टोरेज	54,450
				4609082

या105.81 एकड़

परिशिष्ट –3.3.8

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4; पृष्ठ 99)

निजी तकनीकी संसथानों की सूची

क्र0 सं0	औधोगिक क्षे0 का नाम	संस्थान का नाम	संस्थान का प्रकार	आवंटन की तिथि	आवंटित क्षेत्र (एकड़ में)	आवंटन की दर (लाख/एकड़ में)	भूमि की कीमत (रू मे)	उद्ग्रहण योग्य बाजार दर(लाख/एकड़)	उद्ग्रहण योग्य भूमि की कीमत(रू में)	हानि
1	गया	मे0 ओम समाज विकास परिषद	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	12.02.08	2.50	885000	2212500	1851000	4627500	2415000
2	गया	मे0 बुद्धा मल्टीप्लेक्स एवं मैनेजमेट	मल्टीफ्लेक्स होटल तथा मैनेजमेंट	11.03.08	2.50	885000	2212500	1851000	4627500	2415000
3	गया	मे0 बुद्धा सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेंट ट्रस्ट	स्वास्थ्य सेवा	11.03.08	5.00	885000	4425000	1851000	9255000	4830000
4	गया	मे0 बुद्धा इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	शिक्षा उधोग	12.02.08	2.50	885000	2212500	1851000	4627500	2415000
5	ग्रे0के0 गिद्घा	बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन	बी0एड0 कॉलेज	30.10.09	1.50	816000	1224000	1740000	2610000	1386000
6	ग्रे0के0 गिद्घा	मे0 नवभारती ट्रस्ट	10+2 स्कूल	10.11.09	2.00	816000	1632000	1740000	3480000	1848000
7	ग्रो0के0 गिद्घा	मे0 ट्राईडेंट फाउन्डेशन ट्रस्ट	शिक्षण संस्थान	06.07.09	5.00	816000	4080000	1740000	8700000	4620000
8	ग्रो0के0 गिद्घा	मे0 गुरूकुल	आई0टी0आई0 पारामेडिकल कॉलेज	07.12.10	1.00	898000	898000	2160000	2160000	1262000
				17.03.11	1.82	898000	1634360	2160000	3931200	2296840
9	पाटलिपुत्रा	मे0 आई0सी0ए0आई0 पटना	आई0सी0ए0आई0 शाखा	31.10.09	0.33	16156000	5331480	21850000	7210500	1879020
10	बिहियाँ	मे0 सचित सिंह मेमोरियल एडुकेशन ट्रस्ट	बी0एंड पोलिटेकनिक एण्ड एम0बी0ए0 कॉलेज	15.09.11	5.00	665000	3325000	12500000	62500000	59175000

11	मे0 औ0 पा0 बिहटा	मे0 मदर्स सोसाइटी फार एजुकेशन एन्ड चाइल्ड डेवलपमेंट	इंजिनियरिग एण्ड मैनेंजमेंट इन्टीच्युट	08.12.10	10.53	3894000	41003820	19400000	204282000	163278180
12	औ0 क्षे0 बिहटा	मे0 तपस्या इन्फ्राटेक	पारामेडिकल कॉलेज	18.06.10	2.75	3894000	10708500	19400000	53350000	42641500
13	औ0 क्षे0 बिहटा	मे0 मदर्स टेरेसा मेडिकल ट्रस्ट	नर्सिंग कॉलेज	08.12.10	2.00	3894000	7788000	19400000	38800000	31012000
14	इ0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 मैत्रेय कॉलेज ऑफ एडुकेशन एण्ड मैनेजमेंट	शिक्षा तथा प्रबंधन महाविद्यालय	17.03.11	2.00	5027000	10054000	36000000	72000000	61946000
15	ग्रो0 के0 औरंगाबाद	मे0 शांता नर्सिंग होम	नर्सिंग संस्थान	19.09.11	1.00	1201000	1201000	139392000	139392000	138191000
16	ग्रो0 के0 औरंगाबाद	मे0 शितयोग एडुकेशनल एण्ड वेल्डफेयर सोसाइटी	अभियंत्रण तथा प्रबंधन महाविद्यालय	18.02.10	10.00	993000	9930000	108900000	1089000000	1079070000
17	बरौनी	मे0 सृजन डेवेल्पमेंट एण्ड रिसर्च इस्टीच्युट	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	03.07.09	1.20	603000	723600	17250000	20700000	19976400
18	ग्रो0 के0 मरंगा	मे0 विद्याा बिहार एजुकेशन ट्रस्ट	अभियंत्रण महाविद्यालय	11.09.06	10.00	224000	2240000	5000000	50000000	47760000
				14.01.08	4.25	322000	1368500	5000000	21250000	19881500
				26.02.10	0.27	428000	115560	15000000	4050000	3934440
19	ग्रो0 के0 मरंगा	मे0 विद्या विहार एजुकेशन ट्रस्ट	प्रबंधन संस्थान	26.02.10	2.5	482000	1205000	15000000	37500000	36295000
20	फारबिसगंज	मे0 मोतीबाबू ईस्टीच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी	अभियंत्रण महाविद्यालय	15.05.10	8.73	249000	2173770	3000000	26190000	24016230
				07.06.10	5.00	249000	1245000	3000000	15000000	13755000
				06.08.10	2.38	249000	592620	3000000	7140000	6547380
21	फारविसगंज	मे0 समग्र काशी विकाश ट्रस्ट	विद्यालय/पॉलटेकनिक महाविद्यालय	12.02.08	3.00	226000	678000	889000	2667000	1989000

22	किशनगंज	किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजिनियरिग	अभियंत्रण महाविद्यालय	02.09.09	10.00	650000	6500000	1500000	15000000	8500000
23	औ0 क्षे0 नवादा	मे0 माडर्न इन्टीट्शन ऑफ हायर एडुकेशन	वोकेशनल टेक्नीकल तथा अन्य शिक्षण	24.11.09	1.03	533000	548990	5000000	5150000	4601010
24	औ0 क्षे0 नवादा	मे0 गनौरी रामकली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	08.07.11	1.10	530000	583000	6050000	6655000	6072000
25	औ0 स्टेट कटिहार	मे0 थियोमल एजुकेशन ट्रस्ट	डी0 पी0 एस0 विद्यालय	12.02.08	2.00	322000	644000	7401000	14802000	14158000
26	औ0 क्षे0 जमालपुर	मे0 ओम इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	26.02.10	1.03	533000	548990	5540000	5706200	5157210
27	औ0 क्षे0 कुमारबाग	मे0 आम्रपाली फाउन्डेशन	अभियंत्रण महाविद्यालय	02.09.09	10.00	380000	3800000	1540000	15400000	11600000
		कुल			**119.92**	**49488000**	**132839690**	**487956000**	**1957763400**	**1824923710**

परिशिष्ट – 3.3.9

(संदर्भः कंडिका 3.3.6.4; पृष्ठ 99)

एक्सपोर्ट कमिटमेन्ट के बिना आबंटन सूची

क्र0 सं0	औद्योगिक क्षे0 का नाम	इकाई का नाम	आवंटन/ट्रांस–फर की तिथि	प्लांट संख्या	क्षेत्र (वर्ग फीट)	उत्पाद
1	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 वन टच मेडिकल प्रा.लि0	02.05.2007	C-1	36943.00	स्टेराइल सिरिंज एण्ड निडिल
2	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 एल.वी. इन्टप्राईजेज प्रा0 लि0	17.09.2011 28-05-2012	C-2C-3(P)	76000.00	फ्लावर मिल
3	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 निम्बल वेवरेज प्रा0 लि0	24.02.2011	E-3	22308.00	वाटर पैकिंग
4	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 लक्ष्मी विनायक वेन्चर्स प्रा0 लि0	17.09.2011	NS-3B-11	55767.00	डिटरजेंट पाउडर
5	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 नेशनल प्लास्टो प्रोडक्ट प्रा0 लि0	29.06.2010	D-3(P)	43560.00	प्लास्टिक मोडयुल्ड फर्निचर
6	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	कम्पीटेंस एक्सपोर्ट प्रा0 लि0	29.01.2008	B-10	43560.00	लेदर शूज
7	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 बन्सल विस्कुट प्रा0 लि0	02.01.2010, 25.06.2010, 02.03.2010	B-7(P),8(P), 9(P), B-6(P), B-7(P).8(P).9(P)	142200.00	बिस्किट
8	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 प्रोटेक फीड प्रा0 लि0	02.05.2007	B-1,2,3,4	172224.00	पोल्ट्री फीड
9	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 जी0 एम0 एक्जीम (प्रा0) लि0	16.09.2011	F-1(P) NS-4	52272.00	पैकिंग मैटेरियल कोरोगेटेड बाक्स
10	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 ए0 एफ0प्री0 मेनुफेक्चरिंग क0 (प्रा0) लि0	09.09.2011	B-6(P) B-5 A-2(P)	87120.00	बेकरी तथा नमकीम
11	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 मैत्रेय कॉलेज ऑफ एडुकेशनल एण्ड मैनेजमेंट	17.03.2011	NS-1(P)	87120.00	शिक्षण तथा प्रबंधन महाविद्यालय
12	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 गोदरेज एग्रोवैट लि0	12.02.2012	N.s-2 & NS-1(P)	224334.00	कैटल पोल्ट्री फीड
13	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लि0	11.05.2010	C-3(P), C-4(P), C-5(P)	460000.00	विस्कुट तथा बेकरी
14	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	आर0 के0 एग्रो	16.10.2007	C-2	36927.00	कैटल/पोल्ट्री फीड
15	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 श्री गणेश उधोग (इन्डिया)	06.11.2007	D-4(P)	24000.00	फायर फाईटिंग वेहिकल तथा ऐसेसरिज
16	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 साई0 बाबा प्लाष्टो प्रोडक्टस प्रा0 लि0	19.06.2010	D-3(P)	30000.00	प्लास्टिक माडयुल उत्पाद
17	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	नाईपर	06.11.2007		541451.00	शिक्षण संस्थान
18	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 चंचल हेन्चरी	12.05.2010	G-2(P)	10000.00	पोल्ट्री फीड
19	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 आइसमा फूड एण्ड बेवरेज प्रा0 लि0	01.09.2009	G-3(P), G-4	15000.00	फूड तथा बेवेरेज
20	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 फूड एण्ड बायोटेक इन्जीनियरिंग (प्रा0) लि0	13.09.2011	G-5	10800.00	क्रीम तथा गुलाब जामुन पाउडर
21	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 ग्लोबल इन्डस्ट्रीज	06.11.2007	G-6	10800.00	इन्चर्टर,स्टेबलाईजर, यु0पी0एस0
22	ई0पी0आई0पी0 हाजीपुर	मे0 ब्रहमपुत्र पोलीमर प्रा0 लि0	01.01.2008	G-7	10800.00	पी0वी0सी0, रस्सी, सुतली
					कुल	2193186.00 वर्ग फीट/ 50.35 करोड़

परिशिष्ट –3.3.10

*(*संदर्भः कंडिका ***3.3.8.1; पृष्ठ 103)***

हस्तांतरण मामलों की सूची

क्र0 सं0	औधोगिक क्षेत्र	पुराने इकाई का नाम	आवंटन की तिथि	उद्धेश्य	क्षेत्रफल	नए इकाई का नाम	हस्तान्तरण की तिथि	उद्धेश्य	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	भूमि दर (लाख/एकड़)	भूमि का मूल्य	भारित हस्तांतरण शुल्क	राजस्व हानि (12–13)	अभियुक्ति
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पाटलिपुत्रा	मे0 एलीट लाईट इंजिनियरिंग को0	2136 /23.11.06	सीड ड्रील	16348	मे0 वेस्ट टावर प्र0 लि0	1411 D/23.05.07	माइक्रोवेब टाबर ट्रासमिशन	16348	161.56	6063321.58	92042.00	59712 79.58	पुराने इकाई से क्रय
2	पाटलिपुत्रा	मे0 सनीपलासट प्रा0 लि0	860 D/ 24.06.96,52 3/20.5.97	फाईबर ग्लास सनेटरी पेन फोड, मॉलडेड गुडस	8300 2568	मे0 बेस्कि सनेटेसन प्र0 लि0	1470 D/24.05.07	एफ0पी0आर0 संबंधित उत्पाद लाईफ एफ0पी0आर0 डोरस पेन आदि	10868	161.56	4030840.40	62285.00	39685 55.40	पुराने इकाई से क्रय
3	पाटलिपुत्रा	मे0 नेशनल एग्रो केमिकल्स	Reg.no./67/ 20.5.67,549 /4.2.84	–	30000 3200	मे0 क्रीस पोलीपक प्र0 लि0	1518 D/26.05.07	मल्टीप्लेयर फिल्म	33200	161.56	12313572.0 8	184178	12129 394.08	पुराने इकाई से क्रय
4	पाटलिपुत्रा	मे0 एलीट लाईट इंजिनियरिंग का0 एवं मे0 नेशनल सीन्टरिंग का0/मे0 नोबुल सीन्टेरिंग का0 प्र0 लि0	2138 D /23.11.06 12899 /12.07.73 2999/ 7.10.87	सीड ड्रील	3032 21000	मे0 नेचुरलस टेयरी प्रा0 लि0	3200 D /17.08.07	पनीर, आईसाक्रीम, लस्सी अन्य मिल्क प्रोडक्ट	24032	161.56	8913245.91	121161.00	87920 84.91	पुराने इकाई से क्रय

5	पाटलिपुत्र	मे0 कौशल टायर ईण्डस्ट्रीज	4/2.1.02	टायर रिसोलिग अन्य इंजिनियरिंग जोब	3125	मे0 कनिष्क फरनिशिग प्र0लि0	प्रा0 नि0 आदेश	–	3125	236.54	1696941.00	568828.00	11281 13.00	पुराने इकाई से क्रय
6	पाटलिपुत्र	मे0 पुलक इण्टरप्राइजेज	86 D /07.03.83	–	14610	मे0 आशियाना ऑटोमाबाइल प्र0लि0	593D/ 29.03.07 , 1708D/ 27.09.06	ऑटोमोबाइल सर्विस तथा रिपेयरिंग वर्क्सशोप	14610	14.64	491024.79	73659.00	41736 5.79	पुराने इकाई से क्रय
7	बक्सर	मे0 आन्नद टायर रिट्रेडिग वर्क्स	46/19.3.79	टायर रिट्रेडिंग	7398	मे0 विष्णुजी राईस मील	2437 D/ 8.04.10	चावल मिल	7398	77.00	1307727.27	30217.00	12775 10.27	पुराने इकाई से क्रय
8	हाजीपुर	मे0 सुखमनी भगवती अलैय	105/11.04. 97	रोलिग सेंटर वार्ट वेयर ड्राविग कर्टीग सिद्धार्थ ग्रोवर ग्रेंस प्लांट	15246	मे0 पारस पाब्लिकेशन प्र0 लि0	2489/ 27.11.07	पेपर आफसेट	15246	113.26	3964100.00	220196.00	37439 04.00	पुराने इकाई में रू 7.80 लाख मे क्रय
9	ळाजीपुर	मे0 मानसी रटील प्र0 लि0	49/13.02.9 8	कृषि उपकरण रौलिंग सटर पार्टस एवं गन फेबरिकेश न	12091	मे0 दयाल प्रोडक्ट प्र0 लि0	1049/ 02.09.08	प्लास्टीक बोटल	12091	124.59	3458259.16	547509.00	29107 50.16	पुराने इकाई से क्रय
10	हाजीपुर	मे0 लाईफ गार्ड ईन्डस्ट्रीज	3/01.01.08	ईलेकट्रिक फैन एवं उपकरण	5400	मे0 दयाल प्रोडक्ट प्र0 लि0	2403 /D/ 17.05.11	प्लास्टीक बोटल	5400	165.84	2055867.77	478622.00	15772 45.77	पुराने इकाई का क्रय

11	हाजीपुर	मे0 रोशन प्लास्टीक इंडस्ट्रीज	355/30.7.91	पी0सी0सी0 पाईप	7500	मे0 बर्द्धन ईंडस्ट्रीज	1296 /20.12.08	टूल पाईप, नाद, सीमेंट थाली	7500	124.59	2145144.63	420971.00	17241 73.63	पुराने इकाई से क्रय
12	हाजीपुर	मे0 आनन्द ईन्डस्ट्रीज	21/20.01.98	पेपर बोर्ड बेंटरी टायर	7000	मे0 श्री बालाजी पॉलीमर	6418 D/5.10.09	वअर टेंक	7000	137.05	2202364.55	273000.00	19293 64.55	₹ 15 लाख में भूमि की विक्री
13	हाजीपुर	मे0 शाश्वत केमिकल प्र0 लि0 (मे0 ब्लू स्पार्क प्र0लि0)	686/30.03.89	–	0.75 एकड़	मे0 पिरेंज बिल्टेक प्र0 लि0	1024 D/ 10.03.10	एनर्जी फुड	32670	137.05	10278750.00	0	10278 750.00	पुराने इकाई से क्रय
14	हाजीपुर	मे0 शक्ति टयूबस्	12.05.86 & 13.01.96	प्लास्टिक ट्यूबस	4.883 एकड़	मे0 सोना बिस्कुटस लि0	9049/ 28.12.10	बिस्कुटस	212703-48	150.76	73616108.00	9125298.00	64490 810.00	भूमि की विक्री एवं बिना निमार्ण के हस्तान्तरण
15	हाजीपुर	मे0 पाटलीपुत्रा	154/11.10.04	पी0सी0सी0 पोल	43560	मे0 रिंगर वैली फ्लोर मील प्र0 लि0	45 D/ 4.01.10	आटा, सूजी, मैदा	43560	137.05	13705000.00	1698900.00	12006 100.00	पुराने इकाई से क्रय
16	फतुहा	मे0 मगध कोल ब्रिकेटस	193/05.05.79	कोल ब्रिकेटस	10000	मे0 नूतन एग्रो टेक	252 D/18.01.10	बायो प्रोडक्ट, पौधा अमरीतम, एवं	10000	41.82	960055.10	119745.00	84031 0.10	पुराने इकाई से क्रय
17	बरौनी	मे0 पूनम ईंडस्ट्रीज	लीज डीट /1998	दाल मील		मे0 महालक्ष्मी प्रोडक्ट	12/3.01.06	चूरा, मूढ़ी, आटा	12084	5.36	148692.01	56145.00	92547. 01	पुराने इकाई से क्रय
18	बरौनी	मे0 एकलो केमिकल		–	5445	मे0 महेन्द्रा आईस क्रीम फैक्ट्री	1276/ 24.08.06	आईस क्रीम	5445	5.90	73750.00	0	73750. 00	पुराने इकाई से क्रय

19	बरौनी	मे0 रतन लेदर ईंडीस्ट्रीज	1665/11.6.80,744/9.3.81	–	ए-7 एवं 0.1525	मे0 नवीन डेयरी प्र0 लि0	149/ 23.02.07	पोस्टोराईड मिल्क	9643	5.90	130609.96	35775.00	94834.96	पुराने इकाई से क्रय
20	दरभंगा बेला	मे0 विकाश एनीमल फुडस्	450/ 17.05.03	कैटल फीड	0.02 एकड़	मे0 कुमार एनीमल फुडस	1755/ 5.12.05	एनीमल फुडस्	871.2	4.88	9760.00	3850.00	5910.00	₹50000 में क्रय
21	दरभंगा बेला	मे0 माँ भगवती ईंडीस्ट्रीज	118/22.1.02,117/22.1.02,224 / 13.03.03,	दाल ,डबल ऑयल, मूढ़ी	शेड ए-4 और 0.08 एकड़	मे0 अशोका केटलस एवं पोलटरी फूड	205 / 20.03.09	केटल एवं पॉल्ट्री फीड	6485	150.00	2233126.72	232422.00	2000704.72	पुराने इकाई से क्रय
22	बरारी	मे0 नेशनल इलेक्ट्रीक्स ईंडस्ट्रीज	492/18.06.80	इलेक्ट्रील गुडस्	शेड–सी	मे0 वालाजी एम्पेक्स	890/D 23.08.07	पैकेज ड्रीकिंग वाटर	4000	4.53	41597.80	6240.00	35357.80	पुराने इकाई से क्रय
23	बरारी	मे0 पी0भी0सी0 केबल एवं वायर ईंडस्ट्रीज	132/06.02.79 एवं 1288/12.12.81	पी0भी0सी0 कॉटेउ वायर	20000		890/D 23.08.07		20000	4.53	207988.98	114504.00	93484.98	
24	ई0पी0आई0 पी0 हाजीपुर	मे0 सुनील फुडस्	1545/ 02.06.09	बिस्कुटस	67500	मे0 वसंल बिस्कुट प्र0 लि0	1194/ 02.03.10	विस्कुटस	67500	137.05	21237086.78	0	21237086.78	पुराने इकाई से क्रय
25	पाटलिपुत्र	मे0 सिंह एवं कम्पनी	30.09.92	लेदर पोडक्टस	16485 वर्ग फीट	मे0 सी0एन0एस 0 हॉस्पीटल	16.12.11	मल्टी शोस्लीटी अस्पताल	8243	236.54	4475851.58	1000.00	4474851.58	बिना निर्माण के हस्तांतरण
26	पाटलिपुत्र	मे0 भागीरथ ईंडीस्ट्रीज	1900 डी/19.06.07	दाल मील	700	मे0 पी0एंड एम0 इनफारस्ट्रे–कचर	2745 D/20.04.10	फेमली मनोरंजन माल माल्टी पलेक्स	700	215.04	345564.74	38942.00	306622.74	बिना निर्माण के हस्तांतरण

27	पाटलिपुत्र	मे0 कन्हैया कास्टींग प्र0लि0	410/11.3.91	पी0भी0सी0 पाईप	14500	मे0 स्टीलमेन इंडस्ट्रीज	1170 D/ 03.07.06	डीप वेल हेंड पम्प	1600	14.64	53774.10	6667.00	47107.10	पास अधिक भूमि
28	बरौनी	मे0 यूनिवर्सल हाईड्रोकार्बन का0 लि0	2314 /23.07.90 ,1669 /05.08.91 , 461 /11.03.92 , 2548 /17.12.96	केल्सीनेटेड पेट्रोलियम	0.13 एकड़, 3.55 एकड़, 0.08 एकड़, 3.00 एकड़	मे0 यूनिवर्सल रिफायनिरीज	602/ 27.09.04	केल्सीनेटड पेट्रोलियम केक	130680	4.87	1461000.00	199350.00	12616 50.00	बिना निर्माण के हस्तांतरण
29	बरारी	मे0 ए0 के0 अलम (नया नाम मे0 ए0 के0 ईंडस्ट्रीज	504/21.3.91	अलम ईंडस्ट्रीज (चावल, चूरा, मूढ़ी, दाल)	21780	मे0 जोधानी फूडस् प्र0 लि0	नि0 प्र0 आदेश / 5.6.12	–	11780	115.80	3131597.80	507058.00	26245 39.80	पूर्व इकाई के पास अधिक भूमि
30	बरारी	मे0 ओम इंडीस्ट्रज	236/D 29.01.08	पी0भी0सी0 केवल वायर	7000	मे0 आदर्श फर्नीचर	474ड़/ 21.06.10	स्टील एंड उड़न फर्नीचर	7000	95.70	1537878.79	81417.00	14564 61.79	बिना कार्य 90 वर्षो के लिए लीज
31	बेतिया	मे0 शिव शक्ति लधु चूरा उघोग	225/28.3.98	चूरा	10890	मे0 वियाहूत ईंडस्ट्रीज	750/14.8.06	डीटरजेन्ड पाउडर एंड केक	10890	3.80	95000.00	10708.00	84292.00	दोनो मूल आवंटित पति पत्नि है एवं आंवटित भूमि पर बिना कार्य के हस्तांतरण
32	बेतिया	मे0 मनोरमा मिनी मॉर्डन राईस मील	233 / 28.09.98	राईस मील	0.50 एकड़		749/ 14.08.06	व्हीट फ्लोर	21780	3.80	190000.00	21416.00	16858 4.00	

33	बेतिया	मे0 शिव प्लास्टिक वर्क्स	26/14.01.98	प्लास्टिक, रस्सी, ग्रेनूथलस् नेटस	10890	मे0 एस0के0 मेंटल वर्क्स	3016/ 21.12.09	अलमुनियम यूटेनषील	10890	100.50	2512500.00	0	2512500.00	मूल आवंटन में बिना कोई कार्य के हसतांतरण
34	सीतामढ़ी	मे0 शंकर शाव मील	1269/ 7.12.00	शाव मील	21780	मे0 सामरस प्रोडेक्टस् प्र0लि0	2260/ 17.11.11	इकेबल ऑयल	21780	387.20	19360000.00	825000.00	18535000.00	निर्माण कार्य षुरू नही
35	इ0पी0आई0 पी0 हाजीपुर	मे0 देवलोक बिभरेज	5473/ 13.08.10	मिनरल वाटर	15500	मे0 जेवियल पालीमरस	26.04.12	वेकेज्ड ड्रिकिग वाटर	2000	182.42	837557.39	0	837557.39	बिना कार्य
36	पाटलिपुत्र	मे0 मे0बी0आर0 ऐनर्जी एंड इंजीनियरिंग प्र0 लि0	297 डी/ 06.05.02 & 17.11.13	ट्रासफोरमर	9000 &1150	मे0 अलंकार ऑटो सेल्स एंड सर्विस प्र0 लि0	21.06.11	ऑटो सेल्स एंड सार्विस	10150	236.54	5511664.37	1848315.00	3663349.37	बिना कार्य
37	पाटलिपुत्र	मे0 पेझेन इंडिया ईंटरप्राईजेज	04.02.04 11.02.04	–	15000	मे0 माँ रिसौलिग मील	1045 D/10.06.06	हाट रॉड पालवेट	15000	14.64	504132.23	0	504132.23	बिना कार्य
38	पाटलिपुत्र	मे0 ए0वी0टी0 इंजीनियरिंग प्र0 लि0	Puchase from dt/31.3.00	डिसपोजीबल सिरींज	12000	मे0 पहाडिया कॉमर्सियल प्र0 लि0	2500 D/31.03.08	सर्विस सेंटर	12000	161.56	4450688.71	667584.00	3783104.71	बि0रा0विनि0 से क्रय
39	पाटलिपुत्र	मे0 डायोनिक डिजीटल स्टीडियों (इंडिया) प्र0 लि0	2116 D/06.12.95	टी0 भी0 सोफ्टवेयर	26590	मे0 यूनो डिजीटल प्र0 लि0	2782 डी/30.04.08	डेबलपमेंट ऑफ सोफ्टवेयर, फिलीग कालरायजेशन	26590	177.72	10848427.00	1479255.00	9369172.00	–

40	पाटलिपुत्र	मे0 नेशनल फाउन्ड्री इंजिनियरिंग वर्क्स	NA	स्टील प्रोडक्ट	53180	मे0 एक्सल कार्बन इंभीन्सा प्र0 लि0	11.09.09	अगरबती	53180	195.49	23866295.22	268107.00	23598188.22	बि0रा0वि0नि0 से क्रय
41	पाटलिपुत्र	मे0 यूनिवर्सल वायर इंडस्ट्रीज	145/21.1.74,2020/24.7.71	–	45500	मे0 गिनया मोटरस (प्र0) लि0 मे0 सुन्दरम लॉज स्टीक एवं ऑटो प्र0 लि0	1824 डी /15.06.07	वार्कशोप	45500	161.56	16875528.01	252412	16623116.01	बि0रा0वि0नि0 से क्रय
42	पाटलिपुत्र	मे0 हाईटेक स्टील प्र0 लि0	23.04.94	स्टील प्रोडक्ट	44766	मे0 रिकॉन	467/ 29.01.10	आई0टी0 पार्क	44766	195.49	20090232.64	2490422	17599810.64	–
43	पाटलिपुत्र	मे0 हाईटेक स्टील प्र0 लि0	18.05.96	स्टील प्रोडक्ट	45720	मे0 रिकॉन	468/ 29.02.11	पाँच सितारा होटल	45720	215.04	22570314.05	2522188	20048126.05	–
44	पाटलिपुत्र	मे0 मेटालिजींग एवं इंजिनियरिंग वर्क्स	1588/ 24.03.71		11300	मे0 न्यूट्रल पाब्लिसिंग हाउस	6417 डी /03.10.09	प्रभात खबर	11300	195.49	5071251.15	0	5071251.15	
45		मे0 किसान सेवा केन्द्र	1972		11300		914/ 17.2.10	प्रभात खबर	11300	195.49	5071251.15	628660.00	4442591.15	–
46		मे0 बिहार कन्डक्टर्स	1535/ 24.3.71	एसीसी एवं एसी एस आर एवं सहायक	11300		1137/ 16.3.11	प्रींटिग प्रेस	11300	215.04	5578402.20	1183110.00	4395292.20	

47	पाटलिपुत्र	मे0 एन0क0 इलेक्ट्रीकल मे0 एमशेल्ड इंजिनियरिंग सोल्यूशन	157/ 31.08.73 579/ 13.12.73	–	8308	मे0 पूजा प्रिंटेक प्र0 लि0	1528 डी/08.04.11	प्रींटिग प्रेस	8308	236.54	4511419.47	921232.00	35901 87.47	–
48	पाटलिपुत्र	मे0 पेपर एंड बोर्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0		–	100183	मे0 हिन्दुस्तान कोला विभरेज प्र0 लि0	1702 / 16.10.04	कोल्ड ड्रिक	100183	12.1	2782861.11	558873.00	22239 88.11	वि0रा0वि0नि0 से क्रय
49	पाटलिपुत्र	मे0होली काउ प्क्चिर प्रा0 लि0	543/25.3.0 6	मल्टी फ्लेक्स	10400	मे0पी0 एवं एम इन्फास्ट्रेक्च र प्र0 लि0	6075/15.9.09	मल्टीप्लेक्स	10400	195.49	4667346.19	578572.80	40887 73.39	–
50			544/25.3.0 6		43560				43560	195.49	19549000.0 0	2423329.9 2	17125 670.08	–
51			919/16.5.0 6		4106				4106	195.49	1842704.18	228424.99	16142 79.19	–
52			403/15.1.0 8	परिवार मनोरंजन	559			*परिवार मनोरं जन*	559	195.49	250869.86	31098.29	21977 1.57	–
53	बक्सर	मे0 अलोक कोक इण्डस्ट्रीज				मे0 माघव राईस मिल	215 डी/ 7.03.05	मिनी राईस मिल	10000	4.41	101239.67	15496.00	85743. 67	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
54	ई0पी0आई0 पी0 हाजीपुर	मे0 स्पलास फूड प्र0 लि0	3045D/07.0 8.07	खाद्य प्रसकरण	22308	मे0 निमबरा विभरेज प्र0 लि0	774 डी /24.02.11	पैकेज ड्रिकिग वाटर	22308	150.76	7720739.39	842540.00	68781 99.39	–
55	हाजीपुर	मे0 ट्रिडेन्ट टियूब्स लि0	33/ 05.01.83	एच0डी0पी 0ई0 रिजीड पाईप प्रोफाइलस एवं एस्सरिज	43560	मे0 गंगा एग्रो प्रोडक्ट एंड पोली टियूब	121 /18.10.05	एच0डी0पी0ई0 रिजीड पी0भी0सी0 पाईप	43560	26.24	2624000.00	325256.40	22987 43.60	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय

56	हाजीपुर	मे0 ट्रिडेन्ट टियूब्स लि0	136/ 24.01.84	एच0डी0पी0ई0 रिजीड पाईप प्रोफाइलस एवं एरसरिज	21780	मे0 गंगा एग्रो प्रोडक्ट एंड पोली टिय	122/ 30.06.06	एच0डी0पी0ई0 रिजीड पी0भी0सी0 पाईप	21780	28.86	1443000.00	162628.20	12803 71.80	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
57	फतुहा	मे0 एक्यूरेट		टी0 एम0 टी	15000	मेव टिस्कॉन एण्ड टियूव प्रा0 लि0	4389 डी /30.08.08	टी0 एम0 टी	15000	38.02	1309228.65	178515.00	11307 13.65	–
58	फतुहा	मे0 निलम एलाईड इण्डीसट्रीज			18515	मे0 पूजा फूड प्रोसेसिंग मिल प्र0 लि0	6220 डी /19.09.09	राईस मील	18515	41.82	1777542.01	220344.00	15571 98.01	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
59	फतुहा	मे0 मोर्डन कास्टींग कारपोरेशन	166/28.8.77	मशीन का ग्रोयन कास्टींग एण्ड इंजन कम्पोनेंट	40000	मे0 रोक हील हाद्रटेक सीमेंट प्रा0 लि0	6366 / 26.12.07	सीमेंट इंडिस्ट्रीज	40000	34.56	3173553.72	476040.00	26975 13.72	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
60	फतुहा	मे0 रामा ऊड एवं जेनरल इंडिस्ट्रीज लि0	1981	–	87120	मे0 पटना आयरण प्रा0 लि0	4398 डी /1.07.10	स्टील प्रोडेक्ट	87120	46.00	9200000.00	148660.00	90513 40.00	इलाहाबाद बैंक से क्रय
61	फतुहा	मे0 रामा ऊड एवं जेनरल इंडिस्ट्रीज लि0	1981	–	104980	मे0 क्रीस राईस मील प्र0लि0	9143 डी /31.12.10	राईस मील	104979.6	46.00	11086000.00	1443050.00	96429 50.00	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय

62	फतुहा	मे0 पाटलिपुत्रा केमिकलस इंडिस्ट्रीज	4256/28.12 .84	क्वीक लाईम	20000	मे0 पाटलीपुत्रा केमिकल्स इंडिस्ट्रीज	3407/ 24.6.11	राईस मील	20000	50.60	2323232.32	363000.00	19602 32.32	–
63	फतुहा	मेसर्स नेक्रो केमिकल्स प्रा0 लि0	2808 D/14.11.90	सेडियम बाइक्रोमेट तथा बी क्रीम सल्फेट	2 करोड़	एम0डी0 इंटरनेशनेश ल्स उमा शंकर भगत तथा श्री मति मीना देवी	2057 डी /6.03.08	पार्ट एण्ड केमिकल	87120	34.56	6912000.00	1036815.0 0	58751 85.00	कोर्ट केस में नीलामी द्वारा दखल कब्जा से पहले रकम अदा नही किया गया
64	गया	मेसार्स ओम इण्डस्ट्रीज	2501 D/23.12.06	रात्तू, बेसन	5670	मेसर्स इंफ्रा पावर	4503 डी /5.07.10	ट्रांसफार्मर	5670	24.63	320597.11	32073.00	28852 4.11	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
65	बिहार शरीफ	मेसर्स नालंदा कंवट कम्पनी	1973	एन0सी0रा ी0 कंबल वायर	13600	मेसर्स सिल्बर लाईन हेण्डभेउ पेपर इंडीस्ट्रीज	1853 डी /24.10.05	हेण्ड पेपर	13600	5.44	169843.89	23416.00	14642 7.89	–
66	बिहार शरीफ	मेसर्स गोपेश्वर टेक्सटाईल्स			4000	मेसर्स ममता तथा जेनरल प्रोसिन इंडसट्रिज	127/ 07.01.10	डकोरेटिव स्टोन कंटिग तथा प्रोसेसिंग	4000	137.94	1266666.67	26867.00	12397 99.67	वि0 रा0 वि0 नि0 से क्रय
67	बिहार शरीफ	मेसर्स होली काऊ पिक्चर प्रा0 लि0	21.12.07	मॉल मल्टीपलेक स	24475 वर्गफीट	मेसर्स ममता एसोसिएटस्	30.05.11	मॉल मल्टीपलेक्स	24475	166.9	9377588.38	731421.00	86461 67.38	–
68	विकाश केन्द्र गीधा	मेसर्स विष्णु बिशाल पेपर मिल प्रा0 लि0	635 D/ 10.05.96	पेपर इंडस्ट्रीज	4 करोड़	मेसस्र विष्णु विशाल पेपर मिल प्राव लि0	963 डी / 23.03.09	पेपर इंडस्ट्रीज	174240	6.13	2452000.00	633600.00	18184 00.00	–

69	विकाश केन्द्र गीधा	मेसर्स ऐक्टिव फूडस्	2846/9.5.08	फूड प्रोसेसिंग	15000	मे0 एक्टिव फूड	315 डी / 18.1.12	फूड प्रोसेसिंग	15000	21.05	724862.26	135000.00	5898622.26	–
70	विकाश केन्द्र गीधा	मेसर्स बालाजी फाल्गी प्रा0 लि0	635/ 08.07.98	फलोऐश बिस्कुट	65340 वर्गफीट	मेसर्स अनन्या एग्रोटेक प्रा0 लि0	30.12.09	राइस मिल	65340	17.40	2610000.00	0	2610000.00	–
71	बरौनी	मसर्स अशोका फाउडंरी	मई-70	डीप वेल हैण्ड पम्प	43560	मेसस प्रीमियर इंडस्ट्रीज	1309/ 22.9.05	केल्किनाइड पेट्रोलियम केक	21780	5.36	268000.00	33335.00	2346655.00	–
72							276/ 17.1.12	केल्किनाइड पेट्रोलियम केक	21780	9.50	475000.00	209088.00	2659122.00	–
73	दरभंगा बेला	मेसर्स दुर्गा मिनी माडर्न राईस मिल	1356/20.10.01	राईस	8712	मेसर्स लक्ष्मी लधु उघोग	311/ 21.3.07	राईस	8712	5.37	107400.00	16110.00	91290.00	–
74	दरभंगा बेला	वालेश्वर झा (B.S.F.C से मेसर्स तीरथ आटो सर्विर्स द्वारा क्रय			B-8, 0.32 एकड़	मेसर्स सुमन आटो सर्विस	1550/ 11.07.07	ऑटो सविसिंग	13939	120.00	3840000.00	0	3840000.00	वालेश्वर झा ठिरा0ठिनि से क्रय किया ता मेसर्स सुमन ऑटो सर्विस को स्थानांनतरण किया
75	दरभंगा बेला	मेसर्स दूर्गा केमिकल	1356/ 24.06.78	नेफ्थलीन बॉच	0.15 एकड़	मेसर्स संजीवनी इंटरप्राइजेज	6.03.09	राइस, चूडा, मुरही, सतू	6534	150.00	2250000.00	0	2250000.00	–

76	दरभंगा बेला	मेसर्स निर्दोश मॉ इंडस्ट्रीज		राइस, चूडा, मुरही, सतू	10890	मसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज	407 / 8.07.09	खाद्य तेल	10890	165.00	4125000.00	359370.00	37656 30.00	–
77	दरभंगा बेला	मेसर्स अनुपमा पेपर क्राफ्ट इन्क्लेभ	2942/24..1 1.78	पेपर क्राफ्ट	0.12 a एकड़ & C-13	मेसर्स रिद्वी, सिद्वी इंडस्ट्रीज	M.D oreder dt. 15.06.12	दाल मिल	5227	219.62	2635339.16	864435.00	17709 04.16	–
78	दरभंगा बेला	मेसर्स अम्बा होजियरी गुडस्	968/ 11.05.78	होजियरी गुडस्	0.10 एकड़	मेसर्स अम्बा फूड प्रोडक्ट	7.10.09	मशाला	4356	165.00	1650000.00	630001.70	10199 98.30	वि0 रा0 वि0नि से क्रय
79	दरभंगा बेला	मेसर्स कुमार इंटरप्राईजेज	995/9.3.79	अलमुनिय म हार्डवेयर	0.10 एकड़	मेसर्स मॉ गायत्री इंडस्ट्रीज	941 / 15.12.09	राईस तथा खाद्य तेल	4356	165.00	1650000.00	143748.00	15062 52.00	–
80	दरभंगा बेला	मेसर्स घनघन सती उधोग	2708/12.9. 80		750	मेसर्स गोबिंद इडस्ट्रीज	341/29.3.07	राईस, आटा, वेसन	750	5.37	9245.87	0	9245.8 7	–
81	दरभंगा बेला	मेसर्स दुर्गा इंडस्ट्रीज	86/ 12.01.78	दाल	0.75 एकड़	मेसर्स डी0आर0 फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0	887/ 21.12.04	दाल	32670	4.44	333000.00	45350.00	28765 0.00	–
82	दरभंगा बेला	मे0 स्टार (साईकिल इनडस्ट्रीज) मे0 बाला जी आईस कैण्डी इन्डस्ट्रीज (725 / 12. 10.2009)	Reg.No./ 3.3.00396 01.08.79	साईकिल, केक, आईस कैण्ड, आईस क्रीम	0.10 एकड़	मे0 बालाजी आईस कैण्डी इन्डस्ट्रीज	1239 / 13.07.11	आईस कैण्ड, आईसक्रीम	4356	199.65	1996500.00	247350.00	17491 50.00	–

83	घरमपुर	मे0 महादेव फार्माष्टिकल स		इन्जेक्टबल जल	शेड-C-20 &0.108	मे0 बिन्कलर फार्मास्टिकल्स	330/19.4.05	मेडिसिन ओरल लिक्विड	4704	2.93	31640.77	0	31640.77	–
84	दोनार	मे0 रानीसती फर्टिलाइजर	4357/14.12.90, 664/27.2.81	गेदाम फर्टिलाइजर	0.50 एकड़ 2.50 एकड़	मे0 रानीसती एको फीड्स्	875/21.05.11	कैटल एवं पोल्ट्री फार्म	21780	73.21	3660500.00	450000.00	3210500.00	–
85	सहरसा	मे0 जय दुर्गा आयल	1806/ 21.12.99	इडिबल तेल	704 वर्गफीट	मे0 प्रसाद इन्डस्ट्रीज	1529/ 1.11.06	फर्नीचर	1307	2.58	7740.00	2329.00	5411.00	–
86	समस्तीपुर	मे0 ओरो व्हीट प्रोडक्टस् लि0	616/13.04.77	आटा, सूजी, मैदा	2.50 एकड़	मे0 अमृत इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0	2875/ 17.12.07	फलावर मिल	108900	4.57	1142500.00	408375.00	7341250.00	पटना उच्च न्यायालय के ऑफिसियल लिविवेडटर से क्रय
87	समस्तीपुर	मे0 अन्नपूर्णा फुड प्रोडक्ट/मे0 कालिका इन्डस्ट्रीज	405/ 25.03.06, 0/0	स्लाइस ब्रेड	0.25 एकड़ 0.15 एकड़	मे0 उमाराज थर्मोप्लास्ट	597/ 05.09.09 615/10.9.09	ए.0डी0पी0ई0 पाईप एवं प्लास्टिक डिस्पोजेबल कंटेनर	17424	50.00	2000000.00	65341.00	1934659.00	–
88	समस्तीपुर	बबा स्पाईसेज इन्डस्ट्रीज	447/9.6.05 391/25.3.06	स्पाईसेज	4356 वर्गफीट	मे0 कामिनि इन्टरप्रार्जजेज	265/ 15.03.10	प्लास्टिक बैक/पिंटिंग	4356	50.00	500000.00	0	500000.00	–
89	समस्तीपुर	हर हर महादेव	1547/ 15.05.07	लेटेक्स फोम	4356 वर्गफीट	मे0 राज फुड प्रोडक्ट	619/ 10.09.09	सोयावडी प्लाँट	4356	50.00	500000.00	16335.00	483665.00	–
90	समस्तीपुर	मे0 आनन्द एग्रो	2887/ 18.12.07	वर्मी कम्पोस्ट	4356 वर्गफीट	मे0 आनंद इन्डस्ट्रीज	707/ 6.04.11	कैटल फीड	4356	60.50	605000.00	74997.00	530003.00	–

91	समस्तीपुर	मे0 शिवलोचन एग्रो इन्डस्ट्रीज इंडिया लि0	649/ 01.06.99	कैटल फीड, पोल्ट्री फीड	2 एकड़	मे0 अमृत ब्रीडस फार्म प्रा0 लि0	43/ 6.01.11	हैचरी	87120	55.00	11000000.00	1502820.00	9497180.00	–
92	समस्तीपुर	मे0 तिरूपति एग्रो केमिकल	1417/ 04.09.97	ऑगेनिक मैन्यूर	1.00 एकड़	मे0 परमात्मा एलाइड फीड कम्पनी	2519/ 31.10.07	आटा, चोकर, बेसन, सत्तू	43560	4.15	415000.00	163350.00	2516500.00	–
93	समस्तीपुर	मे0 तिरूपति एग्रो रिफानरी	1419/ 04.09.97	इडिवल तेल	2.00 एकड़	मे0 यूनिक व्हीट एलाइड एग्रो पोडक्ट प्रा0 लि0	791/ 28.04.11	कोल्ड स्टोरेज	43560	60.50	6050000.00	163350.00	5886650.00	–
94	समस्तीपुर	मे0 लक्ष्मी फ्लोर	530/7.6.03	आटा, सूजी, मैदा, बेसन	0.80 एकड़	मे0 लक्ष्मी व्हीट प्रोडक्ट	422/ 28.05.05	चावल	34848	4.15	332000.00	41160.00	2908400.00	–
95	कटिहार	मे0 बधवानी ब्रदर्स, मे0 ज्योति इन्डस्ट्रीज			0.30 एकड़ 0 .20 एकड़	मे0 नारायण दारा कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0	193/ 22.02.06	जनरल फेब्रिकेशन इंजीनियरिंग वर्क्स मेकनिकल रिपेयरिंग बर्क्स	21780	2.93	146500.00	18150.00	1283500.00	–
96	मरंगा	मे0 सिंह इन्डस्ट्रीज	1422/23.12 .00, 148/15.1.0 8	कैन्डल पत्ता, प्लेट, पेपर, / थर्मोकल कप एवं प्लेट	10890 6790	मे0 सावित्री रधुनाथ एग्रो फूड्स	162/6.3.10	चावल मील	17680	60.50	2455555.56	231304.00	2224251.56	90 वर्ष की लीज

97	मरंगा	मे0 न्यू महालक्ष्मी वॉडी विल्डर्स	1389/06.11.01	वाडी विल्डींग	43560	मे0 ब्रजेश आटोमोबाइल प्रा0 लि0	252 D /15.03.07	वाहन की मरम्मती एवं रख रखाव	43560	3.22	322000.00	48300.00	273700.00	–
98	मुजफ्फरपुर	मे0 मेघानी केमिकल	396/30.3.94	डिर्टेर्जेंट पाउडर एवं केक	15000	मे0 वजरंग रेयान	429/3.8.04		10890	6.71	167750.00	31537.00	136213.00	–
99	मुजफ्फरपुर	मे0 शुभम पॉलीमर	675 / 05.06.07	पी0 पी0 बैग	शेड-C6 &3000	मे0 सुगम पॉलीमर	461 / 27.03.10	पी0 पी0 बेग	3000	42.35	291666.67	0	291666.67	–
100	मुजफ्फरपुर	मे0 श्री गणेश इंजीनियरिंग कम्पनी	2143 / 07.09.88	फेब्रिकेशन	0.45 एकड़	मे0 आर्यन टोबैको इन्डस्ट्रीज	928 / 18.07.08	टोबैको कैन्डी	19602	38.50	1732500.00	0	1732500.00	–
101	मुजफ्फरपुर	मे0 प्रकाश इंजीनियरिंग कम्पनी	3117 / 06.03.74	ए0सी0एस 0आर0 एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स	43560	मे0 एग्रो फीड्स इन्डस्ट्रीज	2608 / 8.12.07	कैटल एवं पोल्ट्री फीड	43560	35.00	3500000.00	525000.00	2975000.00	–
102	औ0क्षे0 मुजफ्फरपुर	मे0 नेहा केमिकल इन्डस्ट्रीज	602/15.7.95	डिर्टरजेंट पाउडर एवं केक	शेड–C-18(1000 वर्गफीट)	मे0 श्याम इंडस्ट्रीज	1057/ 7.6.11	साईकिल, पैडल सैनेटरी वाटर फिडिंग	1000	51.25	117653.81	24105.00	93548.81	–
103	बेतिया	मे0 चांद बैक्स पी0डी0	1307/ 15.12.2000	वैक्स मोम कैंडल	4000 वर्गफीट	मे0 गुप्ता राइस मिल	04.02.11	चावल मिल	4000	121.61	1116712.58	0	1116712.58	–
104	बेतिया	मे0 श्री राम टेक्सटाइल	649 / 16.07.99	जूट क्लॉथ पावर लूम क्लॉथ	5000	मे0 ओम सॉइराम राइस मिल	168 / 15.02.10	चावल मिल	5000	100.50	1153581.27	0	1153581.27	–
105	बेतिया	मे0 सोनू ऑयल मिल	229/ 28.03.98	इडिविल ऑयल	0.125 एकड़	मे0 सोनल इंडस्ट्री	2922 / 26.11.09	वर्फ सिल्ली	5445	100.50	1256250.00	149928.70	1106321.30	–

106	बेतिया	मे0 मधोगढ़िया इंडस्ट्रीज	09.09.87	राईस एवं दाल मिल	0.75 एकड़	मे0 महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज	253/ 23.06.04	दाल मिल	32670	3.14	235500.00	65931.00	16956 9.00	–
107	बेतिया	मे0 प्रकाश प्लास्टिक वर्क्स	963/ 08.10.98	एच0डी0पी 0ई0 पाईप	21780	मे0 प्लास्टिक वर्क्स	MD Order/ 5.5.11	एच0डी0पी0ई0 पाईप बेयर कांटी	21780	121.61	6080500.00	625826.52	54546 73.48	–
108	सीतामढ़ी	मे0 हरिओम इंजिनयरिंग वर्क्स	1115 / 17.07.2007	आयरन फेब्रिकेशन	13790	मे0 श्रेया एग्रो प्रोडक्ट	1579 / 21.10.10	एग्रीकल्चर इक्वीपमंट फेब्रिकेशन मशीन जॉब कार्य	13790	352.00	11143434.3 4	161075.00	10982 359.34	–
								कुलः–	64.08 एकड़		499223610. 55	46351412. 52	452872 198.03	

परिशिष्ट -3.3.11
(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.4; पृष्ठ 104)
नीलामी बिक्री में हानि

क्र0 सं0	इकाई का नाम/पता	पी0सी0सी0की तिथि	आवंटन/स्थनान्तर की तिथि	उत्पाद/ परियोजना	प्रथम किस्त की तिथि	प्लॉट संख्या	क्षेत्र वर्गफीट में	दर	भूमि की निलामी की दर(₹ लाख में)	बाजार दर (दर प्रति वर्गफीट में)	बकाया मूल्य	कम आकलन	अभियुक्ति/वर्तमान स्थिति)
1	मे0 प्लास्ट वर्थ इन्डस्ट्रीज	19.6.07	19.6.07	युटेंशिल सक्रेवर तथा एलाइड अपाढ	20-07-2007	सी – 25	2500	-	2 .65	371	9.27	6.62	भूमि खंड के उपर से उच्च विद्युत धारा तार के गुजरने से निर्माण का शुरू नहीं होना
2	मे0 आर0के0 एम्युजमेंट प्रा0 लि0	19.6.07	19.6.07	लाईफ जैकेट	-	सी – 27	2500	-	4.00	371	9.27	5.27	इकाई कार्यरत
3	मे0 शिव शान्ति इन्टरप्राईजेज	19.06.07	19.6.07	पाराफिन वैक्स	25.06.07	5/5 & 5/4	4750	-	2.50	371	17.62	15.12	कार्यरत
4	मे0 एस0एस0 पेट	19.06.07	19.6.07	वोतल तथा जार	-	सी – 26	2500	-	2.55	371	9.27	6.72	इकाई कार्यरत
5	मे0 पाटलीपुत्रा इन्फोटेंक पार्क प्रा0 लि0	19.06.07	19.6.07	टेलकॉम पार्क	22.06.07	वी – 5	43560	-	11.92	371	161.6	149.68	कार्य आरंभ नही
कुल												**183.41**	

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भः कंडिका–4.1; पृष्ठ 108)

15–सूत्री कार्यक्रम

अ. शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम
1.	एकीकृत बाल विकास योजना सेवाओं की समुचित उपलब्धता
2.	विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
3.	उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन
4.	मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
5.	अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विधार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ
6.	मौलाना आजाद शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक अंतः संरचना को उन्नत करना

ब. आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम
7.	गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना
8.	तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन
9.	आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता
10.	राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती किया जाना

स. अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार करना

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम
11.	ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी
12.	अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा आवासित झुग्गी–झोपड़ियों की स्थिति में सुधार

द. साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम
13.	साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
14.	साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
15.	साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भः कंडिका–4.7.6; पृष्ठ 114)

विस्तृत विनियोग लेखे एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों में व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय						अंतर		
	विभागों के अनुसार			विस्तृत विनियोग लेखा के अनुसार					
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2007-08	24.42	2.03	26.45	24.42	1.99	26.41	0	0.04	0.04
2008-09	51.20	4.39	55.59	50.47	4.39	54.86	0.73	0	0.73
2009-10	160.25	3.70	163.95	159.03	3.70	162.73	1.22	0	1.22
2010-11	297.88	3.50	301.38	276.64	3.45	280.09	21.24	0.05	21.29
2011-12	283.65	4.27	287.92	283.12	4.27	287.39	0.53	0	0.53
कुलः	**817.40**	**17.89**	**835.29**	**793.68**	**17.8**	**811.48**	**23.72.**	**0.09**	**23.81**

परिशिष्ट–4.3

(संदर्भः कंडिका–4.7.7; पृष्ठ 115)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निधि निगम की अनुपयोगित निधि

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त निधि				उपयोजन				अवशेष
		मियादी कर्ज	सूक्ष्म	कुल	कुल योग	मियादी कर्ज	शिक्षा कर्ज	सूक्ष्म वित्त	कुल	
2007-08	123.34	150.00	36.66	186.66	310.00	257.47	54.68	17.48	329.63	(-)19.63
2008-09	(-)19.63	900.00	8.71	908.71	889.08	501.05	81.76	26.10	608.91	280.17
2009-10	280.17	0.00	0.00	0.0	280.17	72.88	1.08	0.00	73.96	206.21
2010-11	206.21	789.00	0.00	789.00	995.21	386.26	59.21	0.00	445.47	549.74
2011-12	549.74	438.00	0.00	438.00	987.74	505.76	10.53	0.00	516.29	**471.45**

परिशिष्ट–4.4

(संदर्भः कंडिका–4.8; पृष्ठ 116)

अल्पसंख्यकों के लिए क्रियान्वित योजनाओं की सूची दर्शाती विवरणी

केन्द्र प्रायोजित योजना	
1.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना
2.	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
3.	पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति
केन्द्रीय योजनागत योजना	
1	अल्पसंख्यकों छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्चशिक्षा हेतु मेद्या–सह–साधन छात्रवृत्ति
राज्य योजनागत योजना	
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
2	अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण
3	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को हिस्सा पूँजी
4	अल्पसंख्यक महानुभावों के नाम पर सभागार/स्मारक एवं हज भवन का निर्माण
5	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में समुचित हिस्सेदारी हेतु हिस्सा पूँजी
6	मुस्लिम परित्यकता हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
7	महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति
8	प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग की व्यवस्था
9	अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण
10	वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु रिवालविंग निधि
11	वक्फ सम्पत्ति के सर्वेक्षण प्रतिवेदन का कम्प्यूटरीकरण
12	वक्फ सम्पत्ति के संधारण एवं सुरक्षा

(विभाग द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट–4.5

(संदर्भः कंडिका–4.8.1.1; पृष्ठ 117)

बहुक्षेत्रीय विकास निधि के हरण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	जिला	लक्षित	स्वीकृत		प्राप्ति		वंचित		कुल वंचित
			केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	किशनगंज	87.9	70.86	24.88	60.04	21.34	10.82	3.54	14.36
2	पूर्णियाँ	85.5	80.00	35.41	71.40	26.48	8.60	8.93	17.53
3	कटिहार	82.6	81.68	18.03	53.20	11.05	28.48	6.98	35.46
4	अररिया	81.1	72.84	22.30	46.76	17.33	26.08	4.97	31.05
5	सीतामढ़ी	67.8	52.07	19.82	41.37	17.04	10.70	2.78	13.48
6	दरभंगा	59.7	53.65	16.59	33.10	13.18	20.55	3.41	23.96
7	पश्चिम चंपारण	58.6	53.94	15.12	46.97	12.8	6.97	2.32	9.29
कुल		523.2	465.04	152.15	352.84	119.22	112.2	32.93	145.13

परिशिष्ट–4.6

(संदर्भः कंडिका–4.8.1.1; पृष्ठ 118)

आँगनबाड़ी की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम सं0	जिला का नाम	कुल स्वीकृति	प्र.वि.पदा. बा.वि.प.प. एवं अभियंत्रण विभाग की कुल संख्या	जिला प्रशासन द्वारा कुल स्वीकृत आँगनबाड़ी	निर्माण हेतु लिये गये कुल आँगनबाड़ी	कुल पूर्ण आँगन–बाड़ी	कुल अपूर्ण आँगनबाड़ी	भूमि के अभाव में प्रभावित आँगनबाड़ी	कुल आबंटन	कुल व्यय	अवशेष
1	अररिया	902	8-बा.वि.प.प.	340	73	0	73	267	378.85	53.90	324.94
2	सीतामढ़ी	300	11-प्र.वि.पदा.	68	36	11	25	32	285.42	93.71	191.71
3	पूर्णियाँ	1121	12-प्र.वि.पदा.	998	469	132	337	529	4542.26	1224.73	3317.53
4	कटिहार	853	14-प्र.वि.पदा.	154	59	27	32	95	462	105.57	356.42
5	किशनगंज	594	7-प्र.वि.पदा.	446	294	132	162	152	1361.59	549.61	811.98
6	दरभंगा	665	8-अभियंत्रण विभाग	446	242	61	181	204	936.80	405.01	531.79
7	बेतिया	400	2-ग्रा.का.वि.	138	121	65	56	17	391.73	299.43	257.05
			रा.ग्रा.रो.का.	220	173	99	74	47	607.00	442.25	
	कुल	**4835**	**62**	**2810**	**1467**	**527**	**940**	**1343**	**8965.65**	**3174.21**	**5791.43**

बा.वि.प.प. – बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
प्र.वि.पदा. – प्रखंड विकास पदाधिकारी
ग्रा.का.वि. – ग्रामीण कार्य विभाग
रा.ग्रा.रो.का. – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

परिशिष्ट–5.1

(संदर्भः कंडिका–5.1.2 अ; पृष्ठ 128)

मास्टर रॉल पर फर्जी एवं संदेहास्पद भुगतानों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	योजना सं0	मजदूरी की अवधि	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
1	78/10-11	23/07/10 से 29/07/10	20320
2		30/07/10 से 05/08/10	20320
3		05/02/11 से 11/02/11	20320
4		12/02/11 से 18/02/11	20320
5		19/02/11 से 25/02/11	20320
6		28/02/11 से 06/03/11	20320
7		07/03/11 से 13/03/11	20320
8		14/03/11 से 20/03/11	20320
9		21/03/11 से 27/03/11	23122
10	73/10-11	21/09/10 से 27/09/10	20320
11		28/09/10 से0 4/10/10 (02 अक्टूबर)	20320
12		05/10/10 से 11/10/10	20320
13		12/10/10 से 18/10/10	20320
14		19/10/10 से 25/10/10	20320
15		08/01/11 से 14/01/11	20320
16		15/01/11 से 21/01/11	20320
17		22/01/11 से 28/01/11 (26 जनवरी 2011)	11149
18	424/10-11	23/09/10 से 29/09/10	8098
19		09/09/10 से 15/09/10	20320
20		16/09/10 से 22/09/10	20320
21	42/10-11	15/06/10 से 21/06/10	67760
22		24/06/10 से 30/06/10	67760
23		05/01/11 से 11/01/11	67760
24		20/1/11 से 26/1/11 (26 जनवरी 2011)	67760
25		05/01/11 से 11/01/11	67760
26		10/02/11 से 16/02/11	67760
27		21/02/11 से 27/02/11	67760
28		05/03/11 से 11/03/11	67760

क्रम सं0	योजना सं0	मजदूरी की अवधि	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
29		15/03/11 से 21/03/11	67760
30		24/03/11 से 30/03/11	67760
31		08/04/11 से 14/04/11	67760
32		16/04/11 से 22/04/11	67760
33		24/04/11 से 30/04/11	67760
34		05/05/11 से 12/05/11	35936
35	7/सी/11-12	23/06/11 से 29/06/11	22998
36		30/06/11 से 06/07/11	22998
37		07/07/11 से 13/07/11	22998
38		14/7/11 से 20/7/11	22998
39		21/7/11 से 27/7/11	22998
40		05/08/11 से 11/08/11	22998
41		12/08/11 से 18/08/11 (15 अगस्त 2011)	22998
42	9/सी /11-12	20/07/11 से 26/07/11	22998
43		10/08/11 से 16/08/11 (15 अगस्त 2011)	22998
44		17/08/11 से 23/08/11	13043
45	02/ए/11-12	12/09/11 से 18/09/11	22998
46		19/09/11 से 25/09/11	22998
47		26/09/11 से 02/10/11 (02 अक्टूबर 2011)	22998
48		03/10/11 से 09/10/11	22998
49		10/10/11 से 16/10/11	22998
50		17/10/11 से 23/10/11	22998
51		24/10/11 से 30/10/11	22998
52		01/11/11 से 07/11/11	22998
53		08/11/11 से 14/11/11	22998
54		20/11/11 से 26/11/11	22998
55		08/12/11 से 14/12/11	22998
56		15/12/11 से 21/12/11	22998
57		22/12/11 से 28/12/11	22998
58		05/01/12 से 11/1/12	22998
59		12/01/12 से 18/01/12	6204

क्रम सं0	योजना सं0	मजदूरी की अवधि	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
60	57ए/10-11	05/04/11 से 11/04/11	15787
61		10/12/11 से 16/12/11	20320
62		17/12/10 से 23/12/10	20320
63	55ए/10-11	10/02/11 से 16/02/11	13597
64	14ए/10-11	10/02/11 से 16/02/11	13597
65	47/ए/10-11	22/11/10 से 28/11/10	18360
66	88/सी/10-11	12/05/11 से 18/05/11	15426
67		19/05/11 से 25/05/11	6486
	कुल		**1976719**

परिशिष्ट–5.2

(संदर्भः कंडिका–5.1.2 ब; पृष्ठ 128)

अभिकरणों, जिनका पता नहीं लग सका, की सूची दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रतिष्ठानों का नाम एवं पता	राशि (₹)	अभिश्रवों की संख्या
1	मे0 सरस्वती ट्रेडर्स, दुल्हिन बाजार, पटना	213400	02
2	माँ दुर्गा इन्टरप्राइजेज, दुल्हिन बाजार, पटना	1911288	08
3	शम्भू हार्डवेयर, स्टेशन रोड, पटना	223865	03
4	श्याम हार्डवेयर, मेन रोड, नौबतपुर, पटना	1013944	07
5	श्रीराम ट्रेडर्स, अनिसाबाद, पटना	740877	18
6	रौल हार्डवेयर, बहादुरपुर, कंकड़बाग, पटना	1655655	13
7	मनोज हार्डवेयर, अशोक नगर, कंकड़बाग, पटना	2900867	21
8	सिन्हा हार्डवेयर मेन बाजार, बिक्रम, पटना	4987856	49
9	जगदम्बा हार्डवेयर, कदमकुआँ, पटना	2079117	14
10	जगदीप एजेन्सी, दरियापुर	236551	03
11	माँ दुर्गा ट्रेडर्स, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना	934921	22
12	विक्की हार्डवेयर, मेन रोड, मोकामा	614508	14
	कुल योग (ए)	**17512849**	**174**

परिशिष्ट– 5.3

(संदर्भः कंडिका–5.1.2 ब; पृष्ठ 128)

वैसे अभिकरणों की सूची, जिसने स्वयं द्वारा आपूर्ति किए जाने से इंकार किया, दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रतिष्ठानों का नाम एवं पता	राशि (₹)	अभिश्रवों की संख्या
1	न्यू पटना सेनिटरी स्टोर, एक्जीविशन रोड, पटना	1434048	14
2	हिन्दुस्तान पाईप, एक्जीविशन रोड, पटना	1170655	05
	कुल योग (बी)	**2604703**	**19**
	वृहत् कुल योग (ए + बी)	**20117552**	**193**

परिशिष्ट–5.4

(संदर्भः कंडिका–5.1.5; पृष्ठ 133)

डब्लू डी सी एवं यू.टी.आई. को प्रेषित राशियों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	स.क.वि. द्वारा आबंटित राशि	म.वि.आ. द्वारा यू.टी.आई. को भुगतान की गई राशि	यू.टी.आई. को प्राप्त आवेदनों की संख्या	बॉण्ड की राशि	यू.टी.आई. द्वारा निर्गत बॉण्डो की संख्या (कॉलम 7/2000)	यू.टी.आई. का वर्त्तमान मूल्य	जमा	ब्याज	यदि सरकारी सुरक्षा में 7.5 से 8.5 प्रतिशत के बीच निवेश हो तो सूद के साथ वर्त्तमान मूल्य	अन्तर (11–8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	2008-09	2800	2744	31517	351.88	17594	408.95	134.26	1.17	135.43	-273.52
2	2009-10	6700	6566	592630	6703.74	335187	6722.48	6921.36	213.74	7135.10	412.62
3	2010-11	10541.1	10330.28	378482	6577.70	328885	6619.51	6577.70	952.44	7530.14	910.63
4	2011-12	10000	5920	435571	10213.72	510686	10206.03	10055.60	1430.72	11486.32	1280.29
5	2012-मई 12	0	2000	92871	3023.90	151195	3021.36	3182.02	440.35	3622.37	601.01
	कुल	**30041.1**	**27560.28**	**1531071**	**26870.94**	**1343547**	**26978.33**	**26870.94**	**3038.42**	**29909.36**	**2931.03**

परिशिष्ट–5.5

(संदर्भः कंडिका–5.2.3; पृष्ठ 138)

संवेदकों द्वारा समर्पित तकनीकी बीड के साथ संलग्नित अभिलेखों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमण्डल	एजेन्सी	मशीन उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण	पैकेजों की कुल संख्या	प्रयोगशाला उपकरणों के दस्तावेज का स्वामित्व	बीड क्षमता (करोड़ में)	वित्तीय टर्न ओभर (करोड़ में)	कार्य अनुभव (करोड़ में)	श्रम अनुज्ञप्ति	क्या मशीन उपकरणों/प्रयोगशाला उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था
1	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	मे0 जे.एस. आर. कन्सट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	भाईब्रेटरी रौलर–2 फ्रौन्ट एण्ड लोडर–1 कंक्रीट मिक्सचर–2 ट्रैक्टर टीपर–24	6	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	आवश्यक–127.03 प्रस्तुत– 107.16	आवश्यक –127.03 प्रस्तुत– 19.86	40	नहीं
2	ग्रा.का.प्र. छपरा	मे0 जे.एस. आर. कन्साट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	15	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	40	नहीं
3	ग्रा.का.प्र. छपरा	बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	12	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	40	नहीं
4	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद	भाईब्रेटरी रौलर–2 फ्रौन्ट एण्ड लोडर–1 कंक्रीट मिक्सचर–2	2	संलग्न नहीं	आवश्यक–20.35 प्रस्तुत– 7.18	आवश्यक–20.35 प्रस्तुत– 18.49	आवश्यक–18.61 प्रस्तुत– 17.96	40	नहीं
5	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद	भाईब्रेटरी रौलर–2 फ्रौन्ट एण्ड लोडर–1 कंक्रीट मिक्साचर–2	2	संलग्न नहीं	आवश्यक–29.38 प्ररतुत– 7.18	आवश्यक–29.38 प्रस्तुत– 18.49	आवश्यक–27.21 प्ररतुत– 17.96	40	नहीं
6	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	5	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	आवश्यक–72.45 प्रस्तुत– 62.43	आवश्यक–72.45 कागज अप्रस्तुत	नहीं	नहीं

क्रम सं0	प्रमण्डल	एजेन्सी	मशीन उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण	पैकेजों की कुल संख्या	प्रयोगशाला उपकरणों के दस्तावेज का स्वामित्व	बीड क्षमता (करोड़ में)	वित्तीय टर्न ओभर (करोड़ में)	कार्य अनुभव (करोड़ में)	श्रम अनुज्ञप्ति	क्या मशीन उपकरणों/प्रयोगशाला उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था
7	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	2	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	अभिलेख संलग्नित नहीं	नहीं	नहीं
8	ग्रा.का.प्र. भागलपुर	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	10	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	नहीं	नहीं
9	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	अरावली इन्फ्रा पावर	संलग्न नहीं	1	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	100	नहीं
10	ग्रा.का.प्र. सीतामढ़ी	अरावली इन्फ्रा पावर	संलग्न नहीं	1	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	आवश्यक–54.15 प्रस्तुत–27.33 उप संवेदक	नहीं	नहीं
11	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	सिंह कन्सट्रक्शन मुजफ्फरपुर	स्टेटिक रौलर–3 फ्रौन्ट एण्ड लोडर–1 कंक्रीट मिक्सचर–2	5	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	आवश्यक–91.04 प्रस्तुत– 29.96	आवश्यक–91.04 प्रस्तुत– 7.32	50	नहीं
12	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	मे0 आयरन कंक्रीट, मोकामा	स्टेटिक रौलर–3 भाईब्रेटरी रौलर–2 एच एम पी–1 वाहनयुक्त यांत्रिक स्प्रे–1	3	संलग्न नहीं	आवश्यक–12.55 प्रस्तुत– 2.14	आवश्यक–12.55 प्रस्तुत– 8.22	आवश्यक–12.55 प्रस्तुत– 8.22	50	नहीं
13	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	मे0 आयरन कंक्रीट, मोकामा	स्टेटिक रौलर–3 भाईब्रेटरी रौलर–2 एच एम पी–1 वाहनयुक्त यांत्रिक स्प्रे–1	3	संलग्न नहीं	आवश्यक–04.37 प्रस्तुत– 8.22	आवश्यक–04.37 प्रस्तुत– 8.22	आवश्यक– प्रस्तुत–	50	नहीं

क्रम सं0	प्रमण्डल	एजेन्सी	मशीन उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाण	पैकेजों की कुल संख्या	प्रयोगशाला उपकरणों के दस्तावेज का स्वामित्व	बीड क्षमता (करोड़ में)	वित्तीय टर्न ओभर (करोड़ में)	कार्य अनुभव (करोड़ में)	श्रम अनुज्ञप्ति	क्या मशीन उपकरणों/प्रयोगशाला उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था
14	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	शुभम् कन्सट्रक्शन	स्टेटिक रौलर–3 फ्रौन्ट एण्ड लोडर–1 एच एम पी–1 वेट मिक्स पलान्ट–1 कंक्रीट मिक्सचर–2 टार व्यालर–1 वाहनयुक्त यांत्रिक स्प्रे–1	2	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	आवश्यक–24.27 प्रस्तुत– 21.83	आवश्यक–24.27 प्रस्तुत– 9.54	50	नहीं
15	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	शिवास्वथी कन्सट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	संलग्न नहीं	1	संलग्न नहीं	आवश्यक–61.42 प्रस्तुत–154.44	आवश्यक–61.42 प्रस्तुत– 33.75	आवश्यक–61.42 प्रस्तुत–	संलग्न नहीं	नहीं
16	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी, पंजाब	स्टेटिक रौलर–1 भाईब्रेटरी रौलर–2 एच एम पी–2 ट्रैक्टर/टीपर –12	1	संलग्न नहीं	उत्तीर्ण	आवश्यक–20.21 प्रस्तुत– 18.27	आवश्यक–20.21 प्रस्तुत– 18.27	संलग्न नहीं	नहीं

परिशिष्ट–5.6

(संदर्भः कंडिका–5.2.3; पृष्ठ 139)

कार्य की भौतिक प्रगति दर्शाती विवरणी

अभिकरण का नाम	प्रमण्डल का नाम	पथों की संख्या	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्यारंभ की निर्धारित तिथि	कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्यारंभ में विलंब	कार्य की प्रगति			निर्माण कि0मी0 में (सब बेस)	निर्माण कि0मी0 में (बेस)	निर्माण कि0मी0 में (स्तर)	व्यय (₹ करोड़ में)
							शून्य प्रगति	कार्यारंभ परंतु स्थगित	कार्य प्रगति पर				
मे0 जे.एस.आर. कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	71	235.817	30-11-2009	29-05-2011	5 माह	40	22	9 (धीमी प्रगति)	37.600	शून्य	शून्य	2.73
	ग्रा.का.प्र. छपरा	13	99.141	05-10-2009	04-10-2010	10/09 में आरंभ		5	11	77.539	34.283	12.060	19.73
		6		15-01-2010	14-01-2011		3						
बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	20	66.844	23-01-2010	22-07-2011	14 से 23 माह	8	8	4	11.762	2.912	शून्य	1.78
	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	16	32.411	01-02-2010	31-07-2011	14 से 24 माह	2	10	4	16.072	9.373	6.435	5.21
	ग्रा.का.प्र. छपरा	12	78.150	05-10-2009	04-10-2010	समय से	शून्य	2	10	69.516	22.450	22.710	21.70
एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	57	145.370	07-02-2010	04-09-2011	15 से 20 माह	43	14	शून्य	3.000	शून्य	शून्य	0.38
	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	23	46.715	01-02-2010	14-07-2011	9 से 20 माह	11	7	5	16.270	6.630	3.825	4.06
	ग्रा.का.प्र. भागलपुर	62	324.501	18-01-2010	17-07-2011	अनुपलब्ध	40	-	22	87.260	14.150	5.600	15.93
अरावली इन्फ्रा पावर, नई दिल्ली	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	15	38.370	10-12-2010	09-06-2012	10 से 11 माह	6	9	-	2.500	शून्य	शून्य	1.20
	ग्रा.का.प्र. सीतामढ़ी	16	74.124	02-06-2010	01-12-2011	4 से 13 माह	शून्य	7	9	41.240	10.540	6.400	9.97
मे0 आयरन कंक्रीट,	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	2	12.492	01-02-2010	31-01-2011	3 माह	1	2		4.700	4.300	0.406	1.62

अभिकरण का नाम	प्रमण्डल का नाम	पथों की संख्या	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्यारंभ की निर्धारित तिथि	कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्यारंभ में विलंब	कार्य की प्रगति			निर्माण कि0मी0 में (सब बेस)	निर्माण कि0मी0 में (बेस)	निर्माण कि0मी0 में (स्तर)	व्यय (₹ करोड़ में)
							शून्य प्रगति	कार्यारंभ परंतु स्थगित	कार्य प्रगति पर				
मोकामा		1		11-01-2010	10-01-2011								
	ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	2	15.334	05-03-2010	04-03-2011	11 माह	2	1		1.000	शून्य	शून्य	0.10
		1		25-05-2011	24-05-2012								
शिवास्वथी कन्सट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	24	83.765	08-06-2010	07-12-2011	6 से 12 माह	10	12	2	9.585	शून्य	1.110	3.63
सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी, पंजाब	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	9	25.931	28-04-2010	27-10-2011	7 माह	-	1	8	9.570	3.700	4.700	5.91
मे0 सिंह कन्सट्रक्शन मुजफ्फरपुर	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	62	182.518	30-11-2009	29-05-2011	5 से 6 माह	22	21	19	55.201	29.965	शून्य	17.57
				16-01-2010	15-01-2011								
				02-03-2010	01-09-2011								
शुभम् कन्सट्रक्शन	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	18	42.750	16-01-2010	15-01-2011		6	1	11	21.600	12.610	3.000	8.25
				02-03-2010	01-09-2011								
	कुल	**430**	**1504.233**				**194**	**122**	**114**	**464.415**	**150.913**	**66.246**	**119.77**

परिशिष्ट–5.7
(संदर्भः कंडिका–5.2.3; पृष्ठ 139)

सात प्रमंडलों में विभिन्न संवेदकों को प्रदान किये गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

प्रमण्डल का नाम	अभिकरण का नाम	पैकेजों की संख्या	पैकेज में पथों की संख्या	पैकेज में पथ की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	भु.अ.भि., प.नि.वि. का कार्यावंटन का माह	अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में) निर्माण+रखरखाव	कार्यारंभ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	मे0 जे.एस.आर. कन्सट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद	6	71	235.817	नवम्बर–09	133.44 (127.01 + 6.43)	30-11-2009	29-05-2011
ग्रा.का.प्र. छपरा		15	19	99.141	अगस्त–09	56.87	05-10-2009 एवं 15-01-2010	04-10-2010 एवं 14-01-2011
ग्रा.का.प्र. छपरा	बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., हैदराबाद	12	12	78.15	अगस्त–09	46.41 (45.16 + 1.25)	05-10-2009	04-10-2010
ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर		2	16	32.411	जनवरी–10	20.50 (18.61 + 1.89)	01-02-2010	31-07-2011
ग्रा.का.प्र. रोसड़ा		2	20	66.844	जनवरी–10	29.32 (27.15 + 2.17)	23.01.10	22.07.11
ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	5	57	145.37	फरवरी–10	72.45 (66.95 + 5.50)	26-02-2010 एवं 05-03-2010	25-08-2011 एवं 04-09-2011
ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर		2	23	46.715	फरवरी–10	27.88 (24.81 + 3.07)	15-03-2010	14-03-2011 एवं 14-09-2011
ग्रा.का.प्र. भागलपुर		10	62	324.501		164.62 (158.69 + 5.93)	18-01-2010	17-07-2011
ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	अरावली इन्फ्रा पावर, नई दिल्ली	1	15	38.37	दिसाम्बर–10	29.77 (28.33 + 1.44)	10-12-2010	09-06-2012
ग्रा.का.प्र. सीतामढ़ी		1	16	74.124	मई–10	54.15 (50.31 + 3.84)	02-06-2010	01-12-2011
ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	मे0 सिंह कन्सट्रक्शन मुजफ्फरपुर	5	62	182.518	11/2009, 01/2010 एवं 02/2010	95.63 (90.59 + 5.04)	02-03-2010, 16-01-2010 एवं 30-11-2009	01-09-2011, 15-01-2011 एवं 29-05-2011
ग्रा.का.प्र. रोसड़ा	मे0 आयरन	3	3	15.334	02/2010 एवं 04/2010	6.35 (5.92 + 0.43)	05-03-2010 एवं 25-05-2011	04-03-2011 एवं 24-05-2012

प्रमण्डल का नाम	अभिकरण का नाम	पैकेजों की संख्या	पैकेज में पथों की संख्या	पैकेज में पथ की कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	भु.अ.भि., प.नि.वि. का कार्यावंटन का माह	अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में) निर्माण+रखरखाव	कार्यारंभ की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि
ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	कंक्रीट, मोकामा	3	3	12.492	दिसम्बर–10	6.17 (5.73 + 0.44)	01-02-2010 एवं 11-01-2010	31-01-2011 एवं 10-01-2011
ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	शुभम् कन्सट्रक्शन	2	18	42.75	जनवरी–10	24.19 (22.88 + 1.31)	16-01-2010	15-07-2011
ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	शिवास्वथी कन्सट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद	1	24	83.765	मई–10	64.53 (61.42 + 3.11)	08-06-2010	07-12-2011
ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	सिंह कन्सट्रक्शन कम्पनी, पंजाब	1	9	25.93	जनवरी–10	21.17 (20.22 + 0.95)	28-04-2010	27-10-2011
	कुल	**71**	**430**	**1504.233**		**853.45**		

परिशिष्ट–5.8

(संदर्भः कंडिका–5.2.4; पृष्ठ 140)

नमूना जाँचित कार्यसमूह का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

समूह संख्या	कार्य का नाम	शामिल प्रमंडलों की संख्या	प्राक्कलित राशि	अनुबंध की राशि / तिथि	कार्यारंभ की तिथि	कार्यपूर्ण की तिथि
1	फ्लोराईड प्रभावित गाँवों के लिए 100 अदद् लघु जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण	7[1]	44.64	34.05 (23.72% कम पर) /20.04.10	1.4.2010	12 माह (31.3.2011)
2	आर्सेनिक प्रभावित गाँवों के लिए 150 अदद् लघु जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण	14[2]	66.96	51.07 (23.72% कम पर)/17.4.10	1.4.2010	12 माह (31.3.2011)
3	फ्लोराईड प्रभावित गाँवों के लिए 200 अदद् लघु जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण	12[3]	89.28	68.10 (23.72% कम पर)/17.4.10	1.4.2010	12 माह (31.3.2011)
5	सूखा प्रभावित गाँवों के लिए 400 अदद् लघु जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण	29[4]	77.80	79.57 (2.27 % कम पर) /20.04.10	1.4.2010	12 माह (31.3.2011)
	कुल		**278.68**	**232.79**		

1 *लो.स्वा.प्रमंडल बिहारशरीफ, औरंगाबाद, शेखपुरा, भभुआ, बाँका, भागलपुर पूर्वी और भागलपुर पश्चिमी (अनुबंध करनेवाला प्रमंडल – लो.स्वा.बिहारशरीफ)*

2 *लो.स्वा.प्रमंडल बक्सर, आरा, पटना (पश्चिम), हाजीपुर, छपरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर (पूर्वी), भागलपुर (पश्चिमी), कटिहार और दरभंगा (अनुबंध करनेवाला प्रमंडल– लो.स्वा. पटना पश्चिम)*

3 *लो.स्वा.प्रमंडल गया, जमूई, मुंगेर, नवादा, सासाराम, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, शेखपुरा, भभुआ, बाँका, भागलपुर पश्चिम (अनुबंध करनेवाला प्रमंडल– लो.स्वा. भागलपुर (पूर्वी))*

4 *लो.स्वा.प्रमंडल पटना (पूर्व), पटना (पश्चिम), बिहारशरीफ, हिलसा, आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर (पूर्वी), भागलपुर (पश्चिमी), बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमूई, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सीवान, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार (अनुबंध करनेवाला प्रमंडल– लो. स्वा. पटना (पूर्वी))*

परिशिष्ट–5.9

(संदर्भः कंडिका–5.2.6; पृष्ठ 145)

दवाओं के स्थानिक क्रम पर किए गए अधिक भुगतानों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी (राशि ₹ में)

क्रम सं0	औषधि का नाम	औषधि की संख्या	वैट के साथ क्रय दर	क्रय की कुल राशि	बि0 रा0 स्वा0 स0 का दर	बि0 रा0 स्वा0 स0 के दर पर कुल राशि	अधिक भुगतान (5–7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर							
1	सेफ्ट्रीजोन इन्जे. 9 ग्रा. ए.एमपी.	18500	28.6	529100	12.879	238262	290838.5
2	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	60840	7.48	455083.2	3.864	235086	219997.44
3	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	1780	7.48	13314.4	3.864	6877.92	6436.48
4	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	3090	7.48	23113.2	3.864	11939.8	11173.44
5	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	290	7.48	2169.2	3.864	1120.56	1048.64
6	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	99604	7.48	745037.92	3.864	384870	360168.06
7	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	100396	7.48	750962.08	3.864	387930	363031.94
8	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एम.एल.	46800	7.48	350064	3.864	180835	169228.8
9	कफ एक्सपेटोरेन्ट 60 एस.एल.	53200	7.48	397936	3.864	205565	192371.2
10	पारासिटामॉल 500 एम.जी.	1000000	0.2475	247500	0.165	165000	82500
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया							
11	रेनिटीडीन इन्जे. (2 एम.एल)	600	2.24	1344	1.144	686.4	657.6
12	कोट्रीमाजोल ट्यूब (15 ग्राम)	10000	19.76	197600	8.65	86500	111100
13	सूई के साथ डिसपोजेबल सिरींज–3 सीसी	3000	5.00	15000	1.16	3480	11520
14	डेक्सामेथासोन इन्जे. (2 एम.एल)	300	7.18	2154	2.45	735	1419
15	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	100000	3.54	354000	1.37	137000	217000
16	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	100000	3.54	354000	1.37	137000	217000
17	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	150000	3.54	531000	1.37	205500	325500
18	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	100000	3.54	354000	1.37	137000	217000
19	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	100000	3.54	354000	1.37	137000	217000
20	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	40000	3.57	142800	1.37	54800	88000
21	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	114400	3.57	408408	1.37	156728	251680
22	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	142600	3.57	509082	1.37	195362	313720

क्रम सं0	औषधि का नाम	औषधि की संख्या	वैट के साथ क्रय दर	क्रय की कुल राशि	बि0 रा0 स्वा0 स0 का दर	बि0 रा0 स्वा0 स0 के दर पर कुल राशि	अधिक भुगतान (5–7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	43000	3.57	153510	1.37	58910	94600
24	नौरफ्लोसासिन 400 एम.जी. + टिनिडाजोल 500 एम.जी.	30000	3.57	107100	1.37	41100	66000
25	आर.एल. सोलूषन 500 एम.एल	1000	11.50	11500	9.71	9710	1790
लेडि एलगिन अस्पताल, गया							
26	को एमोक्सीक्लेव 1000×200 एम.जी	600	168.48	101088	33.319	19991.4	81096.6
27	क्रोमिक कैटगट सं0–2	2000	99.84	199680	16.583	33166	166514
28	एम्पीसिलिन इन्जे. 500 एम.जी.	3000	8.84	26520	3.619	10857	15663
29	को एमोक्सीक्लेव 1000×200 एम.जी	1000	168.48	168480	33.319	33319	135161
30	जेन्टामाईसिन इन्जे. 2 एम.एल	1000	7.07	7070	2.7	2700	4370
31	सोडियम बाई कार्बोनेट इन्जे. 10 एम. एल	360	9.36	3369.6	5.762	2074.32	1295.28
32	रेनिटीडिन इन्जे. 2 एम.एल	360	2.24	806.4	1.114	401.04	405.36
33	मिजोप्रोस्टल टेबलेट 200 एम.जी	10000	5.72	57200	4.375	43750	13450
34	को एमोक्सीक्लेव 1000×200 एम.जी.	1500	170.10	255150	33.318	49977	205173
35	मिजोप्रोस्टल टेबलेट 200 एम.जी	8000	5.78	46240	4.375	35000	11240
36	सिप्रोफ्लोसासिन 100 एम.एल	7500	13.65	102375	7.25	54375	48000
37	पारासिटामॉल 60 एम.एल सिरप	1000	8.61	8610	5.199	5199	3411
38	रेबेप्राजोल 20 एम.जी टेबलेट	100	0.84	84	0.38	38	46
39	मिथाईल एरगोमेट्रिन टेबलेट (0.125 एम.जी)	1000	6.93	6930	0.33	330	6600
40	डाई साईक्लोमिन इन्जे. 10 एम.जी	100	8.40	840	1.69	169	671
41	सिप्रोफ्लोसासिन 500 एम.जी	1000	7.25	7250	0.947	947	6303
42	एक्लोफेनिक टेबलेट 100 एम.जी	500	2.42	1210	0.249	124.5	1085.5
43	प्रोवायोडीन–आयोडिन घोल	100	101.85	10185	18.46	1846	8339
44	ओफ्लोक्सासिन + औरनिडाजोल 30 एम.एल सिरप	2500	12.48	31200	7.36	18400	12800
45	जाईलोसिन इन्जे. 30 एम.एल	300	13.00	3900	2.043	612.9	3287.1
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर							
46	विटामिन बी टेबलेट	500000	0.16	80000	0.142	71000	9000
47	ओफ्लोक्सासिन + औरनिडाजोल	10000	31.10	311000	7.36	73600	237400

क्रम सं0	औषधि का नाम	औषधि की संख्या	वैट के साथ क्रय दर	क्रय की कुल राशि	बि0 रा0 स्वा0 स0 का दर	बि0 रा0 स्वा0 स0 के दर पर कुल राशि	अधिक भुगतान (5–7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
48	विटामिन बी टेबलेट	300000	0.47	141000	0.142	42600	98400
49	कफ एक्सपेटोरेन्ट 200 एम.एल	50000	6.76	338000	6.44	322000	16000
50	रेनिटीडिन इन्जे. 200 एम.एल	10000	2.31	23100	1.144	11440	11660

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी

51	सर्जिकल दस्ताना (स्अेरीलाइज)	30000	11.96	358800	6.99	209700	149100
52	10 प्रतिषत डेक्सट्रोज इन्जे. 500 एम. एल	4992	12.79	63847.68	9.83	49071.4	14776.32
53	पारामिन (पारासिटामौल 500 एम.जी और डाईसाईक्लोमिन हाइड्रोक्लोराईड 500 एम.जी)	200000	0.38	76000	0.22	44000	32000
54	मिफोक्सासिलिन 500 (एमोक्सीसिलीन कैपसूल 500 एम.जी)	400000	2.44	976000	1.321	528400	447600
55	सूई बंद के साथ डिसपोजेबल सिरींज 2 एम.एल	150000	3.09	463500	1.13	169500	294000
56	सूई बंद के साथ डिसपोजेबल सिरींज 2 एम.एल	150000	3.09	463500	1.13	169500	294000
57	पौलिग्लाईकोनिक एसिड सुर्टस (विक्रील टाईप)	100	1653.00	165300	498.6	49860	115440
58	पौलिग्लाईकोनिक एसिड सुर्टस (विक्रील टाईप)	400	1653.00	661200	498.6	199440	461760
59	कैलशियम सिरम बोतल 200 एमएल	19259	29.95	576807.05	9.1	175257	401550.15
60	कैलशियम सिरम बोतल 200 एमएल	972	29.95	29111.4	9.1	8845.2	20266.2
61	कैलशियम सिरम बोतल 200 एमएल	15764	29.95	472131.8	9.1	143452	328679.4
62	ए.डी.सिरींज 5 एम.एल	100000	4.26	426000	1.757	175700	250300
63	कैलशियम सिरम बोतल 200 एमएल	20000	29.95	599000	9.1	182000	417000
64	माईफ्लेक्सिया 500 (सेफालेक्सिन कैपशूल 500 एम.जी)	200000	3.64	728000	2.069	413800	314200

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर

65	विटामिन बी कम्पलेक्स	855900	0.1612	137971.08	0.142	121538	16433.28
66	ए एस यू एस	200	336	67200	176.8	35360	31840
67	एमोक्सीक्लेव इन्जे.	10000	93.45	934500	33.319	333190	601310
68	लेवोसेट्रिजीन	30850	25.74	794079	16.03	494526	299553.5
69	कोफेक्सी	300000	2.2575	677250	1	300000	377250
70	इरीथ्रोमाइसिएन	50000	16.065	803250	5.03	251500	551750
71	मेट्रानिडाजोल 400 एम.जी	104200	0.4004	41721.68	0.38	39596	2125.68

क्रम सं0	औषधि का नाम	औषधि की संख्या	वैट के साथ क्रय दर	क्रय की कुल राशि	बि0 रा0 स्वा0 स0 का दर	बि0 रा0 स्वा0 स0 के दर पर कुल राशि	अधिक भुगतान (5–7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
72	मेट्रानिडाजोल 200 एम.जी	63800	0.2288	14597.44	0.21	13398	1199.44
73	केटगट क्रोमिक	100	257.15	25715	201	20100	5615
74	मेटाक्लोप्रामिड इन्जे.	5000	2.21	11050	1.33	6650	4400
75	कोट्रीमेक्साजोल	1000000	1.09	1090000	0.523	523000	567000
76	बिटामेथासोन मल्हम	10000	10.14	101400	7.9	79000	22400
77	बिटामेथासोन मल्हम	5000	10.14	50700	7.9	39500	11200

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली

78	ओफ्लोक्सासिन 200 एम.जी के साथ टिनिडाजोल 600 एम.जी	596000	4.04	2407840	1.159	690764	1717076
79	रेब्रापाजोल के साथ डोमपेरीडोन टेबलेट (20 एम.जी + 10 एम.जी)	200000	3.43	686000	0.569	113800	572200
कुल				**22843538.13**		**9593361**	**13250177**

परिशिष्ट–5.10

(संदर्भः कंडिका–5.3.2; पृष्ठ 151)

मोबिलाईजेशन/उपकरण अग्रिम की विवरणी

(राशि करोड़ में)

क्रम सं0	प्रमण्डल का नाम	अभिकर्त्ता का नाम	पैकेज सं0	एकरारनामा सं0 एवं दिनांक	एकरारित राशि (सुविधा लागत को छोड़कर)	कार्य प्रारम्भ तिथि/कार्य समाप्ति तिथि	एकल भुगतान	मोबिलाईजेशन अग्रिम/अभिश्रव सं0/दिनांक	उपकरण अग्रिम/अभिश्रव सं0/ दिनांक	अभ्युक्ति कार्य समाप्ति के बाद/पहले उपकरण अग्रिम की देयता
1	ग्रा.का.प्र. रांसड़ा	बी.एस.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., हैदराबाद	30 आर - IX, X	22 एवं 23/2009-10	27.21	23.01.10 22.7.11	1.78	1.36 16, 17/ 14-07-10	-	
2	ग्रा.का.प्र. रांसड़ा	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	30 आर -VI, VII, VIII, XI, XII	01, 02, 06, 07 एवं 08/10-11	66.95	05.03.10 04.09.11	0.38	3.35 11 से 15/14-07-10	6.69 4 से 6/08-06-11 एवं 8, 9/15-06-11	तीन माह पहले
3	ग्रा.का.प्र. भागलपुर	एस.पी.आर. इन्फ्रारट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	1 से X	5, 49 से 57/09-10	158.69	18.01.10 18.07.11	15.93	7.93 07/2010	15.87 12/2010 एवं 01/2011	सात से आठ माह पहले
4	ग्रा.का.प्र. सीतामढ़ी	अरावली इन्फ्रा पावर	बीआर-33आर-01	12/10-11	50.31	06/02/10 12/01/11	9.97	2.51 123/28-07-10	5.03 123/29-01-11	17 दिनों के बाद
5	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	शिवास्वथी कन्साट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	21आर /01	06/10-11	61.42	06/08/10 12/07/11	3.63	3.07 01/2011 एवं 04/2011	3.07 25/07/2011	13 दिनों के बाद
6	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	सिंह कन्साट्रक्शन पंजाब	बीआर-21आर-01	01/10-11	20.22	28-04-10 27-10-11	5.91	0.74	1.50	
7	ग्रा.का.प्र. बेनीपट्टी	अरावली इन्फ्रा पावर	बीआर - 21R-01	07/10-11	28.33	10-12-10 09-06-12	1.20	0.66 06/2011	शून्य	
8	ग्रा.का.प्र. समस्तीपुर	एस.पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि., हैदराबाद	बीआर-30आर -I एवं V	02/10-11 एवं 03/10-11	24.81	15-03-10 14-09-11	4.06	1.24 34 एवं 35/13-07-10	2.48 29 एवं 30/28.04.11	4½ महीने पहले
9	ग्रा.का.प्र.	बी.एस.एस.	बीआर-	04/10-11 एवं	18.61	01-02-10 31-07-11	5.21	0.67	शून्य	

	समस्तीपुर	प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., हैदराबाद	30आर-II एवं IV	05/10-11				36 एवं 37/13-07-10		
10	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	मे0 जे.एस.आर. कन्सट्रक्शन प्रा.लि., हैदराबाद	बीआर-23- XI. XII. XIV. XV. XVII. XVIII	52 से 57/09-10	127.03	30-11-09 29-05-11	2.73	6.35 105 से 110/20-07-10	शून्य	
11	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	शुभम् कन्सट्रक्शन	बीआर-23 आर-II एवं XVI	02/10-11 एवं 13/10-11	22.96	16-01-10 15-07-11	8.25	0.78 09, 10/30-04-11	0.78 10/30.04.11	$2^{1}/_{2}$ महीना पहले
12	ग्रा.का.प्र. मुजफ्फरपुर	सिंह कन्सट्रक्शन मुजफ्फरपुर	I. III. IV. V. XIII	63. 64. 65 एवं 74/09-10 और 01/11-12	91.04	30-11-09 29-05-11	17.57	3.25	शून्य	
				कुल	**697.58**		**76.62**	**31.91**	**35.42**	

परिशिष्ट–5 .11

(संदर्भः कंडिका–5.3.3; पृष्ठ 153)

स्वजलधारा योजनातहत् पंचायती राज संस्थानों को प्रदत्त असमायोजित अग्रिमों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रमंडल का नाम	ग्रा.ज.स्व. समितियों की संख्या	स्वजल धारा योजना के तहत् प्रदत्त अग्रिम	अग्रिम की अवधि	लंम्बित अग्रिम
1.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हाजीपुर	352	4.03	अगस्त 2004 से सितम्बर 2007	4.03
2.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, गया	2	0.10	दिसम्बर 2008	0.10
3.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णिया	377	1.11	2002–03 के बाद से	1.11
4.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1	1.41	फरवरी 2007 के बाद से	0.67
5.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर (पूर्व)	7	1.14	2005–12	0.79
6.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, कटिहार	3	0.82	2007–10	0.42
	कुल	**742**	**8.61**		**7.12**

परिशिष्ट–5.12

(संदर्भः कंडिका–5.3.3; पृष्ठ 153)

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्वा.अभि.) के तहत् पंचायती राज संस्थानों/प्र.वि.पदा. को प्रदत्त असमायोजित अग्रिमों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	प्रमंडल का नाम	निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत अग्रिम
1.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, हाजीपुर	₹ 1.08 करोड़ में से सिर्फ ₹ आठ लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ एवं ₹ एक करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक लम्बित है।
2.	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेगूसराय	₹ आठ लाख मई 2008 से दो ग्रा.का.स. के यहाँ लम्बित है।
	कुल	**₹ 1.08 करोड़**

परिशिष्ट–5.13

(संदर्भः कंडिका 5.3.4; पृष्ठ 154)

अभिकरणों को प्रदत्त मोबिलाईजेशन अग्रिमों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	कार्य का नाम	शामिल प्रमण्डलों की संख्या	प्राक्कलित राशि (₹ करोड़ में)	अनुबंध की राशि/अनुबंध की तिथि	कार्यारंभ/पूर्णता की तिथि	अभिकरण का नाम	मोबिलाईजेशन अग्रिम (₹ करोड़ में)
1.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में 100 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	7[5]	44.64	34.04884 (23.72% कम पर) / अनुपलब्ध	1.4.2010/ 31.03.2011	मे0 पुंज लॉयड गुड़गाँव	1.70
2.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ आर्सेनिक प्रभावित गाँवों में 150 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	14[6]	66.96	51.07326 (23.72% कम पर)/17.4.10	1.4.2010/ 31.03.2011	मे0 पुंज लॉयड गुड़गाँव	2.55
3.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में 200 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	12[7]	89.28	68.09868 (23.72% कम पर)/17.4.10	1.4.2010/ 31.03.2011	मे0 पुंज लॉयड गुड़गाँव	3.41
4.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ सूखा प्रभावित गाँवों में 400 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	29[8]	77.80	79.56768 (2.27 % अधिक पर)/ अनुपलब्ध	1.4.2010/ 31.03.2011	मे0 पुंज लॉयड गुड़गाँव	3.98
5.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ आयरन प्रभावित गाँवों में 500 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	9[9]	147.93	157.59 (6.53 % अधिक पर)	1.4.2010/ 30.09.2011	मे0 प्रतिभा मेम्ब्रेन फिल्टर (जे भी)	7.88
6.	सोलर पम्पिंग सेट के साथ सूखा प्रभावित गाँवों में 1500 अदद् लघु ग्रा0 जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण	27[10]	219.75	220 (0.11 % अधिक पर)	1.4.2010/ 30.09.2011	मे0 सुभाष प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग लि0	11
कुल			**646.36**	**610.37746 करोड़**			**30.52**

5 *लो.स्वा.प्रमण्डलों बिहार शरीफ, औरंगाबाद, शेखपुरा, भभुआ, बाँका, भागलपुर (पूर्वी) एवं भागलपुर (पश्चिमी) (एकरारनामा प्रमण्डल–लो.स्वा.प्र.बिहारशरीफ)*

6 *लो.स्वा.प्रमण्डलों बक्सर, आरा, पटना (पश्चिम), हाजीपुर, छपरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर (पूर्वी) एवं भागलपुर (पश्चिमी), कटिहार एवं दरभंगा (एकरारनामा प्रमण्डल–लो.स्वा.प्र. पटना (पश्चिम))*

7 *लो.स्वा.प्रमण्डलों गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, सासाराम, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, शेखपुरा, भभुआ, बाँका, भागलपुर (पूर्व), भागलपुर (पश्चिम), (एकरारनामा प्रमण्डल– लो. स्वा. प्र. भागलपुर (पूर्व))*

8 *लो.स्वा.प्रमण्डलों पटना (पूर्व), पटना (पश्चिम), बिहारशरीफ, हिलसा, आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, गया, औरंगाबाद,, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर (पूर्वी) एवं भागलपुर (पश्चिमी), बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सीवान, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार (एकरारनामा प्रमण्डल–लो.स्वा.प्र. पटना (पूर्व))*

9 *लो.स्वा.प्रमण्डलों बेगूसराय खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज (एकरारनामा प्रमण्डल–लो.स्वा.प्र. बेगूसराय)*

10 *लो.स्वा.प्रमण्डलों पटना (पूर्व), पटना (पश्चिम), बिहारशरीफ, हिलसा, आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, गया, औरंगाबाद,, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर (पूर्वी) एवं भागलपुर (पश्चिमी), बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सीवान, बेगूसराय, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार (एकरारनामा प्रमण्डल–लो.स्वा.प्र. हाजीपुर)*

परिशिष्ट–5.14

(संदर्भः कंडिका 5.3.7; पृष्ठ 159)

अस्पतालों द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे मशीनों/उपकरणों की विवरणी

विभाग का नाम	मशीनों का नाम एवं संख्या	मशीन की इतिहास पंजी के आधार पर अधिष्ठापन की तिथि	मशीन के लॉग–बुक अथवा इतिहास पंजी के आधार पर कार्यशील की स्थिति	वैट/आई.टी को छोड़कर मशीनों का मूल्य (₹ लाख में)
नेफ्रोलॉजी	नेफ्लोमीटर पूर्ण स्वाचालित (एक)	10.3.10	री–एजेन्ट की अनुपब्धता के चलते अधिष्ठापन के समय से ही इसका उपयोग नहीं हो रहा था एवं मार्च 2012 से अकार्यशील था।	43.68
	रोल काउन्टर 5 पार्ट (एक)	10.3.10	वर्किंग एवं री–एजेन्ट की अनुपब्धता के चलते अधिष्ठापन के समय से ही इसका उपयोग नहीं था ।	33.28
	ब्लड टी बी कटर (एक)	8.3.10	री–एजेन्ट की अनुपब्धता के चलते अधिष्ठापन के समय से ही इसका उपयोग नहीं हो रहा था एवं मार्च 2012 से अकार्यशील था।	20.28
	इरीथ्रोपायोटीन एंसे मशीन (सीएलआईए)/एक	17.06.09	री–एजेन्ट की अनुपब्धता के चलते अधिष्ठापन के समय से ही इसका उपयोग नहीं हो रहा था एवं मार्च 2012 से अकार्यशील था एवं सम्बन्धित अभियंता ने 10.05.2012 से मषीन की ऊर्जा आपूर्ति को विच्छेदित कर दिया।	33.00
	साइक्लोस्पोरिन एंसे मशीन एवं आयरन प्रोफाइल एंसे मशीन (एक)	17.06.09	मई 2010 से री–एजेन्ट की कमी एवं मकनीकी समस्या के चलते अकार्यशील थी।	35.77
	ए.बी.जी. जेम 3000/दो	4.04.09	कार्टरिज की अनुपलब्धता के चलते अक्टूबर 2009 से मार्च 2011 तक अकायशील था। उसके बाद उचित विद्युत आपूर्ति की समस्या के चलते नवम्बर 2011 से दुबारा अकार्यशील था।	14.44
	पी.डी. साईक्लर/तीन	अप्रैल -09	स्थापना के समय से ही इकाई में निष्क्रिय था, जिसका कारण दर्ज नहीं था।	22.50
	भेन्टीलेटर नन–इनभेजिव (दो)	अप्रैल -09		11.90
क्लीनिकल पैथोलोजी	नेफ्लोमीटर पूर्ण स्वाचालित (दो)	17.4.10	रसायनिक कमी के चलते 26.10.2010 से 23.04.2012 तक यह अकार्यशील था।	87.16
	कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस (दो)	20.1.10	रसायनिक कमी के चलते 26.10.2010 से 23.04.2012 तक यह अकार्यषील था। 28.05.2010 से 19.01.2012 तक अकायशील था।	91.52
	कुल			**393.53**

परिशिष्ट–5.15

(संदर्भः कंडिका 5.4.1; पृष्ठ 162)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी

योजना	वर्ष	योजनाओं की सं.	स्वीकृत पत्र सं.	आबंटन	नि. एवं व्य. पदा. विपत्र सं.	व्यय	अभ्युक्तियाँ
प्रा.स्वा.केन्द्रों का सा.स्वा. केन्द्रों में उत्क्रमण	2006-07	*65* इकाईयाँ @ ₹ *136.60* लाख प्रति इकाई	157(10) दि. 17.03.07	₹ .88,79,00,000/-	सिविल सर्जन, पटना 306/06-07	शून्य	
	2007-08	*38* इकाईयाँ @ ₹ *136.36* लाख प्रति इकाई	258(10) दि. 14.03.08	₹ .51,90,80,000/-	सिविल सर्जन, पटना 175/07-08		
	2007-08	*98* इकाईयाँ @ ₹ *203.27* लाख प्रति इकाई	314(10) दि. 27.03.08 (गैर योजना)	₹.1,99,20,46,000/-	सिविल सर्जन, पटना 172/07-08		
अतिरिक्त प्रा.स्वा. केन्द्रों का निर्माण	2008-09	662 नई इकाईयाँ @ ₹ 53.15 लाख प्रति इकाई	-	₹.31,00,000/-		₹.3.15 करोड़	रा.स्वा.स. के पत्रांक एस.एच.एस.बी/ई. सी/41107/6145 दि. 10.05.2008 के द्वारा ₹ 31 लाख बिहार राज्य भवन निर्माण निगम का स्थानान्तरित
स्वा. उप–केन्द्रों का निर्माण	2007-08	1985 नई इकाईयाँ @ ₹ 9.50 लाख प्रति इकाई ₹ 1,88,57,50,000/-	102(10) दि. 13.2.08	₹. 1,20,09,25,000/-	सिविल सर्जन, पटना 143/07-08	₹ 10.53 करोड़	₹ 120.09 करोड़ में से ₹ 112.78 करोड़ रा.स्वा.स. को स्थानान्तरित
	2007-08	526 इकाईयाँ @9.50 लाख प्रति इकाई नाबार्ड प्रायोजित आर.आई.डी.एफ. योजना के तहत	116(10) दि. 18.02.08	₹.49,97,00,000/-	सिविल सर्जन, पटना 145/07-08		₹ 100 करोड़ 31 मार्च 2012 को प्रत्यार्पित
			कुल - ए	₹ 510,27,51,000/– ₹ 112.78 करोड़ रा. स्वा.स. को स्थानान्तरित तथा ₹ 397,49,51,000/– बि.रा.भ.नि.नि. के पास पड़ा था।		₹ 13.68 करोड़	बि.रा.भ.नि.नि. के पास ₹ 397.49 करोड़ में से ₹ 13.68 करोड़ घटाकर ₹ 383.81 करोड़ पड़ा था।

परिशिष्ट–5.16

(संदर्भः कंडिका 5.4.1; पृष्ठ 162)

राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रदत्त निधियों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

योजना	वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृति पत्र सं0	आबंटन	नि. एवं व्य. पदा. / विपत्र सं0	व्यय	अभ्युक्तियाँ
प्रा.स्वा.केन्द्रों का सा. स्वा.केन्द्रों में उत्क्रमण	2008-09	*62* इकाईयाँ @ ₹ *203.27* लाख प्रति इकाई ₹ 1,26,02,74,000/–	924(10) दि. 20.02.09	₹ 118.00 करोड़	सिविल सर्जन, पटना 202/2008–09	शून्य	
अतिरिक्त प्रा.स्वा.केन्द्रों का निर्माण	2009-10	*100* इकाई (भवन रहित) @ ₹ *53.55* लाख प्रति इकाई	286(10) दि. 06.11.09.	₹ 29,29,96,100	सिविल सर्जन, पटना 104/2009–10	शून्य	
स्वा. उप–केन्द्रों का निर्माण	2008-09	1908 नये स्वा.उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु रा.स्वा.सं. ने ₹ 112.78 करोड़ स्थानान्तरित किए।	भ.नि.वि. पत्र सं0 165(भी) दि. 7.1.2009	₹ 112,77,75,000/-	सिविल सर्जन, पटना 143/2007–08	शून्य	
	2006-07	नाबार्ड प्रायोजित ग्रामीण आधारभूत विकास निधि योजना के अन्तर्गत 689 इकाई ₹ 7.764 लाख प्रति इकाई	166(10) दि. 20.3.07	₹ 52,87,38,600/-	सिविल सर्जन, पटना 266/2006–07	₹ 25.91 करोड़	
	2008-09	325 इकाई ₹ 11 लाख प्रति इकाई नाबार्ड प्रायोजित ग्रामीण आधारभूत विकास निधि योजना के अन्तर्गत	997(10) दि. 30.3.09	₹ 35,75,00,000/-	सिविल सर्जन, पटना 201/2008–09 (₹ 30,90,79,875) 19/2009–10 (₹ 4,84,20,125)		
			कुल - बी	₹ 348,70,09,700/-		₹ 25.91 करोड़	

परिशिष्ट–5.17

(संदर्भः कंडिका 5.4.1; पृष्ठ 163)

बिहार चिकित्सकीय सेवाएँ एवं अंतः संरचना निगम की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी

योजना	वर्ष	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/दिनांक	आबंटन	नि. एवं व्य. पदा./विपत्र सं0	व्यय	अभ्युक्तियाँ
प्रा.स्वा.केन्द्रों का सा. स्वा.केन्द्रों में उत्क्रमण	2009-10	*136* इकाईयाँ @ ₹ *203.27* लाख प्रति इकाई ₹ 2,76,44,72,000/–	531(10) 03.02.10	₹ 60,67,26,000	अ.श.चि. पटना 137/09-10	शून्य	
	2010-11	2009–10 की स्वीकृत 136 इकाईयों में से 106 इकाईयाँ रद्द की गई एवं पुनः 2010–11 में योजना शीर्ष अन्तर्गत ₹ 2,15,46,62,000/– की स्वीकृति दी गई।	710(10) दि. 25.03.11.	₹ 65,66,66,000	उप सचिव 384/10-11	शून्य	
	2011-12	-	3(10)-बी/19.07.2011	₹ 5,00,00,000/-	उप सचिव	शून्य	
अतिरिक्त प्रा.स्वा.केन्द्रों का निर्माण	2010-11	100 इकाईयाँ @ ₹ 53.15 लाख प्रति इकाई	286(10) दि. 06.11.09.	₹ 23,85,03,900/-	उप सचिव विपत्र सं0 346/10-11	शून्य	
प्रा.स्वा.केन्द्रों का निर्माण	2010-11	128 @ ₹ 15.57 लाख प्रति इकाई	498(10) दि. 28.1.11	₹ 19,92,96,000/-	उप सचिव 326/10-1	शून्य	
			कुल - सी	**₹ 175,1191,900/-**		शून्य	

कुल प्राप्त निधि (ए+बी+सी) परिशिष्ट 5.14,5.15 एवं 5.16: ₹ 921.32 करोड़
मार्च 2012 तक कुल व्ययः ₹ 39.59 करोड़
31 मार्च 2012 तक व्यय के पश्चात कुल अवशेष राशिः ₹ 881.73 करोड़
31 मार्च 2012 तक को लौटाई गई राशिः ₹ 100.00 करोड़

परिशिष्ट–5.18

(संदर्भः कंडिका 5.4.2; पृष्ठ 163)

एस.एन.सी.यू. के लिए क्रय किए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	उपकरण का प्रकार	अभिकरण	दर (₹ में)	एस.एन.सी.यू. में व्यवस्थानुसार उपकरणों की संख्या (सं0 में)
1.	बिलरूबिनोमीटर, कुल बिलरूबिन, कैपिलरी आधारित	मे0 जैन इन्टरनेषनल, पटना	*226000* प्रति इकाई	1
2.	ग्लूकोमीटर	मे0 अभि मेडिको, पटना	*925.60*/इकाई *(100* स्ट्रीपस की कीमत -₹ *1200)*	1
3.	ओपेन केयर सिस्टम रेडियेन्ट वाटर, दराजों, 2 बोतलों तथा ट्रौली के साथ निर्धारित ऊँचाई	डेटेक्स ओहमेदा (इंडिया) प्रा.लि. कोलकाता	*49900* प्रति इकाई	14
4.	ऑक्सीजन हुड, कौनेक्टींग ट्यूब के साथ एस.एण्ड एम. सेट का तीन प्रत्येक	डेटेक्स ओहमेदा (इंडिया) प्रा.लि. कोलकाता	*8500* प्रति इकाई	14
5.	बेसिनेट ऑन ट्राली नियोनेटल ग्लास बेस विथ मैट्रेस फोटोथेरेपी अन्डर माउन्ट एवं सिंगल साईड ब्लू लाईट थेरेपी	डेटेक्स ओहमेदा (इंडिया) प्रा.लि. कोलकाता	*36500* प्रति इकाई	5
6.	सिरीन्ज पम्प, 10,20,50 एम.एल. सिंगल फेज	बी.ब्राउन मेडिकल (इंडिया) प्रा.लि. मुम्बई	*55520* प्रति इकाई	7
7.	पल्स ऑक्सीमीटर, बेडसाईड, नियोनेटल	वेरायटी व्यापार प्रा.लि. कोलकाता	*49890* प्रति इकाई	7
8.	ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर	वेरायटी व्यापार प्रा.लि. कोलकाता	*41366* प्रति इकाई	7

परिशिष्ट–5.19

(संदर्भः कंडिका 5.4.2; पृष्ठ 164)

नमूना जाँचित जिलों में क्रमित उपकरणों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	जि.स्वा.स. इकाई का नाम	आपूर्ति आदेश	बीजक की राशि (₹ में)	प्रति इकाई भुगतान की गई राशि (₹ में)	माह जिसमें भुगतान किया गया	(1.5.2012 के अनुसार) भवन की स्थिति
1	समस्तीपुर	अगस्त 2010	2197261	1846311 (84)	अक्टूबर 2010	रूफ स्लैब स्तर तक
2	नालन्दा	जून 2011	1027434	719203 (70)	जुलाई 2011	कार्य पूर्ण
3	भभुआ	नवम्बर 2009 से अप्रैल 2010	2792740	1954643 (70)	दिसम्बर 2009 से जून 2010	कार्य पूर्ण
4	छपरा	मार्च 2011	226000	158200 (70)	मई 2011	रूफ स्लैब स्तर तक
5	गया	दिसम्बर 2010 से अगस्त 2011	2255658	2255658 (100)	दिसम्बर 2010 से अगस्त 2011	रूफ स्लैब स्तर तक
6	किशनगंज	जुलाई 2010	2253535	1965039 (87)	जुलाई से दिसम्बर 2010	स्थल निर्धारण नहीं
7	शेखपुरा	नवम्बर 2010	226000	158000 (70)	दिसम्बर 2010	अंतिम चरण में
	कुल		**10978628**	**9057054**		